

मुद्रक और प्रकाशक
जीवणजी डाह्याभाषी देसांभी
नवजीवन सुदृगालय, काळपुर, अहमदाबाद

X
H9

पहली वारः ₹०००

532

तीन रुपया

जून, १९४९

अनुवादकके दो शब्द

‘जीवन-शोषन’का अनुवाद पहले-पहल मैंने १९३०के अपने जेल-जीवनमें किया था। वह छप नहीं पाया था कि असी बीच अुसका दूसरा संस्करण गुजरातीमें निकल गया व शुरूमें लेखकने अितना परिवर्तन कर दिया कि मैंने दूसरा अनुवाद नये सिरेसे करना ही अधिक सुविधाजनक समझा। अुसका अवसर मुझे अब मिला। अिस चातका मुझे बड़ा खेद है कि हिन्दी-पाठक अिस बहुमूल्य ग्रन्थके परिचय व लाभसे अवतक बञ्चित रहे।

मूल ग्रन्थ व ग्रन्थकारके विषयमें मुझे यहाँ कुछ नहीं कहना है; क्योंकि ग्रन्थके सम्बन्धमें ग्रन्थकारके गुरुदेव पूज्य नाथजीने खुद अपनी भूमिकामें जितना लिख दिया है, अुससे अधिक लिखनेकी आवश्यकता नहीं। और ग्रन्थकार हिन्दी-पाठकोंसे अब काफी परिचित हो चुके हैं। गांधी सेवा संघके सभापति, ‘गीता-मन्थन’, ‘गांधी विचार दीहन’ तथा ‘अहिंसा विवेचन’के कर्ता व ‘सर्वोदय’के एक प्रमुख लेखकके स्वप्नमें वे हिन्दी-संसारके सामने आ चुके हैं। यह ग्रन्थ अुनके विचार और अनुभवकी गहराई तथा विवेचन व तार्किक योग्यताका भलीभाँति परिचय दे देता है।

अनुवादकको स्वयं अिस ग्रन्थके परिशीलनसे बहुत लाभ हुआ है और अुसीने अुसे अिस अनुवादके लिये प्रेरित किया है। मुझे विद्वास है कि जीवनका श्रेय साधनेकी आकांक्षा रखनेवाला प्रत्येक पाठक अिस ग्रन्थको एक बार ही पढ़ कर नहीं अद्या जायगा।

पूज्य नाथजीकी भूमिकाका किस्सा दिलचस्प है। मूल गुजरातीके पहले संस्करणमें अुनकी भूमिका नहीं थी। परन्तु मेरी खिच्छा रही कि अनुवादके साथ किसी महानुभावकी भूमिका जोड़ी जाय। वह किससे

लिखा आई जाय, अिस विषयमें श्री किशोरलालभाईसे मैंने चर्चा की, तो अनुहोने पूज्य नाथजी व पूज्य गांधीजीके नाम सुशाये। मैंने तुरंत पूज्य नाथजीको पत्र लिखा व श्री किशोरलालभाईने भी अपनी सिफारिश अुसमें लिखनेकी कृपा की, जिसके फलस्वरूप यह महत्वपूर्ण भूमिका अिस अनुवादके लिए प्रथम लिखी गयी। फिर श्री किशोरलालभाईने अुसीका अनुवाद मूल पुस्तककी नयी आद्वृत्तिमें जोड़ दिया। पू० नाथजीकी मूल भूमिका मराठीमें थी। वह अिस समय सुझे अुपलभ्य नहीं है। अतः ‘जीवन-शोधन’के तीसरे संस्करणमें जो अुसका गुजराती अनुवाद छपा है, अुसीके हिन्दी अनुवादसे सन्तोष मान लेना पढ़ा है। अतः पाठक सहज ही समझ सकते हैं कि मूल भूमिकाके रससे यह कितनी दूर जा पढ़ा होगा। अस्तु। पूज्य नाथजीने जो भूमिका लिखनेका अनुग्रह किया, अुसके लिए अुनके चरणोंमें मेरा प्रणाम है। यह अनुवाद प्रेसमें जानेसे पहले ही लेखकने फिर गुजराती संस्करणमें कुछ सुधार किये। अुनके अनुसार अिस अनुवादमें सुधार किया गया। फिर मेरे परम मित्र श्री रमणीकलालजी मोदी (सावरमती)ने काफी परिश्रम करके मूल गुजरातीसे मिलाकर अिस अनुवादको बारीकीसे देख लिया व अुसमें आवृद्धक सुधार किये। अुसके बाद श्री किशोरलालभाईने खुद अनुवादको देख लिया, और अुसमें कुछ मौलिक संशोधन भी किये। परिणाम स्वरूप यह पुस्तक केवल अनुवाद नहीं, बल्कि क्रीब-क्रीब मूल पुस्तक जैसी हो जाती है। श्री रमणीकलाल मोदी और श्री किशोरलालभाईका अुपकार मानना अुन्हें अच्छी लगाने जैसी बात तो नहीं है, फिर भी ऋण स्वीकार किये बिना रहा नहीं जा सकता।

गांधी आधम,
हृषी (अजमेर)

भूमिका

जो विवेक व अुत्साह मुक्त पुरुष जीवनमें किसी अुच्च अुद्देशको पूर्ण करनेकी आकौश्या रखता है, अुसके मनमें ऐसे यश्व वार-बार लुठते हैं कि मानव जीवनका हेतु क्या है या होना चाहिये, और क्या सिद्ध करनेसे अथवा अुसके लिये यत्न करते रहनेसे अुसकी अुन्नति होगी। ऐसे पुरुषको विचार करनेमें यत्किञ्चित् भी सहायता करना मुमकिन हो तो की जाय, अिस अुद्देशसे श्री किशोरलालभाईने यह पुस्तक लिखनेका प्रयास किया है। वे खुद श्रेयार्थी हैं और अुन्हें खुद अिस वातका अनुभव है कि श्रेयार्थीको किन-किन कठिनाअियोग्यमेंसे गुजरना पड़ता है, किस प्रकारके संशयों व भ्रमोंसे अपने मनको मुक्त करना पड़ता है, एक ओरसे विवेक-नुद्दि व दूसरी ओरसे केवल परम्परागत अदा द्वारा स्वीकृत मान्यताओंकि संघर्षको किस तीव्रतासे मनको सहन करना पड़ता है। अतः अुनके ये लेख स्वानुभवपूर्वक और मनो-मन्थन करके लिखे गये हैं। अिसमें कोअी सन्देह नहीं कि अिससे ये श्रेयार्थीकि लिये अुपयोगी होंगे। मनुष्य चाहे कितना ही सात्त्विक हो, अनेक सद्गुण अुसके स्वभावभूत हो गये हों और अुसका जीवन अुच्चति-मार्गमें ही अग्रसर होता हो, तो भी केवल परम्परागत संस्कारोंके कारण अथवा किसी असम्भाव्य घटयोंको जीवनका अन्तिम साध्य बना लेनेके कारण अुसका मन अशक्य वस्तुके लिये व्यथ ही परिश्रम करता व अुद्देश पाता रहता है। ऐसी स्थितिमें अुसकी कर्तृत्व-शक्तिका न तो समाजको ही पूरा लाभ मिलता है, और न खुद अुसे ही पूरा समाधान प्राप्त होता है। सात्त्विकता होते हुये भी जिनके मनमें समाधान नहीं, अुन श्रेयार्थीयोंके प्रति सम्भावसे प्रेरित होकर लेखकने अिस पुस्तकमें यहुत-कुछ लिखा है।

पाठक देखेंगे कि विवेक, सत्त्वसंशुद्धि, प्रामाणिकता, सत्यज्ञानके लिये "अुत्कृष्टा, समाजके हित-साधनकी भावना, कर्तव्य-पालन, संयम, निष्कामता, पवित्रता, आदि दैवी गुणोंकि अुत्कर्ष पर अिस पुस्तकमें बहुत जोर दिया गया है। निःसन्देह हमारे जीवनमें दैवी गुणोंका अत्यन्त महत्व है। अिन

गुणोंके अुत्कर्षके द्वारा ही हम मनुष्यत्वकी पूर्णताको पा सकते हैं । अिन गुणोंमें जितनी कमी है, अुतने ही हम मनुष्यत्वसे दूर हैं । यदि हम मनुष्य हैं, और यदि ऐसा होना कोअी बुराओी नहीं है, तो हमारा यही धर्म होना चाहिये कि हम पूर्ण मनुष्य बननेका यत्न करें और पूर्ण मनुष्य बनना ही हमारा ध्येय होना चाहिये । यह ध्येय दैवी सभ्पत्तियों—गुणों—के अुत्कर्षके बिना कदापि सिद्ध नहीं हो सकता ।

अिन सब गुणोंमें विवेक सर्वोपरि है । क्योंकि किसी गुणको गुण या अवगुण ठहरानेवाला, अुचित व अनुचितका निर्णय करनेवाला यही गुण है । प्रत्येक वस्तुको अिसीकी परीक्षामेंसे पास होना पड़ता है । जीवनमें अिस गुणका जितना महत्व है, अुतना ही यह दिन प्रतिदिन अधिकाधिक शुद्ध होता रहना चाहिये । जीवनके अनेक प्रकारके अनुभव, अुनका सूक्ष्म निरीक्षण, निरन्तर कर्मरत स्वभाव, और ऐसे स्वभावसे ही धीमे-धीमे निष्काम बननेवाली हमारी शुद्धि — अिन सबके योगसे विवेक शुद्ध होता जाता है । अिसकी शुद्धि पर ही हमारी जीवन-नौका अुचित मार्गमें चल सकेगी । विवेक मानो जीवनका रहनुमा है । सद्गुणोंके रहते हुओ भी यदि हम राह भूल जायें, अथवा अनेक सद्गुणोंमें किसका कितना महत्व है अिसका तारतम्य न रहे या समझमें न आवे, तो हानि हुओ बिना नहीं रह सकती । निदान मनुष्यत्वमें तो कसर रह ही जायगी । और जो कसर है, वही नुकसान है ।

विवेकके बाद दूसरी महत्वपूर्ण चस्तु है दृढ़ता यानी निग्रहकी क्षमता । विवेकसे जो अुचित सिद्ध हुआ हो, विवेकने हमारे आचरणके लिये जो मार्ग निश्चित कर दिया हो, उस पर चलनेकी यदि दृढ़ता मनुष्यमें न हो, तो विवेकके रहते हुओ भी वह पंगु रहेगा । संसारमें शायद ही ऐसे लोग मिलेंगे, जो यह विलक्षुल न जानते हों कि भला क्या है । और हमारे समाजमें तो कतभी ऐसे व्यक्ति न मिलेंगे, जिन्हें भलाओी व बुराओीका कुछ ज्ञान न हो । परन्तु अिस भेदको समझते हुओ भी जो अुसके अनुसार चल नहीं सकते, ऐसे ही लोग ज्यादातर मिलेंगे । अिसका कारण यह है कि अच्छा क्या है, यह जानते हुओ भी अुस पर अमल करनेकी दृढ़ताका अनमें अभाव है । ऐसी हालतमें अुनकी यह अच्छाओीकी समझ भी

देकार हो जाती है। अिसलिए हृष्टताकी अत्यन्त आवश्यकता है। विना हृष्टताके हम अेक क़दम भी आगे नहीं बढ़ सकते। विवेकके अनुशीलनसे जैसे विवेक दिन-दिन शुद्ध होता जाता है, वैसे ही हृष्टताके अनुशीलनसे हृष्टता भी बढ़ती है। धीरे-धीरे हृष्टता जब हमारा स्वभाव बन जाती है, तब सच्चाभीके रास्ते चलते हुओं कम कठिनाभी होती है।

हमारे समाजमें ओक यह धारणा प्रधेश कर गयी है कि जो मनुष्य अपनी अुन्नति चाहता हो, उसे समाजसे पृथक् रहना चाहिये। अुसे दूर करनेके लिए लेखकने कवी जगह विस्तारसे लिखा है। समाजके प्रति अपने कर्तव्योंका निष्काम मावसे पालन करते रहनेमें ही श्रेयार्थीका कल्याण है—यह बात खास करके ‘चौथा पुरुषार्थ’, ‘जीवन सिद्धान्त’, ‘जगत्के साथ सम्बन्ध’, ‘संन्यास’, ‘खुपाधि’ आदि प्रकरणोंमें अधिक स्पष्टतासे प्रतिपादन की हुओ दीख पड़ेगी! हमारे समाजमें यह समझ बहुत अरसेसे चली आ रही है कि आध्यात्मिक अुन्नति व सामाजिक कर्तव्योंमें अत्यन्त विरोध है। अिसको दौलत सिर्फ अितना ही नहीं हुआ कि आध्यात्मिक अुन्नतिके भिन्नुक व्यवितके मनमें समाज-विषयक अपने कर्तव्योंके प्रति अुदासीनता आ गयी है, वल्कि कीटुभिक कर्तव्यका भाव भी अुपके मनसे निकल गया है। यह बात नहीं कि अिस तरहके लोगोंमें कभी सात्त्विकताकी वृद्धि विलकुल ही न हुओ हो, परन्तु अनकी सात्त्विकताका परिणाम समाज पर अष्ट-रूपमें होनेकी जगह अुलटे अनकी अुदासीनताका ही परिणाम अधिक अनिष्ट प्रकारसे हुआ है। अिससे ओक और समाजमें कर्तव्यके प्रति अुदासीनता—जहता—फैली व दूसरी ओर स्वार्थसाधुता, कपट, दम्भ, दुष्टता आदिकी समाजमें वृद्धि होती गयी। फिर समाजमें यह धारणा छुस बैठी कि जो समाजमें रहना चाहते हैं अुन्हें स्वार्थी, मतलबी, कपटी, दम्भी, दुष्ट होना ही चाहिये, नहीं तो समाज-व्यवहार नहीं चल सकता। अिससे समाजमें अिन दुर्गुणोंकी वृद्धि होती गयी। फलतः समाजमें झुद्धपन, जहता, स्वार्थभाव, पाखण्ड आदि दुर्गुणोंका ही अुल्कर्ष हुआ। कर्तव्य-भावनाका लोप हो जानेसे समाजकी अुन्नति नहीं हो पाओ। और जब समाजकी ही युन्नति अटक

गयी, तब व्यक्तिकी तो कहाँसे हो ? अतः समाजमें ही कर्तव्यनिष्ठ रह कर हमें अपनी अुन्नति करनी चाहिये । अुन्नतिका यही अेकमात्र मार्ग है । यदि सब लोग अिस बातको समझ लें कि निष्काम-भावसे अपना कर्तव्य-पालन करते रहनेसे ही खुदका और समाजका श्रेय होगा, और यदि समाज अिसे ही अपने व्यवहार-सिद्धान्तके रूपमें ग्रहण कर ले, तभी दोनों ओरसे होनेवाला समाजका वह नुकसान रुक सकेगा, जो भ्रमपूर्ण समझ या धारणाओंके कारण आज हो रहा है । अिस हानिको रोकनेके अुद्देशसे लेखकने अिस पुस्तकमें पाठकोंको बहुत तरहसे समझानेका प्रयत्न किया है । मैं समझता हूँ कि यह सिद्धान्त श्रेयार्थी जनोंको तो अवश्य स्वीकृत होगा ।

यदि हम अपने समाजकी स्थितिका ठीक-ठीक निरीक्षण करें, तो मालूम पड़ेगा कि कितनी ही भ्रमपूर्ण मान्यताओं और असंभाव्य कल्पनाओंकी बदौलत हमारी और हमारे समाजकी कर्तृत्वशक्ति बहुत-कुछ नष्ट हो गयी है । हमारी विवेकबुद्धि, जो हमारे तथा समाजके लिए अुपयोगी हो सकती थी, कुप्ति हो गयी है । जिन भ्रमपूर्ण धारणाओं और असंभाव्य कल्पनाओंको छोड़ देनेसे ही हमारा व समाजका कल्याण होगा । हमारा मन या तो स्वार्थ साधनेका आदी हो गया है, या फिर किसी असम्भवनीय व कल्पित घट्यके पीछे पढ़ जाता है । यह आदत हमें छोड़ देनी होगी । यदि हम विचार करेंगे, तो यह बात हमारी समझमें आ जाने जैसी है, कि अपनी अिस आदतको छोड़ने व स्वकर्तव्यनिष्ठ रहनेसे ही हमारा व समाजका कल्याण हो सकेगा ।

हमारे अन्दर समाज-हितकी दृष्टिसे ही प्रत्येक बातका विचार करनेकी भावना अुत्पन्न नहीं हुआई । श्रेयार्थीमें अिस वृत्तिकी बहुत जास्त है । अपने व्यक्तिगत हितकी ही दृष्टिसे विचारनेका हमारा स्वभाव धार्मिक व आध्यात्मिक क्षेत्रमें भी ज्यों का ल्यों रहा है । हमें अिस स्वभावको बदलनेकी ज़रूरत है । श्रेयार्थीके मनमें यह बात अच्छी तरह बैठ जानी चाहिये कि जबतक हमारे तथा समाजके अन्दर दैत्री गुणोंकी वृद्धि न होगी, हमारा तथा समाजका शील-संवर्धन न होगा, तबतक हमारा तरणोपाय — अुद्धार — नहीं है । यह संकुचित भावना कि मुझ अकेलेका ही हित हो — फिर वह हितकामना आर्थिक क्षेत्रकी हो या

धार्मिक — श्रेयार्थीको छोड़ देनी चाहिये । प्रत्येक कल्याणप्रद वस्तुका विचार लुसे समुदायकी इष्टिसे करते सीखना चाहिये । ऐसी व्यापक हृषि व विचारसरणी हमारी न होनेके कारण जिन गुणों, जिन भावनाओं और जिन विद्याओं आदिकी बृद्धि संघशक्तिके बदौलत ही हो सकती है, अुनका विकास हमारे अन्दर अबतक नहीं हो पाया । जिनमें हम बहुत ही पिछड़े रह गये हैं । अिससे हमारी व्यक्तिगत अुन्नतिमें भी बहुत खामी रह गयी है । व्यक्तिगत या सामाजिक अुन्नति ऐक-दूसरीसे स्वतन्त्र नहीं है; बल्कि परस्पर आश्रित है, ऐकके विना दूसरीकी पूर्ति नहीं हो सकती । व्यक्ति व समुदाय दोनोंकी शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक तीनों प्रकारकी अुन्नति होनी चाहिये । लुसमें यदि कहीं भी खामी रह गयी, तो अुसका फल व्यक्ति व समुदाय दोनोंको भुगतना ही पड़ता है । यह बात हम जितनी जल्दी समझ जायें, अुतना ही अच्छा है । अिस समझके अभावसे सिकंदरके समयसे लें, तो भी आज कमसे कम दस-बारह सदियोंसे हम विदेशियोंके प्रहार सहते आये हैं । अब भी यदि हम यह समझ जायें तो अच्छा हो । महम्मद, तैमूर, नादिरशाह जैसे कभियोंको कभी बार हमने अगणित सम्पत्ति ले जाने दी है, सैकड़ों साल्से हम हाल-बेहाल हो रहे हैं, हर साल अरबों रुपया परदेश भेज रहे हैं । अितनी कीमत चुकाने पर तो अब हमें यह अच्छी तरह समझ ही लेना चाहिये । सत्यनिष्ठा, कर्तृत्व, प्रामाणिकता, निःस्वार्थता, पवित्रता, देशप्रेम, पुरुषार्थ, पराक्रम, तेजस्विता, स्वाभिमान, संघशक्ति, व्यवस्थितता, अुद्योगिता, आत्मरक्षाके लिअे आवश्यक बल, निर्भयता, आदि अनेक सद्गुणोंके अभावमें हमें आज तक कितना भुगतना पड़ा है; हमारे स्त्री-पुरुषों पर कैसे भयंकर जुल्म हुआ है और अुनका संहार हुआ है; कितनी मानहानि — मनुष्यताके लिअे लाञ्छनास्पद मानहानि — हमें सहनी पड़ी है; अनाथ छियों व बच्चोंको कितने अत्याचार सहने पड़े हैं; और यह सब जुल्म-ज्यादती, यह सारी विडम्बना विदेशियोंके ही द्वारा हुओ हो सो बात नहीं, हमने आपसमें भी ऐक-दूसरेको सतानेमें कसर नहीं रखी है । परन्तु जितना सब सहन कर चुकने पर तो हमारे हृदयमें विचार पैदा होना चाहिये । सामुदायिक हितकी इष्टिसे विचार

करनेकी हमारी वृत्ति न होनेके कारण हमारे अन्दर अुत्तम व व्यापक सद्गुणोंकी बुद्धि नहीं हुआ, और अिसीसे हमारा तथा हमारे समाजका बहुत ही नुकसान हुआ है। समुदायके कल्याणमें ही मेरा कल्याण है, यह बात श्रेयार्थीकी रग-रगमें पैवस्त हो जानी चाहिये। अुसे यह बात निश्चित रूपसे समझ लेनी चाहिये कि मेरा श्रेय समाजके श्रेयसे भिन्न व पृथक् नहीं है, बल्कि एक ही है; और अुसे ऐसी ही विचारधारा स्वीकार करनी चाहिये, जिससे दोनोंका कल्याण हो। ऐसी कपोल-कल्याणों तथा असम्भवनीय ध्येयोंको, जिनका सम्बन्ध व्यक्तिगत तथा सामुदायिक कल्याणसे न हो, जल्दीसे जल्दी अुसे छोड़ ही देना चाहिये।

दूसरी भी एक और बात श्रेयार्थीको ध्यानमें लानेकी ज़रूरत है। जिस प्रकार स्वार्थ, प्रतिष्ठा, देहसुख, कीर्ति आदि प्राप्त करना जीवनका हेतु — अुद्देश — नहीं होना चाहिये, अुसी प्रकार किसी भी तरहकी आनन्द-प्राप्ति भी जीवनका हेतु न होनी चाहिये। मीतिक आनन्दकी तरह अीश्वरानन्द, आत्मानन्द या ब्रह्मानन्दमें भी निमग्न रहनेका अुद्देश अुसे न रखना चाहिये। ‘आनन्द’को जीवनका अुद्देश मानना मनुष्यकी वङ्गी भूल है। श्रेयार्थीको अपने कर्तव्य-पालनके फलस्वरूप प्राप्त होनेवाले समाधानके सिवा दूसरी किसी बातकी अपेक्षा न रखनी चाहिये। जिसमें भरपूर कर्तव्यनिष्ठा और करुणाकी भावना है, अुसे आनन्दका अुपभोग करनेकी फुरसत शायद ही हो सकती है। श्रेयार्थीको यह कभी महसूस नहीं होता कि अब मुझमें पर्याप्त कारण्यका विकास हो चुका है। अुसे कभी यह प्रतीत नहीं होता कि मेरा कारण्य संतारके दुःखके जितना अगाध है। सब वस्तुओंका — अुनके सुख-दुःखोंका — निरीक्षण करके अुसने अपने कर्तव्यका मार्ग ग्रहण किया होता है। क्योंकि वह यह निश्चित रूपसे जानता है कि कर्तव्य-पालनसे अधिक मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। जब-जब कर्तव्य-रत रहते हुअे अुसके मन, बुद्धि, शरीर पर शक्तिसे बाहर तनाव पड़ता है, तभी अुसका हृदय कर्तव्यपालनके परिणाममें कुछ थोड़ी प्रसन्नता अनुभव करता है। अिसीको वह समझता है कि मुझे अपने कर्तव्याचरणका पूर्ण और अुचित मावजा मिल गया। फिर भी वह ऐसी प्रसन्नता-प्राप्तिका अुद्देश रखकर कर्तव्य-पालन नहीं

करता। प्रसन्नताके तो वह कर्तव्य-पालनमें हुअे तनाव या श्रमका सहज परिणाम समझता है। अुसकी यह भावना नहीं होती कि कोअी काम में अिसलिए कर्त्तृ कि अुसमें आनन्द मालूम होता है, किसी बातके पीछे अिसलिए पहुँ कि अुसमें आनन्द है; और न अुसका ऐसा अुद्देश ही होता है। किर भी अिसका अर्थ यह नहीं कि अुसे कभी आनन्द होता ही नहीं। अपने या दूसरोंके जीवनमें कोअी अिष्ट, अुच्चतिकारक धटना घटे या हृदयको पवित्र व निष्काम बनानेमें अुसे सहसा कठिन प्रतीत होनेवाली सिद्धि प्राप्त हो जाय, अथवा व्यक्ति या समाजका जब कुछ शुभ हो जाय, तो अुसे आनन्द हुअे विना न रहेगा। परन्तु अुस आनन्दका भोक्ता बनकर रहनेकी वह अिच्छा नहीं करेगा। निष्काम कर्मयोगको सिद्ध करनेकी ओर ही अुसकी चिन्तावृत्ति दीइती रहेगी।

विचार करनेसे ऐसा मालूम होता है कि श्रेयार्थीको अिस बातका दुःख या शोक, अुस सुख अथवा दुःखका कारण खोजना चाहिये। अनन्द या सुखका कारण यदि साचिक हो, तो डरनेकी कसरत नहीं और दुःख या कष्टका कारण भी यदि साल्लिक ही हो, तो अुससे भी दुःख मानने या घररानेकी कसरत नहीं है। यह बात श्रेयार्थीको अच्छी तरह याद रखनी चाहिये कि साचिकताके पथ पर चलते हुअे कभी आनन्द मालूम होगा, तो कभी असह्य दुःख भोगनेका भी प्रसंग आ जायगा। जब कभी अुस पर दुःख आ पहे, तब अुचित अुपायों व न्याय्य मार्गसे अुसे दूर करनेका प्रयत्न करते हुअे भी, जो दुःख या कष्ट अपने हिस्से आ पहे, अुसे सहन करनेके लिये आवश्यक धैर्य व सहिष्णुता अुसे अपनेमें लानेका प्रयत्न करना चाहिये। अुसे अपने दुःख अथवा आपत्तिसे अुसका मन मुरझा न जाना चाहिये। अुसे अपने मनको यह बात भलीमौंति समझा देनी चाहिये कि अुन्नतिका मार्ग सुख-सुविधाभोंमें से होकर नहीं गुजरता है। दुःख व संकटका मुकाबल करते रहनेकी ओर अुसकी प्रवृत्ति और उश्शार्थ अुसमें होना चाहिये। जीवनका परम अुद्देश सिद्ध हो जानेके बादकी स्थितिमें जो कुछ समाधान होता हो सो हो, परन्तु अुसे तो अुस परम अुद्देशकी स्थितिके लिये सतत प्रयत्नशील

रहनेमें भी समाजान मालूम होना चाहिये। श्रेयार्थीका बिन बातों पर विचार होना चाहिये कि उन्नतिके लिये प्रयत्न करते हुये जब-जब दुःख या संकट आ पड़े व अनमें अपने मन-बुद्धि-शरीरको श्रम करना पड़े, तबाव सहना पड़े, कठिनाअियोंमेंसे रास्ता निकालते हुये, संकटोंका असह भार खींचते हुये मनोभावनाओंको कभी अत्यन्त कोमल व कभी अत्यन्त कठोर करना पड़े, तब-तब मनको मृदुल या कठोर बनाते हुये मन-बुद्धि-शरीरके द्वारा जो अनुभव होते हैं युन्हीमें सारी विशेषता भरी रहती है, और अन अनुभवोंके द्वारा ही हमारे मनुष्यत्वका स्वल्प घड़ा जाता है। अनेक प्रकारके विकट व कठिन प्रसंगोंसे तप कर निकले बिना हमारी सत्त्वशीलताकी परीक्षा नहीं होती और परीक्षा हुये बिना आत्म-विचार सहन नहीं पैदा होता। सात्विक-छुदेशोंके लिये जो दुःख व यन्त्रणा सहन करनी पड़ती है, अुसीसे हमारे अन्दरकी मलिनता धुलकर मनुष्यता प्रकट होती है। युन्नतिके मार्ग पर चलते हुये, न्याय व करुणासे सरावोर दृढ़यमें यदि सात्विक सुख तथा आनन्द प्राप्तिकी गुजायश्य हो, तो युसे वह डुकरावेगा नहीं, और दुःख व यन्त्रणा आ जावे, तो युनको वह अपना दुर्भाग्य न समझेगा। अिस सबका अर्थ कोअी भूलसे यह न समझ ले कि कर्तव्य-मार्गके माने जानवृक्ष कर इमें ('आ वैल सींग मार' कहने) दुःखोंको निर्मत्रण देनेकी ज़खरत है।

'जीवन-शोधन'में जो विचार प्रदर्शित किये हैं, युनके सम्बन्धमें लेखकने खुद अनुभव करके तथा अुस विचारधाराके अनुसार आचरण करते हुये श्रेयप्राप्तिके लिये आवश्यक कष्टोंको सहन करनेके बाद अन्हें पाठकोंके सामने पेश किया है। केवल कल्पनाके आनन्दके लिये या तक-बुद्धिको कुशाग्र करनेके लिये अन्होंने कुछ लिखा नहीं है। विवेक-बुद्धिको कुशाग्र होनेके बाद मनमें भ्रम नहीं रहता, अिसलिये विवेकबुद्धिको कुशाग्र होनेका अन्होंने प्रयत्न किया है। अन्होंने केवल युन्हीं विषयोंमें अपनी विवेचक-बुद्धिको कुशाग्र करके पाठकोंकी बुद्धिको भी कुशाग्र करनेका यत्न किया है, जिनको मनुष्य व्यवहारमें ला सकता है और जिनके द्वारा वह अपनी युन्नति कर सकता है। सार्वत्र यह कि स्वतः अनुभव करते हुये और तदनुसार बरतनेका प्रयत्न करते हुये अन्होंने ये सब विचार प्रदर्शित

किये हैं। अिन विचारोंकी सत्यासत्यताके विषयमें लेखकने खुद अपनी प्रस्तावनाके अन्तमें जो अिच्छा प्रकट की है और जो निर्णय दिया है,* वह मुझे भी अचित मालूम होता है। अतः अिस विषयमें मुझे अधिक कुछ कहनेकी ज़रूरत नहीं रहती।

हम सबको एक ही श्रेय सिद्ध करना है। हमारा परस्पर तथा समुदायका श्रेय हम सबकी पारस्परिक सहायतासे ही सिद्ध होगा। अुस श्रेयका व अुसकी साधनाके मार्गका स्पष्ट शान हम सबको हो, और अुस ज्ञानकी प्राप्ति होकर श्रेयप्राप्तिके लिये आवश्यक दैवी गुण हमारे अन्दर दिन-दिन बढ़ते जायें — ऐसी अिच्छा करते हुअे मैं अिस भूमिकाको समाप्त करता हूँ।

बम्बली

जनवरी, १९३४

केशारनाथ

* “अिन लेखोंमें जितना सत्य, विवेकबुद्धिसे ग्रहण करने योग्य व पवित्र प्रयत्नोंका पोषक हो बुतना ही जीवित रहें; जो अधिक अनुभव वा विचारसे अनपूर्ण वा पवित्र प्रयत्नोंके लिये हानिकर मालूम हो, अुसका निराकर व नाश ही — यही मेरी कामना है।”

विषय-सूची

अनुवादके दो शब्द
भूमिका
प्रस्तावना

ओ केदरनाथजी

३-४
५-१३
३१-३५

जीवनका ध्येय ३१; गलत कल्पनाओं, संस्कारों विद्यादिका प्रमाण; आर्यतत्त्वज्ञानमें शीधनकी जरूरत ३२; जीवन-परिवर्तन व धारणा-परिवर्तन; कर्तृत्वका अपव्यय ३३; वाधार्तोंकी जरूरत ३४।

खण्ड १

३-१४

पुरुषार्थशोधन और विषय प्रवेश

१. चौथा पुरुषार्थ
पुरुषार्थीकी संख्या; काम और अर्थकी मर्यादा ३; अर्थपुरुषार्थ; कर्मके लक्ष्य; धर्मका पाया ४; धर्मका पुरुषार्थ ५-७; सत्त्वसंशुद्धि तथा जीवननिर्बाह; धर्मकी मर्यादा ८; पुरुषार्थके अंग; ज्ञान-पुरुषार्थ — मोक्ष; चित्तशोधन ९-१०; पुरुजन्मवाद; अनुगम ११; आरमतत्त्वकी शोध; पुरुजन्मके भयसे मोक्ष; मोक्ष और दूसरे पुरुषार्थीमें विरोध; चित्तका हो यन्वन—मोक्ष १२; मोक्ष शब्दकी भासकता; चारों पुरुषार्थोंका अविरोध १३; पुरुषार्थके लिये योग्य धृति १४।

१४-१६

२. ज्ञानको शोधके अंग
पहले परिच्छेदिका सार १४-१५; पुस्तककी मर्यादा; पुस्तकके

१७-१९

विभाग १६।
३. श्रेयार्थिको साधन-सम्पत्ति
सत्याघ्रह; व्याकुलता १७; प्रेम; शिष्यता १८; निर्मससरता;

२०-२४

वैराग्य; सावधानता; नीरोगिता १९।
४. धर्ममय जीवनके सिद्धान्त
धर्ममयका अर्थ; विचारोंकी कस्तौटी २०; व्यक्ति व समाजका धारण-प्रौषंण तथा सत्त्वसंशुद्धि; अभ्युदयकी व्याख्या २१; धर्ममार्गकी

ग्रहमार्गके साथ तुलना; ध्येय-कर्म सम्बन्ध; नीरोगिताकी जरूरत; शुस्तके अंग २२; पीषणकी मर्यादा; शुचित धारण-पोषण प्राप्त करनेका धर्म २३; सत्त्वसंशुद्धिमें बाधक भोग; सत्त्वसंशुद्धिका महत्व २४; सत्त्वसंशुद्धिके लक्षण २५; संयमकी अनिवार्यता; संयमका मरुलव २६; दैवी सम्पत्तियोंका विकास; सत्त्वसंशुद्धि — जीवनका ध्येय व सिद्धान्त २७; सम्पत्तियोंके अुत्कर्षके साधनोंका मेल; कौटुम्बिक सम्बन्धोंकी विशेषता; ब्रह्मचर्य २८; ब्रह्मचर्यकी शर्तें; विवाहका अनधिकार २९; कुदुम्ब तथा समाजर्ममें विरोध ? श्रेयार्थीकी निर्वाह पद्धति ३०; सबसे नीचेकी मानव सतहका पोषण; सादगी; परिध्रम और संयम; सामाजिक कर्तव्य; समाजका प्रयोजन; समाजका धर्म ३१; समाजद्रोह; राजनीतिक प्रवृत्ति ३२; हमाज और व्यक्तिका हिताव या तलपद; समाजके लिये विसावी सहने या क्षति शुठानेका नित्यधर्म ३३-३४।

खण्ड २

अदृश्य शोधन

१. आलम्बन

३७-४१

ज्ञानका अंतिम फल; निरालम्ब स्थिति ३७; परन्तु शुरूआतमें आलम्बनकी जरूरत ३८; शुद्ध आलम्बनके लक्षण ३९-४१।

२. शुद्ध आलम्बन

४२-४३

लक्षणकी पुनः स्पष्टता ४२; दो प्रकारके प्रमाणातीत विषय ४३; पहला प्रकार: परमात्मा ४४; तत्त्वमन्त्वी विविध मान्यताएँ ४५; श्रेयार्थीका मार्ग; वुद्धि और श्रद्धा ४७।

३. जगत्का कारण

४८-५०

निमित्त कारण और: शुपादान कारण ४८; परमात्मा जगत्का शुपादान कारण; शुस्तको चैतन्यरूपता; साकार-निराकारका अर्थ ४७-५०।

४. चित्त और चैतन्य

५०-५६

चेतनके धर्म: ज्ञान व क्रिया; 'जीव'; अहं-ममत्व ५०; सृष्टिन्यापक चैतन्य; 'परमात्मा'; प्रत्यगात्मा; शुस्तकी विशेषतायें ५१-५२; तथा मर्यादायें ५३-५४ परमात्मा व प्रत्यगात्मके विशेषणोंकी तुलना ५५-५६।

५. सगुण व्रह्य — शुपासनाके लिए

५७-६२

मनुष्यके तीन अचल विश्वास ५७; श्रेयार्थीकी प्रतीतियाँ

५८-५९; परमात्माकी विभूतियोंका चितन ५९-६२; श्रेयार्थीके योग्य परमात्माका चितन ६२ ।

६. सगुण व्रह्य — भवितके लिए

६३-६७

परमात्म-चितनके शुद्धेश्य; शुस दृष्टिसे परमात्माके विशेषण ६३-६५; समर्पण विचार ६५; परमात्माके आलम्बनका फल ६६-६७ ।

७. परमात्माकी साधना — १

६७-७८

शान, भवित और कर्मकी चर्चाके सात पक्ष ६७-६८; शान-भावना-कर्मका चक्र ६९-७०; भावनाओंके अनुशीलनके सम्बन्धमें दो पक्षः गुणात्मक भवितमार्ग, अवस्थात्मक शानमार्ग ७०-७२; भावनाओंका अुचित रीतिसे अनुशीलन मनुष्यके विकासक्रमकी ऐक अनिवार्य सीढ़ी; शानसे कर्म तकका चक्र ७४; ऐक चक्रके खत्म होनेपर नये चक्रका आरम्भ ७५; आखिरमें आत्मस्वरूपका निश्चय; शुसके बाद सर्वात्मभावी भावनाओंकी जाग्रति और तदनुरूप कर्मयोग ७६; अिति कर्मयोगकी पूर्णता पर कल्पनीय नैकर्म्य या निर्गुण सिद्धि-सम्बन्धी स्थिति; श्रेयार्थीका कर्तव्य मार्ग ७६; सात्त्विक शानकी प्राप्ति; सात्त्विक भावनाओंका पोषण और सात्त्विक कर्म करनेमें कुशलताकी प्राप्ति ७७-७८ ।

८. परमात्माकी साधना — २

७८-८०

परमात्माके साथ अनुसन्धानके कुछ स्थूल प्रकार; विस्तके बारेमें विचारने जैसी कुछ सामान्य वार्तें; ऐकाकी चिन्तन ७८; जल्सेग, खानगी अनुशीलन, सामाजिक अनुशीलन, प्रत्येक क्रियाके साथ अनुसन्धान; ‘ऐक तत्त्वमें अद्वा’ ७९ ।

९. अद्वायुक्त नास्तिकता

८०-८६

साधनाके स्थूल प्रकारोंके शुपयोगमें विवेककी जरूरत; काल्पनिक देवी-देवता ८०; ऐक श्रीश्वरकी शुपासना — अनन्याय्य ८२; मृतिके शुपयोगकी मर्यादा; मन्दिर-मसजिद जैसे स्थानोंको शुपयोगिता व मर्यादा ८३; शानेश्वर द्वारा अद्वायुक्त नास्तिकताका वर्णन ८३-८४; ऐक ही देवकी माननेवालोंकी अद्वायुक्त नास्तिकता — शुसकी भूमिका ८४-८६ ।

१०. शुपासना

८६-९१८

स्तवन-शुपासना और सहज-शुपासना ८६; शुद्धि और जीवनका भेद ८७-८८; सहज-शुपासनाका सिद्धान्त; शुस्की तीन शृंति ८९-९३; कर्म-जड़ताके भेद ९३-९४; 'कर्म-योग ही ओश्वरकी शुपासना' का सद्व, स्तवन-शुपासनाकी जरूरत ९५; स्तवन-शुपासनाका 'नेति' स्वरूप ९६; स्तवन-शुपासनाका स्वीकार मगर उसे शुद्ध करनेकी वृत्ति ९७; स्तवन-शुपासनाकी 'विति' ९८; व्यक्तिगत या सामुद्रायिक ९८-१०२; सामुद्रायिक शुपासनमें श्रुत्यव दोष १०२-१०८; शुपासनाका स्थान १०८-११२; शुपासना पाठ; सकाम याचना ११२-११३; अनेक देव व अनेक नाम ११४-११७; शुपस्हार ११७-११८।

११. मरणोत्तर स्थिति

११८-१२५

पुनर्जन्मवाद, मोक्षवाद, 'क्यामत' वाद ११८-११९; उद्धकी दृष्टि १२०; चित्तके कुछ लक्षणोंके विचार; संस्कार, शुनका व्यापक असर १२१-१२२; शरीरके नाशके साथ चित्तका नाश (?) १२३; दूसरे शरीरकी आवश्यकता १२३; पुनर्जन्मवादकी प्रेरकता १२४; 'न हि कल्याणकृत् कश्चिद् दुर्गतिं तात् गच्छति ।' १२५।

१२. शुपस्हार

१२६-१२८

खण्ड ३

भक्ति-शोधन

१. प्रास्ताविक

१३१-१३२

भक्ति शब्दके विविध अर्थ; 'साकारकी भक्ति' १३१; शुस्की ऐकदेशीयता व साकार निष्ठा; शुस्का शुचित व विवेकयुक्त स्वरूप १३२।

२. भक्ति और शुपासना

१३३-१३७

सकाम आराधक १३३; अहैतुक शुद्ध प्रेम १३४; शुपासना और भक्ति १३४-१३५; भक्तिका साफल्य १३६; गुणोंके विकासका साधन शुपासना; जीवनकी शुल्कृष्ट सफलता प्राप्त करनेका साधन भक्ति १३७।

३. आराधना

१३८-१४०

आत्मनिवेदन-भक्ति : जगद्को सेवाका सहज मार्ग १३८; अिष्ट पुरुषकी योग्यता १३८; प्रत्यक्षके अमावस्ये परोक्षकी 'आराधना' १३९; श्रुपासना, भक्ति, आराधना; विकृत आराधना १४०।

४. भक्ति और धर्म

१४१-१४७

'सर्वधर्मान् परित्यज्य' शोकका रहस्य; सद्गुरुशरण जानेमें गृहीत विचार १४१-१४२; भक्तिका पर्यवसान १४३; धर्मका अर्थ; धर्म और कर्मका भेद १४३; शरणभावना व बुद्धिका विकास; भक्तिका अन्तिम लक्ष्य १४४; भक्ति और धर्मकी मर्यादा; शरणका अर्थ १४५; भक्ति-भावोंको मात्रा १४६।

५. गुरु

१४७-१५१

गुरु-सद्गुरु; सद्गुरुको आवश्यकता किसको? १४७-१४८; गुरु-शिष्य सम्बन्धकी अवधि; 'गुरु-कृपा' १४८-१४९; पंथनिर्माण १४९; वहम और अन्धश्रद्धा १५०-१५१।

६. सद्गुरुशरण

१५१-१६०

गुरुशरणके सम्बन्धमें महावीर, उद्ध व गांधीजी; गुरुशाही १५१-१५२; ढोंगी प्रह्लादिष्ठ; किसीको गुरु न बनानेका मिथ्याभिमान १५२; जीवन-शोधनमें अहंकारके विलयकी ज़रूरत; शुस्का ऐक मार्ग — 'प्रेम' १५३; सद्गुरुके सम्बन्धमें विचारणीय वातें १५४-१५७; शुस्में हीनेवाली चार प्रकारकी भूलें; चमत्कारकी शक्ति; वाक्यपूर्णता; विभूतिमत्ता और वाहरके भाससे संत गुरुओंको खोजनेका आग्रह १५८-१५९; जगद्गुरुका अर्थ १५९-१६०।

७. गुरुभक्ति और पूजा

१६०-१६४

गुरुपूजाका ग्रलत आदर्श १६०-१६१; गुरु गोविन्दसिंहका दृष्टान्त १५२; मूर्तिपूजाकी मर्यादा १६३-१६४।

८. सद्भाव और सत्संग

१६५-१६८

संतमाव — संतभक्तिका अर्थ; हनुमान और अंगदका शुद्धाइरण १६५-१६६; शुस्का जीवनमें शुपयोगी स्थान १६६; अविवेकयुक्त संतपूजा १६७।

९. भक्तिके प्रकरणोंका तात्पर्य

१६९-१७०

भक्ति-भावका शुचित व अनुचित विनियोग

खण्ड छ

प्रकीर्ण विचारदोष

१. वैराग्य

१७३-१७६

वैराग्यके सम्बन्धमें विचित्र कल्पनायें; जहभरत १७३-१७४; वैराग्यके नाम पर शैर-जिम्मेदार स्वच्छन्दता; वैराग्यका स्वरूप १७५; कर्तव्यब्रह्म-प्रेमविहीन — मनका आवेग व वैराग्य १७६।

२. जगत्के साथ सम्बन्ध

१७७-१८०

तत्सम्बन्धी गलत कल्पनायें तथा अुनके दुष्परिणाम १७७; समाजके स्थागका अर्थ; व्यक्ति व समाजका अविच्छेद सम्बन्ध १७८; समाज-विषयक क्रणभावका महत्व १७८-१७९; श्रेयार्थीमें समाजका श्रेय वदानेकी अधिक लगनकी आवश्यकता १७९-१८०।

३. शुपाधि

१८१-१८३

निरुपाधिकताकी भर्यादा १८१; अुसे जीवनका ध्येय नहीं बना सकते; शंकराचार्यके निप्रियता सम्बन्धी शुपदेशका अुनके कार्यके साथ विरोध १८२; कर्मका त्याग तथा अनारम्भ; सहज प्राप्तकर्म १८३।

४. संन्यास

१८४-१८६

संन्यासका बुद्धभव १८४; संन्यासीके वेश व नामकी अनावश्यकता; शुस्त्री अन्धपूजा १८५; संन्यास ‘धारण करनेका’ मोह १८६।

५. भिक्षा

१८७-१८९

भिक्षाकी प्रथा — प्राचीन समयमें १८७; वर्तमान समयमें वह स्थाज्य और पापल्प १८८; न्याय आजीविका प्राप्त करनेकी ज़रूरत; शुस्त्री श्रेय साधनके अंश; साधना और पराश्रेय १८९।

६. अपरिग्रह

१९०-२०१

संग्रह विषयक व्यावहारिक बुद्धि १९०; संतों द्वारा अपरिग्रहका शुपदेश; दो पक्षोंका विचार १९०-१९१; परिग्रह व स्वामित्वका भेद १९१; परिग्रहके प्रकारोंका भेद १९२; परिग्रहमें मिश्रित दी भाव : भविष्यकी आवश्यकता व स्वामित्व १९३-१९४; निर्वाहमें सहायक दो प्रकारकी सम्पत्तियाँ : वाह्य व अंतरिक १९४; चरित्र-धन १९५; परमेश्वरका विश्वभरत्व १९७; शुस्त्रा पृथक्करण १९८; परिग्रह और स्वामित्वका दावा १९९; परिग्रह व अम;

परियह व सारसंभाल; शुद्धाभूपन १९९; चरित्र व शुद्धात् संकल्प;
परिप्रह व भोगोंकी मर्यादा; सिक्केको मिला अधिक महत्व २००।

७. बाहरी दिखावा

२०१-२०४

साधुका पहनावा व भाषा; साधुके वास्त्र व्यवहारका अनुकरण;
शुसकी विशिष्ट आइर्में आध्यात्मिक महत्व समझनेको भूल २०१-
२०२; अनघडपन व साधुता २०२-२०३; 'ज्ञानकी अलिप्तता', अथवा
'अवशिष्ट प्रारब्धका भोग'; वास्त्र दिखावमें परिवर्तन करनेका शुचित
प्रयोजन २०४।

८. स्वाभिमान

२०५-२०८

मानापमानमें समयुद्धि-निरभिमानताका आदर्श २०५; शुसकी
गलते कल्पनासे हानि; तेजस्विता; शुचित परिणामोंमें शुद्धात् गुणोंका
सम्मेलनकी आवश्यकता; 'मानापमानमें तुल्य' का अर्थ २०६; अपमान
करनेवालेको जीतनेकी आवश्यकता २०७।

९. स्वाद-जय — १

२०८-२११

स्वाद-जयकी गलत रोतियाँ और मान्यताये २०८-२०९;
खानेको लालसा व चटोरपन; शुप्रवास, अल्पाहारसे स्वादेन्द्रियके अधिक
ताक्षण होनेकी सम्भावना २१०; जिहा-जयमें कठिनाईयाँ २११।

१०. स्वाद-जय — २

२१२-२२०

स्वाद-जयकी शुचित विधि और ध्येय २१२; 'जय' शब्दके
द्विविध अर्थ; अनिद्रियोंका नाश करके शुन्हे जीतनेका गलत तरीका;
मन-थिन्ड्रियोंको शब्द-भावसं देखनेकी गलती २१२-२१३; शुन पर
स्वाधीनता प्राप्त करनेका जल्लत २१३; अनिद्रिय-जयके आवश्यक
साधन; सावधानता; चित्तको शुद्धात् विषयोंका रस; विरोध-भावसे
भी विषयोंका चिन्तन न करनेकी आवश्यकता २१४; स्वाद-लौलुपत्ताको
आरोग्य-पोषक बनानेकी जल्लत २१५-२१६; कृत्रिम भवित्व
कृत्रिम योग आदि द्वारा शुक्त उत्पन्न कठिनता या अशक्यता २१७;
चित्तका सदोष व निदोष रंजन २१८; अविवेक तुक्त अनिद्रिय-जयके
प्रयत्नोंका दुष्परिणाम २१९।

११. कर्मवाद

२२०-२२४

कर्मवादका दुरुपयोग; पूर्वकर्म और पूर्वजन्मका कर्म २२०-
२२१; दूसरोंके पूर्वकर्मका प्रभाव; आधिदैविक कारण २२१-२२२;
संकल्पकर्ताकी कर्मका महत्व २२३; समाज पर आवी आफतें २२३-२२४।

१२. अध्यासवाद — १

२२५-२२७

अध्यासवादका निरूपण २२५; विष्णो-भ्रमर तथा किसान-भैसका शुदाहरण २२५-२२६; देहादिकमे अहंता व अध्यास; आत्मज्ञान अध्यासका विषय नहीं; वालक-धायका दृष्टांत २२६-२२७ ।

१३. अध्यासवाद — २

२२७-२२९

अन्वय व व्यतिरेकका अर्थ २२७; व्यतिरेकी मैं-पनका विचार २२८; वह अध्यासका विषय नहीं, बल्कि परीक्षणका २२९ ।

१४. देहका सम्बन्ध

२३०-२३२

शास्त्र-वचनसे शुत्पन्न भ्रम २३०; आत्मस्थिति वा वासना-स्थयके सम्बन्धमें देहनाशकी विच्छाप; देहके रहते हुवे भी आत्म-ज्ञानकी लरुरत २३१; आर्य तत्त्वज्ञानकी विशेषता २३२ ।

१५. वासनाक्षय

२३३-२३५

वासनानिवृत्ति-विषयक भ्रम; वासनाका शुच्छेद २३३; वासनाओंकी शुत्तरोत्तर शुद्धि; वासना व स्वभवका भेद २३४; क्रिया-शक्तिको शुचित दिशा दिखानेकी आवश्यकता; पूर्वग्रहोंका रथाग व शोधनवस्तु-विषयक निष्कामता २३५ ।

१६. पूर्वग्रह

२३६-२४०

आत्मशोबनके विषयमें पूर्वग्रह २३६; सर्वज्ञता, आनंदमयता, सत्य-शिव-सुन्दर आदि सम्बन्धी भ्रम; अमरता विषयक कल्पनायें; सत्य तथा विभूतियोंकी खोज २३७; नीरोगिता, भविष्य-ज्ञानकी शक्ति वित्यादि सम्बन्धी पूर्वग्रह २३८; पूर्णताके दो पहल; आत्म-प्रतीति व जीवनका परमोत्कर्ष; आत्मप्रतीतिके बाद भी प्राकृतिक नियमोंका महत्व; आत्मप्रतीति युक्त तथा शुससे रहत व्यक्तिमें भेद २३९-२४० ।

१७. जीव-अद्वैत तथा पिण्ड-ब्रह्माण्ड

२४०-२४४

चित्तका जीव-स्वभाव तथा श्रीद्वैत-स्वभाव २४०; जीव तथा श्रीद्वैत-विषयक सामान्य कल्पना २४१; तत्सम्बन्धी परिभाषा विषयक पांडित्य २४२-२४३; पिण्ड-ब्रह्माण्डकी ऐकताका अर्थ; तद्विषयक कुछ व्यर्थ कल्पनायें २४४ ।

१८. अवतारवाद

कहुर अवतारवादकी मान्यता २४५; भुसकी भूले २४६; प्रत्येक जीवसमें स्थित ऐश्वर्येच्छा; रामकृष्णादिके जन्मकर्मकी दिव्यताका अर्थ २४७; गलत अवतारवादसे हानि; तद्रियक काल्पनिक ध्येय व सिद्धान्त; अवतारके लिये पुकार २४८-२४९ ।

२४९-२५२

१९. निर्गुण और गुणातीत

अन दो शब्दोंसे भुत्यन्न भ्रम; गलत निर्गुणताकी झुपासना २४९; आत्माको अलिप्तताके वहाने पोषित अनाचार; भुसमें शाल-कारेंका सह्योग; कृष्णचरित्र; योगवासिष्ठके ब्रह्मनिष्ठ; निर्गुण या मर्वगुणाश्रय? निर्गुणताके सम्बन्धमें चित्त व आत्मा विषयक भेद; चित्तका अभ्युदय, गुणातीतताके प्रति, निर्गुणताके प्रति नहीं; गुणातीतका सच्चा अर्थ निरभिमान स्थिति २५०-२५२ ।

२५२-२५६

२०. 'सबमें मैं' और 'सबमें राम'

मिस्र प्रकारकी मावना या ध्यास करनेका मिथ्या प्रयत्न; भिस्रसे भुत्यन्न कृत्रिम माया व तत्त्ववाद; कृत्रिम भावके नमूने २५०-२५४; मिस्र प्रकारके वार्दोंका आश्रय लेनेके मूलमें स्थित सुखालस वृत्ति; अहंकारकी अविनाशिता २५५-२५६ ।

२५६-२५९

२१. मायावाद

मायावादकी दुस्तर माया २५६; भुसके मूलमें स्थित वास्तविक अवलोकन २५७; मनोव्यापार ही ज्ञानका साधन; भुसे शुद्ध व सूखम करनेका ही आग्रह भुवित २५८-२५९ ।

२६०-२६२

२२. लीलावाद

लीलावादका आमक शब्द-जाल — भुसके मूलमें तत्त्वहटि २६०; भुससे भुत्यन्न भ्रम और पावण्ड २६१; चैतन्यके मानी ऋतता; लीला — स्वच्छन्दता नहीं २६१-२६२ ।

२६२-२६६

२३. पूर्णता

पूर्णताका आदर्श और भुसे प्राप करनेकी पद्धतिके सम्बन्धमें अमपूर्ण कल्पनायें; चैतन्यकी शक्तिमत्ताकी अमर्यादितता व मर्यादितता २६२; आत्म-प्रतीतिवाले पुरुषोंको पूर्णताका अर्थ; स्यर सम्पत्ति व

विभूतिका भेद २६३; पूर्णताका विचार स्थिर सम्बन्धमें
शुचित; दो प्रकारकी पूर्णता २६४; ध्यास व पूर्णता २६५।

२४. अज्ञानका स्वरूप व सर्वेक्षता

२६६-२७०

अज्ञानका स्वरूप २६६; चार प्रकारका अज्ञान; पूर्ण अचेतनता;
आंशिक अचेतनता; अनिश्चय; वादकी गलत साचित होनेवाला
निश्चय; अज्ञानके अभावका अर्थ २६७-२६८; योगदर्शनमें वतावी
ज्ञानकी सात सीमायें २६९; सर्वेश होनेकी आकांक्षा २५९; ज्ञान-
प्राप्तिके सात फल २६९।

खण्ड ५

सांख्य और वेदान्त-विचारके साथ दृश्यशोधन

१. प्रास्ताविक

२७३-२७५

सांख्यदर्शनका महत्व; शुसकी परिभाषा समझनेमें अमर्पूर्ण
कल्पनायें २७३; आधुनिक विज्ञान व सांख्य २७४; सांख्यदर्शनमें
शुद्धि-वृद्धिका युहेश्य २७५।

२. त्रिगुणात्मक प्रकृति

२७६-२८२

पञ्चीस तत्त्व; 'तत्त्व' शब्दका अर्थ; त्रिगुणात्मक प्रकृति-
तत्त्व २७६; तीन गुणोंके सम्बन्धमें सांख्यकारिका व गीता २७७-
२८१; तीन गुणोंके विषयमें लेखकका मत २८१-२८२; प्रकृतिका
अर्थ २८२।

३. महत् तत्त्व

२८३-२८५

महत् तत्त्वका स्वरूप; वस्तुका धर्म तथा युस्के प्रकट होनेके
लिये आवश्यक साधनोंमें भेद; अगोचर सूक्ष्मशक्तिके भेद और
विभाग २८३; शक्ति तत्त्व; सांख्य शास्त्रके अनुसार महत्: चित्त
और दुद्धि २८४; लेखक द्वारा महत्की व्याख्या २८४-२८५।

४. अहंकार

२८६-२८८

अहंकारका लक्षण २८६; अहंकारके परिवर्तन २८७; महत्
और अहंकार, जड़ और चेतन संषिके सामान्य धर्म २८८।

५. महाभूत — सामान्यतः

२८९-२९२

महाभूतोंकी संख्या; शुनके दो अर्थे : अवस्थान्दर्शक, शनित-दर्शक २८९; शुसे श्रुत्पन्न वर्गीकरण-सम्बन्धी कठिनाभी २९०; 'पञ्चीकरण'की प्राचीन कल्पना; महाभूतों और तन्मात्राओंमें कार्यकारण-सम्बन्ध की आगमक कल्पना २९१; परिमितिकी दृष्टिसे महाभूतोंका वर्गीकरण २९२।

६. महाभूत — आकाश

२९२-२९५

आकाशकी कल्पनाके सम्बन्धमें शास्त्रकारोंमें मतभेद; आकाशके सम्बन्धमें शून्यकी कल्पना २९२; आकाशकी मावरूपता; शुसंक प्रकार-भेद २९३; आकाश और 'अधियर'; आकाशकी भिन्न-भिन्न व्याख्याओंकी तुलना २९५।

७. महाभूत — वायु, जल, पृथ्वी

२९६

८. तेज

२९७-२९८

तेजके सम्बन्धमें प्राचीन शास्त्रकारोंकी अस्पृश्यतायें; शुण्ठता महाभूतका भेद नहीं वल्कि तन्मात्राका भेद २९७; चार भूतमें ही शुसका अस्तित्व २९८।

९. मात्रायें — सामान्यतः

२९९-३०२

प्रकरण ५ से ८ तकका सारांश; पदार्थके परिमितिकी दृष्टिसे होनेवाले वर्ग — 'महाभूत' २९९; क्रिया-र्धम या रजोगुणकी दृष्टिसे होनेवाले प्रथम दो वर्ग : चित्तवान व चित्तहीन पदार्थ; मात्राकी व्याख्या ३००; महाभूत और मात्रामें नियत सम्बन्धका अभाव ३०१।

१०. मात्राओंकी संख्या

३०२-३०४

पदार्थोंमें चलनी क्रियाओंका शान ३०२; पाँच शानेन्द्रियोंके विषयानुसार जगत्के पाँच प्रकारके पदार्थ ३०२; मन अथवा चित्तके स्वतन्त्र विषय ३०२-३०३; 'संचार'; लेखकके मतानुसार मात्राओंकी कुल संख्या ३०३।

११. व्यवस्थिति-विचार

३०४-३०५

व्यवस्थिति, परिमिति तथा गतिसे अस्वतंत्र ३०४; व्यवस्थिति, तत्त्व-व्यक्ति और विविधता ३०५; प्राचीन दर्शनकारोंमें व्यवस्थितिकी दृष्टिसे चित्तहीन सृष्टिके विचारका अभाव ३०५।

१२. कर्मेन्द्रियाँ, ज्ञानेन्द्रियाँ तथा चित्त

३०६-३०९

शरीरके अवयवः अन्तरङ्ग और वहिरङ्ग; कर्मेन्द्रियाँ; चित्तवान् सुष्ठिके रजोगुण सम्बन्धी भेद ३०६; चित्तवान् सुष्ठिमें व्यवस्थितिका महत्व ३०७; चित्तके आविर्भावके वाद क्रान्तिक्रम आरम्भ; ज्ञानेन्द्रियाँ; चित्तका लक्षण ३०७-३०८।

१३. पुरुष

३०९-३१२

केवल प्रकृतिवाद; शुससे अुत्पन्न दो प्रश्न ३०९; पुरुषत्वके स्वीकारसे अनुका समाधान ३१०; जगत्के वनाव-विगाहका प्रयोजन; पुरुषका भोग और अपवर्ग; सांख्यशास्त्रका निर्णय; पुरुषका लक्षण; पुरुषकी स्वरूपस्थिति और क्रमकी समाप्ति ३१२।

१४. वेदान्त

३१३-३१९

तत्त्वशोधनमें सांख्य दर्शनको देन; वेदान्त और सांख्य ३१३; परिमितताका स्पष्टीकरण ३१३-३१४; सांख्यका पुरुषतत्त्व ३१४; ज्ञानेश्वरी ३१५; प्रकृति और पुरुषका अभेद ३१६; वस्तु-भेदं व संस्कार-भेद ३१७; प्रकृतिकी सविकारताका अर्थ ३१८; पुरुषके निर्विकारत्वका अर्थ ३१८-३१९।

१५. गीताका वेदान्तमत

३२०-३२२

सत्त्वां अध्याय; 'ज्ञान' और 'विज्ञान'; 'प्रकृति' ३२०; 'पर' और 'अपर' प्रकृतियाँ ३२०-३२१; गीताका ब्रह्म व शाकवेदान्तका ब्रह्म ३२१; परमात्मा विषयक 'सांख्य-दृष्टि' और 'योग-दृष्टि' ३२१-३२२।

१६. शुपसंहार — यिस खण्डका संक्षिप्त निर्दर्शन

३२२-३२५

परिशिष्ट १ — सांख्यकारिकाका अनुवाद

३२६-३३५

परिशिष्ट २ — आत्मा-विषयक मतोंपर संक्षिप्त टिप्पणी

३३६-३४०

सेश्वर सांख्य; शांकरमत ३२६; विशिष्टाद्वैत; शुद्धाद्वैत; द्वैत; जैन ३३७; सिहावलोकन ३३८-३४०।

खण्ड ६

योगविचारशोधन

३४३-३४५

१. प्रास्ताविक
योगशास्त्रका विषय; सांख्य और योगशास्त्रके विषय ३४३; योग-सूत्रोंका महत्व किस वातमें? विषय दृष्टिसे कुछ योग-सूत्रोंको समझनेका प्रयत्न, अर्थ-परिवर्तन ३४४। ३४६-३४८
२. योगका अर्थ
योगकी व्याख्या; चित्तवृत्तिका निरोध ३४६; चित्तवृत्ति माने क्या? 'वृत्ति' ३४७; 'चित्त'; वृत्तिके भेद ३४८; प्रमाण, विशेष्य; 'विकल्प' ३५०; 'प्रत्यय' ३५२; निद्रावृत्ति ३५२-३५५। ३५६-३६३
३. सम्प्रज्ञात योग
'सम्प्रज्ञान'; उद्घारण ३५६; विरक्त; विचार ३५७; आनन्द; अस्मिता ३५८; सम्प्रज्ञानोंका निरोध ३५९; विरक्त-निरोध ३६०; विचार-निरोध; आनन्द-निरोध ३६१; अस्मिता-निरोध ३६२-३६३। ३६३-३६७
४. असम्प्रज्ञात योग
'असम्प्रज्ञान' ३६३; शनेश्वर ३६४-३६५; शून्य और असम्प्रज्ञान; 'परमामृत' ३६६; स्वार्थ ३६६-३६७। ३६७-३७६
५. निरोधके कारण तथा समाधि
१९वाँ सत्र ३६७; २०वाँ सत्र ३६८; 'समाधि'; 'समापत्ति' ३६९-३७१; 'ब्रह्मान' ३७२; 'सर्वार्थता और बेकायता' ३७३-३७६; साथकी दृष्टिसे अन्यासकी भूमिकाओंका विचार ३७५-३७६; योगमें सृष्टि महत्वकी वस्तु, समाधि नहीं ३७६। ३७७-३८०
६. योगके सार्ग — अद्वैतप्रणिधान और अस्यास-वैराग्य
३८०-३८४
७. योगका फल और महत्व
योगके फल; स्वरूपमें अवस्थान ३८०; योगभ्यासका लीबनमें महत्व; समाधि-विषयक मिथ्या कल्पनायें ३८२-३८३; योगकी कीमत ३८३-३८४। ३८०-३८४

८. साक्षात्कारके सम्बन्धमें अम

३८५-३८७

‘मूर्तिमंत ओश्वर’का साक्षात्कार तथा यौगिक प्रत्यक्षोंका
अर्थ ३८५-३८६; साक्षात्कार प्रकृतिके ही किसी कार्यका हो
मकता है ३८७।

९. शुपर्संहार — आवश्यक योगसूत्र

३८८-३९३

अन्तिम कथन

३९४-३९६

विन लेखोंका मूल हेतु; वेदधर्मके मानी हैं ज्ञान — अनुभवका
धर्म; अनुभव व अनुभवकी शुपर्तिमें भेद ३९४; शास्त्र-प्रमाणकी
मर्यादा; आत्मतत्त्वका सिद्धान्त; शुसके लिए किसकी जरूरत ?
‘मुक्त’ या ‘सिद्ध’ को अयोग्य कर्म करनेकी दृष्ट नहीं; अनुभव
व तर्कके बीच भेद; वाद और सिद्धान्तमें भेद ३९५; पूर्वग्रहोंका
त्याग आवश्यक; शोधनका विषय शास्त्र नहीं वल्कि आरम्भ व
चित्त हैं; शास्त्राध्ययनका शुपर्योग; सत्यपुरुषोंका समारगम; भाषाका
अचौकसंपन्न; सत्यशोधकके आवश्यक गुण ३९६।

नमन

दिवकालाद्यनवच्छिन्नाननन्तचिन्मात्रमूर्तये
 स्वानुभूत्यैकसाराय नमः शान्ताय ब्रह्मणे ॥
 आणिका कवणा नमस्कारं, कवणाचें स्तवन कर्ह ।
 जय जयाजी श्रीगुरु, अगाध महिमा ॥
 तुज वीण अन्य न देखों कोणी, महगोनि आणिकातें न मारी ।
 हा मस्तक तुश्शिये चरणी । ठेविला सत्य ॥

जेना अनुप्रह वडे यती शुद्ध बुद्धि,
 जेनी सदैव अति प्रेमल शान्त हृषि;
 मारा हितार्थ मनर्मा दिनरात्र चिते,
 सो सो हजो नमन ते गुरुपादयुमे ॥

देश व कालसे अमर्यादित, अनन्त, चिन्मात्र जिसका स्वरूप है, जो
 हमारे अनुभवेंकि सारस्यमें प्राप्त होता है, युस शान्त ब्रह्मको नमस्कार है ।
 दूसरे किसको नमस्कार कर्ह ? दूसरे किसका स्तवन कर्ह ? हे अगाध
 महिमावान् श्रोगुरु, आपकी जय हो ।

तेरे हिंडा में किसीको देखता नहीं, विस्तिले में दूसरेको मानता नहीं; यह
 मस्तक में तेरे ही चरणोंमें निश्चिन्तताके साथ रखता हूँ ।

जिनके अनुप्रह दुओं परम शुद्ध बुद्धि ।
 जिनकी सदैव अति प्रेमल शान्त हृषि ॥
 चिन्ता जिनहें सतत ही परम धेयको है ।
 तीं सौं प्रणाम भुन श्री गुरुपादको है ॥

लेखककी प्रस्तावना

“लोगो, मैं जो-कुछ कहूँ वह परम्परागत है, अिसलिये सच मत मानना। तुम्हारी पूर्व-परम्पराके अनुसार है, अिसलिये सच मत मानना। ऐसा ही होगा, ऐसा मानकर सच मत मानना। तर्कसिद्ध है, ऐसा समझकर सच मत मानना। लौकिक न्याय है, ऐसा जानकर सच मत मानना। सुन्दर लगता है, ऐसा समझकर सच मत मानना। तुम्हारी अद्वाका पोषक है, अिसलिये सच मत मानना। मैं प्रसिद्ध साधु हूँ, पूज्य हूँ, ऐसा मानकर सच मत समझना। परन्तु यदि तुम्हारी विवेक-बुद्धिको मेरा अुपदेश सच मालूम हो, तो ही अुसको स्वीकार करना।”

— बुद्ध

परन्तु पाठकगण, अिसके साथ ही, मैं जो-कुछ कहूँगा वह परम्परागत नहीं है, अिसीलिये अुसे झूठ मत मानना। आपकी पूर्व-परम्परामें अुलट-फेर कर देनेवाला है, अिसीलिये अुसे त्यज्य मत समझ लेना। आपके चित्तको आकर्षक लग जाय अितना सुन्दर या सहल नहीं दिखता, अिसी लिये अुसे चल्त मत मान लेना। आपकी चिरकालीन पोषित दृष्ट अद्वाको डिगा देनेवाला है, अिसीलिये आपको अुलटे रास्ते ले जानेवाला है, ऐसा मत समझ लेना। मैं क्वोओ सिद्ध, तपस्वी, योगी या श्रोत्रिय नहीं हूँ, महज अिसी कारणसे मेरा कहना चलत मत मान लेना। परन्तु साथ ही यदि आपकी विवेक-बुद्धिको मेरे विचार सत्य और अुन्नतिकर दिखाओ दें, जीवन-च्यवहारमें वं पुरुषार्थमें अुत्साह-प्रेरक, प्रसन्नता-अुत्पादक और आपके तथा समाजके लिये श्रेय-वर्धक मालूम हों, तो अुन्हें डकीकी चोट स्वीकार करनेमें डरना भी मत।

‘जिन्दगी खा-पीकर औशआराम करनेके लिये है’ — अिससे अधिक अुदात्त भावनाका स्वर्ण ही जिन्हें नहीं हो सकता, अुनके लिये मुझे कुछ नहीं कहना है। परन्तु जिनके मनमें अुदात्त भावनायें हैं, कभी-कभी

वे प्रबल भी हो जुठती हैं, जिनके मनमें यह अभिलाञ्छा निरंतर रहती है अथवा रहन-रह कर जोर मारती है कि मेरी आध्यात्मिक अुन्नति हो, मैं जीवनके तत्वको समझ लूँ, मेरा चित्त निर्मल हो जाय, मेरा जीवन दूसरोंका सुख बङ्गानेमें किसी कदर अुपयोगी हो जाय, मेरे जन्मके समय जो स्थिति मेरे समाजकी थी, अुससे वह अभ्युदयके मार्गमें आगे बढ़े, और अुसमें मेरा कुछन-कुछ हिस्सा हो, अुनके लिये सहायक होनेकी अिच्छासे यह लेखमाला लिखनेके लिये मैं प्रेरित हुआ हूँ।

कितने ही ऐसे अुदात्त भावना रखनेवाले युवकोंकी व खुद मेरी अेक समयकी मनोदशाका अवलोकन करते हुअे मैंने अनुभव किया कि हममेंसे बहुतरोंके चित्त पर गलत आदर्शोंने, या सही आदर्शकी गलत कल्पनाने, अथवा भ्रमपूर्ण तत्त्ववादोंने या योग्य तत्त्ववादकी भ्रमपूर्ण समझने अपनी छाप बिठा रखी है। यह छाप अितनी गहरी बैठ जाती है कि जब मनुष्य पूरी जवानीकी, बहारमें होता है और अपने तथा समाजके कल्याणके लिये पूरा-पूरा पुरुषार्थ करनेकी क्षमता रखता है, ठीक अुसी बङ्गत अुसके कर्तृत्वकी गाड़ी अेक अटक जाती है, अथवा निष्फल मार्गकी ओर चल पड़ती है। और मानो अपनी समाज-सेवाकी भावना ही अेक पाप हो, ऐसा खयाल करते हुअे वह अुससे पिण्ड छुङ्गानेके लिये अधीर होता हुआ मालूम पड़ता है। जिस समय अविरत कर्ममें ही अुसकी खब शक्तियाँ लगानी चाहियें, अुसी समय वह जीवन-क्षेत्रसे धीड़ा छुङ्गाने व कर्मसे मुँह छिपानेका प्रयत्न करता दिखाअी देता है।

मैंने सखेद देखा है कि अिसमें जीवन-विषयक, जीवनकी सिद्धि-विषयक, और जीवनके ध्येय-विषयक तरह-तरहकी कल्पनायें व संस्कार कारणीभूत होते हैं। ये संस्कार हमारे चित्त पर अितने दृढ़ हो गये होते हैं, और विशेष दृढ़ बनानेके लिये पूज्य माने गये पुरुषों द्वारा अितना प्रयत्न किया होता है कि अुनमें रही भूलको भूल माननेकी हिम्मत भी हमारी बुद्धिको नहीं होती। फिर भी, मुझे ऐसी प्रतीति हुब्बी है कि जो व्यक्ति केवल कल्पनाश्रित अद्वा पर आधार नहीं रखते, वल्कि स्वतंत्रस्तप्से अनुभवमें आनेवाले बुद्धिगम्य श्रेयको साधनेकी अिच्छा रखते हैं, अन्हें भरसक जल्दी अिस भूल-भ्रमसे छूटना ही कर्त्त्वी है। अतः मैंने ऐसे

कभी अेक प्राचीन मतोंको, जितना हो सकता है, सफाईके साथ समझानेका व शोधनेका प्रयत्न किया है।

मैं यह नहीं मानता कि आर्य तत्त्व-ज्ञानकी भिमारत परिपूर्णताके साथ रखी जा चुकी है, अिसमें अब कुछ भी खोज-सुधार या शुद्ध-शृद्धिकी गुंजाइश नहीं, अब तो सिर्फ़ प्राचीन शास्त्रोंको जुदा-जुदा माध्यों द्वारा या नये भाष्य रचकर समझाते रहना ही बाकी रहा है। मेरी रायमें नवीन व्यनुभवों और नवीन विज्ञानकी दृष्टिसे पुरानी वातोंको सुधारने, घटाने-बढ़ाने व जहाँ आवश्यकता हो, भिन्न-भिन्न मत वाँधनेका अधिकार अर्वाचीनोंका है। अिस अधिकारको छोड़ देनेसे हिन्दुस्तान 'अचलायतन' हो रहा है। मेरा मत है कि वादरायणके कालसे तत्त्वज्ञानका विकास प्रायः रुक गया है। अन्होंने पुराने ज्ञानको सूत्रबद्ध करके तत्त्व-ज्ञानका दरवाजा बन्द कर दिया और शंकराचार्य तथा वादके आचार्योंने अुस पर ताले जड़ दिये। अब अन तालोंको तोड़े बिना गति नहीं है।

मेरी समझसे नवीन सांख्यके लिये गुंजाइश है, योग पर फिरसे विचार करनेकी क्रूरत है, और वेदान्तके भी प्रतिपादनमें शुद्धि हो सकती है। अिसके फलस्वरूप यदि ज्ञानमार्ग, भक्तिमार्ग, कर्ममार्ग या योगमार्गमें फक्त होने लगे, तो ऐसा होने देना करूरी है।

यदि यह पुस्तक आर्योंके अथवा संसारके तत्त्वज्ञानकी शृद्धिमें थोड़ा भी योग दे सके और श्रेयार्थीके लिये कुछ भी अुपयोगी हो सके, तो वस है। मेरा यह दावा नहीं है कि अिस पुस्तकके द्वारा तत्त्वज्ञानकी पूर्णता हो जायगी। वर्तमान अथवा भावी विचारक अिसमें और शुद्धि-शृद्धि करें।

मेरी दृष्टिमें तत्त्वज्ञान कोरे वौद्धिक विलासका विषय नहीं है। बहिक हमें अुसके आधार पर अपना जीवन रचना है। अतअेव जिन मान्यताओंका जीवनके साथ कोअी सम्बन्ध नहीं, उनकी चर्चामें मुझे कोअी दिलचस्पी नहीं। कोरी बुद्धिकी कसरतके तौर पर तत्त्वज्ञानकी चर्चा करनेकी मुझे विच्छा नहीं। अतः अिस पुस्तकमें मैंने जो कुछ खण्डन-मण्डन करनेका यत्न किया है, वह जीवनको बदलनेकी दृष्टिसे है; केवल मान्यताको बदलनेकी दृष्टिसे नहीं।

सम्भव है किसीको ये लेख धृष्टा-पूर्ण, किसीको आघात पहुँचाने-वाले, व किसीको ऐसे लों मानो मैं हिन्दूधर्मकी विशिष्टताका अुच्छेद करना चाहता हूँ। परन्तु अिसके लिये मैं जितना ही कह सकता हूँ कि अिन लेखोंके लिखनेमें मेरी वृत्ति तो भरसक भक्ति-भावकी, (मेरी दृष्टिसे) असूल्य कर्तृत्वको वर्यथ जाते देखकर होनेवाले दुःख-भावकी और सत्योपासनाकी रही है।

यह भी संभव है कि अिन लेखोंके कोअी कोअी वचन सांप्रदायिक अनुयायियोंको अपने अिष्टदेव, गुरु या दूसरे पूज्य जनोंके प्रति असचिकर टीका करनेवाले मालूम हैं। परन्तु वे विश्वास रखें कि अिनमें मेरा आशय किसीका अपमान या निन्दा करनेका नहीं है, न किसी पवित्र पुस्तका निरादर करनेका ही है। लेकिन मैंने जो कुछ लिखा है, वह अिसीलिये कि जो कुछ मुझे भूल या भ्रम-युक्त मालूम होता है, उसे वैषा साफ-साफ न कहूँ, तो मेरा सारा कथन ही निरर्थक हो जायगा।

फिर भी यदि किन्हीं सांप्रदायिक लोगोंका रोष-पात्र मैं हो ही जाऊँ, तो भी मुझे आशा है कि अुस रोषकी पहली बात अुतर जानेके बाद बहुतोंको ऐसा लगेगा कि मैंने रोष करने लायक कुछ नहीं किया है, और धीरे-धीरे मेरी बात छुन्हें पटने लगेगी।

जब पुरानी श्रद्धाओं और संस्कारों-सम्बन्धी भूलोंके प्रति पहली बार ध्यान जाता है, तो यह स्वाभाविक है कि गहरा आघात लगे। जब अपने-आप हमारा ध्यान अुसकी तरफ जाता है, तो कभी बार हम निराशाकी धारामें वहने लगते हैं और यदि दूसरोंके द्वारा ऐसा होता है, तो शंका या रोषके बबंडरमें पड़ जाते हैं। परन्तु निःस्वार्थी व विचारशील व्यक्तिकी वह निराशा, शंका या रोष योहे ही समयमें शान्त हो जाता है व अुसका मार्ग अुज्ज्वल हो जाता है।

संसारके सब अनुगमों* (अर्थात् हिन्दू, मुसलमान, अीसायी आदि धर्मों)को कितने ही विषयोंमें ऐसा आघात सहन किये बिना छुटकारा नहीं है। हिन्दू-अनुगम अिसके अपवाद नहीं हैं। यदि ऐसे

* अिस शब्दके अर्थके लिये देखिये पृष्ठ ११की टिप्पणी।

आधात अुचित रूपसे पहुँचानेमें मैं निभित्तभागी बनूँ, तो अिसका सुझे रंज नहीं। क्योंकि सुझे विश्वास है कि अिन आधातोंके असरको मंजूर कर लेनेसे धर्म-भावना अधिक स्पष्ट व अुज्ज्वल होगी।

अिन लेखोंमें जितना सत्य, विवेकबुद्धिसे ग्रहण करने योग्य व पवित्र प्रयत्नोंका पोषक हो, अुतना ही जीवित रहे; जो अधिक अनुभव या विचारसे भ्रमपूर्ण या पवित्र प्रयत्नोंके लिअे हानिकर मालूम हो, अुसका निरादर व नाश हो — यही मेरी कामना है।

आशा है कि पाठक लेखारभ्ममें की गअी मेरी विनती पर ध्यान देकर अिस पुस्तकमें प्रदर्शित विचारोंकी तथ्यात्म्यकी जाँच करेंगे।

जीवन-शोधन

[शोधनका अर्थ है अशातकी योज करना और शातका संशोधन करना]

खण्ड १

पुरुषार्थ-शोधन

?

चौथा पुरुषार्थ

पुराने ग्रन्थोंमें धर्म, अर्थ और काम जिन तीन पुरुषार्थोंका ही अुल्लेख पाया जाता है। वीछेसे कव 'मोक्ष' नामक चौथा पुरुषार्थ और वहाँ दिया गया, जिसका पता पुरातत्व-वेत्ता ही दता सकते हैं। फिर भी पुरुषार्थ तीन नहीं, बल्कि चार हैं, यह बात तो जरा-सा विचार करनेपर समझमें आ जायगी। लेकिन मेरे ख्यालसे चौथे पुरुषार्थको 'मोक्ष' का नाम दिया जाना कुछ अंशतक भ्रम पैदा करनेवाला हो गया है।

पुरुषार्थ अुसे कहते हैं जिसे पानेके लिये मनुष्य लगातार कुछ मेहनत करता है।

दूसरे प्राणियोंकी तरह मनुष्यमें भी पहली कुदरती प्रवृत्ति 'काम' अर्थात् सुख भोगने और खोजनेकी होती है। अुसके तमाम प्रयत्नोंका यही ध्येय मालूम होता है। अिस तरह पुरुषार्थोंमें कामको सहज ही पहला स्थान मिल जाता है।

परन्तु, थोड़ा भी विचार जिसके मनमें भुत्पन्न हुआ है, वह मनुष्य कामके लिये प्रयत्न करते-करते मालूम करता है कि सुखकी प्राप्तिके लिये अर्थकी ज़रूरत है। और अिसलिये, अर्थ — अर्थात् सुख-सुविधाके साधनोंकी प्राप्ति — अुसके लिये दूसरा पुरुषार्थ बन जाता है।

पहले तो, अर्थ-प्राप्ति स्वतंत्रस्वप्से पुरुषार्थका विषय नहीं मालूम होता, बल्कि सुख-भोगका आवश्यक साधन ही प्रतीत होता है। यानी पहले थोड़ी अर्थ-प्राप्ति कर लेना, फिर अुसकी सहायतासे सुख भोगना, अुसके बाद फिर थोड़ी अर्थ-प्राप्ति कर लेना और फिर सुख-भोग करना — यह चक्र चलता रहता है। किन्तु अर्थ-प्राप्ति करते-करते मनुष्य दो बातें अनुभव करने लगता है :— (१) सुख-भोगकी अिच्छाको अंकुशमें रख्के बिना अर्थ-प्राप्ति करना ही सम्भव नहीं होता, और (२) अर्थको खोजमें ही अुसे कुछ ऐसा सन्तोष और समाधान मिलता रहता है कि जिससे सुख-सम्बन्धी

अुसकी भावनामें ही फक्क पड़ जाता है, और अिससे अुसकी पहलेकी कामेच्छा अथवा अुसकी तीव्रता कुछ अंशमें सदाके लिये मन्द पड़ जाती है। अिसका परिणाम यह होता है कि अुसके जीवनका ज्यादा-से-ज्यादा समय 'काम' की अपेक्षा अर्थ-प्राप्तिके लिये पुरुषार्थ करनेमें जाता है। भले ही कोओी मनुष्य खान-पान, राग-रंग और आमोद-प्रमोदसे अधिक अुच्च जीवनका ध्येय न रखता हो, फिर भी यदि अुसे अिन सबका अुपभोग करनेके लिये अपने प्रथल्से ही अर्थ-प्राप्ति करनी पड़े, तो थोड़े समयमें ही वह देख लेता है कि दिनका थोड़ा ही भाग वह साधारण प्रकारके सुख-भोगमें ल्हा सकता है। अुसका ज्यादा समय तो अर्थकी खोजमें ही चला जाता है। फिर भी अिसके कारण अुसे असन्तोष, नहीं होता। क्योंकि वह अनुभव करता है कि सुख-भोगसे या सुखकी खोजसे जो सन्तोष मिलता है, अुससे भिन्न किन्तु अधिक अुच्च प्रकारका सन्तोष सुख-सुविधाओंकी साधनोंकी प्राप्ति या खोजके पुरुषार्थमें है। अिस प्रकार स्वाभाविकरूपसे ही 'अर्थ' की अपेक्षा 'काम' पुरुषार्थका गीण विषय बन जाता है।

फिर भी 'अर्थ'का पुरुषार्थ चाहे कितनी ही प्रधानता पा जाय, आखिर अुसका प्रयोजन रहता है कामकी सिद्धिके लिये ही। जिस अर्थकी प्राप्ति किसीके लिये भी सुखदायी न हो, अुसे अर्थ नहीं, अनर्थ ही कहना होगा। जैसे, जो फल एक ही दिनमें खंराव हो जाते हैं, वे ज़रूरतसे ज्यादा पैदा किये जायें, तो वह अर्थ नहीं अनर्थ ही होगा। अिसीके अनुसार मनुष्यकी आवश्यकतासे अधिक वाहन, यंत्र और दूसरी छोटी-बड़ी चीज़ें बनने लगें, तो यह सब अर्थोपार्जन नहीं, वल्कि अनर्थोपार्जन ही हो सकता है। अिसका अर्थ यह हुआ कि अर्थ-प्राप्ति-सम्बन्धी पुरुषार्थ अुचित है या अनुचित, अिसका निर्णय करनेकी एक कसीटी यह है कि अुसके करिये काम या सुख सिद्ध होना चाहिये।

अब विचार करनेपर मालूम होगा कि पुरुषार्थ चाहे कामके लिये हो या अर्थीके लिये, दोनोंके निमित्त कुछ-न-कुछ कर्म करना आवश्यक होगा ही। अुस कर्मके दो प्रयोजन होते हैं: — (१) जिस प्रकारके सुख या अर्थकी जिच्छा हो, अुसके साधनोंको जिकट्टा करना, (२) अुसमें विच्छ डालनेवाले कारणोंको दूर करना।

अिन दो प्रयोजनोंसे कर्म करनेवाला चाहे एक ही व्यक्ति हो या बहुतसे मनुष्योंका समाज हो, दोनोंके लिये कौनसे साधन जुटाना, कैसे जुटाना, कर्मका आरम्भ कर और कैसे करना, अन्त किस रीतिसे लाना, उसे किस तरह पूर्ण और सुन्दर बनाना, किस तरह विघ्नोंका नाश करना, वगैरा वातोंमें कुछ-न-कुछ नियम — विधि-नियेध — अुत्पन्न होंगे ही। अिसमें शारीरिक श्रमसे लेकर युस समयकी वैज्ञानिक, धार्मिक, आध्यात्मिक वगैरा मान्यताओं और शोधोंके अनुसार अनुकूल या प्रतिकूल प्राकृतिक शक्तियोंके विकास और देवताओंके अनुश्रान तकके सब कर्मोंका और राजनीतिक सामाजिक, आर्थिक या साम्प्रदायिक रचनाओं और व्यवस्थाओंका भी समावेश हो जाता है।

अिसका अर्थ यह हुआ कि अर्थ-प्राप्ति तथा सुखोपभोगके लिये जिस अंशतक अनेक मनुष्योंका, प्राकृतिक शक्तियोंका और (वास्तविक या काल्पनिक) अदृश्य शक्तियोंका सहयोग आवश्यक प्रतीत होता है, युस अंशतक अपने आप कर्माचरण-सम्बन्धी विधि-नियेधके नियम बनने लगते हैं। यही धर्मका पाया — बुनियाद — है।

‘अर्थ’ की तरह ‘धर्म’ भी पहली नज़रमें स्वतंत्र पुरुषार्थ नहीं मालूम होता। ऐसा मालूम होता है कि अर्थकी और (युस-युस समयकी मान्यताके अनुसार) अिस लोक या परलोकमें सुखकी सिद्धिके लिये अिसकी जगह और आवश्यकता है। परन्तु जिस तरह ‘काम’ पुरुषार्थकी अपेक्षा अर्थके लिये किये गये प्रयत्नमें ही मनुष्यको अधिक सन्तोष मिलने लगता है, और परिणाममें सुखकी अुसकी कल्पना ही बहुत-कुछ बदल जाती है, और पहलेका सुख-सम्बन्धी पुरुषार्थ कुछ मन्द पड़ता जाता है, वही स्थिति ‘काम’ और ‘अर्थ’ दोनोंके बारेमें ‘धर्म’ पुरुषार्थसे हो जाती है।

यह हो सकता है कि अगर कोअी मनुष्य समाजमें रहते हुये भी धर्मके विधि-नियेधोंको ताकपर रख दे, तो वह अर्थ तथा सुख अधिक प्राप्त कर सके। कअी बार धर्मका विचार करनेसे उसे अपने अर्थ और काममें हानि होती हुअी दिखाअी देती है। फिर भी मनुष्य सदा धर्मको अलग रखकर नहीं चलता, बल्कि अपने अर्थ और कामको छोड़कर भी धर्माचरणको महत्व देता है। हरअेक जमानेमें ऐसे कितने ही

लोग पाये जाते हैं, जो स्वर्गकी आद्या, नरकका भय, या राज-दण्ड, किसी को सम्भावना न होते हुअे भी धर्म-सम्बन्धी पुरुषार्थको महत्व देते हैं, अर्थात् धर्म-पालनमें ही अन्हें अितना सन्तोष मालूम होता है कि जिससे अन्हें अर्थ अथवा कामसे मिलनेवाला सुख गौण लगने लगता है। सारंश यह कि जिस प्रकार 'अर्थ' पुरुषार्थ 'काम' के संयमके विना सिद्ध नहीं होता, असी प्रकार 'धर्म' पुरुषार्थ भी जिन दोनों पुरुषार्थोंके संयमकी अपेक्षा रखता है। यह ठीक है कि धर्म, अर्थ और कामकी सिद्धिके लिअे अत्यन्त हुआ है, फिर भी कियोंके लिअे वही धीरे-धीरे मुख्य पुरुषार्थ वन जाता है, और जिसके लिअे मुख्य न हो, असके लिअे भी अर्थ और कामकी लालसाका संयम करना आवश्यक हो ही जाता है।

अिस तरहके धर्मका ठीक स्वरूप क्या? अिसके सम्बन्धमें ऐक यह कहा जाता है कि "सच्चे धर्मसे अर्थ और काम सिद्ध होने चाहिअँ। जो कर्म, अर्थ और कामकी सिद्धिका विरोधी हो, असे धर्म कहना भूल है।" यह कहना पूर्ण-रूपसे यथार्थ नहीं है। व्यक्तिके लिअे अवसर, और वहुत बार समाजके लिअे भी, धर्म, अर्थ और कामकी अिच्छापर ऐक लगाम या अंकुशका ही काम देता है। ज्यों-ज्यों धर्मकी मर्यादा विस्तृत होती है, ज्यों-ज्यों अर्थ और कामकी सिद्धिका क्षेत्र संकुचित होता जाता है। यह सोचा ही नहीं जा सकता कि जो समाज टॉल्स्टॉयके सिद्धान्तपर चल रहा होगा, वह वहुत अर्थवान् या विविध प्रकारके सुख-साधनोंसे युक्त हो सकता है। 'अर्थ' पुरुषार्थ भले ही सुखकी प्राप्तिके लिअे पैदा हुआ हो, फिर भी हमने परिणाममें देखा कि 'अर्थ' पुरुषार्थका मतलब हो जाता है, 'काम' का संयम। असी प्रकार 'धर्म' पुरुषार्थ परिणामतः 'अर्थ' और 'काम' का संयम ही हो जाता है। जो समाज जिस अंशतक धर्मको शोधेगा और पालेगा, अस अंशतक अस समाजके 'अर्थ' और 'काम' की सिद्धिका क्षेत्र मर्यादित ही रहेगा। परन्तु अिस धर्मके फल-स्वरूप अस समाजके बाहरके समाज या प्राणी-वर्गके लिअे अर्थ या काम विशेष सुलभ हो जाते हैं। अगर कुटुम्बका ऐक व्यक्ति धर्मको शोधे और पाले, यानी अपने खानगी अर्थ और कामकी लालसाका संयम करे, तो दूसरे व्यक्तियोंकि अर्थ और काम सुलभ

होंगे। अेक कुटुम्ब पाले, तो दूसरे कुटुम्बोंको फ़ायदा हो; अेक देश पाले, तो दूसरे देशको फ़ायदा हो; मानव-समाज पाले, तो प्राणी-समाजको लाभ हो। अिस प्रकार “धर्मसे अर्थ और काम सिद्ध होना चाहिए”, अिसका अर्थ यह नहीं कि खुद धर्म-पालको वे लाभ प्राप्त हों; वल्कि यह है कि संसारको वे प्राप्त हों। ‘अर्थ’ और ‘काम’ की सिद्धिकी दृष्टिसे धर्मरूपी पुरुषार्थके क्षेत्रकी सीमा अुसे पालन करनेवालेकी अपेक्षा अधिक वडे क्षेत्रके फैलती है।

परन्तु ‘धर्म’का — अर्थात् ‘अर्थ’ और ‘काम’ का संयम या धर्म-पालकके सिवाय दूसरोंके लाभका — यह अर्थ भी नहीं है कि खुद धर्म-पालकके ‘अर्थ’ और ‘काम’का सतत नाश हो, और अुसे केवल दुःखकी ही प्राप्ति हो। हाँ, कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि धर्म-चरणसे धर्म-पालकके अर्थ और कामका नाश अनिवार्य स्पसे हो। परन्तु ऐसे प्रसंग नित्य जीवनके नहीं हो सकते। नित्य जीवनमें तो धर्म-पालकके लिये भी अुतना अर्थ और काम अवश्य अनिवार्य हो। और ‘धर्म’ के द्वारा अितनी सिद्धि होना ज़रूरी है। ‘अर्थ’ और ‘काम’ के संयमका मतलब दुःखित या पीड़ित जीवन नहीं, वल्कि दूसरोंके मुङ्कावले ज्यादा पाये जानेवाले अर्थ और कामका संयम है।

फिर भी, ‘जो कर्म, अर्थ और कामकी सिद्धिके विरोधी हों, अन्हें धर्म कहना भूल है’—अिस कथनमें अितना तथ्यांश ज़रूर है कि अुसके द्वारा यदि किसीके भी अर्थ और कामकी सिद्धि न होती हो, तो अुसे धर्म कहना भूल है। जैसे, वाल-विवाह, स्वापा, वर्यरा कर्मामें मानी गयी धार्मिकता।

दूसरे, ‘धर्म’का प्रभाव स्वयं धर्म-पालककी अपेक्षा अधिक व्यापक क्षेत्रपर होता है; अिसलिये अिस क्षेत्रकी विशालता किस विषयमें कहाँ तक हो, तो अनिवार्य जानी चाहिए, अिसकी भी मर्यादा होती है। अिस मर्यादाको न समझनेमें तारतम्य बुद्धि (sense of proportion) की कमी है, जिससे धर्म खुद पंगु हो जाता है। यह मर्यादा भी देश, काल आदिकी परिस्थितिके अनुसार कम-ज्यादा होती रहती है।

जो समाज अिस मर्यादाको समझ सकता है, और अिसके अनुकूल परिवर्तन अपने जीवनमें कर सकता है, वह जीवनमें ठिका रहता है, और आगे बढ़ता रहता है। अिस मर्यादाकी योग्यता समझनेकी कसौटी यह है — धर्मका स्वरूप ऐसा न उहराना चाहिये कि जिससे अुसका पालन करनेवाले व्यक्ति या वर्गके जीवनका धारण-प्रोषण और सत्त्व-संशुद्धि* अशक्य या अनुचित रूपसे परावलम्बी हो जाय। अुदाहरणार्थ, खेतीमें हिंसा होती है। अिसका मतल्ब यह हुआ कि अगर खेती न की जाय, तो कुछ प्राणियोंका सुख बढ़ता है। अथवा, शब्द-धारणमें हिंसा है, और अिसलिये निःशब्द पुरुषसे कितने ही लोगोंकी अभय मिलता है, ऐवं अुनका सुख बढ़ता है; पर साथ ही जो वर्ग खेती या शब्दको छोड़ देता है, वह अपने जीवनके निर्वाह और सत्त्व-संशुद्धिके सम्बन्धमें अनुचित रूपसे परावलम्बी बन जाता है। यदि सारा मनुष्य-समाज अिस धर्मको ग्रहण करे, तो सम्भव है कि मनुष्य-जीवन ही अशक्य बन जाय। अिसलिये खेत न जोतने या शब्द-धारण न करनेमें धर्म है, यह मान्यता मानव-समाजके अर्थ और कामकी सिद्धिकी विरोधी होनेसे गलत है। यह एक अल्पा बांत है कि कुछ लोग खेती या शब्द-धारणका पेशा अंगीकार न करें। यह भी एक अल्पा और प्रशंसनीय बात है कि ऐसे अुपाय किये जायें, जिससे जीवन खेती या शब्दके बिना चल सके। लेकिन, तबतक जो खेती या सिपाहीगीरी करते हैं, वे तो अधर्म करते हैं, और जो अिन कामोंको खुद नहीं करते, मगर अिनसे सब तरहके लाभ ज़ख्त अुठाते हैं — वे धर्मका आचरण करते हैं, यह खयाल गलत है।

अिस तरह जो 'धर्म'-पुरुषार्थके लिये कठिवद्ध होते हैं, अुनपर भी दो मर्यादायें लागू होती हैं :— (१) अुनके धर्माचरणसे किसी न-किसीको अर्थ और कामकी प्राप्ति सुलभ होनी चाहिये; और (२) यह आचरण ऐसा न होना चाहिये कि जिससे जीवनका निर्वाह और सत्त्व-संशुद्धि अशक्य या अनुचित रीतिसे पंगु बन जाय।

* सत्त्वका अर्थ है, निर्णय करनेकी शक्ति (अर्थात् तुद्धि) और अूर्मियाँ, भावनायें, गुण — या संक्षेपमें चित्त। तुद्धिका विकास और भावनाओंकी शुद्धि-तुद्धि ही सत्त्व-संशुद्धि है। अिसका विशेष स्थानकरण अिस दण्डके चौथे प्रकरणमें दर्शिये।

‘अिस तरह प्रत्येक पुरुषार्थमें हमने दो वातें देखीं :— अुसकी प्राप्तिके लिये प्रयत्न अथवा शोध; और अुसके प्राप्त होनेके बाद अुसके फलोंका अुपभोग। हमने यह भी देखा कि अिस प्राप्तिके प्रयत्नमें ही मनुष्यको अितना सन्तोष मालूम होता है कि कभी लोगोंके लिये यह प्रयत्न ही जीवनका मुख्य व्यवसाय बन जाता है, और अुसके फलका अुपभोग—प्रयत्नका प्रेरक हेतु — गौण हो रहता है। अिस तरह ‘काम’की बनिस्तत ‘अर्थ’-पुरुषार्थ और ‘अर्थ’की बनिस्तत ‘धर्म’सम्बन्धी पुरुषार्थ मुख्य बन जाता है।

परन्तु यह शोध चाहे सुखके लिये हो, चाहे अर्थ या धर्मके लिये हो, प्रत्येकके लिये ज्ञानकी ज़खरत है। ज्ञानसे मनुष्य सुखको शोधता है, अर्थको शोधता है, और धर्मको शोधता है। ‘शोधता है’, का मतलब यह कि जो नहीं जाना है उसे खोजता है, और जो जान लिया गया है अुसको शुद्ध करता है। और, जैसे अर्थ और धर्मकी प्राप्तिमें ही मनुष्यको अितना समाधान मिल जाता है कि अुसके पहलेके पुरुषार्थ अुसके लिये गौण बन जाते हैं, वैसे ही ज्ञानकी शोध और प्राप्तिमें ही मनुष्यको अितना सन्तोष मिल जाता है कि वही अुसका स्वतंत्र पुरुषार्थ बन जाता है, और अुसकी धर्म, अर्थ, या कामरूपी फल भोगनेकी अिच्छा मन्द पड़ जाती है। अिस तरह ‘काम,’ ‘अर्थ’ और ‘धर्म’के साथ ‘ज्ञान’ चौथा पुरुषार्थ बन जाता है।

परन्तु अितने विवेचनसे पाठक यह समझ सकेंगे कि बहुतसे लोग तो हरअेक पिछले पुरुषार्थका अुससे पहलेके पुरुषार्थके अुपायके रूपमें ही स्वीकार करेंगे; अगले पुरुषार्थको गौण समझकर पिछलेको ही महत्त्व देनेवाले लोगोंकी संख्या कम ही कम होती जायगी; अर्थात् धर्म, अर्थ और कामके लिये ही ज्ञानके शोधक ज्यादा लोग होंगे; अिन तीनोंकी उपेक्षा करके महज ज्ञान-प्राप्तिमें ही सन्तोष पानेवाले बहुत थोड़े लोग होंगे। अिसी तरह ज्यादातर लोग धर्मका पालन अर्थ और सुखकी प्राप्तिके लिये ही करेंगे; केवल धर्म-पालनमें ही सन्तोष माननेवाले यंडे होंगे। अिसी प्रकार सुखके साधनके रूपमें अर्थके लिये अद्योग करनेवाले अधिक होंगे; अर्थ-प्राप्तिके ही सन्तोषसे तृप्त होनेवाले कम होंगे।

ज्यों-ज्यों पुरुषार्थका विषय अधिकाधिक सूक्ष्म होगा, ज्यों-ज्यों अुसीमें सन्तोष माननेवाला वर्ग अधिकाधिक छोटा होता जायगा ।

मिस तरह आजतक ऐसे कुछ लोग हो गये, ज्ञानकी शोध और प्राप्ति ही जिनके जीवनका मुख्य व्यवसाय बना । अन्हें अुसका क्षेत्र अनन्त और अपार दिखाती दिया । मनुष्य अनेक अनुभवोंकी छान-त्रीन कर, अनुके आधारपर तर्कं चलाकर, अुस तर्कके आधारपर फिर शोध करके, ज्ञानकी वृद्धि करता ही गया । कभी जगत्को शोधते हुअे और कभी अपने शरीर और चित्तको शोधते हुअे अन्तको वह आत्मा और परमात्माकी भी शोधतक जा पहुँचा । शेष सारा ज्ञान अुसे यिस ज्ञानके यिस पारका मालूम हुआ । और, यह देखनेपर अुसने महसूस किया कि अब मैं यिस शोधके प्रयत्नसे मुक्त हो गया । यिसके अलावा, अुसने यिस शोधके अन्तमें देखा कि आत्मा अथवा ब्रह्मसे परे अुसके अंपर अधिकार चलानेवाली दूसरी कोअी वस्तु नहीं है । और यिस तरह भी अुसने अपनी स्वतंत्रता अथवा मुक्तिके दर्शन किये । अुसने यह भी देखा कि यह ज्ञान लेनेके बाद अब आगे कुछ भी जानना बाकी नहीं रहा । यिससे अुसकी अन्तिम जिज्ञासाका अन्त आ गया । अंपने पुरुषार्थकी झंझटसे भी अुसका छुटकारा — मोक्ष — हुआ । धर्म-प्राप्तिके लिये प्रयत्न करते हुअे अुसकी बासनावें जो क्षीण होती जा रही थीं, अब पूर्ण-रूपसे निवृत्त हो गयीं ।

धर्म, अर्थ और कामकी प्राप्तिके सिलसिलेमें नहीं, बल्कि स्वतंत्र-रूपसे ज्ञान जिनके लिये पुरुषार्थका मुख्य विषय बन गया, अन्हें यिस खास शक्तिके स्वरूप-शोधनका व अुचित रूपसे अुसकी शिक्षा व विकासका महत्व अधिकाधिक मालूम होता गया, वह मानव-चित्त है । अनन्त प्रकारके चमत्कारोंसे भरे यिस सारे विज्ञेयमें जो, विविधता और जो वल दिखाओ देता है, वैसी ही चमत्कारी विविधता और विभूतियाँ अन्हें मानव-चित्तमें भी दिखाती पड़ीं । यिस कारण चित्त चौथे पुरुषार्थके सिलसिलेमें संशोधनका सबसे महत्वपूर्ण विषय बन गया । भिन्न-भिन्न विचारकोंको अुसकी जाँच, शुद्धि और शिक्षाके लिये भिन्न-भिन्न पद्धतियाँ सूझीं, और अनुमेंसे ज्ञान, योग, भक्ति, कर्म आदिके तरह-तरहके मार्ग निकले । अन्हींमेंसे निरीक्षरमत, सेश्वरमत, द्वैतवाद, अद्वैतवाद, सगुणोपासना, निर्गुणोपासना,

हठयोग, राजयोग, कर्ममार्ग, संन्यासमार्ग, मूर्त्तिपूजा, मूर्त्तिविरोध आदि अनेक दर्शन, सम्प्रदाय, दीक्षा आदिका प्रचार हुआ। यदि हम अनि सबकी जड़को देखेंगे, तो हम जान जायेंगे कि यह सब चित्तके ही जुदा-जुदा पहलुओंके शोधन अथवा शिक्षणका प्रयत्न है।

फिर, किसी अति प्राचीन कालमें ज्ञान-प्राप्तिकी शोधके दरमियान कर्मका सिद्धान्त और अुसके 'फलस्वरूप' पुनर्जन्मवादकी शोध हुभी। आर्यावर्तके वैदिक-अवैदिक लगभग सभी सम्प्रदायोंमें पुनर्जन्मवाद ऐकमतसे मान्य होता आया है। धीरे-धीरे यह अितना बल प्राप्त करता गया कि अनि अनुगमों* में पले हुये लोगोंके चित्तपर जन्मसे ही अिस वादका संस्कार दृढ़ होने लगा।

* अंग्रेजी शब्द 'रिलीजन' के लिये हम आम तौरपर 'धर्म' शब्दका प्रयोग करते हैं, और अुसके मुताविक 'हिन्दू-धर्म', 'बीसाबी-धर्म', 'मुसलमान-धर्म' बगैरा कहते हैं। परन्तु हम अच्छी तरह समझते हैं कि हमारे 'धर्म' शब्दका अर्थ 'रिलीजन' से कहीं अधिक व्यापक है। अुदाहरणके लिये, जीवनमें जो-जो कर्म आवश्यक हैं, जिन-विन कर्मोंसे हमें मुक्त रहना चाहिये, जो सदाचार इमें पालना चाहिये, अुन सबको हम 'धर्म' समझते हैं; और देव, कुरान या बिंजीलको मानने न माननेसे भी ज्यादा महत्व हम अिनकी हेते हैं। अिस कारण शास्त्र-विशेष या पुरुष-विशेषद्वारा प्रवर्तित आचार-विचार और अद्वा-प्रणालीके लिये 'धर्म' शब्दका प्रयोग होनेसे विचारमें वार-वार गड़वड पैदा होती है। 'रिलीजन' शब्द अिस पिछले अर्थमें ही प्रयुक्त होता है। अिस कारण मैंने 'रिलीजन' के लिये 'अनुगम' शब्दका प्रयोग किया है। श्रुति-स्मृतिके आधारपर रचित प्रणाली 'वेदानुगम' हुभी; महावीरका पथानुसरण करनेवाली प्रणाली 'जैनानुगम' हुभी; बुद्धकी 'बुद्धानुगम'; बीसाकी 'बीसानुगम'; मुहम्मदकी 'मुहम्मदानुगम', अित्यादि। जो अुस प्रणालीको मानते हैं, वे अुसके अनुगमी या अनुयायी हुये। अैसे किसी अनुगमकी शाखाओंको अुस अनुगमका सम्प्रदाय कहा जा सकता है। अिस प्रकार वैष्णव, स्मार्त, दिगम्बर, श्वेताम्बर, महायान, हीनयान, सुन्नी, शिया, प्रैटेस्टन्ट, रोमनकैथोलिक वैयरा भिन्न-भिन्न अनुगमोंके भिन्न-भिन्न सम्प्रदाय हैं।

जब यह कहा जाता है कि राजनीतिको 'रिलीजन' से अलग करना चाहिये, तब योरपमें अुसका अर्थ यह होता है कि अैसे अनुगमों और जन्मप्रदायोंसे

जिसने ज्ञानके पुरुषार्थका अन्त पाकर अपने अस्तित्वका मूल — आत्मतत्त्व — खोज निकाला, असने अपने सम्बन्धमें पुनर्जन्मकी सम्भावनासे और भयते भी मुक्ति देख ली। आत्मतत्त्वकी शोधमें असे पुनर्जन्मको रोकने अथवा असके भयसे छूटनेका साधन मिल गया।

ऐसे ही किसी कारणसे चौथे पुरुषार्थका नाम ‘ज्ञान’ के बदले ‘मोक्ष’ पड़ गया, और असका अर्थ हो गया पुनर्जन्मसे छुड़ानेवाला पुरुषार्थ। अब चूँकि पुनर्जन्मवादके मूलमें कर्म-सिद्धान्त है, अिसलिए कर्म-नाशका अुपाय करना चौथे पुरुषार्थका घेय मान लिया गया। धर्म, अर्थ और काम ये तीनों किसी-न-किसी रूपमें कर्मका विस्तार अवश्य बढ़ाते हैं। अिससे अन तीनोंमें और मोक्षमें मानो दिन-रात-जैसा विरोध है, औसी विचार-श्रेणी अुत्पन्न हुआ। और असमेंसे यह समझ पैदा हुआ कि अन तीन पुरुषार्थोंमें से निवृत्ति अथवा ऐसे ही कर्मोंमें प्रवृत्ति, जिनका अन तीनोंसे कोओ सम्बन्ध न हो, चौथे पुरुषार्थकी सिद्धिका साधन है।

एक बात और। चौथे पुरुषार्थके स्थानपर ‘मोक्ष’ नामके आस्टड हो जानेसे और चित्तकी शोध असमें सुख्य हो जानेसे कुछ लोगोंका यह ख्याल बन गया कि बन्ध और मोक्ष दोनों धर्म चित्तसे ही सम्बन्ध रखते हैं। चित्त है अनेक संस्कारोंका समूह; अन संस्कारोंकी प्रवल्लता चित्तका बन्धन है, और अनकी शैशिलता ही चित्तका मोक्ष है। मनुष्यने अपनेको देश, जाति, धर्म, अधर्म, नीति, अनीति वगैरा के अनेक संस्कारोंसे बाँध रखदा है। अिसलिए मोक्षके मानी हैं, अन संस्कारोंके बन्धनको तोड़ डालना।

अन तथा अूपरके विचारोंमें तथ्यांश अवश्य है, परन्तु जिस दंगसे अन विचारोंको पोषण मिला है, अनसे विपरीत परिणाम भी निकले हैं। प्रवृत्ति-विचार या निवृत्ति-विचार, संस्कारोंका बन्धन या शैशिल्य, — ये सम्पूर्ण नहीं, बल्कि मर्यादित सिद्धान्त हैं। फिर यह मर्यादा भी भिन्न-भिन्न समयमें संकोच-विकास पाती रहती है; पर अिसकी तरफ ध्यान नहीं गया,

अउको परे रखना चाहिए। परन्तु ‘रिलीजन’ को ‘धर्म’ शब्दके अर्थमें ब्रह्म करके हमारे देशमें भी कितने ही नेतागण ऐसा कहने ला गये हैं कि राजनीति, नीति-अनीति, सदाचार-दुराचार वगैरा सम्बन्धों विचारोंसे परे रहनी चाहिए! शब्दके कारण विचारमें जो भ्रम अुत्पन्न हो जाता है, अउका वह अेक अुदाइरण है।

चौथा पुरुषार्थ

और नतीजा यह हुआ कि मानो 'मोक्ष' मार्गने अेक तरफ से जह और कृत्रिम निवृत्तिके लिये और दूसरी तरफ से स्वच्छन्दताके लिये, खुला परवाना ही दे दिया हो। चैथे पुरुषार्थके सिद्धिके लिये कर्ममात्रसे क्वरदस्ती निवृत्त होना ही चाहिये, ऐसी कल्पना 'मोक्ष' शब्दने पैदा की है, तथा आचार और विचारमें बहुत गड़वड और अस्पृश्यता भी कैलाडी है। प्रवृत्ति और साधनाको कृत्रिम रास्ते चढ़ा दिया है, और सांसारिक तथा परमार्थिक — ये दो अंसे कर्म-भेद रच डाले हैं, मानो अिनका अेक-द्वूसरेसे कोअी सम्बन्ध ही न हो।

जिस तरह 'मोक्ष' शब्द अनेक रीतिसे भ्रमकारक हो गया है। वस्तुतः चौथा पुरुषार्थ 'मोक्ष' नहीं, बल्कि 'ज्ञान' अथवा 'शोध' है। अिसके लिये किये गये प्रयत्नके द्वारा मनुष्य धर्म, अर्थ और कामको शोधता अर्थात् खोजता है, और तत्-सम्बन्धी प्रवृत्तियोंको शुद्ध करता है। अिसीसे वह अुसको मर्यादाओं और पारस्परिक अंकुशोंको जानता है; और अन्तमें अिसके द्वारा वह जगत्को और अपनेको भी शोधता और शुद्ध करता है — यहाँतक कि वह अपने जीवनका मूल कारण भी शोध जेता है। ज्ञानी धर्म या नीतिके अंकुशसे मुक्ति नहीं प्राप्त करता, बल्कि अपने धर्मको यथावत् समझता है, अपने समयके अनुस्पृष्टि विनियोगकी अुचित मर्यादाओंको जानता है, अुनके अंकुश तथा मर्यादाका ज्ञान-प्रवर्क स्वीकार करता है, और अिस अंकुशमें रहकर अर्थ और कामको भोगता है।

जिस प्रकार पहले तीन पुरुषार्थोंका घेय जीवनका निर्वाह और सत्त्व-संशुद्धिकी योज और संशोधन है, वैसे ही अिस चौथेका भी है। मूल्युके वादकी स्थितिकी चिन्ताके लिये यहाँ कोअी जगह ही नहीं। जिस तरह प्रत्यक्ष जीवनके व्यवहारोंके साथ धर्मका संयोग न रहनेसे तारतम्यका भंग होता है, वही हाल चैथे पुरुषार्थका भी होता है। अिस तरह देखेंगे तो चार पुरुषार्थोंमें रात-दिन-जैसा विरोध नहीं दिखाओ देगा; बल्कि सब अेक-द्वूसरेपर आधारित और अेक-द्वूसरेके नियामक माल्यम पड़ेंगे।

मनुष्यको जिज्ञासु होना चाहिए; ऐयार्थी होना चाहिए; शुशुत्सु (शोध और शुद्धिकी अच्छा रखनेवाला) होना चाहिए। अिसके फल-स्वरूप अुसे अनेक भ्रम-बहम, अज्ञान, अधूरे ज्ञान, अनिदित्तता — संक्षेपमें अबुद्धिसे — मोक्ष मिल जायगा। यदि सुधिके नियमानुसार पुनर्जन्म अनिवार्य होगा, तो अुसे समाधान-पूर्वक स्वीकारनेका बल अुसे मिलेगा; यदि वह कोरी कल्पना ही होगा, तो अुससे डरनेका प्रयोजन नहीं रहेगा। यदि पुनर्जन्म सत्य होते हुअे भी सान्त (जिसका अन्त होता है) हो, तो अुसके मार्गको भी वह विजेष शुद्ध तथा ऐसा-बना देगा, जिससे अुसके द्वारा कम विपरीत परिणाम पैदा हों। पुनर्जन्मके डरसे ही वह अपना पुरुषार्थ करनेके लिये प्रेरित नहीं होगा, वल्कि जिज्ञासासे, सत्य-शोधनकी भावनासे और शुद्ध होनेकी आकृक्षासे अिस चौथे पुरुषार्थकी ओर प्रेरित होगा।

२

ज्ञानकी शोधके अंग

पिछले परिच्छेदमें हमने देखा कि :—

(१) पुरुषार्थ—प्रयत्न-पूर्वक पानेके विषय—चार हैं :— सुख (काम), अर्थ, धर्म और ज्ञान।

(२) सुखकी सिद्धिके लिये अर्थकी शोध आवश्यक होती है; परन्तु सुखके संयमके विना अर्थ-प्राप्ति अशक्य है।

(३) जो अर्थ किसीके भी सुखकी सिद्धि न कर सके, अुसे 'अर्थ' कहना भूल है।

(४) अिसी तरह सुख और अर्थकी सिद्धिके लिये 'धर्म' की शोध आवश्यक होती है; अर्थात् कौनसा कर्म किया जा सकता है, और कौनसा नहीं किया जा सकता, किस कर्मको किस तरीकेसे करना चाहिए, आदि विधि-निषेध, सामाजिक रुढ़ियाँ, राज्यके कानून वगैरा बनते हैं। वे सुख और अर्थकी प्राप्तिपर अंकुश रखते हैं।

(५) जो धर्म किसीके भी सुख अथवा अर्थकी सिद्धि न कर सके, उसे 'धर्म' कहना भूल है।

(६) अिसी तरह सुख, अर्थ और धर्मकी सिद्धिके लिये ज्ञानकी शोध आवश्यक होती है। ज्ञानकी शोधके लिये सुख, अर्थ और धर्मके पुरुषार्थका संयम* करना पड़ता है।

(७) जो ज्ञान किसीको भी धर्म स्थिर करनेमें या पालनेमें अथवा अर्थ या सुखकी सिद्धि करनेमें सहायक नहीं हो सकता, उसे 'ज्ञान' कहना भूल है।

(८) सुख, अर्थ, धर्म और ज्ञान अन चार पुरुषार्थोंमें प्रत्येक पिछले पुरुषार्थका एक प्रयोजन है — अपनेसे पहलेके पुरुषार्थोंको सिद्ध करना। पर अनुनका अितना ही प्रयोजन नहीं होता; वल्कि स्वतंत्र रूपसे भी अनुनके द्वारा एक प्रकारका सन्तोष मिलता है। अिस सन्तोषके कारण अगला पुरुषार्थ कुछ हदतक गोण पड़ जाता है, और पिछलेको एक स्वतंत्र क्षेत्र मिलता है।

(९) अिस प्रकार धर्म, अर्थ और सुखकी अन्तरोत्तर शुद्धि और शोध करना ज्ञानका एक क्षेत्र है; और अपने तथा जगत्के मूल और प्रयाणकी दिशा जानना ज्ञानका दूसरा और स्वतंत्र क्षेत्र है।

प्रत्येक पुरुषार्थके स्वतंत्र क्षेत्रमें पुरुषार्थ करनेवालेको असुसे जो समाधान मिलता है, वही उसके लिये पुरुषार्थमें प्रेरक हेतु हो जाता है;

* पूछा जा सकता है कि ज्ञानकी प्राप्तिके लिये 'धर्म' — पुरुषार्थका संयम किम प्रकार करना पड़ता है? यहाँ संयमका अर्थ है — कभी अनावश्यक सुख-प्राप्तिके प्रयत्नोंको मन्द करना, अनुचित सुखका त्याग करना, अथवा अनुचित लुखको भी छोड़ देना। लुखके संयमका अर्थ है — अनावश्यक सुख-प्राप्तिका प्रयत्न शिद्धि करना, अनुचित सुखका त्याग करना, अथवा सुखका श्रूपभौग छोड़ देना। अर्थका संयम भी ऐसा ही समझना चाहिये। अिसी प्रकार धर्मके संयमका अर्थ है — धर्म-सम्बन्धी अनावश्यक पुरुषार्थको मन्द करना। (उदा० आतिथ्यके नामपर मेज़वानियाँ या पात्रापात्रका खुपाल किये बिना दान-दक्षिणा देना), अनुचित रूप धर्मोंका त्याग करना और असुसे अुत्तम असुविधाओंको सहन करना (जैसे, असृश्यता, जात-पाँतके विविध भेद, अित्यादि), और धर्मचरणके फल छोड़ देना (जैसे कि मान, यश, धन, सुख, अित्यादि)।

परन्तु जगत्‌की दृष्टिसे अपरं तीसरी, पाँचवीं और सातवीं धारामें वताये मुताविक्ष किस पुरुषार्थका फल मिले, ऐसा हेतु असमें स्पष्ट या अस्पष्ट स्वप्नसे नत्थी होना चाहिये। अगर ऐसा न हो, तो समझना चाहिये कि इस पुरुषार्थके प्रयत्नमें ज़खर कहीं कोई भूल हो रही है।

अिस तरह तीन पुरुषार्थके सिलसिलेमें नहीं, परन्तु अपने स्वतंत्र क्षेत्रमें ज्ञान-पुरुषार्थका विचार करना इस पुस्तकका प्रयोजन है। ज्ञानके पुरुषार्थको ज्ञानकी खोजके प्रयत्न और ज्ञानकी प्राप्तिसे जितना समाधान मिल सकता है, वही असका अपना सुख है। परन्तु जगत्‌की दृष्टिसे वह पुरुषार्थ अचित दिशामें चल रहा है या नहीं, असे जाँचनेके लिये यह ज़खरी है कि वह प्रयत्न धर्मका निश्चय या अनुसरण करनेमें और असके द्वारा अथं और सुखकी सिद्धिमें सहायक होना चाहिये। इस सिद्धान्तको ज्ञानके पुरुषार्थका होकायंत्र माना जाय। इसका अन्तिम फल है — आत्मतत्त्व अथवा ब्रह्मतत्त्वको शोधकर अपनी निरालम्ब सत्ताको देखना।

जिन मर्यादाओंको ध्यानमें रखते हुए ज्ञानके स्वतंत्र क्षेत्रमें अितनी वातोंका समावेश होता है : — व्यक्ति और विश्वका सम्बन्ध; चित्तके स्वरूप, शक्ति, बुद्धि, भावना, विचार आदिकी परीक्षा और उन सबके विकास-क्रमके मेलके नियमोंका शोधन।

चित्तका महत्व प्रत्येक क्षेत्रमें होनेसे असको प्रधान मानकर मैंने इस पुस्तकके नीचे लिखे अनुसार विभाग किये हैं —

(१) परमात्मा-शोधनके साथ अद्व्यका तथा अपासना और भक्ति का विचार।

(२) सांख्य और वेदान्तके साथ दृश्य-विचार।

(३) योग-दर्शन और चित्त-स्वरूप-शोधन।

(४) आध्यात्मिक विचारोंमें होती हुड़ी भूलें।

ज्ञानके अन्तिम फलको मोक्ष-प्राप्ति कहा है; परन्तु इससे अत्यन्त भ्रम और गङ्गवङ्को दूर करनेके लिये अब आगे मैं इसे श्रेयः-प्राप्ति कहूँगा, और मुमुक्षुकी जगह श्रेयार्थी, साधक, शोधक या जिज्ञासु शब्दका प्रयोग करूँगा।

श्रेयार्थीकी साधन-सम्पत्ति

जो व्यक्ति 'ज्ञान' पुश्पार्थकी साधना करना चाहता है, उसमें किन-
किन गुणोंका कितना अल्पर्थ चाहिए, और उसमें दूसरी व्या-व्या
विशेषता होनी चाहिए, जिसका विचार कर लेना अचित होगा।

(१) सत्याग्रह — जिसमें पहली महत्वकी वात है सत्य-विषयक
आग्रह। यहाँ जिस शब्दका राजनीतिक अर्थ न लिया जाय, वहिं यह
समझा जाय कि सत्याग्रह यानी अपने आचार और विचारके प्रत्येक
विषयमें असी वातका स्वीकार करनेकी तैयारी या हिम्मत, जो तात्क्षिक
रीतिसे और सबके हितकी दृष्टिसे अचित हो — फिर जिसके लिये लोग
चाहे निन्दा करें या सुन्नति, कोआई सुश हो या नराज़, वह हमारे पूर्व
संस्करोंका पोपक मालूम हो या अनुर्वाण आघात पूँछनेवाला, रमणीय प्रतीत
हो या कठोर, आनन्दजनक हो या निरानन्द, आसान हो या मुश्किल।
अभिन सब परिणामोंके प्रति असका तटस्थ भाव होना चाहिए। 'सत्यको
पहल स्थान दिया जाय या दूसरा, जिसमें जमीन-आसमानका अन्तर है'

(२) व्याकुलता — दूसरी महत्वकी आवश्यकता है 'व्याकुलता'की।
चाहे ओश्वर-प्राप्ति कहो, चाहे सत्य-शोधन कहो, व्याकुलता ही दोनोंका साधन
है। यों तो वोगादि मार्ग, पूजा, जप, आदि सब साधनोंका अनुपयोग है।
परन्तु व्याकुलताके बिना सब निष्फल हैं। और अन्तमें भी साधक जब
यह जाँचने लगता है कि किस साधनका मेरे लिये कितना अनुपयोग
हुआ, तो वह 'व्याकुलता' के सिवा दूसरे किसी साधनपर निश्चित
स्पसे अंगुली नहीं रख सकेगा। भक्ति-मार्ग जिसे 'आत्मरता' कहते
हैं, योग-मार्ग जिसे 'तीव्र संवेग' कहते हैं, उसीको यहाँ 'व्याकुलता'
कहा है।

ओक्षरके प्रति अत्यन्त अनुरागके कारण अथवा जैसी तीव्र मनो-
व्यथके कारण कि जीवनके विषयमें जो कुछ सत्य हो वही जानूँ, वही

समझूँ, दूसरा कुछ नहीं, संकल्पके प्रति जो अेकाग्रता होती है, वही ‘व्याकुलता’ है। ओश्वरके प्रति अनुरागका अर्थ है — यह निष्ठा कि ओश्वर ही अन्तिम अिष्ट वस्तु है। ओश्वरके मिल जानेसे अनेक सिद्धियाँ मिलेंगी, शक्तियाँ बढ़ेंगी, लोगोंका भला किया जा सकेगा, आदि हेतु गुप्त हों, तो वह ओश्वर-अनुराग नहीं। यही बात सत्यकी जिज्ञासाके विषयमें भी समझनी चाहिए।

(३) प्रेम — तीसरी महत्वकी बात प्रेम है। यहाँ मैं ओश्वर-विषयक प्रेमकी बात नहीं करता; वृत्तिक आम तौरपर जन और जगत्‌के प्रति निःस्वार्थ प्रेमल भावनासे मतलब है। जहाँतक अपने निजसे सम्बन्ध है, अपने शत्रुके प्रति भी अनुकम्पायुक्त क्षमा। हृदय कोमल भावोंसे भीगा, शुष्क नहीं।

(४) शिष्यता — यह चौथी महत्वकी वस्तु है। छोटे जीव-जन्मसे लेकर वडे-से-वडे विद्वान् मनुष्यतकसे जो कुछ जाना जा सकता है, उसे शिष्यभावसे सीख लेनेकी वृत्ति न होनेसे ही अक्सर हमारे नज़दीक पड़ा हुआ ज्ञान दूर चला जाता है। कितनी ही बार ऐसा होता है कि मनुष्य जिस बातको खोजता है, वह उसे घरमें, नौकरोंसे, मित्रोंसे या अप्रसिद्ध लोगोंसे मिल सकती है। परन्तु होता यह है कि हम अक्सर, ‘‘झूँझूँ, यह तो कलका छोकरा है’, ‘‘यह तो अपना आश्रित है’’, ‘‘यिसे — ठीक है — हम जानते हैं’’, ‘‘यह तो संस्कृतका ऐक अंकर भी नहीं जानता’’, ‘‘यह पश्चिमी तत्त्व-ज्ञानसे अद्भूता है’’ — आदि प्रकारके गुप्त या प्रकट भावोंके कारण, जिनके स्पष्ट स्वप्से समझानेपर भी, ऐसे कओ लोगोंकी अवगणना करते हैं, और दूसरोंकी तलाशमें रहते हैं। फिर, मनुष्यकी अपेक्षा पुस्तकका महत्व अधिक माना जाता है। यह अशिष्यत्व है।

शिष्यताका अर्थ यह नहीं है कि जिससे हम कुछ पाते हैं, हमेशा उसकी चरण-सेवा ही करनी पड़े। और यह बात भी नहीं है कि वह तभी ज्ञान दे सकता है, जब स्वयं सब तरहसे पूर्ण हो, अथवा सीखने या जाननेवालेसे अधिक पूर्ण हो। ऐसा भी हो सकता है कि और तरहसे गुणवान न होते हुए भी कोअी अेकाध ऐसी विशेषता उसमें हो, जो मानने और पूजने योग्य हो। शिष्यत्वका अर्थ है, उस विशिष्यताका

अहण और अुसे देनेवालेके प्रति कृतज्ञता। अब यह दूसरी बात है कि अिस कृतज्ञतामेंसे सेवाका जन्म हो।

(५) निर्मत्सरता — किसीकी विशेषताको देखकर अुसके प्रति आदर प्रतीत होनेके बदले अधीर्षा उत्पन्न होना और अुसकी उठियाँ स्वोजनेकी ओर दृष्टि जाना, अथवा दूसरे लोग अुसके प्रति आदर प्रदर्शित करें या अुसकी प्रशंसा करें, तो अुससे जल-भुन जाना। ऐसे व्यक्तिमें श्रेयार्थीकी योग्यता आना सम्भव नहीं।

(६) वैराग्य — यह छठा महत्वपूर्ण गुण है। अिसके विषयमें बहुत-कुछ गलतफहमी फैली हुआ है। अिसका सविस्तर स्पष्टीकरण वैराग्य-प्रकरणमें किया गया है। यहाँ वैराग्यमें मैं बहसचर्य, आवश्यक अुपभोगोंमें सादगी, मितव्यय, मनोनिग्रह और दंयमके प्रति स्वाभाविक छुकावका समावेश करता है। किन्तु मैं अुसका अर्थ, अव्यवस्थितता अथवा दक्षताके प्रति दुर्लक्ष्य, जगत् या प्राणियों अथवा पुस्त या स्त्री-जातिके प्रति तिरस्कार, नहीं करता। पर वैराग्यमें मैं दुनियाकी बाह-चाह, विभूतियों, अद्भुत शक्तियों और रसिकताके प्रति अुदासीनताका समावेश करता है। किन्तु अपने कर्मोंमें कुशलता प्राप्त करनेके प्रति या कर्तव्योंके प्रति अुदासीन रहना मैं वैराग्यका लक्षण नहीं मानता।

(७) सावधानता — अथवा जागद्वक्ता, यह सातवाँ महत्वका गुण है। अिसका अर्थ है, हम जो कुछ सोचें, विचारें, बोलें और करें, अुसका निश्चित और स्पष्ट भान।

ये महत्वके गुण हैं। अिनके पेटमें आवश्यक श्रद्धा, स्वावलम्बन, स्वाभिमान, साहस, निडरता, अुत्साह, नम्रता, धीरज, न्यायशीलता, अन्यायके प्रति अश्चि, परमत-सहिष्णुता, सदाचार और शौचके लिये आग्रह, दूसरोंका जी दुखाकर भी अुनको अपने मतके अनुसार चलानेके विषयमें निराग्रह, विचार-पूर्वक आचरण, आदि गुणोंका समावेश होता है।

नीरोगिता प्रयत्न-पूर्वक प्राप्त करने-जैसी सम्पत्ति है। शरीरवल हानिकर नहीं है।

श्रेयार्थीके लिये अितनी साधन-सम्पत्ति अुचित मानी जा सकती है।

धर्ममय जीवनके सिद्धान्त

त्रेयार्थीकी साधन-सम्पत्तिके स्वप्नमें कभी गुणोंका वर्णन पिछले परेच्छेदमें किया गया है; परन्तु यह कहनेकी शायद ही ज़रूरत है कि बास्तवमें तो त्रेयार्थीका सारा जीवन ही धर्ममय होना चाहिए। अतः वह विचार करना ज़रूरी है कि 'धर्ममय'का अर्थ क्या है। अिसके सम्बन्धमें कुछ सिद्धान्त यहाँ अपस्थित किये जाते हैं।

जब कोई विचारधारा हमारे सामने पेश की जाती है, तब हम कैसे जानें कि वह तात्त्विक है या तत्त्वाभासी? अिसकी ओक कसीटी यह बताओ जा सकती है कि उस मार्गके मूलमें अधिक सत्य पाया जाता है, जिसे चाहे ओक व्यक्ति स्वीकार करे या सब लोग, और चाहे आज करे या भविष्यमें, उससे व्यक्ति और समाजमेंसे किसीके धारण-पोषण और सत्त्व-संशुद्धिका विरोध न होगा। अितना ही नहीं, वल्कि ज्यों-ज्यों उसका स्वीकार अधिकाधिक किया जायगा, त्यों-त्यों व्यक्ति और समाजके धारण-पोषण और सत्त्व-संशुद्धि अधिक सरल और सन्तोषजनक होंगे। अिसके विपरीत, जिस मार्गपर सभी चल पड़ें, तो समाजकी स्थिति अशक्य हो जाय, यदि थोड़े लोग चलें, तो वे समाजके अन्य भागोंकी कुरतानीपर ही अधिक सुख पा सकें, अथवा उसपर चलनेवाले अपनेको वैसी स्थितिमें पावें कि जिसमें उन्हें अपने धारण-पोषण वैयराके लिये हमेशा समाजके दूसरे भागपर आधार रखकर ही रहना पड़े, तो समझना चाहिए कि उस मार्गका प्रतिपादन करनेवाली विचार-धारामें कहीं-न-कहीं भूल ज़रूर है। यदि हम अिस कसीटीपर हमारे सामने लाये रखें किसी जीवन-निदानको करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि बहुत करके उसका सच्चा कस निकल आवेगा।

अिस कसीटीको सामने रखकर, जीवनका सच्चा सिद्धान्त क्या होना चाहिए, जिस सम्बन्धमें मैं अपने विचार पेश करता हूँ।

व्यक्ति और समाज दोनोंका जीवन ऐसे तत्त्वोंपर रखा जाना चाहिए, जिससे हमारे जीवनका धारण-पोषण और हमारी सत्त्व-संशुद्धि, तथा हमारा जीवन-काल और मरण-काल सरल और संतोषकारक हो ।

धारण-पोषणका अर्थ केवल अितना ही नहीं कि महज प्राण शरीरमें टिके रहें। बल्कि, धारणका अर्थ है सुरक्षित और आत्म-रक्षित जीवन, और पोषणका अर्थ है नीरोगी और अपने जीवन-कार्योंको करनेका सामर्थ्य रखनेवाला और दीर्घायु हो सकनेवाला जीवन, और सत्त्व-संशुद्धिका अर्थ है मनुष्यतासे पूर्ण जीवन । ऐसे जीवनमें हमारी भावनाओंका और बुद्धिका विकास अिस तरह होना चाहिए, जिससे हमारा जीवन केवल अपनेमें समाया हुआ — आत्मपर्याप्त — ही न हो, स्व-सुखको ही खोजता न हो; बल्कि अपने कुदुम्ब, गाँव, देश, मानव-समाज, हमारे सम्बन्धमें आनेवाले प्राणी, तथा दूसरे भी जिनके सम्पर्कमें हम जितनी हृदतक आयें, उतनी हृदतक हमारा जीवन अनुनके लिये न्याय-मार्गसे, परस्पर सम्बन्धोंकी अुचित मात्रा और परिस्थिति अनुसार पैदा हुअी महत्त्वाकी रक्षा करते हुए, अुपयोगी, शान्तिदायी, सन्तोषपूर्ण और प्रेमयुक्त हो; जिसमें किसी व्यक्ति या वर्गके साथ अन्याय न होता हो; जिसमें विपत्ति ग्रस्तोंको स्वाश्रयी करनेवाली और अपेंग व असहायोंको अुचित मदद मिलती हो; और जिसमें हमारी बुद्धिका विकास अितना हुआ हो कि वह यथासम्भव जीवनका तत्त्व समझ सके, सार ग्रहण कर सके, किसी भी विषयके मूलको, महत्वको और मर्यादाको सोच सके, अपने ही निर्मित पूर्वग्रहोंके वन्धनोंसे यथासम्भव मुक्त हो, और जो न मरणको चाहती हो, न अुससे ढरती हो ।

यहाँ यह बात महत्वकी नहीं है कि सारे समाजकी ऐसी स्थिति कभी होगी या नहीं; बल्कि यह कि हमारे जीवनमार्गकी योजना ऐसी हो जो — यदि साग समाज अुसे मान ले, तो समाजको, और नहीं तो — खुद हमको अिस स्थितिकी ओर ले जाय ।

अिसे मैं जीवनका ध्येय मानता हूँ, मनुष्यका अभ्युदय समझता हूँ; जितनी विद्या, कला, विज्ञान और जीवनके रस और भावनायें हमें अिस ध्येयकी ओर ले जाती हों, अुन्हें आवश्यक मानना चाहिए । जिन प्रामियोंका अिस ध्येयके साथ आवश्यक सम्बन्ध नहीं है, फिर भी जो अिस ध्येयकी

विरोधक न हों, या जिनका विकास अिस तरह किया जा सकता हो कि वे अुसके लिये अुपयोगी हो सकें, तो अनका अुतना विकास अचित समझा जाय। दूसरी तमाम प्रवृत्तियाँ* अनावश्यक और परिणाममें हानिकर समझनी चाहिएँ।

जो प्रवृत्ति अिस ध्येयको नहीं छोड़ती, नहीं भूलती, वही धर्म-मार्ग है। मार्गके मानी हमें ध्येयके प्रति पहुँचाकर खतम हो जानेवाली कोअी सीधी लकीर नहीं। वह सुन्ने ग्रहोंके परिक्रमण मार्गकी तरह ध्येयकी प्रदक्षिणा करता हुआ धीरे-धीरे अुसतक पहुँचानेवाला प्रतीत होता है। जिस प्रकार यह डर रहता है कि यदि सूर्य प्रतिक्षण अपने आकर्षणका प्रयोग न करे, तो ग्रह प्रतिक्षण सीधी लकीरमें दूर ही दूर भागते जायेंगे, अुसी प्रकार हमारी कोअी भी प्रवृत्ति यदि ध्येयको भूल जाय, तो अुसके जीवनके ध्येयसे क्षण-क्षण दूर ही दूर हटते जानेकी आशंका रहेगी।

हमारे कर्म — हमारा जीवन — कितनी ही बातोंमें अिस ध्येय-सूर्यसे बुधके बराबर नज़दीक होंगे, कभी नेपच्छून-जैसे दूर पड़े होंगे, तो कभी धूमकेतुकी तरह अनिश्चित होंगे। ऐसी दशामें हमारा प्रयत्न यह होना चाहिए कि हम अिन सबको व्यवस्थित बना सकें, अिनमें यथासम्भव मेल बैठा सकें। अलवत्ता, यह नहीं कि ऐसा सब मेल डेक ही पीढ़ीमें बैठ सकेगा। पर यह असम्भव नहीं कि कोअी व्यक्ति कम-से-कम अपने जीवनके लिये तो पूरा मेल बैठा ले; पर ऐसा भी हो सकता है कि कभी व्यक्ति अपने पूर्वजीवनमें हुआई भूलोंके कारण शेष जीवनके लिये पूरा मेल न बैठा सकें; परन्तु प्रत्येक व्यक्तिको अिस बातका अचूक अनुभव हो सकता है कि ऐसे मेलकी ओर अुसकी निश्चित प्रगति हुआ है। अर्थात्, यह किसी शान्धर्वनगर (utopia) को पानेका प्रयत्न नहीं है; बल्कि मैं मानता हूँ कि अगर हम चाहें, तो अुसे व्यवहारमें भी ला सकते हैं।

अिस दृष्टिसे देखते हुओ मैं मानता हूँ कि चाहे पुरुष हो या स्त्री, हरअेकको अपना शरीर नीरोग बनाने और रखनेकी, अुसकी गठन

* अिस पुस्तकमें 'प्रवृत्ति' शब्दको अुसके गुजराती अर्थमें समझना चाहिए। यानी, कोअी भी स्थूल या सूक्ष्म कर्मचरण (activity)। हिन्दीमें जिस अर्थमें अिस शब्दका प्रयोग होता है, अुसके लिये गुजरातीमें वृत्ति या प्रेरणा शब्द बरता जाता है।

मज़बूत करनेकी, और अुसे अिस तरह साधनेकी आवश्यकता है कि जिससे वह परिश्रम सहन कर सके, और अपनी रक्षा भी कर सके। नीरोगी और सुगडित गठन और विकसित स्नायु शरीरको जितना सहज सौन्दर्य दे सके, अुसे मैं सदोष नहीं, बल्कि स्वागत-योग्य समझता हूँ; और मानता हूँ कि ऐसे सौन्दर्यमें जितनी कसर है, अुतनी ही हमारे जीवनमें अपूर्णता है। जो कुछ खान-पान, पहनावा, स्वच्छता और सुवड़ता अिसके अनुकूल हो, वह सब मैं स्वागतार्ह समझता हूँ; पर किसी खास फ़ैशनके खान-पान, वेश-भूषा और नज़ाकती शोभा-शृंगारको मैं आवश्यक नहीं समझता।

अुसी तरह समाजकी ऐसी परिस्थिति होनी चाहिये, जिससे प्रत्येक व्यक्तिको जितना धारण-पोषण मिले कि वह दीर्घायुषी हो सके, अुसका जानो-माल सुरक्षित रह सके, अुसे समाज-हितके अविरोधी ढंगसे और समाजका भी हित जिसमें हो, अुस रीतिसे अपने जीवनको बनानेकी स्वतंत्रता और अनुकूलता मिले, न्यायोचित मात्रामें किये गये परिश्रमके अन्तमें अुसे जितना अन्न-वस्त्र और ऐसा घर मिल जाय जिससे अुसकी शक्ति संगठित या संचित रहे, वह अपने घर आये अतिथिका सत्कार कर सके, और परिश्रमशील दिवसके अन्तमें और जीवनकी पिछली अवस्थामें आरामसे रह सके। जिस अंशतक ऐसी परिस्थिति नहीं है, अुस अंशतक पोषण अपूर्ण है। ऐसे पोषणके अनुकूल समाज-रचना, ग्राम-रचना, शासन-विधान, अुच्चोग-धन्धों और यन्त्रोंका विकास, देश-रक्षाके साधन, आदि अचित और स्वागत-योग्य हैं। परन्तु मैं नहीं मानता कि वडे-वडे नगर, शाही बैमब, गाड़ी, धोड़ा, मोटर, विमान, वाय-वँगला, शोभाके साजों-सामान, राज-रजवाड़ा, नाच-तमाशा, मौज-मज़ा, ऐश-आराम, या मृत्युके बाद सुन्दर समाधि या क़ब्रों बनानेकी अनुकूलता समाज या व्यक्तिके अभ्युदयके लिये आवश्यक है।

जिस व्यक्ति, वर्ग या समाजको अिस प्रकारका धारण-पोषण नहीं मिलता, अुसे अपने समाज और राज्यमें ऐसे परिवर्तन करानेका अधिकार है, जिससे अनके मिलने योग्य परिस्थिति पैदा हो। बल्कि ऐसा करना समझदार लोगोंका फ़ज़र ही है। और अिस फ़ज़रको अदा करनेका नाम ही ‘धर्म’के

लिये पुरुषार्थ है। अपनी तथा समाजकी सत्त्व-संशुद्धिके लिये यह आवश्यक ही है। अिस प्रकारका धारण-पोषण प्राप्त करने योग्य पुरुषार्थ जो व्यक्ति या वर्ग न कर सके अुसकी सत्त्व-संशुद्धि अुसी अंशतक अधूरी रहेगी। किन्तु साथ ही, परिश्रम करनेसे ऐसे धारण-पोषणके ठीक तौरसे हो जाने योग्य अनुकूलताके अलावा और भी अधिक सुविधाओं, सुखोपभोगों और आरामोंकी लालसा रखना भी सत्त्व-संशुद्धिमें वाधक है। ऐसी अतिरिक्त सुविधाओं, सुखोपभोगों या आरामोंमेंसे जो कला, साहित्य, आदि निर्माण होते हैं, वे अधिकांशमें चरित्र-विनाशक अथवा जीवनसे सम्बन्ध न रखनेवाले विषयोंमें फूटे हुए होंगे।

अूपर कहा गया है कि धारण-पोषण और सत्त्व-संशुद्धि व्यक्ति और समाजके अन्युदयके लिये आवश्यक है। परन्तु यह याद रखना चाहिये कि अिसमें धारण-पोषणका महत्त्व सत्त्व-संशुद्धिकी अपेक्षा विशेष मर्यादित है। अर्थात्, धारण-पोषण सत्त्व-संशुद्धिका एक साधन है और अितना ही अुसका अुपयोग है। किन्तु अिसका अर्थ यह नहीं कि सत्त्व-संशुद्धिके अन्तमें मनुष्य अपने जीवनके धारण और पोषणको छोड़ दे या घटा दे, या वह जान-बृक्षकर अथवा अकारण अुसके प्रति लापरवाह हो जाय। पर एक ऐसी स्थिति आ सकती है, जिसके बाद वह अिन दोनोंके प्रति अुदासीन हो जाय। 'येन केन प्रकारेण' अिन्हें प्राप्त करनेका आग्रह न रखें। यदि ये प्राप्त न हो सकें अथवा समाज या व्यक्तिकी आपत्तिके अवसरपर अिनका त्याग करना पड़े, तो वह राजी-खुशीसे करेगा।

हम चाहे ब्रह्मनिष्ठ हों या न हों, पर अितना अनुभव तो हम सबको है कि अपनी देहकी अपेक्षा चित्तके प्रति हमें अधिक आत्म-भाव लाता है। देह-सम्बन्धी आत्म-भाव भी हमें चित्तके द्वारा ही है। यदि चित्त न हो, तो हमें न देहका ही भान हो, न अभिमान रहे, और न अुसके सुख-दुःखकी चिन्ता रहे। अर्थात् देहकीं अपेक्षा अपना चित्त ही हमें अधिक अपना मालूम होता है। यह अनुभव निश्चित रूपसे सबको होता है। अतअेव यदि हमारी विचार-शक्ति योड़ी भी जाग्रत हो, तो हम

धर्ममय जीवनके सिद्धान्त

देहकी रक्षा और शुद्धि-त्रुद्धिकी अपेक्षा अपने चित्तकी रक्षा और शुद्धि-त्रुद्धिका इयादा आग्रह रखेंगे। देहकी रक्षा और शुद्धि-त्रुद्धि को योइनेसे यदि देहकी रक्षा और शुद्धि-त्रुद्धि हो सकती हो, तो देहको योइनेकी वृत्ति प्रबल होनी चाहिए। असी उन्नितिको हम स्वाभिमान, टेक, साख, पानी, तेज, आदि नामोंसे पहचानते हैं। अुचित स्वाभिमानकी रक्षाको ही सत्व-रक्षा कहते हैं। उचित स्वाभिमानकी रक्षाको ही सत्व-रक्षा कर सकता है। जो व्यक्ति या राष्ट्र अपना दुष्कृति का अर्थ यहाँ भावनायें है। जो व्यक्ति या राष्ट्र अपना धारण-पोषण नहीं कर सकता, वह न अपनी सत्व-रक्षा कर सकता है, और न अुसकी शुद्धि-त्रुद्धि ही। असी प्रकार जो व्यक्ति या राष्ट्र देहके धारण-और पोषणको अुचितसे अधिक महत्व देता है, वह भी सत्व-रक्षा नहीं कर सकता। अतत्रेव सत्वको केन्द्र मानकर व्यक्ति और समाजकी धारण-पोषण सम्बन्धी प्रवृत्तियोंकी परिकल्पा होती रहनी चाहिए।

यह सत्व (चित्त और दुष्कृति) क्या पदार्थ है, असकी ज्ञानशास्त्रमें हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे। हाँ, असकी कुछ खासियत हम जहर जान सकते हैं। जिस तरह दीपककी ज्योति असकी वर्तीमें ही समायी हुआ है, फिर भी असके प्रकाशका क्षेत्र व्यापक है; जैसे पृथ्वीका गोला गुरुत्वाकरण अधिक अक मर्यादित भागमें ही रहता है, परन्तु असका गुरुत्वाकरण हमारे व्यापक क्षेत्रमें फैला हुआ है, असी प्रकार हमारा सत्व व्यापि हमार शरीर जितनी जगहमें ही वसा हुआ दिखायी देता है, फिर भी असकी शक्ति असके बाहर भी फैली हुआ है। हमारे जिस सत्वमें और जगत्के सजीव-निर्जीव पदार्थोंमें ही रहती है। जिस प्रकार दीपककी ज्योतिकी रक्षा और असकी होती रहती है। जिस प्रकार आकर्षण-अपकर्षण आदि व्यवहार या क्रिया शुद्धि-त्रुद्धिपर असके प्रकाशके विस्तार और तेजस्तिताका आधार है, और शुद्धि-त्रुद्धिपर गुरुत्वाकरणका (specific gravity) की रक्षा असी प्रकार पृथ्वीकी सघनता (specific gravity) अवलम्बित है, समन्वय अवलम्बित है; असीपर हमारी और शुद्धि-त्रुद्धिपर हमारा और जगत्का और जीवनके मेल (harmony) का आधार है; असीपर सर्व-

ग्रन्थीनां विप्रमोक्षः — सब बन्धनोंसे छुटकारा, परम आत्म-विश्वास, परम आत्म-शद्भाका आधार है। ऐसा परिणाम ला सकनेवाली सत्त्वकी रक्षा, शुद्धि और दृष्टिको मैं सत्त्व-संशुद्धि कहता हूँ।

यह सत्त्व-संशुद्धि संयम और चित्तके नियमनके विना असम्भव है। संयमसे यहाँ मेरा मतलब व्रत, तप आदिसे नहीं है। यहाँ मैं अनुका विचार करना नहीं चाहता। यहाँ तो संयमका अर्थ ‘स्व-नियमन’ है। संसारके किसी जीव या वस्तुको देखते ही या असके बारेमें कुछ सुनते ही हमारे मनमें जो भाव अुत्पन्न होता है या हमारी जो राय बन जाती है, अुसीसे वेक्षावृ होकर वह जिधर ले जाय अधर चले जाना, असंयम है। अिसके विपरीत अुस भावना और मतके वेगको रोककर अुसकी छान-बीन करना, अुसकी योग्यायोग्यताका विचार करना, अुस प्राणी या वस्तुका अधिक परीक्षण करना, अुसके आसपासके सम्बन्धों और अपनी परिस्थितिका परीक्षण करना, ‘संयम’ अथवा ‘स्व-नियमन’ है। यों, अिस सारी क्रियामें देरी करने अथवा दीर्घ-स्वत्रासे काम लेनेका आभास दिखाओ देगा; परन्तु अुस भावना और मतसे वेक्षावृ होकर झट कुछ कर डालना जितना आसान मालूम होता है, अभ्याससे अुस भावना और मतका परीक्षण करनेके बाद आचरण करना भी अुतना ही स्वाभाविक हो सकता है। अगर हम अिस प्रकारका स्व-नियमन न साध सकें, तो फिर सत्त्व-रक्षा भी कैसे हो सकती है? पल-पलमें जगत्के दूसरे पदार्थ और सत्त्व विना पाल और पतवारके जहाजकी तरह हमारी दृतियोंको अधरसे अुधर झकझोर डालें, किसी भी स्थानपर हम स्थिर न रह सकें, आज ऐकके विचार सुनकर वहक गये, तो कल दूसरेकी वात सुनकर अुसके पीछे चल पड़े, आज ऐक पदार्थ या प्राणीको देखकर अुसकी तरफ आकर्षित हो गये और अुसके पीछे चल पड़े, कल दूसरेको देखकर अुसके पीछे पागल हो गये, आज पश्चिमी संस्कृतिकी मोहक भव्यता हमको चकावैध कर देती है, तो कल आर्य-संस्कृतिकी प्राचीन भव्यता हमें चकित कर देती है — अिन दोनों वातोंमें सत्त्व-रक्षा नहीं है। अतेव विना स्व-नियमनके, विना अिस प्रकारके संयमके, सत्त्व-रक्षा असम्भव है।

और, अिस सत्वकी शुद्धि-बृद्धि गीताके १६वें अध्यायमें वर्णित देवी सम्पत्तियों* के अुक्तपैके विना असम्भव है। फिर विचार करनेसे जान पड़ेगा कि अिन गुणोंके विकासके विना किसीभी व्यक्ति या राष्ट्र का निर्वाह और सत्व-रक्षा निर्विघ्न और सत्तोपजनक ढंगसे होना असम्भव है। अिनको जो देवी सम्पत्ति कहा गया है, सो तो केवल आसुरी सम्पत्तिसे अिनका विरोध व्रतानेके लिये ही। सच पूछो तो अिन्हींमें मनुष्यता है, और अिनको मानवी सम्पत्ति ही कहना चाहिये।

यदि हममें न्याय-वृत्ति, प्रेम, शुद्धारता, दया, करुणा, परस्पर आदर, क्षमा, तेजस्विता, नप्रता, निर्भयता, परोपकारिता, व्यवस्थितता, लज्जा, धैर्य, वाल्य और अम्यन्तर पवित्रता, स्वच्छता, आदि गुणोंका विवेकयुक्त मेल न हो, तो कोअी भी समाज कायम नहीं रह सकता, फिर अुसके अन्युदयकी तो वात ही क्या ? और, यदि समाज कायम नहीं रह सकता, तो लम्बे हिसावसे, व्यक्ति भी नहीं रह सकता — निर्विघ्न, सत्तोप-जनक और निर्भय जीवन नहीं विता सकता, कोअी अुचित स्वतंत्रता नहीं भोग सकता। अिन गुणोंके अुक्तपैके विना स्वतंत्र बुद्धिका — आत्म-विश्वास, आत्म-श्रद्धा पैदा करनेवाली बुद्धिका — अुदय भी अशक्य दिखायी देता है। क्योंकि जवतक कोअी भी वस्तु हमारे चित्तको वेकाढ़ कर सकती है, अुस सत्वको अरक्षित कर सकती है, तत्रतक बुद्धिका दो-चार परम्परागत रटोंमें ही चले विना छुटकारा नहीं।

सत्व-रक्षाके लिये तो अिन मानव-गुणोंमें से किसी अेकका भी अुक्तपै परम आवश्यक है, परन्तु सत्वकी शुद्धि और बृद्धिके लिये अिनमें से अनेक गुणोंका अुक्तपै आवश्यक है। अिन क्लांकोंमें गुणोंके जितने नाम गिनाये गये हैं, अन्हें पूरा न समझना चाहिये, और यह भी सम्भव है कि कअी नामोंसे अेक ही गुणका परिचय हांता हो, और अिनमें से कोअी गुण दूसरोंकी अपेक्षा अधिक महत्वके हों। किन्तु यह

* “निर्भयत्व, मनःशुद्धि, व्यवस्था ज्ञान-योगमें। यज्ञ, निग्रह, दानृत्व, स्वाध्याय, क्रज्जुता, तप। अहिंसा, शान्ति, अक्रोध, अनिन्दा, त्याग, सत्यता। प्राण-दया, अलुभृत, मर्यादा, स्थैर्य, मार्दव। पवित्रता, क्षमा, तेज, धैर्य, अद्वैत, नप्रता—ये अुसके गुण जो आता देवी सम्पत्ति लेकर॥” गीता अ० १६, क्लोक १ से ३।

निश्चित है कि ऐसे अनेक गुणोंके अुत्कर्ष और यथायोग्य मेल (harmony) से ही व्यवहारके अवसरपर विवेकयुक्त आचरण हो सकता है।

अिस प्रकार संयम, मानव-सम्पत्तियोंका अुत्कर्ष और अुनके मेल, अुनके फल-स्वरूप विवेक और तत्त्व-ज्ञानका अुदय और अुसके परिणाम-स्वरूप जीवन या मरणकी लालसा या भयका नाश — ऐसी सत्त्व-संशुद्धिको जीवनका ध्येय, जीवनका सिद्धान्त कह सकते हैं। जहाँतक हमारी विविध प्रकारकी प्रवृत्तियाँ, जीवनके अिस ध्येयसे अिधर-अुधर न खिसकें, अिसे भुला न दें, वल्कि अिसके नज़दीक आती जायँ — वर्दीतक समझना चाहिये कि हमारी प्रवृत्तियाँ धर्म-मार्गमें हैं।

यह सहज ही दिखाओ दे सकता है कि अिस सत्त्व-संशुद्धिमें मानव-सम्पत्तियोंका अुत्कर्ष महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अतः अब अुनके अुत्कर्षके साधनोंका विचार करना ज़रूरी है। थोड़ा ही विचार करनेसे मालूम होगा कि सत्य, न्योय, दया, प्रेम, आदि अनेक गुणोंका जन्म-स्थान और लालन-पालन कौदुर्घिक सम्बन्धोंमें होता है। कुटुम्ब एक छोटे-से-छोटा और स्वाभाविक समाज है; परन्तु यहाँ कुटुम्ब शब्द ज़रा व्यापक अर्थमें लेना चाहिये। अिसमें माता-पिता, भाऊ-बहन, पति-पत्नी, गुरु, मित्र, अंतिथि, नज़दीकके साथी-सम्बन्धी, पड़ोसी और साथी, अितनोंका समावेश होता है। साथियोंमें हमारे साझी, भागीदार, सेवक-चर्चा और पालतू जानवर भी आ जाते हैं। हो सकता है कि प्रत्येक व्यक्तिके अितने सब कुटुम्बीजन न हों। परन्तु मनुष्यको अपने और समाजके अभ्युदयके लिये जितने गुणोंकी आवश्यकता है, वे सब अिन कौदुर्घिक सम्बन्धोंके मेल-युक्त पालनमें आ जाते हैं। अिसलिये कौदुर्घिक सम्बन्धोंका निर्वाह और पवित्रता अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। किन्तु अिसका यह अर्थ-नहीं कि अपने कौदुर्घिक कर्तव्योंके पालनमें समाज-धर्मकी समाजित हो जाती है, वल्कि अिसका अर्थ तो यह है कि प्रेमभरे और यवित्र कौदुर्घिक सम्बन्धोंमें ये गुण पोषित होते हैं, और समाजमें हमें अन्हीं गुणोंकी व्याप्ति और पराकाष्ठा करनी है।

संयममें व्रहन्तर्व स्वाभाविक रूपसे आ जाता है।

यह समझानेकी ज़रूरत नहीं है कि सत्त्व-संशुद्धिकी पूर्णता ब्रह्मचर्यके विना कदापि नहीं हो सकती; क्योंकि जो भाव हमारे चित्तको अितना विवश कर सकता है कि अुसका नियमन सबसे अधिक कठिन मालूम होता है, जिसके पीछे सारी सुषिद्धि दीन बन जाती है, अुसका जय किये विना यह कैसे कहा जा सकता है कि हमारा सत्त्व सुरक्षित है? अतः ऐसे जो सत्त्व-संशुद्धिका आदर्श रखना चाहते हैं, उन्हें आगे-पीछे ब्रह्मचर्यके रास्ते आना ही चाहिये। ब्रह्मचर्यका महत्व समझानेके लिये अितना काफ़ी है।

अखण्ड ब्रह्मचर्य निःसंशय मनुष्यकी मूल्यवान् सम्पत्ति है। परन्तु ब्रह्मचर्यके पथपर चलनेवाले कभी स्त्री-पुरुषोंके जीवनका निरीक्षण करनेसे प्रतीत होता है कि अिसमें दो शर्तोंकी ज़रूरत है। एक— वह मार्ग स्वेच्छासे अड़ीकृत होना चाहिये, किसीकी ज़बरदस्तीसे नहीं। और दूसरे— मनुष्य भले ही ब्रह्मचारी हो, परन्तु अुसमें गृहस्थाश्रमके अथवा कुदुम्बोचित गुणोंका अुत्कर्ष होना चाहिये, या अुनके लिये अुसकी ओरसे सज्जा प्रयत्न होना चाहिये।

यदि ये दो शर्त न हों, तो ब्रह्मचर्यके बाबजूद अुसकी सत्त्व-संशुद्धि रुक जाती है। जिसमें वात्सल्य, औदार्य, आतिथ्य और दृसरोंके लिये कष्ट पानेकी वृत्ति हो, और अिसके बाबजूद अपनेको अल्प माननेकी निरभिमानता आदि गृहस्थोचित गुणोंका अुत्कर्ष वच्चपनसे सहज ही हुआ हो, अथवा जो प्रयत्नसे अुनका अुत्कर्ष कर सके, अुसके लिये अपना कोभी निजका कुदुम्ब बदानेकी ज़रूरत न रहेगी, और अुसे ब्रह्मचर्य पालनेमें अतिशय प्रयास भी न करना पड़ेगा। जो लोग अपने ही वर्चोंके सिवा औरोंमें वात्सल्यका अनुभव न कर सकें, दूसरोंके लिये कष्ट न अुठा सकें या अन्य गुणोंका विकास न कर सकें, वे ब्रह्मचर्यका पूरा लाभ नहीं अुठा सकते। अिस कारण अपने गुणोंका अुत्कर्ष करनेके लिये यदि कोभी शुद्ध भावनासे विवाहित जीवनके कर्तव्योंका शुद्ध निष्ठाके साथ पालन करे, तो सम्भव है कि ऐसे गुणोंसे हीन ब्रह्मचारीकी अपेक्षा वह अधिक अुन्नति कर ले। पर यह तो हुआ तात्त्विक विचार। व्यावहारिक समाज-हितकी दृष्टिसे अिन गुणोंका अुत्कर्ष हुआ हो या न हुआ हो, एक खास अुप्रतक और खास-खास परिस्थितियोंमें, जैसे धीमारी,

प्रसवके आगे-पीछेका काल, और जबतक वाल्क दूध पीता हो, तबतक सबको ब्रह्मचर्यसे रहना ही चाहिए। और, जो छोटा या पुरुष सशक्त व नीरोरी न हों; और अपना तथा सन्ततिका धारण-पोषण करनेमें समर्थ न हों, उन्हें तो जीवनभर ब्रह्मचर्य रखे विना छुटकारा नहीं है। ऐसी अवस्थामें भी जो शादी करते और करवाते हैं, वे दोनों, समाजको हानि पहुँचाते हैं।

जीवनके धारण-पोषणकी जो मर्यादायें और सत्त्व-संशुद्धिका जो आदर्श अपर वताया है वह यदि मान लिया जाय, तो मैं समझता हूँ कि व्यक्तिके अभ्युदय और कुदम्भ या समाज-सम्बन्धी अुसके कर्तव्य, तथा क्रोटुभिक कर्तव्य और सामाजिक कर्तव्य, अिन सबमें विग्रेध या धर्म-संकटके अवसर कम-से-कम आयेंगे। और, जब कभी वे आयेंगे, तो हमारी विवेक-त्रुद्धि अितनी जाग्रत हो चुकी होगी, कि वह तुरन्त अुसमें से रास्ता बता सकेगी। परन्तु न तो हमने और न हमारे कुटुम्बियोंने और न समाजने अभी अिस घेयको स्वीकार किया है। और यही कारण है कि जगत्में आज किसी अेक भी राष्ट्रमें व्यक्ति, कुदम्भ, समाज या मनुष्य-जाति सन्तुष्ट और परस्पर मेल-बुक्त जीवन दिताती हुओ दिखाओ नहीं देती। ऐसी स्थितिमें जो लोग अिस आदर्शको स्वीकार करेंगे, उन्हें समय-समयपर कुदम्भ और समाजमें सत्याग्रहका भी अवलम्बन करना पड़ेगा।

श्रेयार्थी अपना निर्वाह तथा समाज-धर्मोंका पालन किस तरह करे, अिस विषयमें भी अेक दो वातें विचारने-जैसी हैं। निर्वाहके सम्बन्धमें गांधीजीने अेक बार अेक सज्जनको अेक बात समझाओ थी, वह यहाँ पेश करने लायक है —

यदि हमारे जीवनका आदर्श ऐसा हो कि ३० करोड़में से भले ही २५ करोड़ मर जायें, और ५ करोड़ खूब समृद्ध, बलवान् और प्रजाके नवनीत-जैसे बच रहें, और अिसीमें राष्ट्रका अधिक हित समझा जाय, तो फिर हमें सोच लेना चाहिए कि ये ५ करोड़ भी टिक सकेंगे या नहीं। यह आदर्श ही अिस प्रकारका है कि जिसमें ज्यों-ज्यों नीचे की अेक-अेक सतह मरती जायगी, त्यों-त्यों अुसके अूपरकी सतहके मरनेकी बारी आती जायगी, और जो ५ करोड़ बाकी रहेंगे, वे शिनरीमें भले ही

धर्ममय जीवनके सिद्धान्त

५ करोड़ हों, परन्तु अिससे अुनको कुचलनेवाल बल कुछ कम हुआ न होगा। फिर, विदेशी राष्ट्रोंका दबाव तो रहेगा ही और बढ़ेगा ही। सोचनेसे हमें पता लगेगा कि बहुत समयसे हमारे जीवनका आदर्श यही आदर्श है। मैं समझता हूँ कि विजेताओंका आदर्श हमेशा अँसों ही रहता होगा, और हमारे देशमें तो लम्बे अरसेंसे परचक ही एक स्वाभाविक स्थिति हो वैठी है।

अिसको विस्तारसे समझानेकी ज़स्तरत नहीं; किन्तु जिससे वह सार निकलता है कि यदि हम सबसे नीचेकी सतहको मटियामेट होने देने या उसके प्रति लापरवाह भी रहने की मनोवृत्ति स्वीकार करें, और जिस तरह निर्वाहिका प्रश्न हल करना चाहें, तो अुससे हमारी ऐय-साधना मलिन हो जायगी। अिसके विपरीत, यदि हम अँसी प्रणाली अछितयार करें कि जिससे सबसे नीचेकी मानव-सतहका धारण-पोषण हो सके, तो वह मूलकों सांचने-जैसा होगा, और अुसका लाभ ठेठ सिरेतक पहुँच जायगा। अिस विधिसे ऐयार्थीको अपने निर्वाहिका प्रश्न हल करना चाहिये।

यह विचार दूसरी तरहसे हमको सादगी, परिश्रम और संयमके जीवनकी तरफ ले जाता है। थोड़ी मेहनतसे खूब कमा लेना और जबानीके थोड़े वर्षे खूब ऐश-आराममें विता लेना, वह आदर्श सत्त्व-संशुद्धिका विरोधी है। अतऐव पूरी मेहनत करके सादा किन्तु नीरोगी और दीर्घायु वना सकनेवाले जीवनादर्शकी ओर हमें प्रदृश्य होना चाहिये।

अब सामाजिक कर्तव्योंके बारेमें अेक-दो बातोंका विचार कर लें। मनुष्य एक समाज बनाकर क्यों रहता है? अुसके जिस प्रयोजनसे ही समाजके प्रति हमारे धर्मोंकी अुत्पत्ति हुआ है। अुनमें एक प्रयोजन यह है:— कभी कर्म अँसे होते हैं कि यदि व्यक्ति अेकाकी हो, तो अुनका कोउी महत्व न रहे, अेकाकी जीवनमें अुनके विना कोउी असुविधा न प्रतीत हो, और अुनका महत्व भी न हो, परन्तु समाजमें वे कर्म सबकी सुविधा बढ़ाते हैं या असुविधा दूर करते हैं और महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे, हाट, बाज़ार अथवा पुल। कभी कर्म अँसे होते हैं कि जो व्यक्तिके लिये भी महत्वपूर्ण होते हैं, परन्तु अितने महान् होते हैं

कि संघ-बलके विना नहीं हो सकते। जैसे, देशकी रक्षा। और कभी कर्म ऐसे भी होते हैं, जिसे व्यक्तिको कोअी आकर्षक लाभ न हो, एक-एक व्यक्तिके कार्य या योग-दानका हिसाब अलग-अलग ल्याया जाय, तो वह न-कुछ लगेगा, परन्तु अुससे समाजका महत्वपूर्ण कार्य पूरा हो जाता है।

अदाहरणार्थ हाथ-कताअी और खादीकी अुत्पत्ति अिस प्रकारका कर्म है, जिसमें वैयक्तिक लाभ और श्रम या योग-दान मध्यम वर्गके लोगोंको न-कुछ दिखाअी देगा। व्यक्ति अेकाकी रहता हो, तो कदाचित् अनावश्यक भी लोग, परन्तु अिससे समाजको बहुत बड़ा सामुदायिक लाभ होता है। जीवनके धारण-पोषण-सम्बन्धी एक महत्वके विषयमें समाज स्वाधीन हो जाता है। समाजके आर्थिक क्षयका एक महत्वपूर्ण कारण दूर किया जा सकता है। व्यवस्थित रीतिसे अिस कामको पूरा किया जाय, तो समाजको ऐसी तालीम मिलती है, जो अुसके धारण और पोषणकी दृष्टिसे महत्वपूर्ण है, और मध्यम वर्ग तथा गरीब जनताके एक बड़े भागको गुजारा मिल जाता है। अिस दृष्टिसे कर्ताअीको एक सामाजिक कर्तव्य कह सकते हैं, और जो संस्था सामाजिक दृष्टिसे अिसका निर्णय करती है, वह यदि अिसके सम्बन्धमें कोअी कर ल्यावे, तो अुसे देना हमारा कर्तव्य समझा जा सकता है।

ऐसे प्रत्येक कर्ममें व्यक्ति और समाजके दरमियान कर्तव्य अुत्पन्न होते हैं, और अुन कर्तव्योंका पालन न करना समाजका दोष होता है।

श्रेयार्थीको राजनीतिक कामोंमें पड़ना चाहिये या नहीं, अिस प्रश्नका भी यहाँ विचार कर लेना अचित होगा। धारण-पोषण और सत्त्व-संशुद्धि-विषयक जो विचार अूपर अुपस्थित किये गये हैं, अुनसे भालूम होगा कि समाज-हितकारी कोअी भी प्रवृत्ति श्रेयार्थकि लिए अस्वृद्ध नहीं हो सकती। राजनीतिक कामोंमें पड़ना कोअी दोष नहीं है, बल्कि मलिन भावसे पड़ना दोष है। सामर्थवान् श्रेयार्थीका विशेष स्वप्से कर्तव्य है कि अुसमें शुद्ध भाव निर्माण करके अुसे सुधारे। अत्यन्त अुदार और विशालदृष्टि तथा परम बुद्धिमान होते हुये भी स्वामी विवेकानन्दने अपनी संस्थाओंको जो राजनीतिक प्रवृत्तियोंसे अद्वृता रखा,

सो अुस समयकी विशेष परिस्थितियोंका परिणाम था, औसा समझना चाहिए। अुस निषेधको श्रेयार्थीके लिये अेक स्थायी नियमकी तरह ग्रहण न करना चाहिए।

फिर सामाजिक जीवनका अेक दूसरा अङ्ग अिस प्रकार है:— हिसाब या तल्पटके केवल लाभ-पक्षपर ही हमारा जीवन नहीं चलता। प्रत्येक व्यक्ति यदि अपने निजी हिसाबके लाभ-पक्षपर ही दृष्टि रखकर अपना जीवन चलावे, तो कुटुम्बका धारण-पोषण और सत्व-रक्षा असम्भव हो जाय। यह सच है कि हिसाबका लाभ-पक्ष धारण-पोषणके लिये अेक ज़रूरी बात है; परन्तु वह प्रत्येक व्यक्तिका नहीं, बल्कि सारे कुटुम्बके हिसाबके तल्पटका लाभ-पक्ष होना चाहिए। परन्तु जीवनके निर्वाह और अभ्युदयके लिये व्यक्तिके लाभ-पक्षकी विनियोग भी अुसकी घिसाओं, अुसका त्याग — आत्म-बलिदान, अधिक आवश्यक वस्तु है। जब हरयेक व्यक्ति कुटुम्बके दूसरे लोगोंके लिये कुछ-न-कुछ घिसाओं — क्षति — सहन करता है, तभी अुस कुटुम्बका लाभ-पक्ष वष्टा है, और अुसका निर्वाह और अभ्युदय विशेष सन्तोषजनक होता है। और, यह घिसाओं अेकाध दिन ही भुगत लेनेसे काम नहीं चलता। जिन्दगीभर रोज़-न-रोज़ कुछ-न-कुछ घिसाओं सहन करनी ही पड़ती है। व्यक्तिका अपने कुटुम्बके लिये अिस तरह घिसा जाना ही प्रेम कहलाता है।

जो न्याय व्यक्ति और कुटुम्बके सम्बन्धमें है वही व्यक्ति या कुटुम्ब और समाजपर भी लागू होता है। समाजका निर्वाह, अुसकी रक्षा, अभ्युदय और सत्व-संशुद्धि अिस बातपर अवलम्बित है कि अुसका हर व्यक्ति और हर कुटुम्ब अुसके लिये किस हद तक घिसाओं या क्षति सहन करता है। यदि हरयेक कुटुम्ब अपने खानगी रोकड़ियासे पृष्ठकर ही जीवन-व्यवहारके नियम बनावे, तो सारा समाजे ज़रूर छिन्न-भिन्न हो जाय। अेक या दूसरे विषयमें, जिस प्रकार व्यक्तिको कुटुम्बके लिये, अुसी प्रकार व्यक्ति और कुटुम्बको समाजके लिये रोक-रोज़ योगी-बहुत घिसाओं अवश्य सहन करनी चाहिए। भले ही अिस घिसाओंको सहन करनेके प्रकार जुदा-जुदा हों। परन्तु औसी क्षतिको सहन किये त्रिना कोअी समाज निभ नहीं सकता। समाजके लिये अिस प्रकार जो घिसाओं सही जाती है, अुसे

अुदारता या परोपकार (philanthropy) कहा जाता है। हाँ, सामान्य परिस्थितिमें यह क्षति अितनी अधिक न होनी चाहिए कि जिससे व्यक्ति या कुदम्बका धारण-पोषण अशक्य हो जाय। आपत्तिके अवसर पर ऐसा भी हो सकता है। किन्तु सामान्य परिस्थितिमें यदि किसी वर्गको अितनी अधिक हानि सहन करनी पड़ती हो, तो समझना चाहिए कि वहाँ कहीं-न-कहीं अन्याय हो रहा है। आज संसारमें ऐसी अन्याय-पूर्ण हानि हमारे देशको, और निचले वर्गोंको सब कहीं, सहन करनी पड़ती है। अिसीसे हमारा देश दलित और पीड़ित है, तथा हमारा निचला वर्ग तो और भी अधिक दलित है।

जीवनमें विसाझी या आत्म-बलिदानका जो आवश्यक स्थान है अुसे व्यानमें रखकर श्रेयार्थीको अपने जीवन-निर्वाहके प्रश्नको हल करना चाहिए।

जीवन-शोधन

[शोधनका अर्थ है अशातकी खोज करना और शातका संशोधन करना]

खण्ड २

अदृश्य शोधन

आलम्बन

“चौथा पुरुषार्थ” नामक परिच्छेदमें कहा गया है कि धर्म, अर्थ और कामकी अुत्तरोत्तर शुद्धि और शोध करना ज्ञानका व्येय है, और अपने तथा जगत्के अस्तित्वका मूल जानना और आत्माकी निरालम्ब सत्ताको देखना ज्ञानका अन्तिम फल है।

परन्तु अिसके साथ ही भितना याद-रखना चाहिए कि ‘आत्माकी निरालम्ब सत्ताको देखना’ (अर्थात् ऐसा निश्चय हो जाना कि आत्मासे बढ़कर और अुसके ऊपर सत्ता चलानेवाली और कोअी दूसरी शक्ति नहीं) एक वात है, और ऐसी निरालम्ब स्थितिमें रहना दूसरी ही वात है।

जिसे आत्मा या ब्रह्म कहते हैं अुसके अलावा दूसरी किसी अदृश्य शक्तिपर आधार रखनेकी जरूरत न मालूम होना; अपने किये कर्मोंके फल भोगते हुअे, अथवा दूसरोंके द्वारा या सुष्टि-नियमोंके अनुसार, चाहे जैसे सुख-दुःख आ जायें, तो भी धीरज और समताको क्षायम रखना; मर जाने के बाद अपना क्या होगा, अथवा होता होगा, अिसके विषयमें किसी भी कल्पना या चिन्ताका न होना; बल्कि जो जीवन प्राप्त हुआ है, अुसमें सदा शुभ कर्म और शुभ विचारमें लो रहकर अपनी सत्त्व-संशुद्धिके लिये प्रयत्नशील रहना, और आगेका कोअी विचार ही न करना, अिस प्रकारकी शुद्ध, निरालम्ब स्थितिमें सदैव स्थिर रहनेवाले विले ही हो सकते हैं।

यदि कोअी ऐसा महात्मा भिल भी जाय, तो भी वहुताशमें यह दिखाअी देगा कि अुस स्थितिको प्राप्त करनेके पहले वहुत समयतक वह किसी दिव्य या अदृश्य शक्तिका आधार लेकर रहा था। सिर्फ आधार ही नहीं, बल्कि वह अुसका अनन्य आश्रय या भक्ति करता था। अुसे वह अपनेसे परे और भिन्न, अदृश्यरूपसे रहनेवाली, कोअी शक्ति अथवा

अुसका अवतार अथवा अुससे किसी विशेष प्रकारसे सम्बन्धित समझता था । फिर, मृत्युके वादकी स्थितिके सम्बन्धमें भी अुसने कोअी दृढ़ कल्पना बना रखी थी । यह मालूम होगा कि अपने जीवन-कालमें अपना शुल्कर्ष साधनेके लिये अुसने जो-जो पुरुषार्थ किये और जिन-जिन कठिनायियोंको वह पार कर गया, सो सब ऐसे आश्रय और भावी-विषयक श्रद्धाके बल्पर ही किया, और वह खुद भी अिस बातको मंजूर करेगा; और यह भी दीख पड़ेगा कि ऐसे किसी आलम्बन अथवा आधारपर तथा अिस मान्यतापर कि जगत्‌में कर्मफल देनेवाला कोअी अटल किन्तु न्यायी नियम वर्तमान है, अुसकी जीवनके प्रारम्भमें ही अदिग श्रद्धा हो जानेसे, और सामान्य मनुष्योंके जीवन या चित्तपर ऐसी श्रद्धाका जितना असर होता है अुसकी अपेक्षा अुसपर अधिक ज़ोरदार असर होनेसे ही अुसका जीवन श्रेय-मार्गकी ओर अधिक छुका । सामान्य अनुभव ऐसा ही है कि श्रेयार्थीमें जिन शुभ गुणों और भावोंका शुल्कर्प होना चाहिये, यथार्थ मात्रामें — अितनी कि वैसे गुण और भाव स्वभाव-सिद्ध हो जायें — अुनकी शृद्धि होनेके बाद ही जिसे ‘निरालम्ब स्थिति’ कह सकते हैं अुस स्थितिके-से विचारोंकी ओर अुसका प्रयाण हुआ है, और धीरे-धीरे अुस स्थितिमें दृढ़ता आयी है ।

अिसके विपरीत यह भी दिखाअी देगा कि जिन लोगोंकी ऐसे किसी आलम्बन या नियमपर दृढ़ श्रद्धा नहीं हुअी या पूरी अश्रद्धा न होनेपर भी वह श्रद्धा अितनी ज़ोरदार न बनी कि अुनके जीवन या चित्तपर वह गहरा असर कर सके, ऐसे व्यक्तियोंके लिये श्रेय-मार्गकी तरफ जाना, बढ़ना और इके रहना असम्भव हो जाता है । अिन्द्रिय-विलाससे या जगत्‌की बाह्याहीसे जो सुख मिल सकता है अुसका बलिदान करनेकी प्रेरणा करनेवाला कोअी प्रयोजन ही अगर अुनकी समझमें नहीं आता, तो फिर अुन्हें अुसके प्रति आकर्षण तो हो ही कैसे ? जो ऋ-पुरुष जीवनके तथा मानव-समाजके अन्त और कल्याणके विषयमें शंकाशील, निरत्साही और आदर्शहीन हैं तथा जो तात्कालिक प्रेम पर ही दृष्टि रख सकते हैं, अुन्हें अिस वृत्तिके कारण असंयम और स्वच्छन्दता के सिवाय जीवनका दूसरा कोअी शुद्धेय ही दिखाअी नहीं देता ।

गीताके १६वें अध्यायमें जिस आसुरी प्रकृतिका विस्तारं-पूर्वक वर्णन किया गया है वह पूर्वोक्त श्रद्धाके अभावका ही परिणाम है। * जगत्‌में कोअी अविनाशी चैतन्य तत्त्व है, या किन्हीं स्थिर सनातन नियमोंसे जगत्‌का सूत्र-संचालन हो रहा है, औसी श्रद्धा न होनेसे अन्हें अपने और जगत्‌के अन्हीं सुख-दुःखोंके सम्बन्धमें विचार करनेकी ज़रूरत मालूम होती है, जिनका सम्बन्ध अुनकी अपनी देहके क्रायम रहने तक ही हो। नीति-नियमोंका विचार भी वे अपनी सुख-सुविधा और आर्थिक लाभकी दृष्टिसे ही करते हैं, पर अुनके पालनका तात्त्विक आग्रह रखनेका कोअी प्रयोजन अन्हें मालूम नहीं होता।

अिसलिए जो यह चाहते हैं कि अुनका जीवन केवल ऐहिक सुख और अिन्द्रिय तथा बुद्धिके क्षणिक आनन्दकी बनिस्वत अधिक सनातन सत्यकी शोधमें और गहरी मानसिक शान्तिके पथकी ओर बढ़े, अुनका काम आलम्बनके महत्वकी अवगाणना करनेसे न चलेगा। अिस आलम्बनको वे चाहे परमेश्वर कहें, सत्य कहें, धर्म कहें, सनातन तत्त्व कहें, विश्वका अनादि नियम कहें, कर्म-सिद्धान्त कहें, जिस नामसे चाहें पुकारें, अिन्द्रियोंसे परे, गृह, विश्वके सब पदार्थों और जीवोंसे स्फूर्ति और श्रेष्ठ किसी वस्तुका आघार अन्हें लेना पड़ता है।

परन्तु शुल्में तो अक्सर सब लोगोंके लिए ऐसा आलम्बन बुद्धि द्वारा अधिक मन्थन किये बिना ही, केवल वडे-बूझोंके ढाले संस्कारोंसे दृष्ट वनी हुअी श्रद्धाका ही विषय होता है। अिस कारण वह शुद्ध और अशुद्ध दोनों ही प्रकारका हो सकता है। परन्तु सत्य-शोधनके लिए तथा जिस शोधनके अन्तमें परम श्रेयकी प्राप्ति होती है अुसके लिए अिस आलम्बनका शुरूसे ही शुद्ध होना अतिशय महत्वपूर्ण है।

अुदाहरणार्थ —

१. जैसे-जैसे मनुष्यकी विचार-शक्ति बढ़े, वैसे-वैसे जिस आलम्बनसे अुसका विश्वास अुठता जाय, स्पष्ट ही अुसे शुद्ध आलम्बन नहीं कहा जा

* मारी कौरलीने 'दो माझिटी बेटम' नामक अुपन्यासमें ऐक ऐसे बालककी मनोव्यव्या, निराशा और करुणाजनक अन्तका बड़ा हृदय-स्पर्शी चित्र खींचा है, जो किसी परम शक्तिके आलम्बनमें श्रद्धा नहीं रखता था।

सकता । अिसके बराबिलास कहे वह आलम्बन अधिक शुद्ध माना जायगा, जो पहले चाहे विना विचार किये ही मान लिया गया हो, परन्तु वादमें जैसे-जैसे विचार-शक्ति वैष्ण-वैसे-वैसे जो अपनी सत्यताके सम्बन्धमें अद्वाको अधिक दृढ़ करनेवाला हो ।

२. फिर, अुस आलम्बनको भी शुद्ध कहनेमें संकोच होगा, जिसपर अद्वाको दृढ़ रखनेके लिये यह रोक लगायी गयी हो कि बुद्धिकी सूक्ष्मता या विचार-शक्तिको एक हृदसे आगे जाने न देना चाहिये । अिसके विपरीत, वह आलम्बन अधिक शुद्ध कहा जायगा जो बुद्धिकी सूक्ष्मताकी बृद्धि नाहता हो, जो विचार-शक्तिको प्रेरणा देता हो, और विचार-शक्तिके वर्णणसे अधिक स्पष्ट और शुद्ध स्वस्थपमें प्रकट होता हो, और अिस तरह अधिक श्रद्धेय बनता हो ।

३. फिर, वह आलम्बन भी शुद्ध नहीं कहा जा सकता जिस परसे कभी-न-कभी अद्वाके डिग जानेसे ही बुद्धिकी सूक्ष्मता और चित्त-संबुद्धिकी बृद्धि तथा निरालम्ब स्थितिकी ओर प्रगति हो सकती हो । अिसके विपरीत, वह आलम्बन शुद्ध कहा जायगा, जो खुद ही धीरे-धीरे प्रगति करवा कर अपने सम्बन्धकी जो भी भ्रान्तियाँ हों, अन्वेष दूर करके निरालम्ब स्थितितक पहुँचा देता हो ।

४. फिर, ऐक और ढंगसे भी हम आलम्बनकी शुद्धशुद्धताका विचार कर सकते हैं । जो आलम्बन किसी खास जाति, कुल, देश, सम्प्रदाय या अनुगम द्वारा स्वीकृत संकेत या स्थितिपर और अनुसे प्राप्त संस्कारोंपर ही आधार रखता हो, किन्तु अुस संकेतके प्रवर्तकपर तथा अुससे सम्बन्धित दास्ताओं पर विस्वास रखनेके सिवा और कोअी स्वयं-मिद या विचार-जन्य कारण अुसके लिये न दिखाया जा सकता हो अुसे कम शुद्ध कहना चाहिये । जैसे विष्णु शिव, गणपति, हुर्ग धित्यादि देवताओंके स्वस्थ-सम्बन्धी अद्वा, अथवा अीसा, मुहम्मद, समर्थ रामदास, सद्गुरुनन्द स्वामी आदिके प्रति पैगम्बर, अवतार आदिके स्वप्नमें विश्वास और स्वर्गी तथा नरक-विषयक भिन्न-भिन्न मत आदि ।

अिसके विपरीत, जो आलम्बन जाति, कुल, देश, सम्प्रदाय या अनुगम द्वारा टाले संस्कारोंपर डिका न हो, वल्कि यथा सम्भव अन-

आलम्बन

युपाधियोंसे मुक्त हो तथा स्वयं-सिद्ध होनेके कारण अथवा निदान स्थूल दृष्टिके विचारसे भी अद्वेय बनता हो, और यिसलिये जिसे मनुष्यमात्रके सामने अुपस्थित करना शक्य हो, उसे अधिक शुद्ध कहना होगा । यह हो सकता है कि अधिक स्वस्म विचार करनेसे यिस आलम्बन-सम्बन्धी हमारी धारणामें आगे चलकर वहुत-कुछ फँकँ पड़ जाय, परन्तु सामान्य बुद्धिमें भी जितनी विचार-शक्ति और अनुभव होता है, उनके द्वारा यह आलम्बन हमारी अद्वेय बनता हो, तो पहलेकी अपेक्षा यिसे अधिक शुद्ध कहा जा सकता है । जैसे, किसी आदमीका सिर दर्द करता हो, और वह यह मानकर किं विकार मस्तकमें ही है वही अुसका युपचार करे, तो यह नहीं कह सकते कि वह विलकुल गलत ही करता है; क्योंकि सिर-दर्द स्वानुभव-सिद्ध है । परन्तु जब वह यह देखे कि यिससे सिर-दर्द मिटा नहीं, और अुसपरसे अधिक गहरा विचार करके यिस नतीजे पर पहुँचे कि यिसका असली कारण तो पेटमें है, और फिर पेटका अलाज करे तो अुसके रोग-सम्बन्धी ज्ञानमें वहुत-कुछ फँकँ पड़ जानेपर भी यह नहीं कहा जा सकेगा कि अुसकी पहली धारणा विलकुल गलत थी । क्योंकि वह अनुभव-सिद्ध थी, और विचार करने पर खुद ही सत्य कारणकी तरफ़ ले गयी थी ।

अब हमें यिस बातपर विचार करना है अुसके लिये अंगीकार करने योग्य मनुष्य होते हुये भी जो अत्यार्थी है अुसके प्रकार कैसा होना चाहिये ।

शुद्ध आलम्बन

पिछले प्रकरणमें व्यक्त किये गये विचारोंके अनुसार शुद्ध आलम्बनमें नीचे लिखे लक्षण होने चाहिये —

१. हमारी विचार-शक्तिकी दृष्टिके साथ अुसके प्रति हमारी श्रद्धा वल्वती हो; किसी प्रकार धटे नहीं;

२. वह हमारी दृष्टिकी सूक्ष्मताके वडनेकी अपेक्षा रखें, न कि ऐसी मर्यादा रख दे कि वस, अससे ज्यादा गहराओंसे सोचना ही न चाहिये;

३. ज्यों-ज्यों अुसके सम्बन्धमें गहरा विचार किया जाय, ख्यों-ख्यों अुसके स्वरूपके सम्बन्धमें जो भी गलत धारणायें मनमें रह गयी हों, वे कम होती जायें और अुसका ठीक स्वरूप अधिकाधिक स्पष्ट होता जाय; अुसके सम्पूर्ण त्यागकी कभी ज़रूरत ही न पड़े।

४. वह आलम्बन जाति, कुल, देश, सम्प्रदाय, अनुगम आदिकी अुपाधियोंसे यथासम्भव परे और सर्वमान्य होने चाहिये हो; और

५. ऐयार्थी मनुष्यको वह आलम्बन अितना अुदात्त और प्रिय लगे कि अुसके सम्बन्धकी श्रद्धा अुसे —

जीवनमें मिलनेवाले सुखमें नम्र और कृतज्ञ बनाये तथा जीवनकी घन्यताका अनुभव कराये;

दुःखमें धीरज तथा समता धारण करनेकी और शान्तिपूर्वक विश्व-नियमोंके अधीन रहनेकी शक्ति दे;

अपनी मर्यादाओंका भान कराके अुसे निर्मान और निर्दम्भ रखें;

शुभ कर्मों और सत्त्व-संशुद्धिके प्रयत्नोंके लिये जुत्साहित करे, तथा अुसमें खड़े होनेवाले खतरों और क्लेशोंका सामना करनेका साहस दे। और, हृदयके भक्ति आदि कोमल भावोंको विकासका अवसर दे।

शुद्ध आलम्बनका विचार करनेमें सबसे पहले, यह तो स्पष्ट ही है कि आलम्बन-विषयक श्रद्धाका अर्थ किसी दृश्य पदार्थ या शक्तिके प्रति श्रद्धा नहीं, वल्कि किसी अदृश्य शक्ति या नियमके प्रति श्रद्धा है।

शुद्ध आलम्बन

अदृश्य-विषयक श्रद्धाके होनेसे वह आलम्बन प्रत्यक्ष या अनुमान प्रमाणसे सिद्ध नहीं हो सकता। अर्थात् आलम्बन-विषयक श्रद्धा एक प्रमाणातीत विषयके प्रतिकी श्रद्धा* है। अब अदृश्य शक्ति या नियम दो तरहसे प्रमाणातीत हो सकते हैं।

(१) स्वयंसिद्ध होनेसे; अर्थात् अनिदित्याँ और मन जिस-जिस वस्तुको अनुभवसे जान-चीन्ह सकते हैं, उन सत्रको जुदा करते-करते, हटाते-हटाते, जो सत्ता अनिवार्य स्वप्नसे शेष रहती हुआ दीख पड़ती हो वह; और (२) कार्य-कारण-भावके विचारसे जिसका अस्तित्व अतिशय सम्भवनीय मालूम होता है, किन्तु अदृश्य होनेसे जिसको सिद्ध कर दिखाना असम्भव प्रतीत होता हो, और अिसलिये जिसके स्वरूपके विषयमें केवल अुपमाओं द्वारा ही तर्क किया जा सकता हो, वह; जैसे, विज्ञानमें तेज, घनि, विद्युत, आदिके स्वरूप-विषयक मत अथवा अध्यात्म-विचारमें माया, संकल्प, कर्म, मरणो-तर स्थिति, आदि विषयक मत। तेज आदिके स्वरूप-विषयक तर्क जल्दी तरङ्गोंकी अुपमाके द्वारा समझाये जाते हैं; मायाका अन्द्रजाल, गन्धर्वनगर, दूसरी शक्तियोंके विषयमें भी है। किन्तु तेजका स्वरूप तरङ्ग लैसा ही है, यही वात दूसरी शक्तियोंके विषयमें भी है। किन्तु तेजका स्वरूप तरङ्ग लैसा ही है, यह वात प्रयोगसे सिद्ध नहीं की जा सकती; वल्कि अितना ही कहा जा सकता है कि ऐसा होनेकी सम्भावना है। अुसी प्रकार यह सिद्ध नहीं किया जा सकता कि मायाका स्वरूप सम्प्रके सदृश ही है। परन्तु अितना ही कहा जा सकता है कि वह स्वप्न-सा दीख पड़ता है।

अत्यार्थी मनुष्य अन दोनों प्रकारकी अदृश्य शक्तियों या नियमोंका कुछ-न-कुछ आलम्बन लेता है। जैसे, परमात्मामें निष्ठा तथा पुनर्जन्म या क्रयामतमें विश्वास। परन्तु यह स्पष्ट है कि अिसमें पहले प्रकारकी अदृश्य शक्तिका आलम्बन दूसरेसे अधिक महत्वपूर्ण है। क्योंकि पहला

* “Believing where we cannot prove”—श्रद्धा कुसे कहने हैं, जिसे सावित तो नहीं कर सकते, किर भी जिसे मानते हैं। —टेनिसन ।

स्वतःसिद्ध होनेके कारण, निरपेक्ष भावसे श्रद्धेय हो सकता है, और दूसरा केवल सम्भवनीय तर्क होनेकी बजहसे अुसके विषयमें अमुक ओक प्रकारका ही आग्रह पकड़ रखनेकी वृत्ति गौण होती जाती है, और अनुभव, विचार तथा विज्ञानकी वृद्धिके साथ-साथ अुसमें बहुत फँक्र पड़ता जाता है।

अिस प्रकरणमें हमें पहले प्रकारके आलम्बनका विचार करना है।

अिस सम्बन्धमें जो लोग विचार-क्षेत्रमें बहुत निश्चित हो चुके हैं, अनकी राय है कि ब्रह्म, परमात्मा, परमेश्वर^{*} आदि नामोंसे दरसाये जानेवाले एक चैतन्यरूप परमतत्त्वकी सत्ता प्रमाणातीत होते हुये भी वह सिर्फ़ एक 'सम्भवनीय' तर्क नहीं, वृत्ति स्वयं-सिद्ध वस्तु है। और अुसके केवल स्वयं-सिद्ध होनेकी बजहसे ही वह प्रमाणातीत है। परन्तु स्वयं-सिद्ध है, अिसका अर्थ यह नहीं कि अुसकी प्रतीति फ़ैरन हो जाती है। पर ऐसा कहनेमें अनका दावा यह है कि अिस चैतन्य-शक्तिके अस्तित्वको केवल शास्त्रके, विश्वसनीय ऋषियोंके या पुराखोंके मतके रूपमें मान लेनेकी जरूरत नहीं; लेकिन, जो लोग चाहें, वे अपने जीवनमें ही, अपने अनुभव और विचार द्वारा ही, अुसका निश्चय कर ले सकते हैं।

परन्तु जिन लोगोंके पास वह गहरा विचार कर सकनेकी शक्ति या अवकाश न हो, जिससे परमात्माके अस्तित्वके सम्बन्धमें अन्हें स्वयं निःशंक प्रतीति हो जाय, वे यदि अनुभवी लोगोंके वचनोंको मानकर अुसके अस्तित्वपर श्रद्धा रक्षें, तो अुसमें असत्याचरण या असत्य श्रद्धाका दोष नहीं होता, क्योंकि अनकी श्रद्धाका स्थान स्वतः सत्य और निश्चल है। ठीक अुसी तरह जिस तरह कि कोआई अपने बड़ोंके कहनेसे संखियाको ज़हर मान लेनेमें असत्याचरण नहीं करता। जिसे अिस प्रकार केवल विश्वास कर लेनेमें सन्तोष न हो, अुसके लिये अनुभव द्वारा निश्चय कर लेनेका मार्ग खुला ही है। अिसलिये, जो पुरुष चैतन्य-स्वरूप परमात्माके अस्तित्वपर

* आत्मा तथा परमात्मा भेक है या अलग-अलग, अिसका विचार करना यहाँ आवश्यक नहीं है। अिसका अधिक स्थृतीकरण चौथे प्रकरणमें किया जायगा।

श्रद्धा रखकर, विस आलम्बनको मानकर, श्रेय-प्राप्तिका प्रयत्न करता है, वह किसी अशुद्ध आलम्बनको स्त्रीकार नहीं करता।*

विस आलम्बनमेंसे निरालम्ब दशाकी प्राप्ति वस, ऐक आगेका क़दम ही है, और वह परमात्मा तथा अहंभाव (अपने अन्दर प्रतीत होनेवाले 'मैं'-पनका भान) के पारस्परिक सम्बन्धकी शोधमेंसे पैदा होता है। पर यह बात यहाँ मौजूँ नहीं है। यहाँ विसका अुल्लेख करनेका कारण जितना ही है कि जिन्हें निरालम्ब स्थितिमें पहुँचा हुआ माना जाता है, अन्हें भी परमात्मतत्त्वका यह अस्तित्व ग्राह्य है, यही नहीं, वल्कि अुसकी दृष्टि प्रतीतिमेंसे ही अुनकी निरालम्ब स्थिति पैदा होती है।

परन्तु यह कह देनेसे ही काम नहीं चलता कि विस संसारमें चैतन्य-स्वरूप परमात्माका अस्तित्व है। जगत्के साथ अुसका क्या सम्बन्ध है, अुसका और मनुष्यका क्या सम्बन्ध है, वह सगुण है या निर्गुण, साकार है या निराकार, किस तरह अुसका आश्रय लिया जाय, जिससे वह मनुष्यके लिए श्रेयःसाधक हो, किस प्रकार अुसका स्वयं निश्चय किया जा सकता है, आदि अनेक प्रश्न उसे मानते ही अठ खड़े होते हैं। जगत्के सभी आर्थिक और नास्तिक, दर्शनशास्त्री, तत्त्वज्ञानी, आचार्य, भाष्यकार, योगी, भक्त, सम्प्रदाय-प्रवर्तक जिन प्रश्नोंका ही अृहापोह करते हैं, ऐक-दूसरेके साथ वाद-विवाद करते हैं, और अुनके विषयमें ऐसी-ऐसी ऐक-दूसरेसे अुलटी मान्यतायें अुपस्थित करते हैं कि जिज्ञासु वेचारा चक्षरमें पढ़ जाता है।

सच्चे श्रेयार्थीका कुछ समय तक तत्त्वज्ञानकी ऐसी शुष्क चर्चाओंमें ज़रा भी मन नहीं ल्याता। और, वह अुनसे अल्पा रहकर विसी बातमें समझदारी और सुरक्षितता समझता है कि अपनी सामान्य बुद्धिसे वह आलम्बन जितना समझमें आ सकता है, अुतना समझकर अुसमें अनन्य

* अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वाऽन्येभ्य अुपासते ।

तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः ॥ (गीता १३ - २६)

कुछ लोग तो यित तरह (परमात्माको) स्वयं न जानते हुये भी (अुनके बोरेमें) दूररोंसे (जिन्होंने तत्त्वको पहचान लिया है) सुनकर अुनकी शृपासना करते हैं। वे श्रुति-परायण लोग भी नृत्यको तर जाने हैं।

निष्ठा रखें। अिस समयमें अुसे ज्ञानकी अपेक्षा भक्तिका ही महत्व अधिक लगता है, और अुसके भक्तिभावके और दूसरी सद्भावनाओंके अुत्कर्षके लिये अिस प्रकारके तत्त्वज्ञानकी चर्चामें मनका न ल्याना अुसके लिये हितकारक ही है। परन्तु तत्त्व-जिज्ञासाके प्रति यह अचूचि भी कायम नहीं रहती, वल्कि भक्तिभावकी अुचित सीमा आ जानेके बाद फिर तात्त्विक प्रश्नोंसे दूर रहना अुसके लिये असम्भव हो जाता है। जब अुसमें अिस प्रकार तत्त्व-जिज्ञासा जाग्रत होती है, तब अुसके लिये यह प्रश्न महत्वका हो जाता है कि आलम्बन-सम्बन्धी अुसकी कल्पना सच है या गलत। यदि श्रेय-प्राप्तिकी अुसकी अिछ्ठा सच्ची और तीव्र हो, तो यह जिज्ञासा अुसे, परमात्माके आलम्बनको अुसने जितना गलत तौरपर स्वीकार किया होगा, अुतना ही ज्यादा आवात पहुँचायेगी, और अुसकी बुद्धि और श्रद्धाके संस्कारोंमें संघर्ष पैदा करेगी और कुछ समय तक अुसके हृदयमें रही हुअी भक्तिकी भावनाको गहरा घक्का पहुँचायेगी और डर यह मालूम होता है कि कहीं वह जड़मूलसे अुखड़ न जाय। फिर यदि अुस साधकके दिलमें कहीं भी स्फूर्ति स्वप्नमें भय या लालसा छिपी पढ़ी हो, तो यह भी हो सकता है कि वह तत्त्वज्ञानके छोरतक पहुँच ही न सके। जिस प्रकार राज्यकर्ता जनताकी स्वातन्त्र्य-भावनाको कुचलनेका प्रयत्न करते हैं, अुसी प्रकार वह अिस स्थितिमें खुद अपनी ही बुद्धिका शत्रु बनकर अुसे दबा देनेका प्रयत्न करता है, और ऐसा मानने लगता है कि तात्त्विक विषयोंके अज्ञानमें ही सुख है। परन्तु अिस प्रकार बुद्धिको दबाकर परमेश्वरमें रखी जानेवाली श्रद्धामें और वहमोंके प्रति की श्रद्धामें कोअी फँक नहीं। भले ही वह अपने आलम्बनको परमात्मा कहे; किन्तु अुसकी श्रद्धा वास्तविक परमात्मामें नहीं, वल्कि अुसकी किसी मर्यादित और नाशवान विभूतिमें है।

अिस प्रकार बुद्धिको कुण्ठित करके पोसी गयी श्रद्धाका अधिक मूल्य नहीं है। जिस प्रकार कोअी बाल्क रातको डर मालूम होनेपर अपने सिरपर चादर खाँच ले और बिना हिले-डुले पड़ा रहे, तो अुससे वह निर्भय नहीं हो सकता, अुसी प्रकार अिस भयसे कि परमात्माके त्वरूपके सम्बन्धमें यदि हम ठीक-ठीक विचार करने लगेंगे, तो हमारी चिरपोपित

अद्वा और भक्ति डाँवांडोल हो जायगी, विचारनेका साहस ही न करना, जान-दृश्यकर असत्यमें रहनेका प्रयास है। चूँकि दिलका आखिरी समाधान तो सत्य-ज्ञानके द्वारा ही हो सकता है, अिसलिये न तो युसे कभी सच्चा समाधान ही प्राप्त होगा, और न वह निरालम्ब और निर्भय स्थितिको ही प्राप्त हो सकेगा। अिसलिये श्रेयार्थीको चाहिये कि वह अिस संघर्षकी ओर भक्तिभावके डाँवांडोल होनेकी जोखम अुठा करके भी सत्यको जानने और अुसपर दृढ़ रहनेका साहस करे। यदि अुसमें सच्ची भक्ति अुदय हुअी होगी, तथा दूसरी कोमल भावनायें भी पोषित हुअी होंगी, तो अुसकी भक्ति-भावना अधिक समयतक डाँवांडोल न रहेगी, वल्कि फिरसे सल्ल-स्वरूपके प्रति प्रकट होगी, और सो भी अधिक शुद्ध रूपमें।

परन्तु विचार करनेसे मालूम होगा कि बुद्धि और अद्वामें यह जो संघर्ष होता है, और दोमेंसे ऐकके कुचले जानेका जो भय उत्पन्न होता है, अुसका कारण परमात्माके विषयमें शुरूसे ही वनी और दृढ़ हुअी हमारी गलत क्ष्यनायें हैं। अिसलिये पहलेसे ही यह विचार कर लेना बहुत आवश्यक है कि परमात्माके आलम्बनका सत्यकी ओर अधिकाधिक छुकता हुआ स्वरूप कैसा होना चाहिये। अिस कारण, अब मैं तत्त्व-ज्ञानकी सूक्ष्म चर्चाओंमें अधिक पड़े त्रिना ही अुसके कुछ अंशोंका विचार अिस तरह करना चाहता हूँ कि जिससे सामान्य बुद्धि द्वारा भी वह ग्रहण किया जा सके।

जगत्का कारण

परमात्माके स्वरूपका विचार करनेपर पहला प्रश्न यह अठता है कि यिस तत्वके साथ जगत्का क्या सम्बन्ध है ? जो परमात्मामें विश्वास रखते हैं, उनके बहुत बड़े भागकी, और कभी अनुगमों और सम्प्रदायोंकी भी, यिस विषयमें ऐसी-अकल्पना है कि जैसे कुम्हार मिट्ठीसे घड़ा बनाता है और यिसलिये जिस तरह कुम्हार घड़ेका निमित्त कारण और मिट्ठी (सामग्री या मसाला-रूपमें) अुपादान कारण है, असी तरह परमात्मा जगत्का, कुम्हारके सदृश, निमित्त कारण है ।

किन्तु परमात्माके स्वरूपकी यह कल्पना गलत है, और कभी-न-कभी बुद्धिकी अुलझनें पैदा करती हैं। यिसलिये यिस कल्पनाको छोड़नेकी और परमात्माको जगत्का निमित्त कारण नहीं, वल्कि अुपादान कारण समझनेकी आदत डालनेकी सबसे पहले आवश्यकता है। यह नहीं कि विश्वसे दूर वैठे परमात्मा नामक किसी प्रतापी सत्वके द्वारा किसी तरह यिस जगत्का निर्माण हुआ है, वल्कि यह समझना चाहिये कि यह जगत् परमात्मामेंसे और परमात्माका ही बना हुआ है, युसमें ही स्थित या बसा हुआ है, और अुसमें ही लीन हो जाता है ।

जब हम यह मानना चाहे हैं कि परमात्मा जगत्का निमित्त कारण है, तो असके साथ ही असके सम्बन्धकी कितनी ही कल्पनायें अपने आप खत्म हो जाती हैं; जैसे, परमात्मा आसमानके परे किसी दिव्य धाममें रहता है, असका एक खास आकार या रूप है, युस धामकी रचना और शोभा अमुक प्रकारकी है, वह खास प्रकारके दिव्य गुणोंसे पूर्ण है, आदि आदि ।

विचार करनेसे मालूम होगा कि परमात्माके आकार, धाम आदिके सम्बन्धमें कोअभी भी धारणा केवल कल्पना ही हो सकती है, और यिसलिये कल्पना करनेवालेकी रचनेके अनुसार विविध प्रकारकी हो सकती है। ऐसी कोअभी कल्पना श्रद्धाके संस्कारपर अंवलम्बित रहती है, और जिस तरह

वह प्रमाणका विषय नहीं हो सकती, असी तरह स्वयं-सिद्ध प्रतीतिका भी नहीं। किन्तु हमने तो औपर बताया है कि परमात्मा स्वयं-सिद्ध सच्चाके रूपमें प्रतीतिका विषय हो सकता है।

परमात्मा जगत्का अुपादान-कारण है,—जगत् ऐक परमतत्वमेंसे पैदा हुआ है, असीमें स्थित है और असीमें लीन हो जाता है—अिस विचारसे यह भी स्वचित हो जाता है कि परमात्मा सर्वव्यापक और विभु है। संसारमें छोटी-बड़ी जितनी वस्तुयें हैं, वे सब ‘अंशावास्त्य’ हैं—परमात्मासे वसी हुओ हैं—यह बात तभी अच्छी तरह फलित होती है, जब हम असे जगत्का अुपादान-कारण समझें।

परन्तु अुपादान-कारणके रूपमें परमतत्वका विचार करते हुओ यह शंका भी हो सकती है कि यह तत्व जड़ है। और, कभी विज्ञान-शास्त्रियों और दार्शनिकोंका ऐसा मत है भी कि अनेक अथवा ऐक क्रियावान जड़ तत्वसे अिस जगत्का निर्माण हुआ है। परन्तु थोड़ा ही विचार करनेसे अिस शंकाका समाधान हो जाता है। हम नित्य ही देखते हैं कि कार्यमें जो-न्जो शक्तियाँ दिखाआई पड़ती हैं, वे सब वीज-रूपमें अुसके अुपादान-कारणमें अवश्य होनी चाहिए। वीजमें वृक्ष दिखाआई नहीं देता, फिर भी अस वृक्षका निर्माण होनेके लिये जिस प्रकारकी शक्ति आवश्यक है वह वीजमें अवश्य होनी चाहिए। असी प्रकार चेतना-युक्त प्राणियोंका अस्तित्व यह दिखलाता है कि अनुके अुपादान-कारण-रूप मूल तत्वमें चैतन्य-शक्ति अवश्य होनी चाहिए। अब चूँकि वह वीज-रूप है, अिसलिये स्पष्ट न दिखाआई दे, तो अिसमें आश्चर्यकी जात नहीं। परन्तु अिससे तो अल्प यह फलित होता है कि जिन्हें हम जड़ पदार्थ समझते हैं वे भी केवल जड़ या अचित् नहीं हो सकते। और, अिस विचारमें कोबी दोप नहीं है। अिस सम्बन्धमें अधिक विचार हम साल्य खण्डके १३वें प्रकरणमें करनेवाले हैं, अिसलिये यहाँ अधिक गहराओंमें जानेकी जास्त नहीं।

तो अब अिस प्रकरणके अन्तमें हम अितना कह सकते हैं कि श्रेयार्थीका आलम्बन-रूप परमात्मा जड़ नहीं, बल्कि चेतन, सर्वव्यापक, विभु और जगत्का अुपादान-कारण है। जगत् साकार दिखाआई देता है, अिसलिये यदि यह कहें कि असके कारण-रूप परमात्माका कोअी आकार

होना चाहिए, तो अुसकी व्याख्या भूमितिके विन्दुकी तरह वतानी पड़ेगी। भले ही ऐसी कोअी व्याख्या की जायें, पर वह निश्चयोगी होगी। और, अुसके सिवा किसी दूसरे आकारका आरोपण विलकुल कल्पना ही होगा। फिर, आकार वस्तुतः क्या है, अिसका जो विचार सारख्य खण्डके छठे प्रकरणमें किया गया है अुससे भी परमात्मामें किसी प्रकारके आकारकी कल्पना करना अनुचित मालूम होगा। यह कल्पना भ्रमकारक होती है, अिसलिए अिस भूलको हमें छोड़ ही देना अुचित है।*

४

चित्त और चैतन्य

पिछले प्रकरणमें हम यह मानकर चले हैं कि परमात्मा चिद्रूप — चैतन्य-स्वरूप — है। 'चेतन' शब्दके साथ हमें ज्ञान और क्रियाका ख्याल आता है। अिससे अुल्टा शब्द 'जड़' है। जिस वस्तुमें हमें ज्ञान-शक्ति और अपने-आप क्रिया करनेकी शक्ति मालूम नहीं होती, अुसे हम 'जड़' कहते हैं। हम सबकी यह धारणा है कि ये दोनों शक्तियाँ चेतनके धर्म (लक्षण) हैं, और चूँकि ये दोनों धर्म हमारे अन्दर मौजूद हैं, अिसीसे हम निःशंक स्पसे मानते हैं कि हम 'जड़' नहीं, बल्कि 'चेतनायुक्त' हैं।

जब मनुष्य मर जाता है, तो अुसके अवशिष्ट शब्दमें हमें यह ज्ञान और क्रिया-शक्ति नहीं दिखाओ देती, अिसीसे हम अुस शरीरको निश्चेतन बना हुआ बताते हैं। और अुसके बाद अुसे हम अेक जड़ पदार्थ ही मानते हैं।

जीवित शरीरमें दीखनेवाली अिस ज्ञानबान और क्रियाबान शक्तिको हम चैतन्य या जीव कहते हैं। खुद अपने या अपने प्रियजनोंके शरीरके प्रति कितना ही मोह या अभिमान हमें क्यों न हो, परन्तु यह स्पष्ट है कि अुस स्थूल शरीरकी अपेक्षा अुसमें स्थित अदृश्य चेतना-शक्तिके प्रति हमारे

* परमात्माको 'निराकार' विशेषण लगाना भी मुझे शुचित नहीं मालूम होता। यह कहना अधिक यथार्थ होगा कि वह आकार-मात्रका आश्रय है।

मनमें अधिक ममता रहती है। हमारे शरीरके जिस भागसे यह चेतना-शक्ति निकल जाती है, हम अुसकी सार-सँभाल करना नहीं चाहते। अपने अत्यन्त प्रियजनोंके शरीरको भी (आग, क़ब्र, नदी आदिमें या वैसे ही) छोड़नेमें हमें हिचकिचाहट नहीं होती। अिसका यह अर्थ हुआ कि शरीरके प्रति हमारे मनमें जो 'मैं'-पन या ममता है वह स्वतंत्र रूपसे नहीं है, वल्कि अुसमें स्फुरित चेतना-शक्तिके कारण है; और जबतक वह दिखायी देती है तभीतक है। शरीरके प्रति जो आत्मत्व — अपनापन — हमें मालूम होता है अुसकी अपेक्षा अधिक आत्मत्व हमें अिस चेतनाके साथ ल्पाता है, और अिसीलिए हम कहते हैं कि जो चैतन्य है वही 'मैं' — अर्थात् आत्मा — है। शरीर 'मैं' — आत्मा — नहीं।

अिस प्रकार चैतन्यका अस्तित्व हमारे सामने दो तरहसे दिखायी देता है; अेक सजीव प्राणियोंके शरीरमें प्रतीत होनेवाला, और दूसरा स्थावर-ज्ञाम तथा जड़-चेतन सारी सुषिर्में व्याप्त। हमारे शास्त्रोंमें पहलेके लिये जीव अथवा प्रत्यगात्मा और दूसरेके लिये परमात्मा, परमेश्वर, ब्रह्म आदि शब्दोंका व्यवहार होता है।

अिनमें पहले हम जीव अथवा प्रत्यगात्माका विचार करेंगे। प्रत्यगात्मा अथवा शरीरमें स्फुरित चैतन्य मनुष्य-शरीरके साथ जुड़ा हुआ है। अिसलिए अेक तरफसे अुसकी ज्ञान और क्रिया-शक्ति कुछ विशेष प्रकारसे प्रकट होती हुओ दिखायी देती है, और दूसरी तरफ अुसी कारणसे वह मर्यादित भी ज्ञान पड़ती है।

४३

अिसकी विशेषतायें अिस प्रकार हैं—

१. यह चैतन्य किसी-न-किसी प्रकारके विषयको ही लक्ष्य करके ज्ञानवान् या क्रियावान् होता हुआ दिखायी देता है। अेकके बाद दूसरा और दूसरेके बाद तीसरा अिस प्रकार अिन विषयोंकी परम्पराका प्रवाह अेक-सा चलता ही रहता-सा प्रतीत होता है। विषय शुद्ध हो या अशुद्ध, शरीर-सम्बन्धी हो या जगत्-सम्बन्धी, स्थूल — अिन्द्रिय-गम्य — हो या सूक्ष्म — मनोगम्य* — हो, अिस चैतन्यको हम विषय-सम्बन्धसे रहित अवस्थामें

* शुद्धादर्णार्थ — हर्ष, शोक आदि भावनायें; स्वप्न, भ्रम आदि अनुभव; अनुपान, निश्चय, संशय आदि तर्क; गणित; कवित्व आदि मानसिक शक्तियाँ, आदि।

कभी नहीं देखते।* अिस कारण प्रत्यगात्मा विषय-रहित केवल ज्ञान-शक्ति या क्रिया-शक्तिके रूपमें नहीं दिखाओ देता; वल्कि ज्ञाता और कर्ता-रूपमें प्रतीत होता है। अिसलिये जब हम यह कहते हैं कि ‘मैं आत्मा हूँ’; तब हमारा मतलब यह होता है कि ‘मैं ज्ञाता और कर्ता हूँ — कुछ जाननेवाला और कुछ करनेवाला हूँ’।

२. फिर, विषय-सम्बन्धके कारण तथा ज्ञान और क्रिया-शक्तिके फल-स्वरूप हमें अपने अन्दर दूसरे दो धर्म और भी मालूम पड़ते हैं: एक अच्छाधर्मित्वका और दूसरा भोक्तृत्वका। यानी हमें केवल यही नहीं प्रतीत होता कि ‘मैं ज्ञाता और कर्ता हूँ’, वल्कि यह भी अनुभव होता है कि ‘मैं अच्छा-धर्मी हूँ यानी काम — संकल्प — वासनावान हूँ, और विषयोंका भोक्ता हूँ’।

३. अच्छाधर्मित्व और भोक्तापन या अिन दोनोंके परिणाम-स्वरूप अिन अच्छाओंकी शुद्धाशुद्धताके विचारसे और सुखदुःखादि भावोंसे हमारा सम्बन्ध अनिवार्य हो जाता है। अर्थात् हम अपनेको ‘मैं अच्छा हूँ, मैं पापी हूँ’, ‘मैं सुखी हूँ, मैं दुःखी हूँ’, आदि द्रन्द्रोंके रंगोंसे रँगा हुआ ही देखते हैं।

परन्तु अिस सम्बन्धमें थोड़ा अधिक विचार करनेकी ज़रूरत है।

‘मैं ज्ञाता हूँ, मैं कर्ता हूँ, भोक्ता हूँ, अच्छावान हूँ’ — अिस भान या ज्ञानमें चैतन्य और विषयका सम्बन्ध तो है, परन्तु विषयके प्रकारका विचार शामिल नहीं है; किन्तु ‘मैं पुण्यवान हूँ, पापी हूँ, सुखी हूँ, दुःखी हूँ’ आदि ज्ञानमें केवल विषयके सम्बन्धका ही भान नहीं है, वल्कि विषयके भेदका अथवा विवेकयुक्त आत्मत्वका भी भान है। अिस प्रकार जब भेद अथवा विवेकका ख्याल शामिल हो जाता है तब उसे हम चित्त कहते हैं, और चैतन्यसे अलग समझनेका प्रयत्न करते हैं।

* ‘योगाभ्यासके विना’ ये शब्द मुझे यहाँ जोड़ने चाहियें; परन्तु यहाँ हम योगाभ्यासियोंका विचार नहीं कर रहे हैं। स्थूल दृष्टिसे जिन्ना समझ सकते हैं अुतनेका ही विचार कर रहे हैं।

आत्मज्ञानके अुपदेशक प्रायः हमें बताते हैं कि अिच्छाओंकी शुद्धाशुद्धता तथा भावोंकी विविधताके साथ आत्मत्व — अपनापन — न मानना चाहिए। वे कहते हैं कि ये तो चित्तके धर्म हैं, चैतन्यके नहीं। लेकिन जबतक वासनाओं और भावनाओंकी शुद्धि होकर अुचित रीतिसे अुनका अन्त नहीं आता, तबतक चाहे कितना ही प्रयत्न किया जाय तो भी यह अुपदेश दिलमें टिक ही नहीं पाता। कभी-न-कभी जाग्रतिमें या स्वप्नमें, बार-बार नहीं तो अेकाध बार ही, हमें महसूस होता ही है कि ये वासनायें और भाव हमसे अलग नहीं हैं। सारांश, हमको सिफ़ ‘ज्ञाता, कर्ता, भोक्ता, अिच्छावान’ आदि भानयुक्त चैतन्यमें ही आत्मत्वका अनुभव नहीं होता, वल्कि ‘पुण्यशील, पापी, सुखी, दुःखी’ अित्यादि भानयुक्त चित्तके साथ भी अुसकी प्रतीति होती है। दूसरे शब्दोंमें कहना चाहें तो हम यह कहें कि ‘मैं चित्त हूँ’, या यह कि ‘मैं आत्मा हूँ’; पर जबतक यह चित्त संशुद्ध नहीं हो गया है, तबतक अिन दोनों वाक्योंका तात्पर्य अेक ही होता है। * वेदान्तके अुपदेशक चाहे कितना ही समझायें, फिर भी लाखों मनुष्योंके लिअे तो ‘प्रत्यक्ष आत्मा’ चित्त-रूप ही रहता है, और अिसीलिअे वे आत्म-शुद्धि, आत्म-विकास, आत्मोद्धार आदि शब्दोंका प्रयोग करते हैं।

अिस प्रकार चैतन्यकी ज्ञान और क्रिया-शक्ति सजीव शरीरके सम्बन्धमें ज्ञाता, कर्ता, भोक्ता, अिच्छावान, वासनावान तथा भाववान, संक्षेपमें चित्त-रूप प्रतीत होती है।

अब शरीरके सम्बन्धके कारण अुसमें दिखाओ देनेवाली मर्यादाओंका विचार करें।

१. शास्त्रोंमें जो सिद्धियाँ और विभूतियाँ बतायी गयी हैं अुन सभीको कोअी मनुष्य प्राप्त कर ले, तो भी वे ज्ञान और क्रिया-शक्तिका किन्चित् अंश ही होती हैं। मनुष्य जितना जानता है या जितना कर सकता है, अुसकी अपेक्षा जो वह नहीं जानता और नहीं कर सकता है, वह

* अिसीसे कभी जगह मन या चित्तके लिअे भी शास्त्रोंमें ‘आत्मा’ शब्दका प्रयोग होता है।

बहुत अपार है।* अिसी प्रकार अुसका भौत्कापन, अुसकी वासनायें और अुसके भाव भी मर्यादित हैं। अिसमें दो प्रकारकी मर्यादायें पायी जाती हैं, एक विविधताकी इष्टिसे और दूसरी अंशत्वकी इष्टिसे। अिस कारण प्रत्यगात्मा, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्, सर्वव्यापक, विश्वका अुपादान-कारण-स्वप और विभु नहीं मालूम होता, बल्कि अल्प और अणु मालूम होता है।

२. फिर, यह भी याद रखा जाय कि यह मर्यादा स्थिर नहीं, बल्कि नित्य वदलती रहती है। प्रत्यगात्मामें ज्ञान, क्रिया आदि सब शक्तियाँ वहती-घटती रहती हैं, अिससे चित्त निरन्तर, ऐकरूप नहीं दिखाऊी देता, बल्कि नित्य नयी स्थितिमें प्रवेश करता हुआ प्रतीत होता है।

३. अिसका कर्त्ता-भोक्तापन तथा अिच्छा-बल चाहे कितना ही महान् और वार-वार यशस्वी हुआ दिखाऊी देता हो, फिर भी अुसमें स्वाधीनता नहीं मालूम होती। यह सिद्धि अुन संयोगों और शक्तियों पर भी अवलम्बित है, जो प्रत्यगात्मासे वाहर हैं। अिन सब वाह्य शक्तियों और संयोगोंको ऐकत्र-स्वप्से दैव कहिये, परमात्मा कहिये, या व्यापक चैतन्य कहिये, प्रतीत यह होता है कि प्रत्यगात्मा अिस परम चैतन्यके अधीन है।

* जैसे, अिस वातको जाननेवाला कोअी मिल जायगा कि दूसरेके मतमें अिस समय क्या चल रहा है; परन्तु खुद अपने मनमें दस मिनट बाद कौन-सा विचार स्फुरित होगा, सो वह न कह सकेगा। जीवनका अनुभव वताता है कि मनुष्य चाहे कितनी ही विद्ता, तुद्धि, वैज्ञानिक शोधमें प्रवीणता या योग-सिद्धि प्राप्त कर ले, फिर भी ऐक मनुष्य दूसरेको परिपूर्ण माननेमें समर्थ नहीं होता। ऐसा ही सकता है कि पचास-साठ सालतक ऐक साथ रहे हों, फिर भी ऐक-दूसरेको अच्छी तरह न पहचान पाये हों। यह तो ज्ञानकी साधारण मर्यादा हुबो। कर्त्तृत्वके विषयमें यदि कोअी दौड़नेकी अत्यन्त शक्ति प्राप्त कर ले, तो अुत्की अुड़नेकी शक्ति मर्यादित हो जाती है। यदि साधनोंमें शक्ति ढालते हैं, तो खुदकी शक्ति कम ही जाती है। फिर, सटिकी अुलति, स्थिति और लय करनेकी शक्ति मर्यादित है, और ज्ञानकी गहराईमें ज्यों-न्यों अुतरते हैं, त्यों-न्यों अुतका क्षेत्र विस्तृत ही विस्तृत होता दिखाऊी देता है।

ऐस प्रकार जो व्यक्ति श्रेयके अन्ततक नहीं पहुँचा है, वल्कि अभी श्रेय-मार्गका पथिक ही है जुसे अपने चित्तमें ही यह तत्त्व प्रतीत होता है। ऐस आत्मत्वमें चैतन्यका निश्चय तो है, परन्तु यह चैतन्य जुसे अल्पज्ञ, अल्पशक्तिमान्, अणु, अस्थिर, शुभ-अशुभ, सुख-दुःख, आदि भेदोंके ज्ञानसे युक्त और पराधीन मालूम होता है। फिर, यह प्रत्यगात्मा जितने क्षेत्रपर व्याप्त दिखाओ देता है जुससे अनन्त गुणा अधिक क्षेत्र औसा बाकी रह जाता है, जिसपर चैतन्यकी व्याप्ति तो दिखाओ देती है, परन्तु प्रत्यगात्माकी नहीं। ऐस शेष, भासमान, अनन्त, चैतन्यमें भले ही असंख्य प्रत्यगात्मायें हों, परन्तु युस अनन्तको अपने प्रत्यगात्मासे पृथक् समझकर युसे परमात्मा, परमचैतन्य, परमतत्त्व, परमेश्वर आदि नामोंसे वह सम्बोधित करता है।

प्रत्यगात्मा जिन-जिन विषयोंके तथा विश्वकी शक्तियोंके सम्बन्धमें आता है वे युसे अपनेसे भिन्न मालूम होती हैं, और युनका भला-बुरा असर युसपर होता है। कोई श्रेयार्थी हो या न हो, किन्तु वह अन्मेंसे कुछ विषयों और शक्तियोंका सम्बन्ध या सम्पर्क चाहता है, और कुछका नहीं। अन सब विषयों और विश्वकी शक्तियोंका अुपादान-कारण वह परमचैतन्य — शान-क्रियामयी शक्ति — ही है; और अिसलिए वह परमचैतन्य, परमात्मा युसे अपनी भिन्न-भिन्न वासनानुसार भिन्न-भिन्न रीतिसे चाहने योग्य (अष्ट), पहुँचने योग्य (अुपास्य), पसन्द करने और प्रेम करने योग्य (वरेष्य) तथा अधीन होनें योग्य (शरण्य) प्रतीत होता है। अिस तरह चित्त-चैतन्यके लिए यह परमचैतन्य आलमन-स्वरूप हो जाता है। अिस परमात्माको, जैसा कि यहाँ कहा है, चैतन्य-स्वरूप माने या जड़-स्वरूप (प्रकृति); वह युसकी जिस शक्तिको चाहता है और जिसकी अुपासना करता है, युसे एक भिन्न, स्वतन्त्र, देवता माने, या एक ही परमात्माकी विभूति माने, वह युसीका आलमन लेता है। ज्यो-ज्यों वह विचारकी गहराओंमें पहुँचता जाता है, त्यों-त्यों युसकी मान्यतामें रहे दोष कम होते जाते हैं।

अिस प्रकार हमने अिस प्रकरणमें प्रत्यगात्मा और परमात्माके लिए जो विशेषण निर्दित किये वे अिस प्रकार हैं —

प्रत्यगात्मा

१. विषय-सम्बन्ध होनेसे ज्ञाता, कर्ता और भोक्ता है।

२. कामना तथा संकल्प-मुक्त है।

३. पाप-पुण्यादि और सुख-दुःखके विवेकसे युक्त और अिसलिये लिस है।

४. ज्ञान-क्रियादि शक्तियोंमें अल्प अथवा मर्यादित है।

५. पूर्ण स्वाधीन नहीं है।

६. अिसकी मर्यादायें नित्य परिवर्तनशील होनेसे स्वरूप-दृष्टिसे नहीं, किन्तु विकास अथवा सापेक्ष दृष्टिसे परिणामी है।

७. 'मैं'-रूपमें प्रतीत होता है।

८. अुपासक है।

परमात्मा

१. विषय और प्रत्यगात्मा दोनोंका अुपादान-कारण-रूप, ज्ञान-क्रिया-शक्ति है। ज्ञातापन, कर्तापन, और भोक्तापनके भानका कारण अथवा आश्रय है।

२. कामना अथवा संकल्प (अथवा व्यापक अर्थमें कर्म)की फल-प्राप्तिका कारण है। और अिस अर्थमें कर्म-फल-प्रदाता है।

३. अलिप्त है।

४. अनन्त और अपार है।

५. तंत्री या स्वतंत्र है।

६. अपरिणामी है, और परिणामोंका अुत्पादक कारण है।

७. 'वह'-रूपमें प्रतीत होता है, और अिसलिये 'तू'-रूपसे सम्बोधित किया जाता है।

८. अुपास्य, अेष्य, वरेण्य और शरण्य है।

सगुण ब्रह्म — अुपासनाके लिये

पिछले प्रकरणमें हमने देखा है कि चित्त अथवा प्रत्यगात्मा, संकल्प अथवा कामनायुक्त, पाप-पुण्यादि और सुख-दुःखादिके विवेकसे युक्त और अिसलिये लिये है, और परमात्मा संकल्पकी सिद्धि या कर्म-फल-प्राप्तिका कारण-रूप और अलिये है। अिसके अलावा, परमात्मा प्रत्यगात्मा अथवा चित्तका आदर्श — अुपास्य — प्राप्तव्य है।

आत्माके स्वरूपका विचार करते हुये अुपनिषदोंमें कहा है कि आत्मा केवल संकल्पवान और कामनायुक्त ही नहीं, बल्कि वह सत्य-काम और सत्य-संकल्प है, अर्थात्, अपनी अिच्छाको सत्य करनेकी अुसमें शक्ति है, अथवा वह जो अिच्छा करता है सो सिद्ध होती है। अिस वचनकी सत्यता पर किसीको सन्देह हो सकता है, परन्तु विचार करनेसे जान पड़ेगा कि मनुष्यके सब प्रकारके पुरुषाथोंके मूलमें तीन प्रकारके विश्वास रहते हैं। (१) मैं सत्य-काम, सत्य-संकल्प हूँ, अर्थात् यह विश्वास कि अन्यन्य-रूपसे मैं जिसकी अिच्छा करूँगा वह अवश्य प्राप्त कर लूँगा, (२) यह विश्वास कि मेरी कामनाकी पूर्तिके लिये विश्वमें अखूट सामग्री मौजूद है, और (३) यह विश्वास कि मुझमें अच्छा-तुरा समझनेकी विवेक-बुद्धि है।

अब अिनमेंसे प्रत्येकका हम सविस्तर विचार करेंगे।

चाहे मनुष्य जानता हो या न जानता हो कि मैं सत्य-काम, सत्य-संकल्प हूँ, फिर भी वह अिस विश्वासके आधारपर ही जीवनमें प्रयत्नशील रहता है। प्रयत्नके कभी बार निष्फल होनेपर भले ही वह अपनेको दैववादी कह दे, लेकिन जहाँ कोभी अुपाय अुसे सूझा कि वह तुरन्त अुसे आजमानेके लिये तैयार हो जाता है। यह सूचित करता है कि आखिरकार आत्माकी संकल्प-शक्तिपर अुसका दृढ़ विश्वास है।

जो वस्तु अपने पास नहीं है, अुसे प्राप्त करनेकी अिच्छाको सफल करनेके लिये वह जिस अखूट शक्तिपर आधार रखता है, अुसे वह चाहे

आधिभौतिक जड़ प्रकृतिका समुदाय मानता हो या परम-चैतन्य-शक्ति समझता हो, असुके अन्तस्तलमें यह गहरा विश्वास बैठा हुआ है कि शुभाशुभ वाञ्छित मनोरथोंको पूर्ण करनेवाली कोअी-न-कोअी अनन्त वस्तु अवश्य है।

अपनी विवेक-बुद्धि स्थूल हो या सूक्ष्म, दूसरे लोगोंकी दृष्टिसे वह भले ही असे सुखमें दुःख और दुःखमें सुख, श्रेयमें हानि और हानिमें श्रेय वतानेवाली मालूम होती हो; फिर भी अन्तको हर आदमी अपनी विवेक-बुद्धिसे ही यह अच्छा है, यह खराब है; यह शुद्ध है, यह अशुद्ध है; यह पाप है, यह पुण्य है; असी तरह, यह सुख है, यह दुःख है; यह हर्षदायी है, यह शोकदायी है; यह शान्ति है, यह अुद्वेग है; अित्यादि निश्चय करता है। अपनी सिद्धि-असिद्धि तथा पुरुषार्थमें यही असे माप-दण्डका काम देती है। असे बुद्धिके अनुसार ही वह सुखकी अिच्छा करता है और सुखका मूल्य ठहराता है। सुख-सम्बन्धी अपने मूल्योंके अनुसार वह धन, अधिकार, शक्ति, गुण, संस्कार, अित्यादि विभूतियोंकी अिच्छा करता है; अन अिच्छाओंके परिणामोंके अनुभवसे असकी बुद्धिमें फँके पड़ता है, जिसके फल-स्वरूप असके सुख-विषयक मूल्य बदलते हैं, वासनाओंका स्वरूप भी बदलता है, और पुरुषार्थमें भी फँके पड़ जाता है। परन्तु यों बार-बार बदलते रहनेपर भी वह अपनी विवेक-बुद्धिका ही विश्वास करता है। जहाँ दूसरोंकी बुद्धिका अनुसरण करता है, वहाँ वह अस व्यक्तिकी विश्वासपात्रता अपनी बुद्धिसे ही ठहराता है। अस तरह खुद अपनी बुद्धिके सिवा दूसरा कोअी माप-दण्ड असके पास है ही नहीं।

अस प्रकार अपने सत्य-संकल्पत्वमें विश्वास, संकल्प-सिद्ध करनेवाले अक्षय्यतत्त्वमें श्रद्धा, और अपनी विवेक-बुद्धिको सूक्ष्म और सत्यदर्शी बनानेकी अिच्छा मनुष्य-मात्रमें पायी जाती है।

अब जो श्रेयार्थी है, असमें स्वानुभवसे, सद्ग्रन्थोंके पठनसे और महापुरुषोंकी संगतिसे तथा दूसरोंके जीवन-चरित पढ़ने और सुननेसे अपनी अिच्छाओं और प्रतीतियोंकां स्वरूप कुछ नीचे लिखे अनुसार बना होता है—

१. परमात्माके सदृश ही अपनी शुद्धि और अल्पिता सिद्ध हो, और वह परमात्माको पूर्ण रूपमें पहचान ले, और अुस तक पहुँचता जाय।*

२. अिसके लिये अपनी विवेक-शुद्धिका अुत्तरोत्तर विकास और शुद्धि हो।

३. चित्त-शुद्धिका अपना प्रयत्न दृढ़ और सफल होता जाय।

४. सत्य, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, क्षमा, दया, तेजस्विता, वैराग्य आदि व्रतों और गुणोंका विवेकयुक्त अुत्कर्ष होकर अुनकी परिपूर्णता हो; ये शुद्धिके लक्षण हैं।

५. सेवा, दान, परोपकार, न्याय, निर्वलकी रक्षा, आदि सत्कर्मोंमें अुत्साह; यह संशुद्धिकी साधना है। और,

६. परमात्माकी अक्षय शक्तिमेंसे अपने लिये पोषक सामग्री प्राप्त करनेके वास्ते अुसकी अुस दृष्टिसे योग्य विभूतिका अेकनिष्ठासे चिन्तन; यह परमात्माकी भावना है।

अिस प्रकार देखनेसे मालूम होगा कि यद्यपि जगत्‌में जो कुछ सुख-दुःख, शुभ-अशुभ, शुद्ध-अशुद्ध, पाप-पुण्य, गुण-कर्म या वस्तु हैं, अुस सबका आधार परमात्मा ही है; दैवी शक्ति-जैसा प्रतीत होता हो, या आसुरी शक्ति-जैसा — दोनोंके लिये परमात्मा ही अक्षय शक्तिका भण्डार है; फिर भी श्रेयार्थिके लिये परमात्माकी वे सब विभूतियाँ या शक्तियाँ चिन्तन करने या प्राप्त करने योग्य नहीं, वल्कि अुनमेंसे केवल शुद्ध और शुद्धिकारक विभूतियाँ और शक्तियाँ ही चिन्तन और प्राप्त करने योग्य हैं।

‘भगवान तो ब्रह्मचारी भी है और व्यभिचारी भी है, सत्यवान भी है और धूते भी है, अुदार भी है और कंजूस भी है, क्रोधी भी है, और क्षमावान भी है,’ आदि वातें कही जाती हैं। कहनेवाले अितने ही पर खृत्म नहीं करते, वल्कि यह भी कहते हैं कि ‘अिसलिये शुभाशुभ, पवित्रापवित्र, यह सब कल्पना है, माया है’; या यह कहते हैं कि ‘यह सब भगवानमें हैं और भगवान्-सूलक है, अिसलिये सब-कुछ पवित्र ही हैं।’ और अिन वातोंको हृदयमें अच्छी तरह जमा देनेके लिये श्रीकृष्णको

* देखिये—“सत्त्वपुरुपयोः शुद्धिसाम्ये कैवल्यन्।” (योगसूत्र ३ : ५५) नत्य (चित्त) और पुल्प (परमतत्त्व)की समान शुद्धि ही कैवल्य (मुक्ति) है।

व्यभिचारी, धूर्त, भीरु, अत्यादि बताकर अनुके ऐसे कर्मोंको पवित्र माना गया और अनुके श्रवण-कीर्तनपर जोर दिया गया है।

परन्तु यह परमात्माके चिन्तनका विपर्यास है। जगत्में अनुत्तिका जो क्रम पाया जाता है अुसकी अिसमें अवगणना की गयी है। परमात्मा शुभाशुभ सब गुणों, विभूतियों,* शक्तियोंका भण्डार या वीज है, यह सच है; परन्तु फिर भी, श्रेयार्थीको अनुमेंसे अन्हीं गुणों, विभूतियों या शक्तियोंका चिन्तन योग्य समझना चाहिये जो अुसकी सत्त्व-संशुद्धिमें अुपयोगी हों। जो गुणादि अपनी विवेक-बुद्धिको दुःख-रूप, अशुद्ध या अनिष्ट दिखाक्षी देते हैं, और अिसलिये जो अपने अन्दर होनेपर भी त्याज्य मालूम होते हैं, अनुके चिन्तनकी जस्तरत नहीं, वल्कि जिनका विकास करना अभीष्ट है अन्हींका चिन्तन करना आवश्यक है।

शुभ और अशुभसे युक्त यह सारा विश्व 'अीशावास्य' है, यह ज्ञान और चिन्तन, अहिंसा, समता, दया, पूज्यता, सहिष्णुता वर्येरा भावनाओंके लिये अुपयोगी है। परन्तु जिसका निरन्तर अनुसन्धान और चिन्तन करना है, जिसके लिये पुरुषार्थ, प्रार्थना, ध्यान, अभ्यास आदि करना है, वह तो अशुद्ध विभूतियों और शक्तियोंका त्याग है, शुद्धकी प्राप्ति और विशेष शुद्धि तथा अुसका परहितार्थ अुपयोग है।

अिस प्रकार, अुदाहरणके लिये, 'नक्षत्रोंका अगुआ चन्द्र में हूँ'—परमतत्त्वकी अिस विभूतिका ज्ञान भले ही हो, परन्तु अिसकी सृष्टिका विशेष अुपयोग नहीं; 'जलजीवोंका आदर्श स्वरूप मगर मैं हूँ'—अिसका ज्ञान और सृष्टि अिस वातकी याद दिलानेके लिये अुपयोगी है कि विश्वमें अुकान्ति जैसा कोअी एक नियम है; शायद अहिंसा-धर्मका भान करानेमें

* विभूतिका अर्थ है, विशेष रूपसे भूत्ति। जगत्में जो कुछ प्रकट रूपसे दिखाओ देता है अुसमें जहाँ कहीं कोभी विशेषता है, वह अुस शक्तिकी विभूति है। परमात्माकी शक्तियाँ जहाँ-जहाँ अिस प्रकार विशेष रूपसे प्रकट हुभी दिखाओ पड़ती हैं कि अुनको तरफ तुरन्त हमारा ध्यान चला जाता है, अुन्हें हम विभूति कहते हैं। जैसे, (भौगोलिक स्थानोंमें) हिमालय, गंगा; (आकाशमें) सूर्य, चन्द्र; (प्राणियोंमें) तिढ़, मगर; (मनुष्योंमें) राम, कृष्ण, अर्जुन, बुद्ध, शिवाजी, शंकराचार्य आदि भिन्न-भिन्न छहिसे।

भी यह अुपयोगी हो सकता है, परन्तु चित्तके विकासके लिये अिस विभूतिका कोभी अपयोग नहीं। ‘प्राणियोंका सृजनहार काम में ही हूँ’, और ‘उग विद्याओंका राजा जुआ मैं ही हूँ’, यह बात सच है; फिर भी ऐयाथके लिये ये दोनों त्वाज्य हैं। किन्तु ‘सेनानियोंका आदर्श स्वन्द मैं हूँ’, ‘महर्षियोंका आदर्श भगु मैं हूँ’, ‘कीर्ति, श्री, वाक्, सृति, मेघा, धृति, क्षमा मैं ही हूँ’, ‘मुनियोंका मुखिया व्यास मैं हूँ’, ‘प्रतिभावानोंमें श्रेष्ठ पुरुष शुक्र मैं हूँ’, अथवा ‘कारुणिकोंका आदर्श बुद्ध मैं हूँ’, ‘अहिंसकोंका आदर्श महावीर मैं हूँ’, ‘सत्यवादियोंका आदर्श हरिश्चन्द्र मैं हूँ’, ‘धर्मचारियोंका आदर्श राम मैं हूँ’, ‘धीर सेवकोंका आदर्श हनुमान मैं हूँ’, ‘कर्मयोगियोंका आदर्श कृष्ण मैं हूँ’, आदि विभूतियोंका चिन्तन और अनु विभूतियोंके मूलमें स्थित शक्तियोंके विकासका प्रयत्न अुचित रूप और स्थानमें आवश्यक हो सकता है।

अिस तरह व्योरेवार कहें तो सत्त्व-संशुद्धिके लिये और अपने जीवनको बनानेके लिये परमात्माका नीचे लिखे अनुसार चिन्तन और अनुकरण अुचित होगा।

परमात्मा पूर्ण है, अत्यन्त शुद्ध है, किसी प्रकारकी मलिनता अुसे स्पर्श नहीं करती।

वह पूर्णकाम है और निष्काम है। अुसके लिये कुछ करने योग्य या प्राप्त करने जैसा बाकी नहीं रहा।

फिर भी, लोक-कल्याणके लिये, संसारमें अव्यवस्था न फैले और समाजका नाश न हो, अिसलिये वह जगत्के चक्रको नियमित रूपसे और एक क्षणका भी आलस्य किये विना चलाता रहता है, और अिस तरह लोगोंको अनासक्षिपूर्वक तथा यज्ञ-निर्मित कर्मयोगके आचरणका अुपदेश करता है।

फिर, यह परमात्मा निरन्तर धर्म-पालक है। विश्वके अचल नियमोंका वह रजके वरावर भी भंग नहीं करता। वह नियमसे सृजन करता है, नियमसे पालन करता है, और नियमके अनुसार ही संहार करता है। क्योंकि, धर्म-पालन अुसका स्वभाव ही है, अिसलिये वह धर्मकी जय और अधर्मके क्षयका कारण बनता है। मूँह मनुष्य जीवनके शाश्वत नियमोंका भंग करके अधर्मके मार्गसे चलनेका बारबार प्रयत्न करते हैं, परन्तु अनुके

प्रयास विफल होते हैं, क्योंकि परमात्माका धर्म-चक्र अकल्पित स्वप्से अुनपर फिर जाता है। सच पूछो तो, अधर्मयुक्त आचरण संसार-धर्मको अुत्पन्न करनेवाला एक नियम ही है।

अिस प्रकार परमात्माके धर्म-रक्षक और अधर्म-नाशक होते हुये भी अुसमें धर्मकि लिये पक्षपात या अधर्मकि प्रति द्वेषभाव नहीं। ब्राह्मण और चाण्डाल, पुण्यशील और पापी, गाय और कुत्ता, हाथी और गधा, बाघ और वकरी, सिंह और सियार, सोना और रँगा सबमें वह सम-स्वप है; न किसीमें अधिक व्यापक है, और न किसीमें कम। जितनी चिन्तासे स्वर्यमें रहकर वह स्वर्य-मण्डलकी रक्षा करता है, अुतनी ही चिन्तासे वह छोटी-सी अिछमें भी रहकर अुसकी जातिकी रक्षा करता है; जिस प्रकार वह एक बड़े समाजके मनोरथोंका फल-प्रदाता है, असी प्रकार छोटी-सी दीमकके मनोरथोंका भी है। प्रत्येकके हृदयमें ही रहकर वह अुसे जानता है, और अुसकी मुराद वर लाता है। समवृद्धि तो मानो परमात्माका ही दूसरा नाम है।

अिसी कारण परमात्मा देवोंका देव होते हुये भी दासानुदास कहलाता है; धर्मका रक्षक और अग्निसे भी अधिक पवित्र होते हुये भी पतित-पावन है; कठोर नियामक और शासक होते हुये भी क्षमा, दया और कर्णाका भण्डार है। अुसका दिया दण्ड भी हितकारी ही होता है। अिससे परमात्माको प्रेम-स्वरूप भी कहते हैं।

फिर, कर्त्त्वापने या ज्ञातापनके अभिमानका और 'मैं'-पनके भानका अुसे स्वर्ण नहीं। मैं परमेश्वर हूँ अथवा ब्रह्म हूँ, ऐसी कल्पनाकी छाया झुठने जितना भी ज्ञातापनका स्फुरण वह अपनेमें नहीं होने देता; आदि।

अिस तरह परमात्मामें गुणोंका आरोपण करता हुआ श्रेयार्थी अपने अन्दर अिसी प्रकारके गुणोंको बढ़ाने और चरित्रको विकसानेका प्रयत्न करे।

अिसीके साथ, गीतामें भिन्न-भिन्न स्थानोंपर 'स्थित-प्रज्ञ'के (अध्याय २), 'जीवन-मुक्त'के (अध्याय ५), 'भक्त'के (अध्याय १२), 'ज्ञानी'के (अध्याय १३), 'गुणातीत'के (अध्याय १४), और 'दैवी प्रकृति'के (अध्याय १६) जो लक्षण बताये गये हैं, अन्हें वह अपनेमें लानेका प्रयत्न करे।

सगुण ब्रह्म — भक्तिके लिये

थ्रेयार्थीकी सत्त्व-संशुद्धिकी दृष्टिसे पिछले प्रकरणमें परमात्माकी चिन्तन करने योग्य विभूतियोंका विचार किया गया। परन्तु चित्तकी भक्तिकी भूख बुझानेके लिये भित्तना विचार काफ़ी नहीं होता है। मनुष्य किसीका सहारा खोजता है, सो केवल अनुकरण और अुदाहरणके लिये नहीं; वहुधा यह हेतु गौण अथवा अदृश्य ही रहता है। अक्सर अपनेको सुख, यश आदिके प्राप्त होनेकी अवस्थामें जिसे नम्रतासे धन्यवाद दे सके, जिसको अुदृश्य बनाकर वह सत्कर्म करनेकी प्रेरणा पा सके और सर्वर्ण कर सके, अपने चित्तको शान्त करनेके लिये अथवा जब प्रसन्नता मालूम होती हो तब जिसकी महिमा और कृपाको याद करने और दुःख अथवा आन्तरिक कलहमें धीरज देनेवाला कोअी आधार प्राप्त करनेके हेतुसे, वह आलम्बनको खोजता है, वह अपनी पूज्यता, कृतशता और सर्वर्णकी भावनाओंका अनुभव कर सके, और सुख, शान्ति तथा धैर्य प्राप्त कर सके, जिसलिये उसे आलम्बनकी आवश्यकता रहती है।

अिस दृष्टिसे परमात्मामें किन्तु विशेषणोंका आरोपण किया जा सकता है, अिसका यहाँ विचार करेंगे।

पूज्यता, कृतशता और प्रेमकी भावनायें व्यक्त करनेके लिये — गीताके सातवें अध्यायके ४से १२ तकके इलेक यहाँ प्रस्तुत हो सकते हैं। यहाँ अनुका भावार्थ देना अनुचित न होगा —

“ पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश-रूपी पंच महाभूतोंका तथा मन, बुद्धि और अहंकार-रूपी तीन ज्ञानात्मक शक्तियोंका — अिस तरह भिन्न-भिन्न आठ प्रकारकी प्रकृतिका तथा जिन आठते भी अँचे प्रकारकी सब प्राणियोंमें जीव-रूपसे रहकर जगत्को धारण करनेवाली प्रकृतिका कारण यह परमात्मा ही है।

“ सब भूत जिस परमचैतन्यसे ही अुत्पन्न हुओ हैं, वही सारे जगत्‌की अुत्पत्ति और प्रलयका कारण है। जिससे परे, जिसका भी कारण-स्वप्न, और कोई नहीं है। ”

“ जैसे धारेमें मनके पिरोये हुओ होते हैं, वैसे ही सारा जगत् जिस तत्त्वमें पिरोया हुआ है। ”

“ प्रत्येक महाभूतमें अुसकी तत्त्व-स्वप्न मात्राके रूपमें यही परमतत्त्व है — पृथ्वीमें गन्ध-स्वप्नसे, अग्निमें तेज-स्वप्नसे, वायुमें स्फटा-स्वप्नसे और आकाशमें शब्द-स्वप्नसे। ”

“ सूर्य-चन्द्रमें किरण-स्वप्नसे, वाणीमें प्रणव-स्वप्नसे, मनुष्यमें पुरुषत्व-स्वप्नसे और सब प्राणियोंमें जीवन-स्वप्नसे वही है। ”

“ तपस्त्वियोंका तप वही है, त्रुदिमानोंकी बुद्धि, तेजस्त्वियोंकी तेजस्त्विता, वल्वानोंका काम और राग-रहित वल और प्राणियोंमें धर्मके अप्रतिकूल काम — यह सब अुस परमात्माके कारण ही है। ”

“ सर्व भूतोंका सनातन-नीज वही है। संसारमें जो कुछ सात्त्विक, राजस, तामस भाव हैं, वे सब अुसीके द्वारा हैं। ”

सुख, शान्ति और धैर्यके लिए — वह परमात्मा अत्यन्त ऋतु* है। अपने अविचल नियमोंके अनुसार ही सदैव क्रियावान है; ऋतु होनेके कारण विश्वके नियमोंके अधीन रहकर ही वह काम करता है। वह कभी अनृत (नियमोंको भंग करनेवाला) होता ही नहीं।

वह परिष्पूर्ण न्यायी है। सबमें समान रूपसे रहा है। अुसके लिए न कोई अपना है, न कोई पराया; न ऐक प्रिय है, न दूसरा अप्रिय। अुसके न्यायमें अपराधीके प्रति क्रोध व तिरस्कार नहीं, वल्कि दया, करुणा और कल्याणकी भावना है। जिसको वह दण्ड देता है अुसका भी आखिर तो हित ही होता है। जिसलिए अक्सर वह अपने भक्तके लिए,

* झूठके अर्थमें अनृत शब्द हमारे लिए परिचित है। ऋतु शब्द उाधारण साहित्यमें नहीं आता। ऋतुके अर्थमें केवल नत्य हो गमित नहीं वल्कि, अटल नियम (Law, Order)के अनुसार चलनेवाला और फेल्टः नत्य, यह भी सूचित है। अनृतका अर्थ है, नियमका अल्लंघन करनेवाला और जिसलिए झूठ। ऋतु शब्द भी इसी धारुसे बना है। (ऋत = कठोरतासे शासन करना, जाना)।

अुसके हितकी दृष्टिसे संकट-रूप दिखाओ देनेवाली परिस्थिति पैदा करता है। अनेक भक्तोंने यह गाया है कि ऐसे संकट परिणाममें अुनके लिये आशीर्वाद ही हो गये हैं। और वे प्रायः ऐसे संकटोंकी याचना भी करते हैं।

जो एक निष्ठासे अिसीकी वाञ्छना करते हैं, अिसीकी तलाश करते हैं, अुन्हें ऐसी बुद्धि प्राप्त होती है, जिससे वे अिसे प्राप्त कर सकें। अुनके हृदयमें ज्ञानका प्रकाश होता है, और ज्ञान मिट जाता है, क्योंकि वह सत्य संकल्पका दाता है।

वह साक्षी-रूपसे हृदयमें भासता है; वह अितना निकट है कि जो चाहें भुन्हें अपने हृदयमें ही शुसकी प्रतीति हो सकती है।

वह परमचैतन्य है; प्रत्यगात्मा भी स्वरूपतः चैतन्य ही है। अतः वे जगत्‌में जो कुछ स्वकीय, आत्मीय, अपना मालूम होता है, अुस सबसे अधिक स्वकीय और प्रीतिका पात्र और हितकारी वही है।

अिस कारण वही श्रेष्ठ और परमात्मन है।

समर्पणके लिये — समर्पणमें दो प्रकारके विचार मिलते हैं — एक तो यह कि अपनेमें जो कुछ कर्तृत्व है वह परमात्माके कारण है, अिस विचारसे अुसका गर्व न करना, वल्कि अुसका सारा श्रेय अुस परमात्माको ही देना; और दूसरा यह कि अपना अंकुश या अधिकार जिन-जिन पर हो अुन सबको — शरीर, मन, बुद्धि, अिन्द्रियाँ और वाय्य पदार्थ तथा अपने, आपजनको भी — परमात्मा-प्रीत्यर्थ दूसरोंकी सेवामें ल्याना।

जिस प्रकार जगत्‌की तमाम शुभ-अशुभ विभूतियोंका आश्रय परमात्मा ही है, फिर भी श्रेयार्थिके लिये केवल शुभ विभूतियाँ ही चिन्तन करने योग्य हैं, अुसी प्रकार जो कुछ सतकर्म और दुष्कर्म हों अथवा हृदयमें सद्वृत्ति या दुर्वृत्ति पैदा हो, वह सब अिस तत्वके कारण ही है, तथापि यह मानना भ्रमकारक हो जाता है कि श्रेयार्थिको अिन सबका समर्पण करना है। सच पूछो तो जब्रतक चिन्तकी संशुद्धि अधूरी है, कुछ अशुद्धि बाकी है, तब्रतक समर्पणका तो केवल प्रयत्न ही होता है, वह पूर्णतया सिद्ध नहीं होता। अिस कारण यदि कोभी ऐसी भावना करने लगे कि कुकर्म भी परमात्माके ही कारण होते हैं, तो या तो वह दम्भी बन जाता जी—५

है, अर्थात् कुकर्मोंके समर्पणकी तो वात करता है और सत्कर्मोंका अभिमान रखता है; अथवा, यदि वह सच्चा श्रेयार्थी है तो कुकर्म समर्पित हो गये हैं अिस भावनापर वह दृढ़ रह ही नहीं सकता, और केवल सत्कर्मोंका ही श्रेय परमात्माको देकर अुनके विषयमें निरहंकार होनेमें सफल होता है। श्रेयार्थिकि लिये यही हितकारी भी है। अशुद्धि धो ही डालनी है, अत्तेव अशुद्ध कर्मोंका कर्तृत्व अपनी तरफ लेकर ही वह पुरुषार्थके पथमें क्रायम रह सकेगा, और समर्पणकी भावनासे शुद्ध कर्मोंके विषयमें निरहंकारी बन सकेगा।

अपना सब कुछ परमात्माके प्रीत्यर्थ जगत्की सेवामें ल्या देना संशुद्धिका एक खास साधन और परमात्माके प्रति प्रीतिका विशिष्ट लक्षण है। सीधी-सादी भाषामें अिसका स्वरूप अिस प्रकार है: वह किसी सत्कार्यके लिये अपना जीवन अर्पण कर दे और अुस सत्कर्मके फल-स्वरूप अुसकी अपनी सत्त्व-संशुद्धि हो तथा वह सत्य समझ जाय, अिसके सिवा दूसरे किसी स्वार्थ या लाभकी अुसे स्वृद्धा नहीं होती। अत्यन्त निश्चिह्न भावसे परहितके लिये त्याग ही परमात्मा-प्रीत्यर्थ समर्पण है।

परमात्माका ऐसा आलम्बन बुद्धिकी सूक्ष्मताके अनुकूल है। विचार और वृत्तियोंकी शुद्धि तथा भावोंका विकास होते-होते अुसकी बुद्धि परमतत्त्वकी प्रतीति करने योग्य बनती है। अपना सत्त्व अुसे परमात्माके जैसा ही शुद्ध और अलिङ्ग होता हुआ मालूम पड़ता है। अपने और परमतत्त्वके वीच पहले जो अपार अन्तर जैसा मालूम होता था वह धीरे-धीरे कम होता जाता है और अुसे अनुभव होने लगता है कि खुद अुसके और परमात्माके वीच भेदकी अपेक्षा अभेद ही अधिक है। जो कुछ भेद रहा दिखाअी देता है वह तात्त्विक नहीं, वल्कि परिमाणका ही है—जैसे, सिन्धु और विन्दुका। फिर, अिसके बाद वह ऐसी स्थितिको प्राप्त करता है जहाँ न तो वह अपनेको परमात्मासे अल्पा ही समझ सकता है और न सोच ही सकता है, धीरे-धीरे अुसीमें वह निष्ठ या स्थित हो जाता है; और यही निरालम्ब स्थिति या आत्म-निवेदन-भक्ति है।

जिस प्रकार पाकशास्त्र पढ़ लेनेसे पेट नहीं भरता, वल्कि अन्नको पकाकर खानेसे ही पेट भरता है, अुसी प्रकार वेदान्तके पढ़नेसे या 'अहंव्रह्मास्मि' आदि वाक्योंका अर्थ केवल बुद्धि द्वारा समझ लेनेसे

आत्मामें 'निष्ठा' (अचल स्थिति) नहीं हो सकती। जबतक चित्तमें संघर्ष है तबतक कोभी चाहे अद्वैतवादी हो या विशिष्टाद्वैतवादी या द्वैतवादी, और कोभी चाहे प्रश्निः, अवतार, गुरु या पैदाम्बर ही क्यों न माने जाते हों, सब प्रयत्नशील जीव ही हैं। अतः सबका निस्तार — किसी-न-किसी आलम्बनको अपनानेमें ही है। यह आलम्बन विचारके द्वारा गलित नहीं हो सकता; जब वह निष्प्रयोजन हो जायगा तो अपने आप ही गल पड़ेगा।

७

परमात्माकी साधना

ज्ञान, भक्ति और कर्म

श्रेयार्थी पुरुषके लिये परमात्माके आलम्बनकी आवश्यकताके विषयमें, अस आलम्बनके शुद्ध प्रकारके विषयमें, तथा अुसकी महिमा और फलके विषयमें अितना विवेचन हुआ। अब अुसकी साधनाका कुछ विचार कर लें।

अिस सम्बन्धमें ज्ञान, भक्ति और कर्मकी बहुत चर्चा आजतक हुआ है, और वह सब बहुत-कुछ मोक्षके सिलसिलेमें हुआ है।

ऐक पक्ष कहता है — 'मोक्ष जीवनका ध्येय है, और प्राप्ते ज्ञानान्न मुक्तिः ज्ञानके विना मोक्ष नहीं; यही अन्तिम साधन है। भक्ति और कर्म, ये परम्परासे चित्त-शुद्धिके साधन हो सकते हैं, परन्तु अन्तिम साधन नहीं।'

दूसरा पक्ष कहता है — 'भक्ति जीवनका साधन और साध्य दोनों है। ज्ञान और कर्म दोनों भक्तिके विकासके लिये आवश्यक हैं। लेकिन, प्रेम-स्वरूप वन जाना और विश्व-प्रेमका अनुभव करना ही सर्वात्म-भाव और मोक्ष है।'

तीसरा पक्ष कहता है — 'कर्मयोग ही संसिद्धिका ऐष्ट साधन है। निष्काम-भावसे जीवनके कर्तव्य करनेसे चित्त-शुद्धि और ज्ञान दोनों प्राप्त हो सकते हैं। अकेला ज्ञान निष्फल है, और अकेली भक्ति अनुमाद है।

ज्ञान और भक्तिका संचार तमाम सांसारिक कर्तव्योंमें और समग्र जीवनमें होना चाहिए ।'

ये तीनों पक्ष अेकको महत्व देकर दूसरे दोको कुछ गौण स्थान प्रदान करते हैं, फिर भी कम-ज्यादा तीनोंको मानते हैं ।

चौथा पक्ष कहता है—‘ज्ञान, भक्ति और कर्म, ये तीन स्वतंत्र साधन हैं । अनमेंसे जो जिसकी रुचिके अनुकूल हो वह अुसी मार्गकी ले ।’

फिर पाँचवाँ पक्ष ज्ञान और भक्तिका समुच्चय चाहता है । वह कहता है कि ‘चित्तकी दो प्रकारकी शक्तियाँ हैं—बुद्धि और भावना । बुद्धिकी सूक्ष्मता और भावनाओंकी शुद्धि हो, तो अुसके श्रेयके लिये वह काफ़ी है । अुसका मोक्ष निश्चित है ।’

छठा पक्ष ज्ञान और कर्मके समुच्चयको मानता है । वह कहता है कि ‘चैतन्यकी दो शक्तियाँ है—ज्ञानात्मक और क्रियात्मक । ज्ञान कर्मकी प्रेरणाके लिये है और कर्म ज्ञानकी बृद्धिके लिये है । अिन दोनोंके बीचमें भावना रहती है । लेकिन वह आनुषंगिक है और अपने आप निर्माण होती है । यदि सत्य-ज्ञान और शुद्ध कर्मोंमें प्रवृत्ति ये दो वातें सघ सकें, तो सात्त्विक भावना अिन दोनोंके संयोगसे अपने आप अुपस्थित हो जायगी ।’

फिर सातवाँ पक्ष ज्ञानकी अवगणना करके भक्ति और कर्मका समुच्चय वताता है । वह कहता है कि—‘मनुष्यमें बुद्धि न हो तो चल सकता है, यदि वह प्रेम-भीना और कर्मयोगी हो, तो आवश्यक ज्ञान अुसे अपने आप मिल जायगा, और न मिले तो भी क्या, अपने भक्तियुक्त कर्ममें ही अुसे अपना मोक्ष दिखाऊ देगा ।’

कह नहीं सकते कि अिन वादोंका कभी कोअी निर्णयकारी अन्त भी आ सकेगा या नहीं । लेकिन यदि हम चित्तके धर्मका और हमारे जीवनपर किस नियमके द्वारा अुसका कैसा असर होता है, अिसका धोङ्ग विचार करें, तो वह व्यर्थ न होगा । और सम्भव है कि अुससे हमें यह जाननेका कुछ साधन प्राप्त हो कि अपने लिये किस समय क्या अुचित है, और दूसरे लोग किसी खास वातपर क्यों ज़ोर देते हैं ।

हमारे अन्दर ज्ञान मौजूद है, भावनायें अुठती हैं, और कर्म करनेकी शक्ति भी है। अपने अन्दर अिन तीनोंका अस्तित्व सिद्ध करनेके लिये हमें किसी शास्त्रको पढ़नेकी ज़रूरत नहीं।

फिर विचार करने से मालूम होगा कि हमारी ज्ञान-शक्ति तीन प्रकारका काम करती है—ज्ञान* प्राप्त करनेका, कर्ममें प्रेरणा करनेका और कर्मको रोकनेका।

जानमें या अनजानमें हम कुछ-न-कुछ अनुभव प्राप्त करते हैं, और अस अनुभवके फल-स्वरूप, जैसा अनित हो, कोअी काम करने लगते हैं, या कोअी काम करते हुआे रख जाते हैं।

परन्तु ज्ञानका किसी भी प्रकारका संस्कार जगाने और कर्माकर्मकी प्रेरणा होनेके दरमियान एक विचला अनुभव होता है, और वह है भावनाका।

किसी भी पदार्थके साथ जब हमारा स्थूल या मानसिक सम्बन्ध होता है तब वह हमारे चित्तके तारको किसी तरह हिला देता है। अिस हलचलसे हमारे अपर एक निश्चित अनुभवके भावका संस्कार पढ़ता है, और एक भावनाका संस्कार अुठता है। यह भावनात्मक संस्कार भी चित्तपर दो प्रकारका असर करता है—(१) चित्तमें किसी प्रकारका गुण-निर्माण करनेका और (२) सुखात्मक अथवा दुःखात्मक अवस्था पैदा करनेका। जब एक खास किस्मकी भावनाके संस्कार वार-वार अुठते रहते हैं, तो वह भावना हमारा स्वभाव बन जाती है। अिन भावनाओंमें सूक्ष्म 'भेद वहुतेरे हैं; जैसे, दया, कृपा, अनुकूल्या, करुणा, क्षमा, शुदारता, आदि; अथवा कूरता, कठोरता, तिरस्कार, क्रोध, दैर, लोभ वर्या। परन्तु अिन सब भेदोंके सूलमें दो ही भावनायें हैं; प्रेम या आत्म-भाव अथवा समभावकी, अथवा द्वेष या पर-भावकी। जिस वस्तुके कारण हमें अनुभवका संस्कार होता है असके प्रति हमको या तो प्रेम—राग—या समभाव प्रतीत होता है, अथवा द्वेष या पर-भाव।

* अिस प्रकरणमें 'ज्ञान' शब्दमें तीन बातोंका समावेश है— नवीन ज्ञानकारी प्राप्त करना, नवीन अनुभव प्राप्त करना, पुराने अनुभव अथवा पुरानी ज्ञानकारीके विषयमें नवीन छष्टि प्राप्त करना। अिन तीन बातोंमें से एक भी बात प्राप्त कर ली जाय, तो कह सकते हैं कि हमने नया ज्ञान प्राप्त किया।

जब ऐसी भावनाका संस्कार बहुत बलवान होता है, तो किसी कामको करने या रोकनेकी प्रेरणा होती है।

अिस तरह ज्ञान और कर्माकर्म प्रेरणा, अिन दोनोंके दरमियान भावनाका अनुभव रहता है।

ज्यों-ज्यों ज्ञानका संस्कार बार-बार होता है, त्यों-त्यों भावना दृढ़ होती जाती है। ज्यों-ज्यों भावना दृढ़ होती जाती है, त्यों-त्यों प्रेरणा अथवा अच्छान्शक्ति बल प्राप्त करती जाती है। जब प्रेरणा-शक्ति बहुत प्रबल हो जाती है तब वह या तो कर्म करनेमें अथवा कर्मसे रुकनेमें परिणत हो जाती है।

जब ऐसा कर्म या अकर्म होता है, तो अुसके बाद फिर ज्ञानका, भावनाका और प्रेरणाका संस्कार अुठता है। ऐक बार अथवा बारम्बार जब ऐसा कर्माकर्म होता है, तब अुसके फल-सुखरूप कर्म या अकर्म-विषयक हमारे विचार और भावनामें फँक पड़ता है, और अुसकी बजहसे प्रेरणामें भी फँक पड़ जाता है। कभी कर्म जो हमें पहले-पहल सुख-रूप अथवा अच्छे लगते हैं, वे पीछे दुःख-रूप या खंराव लगाने लगते हैं; कभी जो पहले जी अुवानेवाले अथवा दुःख-रूप लगते थे, वे पीछेसे प्रिय या सुख-रूप मालूम होते हैं। और दोनोंकी बदौलत हमारी कर्माकर्म-प्रेरणामें फँक पड़ जाता है। अिस तरह ज्ञान, भावना और कर्मका चक्र चला करता है।

अिसपर से यह ध्यानमें लेना कसरी है कि भावनाओंके दो प्रकार हैं। जैसा कि अूपर कहा गया है, जिस किसी भावनाका हमें भान होता है अुसके दो भाग होते हैं—पहला अुस विषयके प्रति प्रेम या समभावका अथवा द्रेष या पर-भावका; और दूसरा, अुससे हमें होनेवाले सुख अथवा दुःखका। प्रेम और द्रेषकी भावना गुणात्मक है और सुख-दुःखकी भावना अवस्थात्मक। अब यह कोओ नियम नहीं है कि प्रेमात्मक भावनाओंके साथ सुखका ही अनुभव हो। कभी-कभी तो प्रेमके कारण ही दुःख होता है, और द्रेषयुक्त कर्म करनेसे सुख हो सकता है।

अब मनुष्य अपनी भावनाओंके अनुशीलनमें गुणात्मक भावनाओंको महत्व दे या अवस्थात्मकको, अिस सम्बन्धमें दो पक्ष हैं। ऐक कहता

परमात्माकी साधना

है—‘दुःख चाहे आये, परवाह नहीं, परन्तु प्रेम आदि भावना ओंकी ही प्रयत्न-पूर्वक संबृद्धि की जानी चाहिये। सुख-दुःख तो क्षणिक अवस्थायें हैं, और गुण चित्तकी स्थायी सम्पत्ति है। यह नहीं कह सकते कि पचास वर्षतक सुखका अनुभव करनेसे फिर दुःखका अनुभव होगा ही नहीं, अथवा सुखी रहनेकी आदत पह जायगी। यिसके विपरीत, प्रेमादि गुणोंका अनुशीलन करनेसे दुःखको भी शिरोघार्घ कर सकेंगे, और प्रेमल स्वभाव-रूपी स्थायी-सम्पत्ति प्राप्त होगी। हम द्वेष-हीन होनेकी आशा तो रख सकते हैं, किन्तु दुःख-हीन होनेकी नहीं। यितना ही नहीं, बल्कि गुणोंकी वृद्धि द्वारा ही है। द्वेषसे होनेवाला सुख क्षणिक है, और सुखकी स्मृति दुःखकर ही भी स्वागत-चोग्य हो जाता है, और अस दुःखकी स्मृति सुखकर हो सकती है। यिससे कुल मिलाकर अधिक सुख भी प्रेम तथा सम्भावकी दूसरा पक्ष गुणात्मक भावनाको महत्व नहीं देता, किन्तु अवस्थात्मक मौवनाको अपना लक्ष्य बनाता है। वह कहता है—‘सुखी होना मनुष्यका ध्येय है। प्रेमी होना स्वतंत्र-स्वप्नसे ध्येय नहीं, परन्तु अनुभवसे द्वेषकी विनिस्तत प्रेमसे अधिक सुखकी संभावना मालूम होती है, यिसलिये सुखी होनेके बासे प्रेमादि गुणोंका पोषण एक हृदयक चाहे किया जाय। लेकिन क्योंकि प्रेमसे दुःख भी हो सकता है, यिसलिये लवे हिसावसे प्रेमादि गुण भी त्याज्य हैं, और यिसलिये न प्रेम, न द्वेष, ऐसी निर्णय विस्थिति प्राप्त करना अनिवार्य है।’ फिर, वे कहते हैं कि ‘जब गुणात्मक भावना पैदा होती है तब वह किसी-न-किसी विषयका स्मरण करके ही भावनामें दुःख तो विषयावलम्बी है पर सुख स्वभाव-सिद्ध है। किन्तु अवस्थात्मक भावना नहीं होता, तब मनुष्य सुखी ही है; सुख असे कही लेने नहीं जाना पड़ता। वह तो मौजूद ही है। विषयके भावनासे वह लोजा जा सकता है। प्रेमादि गुणोंसे सुखकी भावना पैदा होनेका जो अनुभव होता है, वह एक भ्रम ही है। जिस प्रकार शराव और भाँग आदिके व्यसनसे

कभी लोग अपनेको सुखी अनुभव करते हैं, परन्तु दरअसल तो विसमें अन्हें धोखा ही होता है, असी प्रकार प्रेमादि गुण जो सुख-स्वप्न मालम्ब होते हैं, उसका कारण यह है कि वे गुण सात्त्विक हैं, विसलिए अधिक-तर अनुकूल वेदनायें अुत्पन्न करते हैं। परन्तु लम्बे हिसावसे तो वह अवस्था अस्थिर होनेके कारण दुःख-स्वप्न ही है। अिस तरह विचारशील मनुष्यके लिए जो विषयजन्य या गुणजन्य सुख है वह भी दुःख ही है, और विसलिए असे विषयकी स्मृतिको छोड़नेका और निर्गुण होनेका प्रयत्न करना चाहिए। विषय और गुण परस्पर अकद्वयसे मिले हुए हैं। अिसलिए गुणों द्वारा दुःख रहित स्थिति कभी नहीं प्राप्त हो सकती। यह ज्ञान-मार्गकी असली बुनियाद है।

अिन दोमेंसे किस पक्षको स्वीकार किया जाय, अिसका निश्चय करना श्रेयार्थीके लिए कठिन नहीं। यह असम्भव है कि देहके रहते हुये विषयकी स्मृति अुत्पन्न न हो। पुराणोंमें हम अन लोगोंकी कथायें सुनते हैं, जो हजारों सालोंतक समाधि ल्याते थे। किन्तु एक दिन हो या हजारों वर्ष हों, यदि वे जीवित रहे, तो किसी-न-किसी दिन अन्हें समाधिमेंसे स्मृति हुआ नहीं। स्मृतिके साथ ही गुणात्मक भावनाओंको भी जाग्रत होना ही है। ये भावनायें यदि सात्त्विक न हों, तो राजस या तामस होंगी। अर्थात् यदि साधकने प्रेमादि गुणोंका पोषण न किया हो और द्वेषादि गुणोंका भी ज्ञोर वह न दिखाता हो, तो वहुत सम्भव है कि निर्गुणताके नामसे असने सूखता या जड़ताका ही पोषण किया हो। फिर यदि वहुताशमें द्वेषादि गुणोंका ज्ञोर हो तो विषय-विस्मृति अधिक समय तक टिक भी नहीं सकती। अब, जबतक वह समाधिमें रहता है, तब-तक निद्रित मनुष्य-सा है। जब वह समाधिसे जाग्रत होता है तब उसकी कीमत अिस बातमें नहीं है कि वह सुखात्मक या दुःखात्मक अवस्थामें रहता है, वल्कि अिस बातमें है कि वह किन गुणोंको प्रदर्शित करता है। अिसपरसे दो बातें साफ होती हैं— भक्ति अर्थात् प्रेमादि सात्त्विक गुणोंका अनुशीलन जीवनका साध्य भी है या नहीं, अिस बातका निश्चय भले ही न हो सके, तो भी यह बात पक्की है कि वह साधना अवश्य

है। क्योंकि भावनाका अनुभव चित्तका अनिवार्य अंग है, जिसलिए अुचित भावनाओंका अुचित रीतिसे पोषण या अनुशीलन मनुष्यके विकास-क्रमकी ओक अनिवार्य सीढ़ी है।

अब हम फिरसे ज्ञान, भावना और कर्मके सम्बन्धका विचार करें। अूपर कहा जा चुका है कि ज्ञान भावनाका पोषण करता है, भावनाकी दृढ़ता कर्मकर्मकी प्रेरणा करती है, और कर्म या अकर्मके अन्तमें फिरसे ज्ञान पैदा होता है। अिस तरह यह चक्र चलता रहता है। फिर, अूपर हमने यह भी देखा है कि प्रेम, भवित आदि भावनाओंके पोषणसे श्रेय-प्राप्ति होती है, और द्वेषादि भावनायें श्रेयमें विघ्न ढालती हैं।

परन्तु ज्ञान, भावना और कर्मके अिस चक्रके सम्बन्धमें कुछ वातें ध्यान देने योग्य हैं—

१. यह कहना ठीक नहीं कि ज्ञानके परिणाम-स्वरूप तुरन्त ही भावना अुत्पन्न होती है, और भावनाके फल-स्वरूप तुरन्त ही कर्म होता है या होता हुआ रुक जाता है। एक ही प्रकारका अनुभव वार-न्वार होते-होते बहुत समय बाद भावना दृढ़ होती है। भावनाके दृढ़ होनेके बाद भी कितने ही समय तक ऐसा मालूम होता है मानो वह भावना बन्धा ही है। क्योंकि भावनाके रहते हुओ भी अुसके फल-स्वरूप कोअी कर्म होना ही चाहिअे, ऐसी प्रेरणा अभी नहीं होती। अिस तरह कितना ही समय निकल जानेके बाद मनमें विचार आता है कि अिस भावनाके अनुस्प प कोअी कर्म होना चाहिअे। परन्तु वह कर्म क्या हो, और कैसे किया जाय, अिसके विचारमें बहुत समय चला जाता है। अिसके बाद ही धीरे-धीरे भावनाके अनुस्प कर्मके प्रयोग होते हैं। अन्तमें जाकर ऐसा मालूम होता है कि अब वह कर्म-मार्ग हाय ला गया है, जिससे वह भावना सफल हो सके। अिस कर्म-मार्गका वार-न्वार अभ्यास करनेसे अुसमें कुशलता प्राप्त होती है। जब किसी एक भावनाको सिद्ध करनेके लिअे क्या करना चाहिअे और कैसे करना चाहिअे, अिसका ज्ञान और अुसको सफल बनानेकी शक्ति सिद्ध हो जाती है, तो कह सकते हैं कि अुस भावनासे सम्बन्ध रखनेवाला कर्मयोग सिद्ध हुआ। कर्मयोगकी सिद्धिके बाद भी जब ऐसी स्थिति हो जाय कि अनुभव, भावना और कर्म तीनों एक ही साथ होने लगें, तीनोंके बीचमें

थोड़ा भी समय न बीतने जितनी शीघ्रता प्राप्त हो जाय, तब वह कर्मयोग पूर्ण हुआ-सा लगेगा।

जबतक किसी अनुभवके स्वस्थपक्का निश्चय नहीं होता, तबतक कुछ समय अश्रद्धामें, कुछ तटस्थतामें, और कुछ निश्चयको दृढ़ करनेमें चला जाता है। जबतक ज्ञानकी दृष्टा नहीं होती, तबतक उससे भावना जाग्रत तो होती है, परन्तु उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता। अिससे मनुष्य अिस प्रकारकी ज्ञान-प्राप्तिको ही ध्येय मान लेता है।

ज्ञानके पच जानेके बाद ज्ञानद्वारा जाग्रत भावनापर दृष्टि जाती है, और उस भावनाका पोषण उसका ध्येय बनता है। केवल ज्ञान उसे शुष्क मालूम होता है। लेकिन उसे यह प्रतीति नहीं होती कि भावनाके साथ कर्मकी भी झारूत है। अिसलिए भावनाका अनुशीलन ही उसका ध्येय बन जाता है।

भावनाके दृढ़ हो जानेपर निरी भावना उसे बन्धा मालूम होती है। अुस भावनाको कर्म-परिणामी देखनेके लिये चित्त अुत्सुक होता है। सबसे पहले यह परिणाम केवल वाणीमें आकर स्थित होता है; धीरे-धीरे दूसरी अिन्द्रियोंमें भी संचार करता है, फिर यह कर्म उसका स्वाभाविक कर्म बन जाता है।

अिस तरह एक प्रकारके कर्मको कुशलतापूर्वक, सहज रीतिसे करने तकका ज्ञान, भावना और कर्मका चक्र एक ही जीवनमें सिद्ध हो जाता हो, सो हमेशा नहीं होता। अिस चक्रकी गति प्रायः अितनी धीमी होती है कि कभी-कभी सारा जीवन ही ज्ञानको दृढ़ करनेमें, अथवा भावनाका पोषण करनेमें, या वाचा-कर्ममें ही, पूरा हो जाता है। अिस-तरह कभी लोग केवल ज्ञानकी महिमा, कभी भक्ति अथवा प्रेमकी महिमा और कभी कर्माचरण किये विना उसकी महिमा गानेमें ही जीवन पूरा कर देते हैं। फिर कर्माचरणकी पूर्णताके सिद्ध होनेमें भी बहुत सा समय चला जाता है।

समाजमें भी हम यह देखते हैं कि किसी प्रकारका ज्ञान, तदनु-सारिणी भावना और तदनुसार कर्ममें प्रवृत्ति होनेमें अक्सर कितनी ही

पीढ़ियों चली जाती हैं। यह बताता है कि अेक जन्ममें ज्ञानसे ही शुरू करके कर्मचरणकी पूर्णतातक नहीं पहुँचा जाता।

२. अेक प्रकारके कर्मचरणकी सिद्धि होनेसे, अर्थात् अेक प्रकारके कर्मको कुशलतासे पूरा करनेका सामर्थ्य आ जानेसे ही यह न समझना चाहिए कि चित्रका विकास पूरा हुआ।

अुसकी सिद्धि हो जाने के बाद बहुत समयतक अुस कर्म-कौशलका नशा रहता है, और अुसका फल भोगनेमें मनुष्य मशागूल रहता है। परन्तु धीरे-धीरे अिस कर्म-कौशल और अिसे जन्म देनेवाले ज्ञान और भावना के प्रति अुसका मोह अुतर जाता है। यही नहीं, वल्कि अिनके प्रति मनमें अरुचि भी पैदा होती जाती है। ये ज्ञान, भावना और कर्म तीनों अिसे दुष्ट, मिथ्या अथवा निर्जीव मालूम होते हैं, और आगे क्या, अथवा आगे कुछ तो होना चाहिए, ऐसा भास अुसे होने लगता है, और फिर नवीन जानकारी, नवीन अनुभव या पुरानी जानकारी या अनुभव के विषयमें नवीन दृष्टिकी तलाशमें वह लगता है। अतयेव अब फिर अुसके लिये ज्ञान-युगका श्रीगणेश होता है। अिस प्रारम्भके सिलसिले में वह अपनी कर्म-प्रवृत्तिका निग्रह भी करता हुआ दिखाओ देता है। अपार श्रम के फल-स्वरूप दृढ़ हुआ कर्म-मार्ग अुसे कष्टदायक भी लगाने लगता है, और वह ऐसे कर्म-मार्गकी निन्दा करता हुआ दिखाओ देता है। *

* अिस कारण अक्सर ऐसा होता है कि जिस बातमें मनुष्य पूर्ण हुआ होता है, अुसके लिये अुसकी ख्याति होनेके बदले जिसकी वह साधना करता है अुसमें अुसकी ख्याति होती है, और अुसका जीवन-कर्म अुसके प्रसिद्ध मर्तोंके विरुद्ध मालूम पड़ता है। दो अुदाहरणोंसे यह बात स्पष्ट ही जायगी — शंकराचार्यकी ख्याति निष्पृति मार्गके पुरस्कर्ता और ज्ञानको ही महत्व देनेवालेके रूपमें है। फिर भी अुनका जीवन हिन्दू-धर्मकी पुनःस्थापना करनेकी योजना बनाकर अुसके लिये प्रचण्ड प्रवृत्ति करनेमें वीता। और, ऐसा मालूम होता है कि अिसमें अुन्होंने कर्म-कौशलका भी भली-भाँति परिचय दिया है। फिर भी अुन्होंने कर्म-प्रवृत्तिकी निन्दा ही की है। अिसका कारण यही मालूम होता है कि ऐसे प्रकारके कर्ममें कुशलता अुन्हें जन्मसे ही सिद्ध थी, और आत्म-ज्ञानकी साधना अुन्हें करनी पड़ी। अिससे अुलटा अुदाहरण

परन्तु यह क्रिया शुतनी सफल नहीं, जितनी में लिखता हूँ। वीते हुये जीवनके अनेक अनुभव, भावनायें और कर्मोंके परिणाम ऐक-दूसरेसे लिप्यते हुये चलते हैं, और असलिये यह क्रिया हमेशा अितनी आसान नहीं होती कि असका पृथक्करण हो सके। ऐक प्रकारके कर्मचरणके चलते, असके दरभियान ही दूसरे ज्ञान और भावना के अनुशीलन भी कुछ अंशमें गुरु हो गये होते हैं। अितना ही कह सकते हैं कि ऐक निश्चित विषयमें क्रमका स्वरूप असका होता है।

अस तरह, जिस प्रकार समाजमें असी प्रकार व्यक्तिमें भी किसी-न-किसी प्रकारकी ज्ञान-प्राप्ति, असके बाद असकी दृढ़ता, बादमें भावनाका विकास और फिर वाणीके और कर्मचरणके युगोंका चक्र चलता रहता है।

अस प्रकार मूढ़ ज्ञान, तामसी भावना और तामस कर्ममें से राजस ज्ञान, राजस भावना और राजस कर्ममें ऐवं राजसमेंसे सात्त्विक ज्ञान, सात्त्विक भावना और सात्त्विक कर्ममें चित्तका विकास-मार्ग दिखाती देता है।

(३) अस तरह विचार करनेसे मालूम होता है कि आत्म-स्वरूपका निश्चय यदि ज्ञानका अन्त हो, तो यह प्रतीति दृढ़ होनेके बाद सर्वात्म-भावी भावनाओंकी जाग्रति होनी चाहिये। और अस भावनाके दृढ़ होनेके बाद तदनुरूप कर्मचरण भी होना चाहिये।

यो ऐक ओरसे जिजासाका अन्त होने और दूसरी ओरसे सर्वात्म-भावी भावनाओंके परिणामरूप कर्मचरणके सहज बनने तक श्रेयार्थीका कर्तव्य-मार्ग यह होगा —

लोकमान्य तिलकका है। अन्होंने प्रवृत्ति-धर्मकी श्रेष्ठता स्थापन करनेके लिये वदा परिश्रम किया, परन्तु जीवनमें अन्होंने ज्ञान-योगका ही अतिशय आचरण किया; विद्वत्तापूर्ण विविध श्रेयोंका लेखन और अपने मतके प्रचारके लिये अपदेश, राजनीतिमें भी नवीन आचारकी अपेक्षा नद-विचारकी स्थापना, अन्होंने बहुत अच्छी तरह की। स्वराज्यका विचार अन्होंने किया, किन्तु स्वराज्य-प्राप्तिकी कोई निश्चित योजना या असपर अमल करनेकी कुशलता अनमें न थी। अतेव कर्मयोगके अनुशीलनके लिये अन्होंने श्रम किया और कर्मयोगके आचार्यके रूपमें ख्याति प्राप्त की। परन्तु स्वभाव-सिद्ध तो अन्होंने ज्ञानयोग ही था, और असीका आचरण अन्होंने किया।

१. सात्त्विक ज्ञान, अर्थात् जिसमें अपना तथा सबका अुत्कर्ष सिद्ध हो, वैसा ज्ञान प्राप्त करना और आध्यात्मिक विषयमें परमतत्त्व-विषयक जानकारी या प्रतीति अथवा तत्सम्बन्धी इष्टि प्राप्त करना ।

२. सात्त्विक प्रेमादि भावनाओंका और परमात्माके प्रति भक्ति-भावका पोषण करना । और

३. सात्त्विक अर्थात् जिनमें सबका हित हो और जो प्रेमकी दृढ़ताके फल-स्वरूप सूझे ऐसे कर्मोंमें कुशलता प्राप्त करना ।

हो सकता है कि अिस कर्त्तव्य-मार्गमें कभी लोग पहली भूमिकामें जाते हों, तो कभी दूसरीमें और कभी तीसरीमें । जो मनुष्य जिस भूमिकाके लिये प्रयत्न करता है, उसे उसके बाद आनेवाली भूमिकाका ज्ञान नहीं होता, और पीछे छोड़ी हुभी भूमिकाका महत्व मालूम नहीं होता, वल्कि यह प्रतीत होता है कि अबतक तो मैं भ्रममें पड़ा हुआ या, और अब मुझे सच्चा मार्ग हाथ लगा है और यह भूमिका ही आखिरी साध्य है । अतअेव वह ज्ञान, भक्ति या कर्मकी ही महिमा गाता है ।

मेरी इष्टिमें अिस तरह श्रेय-प्राप्तिके लिये ज्ञान, भक्ति या कर्ममेंसे कोभी एक ही मार्ग नहीं है, अथवा तीन स्वतंत्र मार्ग भी नहीं हैं, अथवा यह कहना भी कठिन है कि दो-दोका या तीनोंका समुच्चय करना चाहिये । वल्कि (१) ज्ञान-प्राप्ति, उसके बाद भावनाका अनुशीलन और उसके बाद कर्मयोगकी पूर्णता, ऐसा विकासका कम दिखाओ अपहृता है । किन्तु (२) जो मनुष्य जिस भूमिकामें पहुँचता है उसके लिये वह भूमिका तात्कालिक ध्येय बनती है । स्थूल इष्टिसे समाजमें भी भूमिकाके ऐसे युग होते हैं, और (३) जिस विषयका कर्मयोग पूर्ण होता है, उसके पूर्व-गामी ज्ञान और भावना स्वभाव-सिद्ध होने ही चाहियें । अतअेव, एक तरहसे कर्मयोगकी पूर्णतामें ज्ञान और भावनाका समाप्त हो जाता है, हालाँ कि हो सकता है कि अिसका भान उसे न हो ।

यह तो सामान्य नियमके अनुसार हुआ, परन्तु सुयोग्य मार्ग-दर्शक, अुचित साधन, और अनुकूल अवसरके अभावमें तथा शारीरिक और दूसरी शक्ति और परिस्थितिके भेदोंके कारण जुदा-जुदा श्रेयार्थिको प्रत्येक भूमिकामें कितने समय तक ठहरना पड़ेगा, उसका कितना समय नष्ट होगा,

और अुसे कितना परिश्रम करना पड़ेगा, सो कहा नहीं जा सकता। वहुतोंका सारा-का-सारा जीवन किसी ऐक ही भूमिकामें बीत सकता है; और दूसरे कल्याणोंकी प्रगति, बड़ी तेज़ीसे भी हो सकती है।

परमात्माकी साधना—२

स्थूल प्रकार

परमात्माकी साधनाके बारेमें ज्ञान, भक्ति और कर्म सम्बन्धी अितना तात्त्विक विवेचन हुआ। अब अिसके कुछ स्थूल प्रकारोंके सम्बन्धमें विचार करेंगे।

सब मनुष्योंकी रचना ऐक-सी नहीं है। यही कारण है कि सबके लिये ऐक ही प्रकारकी विधिका होना ज़रूरी नहीं। परमेश्वरके साथ अपनी लौ ल्गानेके लिये किसीको स्तवन-भक्तिकी ज़रूरत महसूस होती है, तो किसीको नहीं होती; किसीको जप अनुकूल होता है, तो किसीको वह मिथ्याचार मालूम होता है; कोअी ऐकान्तमें ही अुसका चिन्तन कर सकता है, तो कोअी समुदायमें; किसीको सुन्दर चित्र, धृप-दीप-गन्ध आदिकी शोभाके बिना और किसीके चित्तको बाजे, संगीत आदिकी मददके बिना आलम्बनकी ओर प्रवृत्ति नहीं होती, तो किसीको समुद्र-तट, गिरि-गिरिखर आदि प्राकृतिक सौंदर्यके स्थान और मौनकी ज़रूरत मालूम होती है; कअी लोगोंको अुसके लिये तपकी आवश्यकता महसूस होती है, और कअीको नहीं। फिर मी अिसके सम्बन्धमें कुछ सामान्य बातें ऐसी हैं, जिनका विचार किया जा सकता है।

१. अनुसन्धान या लौ ल्गानेके लिये कुछ अंशतक ऐकाकी चिन्तनकी अपेक्षा है ही। ऐकाकीका अर्थ मनुष्य-समाजसे विलकुल ही दूर रहना नहीं है, वल्कि अुसका अर्थ है, किसी शान्ति-युक्त स्थानमें, जहाँ दूसरे खलल न ढाल सकें, चिन्तन करना।

परमात्माकी साधना-२

२. अनुसन्धानके लिये कुछ हृदतक सत्संगकी भी ज़स्तर होती है। सत्संगका अर्थ है, अपनेसे विशेष पवित्र जनोंका सहवास तथा समान प्रकृतिके श्रेयार्थकि साथ अुपासनामें सहयोग ।

३. सत्त्व-संशुद्धि-सम्बन्धी कुछ अनुशीलन खानगी या वैयक्तिक रूपमें हों सकता है, और कुछ सामाजिक जीवन विताकर तथा सामाजिक कर्तव्योंका पालन करके ही हो सकता है कुछ प्रकारके तप, स्वाध्याय, ध्यानान्वयास, पद्मनासाप, अनुताप आदि खानगोमें किये जाते हैं, और दया, दान, कर्मयोग, दुर्वल-रक्षा, अन्याय-प्रतिकार आदि प्रकट अनुशीलनके प्रकार हैं ।

४. चित्त और चैतन्यकी समान संशुद्धि जीवनका घेय होनेके कारण, और चित्तके समग्र जीवनके साथ जुड़े हुये होनेके कारण, परमात्माका आलमन मी जीवनकी सब छोटी-बड़ी बातोंकी साथ संकलित है । इस आलमनका स्थान कोअभी मन्दिर, तीर्थ या क्षेत्र ही नहीं है, और न कुसके अनुसन्धानका समय, सन्ध्या या सप्ताह अथवा वर्षका कोअभी निश्चित दिन ही है । जीवनकी प्रत्येक क्रियाके साथ अुपका अनुसन्धान करना चाहिये ।

५. इस अनुसन्धानको सफल बनानेके लिये एक तत्त्वमें श्रद्धा

रखना महत्वपूर्ण है ।
इस ‘एक तत्त्वमें श्रद्धा’का अर्थ क्या है, सो ज़रा स्पष्ट समझ लेनेकी ज़स्तर है ।

‘एक तत्त्वमें श्रद्धा’के लिये अल्प-अल्पां सम्प्रदायोंमें अल्पा-अल्पा शब्द प्रचलित हैं—जैसे ‘एक परमेश्वरमें निष्ठा’, ‘अनन्य आश्रय’, ‘अनन्य भक्ति’, ‘अकान्तिक भक्ति’, ‘एक टेक’, ‘पतिवता-जैसी भक्ति’, ‘अव्यभिचारी भक्ति’, आदि ।

१. इस श्रद्धाके लक्षण नीचे लिखे अनुसार हैं—
देवोंके अधीन नहीं, और अपना यिष्टदेव ही वह परमेश्वर है ।
२. इस यिष्टदेवकी अनेक प्रकारकी शक्तियाँ भले ही हों, और वह प्रत्येक शक्ति खास-खास प्रयोजनके लिये भी हो, पर जिन भिन्न शक्तियोंका ध्यान, भक्ति, अुपासना, आश्रय आदि करनेकी ज़स्तर

नहीं। 'जस्तरत नहीं' यही नहीं, वल्कि उनके जंजालमें पहना दोष-स्पृह है, और उससे मन अस्थिर होता है।

३. अिसलिए जो कुछ सकाम या निष्काम भक्ति करनी चाजिव हो वह सिर्फ एक अष्टदेवकी और उसीके नामसे करनी चाहिये।

४. यिस अष्टदेवसे कम या अधिक या समान कोटि किसी दूसरे देवदेवी या शक्तिकी कल्पना करके उसका आश्रय लेना अचित नहीं, अतः वह ऐसे देवी-देवताओंकी उपासना, ध्यान, भक्ति आदिकी दृष्टिकोणमें नहीं पड़ेगा, जिनकी कल्पना अपने अष्टदेवकी अपेक्षा भिन्न प्रकारसे होती है।

५. यिस प्रकार, यह जानते हुए भी कि परमेश्वर, अल्लाह, यहोत्रा, अहुरमङ्गल, गॉड आदि एक ही देवके दर्शक नाम हैं, वह अपने अबलम्बनके लिये कोअभी एक ही नाम पसन्द करेगा, जो उसे शक्ति और स्वाभाविक ल्याता हो।

९

श्रद्धायुक्त नास्तिकता

परमात्माकी साधनाके स्थूल प्रकारोंके उपयोगमें वहुत विवेककी जस्तरत है। योग्य विवेकके अभावमें वाज दफा केवल स्थित-पूजा, मिथ्याचार, दम्प, भ्रम, अन्ध-श्रद्धा, वहम और श्रद्धाके स्पृहमें निरी नास्तिकताका पोषण होता है। ऐयार्थीको चाहिये कि ऐसे प्रकारोंको निपिद्ध समझें, और महज वास्तव और अूपरी सात्त्विकताके सुलाखेमें न पहकर ज्यादा गहराईमें जाय व सच्ची सात्त्विकता पैदा करे। ऐसी कुछ त्याज्य वातोंका झुल्लेख यहाँ करता हूँ।

१. काल्पनिक देवताओंका अनुष्ठान अमोत्पादक होता है, तिसपर उसके मूलमें क्षुद्र कामना या भीति रहती है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गणपति, सरस्वती, पार्वती, लक्ष्मी, जित्यादि अनेक देवी-देवताओंकी उपासना हमारे द्वेषमें होती है। जिन देवी-देवताओंके

निश्चित आकार, चिह्न, आदिकी कल्पनायें की शयी हैं। और यह भी माना गया है कि ब्रह्मलोक, गोलोक, वैकुण्ठ, कैलाश, आदि भिन्न-भिन्न प्रकारके रचनावाले धारोंमें अनका निवास है।

अन सब वावतोंके वारेमें विद्वान् लोग समझते हैं कि ये सब देवी-देवता काव्यात्मक रूपक हैं, और अनिके द्वारा परमात्माकी अलग-अलग विभूतियाँ और शक्तियाँ सूचित होती हैं। जैसे, युधिष्ठिरको धर्मराज कहते हैं, अिसका अर्थ यह हुआ कि जो अत्यन्त धर्म-परायण राजा हो अुसे युधिष्ठिर-जैसा होना चाहिए। अथवा जैसा कि हम कहते हैं कि अमुक वहन दयाकी साक्षात् देवी है, अुसी प्रकार, लेकिन कुछ भिन्न रीतिसे, कवियोंने परमेश्वरकी भिन्न-भिन्न शक्तियों और विभूतियोंके लिये जुदा-जुदा आकार, गुण, चिह्न आदिकी कल्पना की है। अिससे यह न समझना चाहिए कि अैसे आकारके कोअी देवी-देवता या धाम कहीं सचमुच हैं। पर अुदा-हरणके लिये यह माना जा सकता है कि परमेश्वरकी विद्या-शक्ति ऐक देवी है, जिसके स्वच्छ, सफेद वस्त्र हैं, और जिसने वीणा, पुस्तक, हंस, आदि शुभ सामग्रियाँ धारण की हुई हैं। विद्या-शक्ति-सम्बन्धी कुछ तर्क करते रहनेकी अपेक्षा ऐसी कल्पना करना रम्य मालूम होता है। अिस-लिये सरस्वतीका अैसा वर्णन करके विद्याकी पवित्रताका संस्कार कराया जाता है।

विशेष प्रकारके विद्वान् ही अिस सम्बन्धमें अैसा स्पष्टीकरण करते हैं। परन्तु सभी विद्वान् अैसा ही समझते हों, अथवा समझकर केवल काव्यका ही आनन्द प्राप्त करते हों, अैसी कोअी वात नहीं। और जन-साधारण तो अिन सब वर्णनोंको अक्षर-अक्षर सत्य ही मानते हैं। अर्थात् वे समझते हैं कि अन देवी-देवताओंकि और अनिके धारोंके जैसे वर्णन किये जाते हैं, सचमुच वैसे ही आकार, चिह्न, गुण और धाम रखनेवाले ये जुदा-जुदा सत्व वास्तवमें हैं, और फिर अलग-अलग वर्च्छनाओंके लिये तथा भिन्न-भिन्न प्रसंगपर वे अुनकी पूजा करते हैं। फिर श्रेयार्थी निष्काम भक्तके लिये तो अनिके अक्षरशः सत्य होनेकी दृढ़ अद्वा ही तीर्त्त भक्तिका और अिससे मिलनेकी छटपटाहटका कारण होती है। जब अुसको पहले-पहल यह मालूम होता है कि यह तो केवल कल्पना ही है तब अुसकी

स्थिति शुस काने मनुष्यकी तरह हो जाती है, जिसकी रही सही एक आँख भी कूट जाय; या समुद्रमें इतरे हुये शुस मनुष्यकी तरह हो जाती है, जिसके हाथसे वह तछता भी कूट जाय, जिसे पकड़कर वह अवतक सांस ले रहा था।

वह भ्रम जितना व्यापक हो गया है कि हिन्दुओंमें देवताओंकी संख्या जो तैतीस कोटि कही गयी है, उसमें 'कोटि' शब्दका वास्तविक अर्थ 'करोड़' नहीं, बल्कि 'वर्ग' होता है, और वह बात आचार्य श्री आनन्दशंकर ध्रुव-जैसे दो-चार विद्वान् ही जानते हैं; वाक्ता तो साधारण लोग ही नहीं, बल्कि वहुतसे विद्वान् भी, कोटिका अर्थ 'करोड़' ही करते हैं, और मानते हैं कि हिन्दुओंमें तैतीस करोड़ देवी-देवताओंकी पूजा होती है।

अद्वैतवादी सनातनी ऐसे अनेक देवी-देवताओंकी अपासना का और 'अेक ब्रह्म' के सिद्धान्तका मेल अिस तरह वैठानेका प्रश्न करते हैं, जिससे अिन दोनोंमें कोअी विरोध न दिखाओ दे, और यों वे अनेक देवी-देवताओंकी पूजाका भी समर्थन करते हैं। परन्तु यह सफाई केवल पाण्डित्य ही रह जाती है। जन-साधारणकी समझमें जिससे कोअी स्पष्टता नहीं आती। अन्हें विद्वानोंका यह पाण्डित्य देवी-देवताओंका परंपरा खण्डन ही मालूम होता है, और अिस सफाईसे अन्हें सन्तोष नहीं होता। ऐसे स्पष्टीकरणोंको ही ध्यानमें रखकर शाश्रद श्री सहजानन्द स्वामीने शिक्षापत्रीमें अिस प्रकार लिखा है—

कृष्णकृष्णावताराणां खण्डनं यत्र युक्तिभिः ।

कृतं स्याच्चानि शास्त्राणि न मान्यानि कदाचन ॥*

ऐसी अपासनासे न श्रेयार्थीका कोअी कल्याण होता है, न लोगोंका ही। बल्कि, अनेक प्रकारके जगड़े ही पैदा होते हैं। अिसमें कोअी शक नहीं कि हङ्गरत मुहम्मदने ऐक अीश्वरकी अपासनापर ज़ोर देकर और अनेक देवी-देवताओंको ल्लाभग ज़ङ्ग-सूलसे अखाड़कर सत्यकी अमूल्य सेवा की है। हिन्दू-धर्मके भी कुछ सम्प्रदायोंमें अनन्याश्रयके

* जिन शास्त्रोंमें कृष्ण या कृष्णके अवतारोंका युक्तिसे खण्डन किया गया हो, ऐसे शास्त्रोंको कभी न मानना चाहिये।

नामसे ऐसे कुछ प्रयत्न हुओ हैं, परन्तु वे कुछ दिशामें बहुत कमज़ोर और सिद्धान्तमें शिथिल, तो कुछमें अतिशय संकुचित हैं। फिर अनुमानमें अपने अिष्ट देवकी पमन्दगीमें आखिर किसी काल्पनिक देवताको स्थान है ही।

(२) चित्तको प्रसन्न और अकाम करनेके लिये पूज्य जनोंकी मृत्तिका अुपयोग करनेमें हानि नहीं है। परन्तु मृत्तिको प्राणवान समझकर अनकी प्रत्यक्ष अथवा मानस पूजा, अचार, नवेच, बुलूस आदि निधियाँ भ्रमपूर्ण हैं। यह भ्रम ही अधिकतर धर्मको जीवनसे अलग कर देनेवाला अथवा जीवनको कृत्रिम मार्गमें ले जानेवाला होता है।

(३) अिसी हेतुसे तथा सत्संगकी सुविधाके लिये मन्दिर, मसजिद-जैसे निश्चित स्थान रखनेमें कोअरी हज़ार नहीं। अिन स्थानोंके लिये पवित्रताकी भावना निर्माण होना स्वाभाविक है। परन्तु अिनके विषयमें अिससे भी अधिक दिव्यता या महिमाकी कल्पना भ्रम और वहमकी पापक हो जाती है। अिससे जो साधन है वही साध्य बन जाता है। और, यह भ्रम ही अनेकाश्रमें जुश-जुदा अनुगमों और सम्प्रदायोंके लोगोंमें होनेवाले कलहका कारण है।

(४) ऐसे स्थानोंमें परमात्मामें लौ ल्यानेका हेतु तो अुचित है; परन्तु यदि अिनका आग्रह ऐसा स्वरूप धारण कर ले कि जिससे असहिष्णुता, वष्टे, जान या अनज्ञानमें अुत्पन्न होनेवाले विनोंसे चित्तको विक्षेप ही हो, विघ्न डालनेवालोंके प्रति क्रोध या तिरस्कार पैदा हो, अथवा कर्तव्य-प्रथ होकर ही वह आग्रह रखता जा सकता हो, तो ऐसे आग्रहको श्रद्धायुक्त नास्तिकता ही कहना होगा। जीवनके अन्ततक किये गये अिस प्रकारके अनुसन्धानकी अपेक्षा यदि निस्वृहतासे एक छोटे-से भी जीवको सुखी करनेकी चिन्ताका अनुसन्धान किया जाय, तो वह परमात्माका अधिक उदात्त आलमन होगा।

(५) ज्ञानेश्वरने 'अज्ञान' का निष्पत्ति करते हुअे ऐसी श्रद्धायुक्त नास्तिकताका नीचे लिखे अनुसार वर्णन किया है—

"जिस तरह किसान अपनी खेती वडाता है अुसी तरह वह ऐकके बाद दूसरे, अिस तरह, अनेक देवोंकी सेवा करता है, और पहले देवकी तरह ही अिस दूसरे देवकी पूजाका आडम्हर भी वडाता है। . . .

वह प्राणियोंके प्रति तो कठोर शब्द बोलकर अुनका तिरस्कार करता है, और पाषाणकी मृत्तिसे विशेष प्रेम रखता है। एक निष्ठाके साथ भक्ति करके वह सन्तुष्ट नहीं रह सकता। वह मेरी मृत्तिको तो घरके एक कोनेमें बैठाता है, और खुद दूसरे देवताओंके स्थानोंकी यात्रा करता फिरता है। वह रोज़ तो मेरी पूजा करता है, परन्तु किसी कार्य-सिद्धिके लिये कुल-देवताको पूजता है, और किसी पर्व-त्योहारके दिन किसी तीसरे ही देवताका पूजन करता है। घरमें मेरी स्थापना करके भी वह दूसरे देवी-देवताओंकी प्रार्थना करता है, और शाद्द-पक्षमें पितरोंकी पूजा करता है। जिस तरह एकादशीके दिन विष्णुकी भक्ति करता है अुसी तरह नाग-पंचमीके दिन नागकी पूजा करता है, चतुर्थीके दिन गणेशकी भक्ति करता है, और चतुर्दशीके दिन देवीकी पूजा करके प्रार्थना करता है—“हे जगदभ्रे, मैं तेरी ही शरण हूँ।” आवश्यक नित्य-नैमित्तिक कर्मोंको छोड़कर नवरात्रिमें नवचण्डीका पाठ वयैरा करता है, भैरव और ‘मेलडी’ माताके नामका चित्रज्ञा लोगोंको बाँटता है, और सोमवारके दिन चित्वपत्र लेकर शक्रपर चढ़ाता है। अिस तरह वह अनेक देवताओंकी सेवा करता है, . . . और प्रत्येकसे सदा विषयोंकी ही याचना करता रहता है।”

किन्तु जो लोग एक ही देवको मानते हैं, अुनमें भी ऐसी श्रद्धायुक्त नास्तिकताके लक्षण दिखाती पड़ते हैं। जैसे, वे अपने देवकी एक ही मृत्ति स्थापित करके सन्तोष नहीं मानते, वहिं दो-चार एक-सी या जुदा-जुदा प्रकारकी प्रतिमाओंकी पूजा करते हैं; और अुनमेंसे किसीको अधिक पूज्य—वडे ठाकुरजी—और किसीको कम पूज्य समझते हैं। फिर यदि भक्त अपने पूजनेकी प्रतिमाको घर छोड़कर दूसरे गाँव गया हो, और वहाँ अुसी देवकी अुसी प्रकारकी दूसरी प्रतिमाकी पूजा की हो, तो भी मनमें असन्तोष मानता है कि आज ठाकुरजीकी पूजा नहीं कर पाया। वैसे ही, जब कभी दूसरे भक्तकी ऐसी ही प्रतिमाको अपनी प्रतिमाके साथ पूजनेका मौका आता है, तब जिस प्रकार क्षुद्र स्वभावकी माता अपने और दूसरेके बच्चोंमें भेद-दृष्टि रखती है अुसी प्रकार प्रतिमामें भेद-दृष्टि रखकर वह अपनी प्रतिमाको अग्रस्थान, अग्रपूजा, अित्यादि दिलानेका आग्रह रखता है। पूजा, अर्चा आदि विधियों अनित हों, तो भी

अद्यायुक्त नास्तिकता

अनुका तत्त्व पूजन-सामग्री या विधियोंमें नहीं, वल्कि पूजनकी श्रद्धामें है, अिस वातको वह भूल जाता है, और केवल सृङ्खिके बश होकर कहता है—“मेरे ठाकुरजीकी पूजा तो अमुक ही प्रकारकी विधिसे होनी चाहिअे।” परन्तु यदि असी देवताकी वैष्णी ही दूसरी प्रतिमा हो, तो “यिन ठाकुरजीके लिये ऐसे ‘नेक’* का नियम नहीं है” अिस प्रकारके विचार रखता है। अद्यायुक्त नास्तिक ओक मूर्तिके या ओक मन्दिरमें देवके दर्शन करके कृतार्थ नहीं हो सकता, वल्कि गाँवमें जितने भी मन्दिर होंगे, सबके दर्शन करने दौड़ता है।

• अिसके अलावा, अद्यावान नास्तिक जड़ देव या स्थानकी पूजाके आप्रहकी खातिर चेतनकी हिंसा करने लाता है, दूसरे लोगोंके साथ लड़ाई-झगड़ा करता है, और अुसमें भी अनीतिका आचरण करनेमें नहीं हिंचकिचाता। अपने अष्टदेव या स्थानकी महिमा बढ़ानेके लिये वह झट्टी कथायें रखता है, प्राचीन पुस्तकोंमें क्षेपक घुसेइता है, और मानव-अदालतमें अिष्टदेवका ओक फरीक बनाकर अुसके लिये न्याय प्राप्त करनेकी चेष्टा करता है। कहता तो यह है कि वह देव ही मेरा सद्या और पालनकर्ता है, परन्तु अिस वातकी चिन्ता करता रहता है कि मेरे बाद ठाकुरजीकी पूजा-अर्चाका क्या प्रवंध होगा?

जिस देवको वह सर्वव्यापी या घट-घट-व्यापी कहता है, अुसीका दर्शन करनेकी वह कभी लोगोंको अिजाज़त नहीं देता।

ऐसी अद्यायुक्त नास्तिकता केवल मूर्तिपूजकोंमें ही नहीं होती, वल्कि मूर्ति-पूजक, मूर्ति-भजक, गुह-भक्त, हिन्दू, जैन, बौद्ध, ओसाओ, मुसलमान, सब अनुगमोंमें वह विविध रूपोंमें पाऊ जाती है। अिस अद्याके मूलमें सत्त्व-संशुद्धि नहीं होती, वल्कि कुछ स्वार्थ, भय या लालसा रहती है, और जहाँ भय और लालसा रही हो, वहाँ विद्वत्ता कितनी भी क्षमें न हो, विचारमें विसंगतिसे बचना कठिन है।

* ‘नेक’ वैष्णव सम्प्रदायका शब्द है। ठाकुरजीके लिये जित दिन जो करनेका रिवाज हो असे ‘नेक’ कहते हैं।

सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते ।
 अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्त्विकम् ॥
 पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् ।
 वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम् ॥
 यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन्कायें सक्तमहैतुकम् ।
 अतत्त्वार्थवदत्पं च तत्त्वामसमुदाहृतम् ॥

(गीता—१८ : २० से २२)

जिस ज्ञानके द्वारा सब भूतोंमें स्थित एक अविनाशी भाव—
 ऐकता—देखा जा सकता है, सभी भिन्न-भिन्न (तत्त्वों) में ऐक मेद-
 हीन (तत्त्व) देखा जा सकता है, वह ज्ञान सात्त्विक है ।

जो भेदोंका ज्ञान है, जो सब भूतोंमें भिन्न-भिन्न प्रकारके अनेक
 भावोंको जानता है, वह राजस ज्ञान है ।

परन्तु जो ऐकके अन्दर ही सबको समाया हुआ-सा देखता है, जो
 क्रियामें आसक्ति रखता है, और जो विचारकी क्रसाँटीपर टिक नहीं सकता,
 जो तत्त्वार्थ-हीन और अल्प है, वह तामस ज्ञान है ।

ऐसा तामस ज्ञान अिस श्रद्धायुक्त नास्तिकताके मूलमें है ।

१०

अुपासना

ओऽश्वरके किसी प्रकारके आलम्बनकी और अिष्ठलिये किसी तरहकी
 अुपासनाकी आवश्यकताके सम्बन्धमें पिछले प्रकरणोंमें काफी कहा जा
 चुका है । परन्तु अनेक लोगोंके मनमें ऐसे कुछ प्रश्न उठते हैं जैसे,
 अुपासनाका स्वरूप क्या होना चाहिये, वह सामुदायिक हो या व्यक्तिगत,
 और लाज्जिती हो या ऐच्छिक ? आदि । अतऊं अिस प्रकरणमें अिन्हीं
 प्रश्नोंपर कुछ साफ़ विचार किया गया है ।

स्तवन-अुपासना और सहज-अुपासना—सामुदायिक तथा
 व्यक्तिगत अुपासनाका प्रचलित स्वरूप कुछ अिस प्रकारका होता है—

कोअी निश्चित स्तोत्र-पाठ, कोअी भजन, धुन (मन्दिर वर्गरामें), आरती, होम, हवन, किसी सद्ग्रन्थका पाठ या अध्ययन, प्रवचन विद्यादि। व्यक्तिगत अुपासनामें जिसके अलावा सन्ध्या, जप (माला), बन्दन, दण्डवत्-प्रणाम, प्रदक्षिणा या नैवेद्य आदि होते हैं। ऐसी अुपासनाको में यहाँ सुविधाके लिये 'स्तवन-अुपासना' कहूँगा।

जो लोग अीश्वरका आलम्बन मानते हैं, उनमें भी आजकल स्तवन-अुपासनाकी अुपयोगिताके ममन्धमें अश्रद्धा और शंका अुत्पन्न हो गयी है। व्रहार्पणकी भावनासे जीवनके नित्य-नैमित्तिक कर्मोंको करना (Work is worship) ही अीश्वरकी अुपासना है, जिसके लिया किसी दूसरे स्तवन आदिकी जरूरत नहीं — यह सूत्र स्तवन-अुपासनाका विरोध करनेके लिये पेश किया जाता है, और भक्त-साहित्यमें युसके लिये अनेक अनुकूल प्रमाण भी मिल जाते हैं। जैसे, कवीरने अेक जगह कहा है —

"ना मैं जानूँ सेवा बनगी, ना मैं घंट बजाअँ;

"ना मैं दूरत धरी सिंहासन, ना मैं पुष्प चढ़ाअँ।"

फिर अेक और भजनमें कहा है —

"कहूँ सो नाम, सुत्रूँ सो सुमिरन, जो करूँ सो पूजा;

"गिरह अुद्यान अेक सम देखूँ, भाव मिटायूँ दूजा;

"जँ-जँ जानूँ सोओ परिकरमा, जो कुछ करूँ सो सेवा;

"जव सोशूँ तव करूँ दण्डवत, पूर्वूँ और न देवा —

"साधो, सहज समाध भली ॥"

सुविधाके लिये, जिस दूसरी विचार-सरणीको हम 'सहज-अुपासना' अथवा 'कर्मयोगी-अुपासना' कहेंगे।

यित्र प्रकार दो पक्ष होनेसे अिन दोनों प्रकारकी अुपासनाओंकी वास्तविक मर्यादा और अुपयोगिता कितनी है तथा जीवनमें यिनका वास्तविक मूल्य क्या है, यिसकी जाँच-पड़ताल करना अचित होगा।

परन्तु यिस विषयकी सविस्तर चर्चा करनेसे पहले पाठकोंको में एक बांतकी चेतावनी देना चाहता हूँ। वह है, तुझि और जीवनका मेद ध्यानमें रखनेकी।

बुद्धिके द्वारा हम जितना समझ सकते हैं जुतना सब उरन्त ही जीवनमें धारण नहीं कर सकते। अच्छेसे-अच्छा सत्याग्रही भी जीवनको बुद्धिके निर्णयके पीछे ले जानेका सिफ़े प्रयत्न ही करता है, सब तरह बुद्धिके अनुकूल चलनेवाला जीवन वह ऐकाएक बना नहीं सकता। अिससे बुद्धिका दोष नहीं, बल्कि जिस परिस्थिति और जिन संस्कारोंमें पूर्व-जीवन वीता है, वह मनुष्यके पुरुषार्थकी शक्तिको मर्यादित कर देता है, अिससे जीवनका व्यवहार बुद्धिकी ग्रहण-शक्तिकी अपेक्षा पीछे रह जाता है। कर्तृत्व-शक्तिकी अपेक्षा बुद्धि अधिक व्यापक क्षेत्रमें विहार कर सकती है। परन्तु बुद्धिके अनुकूल पुरुषार्थ करनेमें शरीर, भिन्नियाँ, संस्कार, आदतें, समाज, वातावरण, आदि अनेक कठिनाइयोंके साथ झगड़ना पड़ता है, और शट-झट अनुपर हावी हुआ नहीं जा सकता। अिस कारण 'धर्म' क्या है, सो जानता हूँ, परन्तु अुसके अनुसार चल नहीं सकता, और अधर्म क्या है, सो भी जानता हूँ, पर अुसमेंसे छूट नहीं सकता,' यह स्थिति ऐक दुर्योधन-जैसेकी ही नहीं, बल्कि हममें हजारमें जौ सौ निन्यानवेकी होती है।

अिस कारण बुद्धि-द्वारा किसी ऐक विचार-सरणी या सिद्धान्तको समझ चुकनेमर भी अुसके बाद ऐक वात विचार करने-जैसी रहती है, और वह है, अपने वास्तविक जीवन और बुद्धिके वीचका अन्तर। जो अिस वातको ध्यानमें नहीं रखेगा, अुसकी स्थिति नीचे लिखे मज़दूरकी-सी हो जायगी

ऐक मज़दूरने लॉटरीका टिकट खरीदा। वोक्स अुडानेके लिये वह ऐक कड़ीदार वाँस-रखता था। अुसकी पोलमें अुसने वह टिकट रख छोड़ा था। लॉटरीमें अुसका नम्बर पहला आ गया। यह समाचार सुनते ही वह हर्षमें अपने-आपको भूल गया, और यह कहकर कि अब अिस वाँसकी क्या जरूरत है, अुसे नदीमें फेंक दिया। वाँसके वह जानेपर अुसे खयाल आया कि अरे, टिकट तो वाँसकी पोलमें ही रखा था; अब तो अिनाम भी गया। और फिर वह दहाड़ मारकर रोने लगा।*

* यह वात चानके प्रजासत्ताक राज्यके संस्थापक डॉ सुन-यात्-सेनके थेक भाषणसे ली गयी है। अुनका कहना था कि यह सच है।

मन्त्रद्वारने यह मान लेनेकी भूल की कि लॉटरीका परिणाम प्रकाशित होते ही अनाम भी हाथमें आ गया। स्तवनोपासना और कर्म-योगी-अुपासनाके बादमें ऐसी भूल होनेकी संभावना है। हमें याद रखना चाहिए कि बुद्धिके पलटने ही अेकाथेक जीवन नहीं पलट पाता।

अिससे अल्ट्रे प्रकारकी भूल भी हो सकती है। अिस बारेमें अुचित स्थानपर व्यान दिलाया जायगा।

— सहज-अुपासनाका सिद्धान्त — अितनी चेतावनी देनेके बाद अब मैं मूल विषयपर आता हूँ।

“ कर चरण द्वारा जो कायसे कर्मसे वा ।

प्रवण-नयनसे वा बुद्धिसे भावसे वा ॥

युभ-अशुभ हुआ जो ज्ञान-अज्ञान प्रेरे ।

अरपण सब पूजा-भावसे है नाथ तेरे ॥ ”

अेस पद्यका अुचारण नहीं, बल्कि अिसमें वर्णित भावका हमारे लिए जीवन-स्वभाव बन जाना सहज अथवा कर्मयोगी अुपासना कही जा सकती है। यह अतिशय अुन्नत अवस्था है, और जो अिस दशामें सचमुच ही स्थिर हो गया है, अुसके लिए स्तवन-अुपासनाके कम-से-कम कुछ अंग निकम्मे हो सकते हैं, अिसमें शंका नहीं। परन्तु अिसके साथ यह भी समझ रखना चाहिए कि जवतक ऐसे पद्यके अुचारणकी अथवा अुसके भावका स्मरण करनेकी ज़रूरत अुस मनुष्यको महसूस होती है, तब-तक सहज-अुपासना केवल बुद्धि-द्वारा ग्रहीत वस्तु, और शायद कर्म-योगका प्रयत्न ही है, किन्तु स्वभाव-रूप बना हुआ जीवन नहीं।

अेक. बात और। कर्म-योग ही अीश्वरोपासना है, अिस सिद्धान्तपर छटे रहकर मनुष्य अपने चित्तमें शान्ति और समाधान तभी अनुभव कर सकता है, जब वह तीन शर्तोंको पूरा करे —

(१) अुसे यह निश्चय हो कि वह जो कुछ करता है, कर्त्तव्य-कर्म ही करता है; (२) अुन कर्मोंके करते हुओ अुसके मनमें वैसा ही भाव रहे जैसा किसी सच्चे भक्तके स्तवन-पूजनमें भक्ति और प्रेमाद्रिताका भाव रहता है; क्षुद्र राग-द्वेष, अथवा शुष्क तटस्थताका नहीं; और (३) अुसे ज्ञान हो, अर्थात् कर्म करते हुओ भी वह कर्मके तत्त्व, अुसके प्रयोजन,

अुसके अन्तिम परिणाम और जीवनके घेयको अच्छी तरह समझे हुआ हो, अतः अिनके सम्बन्धमें भ्रमका अभाव हो। कर्म करते हुओ भी वह नाश्वान् हैं और सब कर्मोंके फल सदा शुभ और अशुभ दो प्रकारके होते हैं, अिसका स्पष्ट दर्शन अुसे हो; और अिस वातकी सतत जाग्रति रहे कि अपने ही निर्मित अिन कर्मोंके जालमें खुद ही न फँस जाय। ‘सगुणी भजे लेश नाहीं भ्रमाचा।’ (रामदास) अर्थात् गुणोंको भजते हुओ भी भ्रमका लेशतक न हो।

जबतक अिन तीनों शर्तोंको पूरा न कर पाये, तबतक भले ही मनुष्य स्तवनोपासनाके विना काम चला ले, परन्तु अुसके लिये सहज-अुपासनामें स्थिर होना संभव नहीं। अर्थात् अुसके जीवनमें कभी अशान्त होनेका, परीक्षाके समय धीरज खो वैठनेका, किसी आलंभनको खोजनेका, और स्तवनकी जो शक्ति वह खो वैठा है, अुसे फिर याद करनेका अवसर आ सकता है।

ऐसे अुदाहरण पाये जाते हैं कि जो अपनेको नास्तिक कहते थे, वे ऐसे प्रसंग आनेपर ग्रहोंका अनुष्ठान करनेतक वहम या अन्ध-श्रद्धा के भक्त बन गये। क्योंकि कर्तव्य-कर्मोंमें ही नहीं, वल्कि काम्य-कर्मोंमें भी आसक्ति, कर्तव्य-कर्मोंमें भी राग-द्वेषका प्रभाव और ज्ञानका अभाव, ये बातें किसीको सहज स्थितिमें टिकने दें, सो असम्भव है।

तीन शर्तोंकी अधिक चर्चा — अिन तीन शर्तोंकी अधिक चर्चा करना यहाँ निरर्थक न होगा। क्योंकि यदि अिन तीन शर्तोंकी यथावत् सिद्धि न हो, तो वह न केवल सहज-अुपासना अथवा काम-द्वारा अुपासना न रहेगी, वल्कि कर्म-जड़ता, जड़वादिता या तीव्र असन्तोष अुत्पन्न करेगी। सहजोपासनाका ऐसा परिणाम आ सकता है, अिसीसे हम अिस वातका भी पता लगा सकेंगे कि अिन शर्तोंकी सिद्धिके साधनके तीरपर स्तवन-अुपासना हमारी क्या सहायता कर सकती है।

तो अब हम पहली शर्तको लें। अिस सिलसिलेमें हमें किसी असामान्य महात्माका विचार नहीं करना है। वल्कि हम ऐसे मनुष्योंको ही दृष्टि-पथमें रखेंगे, जो साधारण हैं, किन्तु विचारशील और कर्तव्य-पालनमें प्रयत्नशील हैं।

ऐसा मनुष्य शायद ही यह कह सकेगा कि मैं कर्तव्य-कर्मोंके सिवा दूसरे कोई कर्म करता ही नहीं। वल्कि अगर सच पूछा जाय और अगर हम अपने ही जीवनका परीक्षण करें, तो हमें मालूम पड़े विना न रहेगा कि हम प्रतिदिन ऐसे कर्मों करते हैं, जो न केवल कर्तव्य-रूप नहीं होते, वल्कि निर्दिच्चत रूपसे अकर्म (न करने योग्य) भी होते हैं, और अिस बातको जानते हुअे भी हम अनुहृत किये विना नहीं रह सकते।

यत्नशील रहे तो भी सुजका भी हरे मन,

अुन्मत्त अिन्द्रियों सारी बलसे विषयों-प्रति ।

स्वच्छन्द अिन्द्रियों-पीछे मन जो दौड़ता रहे,

देहीकी सो हरे प्रक्षा नौका ज्यों वायुसे वहे ।*

जबतक हमारी वास्तविक जीवन-स्थिति अिस प्रकारकी हो, तबतक यह कहना मुश्किल है कि हमारी सारी कर्म-प्रवृत्ति आश्वरोपासना-रूप है। हाँ, अपने कुछ कर्मोंके सम्बन्धमें शायद हम यह दावा कर सकें, परन्तु सब कर्मोंके सम्बन्धमें नहीं। अब जिन कर्मोंको हम आश्वरोपासना-रूप नहीं बता सकते, अुनके सम्बन्धमें हमें अपना चित्त शुद्ध करना, और अुनसे अलग हटनेका बल प्राप्त करना हमारे लिअे अभी बाकी है। फिर कर्तव्य-रूप लगते हुअे भी जिन कर्मोंको हम नहीं कर सकते, और अिसलिअे सत्यके मार्गपर नहीं चल सकते, अुनके लिअे भी हमें अभी शक्ति प्राप्त करनी है।

जो कर्म हमारी अनिच्छा होते हुअे भी हो जाते हैं, और जिन्हें अिच्छा होते हुअे भी हम नहीं कर सकते, अुनके लिअे सच्चे आदमीका हृदय व्यथित होता रहता है। किसीका अपराधी जैसे अुससे क्षमा माँगता हो, अुसी प्रकार, — भक्तकी भाषामें कहें तो, और आश्वरकी व ज्ञानीकी भाषामें कहें तो — अपने सदसद्-विवेकसे क्षमा माँगनेकी अुसकी भावना रहती है।

* यततो श्वप्ने कौन्तेय पुरुषध्वं विषयिनः ।

अिन्द्रियाणि प्रपायोनि हरन्ति प्रवृत्तं मनः ॥

अिन्द्रियाणां हि चरतां यन्मतोऽनु विदोवते ।

तदस्य हरति प्रक्षा वायुनांश्चित्राम्भति ॥

अिस व्यथित अन्तःकरणको मनुष्य किस प्रकार शान्ति दे ?

अब दूसरी शर्त यह है कि अपने कर्तव्योंका पालन करते हुआे मनुष्यको अनुमें भक्ति-भाव रखना चाहिए ।

साधारण मनुष्यके लिये कर्तव्य-निष्ठा और भक्तिमें काफी अन्तर रहता है ।

शुदाहरणार्थ, यदि कोओ शिक्षक अपने सब विषयोंको जी-जानसं मेहनत करके और वैज्ञानिक पद्धतिसे पढ़ता हो, तो कह सकते हैं कि वह अपने कर्तव्यका ठीक-ठीक पालन करता है; किन्तु यह हो सकता है कि वह अनेक विषयोंकी पढ़ाओं तो ठीक-ठीक करता हो, पर अनुमें अुसका अनुराग न हो — पाठशाला या अपने पेशेके प्रति वफादारी और विद्यार्थियोंके प्रति कर्तव्य-भावके कारण ही वह अन्हें पढ़ा देता हो । चन्दपनसे मिली हुओ तालीमके कारण बाज़ लोगोंका स्वभाव ही ऐसा बन जाता है कि जिन कामोंके लिये अनुके मनमें प्रेम या श्रद्धा न हो, वल्कि अरुचि हो, तो भी यदि उनका भार अनुपर आ पड़े, तो वे अन्हें अतनी ही मेहनतसे करते हैं, जितनी अनुमें आसक्ति रखनेवाला कोओ मनुष्य न करेगा । ऐसा मनुष्य कर्तव्य-निष्ठा है, कर्मयोगी है । परन्तु यह नहीं कह सकते कि उसे अपने कर्ममें भक्ति या अनुराग भी पैदा होता है । वह अपने कर्म-योगको तो बराबर साधता है, पर अुसके द्वारा वह अीश्वरोपासनाका समाधान नहीं प्राप्त कर सकता । क्योंकि अीश्वरोपासनासे केवल बुद्धिको ही समाधान नहीं मिलता, वल्कि भावनाको भी तुष्टि मिलती है । ‘मैंने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया ।’ यह समाधान ही मनुष्यको हमेशा सन्तोषजनक प्रतीत नहीं होता । वल्कि जिन कर्मोंमें मनुष्यकी निष्ठा होती है वे ही जब कर्तव्य-रूप भी होते हैं, और अन्हें वह यथावत् पूर्ण कर सकता है, तभी अुसको पूरा-पूरा समाधान मिलता है । जब-तक ऐसा नहीं हो पाता तबतक मनुष्य प्राप्त कर्तव्योंको करते हुआे भी, अनजानमें ही अपने मनोनुकूल कर्म-मार्गकी खोजमें रहता है, और तब-तक वह कुछ-कुछ असन्तुष्ट भी रहता है ।

अिस असन्तोषकी आग और अनुकूल कर्म-मार्गको प्राप्त करनेकी व्याकुलताका शमन वह किस प्रकार करे ?

अब तीसरी शर्त — मनुष्य भले कर्तव्य-कर्ममें ही प्रवृत्त रहता हो, कभी अकर्तव्य न करता हो, कर्तव्यके प्रति मनमें भक्ति और निष्ठा भी अनुभव करता हो, फिर भी यह हो सकता है कि वह सहज-शुपासना की सिद्धिको प्राप्त न कर सके, क्योंकि वह अज्ञान है।

“जिसके अधोन चलता सब कर्म-चक्र” अिस नियमको यदि वह न समझता हो, कर्मके परिणामके विषयमें भुलावेमें पड़ा हो, यह पता न पड़ता हो फिर कर्मका यह सारा खटाटोप आखिर क्यों है, तो ऐसी दशामें सब कर्मोंका यथार्थ पालन करते हुओं भी मनुष्यको शान्ति या समाधान नहीं पिल सकता।

किसी चतुर कविने ब्रह्माको ‘कर्म-जड़’ कहा है। सुवहसे शाम-तक वस सर्जन, सर्जन, सर्जन — यही ब्रह्माका काम माना गया है। कुदरतमें लाखों जीव, वस, दूसरे ही क्षण मरनेके लिये पैदा होते दिखाओं देते हैं। जिन असंख्य जीवोंको बचाया नहीं जा सकता, अन्हें पैदा करनेका आखिर क्या प्रयोजन है, यह शंका खड़ी होनी स्वाभाविक है। और यह काम करनेवाला कोअभी ब्रह्मा-जैसा व्यक्ति हो, तो ऐसी शंका झुठ सकती है कि वह ‘कर्म-जड़’ अर्थात् विना विचारे ही सर्जन-कर्म करनेवाला होगा।

कर्मके विषयमें तीन प्रकारकी जड़ता हो सकती है।

अिनमेंसे दो प्रकारकी कर्म-जड़ताका बहुत अच्छा आलेखन कविवर रवीद्रिनाथने अपने ‘अचलायतन’में किया है। असमें वर्णित श्रोणर्पाशुओंको कर्मके सिवा कोअभी दूसरी वात सूक्षती ही नहीं। किसी भूत-पलीतकी तरह अन्हें सदा कोअभी-न-कोअभी काम चाहिये ही। अुपयोगी हो या अनुपयोगी, द्वितकर हो या अहितकर, नीतियुक्त हो या अनीतियुक्त हो, जिन सबका विचार किये विना ही वस ‘कुछ काम ज़स्तर करना चाहिये’, यही लुनका स्वभाव होता है। वयैर कामके बे शान्त नहीं बैठ सकते। कर्ममें कव प्रवृत्त होना चाहिये, और कव असमेंसे निवृत्त होना चाहिये, अिन दोनों वातोंका निर्णय करनेके लिये शानकी अपेक्षा रहती है। जैसे प्रश्नित आवश्यक है वैसे ही परावृत्ति या निवृत्ति भी कभी-कभी आवश्यक होती है। श्रोणर्पाशु सिर्फ़ पहली ही वात जानते थे। अुपनिषद्कारके शब्दोंमें लुनका वर्णन अिस प्रकार है—

अविद्यार्थी वहुधा वर्नमाना वयं कृतार्था अित्यभिमन्यन्ति वालः ।
यत्कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागात्तेनातुराः क्षीणलोकाद्यवन्ते ॥*

(मुण्डक — १. २०. ९.)

‘अचलायतन’ के स्थविर दूसरी प्रकारके कर्म-जड़ हैं। ये लोग निवृत्तिमार्गी तो नहीं, किन्तु काल्पनिक कर्म-काण्डमें मशाल हैं। ये शोण-पांशुओंके सामान्य कर्म-योगमें रही थेकाङ्गिताको जानते हैं, परन्तु युससे प्रभावित होकर ये युसके आवश्यक भागका भी निरादर करते हैं। फिर भी चूँकि अिनमें सुखकी वासना शोणपांशुओंसे कम नहीं होती, अिसलिए अिन्होंने अपना अेकं काल्पनिक कर्म-काण्ड रच डाला है। अिनके हृदय शोणपांशुओंसे भी अधिक युक्त हैं। अतः ये अिनमें शोणपांशुओंकी स्वाभाविकता नहीं, तो फिर दर्भेकोंकी सरलता तो कहाँसे होगी? अिस दृष्टिसे ये शोणपांशुओंकी अपेक्षा भी अधिक जड़ हैं।

तीसरे प्रकारकी कर्म-जड़ता, अकांगी निवृत्तिस्थूप है। कर्म-मार्ग संकटोंसे भरपूर है। कर्म-लोक नाशवान है। प्रत्येक कर्म शुभ-अशुभ फलदायी है। विचारसे अिस वातको जानकर वह कर्म-मात्रका बल-पूर्वक त्याग करता है। परन्तु यह अकांगी विचार है। जिस प्रकार तृफानमें पढ़े जहाजका कोअी कसान यह देखकर कि लोगोंको डॉगियोंमें झुतारनेमें भी जोखिम है, और अिघर सबको बचाया भी नहीं जा सकता, किसी को भी बचानेकी कोशिश न करे; अथवा कोअी शब्द-बैद्य, माता या बच्चा दोनोंसे किसी अेककी हत्या होगी ही, अिस विचारसे नक्तर ही न लाये, युसी प्रकारकी यह निवृत्ति कही जा सकती है। यह भी अेक प्रकारकी कर्म-सम्बन्धी जड़ता ही समझी जानी चाहिये।

बस्तुतः यह जान लेना तो बहुत आवश्यक है कि कर्म-लोक नाशवान है, और संकटोंसे भरा है, और शुभ-अशुभ दोनोंसे भिन्न है। परन्तु ऐसा जानकर भी प्रात परिस्थितिमें यथादाक्य ज्ञान और विवेक-बुद्धिका युपयोग करके हमें अनुचित कर्म करना है।

* अनेक प्रकारकी अविद्यामें फँसे हुए ये अज्ञानो (वालक) “हम कृतार्थ हैं,” ऐसा अभिमान रखते हैं। रागके वश होनेके कारण ये कर्म-मार्गी अज्ञानी ही हैं। अिसलिए दुःखी होकर और सब प्राप्तिमेंको खोकर नीचे गिरते हैं।

संसारके श्रमजीवी लोगोंका जीवन अनेकांशमें आवश्यक कर्म करनेमें ही जाता है। अनावश्यक अतिथ्रेव जिन्हें कर्तव्य-रूप नहीं कह सकते ऐसे कर्म करनेकी गुंजाइश उन्हें बहुत कम होती है। यदि कर्तव्य-कर्मोंके केवल आचरणसे ही जीवन कृतार्थ हो सकता हो, तो किसानों और मज़दूरोंको सबसे अधिक कृतार्थताका अनुभव होना चाहिए, और अनुका सबसे अधिक विकास हो जाना चाहिए। परन्तु कर्म-योगके साथ जो ज्ञान-दृष्टि होनी चाहिए अुसके न होनेसे अनुकी रियति भी अपूर्ण ही है; और असलमें जगत्के 'अन्नदाता' होते हुए भी वे सबसे अधिक पीड़ित स्थितिमें रहते हैं।

परन्तु जीवनके संस्कारोंको बदलनेके विषयमें बुद्धिकी शक्ति बहुत सीमित सिद्ध होती है। अुसके लिये बुद्धिके अलावा भावना-वलकी भी ज़रूरत है। अिस वलके अमावर्षे बुद्धिमान वर्ग भी दूसरे प्रकारसे कर्म-जड़ बन जाता है।

अिस सबका सार यह है कि कर्म-योग ही अश्वरोपासना है, (Work is worship) यह सब्र पूर्ण-रूपसे सत्य नहीं है। हाँ, यह सच है कि कर्म-योग अश्वरोपासनाका एक अंग, और महत्वपूर्ण अंग, अवश्य है। यह भी भले ही कहा जाय कि पूर्ण विवेकी और संयम-सिद्ध मनुष्यके लिये यही एक अंग वाक़ी रहता है। परन्तु तत्त्वक कर्मयोगका आचरण करते हुओ भी कर्मयोगको सहज अुपासना बनानेके लिये जिन शर्तोंकी पूर्ति आवश्यक है वह केवल कर्मयोगसे ही नहीं हो सकती, वल्कि दूसरी तरहसे की जानी चाहिए। जिस प्रकार वैद्यक-शास्त्रके विद्यार्थी का केवल शरीर-विज्ञान और दबा-दारुकी जानकारीसे काम नहीं चल सकता, वल्कि अुस शास्त्रके भूमिका-रूप पदार्थ-विज्ञान, रसायन-शास्त्र, बनस्पति-शास्त्र अित्यादि विषयोंका भी अध्ययन करना पड़ता है, और फिर अिन सबका अुपयोग वैद्यकमें करना होता है, अुसी प्रकार जिसकी धारणा कर्म-योग द्वारा ही जीवनका लक्ष्य सिद्ध करनेकी हो अुसके लिये भी ज्ञान और भक्तिको पुष्ट करके अुसका अुपयोग कर्म-योगमें करनेकी आवश्यकता है। दूसरे शब्दोंमें, अुसके लिये कर्म-योगके अलावा और

जीवन-शोधन

तरहसे भी अीश्वरोपासना करना चाही रहता है। वह दूसरी रीति है, स्तवन-अुपासना की।

स्तवन-अुपासनाका 'नेति' स्वरूप — अिस तरह, असत्यसे उसकी प्राप्तिके लिये, भावनाके अनुग्रीलनके लिये, और जिस-जिस प्रकारके ज्ञानके विना हम खुद अपने ही बनाये कर्म-जालमें फँस जाते हैं, उस ज्ञानकी वृद्धिके लिये, सांसारिक कर्मोंको करते जाना और उसीको अीश्वरोपासना मान लेना काफ़ी नहीं है, वलिक असी प्रवृत्तियोंका स्त्रीकार करना आवश्यक हो जाता है, जिनमें सांसारिक कर्मोंका सम्बन्ध न हो।

सांसारिक कर्मोंको स्वाभाविक प्रवृत्ति माननेकी हमें आदत है, अिसलिये, सम्भव है कि हमें स्तवन आदि प्रवृत्तियाँ कृत्रिम मालूम हों, और जहाँ एक बार उन्हें कृत्रिम समझ लिया कि फिर अनकी तरफ अच्छि हो जाना मामूली बात हो जाती है। परन्तु सब पूछिये तो सांसारिक कर्म होने मात्रसे कोई प्रवृत्ति स्वाभाविक नहीं हो जाती, और न स्तवन आदि विषयक होनेसे कृत्रिम हो जाती है। सांसारिक कर्मोंमें भी कृत्रिम प्रवृत्तियोंका टोटा नहीं है। जो-जो प्रवृत्तियाँ दूसरोंको चकाचौध करनेके लिये की जाती हैं वे सब कृत्रिम ही हैं। धर्म-प्रवर्त्तक मन्दिर, मसजिद, होम, पूजा आदिकी आडम्बर-युक्त विधियाँ सचकर जिस प्रकार धर्मको कृत्रिम बना देते हैं, उसी प्रकार राज-पुरुष भी वहेवहेभव्य दृश्योंका आडम्बर रखते हैं। दिल्ली-दरवारका भव्य आडम्बर और किसी आचार्यके स्वागतका भव्य आडम्बर, दोनों, एक ही कोटिके हैं।

मतलब यह कि स्तवन-अुपासनाको महज अिसलिये कि वह स्तवन है, कृत्रिम प्रवृत्ति कहना ठीक नहीं। हरयेक मनुष्य कभी-न-कभी स्तवन करता ही है। किसी कारणसे वह स्तवन करनेकी शक्ति लो वैठा हो, तो भी कभी-कभी वैसा समय आता है, जब वह स्तवनकी अिच्छा करता है, परन्तु शक्ति न रहनेके कारण द्विन होता है। कृत्रिमताके लिये भी आधार तो आखिर स्वाभाविक ही होना चाहिये। अतः यदि कोई वह आक्षेप करे कि स्तवन-अुपासनापर कृत्रिमताकी बहुत बड़ी अिमारत खड़ी की जाती है, तो उसे मंजूर करना पड़ता है। असी अनावश्यक और

शुपासना

आडम्बरवाली रचनाको तोड़ डालना ही अुचित है। और यह ध्यानमें रखना ज़रूरी है कि अुसे न तोड़ने देनेका आग्रह ही स्तवन-शुपासनाके प्रति न केवल अश्चि अुत्पन्न करता है, बल्कि अुसके आवश्यक तत्त्वोंका भी अस्तीकार करनेका अुल्या हठ पैदा करता है।

तब, हमें पहली बात यह माननी पड़ेगी कि हम स्तवन-शुपासना मंजूर करेंगे, परन्तु अुसकी शुद्धिके लिये अुसके स्वरूपमें जो कुछ फेरफार जन्-जव् करना ज़रूरी होगा, अुसे करनेमें नहीं हिचकंगे। व्यक्तिगत शुपासनामें तो फेरफार करनेमें कोअी दिक्ष्तर पेश ही नहीं आती। लेकिन, आमुदायिक शुपासनामें फेरवदल करनेमें मुक्तिलैं पैदा होती है। वह बात सामुदायिक शुपासनापर उस तौरसे लाघू होती है। अगर अिस फेरफारसे पुरानी परम्परायें दृढ़ भी जाती हों, तो भी हर्ज़ नहीं। यदि हम अिस बातको स्वीकार करनेके लिये तैयार न हों, तो सामुदायिक स्तवन-शुपासना लँगाही ही रहेगी। और केवल क्षणिक घन, यौवन या सताके मदसे अन्ये बने हुए लोगोंके लिये ही नहीं, बल्कि अच्छे प्रामाणिक आस्तिकोंको भी वह नामंजूर और ना-आकर्षक रहेगी।

फिर, कर्म-योगका जो महत्व अपर बताया गया है, अुसमेंसे यह भी निकलता है कि स्तवन-शुपासना कर्म-योगका विरोध करनेवाली या अुससे मेल न रखनेवाली न होनी चाहिये; बल्कि कर्म-योगको शुद्ध करनेवाली और केवल कर्म-योगमें रही कमीकी पूर्ति करनेवाली होनी चाहिये।

स्तघ्न-शुपासनाकी 'अिति' याँ — किसी भी धर्म या सम्प्रदायकी विधियों आदिको अल्प-अल्पा जाँच करनेसे अुसमें तीन बातें दिखाजी करके अुसकी देनी चाहियें : (१) परमात्माके साथ, अथवा जिस ऐतिहासिक या काल्यनिक व्यक्तिके प्रति परमेश्वरका भाव हो अुसके साथ, अनुसंधान करने (दिल जोइने, लौ लगाने) का प्रयत्न; (२) चित्तमें सत्त्विक, पवित्र और प्रसन्नकारी भाव लानेका प्रयत्न; और (३) परमात्मा, जगत्, जीवम् या समीप होनेका प्रयत्न करता है। 'शुपासना' शब्दके धार्तर्थमें ही यह

भाव है। परमात्मा क्या है और कहाँ है, यह वह खुद अभी जानता नहीं; अगर दोनोंके बारेमें खुलासा करने जाता है, तो वह गलत भी हो सकता है। फिर भी, जन्म-ज्ञात बुद्धिसे (instinctively) वह युसको समझता हुआ प्रतीत होता है। और जैसे किसी अत्यन्त प्रिय मित्रके दूर रहते हुये भी वह हमें अपने हृदयमें बसा हुआ लगता है, अुसी तरह मानो वह अुसके नज़दीक रहकर अुसके हृदयपर अधिकार किये हुये है, ऐसा अुसे प्रतीत होता है।

चित्तमें सात्त्विक, पवित्र और प्रसन्नकारी भाव अुपजानेका प्रयत्न तरह तरहके रूप लेता है। जैसे, नाम-स्मरण, धून, विविध भाववाले भजन, पवित्र पुरुषोंके चरित्रोंका श्वरण-पठन-कीर्तन, स्तोत्रपाठ आदि। अिनके सहायक-रूपमें स्नान, शुद्ध वस्त्र, अच्छा आसन, स्वच्छ स्थान, पुष्प, धूप, दीप, वाद्य, मूर्तियाँ, चित्र आदि अिन्द्रियोंको खुश करनेवाली सामग्री होती है। मनुष्य-स्वभावकी एक दुर्बलताके कारण वहुतसे लोग और पुरोहित भी यह माननेकी भूल कर बैठते हैं कि ऐसे किन्हीं प्रकारों और अुपकरणोंको जुटाना ज़रूरी ही है। अक्सर पुरोहितोंकी तरफसे मनुष्यको ऐसी भूलमें रख छोड़नेका ही प्रयत्न किया जाता है। परन्तु अिस सम्बन्धमें और ज्यादा विचार करनेकी आगे ज़रूरत होगी। यहाँ अुसके भूल अुद्देश्यको समझानेके लिये ही अितना अुल्लेख किया है।

विचार-शुद्धिके प्रयत्नमें किसी तात्त्विक ग्रंथ या सत्पुरुषकी वाणीका वाचन, भजन अथवा तात्त्विक चर्चा या प्रवचन आदि होते हैं।

यदि अूपर किया व्यान सही हो, तो स्तवन-अुपासना चाहे व्यक्तिगत हो या सामुदायिक, अुसमें अिन तीनों तत्त्वोंको पोषण मिलना चाहिये।

अब हम पहले यह विचार करलें कि स्तवन-अुपासना व्यक्तिगत हो या सामुदायिक।

व्यक्तिगत या सामुदायिक ? — 'प्रार्थना' (स्तवन-अुपासना) का अतिशय महत्व जानने और बतानेवाले टॉल्ट्यॉयकी राय है कि —

“ ३७५, अिस प्रकारकी प्रार्थना जनसमुदायमें नहीं हो सकती; वल्कि सोलहों आना ऐसे अेकान्त स्थानमें ही हो सकती है, जहाँ किसी वाहरी चित्ताकर्षक वस्तुका अभाव हो। ” (जीवन-सिद्धि)

अुपासना

यहाँ टॉल्स्ट्रॉयके 'अिस प्रकारकी' शब्द तो महत्वपूर्ण हैं ही; परन्तु अनपर जोर देकर ही अिस बातकी चर्चा करना अचित न होगा। क्योंकि यह कहनेमें कोउी इर्ज नहीं कि कुल मिलकर टॉल्स्ट्रॉयका सख सामुदायिक स्तवन-अुपासनाके प्रतिकूल है। दूसरोंके मार्ग-दर्शनके लिये वहुत खुब साहिय निर्माण करनेका खयालेप करते हुआ और ओसा-मसीहके सच्चे अनुयायी होनेकी अिच्छा रखते हुआ भी आनंदका यह मत है— कि “हमारे ज्ञानी श्रद्धामें फँसनेसे बचनेके लिये यह जरूरी है कि हम अपनी बुद्धिके तिवा दूसरे किसी भी मनुष्यपर विश्वास न रखें।”

(सदर, कलम ३६२)

यह बदतो व्याधात जैसा तो है ही। परन्तु मनुष्य जब वहुत ठोकर खा चुकता है, तो आसकी मनोदशा ऐसी हो जाती है। आसका अनुभव और प्रकोप अप्योगी होता है, परन्तु युधके निरूपणमें आवेश भरा हुआ होनेसे वह पूरी तरह अचित न हो, तो आश्चर्य न करना चाहिये।

हम जानते हैं कि टॉल्स्ट्रॉयसे प्रभावित होने पर भी गांधीजी सामुदायिक अुपासनापर बहुत जोर देते हैं। हज़रत मुहम्मद भी अिसको वहुत महत्व देते हुआ दिखाए देते हैं। हालाँकि मैं समझता हूँ कि व्यक्तिगत अुपासनाको भी वे बहुत आवश्यक मानते थे।

मनुभवसे और तात्त्विक रीतिसे ही हम अिसका विचार करेंगे। ‘परमात्माकी साधना’ वाले प्रकरणमें नीचे स्लिखे अनुसार दो मुद्दे नेश किये गये हैं:

(१) अनुसन्धान या लौ लानेके लिये कुछ अंशतक अेकाकी विन्तनकी अपेक्षा है ही। (अेकाकीका अर्थ मनुष्य-समाजसे विलक्षुल ही दूर रहना नहीं है, वल्कि उस शान्तियुक्त स्थानमें विन्तन करना है, जहाँ दूसरे खलल न ढाल सके।) और,

(२) अनुसन्धानके लिये कुछ हृद तक सत्तंगकी भी जरूरत होती है। (सत्तंगका अर्थ है, अपनेसे विशेष पवित्र जनोंका सहवास और समान प्रकृतिके ब्रेयाथकि साथ अुपासनामें सहयोग।)

बात यह है कि परमात्माके साथ लौ ल्यानेकी वृत्ति जब किसीके मनमें अुठती है, तो उसे निरूपाधिकताकी — दूसरे किसी काम या व्यक्तिसे खल्ल न पहुँचनेकी — आवश्यकता मालूम होती है। शोर-गुल और दूसरे काम या आदमीकी हरकत पंसंद नहीं आती। यिस वृत्तिकी तीव्र स्थितिमें — टॉल्स्टोयके शब्दोंमें ‘अुच्चतम आध्यात्मिक मनोदशाके समय’ — वह अपनी अुपासना ऐकान्तमें ही करना चाहता है। परन्तु जब यितनी बहुत ही ऊँची मनोदशा न हो, तब यह आवश्यक नहीं कि अधम मनोदशा ही हो। वेडेसे वडे भक्तको भी ‘अुच्चतम मनोदशा’ से नीचेकी मध्यम मनोदशाका ही आती है, और साधारण लोगोंको तो वडे अंशमें मध्यम मनोदशाका ही अनुभव रहता है। यदि ऐसे समय परमात्माका अनुसन्धान न कर सके, तो भी यिस प्रकार अुसका स्मरण तथा भक्ति आदि कोमल भाव और धर्माधर्म तथा तत्त्व-विचार करनेकी वृत्ति रहती है, जिससे अुस स्थितिमें पहुँचनेके लिये ये सीढ़ीका काम दे सकें। ऐसी स्थितिमें वह अपनी समान-रुचिके दूसरे लोगोंका सहयोग खोजता है। जो यिस प्रकार सहयोग चाहता है, वह हर किसीको अिकट्ठा करना नहीं चाहता। अिच्छासे या अनिच्छासे चाहे जैसे लोगोंके अिकट्ठा होनेकी अपेक्षा तो वह अकेला रहना ही पसन्द करेगा।

मनुष्योंका कुछ भाग यिस मझली स्थितिका होता है। अर्थात्, न केवल ऐकान्तमें ही प्रयत्न कर सके ऐसी तीव्र वृत्तिवाला ही और न ऐसा ही जो केवल समुदायमें ही ऐसा प्रयत्न करना चाहता है; बल्कि वह कुछ ऐकान्तमें भी अनुसंधान करनेकी अिच्छा रखता है और यदि समान रुचि रखनेवाले दूसरें साथी मिल जायें, तो उनको सहवास भी चाहता है। बहुत लोग तो सामुदायिक स्तवनमें भाग लेते लेते व्यक्तिगत अुपासना करने लगा जाते हैं। जैसे जैसे ऐसे व्यक्ति अपने प्रयत्नमें आगे बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे वे ऐकान्त प्रयत्नकी ओर अधिक झुकते जाते हैं, और जब समुदायमें बैठते हैं तो धीरे धीरे खुद मध्यविन्दुकी ओर आते जाते हैं, कोर (परिधि) पर नहीं रहते। सीधी-सादी भाषामें कहें तो वे अपने साथ ऐक मण्डली बनाते जाते हैं और अपनी रुचिका स्वाद दूर रोंको लगाते जाते हैं। ऐसे परिणामके कारण ही ऐसा सहवास संग कहलाता,

शुपासना

है। और वह शुभ हेतुसे तथा सद्रचिवाले मनुष्योंका होनेके कारण सत्संग कहलाता है। डॉल्स्ट्रॉयने पाखण्ड-खण्डनके आवेशमें भले ही ऐसी भाषा अिसेमाल की हो, जिससे समुदाय-मात्रका निषेच भले ही जाता है, परन्तु खुद अन्होने भी सत्पुरुषकी संगत खोजी थी और असेसे लाभ कुठाया था। जगत्‌का अनुभव भी ऐसा ही है। जैसा कि तुलसीदासजीने कहा है—

मुदंसंगलयम संत-समाज् । जो जग जाम तीरथराज् ॥

और

विनु सत्संग विवेक न होअी ।

विना सत्संगके विवेकका—स्तवन-शुपासनाके तीसरे अंगका—विकास नहीं हो सकता। अिसलिए डॉल्स्ट्रॉयका निषेच सम्प्रदायों और अनुमें पोषित रूढ़ियों तक ही सीमित समझना शुचित है। यिस तरह अेकसी रचिवाले मनुष्योंकी परमात्मके साथ अनुसंधान शुपासना निर्माण हो जाती है। ठीक तरह वहीं हुड़ी ऐसी शुपासना अेकान्तिक-अुपासनाके लिये कभी घातक नहीं होती, बल्कि वह समुदायके व्यक्तियोंको असकी ओर ले जाती है। जो सामुदायिक शुपासना ऐसा परिणाम न ला सके, असमें कोअी दोष होना चाहिये।

तात्पर्य—यह कि, यदि सामुदायिक स्तवन-शुपासनाका स्वरूप ठीक ठीक हो तो वह:

१. व्यक्तिगत शुपासनाकी अपासनाकी मारक नहीं, बर्तिक पोषक होगी; जिनमें व्यक्तिगत शुपासनाकी दृति तैयार नहीं हुड़ी है, अनुमें असे दैदर करेगी।

२. मनुष्यको अपना श्रेय खोजने और समझनेके लिये उसकी पूर्तिका सांघन और सत्पुरुषकी परिचयकी जो जरूरत होती है, शुसकी पूर्तिका सांघन बनेगी।

३. जिस प्रकार पाठशालाओंमें प्रचलित सांसारिक विद्याओंका अन्यास यदि विद्यार्थीमें अन विद्याओंका खुद होकर ज्यादा अध्ययन करनेकी दृति न शुपना सके, तो वह निफल हुआ माना जायगा, वैसी ही बात अध्यात्मविद्याके विषयमें स्तवन-शुपासनाकी समझनी चाहिये।

४. यह हो सकता है कि किसी खास मानसिक स्थितिमें मनुष्य व्यक्तिगत अुपासना ही करनेकी अच्छा करे। ऐसा परिणाम आना अष्ट है, और अुस समय यदि वह सामुदायिक स्तवन-अुपासनामें भाग न ले तो अुसमें दोष नहीं।

५. भले ही सिद्धान्तके तौर पर यह न कहा जा सके कि सामुदायिक स्तवन-अुपासनासे मिलनेवाले सत्संगसे गुजरे बिना कोअी व्यक्ति आगे बढ़ ही नहीं सकता-ऐसा निरपवाद नियम है। फिर भी ऐसा कहीं सुननेमें नहीं आया कि कोअी मनुष्य अुसके बिना आगे बढ़ा हो। यदि कोअी अपवाद हो तो ऐसे व्यक्ति अपना मार्ग खुद अपने आप निकाल लेते हैं।

सामुदायिक अुपासनामें अुत्पन्न दोष — सामुदायिक स्तवनकी अुपयोगिता और आवश्यकता हमने देखी। अब अुसका स्वरूप ठहरा लेना अुचित है। लेकिन अिसके भी पहले स्तवन-अुपासनामें अुत्पन्न दोषों और अुनके कारणोंका विचार कर लेना ठीक होगा, जिससे हम भरसक अुनसे हृष्टनेका प्रयत्न कर सकें और अुनके प्रति जाग्रत् रह सकें।

एक बार जहाँ सामुदायिक स्तवनकी अुपयोगिता तथा आवश्यकता मालूम हो गई कि मनुष्यके अन्दर रही हुअी समाज-प्रियता अुसे समुदाय जुटानेकी प्रवृत्तिमें लगाती है। अेकाकी अुपासना करनेवालेको यदि कोअी दूसरा सौ फ़ीसदी समान रुचिका साथी मिल जाय तो अुसे — “अेकसे दो भले” अिस न्यायके अनुसार मनमें अच्छा लगता है। तीसरा साथी यदि सौ फ़ीसदी अपनी ही रुचिका न हो, बल्कि नव्वे फ़ीसदी हो तो भी चल जाता है। अिस तरह धीरे धीरे संख्याका महत्व बढ़ता जाता है। हमारे साथ अुपासनामें अब दस आये, सौ आये, हजार आये, लाख आये—यह देखकर समुदाय बनानेवालेको तथा अुसके मूल साथियोंको एक प्रकारकी कृतोर्यता मालूम होती है। अुसका अभिमान भी होता ही है। ज्यों ज्यों संख्याके लिये रुचि बढ़ती जाती है, त्यों त्यों रुचिकी समानताका माप घटता जाता है; और जैसे विभाज्य और अविभाज्य अंकोंका महत्तम समापवर्तक एक ही होता है, अुसी तरह अिस समुदायमें रुचिकी समानता वही रहती है, जो कमसे कम हो सकती है। आम तौर पर यह कह

अुपासना

सकते हैं कि अिस समुदायका महत्तम समापर्वतक बहुत करके वह व्यक्ति होगा, जो सुगमसे सुगम 'सा रे ग म' और सरलसे सरल तालमेंसे मिलता आनन्द परख सकता और अुसकी रुचि रखता हो। अमतोर पर संगीतकी अितनी देन और अभिरुचि नबे फ़ीसदी मनुष्योंको मिली होती है।

समुदाय बनानेवालेका साथी लोजनेमें और प्राप्त करनेमें जैसा हेतु रहता है, वैसा सुके-साथियोंमें सोलह आने नहीं रहता। अिससे संख्या बढ़ानेके लिये वे सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं। अुस मेहनतका स्वरूप होता है समुदाय और स्ववनको आकर्षक बनानेका। अिस वृत्तिमेंसे ही आकर्षक भवन, आकर्षक संगीत, धूप, दीप, आरती, धंया, चित्र, फूलोंका शुंगार, प्रसाद अित्यादि अिन्द्रियाकर्यक सामग्रीका ठाट रचा जाता है।

यह हुआ एक दोष। अब दूसरेका विचार करें। परमात्माके साथ लौ लगानेकी अच्छामेंसे साधक या साधकोंका विधियाँ बना लेते हैं। साधक जब ओकाकी होता है, तो अपनी वृत्तिके अनुसार अपनी अुपासना-पद्धतिमें वह जब चाहे तब कैसा भी परिवर्तन कर सकता है। अुसमें अुसे दूसरेकी सुविधा असुविधा या वृत्तिका विचार नहीं करना पड़ता। परन्तु जब समुदाय हो जाता है, तो सबकी शृंचि और अनुकूलतायें देखनी पड़ती हैं, जल्दी जल्दी परिवर्तन नहीं किया जा सकता; स्ववन, भजन, पूजन अित्यादिके शब्द, राग, विधियाँ आदि नियत करनी पड़ती हैं। मानव-स्वभाव एक तरहसे अिल्ली जैसा होता है। अपने विकासके लिये ही अिल्ली अपने आसपास एक कोष बना लेती है, परन्तु वादमें वह खुद अुसीमें अन्दर ऐसी फ़ैस जाती हैं कि अुस कोषको काटने पर ही वह बाहर निकल सकती है। अिसी तरह मनुष्य स्वनिर्मित विधियोंमें ही ऐसा वैध जाता है कि अुसमेंसे सरलतासे दूष नहीं सकता। अिल्लीमें तो कोषको काटनेका सहस और ज्ञान होता है, लेकिन वहुधा देखा गया है कि मनुष्य जितना सहस और ज्ञान नहीं दिखा सकता।

अति परिचित होनेके कारण, असली प्रयोजन न रह जानेके कारण, बदली हुई स्थितिके कारण, अथवा दूसरे किसी कारणसे, कुछ समय निकल जानेके बाद, ये विधियाँ भावं अुत्पन्न करनेमें और परमात्माका भान करनेमें असमर्थ हो जाती हैं, और अनका पालन केवल यन्त्रवत् हो जाता है। अिसमें आश्र्य करनेका या साधकोंको दोष देनेका कारण नहीं। जीवनमें दूसरे स्थानोंमें भी ऐसा होता है। जैसे हम मान सकते हैं कि रोगीकी सेवा-शुश्रूषासे बढ़कर दया-धर्म या प्रेम-धर्मका कार्य नहीं है, फिर भी रोज़के परिचयके कारण हम बहुत बार देखते हैं कि नरसंका काम करनेवालेके मनमें ऐसा कोअी भाव अुत्पन्न नहीं होता। दर्दसे तड़पते बीमारको डाक्टर और नर्स कभी बार पीट भी देते हैं और यह भी देखा गया है कि वे अनके जख्मोंको भी दुखा देते हैं। वास्तवमें रोगीके प्रति जो अनुकूलमा मनमें अुपजनी चाहिए, वह रोजर्मर्मा अिस दृश्यको देखते रहनेके कारण नहीं अुपज सकती। बकीलका पेशा दरअसल अन्याय-पीड़ित व्यक्तिको न्याय-दान करानेकी अुदात्त वृत्तिसे निकला है; परन्तु आज अिस पेशेसे मनमें यह भाव अठता हुआ शायद ही कहीं देखनेमें आता है, बल्कि आज तो यह पेशा मुवक्किलकी मुसीबतसे लाभ छुठाकर अपनी जेब गरम करनेका ही हो गया है। अिसी तरह अतिशय अुदात्त स्तोत्र या भजन भी, नित्यपाठके कारण, मैनमें भाव पैदा करनेमें निष्फल सिद्ध हो जाता है।

परन्तु, एक और जहाँ ऐसा होने लगता है, वहाँ दूसरी ओर, अन विधियों और स्तवनों पर प्राचीनताकी या किसी सत्पुरुषके सम्पादकत्वकी छाप लग जाती है, और प्राचीनता अथवा बड़ोंके संपादनका अुपासकोंके मनपर अितना जादू छा जाता है कि प्राण-संचार करनेका अुसका मूल प्रयोजन न सधनेपर भी, अुसमें परिवर्तन करनेकी हिम्मत नहीं होती। समुदाय अुसीपर चिपका रहता है और अुसका नियमित अच्चारण तथा अुससे सम्बद्ध विधियोंके पालनको ही स्तवन-अुपासना मानने या बताने लगता है। अुस समुदायके मनुष्यके लिये, जब वह अुस समुदायके साथ न हो, निजी तौरपर अुसके अच्चारण करनेका एक नियम बन जाता है और खानगी तथा सामुदायिक अुपासनाके संबंधमें अमुक विधिसे

युपासना

अमुक पाठ कर जाना ही वस है औसी अुसकी ओक मान्यता वन जाती मालूम होती है। स्तवन-युपासनाके प्राणमें नहीं, बल्कि अुसके कलेवरमें क्षुसकी श्रद्धा स्थिर हो जानेसे अुसे छोड़नेकी हिम्मत अुसे नहीं होती। वह अिसमें अितना वँध जाता है तो अुतनी ही शुद्ध परन्तु किसी दूसरे समुदायमें पहुँच जाता है तो भी अुसे यह खटकता रहता है कि मैंने आज स्तवन-युपासना की हो तो भी अुसे यह खटकता रहता है कि मैंने आज स्तवन-युपासना नहीं की, और वहाँसे घर आकर अपने समुदायका स्तोत्र-पाठ करता है। वह यह समझता है कि अपने समुदायके विधि-पालनमें ही युपासना-सर्वस्व समाया हुआ है। सच पूछिये तो खार्मा-नारायण सध्प्रदायमें जिसे वाधितानुबृति* कहते हैं, अुसीका यह संस्कार है।

* किसी भी काम करनेकी ऐसी पक्की आदत कि जरा भी विचार किये बिना अुप कामका अवश्य ही जाना वाधितानुबृति है। शुद्धाइषणके लिये — जिस आदमीको मैंठर ताव देनेकी आदत पढ़ गयी हो वह मैंठ मुँदा लेनेपर भी वह बैसा करता हुआ देखा जाता है। और यदि मैंठ हाथमें न बैसे तो अुसे तुट्ट अटंगे द्याने लाता है। सर वाल्टर स्काटके सम्बन्धमें बैसा कहते हैं कि अुसके बर्गमें एक लड़का हमेशा अुससे अपर रहता। स्काट अुसके अपर पहुँचनेका प्रवीतन करता, परन्तु सफल न होता। एक दिन स्काटको पता लगा कि वह लड़का सवालका जवाब देते वक्त अपने कीटेके बटनेके साथ खिलवाइ किया करता था। स्काट एक दिन तरकीवेसे वह बटन काट डाल। फिर जब शिक्षकने प्रश्न किया तो अुसके पैंव खड़े हुए और हाथ बटनकी तरफ झुके। हाथमें बटन आया नहीं। अिससे वह अितना घबड़ा गया कि जवाब न दे सका; वस, स्काट फौरन अपर बढ़ गया।

ऐसी ही एक बात एक प्रसिद्ध वैरिस्टरकी है, जो भाषण देते वक्त अपनी वोपिके साथ खिलवाइ किया करता था। जिस वैणवको उट्टी जानेके बाद नहानेको आदत रहती है, अुसे वह अितनो दह ही जाती है कि सख्त वीमारीमें भी यदि वह न नहा सके तो अुसे यह बात कुछ सखकती रहती है। वाधितानुबृतिके संस्कारोंके बल ऐसा होता है कि वह न हो तो ऐसी घरराहट जसर पैदा हो जाती है, मानो कीथी दात है, परन्तु वह है। वह कितनी ही पुरानी आदत हो किन्तु जब हम अुस कामको करना छोड़ देते हैं, तो योड़े ही समयमें घरराहटका भाव पैदा होना वन्द हो जाता है।

स्तवेन सामुदायिक हो या व्यक्तिगत, वह यदि केवल वाधितानुवृत्तिका संस्कार वन जाय तो अुससे अुपासकको विशेष लाभ नहीं होता। जब स्तवन-कर्मसे कोअी स्पष्ट भाव निर्माण होना बन्द हो जाय और अुसके न करनेसे कुछ छूट गया है अितना ही ल्मों, तब समझता चाहिये कि अुपासकके लिये यह स्तवन-विधि अब बेकार हो गयी है। स्तवन-अुपासनाको तभी सफल समझता चाहिये, जब वह प्राणवान् और सजीव रहे, अुसका प्रभाव हमारे दिनभरके कामोंमें कुछ न कुछ मालूम हो, हममें सात्त्विक भावोंकी प्रेरणा करे, विचार जाग्रत करे और बल प्रदान करे।

एक और दोष, जो अिसीमें समाने जैसा है, परन्तु अुसकी विशेषताके कारण खास ध्यान दिलाने जैसा है, भाषासे अुत्पन्न वाधितानुवृत्तिका है। अुपासनाकी सफलताके लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि अुसका प्रयोजन, अुसकी विधिका अर्थ और अुद्देश्य तथा अुसके शब्दोंका रहस्य अुपासक समझे और वह अुसकी मावना जाग्रत करे। अुपासक जिस भाषाको ठीक ठीक न समझता हो, अथवा इस तरह न समझता हो कि जिससे, अुच्चारणके साथ अुसका कुछ भी अर्थ अुसके मनपर अंकित हो सके, तो ऐसी अुपासना वाधितानुवृत्तिका संस्कार ही निर्माण करती है।

“जैसे बालक अकारण ही ‘माँ’ कह कर पुकार अुठता है और इस तरह पुकारनेमें ही अमृततुल्य सुख अनुभव करता है, अुसी तरह भाषा या ज्ञान या अर्थ किसीकाभी विचार किये विना, हे अनन्त, मैं तेरा नाम पुकारता रहता हूँ !”*

इस आशयका श्री रवीन्द्रनाथका एक गीत है। मैंने अूपर जो दोष बताया है, अुसके अुत्तरमें यह गीत सामने रखा जाता है।

सच पूछिये तो प्रस्तुत चर्चाका इस गीतके भावके साथ कोअी समन्वय नहीं। अपने प्रयत्नमें आगे बढ़ते जानेवाला अुपासक जैसे समुदायके विषयमें परिधिसे केन्द्रकी तरफ और समुदायसे ओकान्तकी तरफ छुकता जाता है, अुसी तरह अुसकी अुपासना भी विविधता और विस्तारसे एकविधता और गाढ़ताकी ओर प्रगति करती है। शुरुआतमें अुसकी अुपासनामें अनेक भाव होते हैं, अनेक शब्द होते हैं, और मजन भी अनेक

अुपासना

होते हैं। कभी वह स्तोत्र बोलता है, कभी धून गाता है, कभी स्वाध्याय करता है, और कभी ध्यान लगाता है। असके भजनों और प्रार्थनामें तो कभी निष्कामता ! परन्तु जैसे सभी नदियाँ धीरे धीरे समुद्रकी ओर ही जाती हैं, वैसे ही असकी तमाम प्रवृत्तियाँ और वृत्तियाँ धीमे धीमे किसी अेक प्रमुख प्रवृत्ति और उचितमें लीन होती जाती है। फिर अेक ही वाक्य, अेक ही शब्द, अेक ही भाव असके लिये वस हो जाता है। स्तवन—अुपासनाका स्तव्य यदि ठीक हो और अुपासककी प्रगति ठीक होती जाती हो, तो अैसा परिणाम आना चाहिये। कविवरका पूर्वोक्त गीत अनेक-विध अुपासनामेंसे, अूपर कहे अनुसार, अेकविध अुपासनाकी तरफ जाने हुअे भक्तकी स्थितिका सचक है। अिसमें कवि सुलभ असुक्त भी है। क्योंकि, अैसा अुपासक खुद जो नहीं समझता है, वह तो बोलता ही नहीं है। परन्तु अिसके विपरीत, जो कुछ समझता है असमेंसे और सब छोड़कर सिफ़र

‘वदर्नी तुङ्गे मंगल नाम। हृदयी अखंडित प्रेम ॥’

नामदेवकी अिस स्थितिमें होता है। अुसे ज्ञान या अर्थका विचार करनेकी जल्दत नहीं रहती। क्योंकि अुसने भाषा-नाहुत्यका त्याग करके अेक परिचितमाव और अर्थुक्त ‘नाम’ ही फ़क़ड़ लिया है। अिसलिये यह विचार कि अुपासनाके पाठमें चाहे जो भाषा, चाहे जो अर्थ, या अर्थका अभाव हो तो भी हर्ज नहीं, मेरी इष्टिये गलत है। अर्थको छोड़कर साधा गया केवल पदलालिय अुपासनाके द्वारा परमात्माके साथ अनुसन्धान करनेमें सफल नहीं होगा; वल्कि केवल अुपासनाकी वाधितानुशृति ही निर्माण करेगा। अेक धर्मके सब लोगोंकी भाषा कम-से-कम अुपासनाके लिये तो अेक ही होनी चाहिये। यह बात अितनी महत्वकी नहीं, जितनी यह कि अुपासना सत्य और अस्त्वरको समुद्र करानेवाली होनी चाहिये। मैं समझता हूँ कि जीसाअी लोगोंने वायिविलकी मूल भाषाको न पकड़ रखकर लोकभाषा द्वारा अुपयोग करनेमें अधिक समझदारी दिखलाई है, और मुसल्मानोंने अरबीकी और हिन्दुओंने संस्कृतकी इतपरस्ती की है।

यह मानना भी अुचित है कि एक तरहसे भाषाका प्रश्न अितना सरल नहीं है। जिसे हम गुजराती, मराठी, हिंदी आदि जैसी मातृभाषा कहते हैं, अुसमें भी संस्कृत (साहित्यिक) और प्राकृत (बोलचालकी) जैसे भेद पड़ ही जाते हैं। हमारी पुस्तकोंकी भाषा और गाँवोंके लोगों और घरवालों द्वारा बोली जानेवाली भाषा - अन दोमें फर्क है ही। और ऐसी संस्कारी भाषामें रचित स्तवन भी अितना सरल नहीं होता कि बिना समझाये ही समझमें आ जाय। परन्तु गीर्वाण संस्कृत और हिंदी आदि संस्कृतमें जो भेद है वह, यह कि संस्कारी हिंदीको एक दो बार भले ही संमझाना पड़े, परन्तु फिर वह दुर्बोध नहीं रह सकती; क्योंकि यह प्रचलित भाषा है। गीर्वाण संस्कृतको दस बार समझाने पर भी जो अुस भाषाकी शिक्षा नहीं पाये हुअे हैं, उन्हें वह अगम ही रहेगी। जब आजकी संस्कारी हिंदी व्यवहार इंदीसे अितनी अधिक भिन्न पड़ जायगी कि केवल भाषा-शास्त्री ही अुसे समझ सकें, तब तो अुसमें बने स्तवन भी छोड़ ही देने होंगे।

अिस तरह सामुदायिक स्तवनमें अुत्पन्न होनेवाले दोषोंमें अुपासकोंकी संख्या बृद्धिका मोह और वाधितानुवृत्ति पैदा करनेवाला भाषा-मोह, विधि-मोह, तथा प्राचीनताका मोह — ये दोष गिनाये जा सकते हैं। अिन दोषोंकी अुत्पन्न होते ही अन्हें दूर करनेकी जितनी सावधानी हम रख सकेंगे सुतनी ही अपनी सामुदायिक अुपासनाको शुद्ध रख सकेंगे।

अुपासनाका स्थान — परन्तु सामुदायिक अुपासनाकी आवश्यकता स्वीकार करते ही अुसके स्थानका प्रश्न खड़ा हो जाता है। अुपासनाका स्थान कैसा होना चाहिये, अिस विषयमें श्री ज्ञानेश्वर लिखते हैं:

“ जहाँ बनश्रीकी शोभाके कारण ही वैठे हुओंको झुठना अच्छा न लगे, जिसे देखते ही वैराग्यमें ओज आ जाता है, जिसका वास सन्तोषका सहायक होता है और मनको धैर्यका कर्वच पहनाता है, जहाँ अम्यास (अीश्वर चिन्तन) अपने आप होने लगता है और जहाँ ऐसी रम्यता अखंड वसती हो कि जिससे हृदयमें अनुभवका प्रकाश हो जाय, जिसके पास होकर जानेसे तपश्चर्यके मनोरथ (युछलने लगते हैं) और पाखंडीके मनमें भी आस्था जड़ पकड़ ले, सहज अथवा अचानक जिस

मार्गसे जाते हुओ सकाम मनुष्य भी वापस लौटना भूल जाय; अिस तरह जो स्थान अनिच्छुकको भी वहाँ रोक ले, भटकनेवालेको बैठा दे, वैराग्यको हिलाकर जगा दे, जिसे देखकर किसी विलासीके भी मनमें ऐसा हो कि भोग-वैभव छोड़कर यहाँ शान्त होकर बैठ जाय; जो ऐसा सुन्दर और अर्ति अुत्तम स्थान दिखे (अुसे अुपासनाके योग्य स्थान कहना चाहिए) । ”

(ज्ञानेश्वरी)

परन्तु अिस विचारके अनुसार तो अुपासनाके स्थानको न तो कलामय और न ही कलाहीन रचनासे सुधारने या विगाइनेका प्रयत्न करना चाहिए । अिसलिए, ऐसे स्थान पर न तो मंडप या तोरण चाहिये, न फूल या फल, न यज्ञवेदी या होम, और न चाहिये कोअी और पूजा-साधन, तम्बूरा या मजीरा । सुन्दर भाव-पूर्ण शब्द-चित्रित पर्दे या भाव-पूर्ण चित्र अथवा मूर्तियाँ भी वहाँ न रखी जायें । मनुष्य अपने कंठमें जितने भाव भर सकता हो अुतने ही संगीत और भाव लेकर वहाँ आये, और अितनेसे प्रेरित होकर जितने आदमी आते हों वे मले ही आ जायें ।

परन्तु यह याद रखनेकी जरूरत है कि मनुष्यका आचरण अिस तरहका नहीं रहा । जगह जगह मनुष्यने अपनी अकल बघारकर कुदरतको विगाइनेका पुरुषार्थ किया है । पर्वतके भव्य शिखरोंने, समुद्रके विशाल तटोंने, नदीके किनारोंने मनुष्यको पहले पहल आकर्षित किया । परन्तु मनुष्यने वहाँ बैठकर स्तवन करनेमें ही सन्तोष नहीं माना । अुसने कहीं मन्दिर बँधाकर, कहीं गुफा बनाकर, कहीं घाट बाँधकर, और कहीं कुंड बना कर अिन स्थानोंको पहले विगाढ़ा । फिर अुस विगाइको सुधारनेके लिए खुले हाथ रूपया खर्च करके अपनी कलासे सुशोभित करनेका प्रयत्न किया । आप काशी जाओये, नासिक जाओये, मथुरा जाओये, या आबू जाओये, नदीके किनारों और पर्वतके शिखरों पर अीट-मूनोंके ढेरोंकी कतार बँधी हुओ दिखाओ देगी । मानो कोअी स्तवन-योग्य स्थान रहने ही न देना अभीष्ट हो, अिस तरह दानवीरों और कलाकारोंने कुदरतको विगाड़ डाला है ।

परन्तु, सामुदायिक अुपासनाकी आवश्यकता मान लेने पर अिस बात पर भी ध्यान जाना जरूरी है कि विलकुल कुदरतकी गोदमें रहना भी शक्य नहीं। पूर्वोक्त प्रकारका कोअी रमणीय स्थान सामुदायिक अुपासनाके लिअे हम निश्चित करें। परन्तु वहाँ एकत्र होनेका निश्चय करते हीं क्या वहाँ वे सब सुविधायें न करनी पड़ेगी जो हमारे अुद्देश्यको सफल करनेके लिअे जरूरी हैं? बैठनेकी जगह साफ़ करनी होगी, आनेवालोंके लिअे जगह तैयार करनी होगी, प्रवचनकारको सब कोअी देख और सुन सकें ऐसी बेदी बनानी होगी—अिन सबसे प्रकृतिकी सुन्दरतामें बाघा जरूर पड़ेगी, परन्तु अिसके बिना छुटकारा भी कहाँ है? और यदि अितना क्षम्य मान लेते हैं तो फिर वरसातके दिनोंके लिअे वहाँ एक छप्पर ढाल लें तो क्या बुरा? अब यदि छप्पर बाँधना मंजूर करते हैं तो कुदरतको तोड़े-मरोड़े बिना यह हो ही नहीं सकता, और यदि कुदरतको बिगाइना अनिवार्य ही हो, तो अुसे बिगाइनेके पापके अवजामें कहिअे मनुष्यको अुसे अपनी कलास्ते सुशोभित करनेका भी प्रयत्न करना ही चाहिअे।

फिर, जहाँ दस आदमी अिकड़े हों वहाँ समय-पालनकी सुविधाके लिये कोअी न कोअी संकेत ठहराना पड़ता है। सुविधानुसार कहीं वह बाँगका, तो कहीं घण्टा, शंख, अित्यादि ध्वनिका स्वरूप लेगा। अब यदि ध्वनि और शोभाको रखना है तो फिर अुसमें संगीत, चित्रकला, कारीगरी अित्यादि आ ही जाते हैं। अिस प्रकार जैसे कंथाको चूहेसे बचानेका प्रयत्न करते हुअे संन्यासी गृहस्थी बन जाता है,* अुस तरह सामुदायिक स्तवन-अुपासनामेंसे भव्य देवाल्य बन ही जायेगे।

* एक संन्यासीको कंथा (गुदड़ी) चूहा काट जाया करता था। एक 'प्रेमी' भक्तने अुहें सलाह दी कि बिछी पाल लो। तदनुसार संन्यासी एक बिछीका बच्चा ले आया। संन्यासी ठहरे भूतवत्सल! खुद चाहे दूध न पियें पर बच्चेको तो पिलाना ही चाहिअे न! हर रोज दूधकी भिक्षा माँग लेनेके बनिस्त अुहोने एक सज्जनसे गाय ही भिक्षामें माँग ली। अब गायको रोज चराने ले जानेका धर्म प्राप्त हो गया। रोज किसके खेतमें चराने ले जायें? तो एक दूसरे सज्जनसे एक जमीनका डुकङ्गा दान ले लिया। जमीनके साथ खेती आ ही गयी। अिस तरह धीरे धीरे संन्यासीसे फिर गृहस्थी बन गये! और यह सब एक कंथाको बचानेके खातिर!

फिर शहराती जीवनमें कुदरती स्थान ही शक्य नहीं। अससे, वहाँके लिए कुदरतकी गोदमें बैठनेका नियम नहीं बन सकता। वहाँ तो 'कुछ' न कुछ कृत्रिम रचना करनी ही पड़ती है और उसे मनुष्य अपनी बुद्धिसे जितनी भव्य और पूजन योग्य बना सके अुतनी बनानी अनिच्छित है।

अस प्रकार आवश्यक रचना और पाखण्ड-वर्धक रचनाकी सीमा निश्चित करना एक मुश्किल पहेली है।

यदि हम अस बातके लिए बहुत अख्युक हों कि हम पाखण्ड-प्रवेशको कमसे कम सुविधा दें, तो असका अपाय किया तो जा सकता है; परन्तु मुझे आज यह आशा नहीं होती कि ऐसे सुझावपर अमल होगा। क्योंकि सामुदायिक शुपासनाको लोग केवल उपासनाके लिए ही नहीं अपनाते हैं, बल्कि अनेक राजकीय, सामाजिक, स्वार्थी, परमार्थी अद्वैतिक लिए भी अपनाते हैं और असलिए उन्हें पाखण्ड-प्रवेशसे दिलगीरी नहीं होती।

फिर भी, जिस तरह दुसरी अनेक बातोंमें लोग किसीके योग्य सुझावको भी चाहे न मानें, परन्तु उसकी सत्यताको माने बिना अन्हें चलता नहीं, उसी प्रकार मेरे सुझाये उपायकी योग्यताको तो लोग मानेंगे ऐसी मुझे आशा है।

एक प्रसिद्ध महाराष्ट्रीय सन्तका हर साल पंढरपुरकी यात्रा करनेका नियम था। अन्होंने यह नियम बना रखा था कि जब पंढरपुर जाते, तब अपनी झोपड़ीमें आग ल्या देते और जब यात्रासे लौटकर आते, तो नयी झोपड़ी बनाते।

सामुदायिक शुपासनाके स्थानके लिए हम भी यदि ऐसा ही कोअी नियम बना लें, तो पाखंडी रचना और आवश्यक रचनाके बीचकी कामचलायु सीमा हमारे हाथ लग जायगी। शुपासनाके लिए एक ही स्थानमें एक सालसे ज्यादा बार एकत्र न हों और स्थानान्तर करते समय पिछले स्थानकी सामग्री नये स्थानमें न ल्याअी जाय। ऐसा करनेसे हम बड़ी बड़ी बिमारतों, मृत्युओं, सोनाचौदीके शिखरों, संगमरम्बकी पट्टियों और खम्भोंकी रचनाकी झंझटमें नहीं पड़ेंगे, गर्वका कारण बनने-जैसी बड़ी घट्टा भी नहीं बँधेंगे, वाद्य-समूह भी नहीं रखेंगे। फिर भी, बैठनेकी सुविधा करेंगे, असके लिए लीपेंगे या रेती बिछायेंगे। चौमासेमें

बचावका अिन्तजाम करेंगे और जिसपर श्रद्धा होगी ऐसे किसी ओकाध व्यक्तिकी तस्वीर लगा देंगे। चार पैसेके दिये या ओकाध लालेटनसे काम चला लेंगे। जब अुमंग होगी तो पत्तेके तोरण लटका लेंगे, या कामचलाअू मंडप खड़ा कर लेंगे। किसी अुत्साही भक्तको हर साल नया ओकतारा और करतालकी जोड़ी ला देनेमें कोअी दिक्षकत नहीं होगी।

अिस तरह अुपासनाके स्थानकी व्यवस्था होगी।

अुपासना पाठ — अिसी तरह अुपासना केवल बाधितानुवृत्तिका संस्कार न बन जाय, अिसलिए अुचित होगा कि ओक ही स्तवनपाठको पकड़कर न स्खनेका नियम बनाया जाय। सालमें ओक या दो बार भी सारा पाठ या अुसका कुछ पाठ बदल दिया जाय, तो यह अिस मृदृशग्रहको छोड़नेमें अुपयोगी हो सकेगा कि- पाठ-विशेषके द्वारा ही अीश्वर-स्तवन किया जा सकता है। अुसी तरह यदि परिचित पाठसे भावोंका अुत्पन्न होना रुक गया हो, तो अुसे फिर जाग्रत् कर सकता है।

अलवत्ता, नये पाठका यह अर्थ नहीं कि पुराने पाठका भाव भी नयेमें न आये। अिस विषयमें तो, जैसा मैं आगे बतायेंगा, भाव और पूज्यता ओक ही हो सकती है, भले ही स्तवनकी अूर्मि और काव्य जुदा हो और प्रवन्ध-रचना भिन्न प्रकारकी हो।

अिस भावकी बातपरसे सामुदायिक-स्तवनमें क्या क्या न होना चाहिए, अिसका भी विचार कर लें—

१. व्यक्ति यदि सकाम होंगे, तो व्यक्तिगत अुपासना कामनाके लिए, और श्रेयार्थी होंगे तो निष्काम होनेकी अिच्छासे करेंगे। परन्तु, सामुदायिक अुपासना व्यक्तियोंकी या समुदायकी कामनाओंकी सिद्धिकी अिच्छासे होना अनुचित है। वहुतेरे धार्मिक संप्रदायोंने सकाम अुपासनाका पालण्ड अितना बड़ा दिया है कि टॉल्स्टॉय-जैसे सत्यशोधक अुससे काँप झुठें तो कोअी आचर्ष्य नहीं। “हे प्रभो, हमारे शहरमें हैजेका प्रकोप हो गया है अुसे मिटा; हमारे राजा को युद्धमें विजय दे, हमारे शत्रुका नाश कर, हमको स्वराज्य प्राप्त करा,” आदि लोगोंकी रागदेषात्मक प्रवृत्तियों और ऐहिक तृष्णाओंकि लिए

सामुदायिक मुपासनाका उपयोग करना सामुदायिक मुपासना — अर्थात् सत्संगका विरोधक है ।

“हे प्रभो, हमारे कर्म हम रागद्वेषसे रहित होकर करें, हमारे कर्मों द्वारा हमारी चित्त शुद्ध हो, हमारे कर्मोंमें हम ही वैष्णव न जावें, हमारे कर्मोंसे किसीका अहित न हो, हमारे कर्म अशुद्ध हों तो हमें उफलता न मिले, हमारे कर्म शुद्ध हों तो अनुके दुःखस्त्रप होते हुए भी हमें ऐसी बुद्धि और शक्ति दीजिये कि हम अनुहैं न छोड़े” — यह व्यक्तिगत निष्काम मुपासनाका धृपद हो सकता है और सामुदायिक मुपासनामें तो यही धृपद होना चाहिये । भले ही समुदायका ९९ फीसदी भाग रागद्वेषसे मुक्त हो और सकाम मुपासनाको ही अमानदारीसे कर सकता हो, परन्तु सामुदायिक मुपासनाका हेतु तो समुदायको सत्संग प्राप्त वराना है । अिसलिये उपासनाके समय उसके गगद्वेषोंको खाद देनेवा काम न होना चाहिये । वृत्तिक रागद्वेषोंको गोखस्त्रके पौधेकी तरह उखाइ ढालनेका ही यत्न होना चाहिये ।

“हे प्रभो तेरे स्वस्त्रपकी मुझे निःसंशय प्रतीति करा दे; तेरी महिमाके ज्ञान सहित तेरी भवित प्रदान कर; ऐसा कर जिससे तेरी भवितमें कोअी सकामताका दोष न रहे । तेरा या तेरे भवतोंका मैं द्वौह न करूँ, तेरे संतोंका समागम मुझे होने दे; तेरा अखंड दर्शन मिलता रहे; तेरे दासोंका दास मुझे बना — ये सात याचनायें मेरी हैं । अिन्हें पूरा कर” — यह स्वामीनारायणीय सामुदायिक उपासना प्राकृत भाषामें है । यह नहीं कह सकते कि अिसके अनुसार ही सत्संगियोंका जीवन व्यतीत होता है । फिर भी यह अधिक उदात्त उपासना है और “रत्य प्रदान कर, घन प्रदान कर, संतती प्रदान कर, हमारे गोधनको वषा, हमारे शत्रुओंमें प्लेग फैला, उनकी बुद्धिको चक्षरमें ढाल दे, हमारे सैनिकोंकी मुजाओंमें अखंड बल भर दे, हमारे मार्गोंसे सब विघ्न दूर कर” — ऐसी उपासना भले ही वेदकी, कुरानकी, या वाक्खिवलकी भाषामें हो, लोगोंकी वृत्तिका सत्य-दर्शन बरनेवाली हो, फिर भी वह सत्संगकी उपासना नहीं, और सामुदायिक उपासनामें हुसे स्थान न होना चाहिये ।

(२) सामुदायिक अुपासनामें जिस प्रकार संकाम याचनायें नहीं हो सकतीं; असी प्रकार अुसमें अनेक देवोंकी अुपासना भी नहीं होनी चाहिए। हाँ, यदि अुस समुदायका कोअी ऐक सर्वमान्य अिष्ट देव हो और अुसकी अुपासना अुसमें की जाय तो वात दूसरी है। परन्तु अुसके साथ दूसरे देवताओंकी भी अुपासना रखना अिष्ट नहीं। ‘अनन्याश्रय’के विचारमें संकुचितता या परमत-असहिष्णुता नहीं, बल्कि ऐक सिद्धान्त है। अलवत्ता, अनन्याश्रयका अर्थ समुदायके अिष्ट देवकी निन्दा करना न होना चाहिए। अनेक स्तोत्र, भजन आदि ऐसे होते हैं, जो दूसरोंके अिष्ट देवोंको अपने अिष्ट देवसे हल्का वताते हैं। वह अनुचित है। जो अनन्याश्रयी है, अुसके लिये पूजा या निन्दाके भावसे दूसरे देवताओंका नाम निर्देश करना विलकुल कर्त्त्वी नहीं है।

अिस दृष्टिसे मुझे ‘या कुन्दनदुत्पारहारघवला’ आदि श्लोक, जिनमें ऐकको सर्वोपरि वतानेके लिये दूसरोंको छोटा वताया गया हो, असी देवताको अिष्ट माननेवालोंके लिये भी त्याज्य मालूम होते हैं।

अनन्याश्रयमें दो भाव हैं। ऐक ऐकेश्वरवादका और दूसरा यह कि मेरा अिष्ट देव ही वह ऐकेश्वर है। दूसरे देवोंका गौण रूपसे भी क्यों न हो, नाम निर्देश ऐकेश्वर-निष्ठाके विपरीत है, और अन्य सम्प्रदायोंके लिये अपमानकारक है।

जहाँ ऐक सम्प्रदायका समुदाय न हो, वहाँ सनातनी हिन्दुओंमें सभी देवताओंको — या कमसे कम पंचायतनके देवोंको — प्रणाम करना ऐक आम वात हो गयी है। अिसमें मुझे कोअी मतलब नहीं दिखाई देता। यह ऐक ऐसी पद्धति है जिससे जनसाधारण भ्रममें पड़ते हैं, अुपासककी निष्ठा कहीं भी स्थिर नहीं होने पाती, और यह ऐकेश्वर निष्ठाके प्रतिकूल भी है। फिर, पंचायतन देवोंमें सूर्यकी सिवा दूसरे सब देव (विष्णु, शिव, गणपति और पार्वती) केवल काल्पनिक हैं। हाँ, सूर्यकी अुपासना वैज्ञानिक रीतिसे करने-जैसी हो सकती है। परन्तु अुसे हम स्तवन-अुपासना नहीं कह सकते। परमात्माके प्रतीक-रूपमें वह ऐक आदरणीय प्रत्यक्ष विभूति मानी जा सकती है। परन्तु जो वैज्ञानिक दृष्टि रखते हैं, अुनके मनमें ऐसा भक्ति भाव होना कठिन है। और जो सूर्य भक्त है, अुसे

वैशानिक शुपासना सकाम मालूम होगी। अिस प्रकार अेकेश्वरवादी असाम्प्रदायिक सामुदायिक शुपासनामें पंचायतन देवताओंका स्तबन करनेकी ज़रूरत नहीं।

सभी देवोंको नमस्कार करके सब लोगोंको सन्तुष्ट करनेकी विच्छा व्यर्थ है। अिससे न तो किसी दृढ़ अनन्याश्रयीको सन्तोष होता है, न किसीकी एक निष्ठा ही दृढ़ होती है, और एक प्रकारकी अद्वायुक्त नास्तिकताकी ही पुष्टि होती है।

(३) जिस प्रकार अनेक देवोंको सामुदायिक शुपासनामें स्थान नहीं हो सकता, असी प्रकार समय समय पर की जानेवाली सामुदायिक शुपासना भिन्न भिन्न देवोंको लक्ष्य करके भी न होनी चाहिए। सुबह अठते वक्त आत्म-तत्त्वकी या परमात्माकी, नहानेके बाद राम या कृष्णकी, कार्य आरम्भमें शणपति या संरस्वतीकी, शुद्धोग-मन्दिरमें जाते समय विश्वकर्माकी, भोजनके समय अन्नपूर्णाकी, व्यायामके समय हनुमानकी, होलीके दिन होलिकाकी, नागपंचमीके दिन नागकी, दुर्गाष्टमीके दिन कालिकाकी, विवाहमें नवग्रहोंकी और मरणमें पितरोंकी—ऐसी एक ही समुदायमें होनेवाली सामुदायिक शुपासनाको पूर्वोक्त दोपर्से युक्त समझना चाहिए। भले ही कोओ समुदाय या व्यक्ति प्रत्येक भिन्न कर्म करते समय शुपासना करे, परन्तु वह सभी एक ही देवके नाम-निर्देशके साथ करना अचित है।

‘जिस प्रकार समस्त नदियोंका पानी एक ही समुद्रमें लाता है, असी प्रकार सभी देवोंकी पूजा एक ही परमेश्वरको पहुँचती है’—वेदान्तियोंने अिस प्रकार समन्वय किया है और वह सच भी है; परन्तु यहाँ तो मूल वस्तु ही भ्रामक है, और असकी ज़रूरत एक समुदायमें तो विलकुल नहीं है। यह समन्वय तो परमत-सहिष्णु बननेके लिये ही अपयोगी है।

अब एक ही देवके भिन्न भिन्न नाम युक्त स्तबन भी किस प्रकारके अम अुत्तम करते हैं, सो नीचेके अदाहणसे अच्छी तरह प्रतीत होगा :

मेरे एक पृथ्य हितेच्छु एक बार यात्रामें किसी नदीको पार करनेके लिये एक नावमें बैठे। अनुके पास एक घृद्ध ब्राह्मण भी बैठा था। अन्होंने देखा कि नावमें चढ़ते ही वह ब्राह्मण कुछ गुनगुनाने लगा।

अन्वर्णने ध्यानसे सुना तो मालूम हुआ कि वह 'जलेषु मां रक्षतु मत्स्य-मूर्तिः' या ऐसे ही किसी कवचका कोअी चरण दोल रहा था। परले किनारे पहुँचकर नावसे अुतरने तक अुसका यह पाठ ज्ञारी रहा। जब वह नावमेंसे क्षही सलाभत अुतर गया, तो अुसकी प्रार्थना सफल हुआ। अुसे अब अुसकी ज़खरत न रही, और वह चुप हो गया। जमीन पर चलते समय तो अुसे आत्मविश्वास था और अिसलिए अुसने अीश्वरकी सहायता नहीं माँगी, परन्तु जल प्रवासमें आत्मविश्वास न होनेके कारण जलवासी भगवानसे अुसने रक्षाकी प्रार्थना की।

जो पुरुषार्थी नहीं हैं और सकाम हैं, अुनकी स्थिति सदा ऐसी ही रहनेवाली है। भले ही जो गश्छपति है वही मत्स्यमूर्ति हो, परन्तु वह विमानमें मत्स्यमूर्तिका नाम लेकर रक्षाकी पुकार नहीं करेगा, और जलमें गश्छपतिका नाम लेनेसे अपनेको सुरक्षित नहीं मानेगा। विद्वान ब्राह्मणोंने अिस प्रकार सब तरहसे भयग्रस्त जीवोंकी रक्षाके लिये भरसक अनेक नामोंका आधार लेकर कभी कवच रच डाले हैं, और यह भी मान लें कि अनके द्वारा अुन पर महान अुपकार भी हुआ है। परन्तु सामुदायिक अुपासनामें ऐसी कोअी वात नहीं होनी चाहिअे, जिससे अिस मनोदशाको अुत्तेजन मिले।

अिसका अर्थ कोअी यह न करे कि मैं यह सुझाता हूँ कि परमेश्वर-वाचक किसी अेक ही नामका अुपयोग करना चाहिअे; परन्तु अेकेश्वरवादी होकर भी यदि कोअी ऐसी व्यवस्था करे कि प्रभातमें परमात्माके नामसे, भोजनके समय वैश्वानरके नामसे, पाठशालामें ज्ञानवनके नामसे, शुद्धोग-धरमें कर्माधिष्ठाताके नामसे, और सोते वद्वत् शान्त-स्वरूपके नामसे अुपासना की जाय, तो वह अनेक देवोंकी अुपासना-जैसी ही हो जायगी। अर्थात् अितना कहनेके बाद अब यह कहनेकी ज़खरत रहती ही नहीं कि जहाँ जनताके मनमें उदा उदा देवताओंका खयाल होता है, वहाँ ऐसा अुपयोग त्याज्य ही समझना चाहिअे।

देवताओं और अवतारोंके नामोंके वीचका योड़ा सा भेद समझ लेना ज़खरी है। यदि किसी समुदायके अष्टदेव राम हों, तो अुसकी अुपासनामें अनन्याश्रयके सिद्धान्तोंके अनुसार कृष्ण विषयक नामोंका अुपयोग नहीं

किया जाता। परन्तु असाम्रदायिक समुदायोंमें राम, कृष्ण, ख्युपति आदि नामोंका अुपयोग औतिहासिक व्यक्तियोंका निर्देश करनेके लिये नहीं होता। ये शब्द वहाँ ३५, परमात्मा, परमेश्वर, भगवान् आदिके अर्थमें व्यवहृत होते हैं। जब अिस-समुदायके लोग 'जय-जय यशोदानन्दनकी, दशरथ-सुत आनन्द-कन्दकी' बोलते हैं, तब वह या तो 'निवृत्ति, ज्ञानदेव, सोपान, मुक्तावाओं' — आदि सन्तोंके स्मरणकी तरह अिन महान् व्यक्तियोंका पुष्पदायक स्मरण होता है, अथवा भले ही यशोदानन्दन कहें या दशरथ-सुत कहें, अिसका अर्थ 'परमात्माकी जय'से अधिक नहीं होता। अिस कारण यह नहीं कहा जा सकता कि अिन धुनोंमें पूर्वका दोष है।

अब अुपसंहारमें एक दो वातें और कह लेता हूँ।

अुपसंहार — लॉटोरीका टिकट जीतनेवाले अुस मज्जदूरको अपना बाँस नदीमें फेंक देनेकी ज़रूरत नहीं थी। जिस बाँसने अुसे अितने साल तक रोटी देकर अुसका लालन-पालन किया, वह अपनी ज़रूरत पूरी होनेके बाद एक कोनेमें शान्तिसे पड़ा रहता। अिसी प्रकार निष्प्रयोजन होते ही स्तवन-अुपासना भी अपने आप खामोश हो जायगी। यात तो यह है कि जिसके लिये अिसकी ज़रूरत खतम हो गयी है वह कैसे 'किसी समाजमें वँधा नहीं रहता, जिसमें स्तवन-अुपासनाके समय हाजिर रहना ज़रूरी हो। जो व्यक्ति अिससे परे हो चुके हैं अुनके अपवादको आवश्यकता सब लोग स्वीकार करते हैं, और अगर नहीं स्वीकारते तो अुसे अुस समुदायमें वँधकर वैठनेकी परवाह भी नहीं रहती। अतअव जहाँ ऐसा ज्ञाग़ा पैदा होता है, वहाँ अुसका कारण तात्त्विक नहीं, वल्कि श्रद्धामृदता होती है।

परन्तु अिस प्रकार स्तवन-अुपासनाकी आवश्यकता स्वीकारनेके बाद अुसकी मर्यादाको न मानना भी भूल होगी। कोओ व्यक्ति स्तवन-अुपासनामें भाग नहीं लेता है, अिसी परसे अुसके बारेमें कोओ राय बनाना या सबको एक ही लकड़ीसे हाँकना अनुदारता है।

अिसी प्रकार यदि कोओ स्तवन-अुपासनाके किसी अंशको खानगी तौरपर करे, या अपने लिये अुसे ऐरज़रुरी दिखाये, तो अुसे मिथ्याभिमानी मानना भी सही न होगा।

फिर चैंकि स्तवन-अुपासना आवश्यक है, अिसलिए चाहे जैसी स्तवन-अुपासना चल सकती है, यह मानना भी दुराग्रह होगा। कोओ अुपासना अुपासकके लिए खुराकका काम तभी दे सकती है जब वह अुसकी बुद्धि और हृदय दोनोंके लिए सन्तोषदायक हो।*

११

मरणोत्तर स्थिति

‘शुद्ध आलम्बन’ नामक प्रकरणमें हमने कहा है कि “आलम्बन-विषयक श्रद्धा किसी प्रमाणातीत विषयके प्रति श्रद्धा है”

“अब अदृश्य शक्ति या नियम दो तरहसे प्रमाणातीत हो सकते हैं (१) स्वयंसिद्ध होनेसे अर्थात् अिन्द्रियाँ और मन जिस जिस वस्तुको अनुभवसे जान और चीन्ह सकते हैं अन सवको जुदा करते करते — हटाते हटाते — जो सत्ता अनिवार्य स्वप्नसे शेष रहती हुई दिख पड़ती हो, वह; और (२) कार्य-कारण भावके विचारसे जिसका अस्तित्व अतिशय सम्भवनीय मालूम होता हो; किन्तु अदृश्य होनेसे जिसको सिद्धकर दिखाना असंभव प्रतीत होता हो, और अिसलिए जिसके स्वरूपके विषयमें केवल अपमाओं द्वारा ही तर्क किया जा सकता हो, वह; जैसे, विज्ञानमें तेज, घनि, विद्युत् आदिके स्वरूप विषयक मत, अथवा अध्यात्म विचारमें माया, संकल्प, कर्म, मरणोत्तर स्थिति आदि विषयक मत।”

मरनेके बाद मेरा क्या होगा, यह प्रश्न मनुष्यके मनमें कभी-न-कभी अठता ही है, और अुसका सही अुत्तर पानेकी वह कोशिश करता है। शरीरमें ज्ञातापन और कर्त्तापन आदिके स्वरूपमें अुसे “अपना जो अस्तित्व मालूम होता है येदि शरीरके साथ ही अुसका नाश हो जाता हो, तो

* अिस पुस्तकमें “सामुदायिक अुपासना” की तात्त्विक चर्चा ही की गयी है। छात्रालय, आश्रम आदि संस्थाओंकी इसिसे अिस विषयको कुछ व्यावहारिक चर्चा लेखककी “केळवणीना पाया” (तालीमकी शुनियादें) नामक पुस्तकमें पायी जायगी।

मरणोत्तर स्थिति

फिर सत्व-संशुद्धिके लिये अुत्पन्न सत्कर्म, सदाविचार, सदमावना आदिकी क्या जल्दत है ? कुकर्म, कुविचार, दुष्ट मावना आदिके अनुतापकी अुसे

झङ्गट और कुकर्म, कुविचार, दुष्ट मावना आदिके अनुतापकी अुसे भिस प्रस्तके उत्तरके रूपमें भारतीय अनुगमोका • पुनर्जन्म और मोक्षवाद तथा अमारतीय अनुगमोका 'क्रयामत'वाद है। अनमें 'क्रयामत'वाद तो विकासवादकी शोधके बाद खुद अन्हीं अनुगमोके अनुयायियोके मनमेंसे अुड़ता चला जा रहा है और अर्वाचीन भारतीय विचारक भी पुनर्जन्म और मोक्षवादपर फिरसे विचार करने लगे हैं। अतअव अर्वाचीन ढंगसे विचार करनेवालोके लिये यह एक संशयग्रस्त प्रदर्श हो गया है।

जैसा कि अूपर कहा गया है, मरणोत्तर स्थितिके सम्बन्धमें जो कुछ भी खुलासा किया जाय या किया गया है वह मात्रः सम्भवनीय तर्क ही है। यदि पुनर्जन्मका प्रतिपादन करनेवालोंसे कहा जाय कि तुम्हारे पास अिसके लिये कोई प्रमाण नहीं है, तो जो पुनर्जन्मको नहीं मानते हैं, छुनपर भी यही आक्षेप किया जा सकता है। भिसलिये ब्रेयार्थीको अनमेंसे किसी भी मतका आग्रह रखकर वादविवादमें पड़नेकी ज़खरत नहीं है। सलामती और शान्ति प्रदान करनेवाला मार्ग तो यह है कि दोनों वादोंसे अलग रखकर ब्रेयप्राप्तिके पुरुषार्थके लिये ऐसे मुद्दोंपर जीवनका मार्ग निर्दित किया जाय, जो अधिक झूँचे हों, और जिनका प्रत्यक्ष रूपसे अनुभव किया जा सकता हो। बुद्धिकी भूख बुझानेके लिये अथवा अनुचित प्रतीत हो तो किसी तीसरे ही तर्कको स्वीकारे। परन्तु वह यह मान बैठनेकी भूल न करे कि यह तर्क सत्य है, वल्कि वह अितना ही स्पष्ट रूपसे समझ ले कि अुसकी बुद्धिको वह सम्भाव्य प्रतीत होता है। अितनी चेतावनी देनेके बाद अब हम भिस प्रस्तका विचार करें : पहले हम अुन मुद्दोंपर विचार करें जो मरणोत्तर स्थितिके सम्बन्धमें किसी भी कल्पनाको दृढ़ किये बिना ही ब्रेय-प्राप्तिके पुरुषार्थके लिये अधिक झूँचे हों और जो प्रत्यक्ष रूपसे अनुभवमें आ सकते हों। भिस विषयमें 'बुद्धलीला' का एक अवतरण प्रारंभिक होगा :

“—बुद्धदेव बोले—‘ कठो श्रमण ब्राह्मण यह कहते हैं कि न दान है, न धर्म है, न सत्कर्म या कुकर्मके फल हैं, न माँ है, न बाप है; न कोअी नरकमें जानेवाला है, और न कोअी स्वर्गमें। * परन्तु अिसके विपरीत दूसरे श्रमण ब्राह्मण यह कहते हैं कि दान-धर्म है, दान-धर्मके फल भी हैं, सत्कर्म और असत्कर्मके भी फल हैं, माँ है, बाप है, नरक है और स्वर्ग भी है।

“—‘जो नास्तिकतावादी होंगे अनुसंकाया, वाचा, मनसा प्रापकर्म हो जाना स्वाभाविक है। परन्तु जो आस्तिकतावादी होते हैं उन्हें पापकर्मका भय होना और पुण्यकर्मकी ओर अनुकी प्रवृत्ति होना भी स्वाभाविक है। अब अिसमें सुन्न पुरुष ऐसा विचार करते हैं कि यदि नास्तिकके कथनानुसार परलोकका भय न हो; तो प्राणीके लिये मरणोत्तर दुःखका कोअी भय नहीं। परन्तु यदि परलोक हो, और वह नहीं है, ऐसा मानकर प्राणि अिस लोकमें अधर्मचरण करते रहें, तो परलोकमें अनुकी वश भत्ति होगी? क्या अनुकी दुर्गति न होगी? अब यह मान लो कि परलोक नहीं है, तो धार्मिक आचरणसे मृत्युके बाद भी युसे किसी प्रकारके दुःखका कोअी कारण नहीं। यदी नहीं विविक बुरे आदमीकी तरह, धर्मचरणी गृहस्थकी अिस लोकमें अपकीर्ति नहीं होती। अलटे सुन्न लोगोंमें वह प्रशंसनीय होता है।

“—‘दूसरे कुछ श्रमण ब्राह्मण यह प्रतिपादन करते हैं कि मनुष्यको किसी भी क्रियाका फल नहीं भोगना पड़ता। अिन श्रमण ब्राह्मणोंका मत है कि मनुष्य चाहे हजारों प्राणियोंको मार डाले, या परदाराका अपहरण करे, तो भी अुपकी आत्मापर अुपका कोअी असर नहीं होता। परन्तु दूसरे श्रमण ब्राह्मण कहते हैं कि प्रत्येक पाप-कर्मका असर मनुष्यपर होता है... ऐसे समय समझदार मनुष्य यह विचार करता है कि यदि क्रियाका परिणाम आत्मापर न होता हो, तो आत्मा परलोकमें सुखी रहेगी ही। परन्तु यदि आत्मापर क्रियाका परिणाम हुआ, तो फिर दुराचरणसे दुर्गति ही भोगनी पड़ेगी। अच्छा, यदि यह मानकर चले कि आत्मापर क्रियाका परिणाम

* सर्व, नरक या परलोकके बद्ले पुनर्जन्म शब्द भी काममें लाया जा सकता है।

नहीं होता है, तो सदाचरणसे कोअी नुकसान नहीं होगा, वल्कि सुश्लोग सदाचरणी मनुष्यकी प्रशंसा ही करेंगे।’’

परन्तु यह माननेकी आवश्यकता नहीं कि अिस तरह सदाचारके प्रेमके लिये नहीं, वल्कि प्रशंसा और सुखिताके लिये ही ऐयः साधक पुर्षपार्थ करनेकी ज़रूरत है।

‘चित्त और चैतन्य’ नामक प्रकरणमें हमने देखा कि जब तक चित्त और चैतन्यकी समान शुद्धि नहीं हो जाती, तब तक प्राणीको चित्तमें ही अपनी अहंता मालूम होती है। वह बुद्धिसे और ध्यासके अभ्याससे भले ही यह समझनेका प्रयत्न करे कि ‘मैं चित्त नहीं, वल्कि चित्तका सांक्षी चैतन्य हूँ,’ परन्तु सच्च-संशुद्धिके बिना कभी न कभी चित्तके साथका लेप अुसे लोग बिना रहता नहीं।

अब हम अिस चित्तके अनु कुछ लक्षणोंका विचार करें, जिनका अनुभव किया जा सकता है :

१. हम जो कुछ देखते, सुनते, पढ़ते, याद करते या दूसरा कुछ अनुभव करते हैं, सो सब हमारे शरीरके ज्ञान तन्त्रओंमें एक क्रिया अत्यन्त करता है, और छुसके द्वारा चित्तपर संस्कार पड़ते हैं। ऐसा प्रत्येक संस्कार हमारे शरीरके किसी न किसी हिस्सेमें अुसकी प्रतिक्रिया अत्यन्त करता है। वह एक ओरसे दया-कूरता, लोभ-अुदारता, क्षमा-वैर, शौर्य-कायरता अित्यादि कोअी गुण अत्यन्त करता है, और दूसरी ओरसे कोअी शरीरिक परिवर्तन करता है।

२. ये संस्कार आनुवंशिक होते हैं। चित्तके अशुद्ध और संशुद्ध संस्कार विरासतमें आते हैं और भावी सन्ततिकी आध्यात्मिक अनुत्तिमें एक महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। जो संस्कार पूर्वजों द्वारा सिद्ध हो चुके हैं, उनके लिये अनुजोंको अतना सब प्रयत्न नहीं करना पड़ता। वल्कि अनका दिग्दर्शन होनेके बाद अुस स्थानसे ही आगे अनकी अल्कान्तिका क्रम चलता है।

३. अिन संस्कारोंका फल भी केवल हमींको नहीं, वल्कि हमारी आगे आनेवाली पीढ़ीको भी भोगना पड़ता है। भारतवर्षकी भूतकालीन प्रजाने जो कर्तव्य-भ्रष्टता, बुद्धि-भ्रष्टता, अज्ञान या संकुचित दृष्टिका परिचय

दिया, अुसके कहुओं फल, और जो अुच्च आदर्श तथा संस्कार प्राप्त किये अुनकी संस्कारिताके लाभ आज हम भोग रहे हैं, और अब हम जिस प्रकारके चित्तकी संस्कारिता निर्माण करेंगे, अुसका फल हमारी भावी प्रजाको अवश्य ही मिलेगा।

जो श्रेयार्थी ग्रहस्थ-विहित व्रह्मचर्यका पालन करके सन्तति छोड़ जानेकी आशा रखते हैं, अन्हें अपनी सत्त्व-संशुद्धिके लिये प्रयत्नशील रहनेके हेतु यह ऐसा प्रेरक कारण है, जो प्रत्यक्ष रूपसे अनुभवमें आ सकता है।

४. किन्तु चित्तके संस्कारोंका असर केवल अपने वंशजोंपर ही पड़ता हो, सो बात नहीं। मनुष्यके सब सद्गुण और दुर्गुण, भुसकी संशुद्धि और अशुद्धि संकामक है; हमें अिसका भी अच्छी तरह अनुभव होता है। चित्तपर विश्वकी शक्तियोंका असर होता है, और वह दूसरोंपर असर डालता भी है।

और फिर अिसमें यह बात भी नहीं कि प्रत्यक्ष सम्पर्कमें आनेपर ही एक चित्तका असर दूसरे चित्तपर पड़ता हो। मेस्मेरिज्म, हिप्नाटिज्म तथा मानसिक शक्तियोंके दूसरे प्रयोगों द्वारा दूसरोंके चित्तपर खिस हृद तक कछा हो सकता है कि मनुष्य अपना जन्म-सिद्ध व्यक्तित्व तक भूल जाता है। अर्थात् एक प्रकारका परदेह-प्रवेश होता हुआ हम देखते हैं। अेकान्तमें पोषित सद्वृत्तियाँ या दुर्वृत्तियाँ, अेकान्तमें किये सत्कर्म या दुष्कर्म भी अकेले करनेवालेके मनपर ही नहीं, बल्कि सारी दुनियापर भी असर डालते हैं।

“ मनुष्य भले ही यह माने कि मेरा अमुक कृत्य स्वतन्त्र है, अुससे समाजको कुछ हानि नहीं पहुँचती, परन्तु कुदरतका नियम ही ऐसा है कि अतिशय गुप्त और व्यक्तिगत कृत्यकी भी प्रतिघनि दूर-दूर तक पहुँच जाती है। . . . पाप गुप्त नहीं रहता, बल्कि भंवरकी लहरोंकी तरह पापकी कंकरी सारे समाजमें अपनी लहरें फैलाती है। अतथेव जिसे हम गुप्त पाप कृत्य कहते हैं, अुससे भी समाजको अपार हानि पहुँचती है। ” *

* गांधीजो कृत ‘अनीतिकी राहपर’ में अद्धृत मो० न्यूरोजी समति : जो बात पापके लिये कही गयी है, वह पुण्यके लिये भी लागू पहती है।

अिसके अलावा और भी दूसरे कभी अनुभवोंके अनुसार हम यह निश्चयपूर्वक नहीं कह सकते कि चित्तका अस्तित्व शरीरके अस्तित्वपर ही कायम है, और शरीरनाशके साथ ही शुसका तुरन्त विलय हो जाता है। अन्य देहमें प्रवेश करनेकी अिसकी सिद्ध शक्ति भले अितनी ज़बरदस्त न हो कि जिससे यह प्रतीति हो जाय कि चित्तमें अन्य देह धारण करनेका सामर्थ्य है, तो भी वह अितना तो अवश्य ही बताती है कि वह अुसके अनुकूल हो सकती है; और यदि अुसका विलय तुरन्त न हो जाता हो, तो जब तक वह चित्त अपने व्यक्तित्वको अखण्ड रख सकता है, तब तक चाहे वह शरीरी हो या अशरीरी, अुसपर क्रान्तिका नियम अवश्य घटित होगा, और शुसका खुत्कर्ष, विलय या मोक्ष किसी ऐसे ही नियमके अनुसार होगा।

पीछे 'ज्ञान, भक्ति और कर्म' के प्रकरणमें जो चर्चा हुई है, शुससे यह भी मालूम होगा कि जब तक किसी भी ज्ञान और भावनाका पर्यवसान कर्मयोगमें न हो, तब तक क्रान्तिका एक चक पूरा नहीं होता और दूसरी सीढ़ी हाथ नहीं ल्याती। अब अिसमें ज्ञानमें भक्तिमें जानेके लिये भले ही शारीरिक साधनकी ज़रूरत न हो, तो भी भावनासं कर्मयोगमें जानेके लिये शारीरिक साधनकी आवश्यकता होती है।

जिस प्रकार प्राणीके ज्ञान स्वरूप होते हुअे भी अुसके देखने मुननेकी शक्ति आँख, कान आदि साधनोंके दिना विफल रहती है, अुसी प्रकार चित्तको (कुछ बातोंमें तो) अपनी अुक्तान्ति और असिद्ध संकल्पोंकी सिद्धिके लिये दूसरे शरीरकी आवश्यकताका होना असम्भवनीय नहीं। यह हो सकता है कि शुसके लिये वह दूसरे किसीके शरीरमें अवतरित होकर कुछ संकल्पोंको सिद्ध करे; और अिसलिये युसे दूसरा जन्म लेनेकी आवश्यकता न रहे। किन्तु कभी संकल्प ऐसे होते हैं, जिनकी सिद्धिके लिये युसे स्वतन्त्र शरीरकी ही आवश्यकता हो सकती है। हम अिस शरीरमें रहकर जितना विचार कर सकते हैं, अुससे अूपर लिये सब तर्क सम्भवनीय कोटीके माने जा सकते हैं।

फिर यह क्यों न कहा जाय कि 'आत्मा सत्यकाम, सत्यसंकल्प है', अिस वचनमें 'मैं अमुक वात सिद्ध करनेके लिये दूसरा जन्म लूँगा'

तथा 'मैं अिस जन्म-मरणका अन्त कर डालूँगा' अिन संकल्पोंको सिद्ध करनेका भी बल है? अिसपरसे निदान जो फिरसे जन्म लेनेका संकल्प करते हैं, उनके लिये तो पुनर्जन्म और मोक्ष दोनों सत्य हो सकते हैं। पुनर्जन्म यदि संसारका नियम ही हो, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वह पुनर्जन्मको न माननेवाले पर लागू न हो। परन्तु सिर्फ यह कहा जा सकता है कि अुसने वैसा अिरादा करके रखा न था। फिर 'मैं क्यामत तक क्रत्वमें या अन्तरिक्षमें ही रहूँगा, और अुसके बाद नजी देह धारण करूँगा,' अुसका यह संकल्प भी (यदि यह नियम हो तो) अुसके पालनमें अपना कुछ प्रभाव डालेगा।

जो कुछ भी हो, पुनर्जन्मवाद अब तक श्रेयार्थियोंके लिये श्रेयके हेतु पुरुषार्थ करनेका ज्ञवरदस्त प्रेरक बल रहा है। जो लोग अिसके बारेमें शंकित हैं, अुनपर भी अिस संस्कारका असर अज्ञात-रूपसे काम करके अुपकारक होता है। यदि अुसके लिये प्रतीतिकारक प्रमाण न हों, तो अुसके विश्वद भी प्रतीतिकारक प्रमाण नहीं हैं। और अिसे मानना अुक्तान्ति तत्त्वके प्रतिकूल भी नहीं है। अिन वातोंको ध्यानमें रख लें, तो फिर पुनर्जन्मके विश्वद खयाल बनानेका अेक ही कारण प्रतीत होता है; वह है, मनमें अिस बारेमें शंकाके बीजका अत्यन्त होना। अिस कारण यह नहीं कहा जा सकता कि पुनर्जन्मको सम्भवनीय मानकर जो लोग अुसका प्रेरक बल स्वीकार करते हैं, वे गलती ही करते हैं। विज्ञानमें भी तरह तरहके बादोंपर की श्रद्धा अनेक प्रकारके प्रयोगों और अुपचारोंको प्रेरणा देती है।

अिस कारण जो ब्रह्मचारी हैं अथवा सन्ततिको पीछे छोड़ जानेकी अिच्छा या आशा नहीं रखते, उनके लिये भी मृत्युके बाद अुक्तान्तिके क्रमका अन्त नहीं आता, और अुनकी सत्त्व-संशुद्धि अपने या जगत्के लिये निष्पयोगी नहीं होती।

६. पर जिसके हृदयपर पुनर्जन्मवादका संस्कार अंकित नहीं है, अथवा दिशिल हो गया है, अुसके लिये भी अिन सबकी अपेक्षा श्रेय प्राप्तिका ज्यादा ज़ोरदार कारण तो अपनी अत्यन्त शान्ति, समाधान और कृतार्थताकी प्राप्ति है। सदाचार और सद्धर्मका पालन मनुष्यपर ऐसे गुणोंके संस्कार डालता है और ऐसे प्रकारकी सात्त्विक प्रसन्नता प्रदान

मरणोत्तर स्थिति

करता है, और जहाँ प्रपतनता न हो वहाँ भी उसे ऐसी गति और समाधान प्रदान करता है कि जिसके सामने जगतके सब मुख उसे गोण मालूम होते हैं, और उसे दुःखके लिये भी तैयार रखते हैं। फिर जिन संस्कारोंका विकास जहाँ तक ठीक ठीक हुआ हो, वहाँ तक वह अपने शान और कर्ममें व्यवस्थितता और कुशलता प्राप्त करता है, अब उस मात्रामें वह सत्य और सत्यकर्म बनता है।

जन्म-मरणसे छूटनेकी अभिलाषा ऐसे लिये प्रयत्न करनेका प्रेरक बल हो, तो भी वह गोण बल है और अंशतः अनुमानपर खड़ा है।

यह अनुमान सच हो या छूट, पुनर्जन्म मिथ्या हो, अथवा उसके सत्य होनेपर भी उससे मोक्ष प्राप्तिकी आशा गलत हो, तो भी श्रेयार्थकि प्रयत्नशील रहनेके लिये दूसरे काफी कारण हैं। और वे ये हैं—जो जीवन उसे प्राप्त हुआ है, उसीमें चित्त-चैतन्यकी तादात्य सिद्धि, चित्तका समाधान और सत्य-संशुद्धिके अनुपातमें प्रसन्नता और शान्तिकी प्राप्ति अब जगतका हित। जिन कारणोंमें यदि इस सम्बन्धीय ल्यानेवाले तर्कसे उत्पन्न आलोचनकी छूट न की जाय तो भी चल सकता है।

अपने प्राप्त जीवनमें ही अपने लिये समाधान प्राप्त करनेकी अभिलाषाके उपरान्त भावी प्रजाके लिये अद्वैत विरासत छोड़ जानेकी आशा, जन्म-मरणसे छूटनेकी अभिलाषा, तथा मनुष्यके भुलान्ति-शिरसपर पहुँच जानेकी अुक्षणा—जिन सब विचारोंके मूलमें जो एक अद्वा मठल है, और जो सत्य-मूलक और अनुभवसिद्ध भी है, वह है—

‘न हि कल्याणकृत कश्चिद् दुर्गतिं तात गच्छति ।’

—श्रेयार्थीकी कभी दुर्गति नहीं होती—इस सिद्धान्तमें निष्ठा हो, तो फिर यह बात कुछ महत्व नहीं रखती कि प्रेरक बल दे सकता हो, और यदि यह सिद्धान्त सपुष्यमयके लिये काफी।

जिस सत्यं चैतन्यमेंसे वह स्वयं व्यक्त हुआ है, उसे पहचानकर उसके साथ अपनी अकरुपता देखनेके लिये सत्य-संशुद्धि अनिवार्य है। सत्य-संशुद्धिके लिये श्रेयार्थी बनना अनिवार्य है, और इसे कारण ‘श्रेयार्थीकी कभी दुर्गति नहीं होती’ यह सिद्धान्त सत्य-मूलक है।

अुपसंहार

अब अिस विषयका अुपसंहार करें।

बुद्धि और श्रद्धाका ज्ञगङ्गा बहुत पुरातन काल्ये चला आता है; और संभवतः बहुत समय तक चलता रहेगा। अतः यह आशा रखना कि अिस विवेचनसे यह ज्ञगङ्गा खत्म हो जायगा, मनुष्य स्वभावका अज्ञान प्रकट करना होगा।

फिर भी अिस ज्ञगङ्गमें पढ़ना अनिवार्य हो जाता है। और पढ़नेके बाद अिसके दो प्रकारके परिणाम आ सकते हैं: (१) या तो जान-बूझकर बुद्धिको दरवाजा बन्द करनेका निर्णय करें, अथवा (२) श्रद्धाहीन बनकर केवल भौतिकवादी बन जायें। पहली बात सत्यके प्रतिकूल है, और दूसरी अनेक सद्मावोंके विकासके लिये घातक है। ऐयार्थकि लिये दोनों परिणाम अनिष्ट हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि बुद्धि और श्रद्धामें कोअी मेल बैठ ही न सके।

बुद्धिकी कोअी मर्यादा हो भी, तो अुसकी भी खोज करनी ही चाहिये और यदि श्रद्धाकी भी कोअी सीमा है, तो अुसेका भी पता ल्याना ही चाहिये।

किन्तु यदि श्रद्धाके पोषणके लिये बुद्धि-चक्षुको जानबूझकर फोड़ छालना पड़े, अथवा बुद्धिवादी हो जानेसे भावनाहीन बनना पड़े, तो यह अुलटी ही बात कही जायेगी।

अिस दृष्टिसे अिन प्रकरणोंमें आत्मा-परमात्मा-सम्बन्धी विचार किया गया है, जिसका सार अिस प्रकार है:

१. ज्ञान नामक पुरुषार्थका — वेदान्तका — अन्तिम निर्णय यह है कि प्राणिमात्रमें स्फुरित जो चैतन्य-तत्त्व है अुससे परे, अुसपर एत्ता चलानेवाला, दूसरा कोअी तत्त्व नहीं है। अुसे चाहे आत्म-तत्त्व कहिये, चाहे ब्रह्म-तत्त्व कहिये, वह अेक ही चैतन्य-तत्त्व विश्वके मूलमें है। अिस निष्ठामें रहना ‘निरालम्ब स्थिति’ है।

अुपसंहार

२०. यिस चैतन्य-तत्त्वके अतितत्त्वके विषयमें कोअी सन्देह नहीं। पर चैतन्य-तत्त्व प्रमाणातीत है। लेकिन 'प्रमाणातीत है' यिसका अर्थ यह नहीं कि वह केवल श्रद्धेय है, बल्कि स्वयंसिद्ध स्पष्ट प्रतेकको उसकी प्रतीति हो सकती है। यह वेदान्तकी प्रतिज्ञा है। यिस प्रतीतिका ही नाम आत्मशान है।

३०. आत्म-तत्त्व है ही, यिसलिये वह सत् है; वह चित् है, अर्थात् ज्ञान-क्रिया-स्पष्ट है। दूसरे शब्दोंमें, जो कुछ 'है' ऐसा प्रतीत होता है, उसका मूल अुसमें स्थित चैतन्यकी सत्ता है। और 'होते' में जो कुछ क्रिया या ज्ञान स्मृति होता है, उसका मूल अुसमें स्थित चैतन्य-तत्त्व ही है।

४०. प्राणियोंमें प्रतीत होनेवाला चित्त आत्म-तत्त्वसे निर्मित, विशेष प्रकारसे अुकान्त ओक शक्ति है। यह शक्ति सब प्राणियोंमें एकसी विकसित नहीं हुअी है, बल्कि विकास पाती रहती है। मनुष्य दशा तक विकसित चित्त 'मैं हूँ', 'मैं ज्ञाता हूँ', 'मैं कर्ता हूँ', 'मैं भोक्ता हूँ', 'मैं सकाम हूँ', 'मैं विवेचक (पाप-पुण्य, मुख-दुखका विवेक करनेवाला) हूँ', 'मैं विकारशील हूँ', 'मैं मर्यादित हूँ', आदि भानयुक्त है। साधारणतः यिस तरहके विकारवान चित्तमें ही मनुष्यकी आत्म-भावना होती है।

५०. यह न समझना चाहिये कि मनुष्य-दशा प्राप्त होनेसे चित्तका विकास पूर्ण हो गया। यदि हम यह कल्पना कर सकें कि ओक ऐद जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, वैसे वैसे बुद्धिमान होता जाता है, और यह भी कल्पना कर सकें कि वह अपने अतितत्त्वमें अनेक प्रकारकी जिग्यासा रखता है, तो कहना होगा कि अुसमें बीज लानेपर ही अुसे अपनी शुत्यन्तिका स्थूल कारण मालूम हो सकता है, और अुसी स्थितिमें ओक तरहसे वह मान सकता है कि मैं कृतार्थ हुआ। यिसी प्रकार चैतन्य शक्तिसे निर्मित चित्त जीवनके अनुभवोंको ग्रहण करते करते संशुद्ध होकर जब अपनी खुदको अुत्पन्न करनेवाली बीज स्पष्ट चैतन्य शक्तिकी प्रतीति कर ले, तथा यिस प्रतीतिके अनुस्पष्ट भावना और कर्मयोग सिद्ध कर ले, तब कह सकते हैं कि अुसका विकास-क्रम ओक तरहसे पूर्ण हुआ।

६. जब तक चित्तकी संशुद्धि नहीं हुई, तब तक अुसके लिये कोअी न कोअी आलमन आवश्यक होता है, और यह अुचित भी है। यह आलमन काल्पनिक नहीं, वल्कि सत्य होना चाहिए — फिर भले ही शुभकी सत्यताके सम्बन्धमें आत्म-प्रतीति न हो।

७. परमात्मा ही ऐसा आलमन है। परन्तु परमात्माको समझनेके बारेमें अनेक ग्रम फैले हुए हैं और अुसके कारण ज्ञान और भावोंकी संशुद्धिमें त्रुटि रहती है तथा अम्बुद्य और पुरुषार्थमें विघ्न आता है।

८. आलमनकी शुद्धताका विचार करते हुए परमात्माका नीचे लिखे अनुसार किया अनुसन्धान अुचित मालूम होता है —

(१) वह सत्य, ज्ञान तथा किया स्वरूप है।

(२) वह जगत्‌का अुपादान कारण है।

(३) वह सर्व व्यापक विसु है।

(४) अुसका कोअी खास नाम, आकार या गुण नहीं वताया जा सकता, किन्तु वह सभी नामों, आकारों और गुणोंका आश्रय है।

(५) वह कारण रूपसे सत्य संकल्पका दाता और कर्मफल प्रदाता है।

(६) वह अल्पि है और साक्षी रूपसे प्रतीत होता है।

(७) वह महान, अनन्त और अपार है।

(८) वह स्थिर और निश्चल है।

(९) वह जगत्‌का नियन्ता अथवा सूत्रधार है।

(१०) वह शृष्ट है।

(११) वह शुपास्य, अेष्य, वरेष्य, शरेष्य, और समर्पणीय है।

(१२) जगत्‌में जो कुछ शुभ-अशुभ विभूति है, वह शुसीके कारण है; अतयेव वह सब शक्तियोंका भण्डार है। परन्तु शुभमेंसे जो शक्तियाँ श्रेयार्थीके लिये शुभ और अनुशील्न करने योग्य हैं, अुर्हीका अनुसन्धान करना अुचित है। अैसी विभूतियाँ संक्षेपमें ज्ञान, प्रेम और धर्मके अनुरूप किया-शक्तियाँ हैं।

(१३) सत्त्व-संशुद्धिका फल प्रत्यक्ष जीवनमें बुद्धि भावनाके अुक्तर्प द्वारा मरण-तथा मरणोन्तर स्थितिके सम्बन्धमें निर्भय बनाकर शान्ति और समाधान प्राप्त कराना है। सत्त्व-संशुद्धि जीवनकी साधना भी है और साध्य भी है।

प्रारंताविक

भक्त शन्द हमारी भाषाओंमें विविध अर्थोंमें वरता गया है। अदाहणके लिये, दूसरे खण्डमें परमात्माके प्रति पूज्यता, वृत्तज्ञता और प्रेमकी भावना व्यक्त करनेके लिये जिस प्रकारके परमात्माके चिन्तनका वर्णन किया है, असे सामान्य भाषामें भक्ति ही कहते हैं।

असी प्रकार नाम-स्मरण, पुजा-आरती, धुन, प्रार्थना, नमाज इत्यादि प्रकार भी 'भक्ति' ही कहे जाते हैं।

भक्तिके अन दो प्रकारोंका विचार यहाँ हमें नहीं करना है। अनिमेसे पहले प्रकारकी चर्चा दूसरे खण्डमें हो चुकी है। वहाँ हमने असे सणुण मध्यविषयका विचार कहा है। परन्तु यह याद रखना चाहिये कि असे सणुणताके साथ आकारका कोअी सम्बन्ध नहीं है।

दूसरा प्रकार आराधनाका है। असका आवश्यक विचार एक दूसरे मरणमें किया जायगा।

यहाँ हमें जिस वातका विचार करना है वह है साकार भक्ति। श्रेयार्थी मनुष्य अपने हृदयकी पूज्यता, वृत्तज्ञता तथा प्रेमकी भावना-ओंको व्यक्त करनेके लिये, अपने सुख, शान्ति और धैर्यके लिये, और अपने कर्मोंको समर्पण करनेके लिये केवल नियका, सर्वत्यापी परमात्माके आलधन और चिन्तनको ग्रहण करे और अंगसंसे असे सन्तोष हो जाय, ऐसा सदा अनुभव नहीं होता। वह अपना प्रेम-भाव किमी नाम-स्वप्नारी देव या व्यक्ति अथवा प्रतीक पर प्रकट या निवेदन करनेके लिये असुक रहता है।

यह नाम-स्वप्नारी कभी तो कोअी एक काल्पनिक स्वस्प या असकी पायाण आदिकी मृति होती है, कभी किसी भव्य वृत्तना या स्वस्पका छेटासा प्रतीक या निह होता है, कभी कोअी ईतिहासिक व्यक्ति होता है और कभी कोअी प्रस्तुत व्यक्ति होता है।

अिस नाम-स्वप्नधारिके प्रति अुसके भक्तकी भावना अत्यन्त प्रेमभरी होती है। अुसे वह जीवन-सर्वस्व और जगत्का सार मालूम होता है। यह सही है कि अक्षर शुरूसे ही अुस नाम-स्वप्नधारिके प्रति ऐसी अद्वा बनी होती है कि वह श्रद्धेय, अुसका तारणहार या सर्वोच्च जीवन-सिद्धिके अपने आदर्शके प्रति पहुँचानेवाला है, और अुस मिद्दिकी अच्छा अुस भक्ति-भावका कारण होती है। फिर भी समय जाने पर अुसका प्रेम-भाव ऐसा तीव्र हो जाता है कि वह प्राप्ति या तो अुसे गौण मालूम पहती है अथवा अुस भक्तिमें ही समाविष्ट प्रतीत होती है; और अुसे अपनी भक्ति किसी अुच्च दशाकी प्राप्तिका साधन-रूप नहीं, बल्कि जीवनका साध्य ही हो जाती है।

‘भूतळ भक्ति पदारथ मोहुं, व्रजलोकमां नाहीं रे;’

× × ×

‘हरिना जन तो मुक्ति न मागे, मागे जन्मोजन्म अवतार रे।’

(नर्सिंह मेहता)

परमात्म-शक्तिके प्रति निष्ठा और अुसका दृष्ट आंतर्मन तथा अुसके लिये महिमायुक्त प्रेम—अिससे यह भक्ति जिस वातमें खास तौरसे छुदा पहती है, वह अुसकी ऐकरेशीयता और साकारनिष्ठा है।

‘तमारा तो हरि सधळे रे, अमाग तो ऐक स्थळे;

‘तमो रीझो चांदरणे रे, अमो रीझुं चन्द्र मळे।’*

(दयाराम)

‘मुकुन्दमाला’ के कविने जैसा कहा है:

दिवि वा भुवि वा ममास्तु वासो नर्के वा नरकान्तक प्रकामम् ।

अवधीरितशारदारविन्दी चरणी ते मरणेऽनुचिन्तयामि ॥

(हे नरक-नाशक ! स्वर्गमें, पृथ्वीमें या भले ही नरकमें मेरा वास हो; परन्तु ऐसा जस्तर कर जिससे कि मैं मरण समयमें तेरे अन चरण-कमलोंका चिन्तन कर सकूँ, जिन्हें व्रहादिकने धारण कर रखा है।)

मानव हृदयकी ऐसी भक्ति-भावनाका अुचित और विवेकयुक्त स्वरूप क्या है, अिसका विचार हमें आगेके प्रकरणोंमें करना है।

* तुहारा हरि तो सब जाहि है, हमारा तो ऐक हो जाइ है।

तुम चांदनीसे ही खुश हो, हम तो चन्द्र पानेते ही खुश ही उकड़े हैं।

भक्ति और उपासना

किसी मनुष्यके द्वाटे डरको दूर करनेका कभी ऐक ही शुपाय होता है; वह यह कि अुसं अकेला भयकी स्थितिमें छोड़कर दूर हट जाना। पहलेपहल तो वह घराता है, किन्तु ये ही ही देरमें वह देख लेता है कि अुसका डर फजूल या, या अिस खतरेका सुकायला करनेका सामर्थ्य अुसमें है। अिसी प्रकार जो मनुष्य ऐक परमतत्वका निश्चय करके तथा अुसीके आलम्बन पर दृढ़ रहकर और सब वातोमें अपने पुण्यार्थ द्वारा ही धीरज, अम व निश्चयसे अग्नी अभीष्टसिद्धि करनेके वजाय किसी वस्तुकी कामनासे या किसी भयको दूर करनेके लिये देवी-देवताओंका आलम्बन लेता है और अुनकी आराधना करता है, अुसके लिये सम्भवतः ऐक यही शुपाय हो सकता है कि अुसका वह अलम्बन ही दूर कर दिया जाय। परन्तु अिस जगह हम असे सकाम भक्तोंका विचार नहीं कर रहे हैं।

सच पूर्णिये तो जैसोंको 'भक्त' कहना भक्ति शब्दकी तोड़-मोड़ करना है। जैसे खुशामदियोंके तभी तक मिश्र माननेकी भूल होती है जब तक कि अुनका सच्चा स्वरूप मालूम नहीं होता, वैसे ही सकाम आराधकोंको भी तभी तक भक्त कहने की भूल होती है जब तक अुनका सच्चा स्वरूप दिखायी न दे। किन्तु हम तो यहाँ असे भक्तोंका विचार कर रहे हैं, जो अपने प्रेम भीने चित्तके समाधानके सिवा किसी प्रकारके सच्चे या काल्पनिक सुख या फलकी अिछ्छा नहीं रखते; किर भी, बद्धा जैसे गायके लिये व्याकुल होता है, वैसे वे अपने मान्य अष्टदेवके लिये — केवल अुनके प्रति अपने प्रेमकी अतिशयताके कारण — दृष्टप्राते हैं। 'मुकुन्दमाला' स्तोत्रमें वताये अनुसार अुनकी मनोदशा अिस प्रकार होती है :

नास्था धर्मे न वसुनिचये नैव कामोपभोगे
यद्भाव्ये तद्भवतु भगवन्पूर्वकर्मानुदप्तम् ।
ऐतत्प्रार्थ्ये मम वहुमतं जन्मजन्मान्तरेऽपि
त्वत्पादाभोद्द्युगता निश्चला भवितरस्तु ॥

बद्धेनाङ्गलिना नतेन शिरसा गात्रैः सरोमे द्रौमैः
 कण्ठेन स्वगदगदेन नयनेन द्वीर्णवाष्पाम्बुना ।
 निल्यं त्वच्चरणारविनदयुगलध्यानामृतास्वादिना-
 मध्याकं सरसीरुहक्ष सततं संपद्यतां जीवितम् ॥
 त्यजन्तु बान्धवाः सर्वे निन्दन्तु गुरुवो जनाः ।
 तथापि परमानन्दो गोविन्दो मम जीवनम् ॥*

ऐस प्रकारका अद्वैतुक (किसी भी कामनासे रहित) शुद्ध प्रेम-युक्त हृदय मनुष्यकी अमूल्य सम्पत्ति है। निरतिशय व अद्वैतुक प्रेमाद्रेता ही भक्तिका हार्द है।

परन्तु यह माना जाता है कि भक्ति किसकी तरफ वहे तथा ऐस भक्तिमें अपने अष्ट स्वरूपके प्रति किस प्रकारके सम्बन्धका भाव हो, यह महत्वकी बात नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि यह बात ऐसी भी नहीं है कि जिसकी अवगणना की जाय।

अतअेव पहले अुपासना व भक्तिका भेद समझ लेनेकी जरूरत है। और यह समझना भी जहरी है कि आराधना किसे कहते हैं।

तो अब हम पहले अुपासनाको लें।

मेरी समझके मुताबिक हमारा अुपास्य देव वह है, जिसे हम अपने जीवनमें मूर्तिमन्त करना चाहते हों, जिसके समीर हम पहुँचना चाहते हों,* जिसका मानो दूसरा अवतार ही है होना चाहते हों। जिसका हम वाणीसे भजन करते

* मेरे धर्ममें आस्था नहीं, न धन संचयमें है, और सुखोपभोगमें भी नहीं। मेरे पूर्व कर्मके अनुसार, हे भगवान्, मेरा जो कुछ हीता हो सो ही। मेरे लिये तो यही माँग बहुत महत्व रखती है कि जन्मजन्मातरमें भी तेरे चरण-कपलोंमें मेरी भक्ति अटल हो।

हाथ जुड़े हुओ हैं, सिर नमा हुआ है, गात्र रोमाचित है, स्वर गदगद है, औँकोंसे आँमूल्यक रहे हैं, निरंतर तेरे चरणकल्पोंके धधा रूपों अमृतकी पी रहे हैं, ऐसी स्थितिमें, हे कपलनयन, हमारा जीवन द्वेष (प्रत्येक जन्ममें) बीते।

भले ही वन्धुण दौड़ दें, वडै-वडै निन्दा वर्तें, तो भी मेरा तो जीवन परमानन्द गोविन्द हो है।

* अुपासना=समीप जाकर बैठना। (अुप=समीप, आसन=बैठक)

हों, पूजा-प्रार्थना करते हों वह नहीं। अुदाहरणके लिये स्वामी रामदासके सामग्रदायिक रामदासको व गोमांझी तुलसीदासजीके अनुयायी तुलसीदास-जीको रामका अवतार नहीं मानते, बल्कि हनुमान या वाल्मीकिका अवतार मानते हैं। अनेको अन्तःप्रतीति ऐसी है कि रामदास या तुलसीदासका साम्य हनुमान या वाल्मीकिके साथ अधिक है। अतः इन दोनों सन्तोंको मैं रामका अुपासक न कहूँगा, बल्कि हनुमान या वाल्मीकिका अुपासक कहूँगा। अनेके अुपास्य देव राम नहीं बल्कि हनुमान या वाल्मीकि थे। अिसी प्रकार नरसिंह मेहता, चैतन्य, दयाराम आदिकी अुपासना कृष्णकी नहीं, बल्कि राधाकी थी।

यह तो हुआ अुपासनाकी दृष्टिसे ।

परन्तु भक्तिकी दृष्टिसे कदानित् रामदास व तुलसीदासको रामभक्त य नरसिंह मेहता आदिको कृष्णभक्त कहना होगा। क्योंकि मनुष्य जिसकी तरह बनना चाहता है अुसका वह अुपासक है; जिसको अपना जीवन समर्पण करना चाहता है अुसका वह भक्त है। अुदाहरणके लिये दासभाव, नैषिक ब्रह्मचर्य, शौर्य, पराक्रम अित्यादि गुणोंके हनुमान अुपासक थे; परन्तु अपना जीवन अन्धोंने रामको समर्पित किया था, अतः वे भक्त थे गमके। राम अुपासक थे शौर्य, आशाधीनता, सत्य-प्रतिज्ञा, स्वाभिमान, राजकीशल, युद्धकीशल अित्यादि गुणोंके; और भक्त थे अपने माता-पिता, बन्धुओं तथा प्रजाके। क्योंकि अनेको लिये अपना सर्वत्व अर्पण करनेको वे तैयार थे।

परन्तु भक्ति व अुपासनामें अितना ही भेद नहीं है। मनुष्य अुपासना तो किसी भूतकालके व्यक्तिकी भी कर सकता है, अपने सम-कालीनकी भी कर सकता है व किसी काल्यनिक पात्रकी भी कर सकता है, और ऐकको ही नहीं, बल्कि जीवनके विभिन्न क्षेत्रोंमें विभिन्न व्यक्तियोंको अपना अुपास्य बना सकता है। फिर, यह भी हो सकता है कि वह अपने अुपास्यके जीवनके किसी ऐकाघ ही गुणकी अुपासना करे; जैसे, हनुमान किसीको बलके लिये, किसीको दास्यके लिये और किसीको महाचर्यके लिये ही अुपास्य मालूम हों। किसीके लिये गृह जीवनमें राम, व्यापारमें ताता, राजनीतिमें लोकमान्य तिलक, समाज सेवामें गार्धजी, नगरकार्यमें कोअी और — अिस तरह भिन्न भिन्न अुपास्य हों। और अिस

तरह विविव अुपास्य होनेमें (यदि चुनावमें अविवेक न हुआ हो तो) कोअी हर्ज भी नहीं मालूम होता।

किन्तु भक्तिकी सफलता तो प्रत्यक्ष जीवनमें ही है। हनुमानके लिये राम प्रत्यक्ष थे। रामके लिये अनकी प्रजा प्रत्यक्ष थी। सीताके लिये राम व रामके लिये सीता प्रत्यक्ष थे। कृष्ण-अर्जुनका मिश्र-सम्बन्ध या गुरुशिष्य सम्बन्ध प्रत्यक्ष जीवनमें था। असी तरह यदि हमको हनुमानका दास्यभाव अुपास्य मालूम होता हो, तो हमें अपने स्वामी रामको अपने प्रत्यक्ष जीवनमें ही खोजना चाहिये। यदि हम सीताके अुपासक हों, तो अपने प्रत्यक्ष पतिमें ही हमारा पातित्रत समा सकता है। हम यदि रामके श्रुपासक हों तो जहाँ रहते हों वहाँकी ही प्रजा, हमारी अपनी पत्नी, हमारे खुद माँ-बाप, हमारे प्रत्यक्ष नौकरचाकर, हमारे गुरु — अन्हींमें हमारी सारी भक्ति समर्पित होनी चाहिये। अन्हींके लिये हम अपना सर्वस्व अर्पण कर सकते हैं।

हम भले ही अयोध्यावासी राम या वृद्धावनविहारी कृष्णकी भक्ति पुत्र, दास, पति या पत्नी अथवा अन्य किसी भावसे करें, परन्तु अुसमें हमें अपनी कल्पनाको बहुत खींचकर वे प्रत्यक्ष हैं औसी भावना करनी पड़ती है। हम अपने जीवनको सहजप्राप्त कर्मयोगसे अलग करके अस्वाभाविक मार्गमें ले जाकर ही औसा कर सकते हैं।

यदि अुपासना व भक्तिका यह भेद ठीक ठीक समझमें आ गया हो, तो हमारे देशमें राम या कृष्णकी कितनी अुपासना हुअी है वह विचारने जैसी है। चैतन्य, नरसिंह, दयाराम आदि ने कृष्णके नामसे किसकी अुपासना की? वे किसके समीप जाकर पहुँचे? अुपासनाका औसा राधा या गोपीभावका आदर्श किस अंशतत्र विवेकयुक्त कहा जा सकता है? अिन प्रश्नोंका अुत्तर पाठक खुद ही दे सकता है। अिस तरह अपनेमें स्त्री-भाव (और अुसमें भी जारासक्त स्त्रीभाव) लानेका मिथ्या प्रयत्न करना, मेरी दृष्टिमें, न तो खुद अनके अुत्कर्षकी दृष्टिसे ही अचित है न अुदाहरण लेनेकी दृष्टिसे ही।

अिसमें कोअी सन्देह नहीं कि ये सब जवर्दस्त भावनाशील और पवित्र वृत्तिके साधु पुरुष थे। परन्तु विनके जीवनका अधिकार्य एक

भक्ति और उपासना

वीत गया ! यह टीक है कि अुपासना प्रथक्षकी ही होनी चाहिये, वैसी वात नहीं । परन्तु अुपास्यके चुनावमें विवेकसे काम लेना जरूरी है, नहीं तो अुपासना ज्ञवनको अवश्य विकृत मर्मांकी ओर ले जाती है । क्योंकि जीवन अनुचित दिशामें बहेगा या अनुचित दिशामें कूट निकलेगा, अिसका दारोमदार अुपास्यके चुनाव पर ही है ।

प्रत्येक मनुष्यको अपना अुक्तं साधनेके लिये एक खास प्रकारकी योग्यता प्राप्त करनी होती है । अनुचित मात्रामें और परिस्थिति तथा शक्तिके अनुसार युसे अपने अदर मनुष्यताके मित्र भिन्न गुण, यम तथा शक्तिका विकास करना चाहिये । अिस विकासका साधन अुसकी अुपासना है ।

नहीं किन्तु गुण, शक्ति, यम अित्यादिकी प्राप्तिमें दी युसका अुक्तं प्रत्येक समा जाता । युसका हृदय शुद्ध भावनाओंसे भी परिपूर्ण रहना चाहिये । युसके अभावमें युसके ज्ञान और गुणोंके मूल्यहीन होना चाहिये । अुसके सम्भावना है । अिसका साधन भक्ति है । अिसमें शक नहीं रह जानेकी सम्भावना है । अितना भक्ति किसी भी दूसरे जीवसे जीसा प्रेम करे व अुसका कि जो मनुष्य किसी ऐक भी स्वर्धके विना अथवा किसी भी स्वर्धके विना अथवा किसी भी निजी सुखकी अपेक्षा रखे विना अहेतुक प्रेमसे युसे अत्यन्त चाह सके, वह (वशर्ते कि अुसका भजनीय पुरुष वैरा ही विभूतियुक्त व योग्य व्यक्ति हो) तो केवल अपनी भक्तिकी वदीलत ही जीवनकी अहेतुक प्राप्त कर सकता है । चैतन्य आदिकी पुज्जनेयता अनके सफलता ग्राहमाचर्ममें या कृष्णको अपना अष्टदेव माननेमें नहीं है—वह तो अुनकी भूल भी समझी जा सकती है—वल्कि अुनकी निरतिशय और अहेतुक प्रेमार्दतामें है । और यदी भक्तिका तत्त्व अहेतुक है ।

आराधना

अपर जो भक्तिका निरूपण किया गया है वह अुसके सर्वथेष्ठ स्वरूप, आत्मनिदेदन भक्तिका है। किसी भी फलकी, सुखकी, वासनातृत्ति की विच्छाके बिना किसी भी जीवके लिये अपना सर्वस्व अपेण करना आत्मनिदेदन है। जो व्यक्ति ऐक पर भी ऐसा अद्वैतुक निरतिशय प्रेम कर सकता है, वह यदि अष्ट पुरुषका चुगाव ठीक तरहसे हुआ हो तो, जगत्की भी सेवा कर सकेगा। क्योंकि अुसकी भक्तिका स्वरूप ही ऐसा होगा कि वही अुसके लिये संसारकी सेवाका सज्ज मार्ग हो जायगा।

आम तौरपर यह माना जाता है कि अिसमें अष्ट पुरुषकी योग्यताका प्रश्न गौण है। जिसके दृढ़यमें ऐसा प्रेपस्त्रोत अुपमिता है वह जिसके प्रति यह प्रेम प्रवाहित होता है अुसके गुण-दोषोंकी तुलना करके, अनेक अुभीदवारोंमें से ऐकको खोजकर, अुसे अपनी भक्तिका पात्र बनाता हो ऐसी बात नहीं। ऐसा भाव अुपजनेमें कोओ निमित्त कारण अवश्य होता है। जैसे परोक्ष देवके अनन्य भक्तोंमें अनके आनुवंशिक संस्कार ही बहुत कुछ कारणीभूत होते हैं। प्रत्यक्ष जीवनमें जो भक्तिभाव प्रवाहित होता है अुसमें पूज्यताका अुभार पैदा करनेवाले नैमित्तिक प्रसंगोंसे यदि भक्ति खिल अुठती है।

परन्तु अष्टकी योग्यताका विचार गौण है, अिसका यह अर्थ नहीं कि वह त्रिलकुल ही नहीं होता अथवा सदैव गौण ही रहता है। यह बात थोड़े ही विचारसे समझमें आ सकेगी। वह अष्ट स्वरूप अुसे अपनेसे तो किसी न किसी प्रकारसे विशेषता युक्त मालूम होता ही है। जहाँ अुसके विषयमें वही भूल हुओ मालूम पड़ती है, वहाँ थोड़ा बहुत तो भी अुसके प्रति भाव कम हो जानेकी सम्भावना रहती है। फिर भी अुसके प्रति प्रीतिका संस्कार शायद ही नष्ट होता है। अिस तरह परोक्षदेवकी साकार भक्तिसे निकलकर जिन भक्तोंका प्रवेश वेदान्तमें हुआ है, अन्वें अपने पुराने अिष्टदेवके प्रति, थोड़ी बहुत अुदासीनता आ जाने पर भी, प्रीतिका संस्कार कम हुआ नहीं दिखाओ देता।

अधिकी योग्यताका विचार, अस प्रकार, बिलकुल गीण न होनेसे बहुत बार ऐसा होता है कि प्रत्यक्ष जीवनमें जिनके प्रति हमारे मनमें भक्तिमाव अुपजना चाहिये, अन माता, पिता, गुरु, नेता, राजा आदिका जीवन ही ऐसा होता है कि, हृदयके भावनाद्वारा रहते हुओ भी, अनके प्रति प्रेम न पैदा हो सके; अथवा अनके प्रति भक्ति भाव होते हुओ भी, शुनकी अपूर्णताओंका भी मान होनेके कारण, हृदय पूर्ण कृतार्थता अनुभव न कर सके और किसी ऐक पृण व्यक्तिके साथ शुद्ध प्रेमसे वैध जानेके लिये तरमता रहे। किसी अंतिदासिक काल्पनिक परोक्ष विभूतिका ही जीवन अुसे ऐसा लगे, जो अुसके भक्तिभावको अुत्तेजित और पुष्ट कर सके। ऐसा भी हो सकता है कि वह अुसे अपना आदर्श अुपास्य न बना सके, परन्तु अुपर वह मुख्य (फिदा) हो जाय। ऐसे समयमें अुसके हृदयमें अुस व्यक्तिके लिये ऐक प्रकारकी तीव्र पूज्यताका भाव स्थिर हुओ बिना नहीं रहता और न वह पूज्यभावको प्रगट किये बिना ही रह सकता है। यदि अस तरह किसी परोक्ष विभूतिके प्रति पूज्य भाव प्रकट करनेकी रीतिको 'आराधना' कहें, तो यह समझ लेना जरूरी है कि अुप आराधनाका अुचित स्वरूप क्या होना चाहिये?

अुचित मर्यादामें विकसित किसी परोक्ष विभूति सम्बन्धी जैसे आदरके मूलमें रहे भावोंको देखें, तो अुममें ऐसी विभूतिको प्रत्यक्ष जीवनमें देखनेकी और अुसके साथ अपना जीवन जोड़ने या मिलानेकी अभिलापा दिखाओ देगी। यदि किसी हिन्दूके मनमें राम, कृष्ण, या शिवाजीके प्रति अत्यन्त पूज्य भाव हो, तो (यदि अुसका सविचेक विकास हुआ हो तो) शुभका अर्थ यह है कि यदि प्रत्यक्ष जीवनमें राम, कृष्ण, या शिवाजी जैसे किसी प्रतापशाली व्यक्तिको वह देखे तो शुरुके साथ अपना जीवन खुशीसे सौंध दे। खुद तो वह राम, कृष्ण या शिवाजी होने जैसी शक्ति अपनेमें नहीं पाता। अस कारण रामादिक अुसके अुपास्य नहीं, वह अनका भक्त भी नहीं, वल्कि पूजक है, अर्थात् वह अनके जैसोंका भक्त होनेकी अिच्छा रखता है। जब तक प्रत्यक्ष जीवनमें अुसे रामादिक न मिल जायें, तब तक वह परोक्ष विभूतियोंका गुणानुचाद करेगा, अनकी कीर्ति फैलानेमें भाग लेगा। परन्तु अिनेसे वह कृतार्थताका अनुभव

नहीं करेगा। वह अिन्हें प्रत्यक्ष मान लेनेकी भूल नहीं करेगा। यदि प्रत्यक्ष जीवनमें अुसे कोभी ऐसा पुरुष मिल जाय, तो अुस परोक्षसे भी अधिक आदर व प्रेमके साथ वह अुस प्रत्यक्ष पुलसे चिपटा रहेगा और तभी वह पूर्ण कृतार्थता अनुभव करेगा। अिस प्रकारकी किसी परोक्ष विभूतिकी आराधना — अुसका श्रवण, कीर्तन व मनन — प्रत्येक भावनाशील मनुष्य करता ही है। और यह नहीं कह सकते कि वह अनुचित है।

अिस तरह अुपासनाका अर्थ है किसीके जैसा होनेकी अच्छासे अुसका चिन्तन व अनुकरण; भक्तिका अर्थ है किसी प्रत्यक्ष पुरुषके लिये अपना जीवन अविण करना; और आराधनाका अर्थ है जिसके सदृश पुरुषको प्रत्यक्ष जीवनमें प्राप्त करनेकी अभिलाषा रखी है अुसका पूजन, चिन्तन आदि।

परन्तु जब यह आराधना ऐसा स्वरूप ग्रहण करती है, जिसमें प्रत्यक्ष जीवनमें ऐसी विभूतिके मिलनेकी अभिलाषा हमें न हो, बल्कि अुस परोक्ष विभूतिको ही किसी तरह 'साक्षात्' प्राप्त करनेकी अभिलाषा होने लगे, अुसकी मूर्ति बनाकर अुसकी पोङ्शोपचार पूजा-पार्थना करके अुसीमें हम कृतार्थता मनावें और धीरे धीरे वह हमें कल्पनरूपमें या मृणुके बाद अुसके मिलनेकी आशामें रमे रहनेका आदी बना दे, तब कहना होगा कि यह आराधना विकृत हो गयी है। वह अत्यन्त श्रद्धा युक्त हो तो भी सत्यकी आराधना नहीं है, अुसमें अब अुदयका एक महत्वपूर्ण अंश खाली रह जाता है, और यदि कभी भी सत्य ज्ञानकी तरफ हमारा प्रयाण होनेवाला हो, तो हमें अित आराधनाके पार गये थिना गति नहीं है।

भक्ति और धर्म

पिछले प्रकरणोंमें हमने देखा कि :

१. भक्ति और आलम्यन-निष्ठामें तथा भक्ति और अुपासनामें मेद है ।

२. अुपासना अनेककी हो सकती है, भूतकालीन पुरुषकी हो सकती है, किसी कल्पनाकी हो सकती है, सत्य, दया, अहिंसा, अित्यादि गुणों या भावोंकी भी हो सकती है ।

३. भक्ति — प्रेमयुक्त सर्वस्वार्थण — ऐकके प्रति ही हो सकती है । प्रत्यक्षके अभावमें परंपरा, काल्पनिक या ऐतिहासिक साकार व्यक्तिकी आराधना या अभिलाषाका स्वरूप वह भले ले ले, परन्तु जब तक जीवनका कुछ भाग प्रत्यक्षकी भक्तिमें न लगे, तब तक क्षुसे कृतार्थता न मालूम होगी ।

४. प्रत्यक्षकी भक्तिमें भी इष्ट पुरुषका चुनाव विचारने जैसी वात है । यदि इष्ट पुरुष विभूतिमान व योग्य व्यक्ति हो, तभी अुपकी अनन्य भक्तिसे भवत अपना परम अक्षरं साध सकता है और वही भक्ति दंसारकी संवाका सहज मार्ग बन सकती है ।

अिस आखरी वातका हमें जश विरतान्से विचार करना होगा ।

गीताके अठारहवें अध्यायमें (श्लोक ६६) कहा है :

सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज ।

अहंत्वा सर्वप्रेभ्यां मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥

(सब धर्मोंको छोड़कर तू ऐक मेरी ही शरणमें आ । मैं तुझे सब पापोंसे छुड़ा दूँगा, तू चिन्ता मत कर ।)

अिस श्लोकका आमतौर पर यह रहस्य समझा जाता है कि धर्म ऐसा सूक्ष्म और अटपटा द्विषय है कि यदि साधारण बुद्धिवाला मनुष्य धर्मधर्मका निर्णय करने लगे, तो उसकी दुष्कर दक्षर खा जाती है और

युसका चित्त कभी शान्त अनुभव नहीं कर सकता। अतः श्रेयार्थीको चाहिये कि वह खुद धर्माधर्मके निर्णयकी झज्जरमें न पड़कर कायावाचामनसा संदर्भकी शरण जाय और निःशक होकर युसकी आशा-पालनमें तत्पर रहे। अिससे वह किसी धर्मपालनमें रही कमियाँ तथा अधमके पापसे छूट जायगा।

अिस प्रकार अिसका रहस्य समझनेमें कोओ बाधा नहीं है, बश्यते कि अिसके मूलमें एकीत कुछ बातों पर ध्यान रखा जाय। वे बातें अिस प्रकार हैं :

१. जिसकी शरण लो जाय वह व्यक्ति ऐसा असामान्य व धर्मकी मानो प्रत्यक्ष मूर्ति-रूप होना चाहिये कि युसकी आशा सदैव धर्मके अनुकूल ही रहे। अतः जिस प्रकार रोग निवारणके लिये आमतौर पर रोगी किसी कुशल वैद्यके आदेशोंका पालन करते हैं, अथवा कानूनी मसलोंमें मामूली मुवक्किल होशियार वके लकी सलाह मानता है और युसीमें अपनी सुरक्षा देखता है, तुमी प्रकार धर्माधर्म सम्बन्धी जटिल प्रश्न अुत्पन्न होने पर सामान्य श्रेयार्थी ऐसे पुरुषको आज्ञानुपार चले, तो वह भूलोंसे बच सकता है; क्योंकि युसका शरण व्यक्ति धर्मका विशेषज्ञ व सूक्ष्म विचारक है।

२. जिस प्रकार कोओ विद्यार्थी जिन्दगीभर शिष्यता नहीं करता, ज्यादासे व्यादा तबतक वह किसीका शिष्य रहता है जबतक वह अपने शिक्षकके बराबर लियाकत न पैदा कर ले, और शिक्षक जब कह दे कि 'अब मेरे पास तुम्हें अधिक देने लायक कुछ नहीं रहा है' तब युसका युस गुरुके प्रति अपना शिष्यभाव पूर्ण हुआ समझना चाहिये; युसी प्रकार जबतक श्रेयार्थीको खुद धर्माधर्मके निर्णयमें आत्मविश्वास नहीं पैदा हुआ, तबतक ही युसे किसी महापुरुषकी शरणमें रहनेकी ज़स्तरत रहती है। अिसका अर्थ यह हुआ कि स्वदुदिको चलानेको झंझटसे छूटनेके लिये अथवा दूसरेकी बुद्धिको कुण्ठित कर ढालनेके लिये या युसे अपने अर्थन बना ढालनेके लिये शिष्यत्व या गुरुत्व व धनेकी ज़स्तर नहीं है। वृत्तिक शिष्यकी बुद्धिको विशेष कुण्ठाप्र करना, सच्ची दृष्टिसे युक्त बनाना और स्वतंत्र

बनने लायक योग्यता असमें अुत्तम करना असका अद्वेश है । जबतक ऐसी स्थिति नहीं हो गयी है, तभी तक शरण लेना या देना अचित है ।

दूसरे खण्डके 'ज्ञान, भक्ति व कर्म' सम्बन्धी प्रकरणमें हमने देखा कि "ज्ञान प्राप्ति, असके बाद भावनाका अनुशीलन, और असके बाद कर्मयोगकी पूर्णता, ऐसा विकासकम ही दिखायी देता है ।" वहाँ हम सर्वव्यापी परम चैतन्यके आलमनके सम्बन्धमें विचार कर रहे थे । परन्तु साकार अष्टदेव या गुरु आदिकी भक्तिका भी ऐसा ही पर्यवसान होना चाहिये । अर्थात् भक्तिके फलस्वरूप भक्तकी निष्ठा ऐसी दृढ़ होनी चाहिये कि जिससे वह धर्मका सूक्ष्म विचार करके असके अनुस्पष्ट जीवन-कार्योंको कर सके ।

कभी सम्प्रदाय अस आखरी वाक्य पर कोभी आपत्ति न करेगे । परन्तु 'धर्म क्या है' इसे हाए करनेकी ज़बरत है । अदाहणके लिये, आम तौर पर सम्प्रदायोंमें अपने अष्टदेव, गुरु आदिके मन्दिर बनाना, शुनकी तथा अनुके अन्य भग्नोंसी सेवा-शृश्रय करना, अनुके लिये बागवतीने लगवाना, नाना प्रकारके नैवेद्य बनाना, घटभोज, सन्तभोज, आदि करना तथा वाणिज्यमध्यन्धी साम्प्रदायिक मर्यादा पालना धर्म निष्ठाका लक्षण माना जाता है । और यदि अस प्रकारकी धर्म निष्ठा हो, तो भक्तिका पेषण काफी हुआ माना जाता है । अससे आगे यह कर यह आवश्यक नहीं माना गया है कि कुटुंब-धर्म, समाज-धर्म, मानव-धर्मके पति भक्तकी दृष्टि वर्धनी चाहिये — अतना ही नहीं, वर्त्तक भक्तिमें यह विष माना गया है और यह भी माना गया है कि 'अन धर्मोंका आप्रह धर्मनेसे ही भक्ति विशेष स्वप्से मिद होती है ।

यह खेदजनक भूल है और अस वातका चिह्न है कि भक्तिमार्ग गलत गस्ते पर चल पड़ा है । सच पूछिये तो कर्म और धर्ममें यदि किसी प्रकारका भेद ही करना हो तो वह अतना ही किया जा सकता है कि जो जो सामारिक कर्म अशुद्ध-चित्तवाले, भक्ति आदि कोपल भावनाओंसे रहित, अपने ही सुख-स्वार्थोंमें लिप मनुष्य करने हैं, वे सब 'कर्म' हैं और शुद्ध-चित्त, भक्ति-प्राप्ति पूर्ण, दूसरोंके सुख-स्वार्थका लिदान रखनेवाले व्यक्ति कर्मके सभी शक्य परिणामोंका और अन्देरे की रीतिका नंतिक

दृष्टिसे विचार करके सावधानीके साथ जो सांसारिक कर्म करते हैं वह ‘धर्म’ है। कर्मकी सांशारिकता या पारलैकिंकता या सभ्रदाय-मान्यता परसे यह नहीं तय हो सकता कि यह धर्म है या अधर्म, अथवा प्रशुत्ति धर्म है या निष्ठृत्ति धर्म। वल्कि कर्म कर्तव्यस्त्रप है या अकर्तव्यस्त्र, न्याय युक्त है वा अन्याय युक्त, समाजके लिये सुखकर है या कठेशका, विवेक युक्त है वा विवेकहीन — अिन सब बातोंसे यह निश्चय किया जा सकता है कि वह धर्म है या कर्म। सब प्रकारके अनुगम, भक्ति तथा शिक्षाओंका यही अद्देश होना चाहेये कि प्रत्येक मनुष्यकी बुद्धि यह निर्णय करनेमें समर्थ बन सके कि कोओ कर्म धर्म है या अधर्म। जब तक बुद्धि ऐसी परिपक्व नहीं हो जाती, तब तक कोओ व्यक्ति यदि किसी अनुगमका अनुयायी, गुरुज्ञा भक्त, या पाठशालाका विद्यार्थी रहे तो यह अनुचित ही है। परन्तु जब अनुगम, सदगुरु या शिक्षक अुसकी बुद्धिको भुला अधिक पंगु और कुंद बना दे, शरणका ऐसा अर्थ समझा दे कि वही एक महत्वका है, और धर्माधर्मके विचारमें अहंकार अथवा देहाभिमान होता है, अिसे लिये वह नाश करनेके योग्य है; अथवा ऐसा समझा दे कि जो मनुष्य शरणकी महिमा जान चुका है, अुसे धर्माधर्म-सम्बन्धी दोषोंका परिताप करनेकी ज़रूरत नहीं, तब कहना होगा कि जैसे कोओ वही लकड़ीको गोल बनाते हुए अुसे सारी छोल ढाले, अथवा लकड़ीसे अपीष बस्तु बनानेके बदले बस्तुलेका हत्था बनामें ही अुसे खर्च ढाले वसी गति होगी।

विवेकी, विचारशील और श्रेयार्थी मनुष्यका अन्तिम शरण या परम-भक्तिका स्थान कं अी साकार, परोक्ष या प्रत्यक्ष व्यक्ति नहीं, वल्कि आत्मा या परमात्माका आलभ्वन युक्त तथा भूत-प्राणियोंके प्रति प्रेमयुक्त अपना धर्म ही अुसका अन्तिम शरण और अुसकी खुत्कृष्ट भक्तिका अन्तिम लक्ष्य है।

राय, कृष्ण, बुद्ध, महावीर आदिने प्रसंगोपात्त मातृभक्ति, पितृभक्ति, गुरुभक्ति, प्रजाभक्ति आदि की थी। अुस भक्तिको लेकर झुनके लिये प्राणार्पण करनेकी भी झुनकी हैयारी थी। यदि ऐसा करनेमें झुन्हें मरनेका अवसर आया होता, तो अुसके लिये अन्हें खेद न होता। अिस दृष्टिसे मैंने

दूसरे प्रकरणमें रामको अपने माता, पिता, गुरु तथा प्रजाका भक्त कहा है। फिर भी यह नहीं कह सकते कि अनु व्यक्तियों या समृद्धोंके प्रति अनुकी भक्ति शर्तश्वन्य थी। अुसकी ऐक मर्यादा थी; और वह श्री धर्मकी। जो राम पिताकी आज्ञासे राज्याधिकार छोड़कर बनमें जानेको तैयार हो गये, अनुहीने पिता या गुरुकी आज्ञासे पिताको कैद करके राज्याख्य होनेसे अिनकार कर दिया, बनसे वापिस लौटनेसे भी अिनकार कर दिया। मत्तलव यह कि 'भक्ति सिरका सौदा' है, यह बात सच है, फिर भी अिस भक्तिकी माँगें ऐसी न होनी चाहियें कि वे धर्मकी मर्यादाका भंग करा दें; बल्कि वे युलझी अिस प्रकारकी होनी चाहियें कि धर्मकी यदि कोअी स्यूल मूर्ति इम बनावें, तो वह हमें अपने अिष्ट स्वरूपके चरित्र जैसी मालूम हो और अिस कारण हमें अुसकी शरणमें रहना ऐसा लगे, मानो हमें धर्मनुसरणका राजमार्ग ही मिल गया हो।

बूद्ध धर्ममें 'बुद्धकी शरण जाता हूँ' यह भले ही 'धर्मकी शरण जाता हूँ' के पहले कहा गया हो; परन्तु खास बुद्ध किस बुद्धकी शरण गये थे? वे तो धर्मकी ही शरण गये थे, और अनुके समकालीन अनुयायियोंके ही लिये अुनकी शरण सुरक्षित मार्ग या ऐसा कह सकते हैं। अनुकी मृत्युके बाद अनुके अनुयायियोंके लिये बुद्धकी शरण जानेका समुचित अर्थ अितना ही हो सकता है कि 'बुद्ध द्वारा अपदेशित व आचारित धर्मको और अनुके जीवनको मैं मार्गदर्शक बनाता हूँ।' प्रत्यक्ष या परोक्ष किसी भी विभूति या व्यक्तिके प्रति अिससे विशेष भक्तिनिधा होना या अुस भक्तिमें तारकताकी या धर्मदानिसे मुक्ति प्राप्त करा लेनेकी शक्ता रखना अनुचित और सदोष है।

जैसे कुछ जलप्रवाहोंका वेग अदम्य होता है व कितनोंका शान्त, अुसी तरह कअी मनुष्योंके नितका ढैंग-दोंचा अिस तरहका होता है कि अनुमें प्रेम या देष्टके जो भी भाव अुठते हैं, वे ऐसे वेगसे उठते हैं कि अनुहैं वेकावृ बना देते हैं और देखनेवालेको चकाचाँघ कर देते हैं। चैतन्य, गमकृष्ण परमहंस, आदि ऐसे अदम्य भावनावान् पुरुष हैं।

यिन भावोंने भक्तिका स्वरूप ले लिया, यिससे वे हमें पूज्य और आदर्श-सरीखे लगते हैं। यह भक्ति पूज्यताके योग्य है, यिसमें कोअी सन्देह नहीं। परन्तु यह नहीं कह सकते कि निश्चित रूपसे वह आदर्श ही है। भाव तो प्रत्येक मनुष्यमें अठते ही हैं। अच्छे भाव न अुठेंगे तो बुरे अुठेंगे ही। परन्तु अच्छे या बुरे भावोंके बोगका जितना प्रबल हो अुठना कि वे हमें बेकाबू बना दें, हम कर्तव्याकर्तव्यका विचार करने या प्राप्त कर्तव्यको पूरा करनेके विलक्षुल अयोग्य बन जायें, तो यह स्थिति अुचित नहीं। कितने ही लोग अपने प्रियजनोंकी बीमारीसे या मृत्युसे जितने विहृल हो जाते हैं कि युस परिस्थितिमें अुत्पन्न कर्तव्य सुन्हें सूझते ही नहीं, यदि सुझाये जायें तो वे अुन्हें पूरा करनेमें समर्थ नहीं हो पाते और ऐसी हालत हो जाती है कि अुलटे अुन्हींकी चिन्ता दूसरोंको करनी पड़ती है। यह कुछ अुनकी बाढ़नीय स्थिति नहीं कही जा सकती। यिसी तरह अपने अिष्टदेव या गुरुका स्मरण होते ही या नाम सुनते ही या दर्शन होते ही जो बेकाबू हो जाते हैं, देहमान भूल जाते हैं, अुनके कर्तव्य ऐक और रह जाते हैं और अुलटे अुन्हींकी चिन्ताजनक हालत हो जाती है। भक्तिकी यह माशा, यिसमें तीव्रता होते हुये भी, आदर्श-योग्य नहीं। यदि भावोंका अुठना हमारे कर्तव्य-मार्गको स्पष्ट करनेके लिये अथवा युसकी प्रेरणा देने तथा स्थिर करनेके लिये हो, तो वे स्वागत योग्य हैं; पर जो भाव — फिर वे भक्तिके हों या क्रोधके — हमको पंगु व अन्धा बना देते हैं, बेकाबू करके ;मूर्दित कर देते हैं, वे आदर्शरूप नहीं।

यिस तरह हमने यिस प्रकारणमें भक्तिकी जो विशेष मर्यादायें देखीं, वे यिस प्रकार हैं:

१. धर्म-भावनाको स्पष्ट करनेके लिये भक्ति है। और अन्तमें धर्मके लिये सर्वस्वार्पण ही भक्तिके फल-स्वरूप अुत्पन्न नवनीत (मञ्जन) है।

२. जब तक यह धर्म-भावना स्पष्ट नहीं हो जाती, तब तक किसी धर्मकी मूर्तिस्वरूप प्रत्यक्ष विभूतिकी अतिशय प्रेमपूर्वक आत्म-समर्पणस्वप भक्ति जीवनके शुक्ररेमें ऐक महत्वपूर्ण साधन है।

३. भवितका आवेश यदि हमें वेकावू और कर्त्तव्यकर्त्तव्यविचार-
शून्य कर डाले, तो यह दशा अिष्ट नहीं; वल्कि धर्ममें स्थिर करे और
प्रेरणा दे, तो वह स्थिति स्वागत योग्य है।

अिस दृष्टिसे अब हमें गुरुभवित आदि प्रत्यक्ष भवितके भिन्न भिन्न
प्रकारोंका विचार करना है।

५

गुरु

मनुष्यके सामने अपनी क्रिया या विचारमें जब कोअी गुरुथी आ जाय,
जैसे प्रदन आ खड़े हों जिनका कोअी हल न मिलता हो, और जिनका
इल मिले बिना जीवनमें कहीं गाढ़ी अटक गयी-सी या कोअी धाना आ
खड़ी हुआ-सी प्रतीत होती हो, तब यदि वह तत्सम्बन्धी किसी अनुभवी
पुष्टकी तलाशमें रहे तो यह समझमें आने जैसी बात है।

जो पुस्तक अुसकी अिस गुरुत्योंको सुलक्षा दे और अुसका मार्ग-
दर्शक बने, अुसे वह अपने गुरुके रूपमें मान ले तो यह भी समझमें
आने जैसी बात है।

सब प्रकारकी विद्याओंके गुरुओंके सम्बन्धमें यही विधान किया जा
सकता है।

जिस मनुष्यकी सबसे बड़ी गुरुथी यह हो कि मैं स्वयं तथा यह
जगत् क्या है, मेरा और अिस जगत्का आदि और अन्त क्या है,
जीवनका ध्येय क्या है, किस तरह जीवन व्यतीत करनेसे वह भली भाँति
सफल हुआ माना जाय — यदि यही महत्वकी गुरुथी हो और अिसीके हलकी
तलाशमें वह हो, तो जो गुरु अुसकी अिस गुरुथीको सुलक्षा देते हैं, वे
आमतौर पर सद्गुरु कहे जाते हैं।

गुरु-शिष्यका यह सम्बन्ध खानगी तथा व्यक्तिगत है। जिनके
मार्गमें वे समस्यायें आ खड़ी हुआ हैं, युन्होंको सद्गुरुकी जहरत
मालूम होनी है। जिनके मनमें ऐसी जिशासा हुआ ही नहीं, यदि हुआ

हो तो वह अितनी महत्वपूर्ण नहीं प्रतीत होती कि अुसके बिना अन्हें अपना जीवन अन्धकारमय प्रतीत होता हो, अन्हें सदगुरुकी आवश्यकता नहीं।*

फिर, जब अुसकी ये गुणियाँ सुलझ जायें, तभी अुसका गुरु-शिष्य सम्बन्ध समाप्त हो सकता है। समाप्त शब्दका मैं दो अर्थमें प्रयोग करता हूँ। जबतक अुसका समाधान नहीं हो जाता, तबतक अुसका शिष्यत्व सापेक्ष अथवा ऐक अमेदवार जैसा है। समाधान हो जानेके बाद वह शिष्यत्व ऐक दृष्टिसे दृढ़ बनता है और दूसरी दृष्टिसे देखें तो कह सकते हैं कि रहता ही नहीं।*

परन्तु आमतौर पर शिष्योंकी ऐसी हालत हो जाती है कि अभी अनकी अपनी अमेदवारी जारी ही है, अनकी गुणियाँ पूरी-पूरी हल हुई ही नहीं, जीवन सम्बन्धी मार्गदर्शन प्राप्त हुआ नहीं, गुरुके शब्द अभी कानमें ही पड़े हैं, परन्तु अनकी सचाअभीका स्वरूप अभी स्पष्ट हुआ नहीं है, गुरु जहाँ दृष्टि ले जाना चाहते हैं वहाँ अभी इष्ट पहुँची नहीं, अुसके पहेले तो वह 'गुरुकृपा' शब्दका अर्थ करके कृतार्थ हो जाता है ! अपने सत्य शोधनका प्रयत्न हीला कर देता है, और खुद जहाँ तक नजर नहीं पहुँचा सकता,

* 'आवश्यकता नहीं' विस्तका अर्थ यह नहीं कि यदि किसी स्वपुरुषके समागमका या अद्वेशका लाभ विल सकता हो तो वह न लूठें, या अनके प्रति आद्रभाव न रखें। लेकिन अने अन्हें अपना सदगुर मानने या जैसा कि अन्तर गुरु-शिष्य सम्बन्धमें होता है वैसा व्यक्तिगत अथवा कौटुम्बिक सम्बन्ध वाँछेकी आवश्यकता नहीं।

* जिसका कार्य गुरु द्वारा पूरा हो गया हो, अुसका गुरुके प्रति भक्तिभाव किस प्रकारका हो ? विद्यार्थी जीवनमें जो सम्बन्ध हमारा अपने मान्य शिक्षकोंके साथ रहता है, वह यदि अपने बादें जीवनमें भी चल रहे तो कैसा होता है ? मेरी रायमें तो अनके प्रति हमारी मात्रता ऐक सञ्चे, आस-जन जैसी रहती है। मानो 'ऐक जान दो कालिव'। अनमें हम ऐक आत्मीयताका अनुभव करते हैं। किसी भी व्यक्तित्व बदकर आदर और छतझताका भाव अनके प्रति रहता है। फिर भी अन सहवासमें भयका अमाव मालूम होता है। यैसी दशामें सदा अनके लिए अुच्चारी होनेकी अभिलाषा अंसे सन्वन्धका सहज परिणाम हो है।

वहाँ गुरु साक्षात् पहुँचा देंगे ऐसी अद्वा रखते रहना और गुरु-महिमाका गान करते रहना ही अपने शेष जीवनका कार्य मानता है !

जिसमें भावनाओंका बेग अति बलवान है, वह यदि जिस पुरुषने अुसे नवीन हृषि प्रदान करके अुसके जीवन सम्बन्धी हृषि चिन्होंमें ही परिवर्तन कर दिया हो और नवजीवन सज्जार किया हो, अुसकी कृपाको एक अमूल्य प्राप्ति समझे और द्विसका गुणगान करते करते अधायें ही नहीं तो यह अस्वाभाविक नहीं, वशतें कि द्विसके प्रति अपनी अद्वा प्रकट करनेमें अविवेक या निरी भाषुकताका दर्शन न हो । कोअी पुरुष यदि अिस तरह गुणगान या गुलकृपाकी महिमाका बखान करे, तो अुसके बारेमें मुझे कुछ नहीं कहना । परन्तु वह भी यदि जीवनके शेष कर्तव्यके रूपमें गुणगानको अपना एक व्यवसाय ही बना डाले, तो अुसमें विवेक नहीं है । अिसी प्रवृत्तिमें सम्पदायोंकी अुत्पत्तिका बीज है । फिर वह मनुष्य जिसके गुरु-योग्यनका मूल अहेदय अभी पूरा हुआ ही नहीं, जिसे अभी यह स्वए हुआ नहीं कि यह गुरुकृपा किस योग्यमें रही है, जो अभी कल्पनामें ही विहार करता है, यदि जीवनके शेष कर्तव्यके रूपमें गुणगानको अपना व्यवसाय बना ले, तो यह अुससे भी अधिक अनुचित है । गुरुके प्रति जो कृतज्ञताका भाव होता है वह मन ही मन समझ लेनेकी वस्तु है, वार बार कहकर बतानेकी नहीं ।

फिर, तुरा यह है कि शिष्योंने खुद भी जो कुछ अभी प्राप्त नहीं किया है वह जगत्को प्राप्त करनेके लिये वे अधीर हो जाते हैं और अपने गुरुकी शरणमें आनेके लिये सारे संसारको निमंत्रण देते हैं ।

अिस तरह अनेक अधिकचरे जिज्ञासु शिष्योंकी एक दोली गुरुके आसपास जमा हो जाती है और अुसमेंसे फिर ऐक पंथका जन्म होता है । फिर गुरु खुद यदि केवल शब्दज्ञानी ही हो, अथवा जीवन सम्बन्धी अुसके विचार परिपक्व न हों, अथवा किसी प्रकारके सोहमें फँस रहा हो, तो वह भी अिस पंथकी स्थापनामें संसारका कल्याण मानकर या मना कर ऐसे प्रयत्नको प्रोत्साहन देता है । अिससे आगे जाकर गादियोंकी परम्परा चलती है । फिर गादीकी परम्परा गुरुकी परम्परा मान ली जाती है । और गुरु-परम्पराकी अखण्डितता कायम रख लेनेसे यह मान लिया

जाता है कि ज्ञान भी अखण्ड रूपमें सुरक्षित है, और ऐसे परम्परागत गादीपतिमें गुरुभक्ति रखनेसे यह मान लिया जाता है कि सदगुरु प्राप्तिके सब लाभ मिल जाते हैं। *

सच बात तो यह है कि जिसे भूख नहीं लगी है, उसे खिलानेकी जल्दत नहीं। असी तरह जिसके सामने आध्यात्मिक समस्यायें खड़ी नहीं हुईं, उसे सदगुरुकी जल्दत नहीं। और यह आवश्यक नहीं कि जिस व्यक्तिको मैं अपना गुरु मानूँ, उसके मेरे कुटुम्बी और मित्र भी शिक्ष्य बनें और असके लिये मेरा आग्रह करना तो सरासर भूल है।

हाँ, मेरी तरह दूसरे लोग यदि स्वतंत्र रूपसे मेरे गुरुको अपना गुरु बना लें, तो अनुके प्रति मेरे मनमें गुरु बन्धुत्वका भाव होना स्वाभाविक है। असी सम्बन्धके बँधनेमें मेरा कोअी हाथ नहीं है। मैं तो केवल स्वतंत्र रूपसे अपस्थित परिस्थितिको मंजूर कर लेता हूँ, यह देखकर कि मुझे अन गुरुसे कुछ लाभ पहुँचा है। दूसरे भी यदि अस लाभको पानेके लिये आकर्षित हों और अनुके पास पहुँचें, और अनुके साथ मेरा सम्बन्ध होनेके कारण अनुके पास पहुँचानेमें मेरी मध्यस्थिताका अपयोग हो तो वह भी समझमें आने जैसी बात है।

‘समझमें आने जैसा’ अथवा ‘स्वाभाविक है’ — असका अर्थ अितना ही है कि यदि अनुचित मर्यादिके अन्दर रहकर ऐसे सम्बन्ध बँधते हों तो यह अनिवार्य है, और असमें दोष नहीं। परन्तु जब वह मर्यादा टूट जाती है, और अधिकसे अधिक लोगोंको अपने गुरुका शिक्ष्य

* चित्त तथा जगत्-विषयक हमारा अवलोकन और अवलोकन-शक्ति अितनी अधूरी है कि अनेक विचारक अस सम्बन्धमें मिन्न भिन्न इसिसे विचार कर सकते हैं। सच पूछिये तो मिन्न भिन्न इसिसे विचार किया जाना सुचित करता है कि अस अवलोकनमें कहीं न कहीं अेकांगिता है। परन्तु जब तक ऐसा अधूरापन है, तब तक तत्त्वविचारमें अलग अलग संप्रदाय (Schools of thought) रहेंगे ही। ऐसे तत्त्वसंप्रदाय और औपर वताये पंयोंके बीच सूक्ष्म भेद है, यद्यपि व्यवहारमें तत्त्वसंप्रदायोंसे पंथ वरावर अुत्तम्न होते हैं सही। प्रत्येक प्रवृत्ति और वृत्ति अनुचित मर्यादामें अपयोगी और आवश्यक हो सकती है। अपने देशकालके अनुसार अस मर्यादाको शोधना ही विचारवान पुरुपका कर्तव्य है।

बनाना मेंग या मेरे गुरु-भावियोंका व्यवसाय बन जाय, या गुरुके प्रत्यक्ष सम्बन्ध और निकट सहवास से होनेवाला लाभ गुरुके देहान्तके बाद भी कायम रहता है और अनुके नामकी, शादीकी, या मूर्तिकी भक्तिसे वह मिल सकता है, ऐसी अद्वा कायम रखनेकी प्रवृत्ति चले तो युसे निर्यक ही नहीं, अनुचित भी कहना होगा ।

‘गुरु विन कौन वतावे बाट’ — यह बहुत कुछ सत्य है । परन्तु जिसे अपनी बाट खोभी हुआई नहीं मालूम होती, गुरु वतावे अस बाट जानेकी आकँक्षा अत्यन्त नहीं हुआई, युसे गुरुकी जल्दत नहीं और जल्दत न होने पर भी ‘प्रत्येकको कोओ गुरु जल्द करना चाहिये’ — यह दूसरे वहमोंकी तरह ही ऐक वहम है ।

ऐसी तरह, गुरुकी जल्दत मालूम होने पर किसीको भी अपना गुरु बना लेनेसे हमको रास्ता मिल जायगा — यह मानना भी ऐक अन्धअद्वा ही है ।

६

सद्गुरुशरण

ऐक तरफ श्रुपनिषद्कारोंसे लेकर अनेक ज्ञानमार्ग भक्तोंने —

‘युसे जाननेके लिओ वह हाथमें* समिधा लेकर श्रुति-सम्पन्न और ब्रह्मनिष्ठ गुरुके पास ही जाय ।’

‘सद्गुरु शरण विना अज्ञान तिमिर टळशे नहि रे’ (केशवकृति)
— ऐसे युद्धगार प्रगट किये हैं ।

दूसरी ओर महावीरका आग्रह या कि अपने ही पुरुषार्थ-से विना किसीकी सहायताके मैं ज्ञान प्राप्त करूँगा । बुद्धने यद्यपि यिस पर जोर नहीं दिया, तो भी कोओ गुरु अनुका पूरा समाधान नहीं कर सका था और यिसलिओ अन्दें स्वतन्त्र रूपसे ही शान्तिकी तलाश करनी

* ‘तदिज्ञानार्थं स गुरुमेवामिगच्छेत्तमित्याणि: थोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम् ।’

पढ़ी थी। गांधीजीने भी बार-बार कहा है कि वे गुरुकी तलाशमें हैं। परन्तु अभीतक युनहें कोई ऐसा गुरु नहीं दिखायी दिया, जिसे अनुका हृदय स्वीकार कर सके। अतः गुरुप्राप्तिकी अिच्छा रखते हुये भी गुरुके बिना ही युनहें अपना मार्ग खोजना पड़ रहा है।

फिर राजनैतिक क्षेत्रकी अनेक ग्राहियोंकी तरह अध्यात्ममार्गमें भी गुरुशाहीने अितना अनर्थ और पाखण्ड फैलाया है कि 'गुरु' शब्द ही आज अनेक लोगोंको अरुचिकर हो गया है।

यदि मैं तैरना न जानता होऊँ और फिर भी अपनेको तैरनेका अुस्ताद बताऊँ, तो मेरा पोलखाता एक दिन भी न चल सकेगा। क्योंकि पानीमें पैर रखते ही मेरी अुस्तादीकी परीक्षा हो जायगी। परन्तु यदि मैं किसी ऐसी विद्याका अुस्ताद बन वैष्टि, जैसे हस्ताक्षर या मस्तक-विद्याका, जिसकी व्यवहारमें बारबार जस्तरत न पड़ती हो और जिसकी कोई स्थूल पद्धिचान भी न हो, और साथ ही अपना माल खपानेके लिये व्यापारियोंमें जैसी प्रचारकला होती है ऐसी कला भी मुझमें हो, तो मेरा पोलखाता बहुत दिन तक चल सकेगा और शायद जिन्दगीभर भी चलता रहे। क्योंकि जिन विषयोंमें बहुतसे लोगोंकी ज्यादा गति न हो, आम लोगोंको जिसकी बहुत जस्तरत भी न पड़ती हो और जो विषय वह गहन समझ लिये गये हों, अनुका अुस्ताद होना अधिक आसान है। विषय जितना ही गृष्ण और कम लोगोंको परिचित होगा, अनुतना ही अपनेको अुसका अुस्ताद मनवाना अधिक आसान है।

अिस तरह ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु कहलाना एक तरहसे बद्धा आसान पेशा है और अपने देशमें बहुत लोगोंने बड़ी सफलतापूर्वक अिरुको चलाया है और आज भी चलाते दिखाअी देते हैं। शिष्योंको मोक्ष (!) और खुदको भोग प्राप्त करानेवाला यह धन्धा है तो बद्धा लाभदायक।

गुरुओंकि ऐसे कहुवे अनुभवोंके कारण 'गुरु' शब्द और किसीके गुरु नामसे परिचित पुरुष बहुतोंको आज अदिश्वास और तिरकारके पात्र मालूम होते हैं। और कठी श्रेयार्थी ऐसे दिखायी पड़ते हैं, जिन्होंने ऐसा निश्चय कर लिया है कि मैं किसीको अपना गुरु नहीं बनाऊँगा, बल्कि खुद ही अपना रास्ता ढूँढ़ निकालूँगा।

सच है कि शास्त्रोंमें सद्गुरुकी आवश्यकता बताओ गयी है। परन्तु अुसका अर्थ ऐसा तो नहीं किया जा सकता कि कोअी मनुष्य खुद अपने बलपर सत्यकी खोज कर ही नहीं सकता। क्योंकि, यदि ऐसा कहें तो शुरुआतमें जिसने आत्मतत्वकी खोज की, वह किस गुरुकी शरण गया था ? फिर भी ऐसा व्यक्ति, जिसे विकट जंगलमें से अपना रास्ता निकालना हो, यदि यह जिद पकड़े कि कोअी जानकार मिल जाय तब भी मैं रास्ता नहीं पूछूँगा, और ऐसी दशामें वह कहीं गिरकर चकनाचूर हो जाय तो आश्चर्य नहीं; और यदि वह सद्गी-सलामत अुसमेंसे पार पड़ जाय, तो गनीमत ही समझना चाहिये। ऐसी अवस्थामें यदि वह सफल हो जाय तो हम अुसका गौरव करेंगे। किन्तु हम यह नहीं कह सकते कि अतिरिक्त साहसमें समझदारी ही यी और मिथ्याभिभान नहीं था। अिसी तरह किसीको गुरु नहीं बनानेका हठ, सम्मव है, सत्यके लिये व्याकुल व्यक्तिको बहुत चक्षरमें ढाल दे और अिस दुरभिमानत्वी बढ़ीलत वह सत्यसे बङ्गित भी रह जाय।

‘खुदको पानेके लिये खुदको भूलना चाहिये’ अिस वाक्यमें योगान्यासकी दृष्टिसे ही नहीं, बल्कि व्यावहारिक दृष्टिसे भी बहुत गहरा है। क्योंकि जीवन-शोधनकी शुरुआत अहंताके त्यागसे होती है और अुसका पर्यवसान भी अहंताके क्षीण होनेमें होता है।

“जब मैं था तब राम नहीं, अब राम है हम नाहिं;

“प्रेमगली अति सौंकरी, तामें दो न समाहिं।”

परन्तु अहंकार एक ऐसा प्रकृति धर्म है, जो विलकुल क्षीण नहीं हो पाता। अुसके क्षीण होनेका अर्थ शुद्ध होना अितना ही है। जिस प्रकार रस्सी जितनी महीन होती है, अुतनी ही अुसकी गाँठ अधिक सख्त होती है, वैसे ही प्रकृतिके धर्म भी बिलक्षण हैं। वे ज्यों ज्यों सूक्ष्म होते जाते हैं, त्यों त्यों अुनका दवाव अधिक जोरदार होता है। लेकिन अुनकी परख और भी मुश्किल हो जाती है। और प्रायः जिसे निरहंकारिता मानते हैं, वही वस्तुतः तीव्र अहंकार होता है।

बुद्धिकी सूक्ष्मता अहंकारको अधिक सूक्ष्म बनाती है। परोपकार-वृत्ति, नम्रता या विनय बहुत बार अिस अहंकारका ही गुप्त स्वरूप होता

है। अतअेव शुद्धिकी सूक्ष्मता द्वारा खुदको भूलनेका अभ्यास नहीं किया जा सकता।

व्यावहारिक जीवनमें हमें खुदको भूलनेका केवल एक ही मार्ग दिखाआई पड़ता है और वह है प्रेमका। दूसरे व्यक्तियोंके प्रति प्रेमके कारण हम खुदको भूल जायें, यह अहंकार शुद्धिका एक मार्ग दिखाआई देता है। कर्तव्यरत मनुष्य अपने कर्तव्यमें, अभ्यासरत अपने अभ्यासमें अपने आपको भूल जाते हैं सही, परन्तु वह योइ समयके लिये होता है। अिससे चित्तके स्वभावमें स्थायी परिवर्तन नहीं होता। और अन्तको यह अहंकारका पोषक होता है। अतः जो शुद्धिमान होकर भी चेतन्यके प्रति प्रेमसे परिपूर्ण होते हैं, वे ही अधिकसे अधिक निरहंकार हो सकते हैं।

अिस प्रकार सत्पुरुषकी शरण जीवनके अम्युदयमें एक महत्वका साधन होता है। पतिपत्नी या दो मित्र जब प्रेमसे एक दूसरेके अधीन हुये रहते हैं, एक दूसरेकी सेवा करते हैं, एक दूसरेके लिये स्वार्पण करते हैं, तब वे जिस प्रकारका अद्वैत सिद्ध करते हैं, अुसमें अिसकी कुछ झलक दिखाआई देती है। परन्तु पति-पत्नीके सम्बन्धोंमें विकार, परस्पर स्वार्थ और मोह मिले रहते हैं। अतअेव यह नहीं कह सकते कि अुसमें सोलहों आना चित्त शुद्धि हो सकती है। मित्रोंकी मित्रतामें भी बहुत बार शुद्ध वीज नहीं रहते, अुसमें भी स्वार्थ मिला रहता है। परन्तु एक निस्तार्थ, शुदात्त और ज्ञानी सज्जनके साथ केवल श्रेयकी ही अिच्छा रखनेवाले पुरुषकी मैत्री हो, तो अुसका परिणाम अत्यन्त कल्याणकर होनेमें किसी प्रकारके संदेहके लिये जगह नहीं।

तो भी, यह भी अुतना ही सच है कि यदि सद्गुरुकी खोजमें भूल हो जाय, तो शिष्यको हानि अुठानी पड़ेगी। अतअेव भोलेपनसे हर किसीमें विश्वास कर लेना कभी वाञ्छनीय नहीं हो सकता। शास्त्रोंमें सद्गुरुके जो अनेक लक्षण बताये गये हैं, वे विचार करने योग्य हैं। परन्तु नीचे लिखी बातें तो खास तौरसे ध्यान देने लायक हैं:

१.— सद्गुरुका व्यवहार विवेकयुक्त होना चाहिये । ऐसे खयाल गलत हैं कि ब्रह्मनिष्ठ पुरुष सदाचारके नियमसे परे है । अथवा सामान्य विवेकी और सदाचारी गृहस्थ सदाचारके जिन नियमोंको पालते हैं, वे अुसके लिये बन्धनकारक नहीं हैं । अलटे, अुसका आचरण अुदाहरण स्वयं होना चाहिये । यिस कारण यदि कभी वह सामान्य लोकाचार भंग करता है तो अपनी किसी विशेषताके बहाने नहीं, बल्कि अिसलिये कि वह लोकाचार अुसको अनुचित मालूम होता है और अुसमें सुधार करनेकी जरूरत है ।

२.— सद्गुरुकी शिष्यके प्रति भावना अनुग्रह या अुपकारकी नहीं होगी, बल्कि ऐसी होगी मानो वह साधारण मनुष्य-र्धमज्ञ पालन करता हो । जैसे रास्ते चलते किसी दुष्कृतिके सिरपर कोअी बोझ चढ़ा दे और किर अपने अुस अुपकारको दिन रात गिनाया करे अथवा कोअी समर्थ विद्वान् किसी वालकको जोइन्वाकी सिखा दे और अुस वातको हमेशा जताया करे, तो यह अुसकी नालायकी ही समझी जायगी । अिसी प्रकार कोअी पुरुष यह मानता हो कि अमुक अमुक मेरे शिष्य हैं, अुन्हें मेरी कृपासे आत्मज्ञान प्राप्त हुआ है, तो यह ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरुके लक्षण नहीं । अुसे जो कुछ प्राप्त हुआ है वह दूसरे शोधकको प्रेमपूर्वक देना अथवा जो कठिनायियाँ खुद अुठानी पड़ी हैं, वे दूसरोंको न अुठानी पड़े और अुन्हें फ़जूल भटकना न पड़े, अिसका अुपाय बताना अुस मनुष्यका स्वाभाविक कर्तव्य ही हो जाता है । जिसने सबसुच ही मनुष्यके श्रेयके लिये कोअी महत्वपूर्ण वस्तु प्राप्त की हो, अुसमें कर्तव्यका पालन करते हुये किसी प्रकारका अुपकार करनेका भाव न होना चाहिये ।

यह हुअी सद्गुरुके हृदयकी भावना । अब शिष्यकी भावना तो अपनी सारी जिन्दगीकी गुर्त्यो मुलस जानेसे अत्यन्त कृतज्ञताकी ही रहना भी अुतना ही स्वाभाविक है । जहाँ ओक और ऐसी सहजता, मानो कोअी खास बात न की हो तथा प्रेमयुक्त मित्रभाव और दूसरी ओर अत्यन्त कृतज्ञता और प्रेमयुक्त शरण हो, वहीं योग्य गुरु-शिष्य सम्बन्ध कहा जा सकता है ।

३.— ऐसे बहुतसे लोग देखनेमें आते हैं कि जो अपनी वासनाओंको तो क्षीण नहीं कर पाते, किन्तु उनमें परमपदको खोजनेकी ऐक तीव्र वासना रहती है। अुसके प्रभावसे दूसरी सब वासनाओंको कुछ समय तक दबाकर वे अद्वितीय रास्ते लग जाते हैं। मनुष्य जिस बातके पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है, अुसे प्राप्त कर ले तो कोअभी आश्चर्यकी बात नहीं। अतअव अुसके मनमें अनेक अशुद्ध संस्कारोंके गुप्त रूपसे रहते हुओ भी यह हो सकता है कि वह परमतत्वके सम्बन्धमें ऐक प्रतीति युक्त सिद्धान्त बना ले। परन्तु जैसा कि पहले भागमें कहा गया है, ‘अपनी निरालम्ब सत्ताको देखना ऐक बात है और कैसी निरालम्ब स्थितिमें रहना दूसरी ही बात है।’ और यह पिछली स्थिति — ब्रह्मनिष्ठा — सत्त्व-संशुद्धिके बिना शक्य नहीं।

• इस तरह ब्रह्मप्रतीति और ब्रह्मनिष्ठा ये दो बातें अलग होनेके कारण ब्रह्मप्रतीति हो जानेसे यह मान लेना गलत है कि जीवनकी पूर्णता सिद्ध हो गयी या सद्गुरुत्वकी प्राप्ति हो गयी। ब्रह्मप्रतीति शुद्ध निष्ठावानको बादकी चित्त शुद्धिकी साधनामें बहुत सहायक हो सकती है। परन्तु दूसरी तरफ किसी पाखण्डीका पाखण्ड बड़ानेमें भी मददगार हो सकती है।

श्रेयार्थी और पाखण्डी ब्रह्मवादीमें बड़ा भेद यह है: ब्रह्मप्रतीति हो जानेके कारण श्रेयार्थी यह नहीं मानता कि मैं ‘सिद्ध’ हो गया हूँ, वह अपनी साधनाको छोड़ नहीं देता; वह अपनेको साधक ही मानता है। परन्तु पाखण्डी पुरुष ब्रह्मवादी होकर अपनेको सिद्ध पुरुषोंमें खपाता है; साधनां व सदाचारको छोड़ देता है।

निःसंशय श्रेयार्थी अर्थात् जिसको ब्रह्मप्रतीति हो चुकी है अुसमें व संशययुक्त श्रेयार्थीमें यदि कुछ भेद है तो वह यही कि निःसंशय श्रेयार्थीकी बादकी साधनामें अधीरता, व्याकुलता तथा परिणामके विषयमें शंकाशीलता नहीं दिखाअी देती।

ऐक वेळ तरी जाथीन माहेरा, वहु जन्मफेरा ज्ञात्या वरी।

चित्ता हे वैसली अविट आवडी, पालट ती घडी नेवे ऐकी।

करावें ते करी कारण शरीर, अंतरीं त्या धीर जीवनाचा ।

तुका म्हणे तरी होअील विलंब, परी माझा लाभ खरा झाला ।*

किन्तु संशयग्रस्त श्रेयार्थी अधीर हो जाता है, व्याकुल व विहळ बन जाता है । अुसकी साधनामें तरह तरहकी गडवळ और अंधे-से प्रयत्न होते हैं; वह ऐकको छोड़ता है, दूसरेको पकड़ता है; फिर अुसको भी छोड़ देता है । अिस तरह अुसके मनमें अथल पुथल मच्ची रहती है:

“ साध्यनु आकलन स्पष्ट न्होये यदा, साधना-साध्यनो मेळ न्होये;

अंधश्रद्धा यकी छोडता, झालता, अधीर मनने सदा दुःख होये ।

धोर अरण्यमा अंध ज्यम तरफडे, चित्त त्यम आकळु दीन यातुं;

ज्ञानदीपकघर सद्गुरु पामता, निमिषमा शातिने मार्ग जातुं ॥ ”+

अब श्रेयार्थी चाहे ब्रह्मवादी हो या ब्रह्म-शोधक हो, सबके संस्कार, गुणियाँ, समस्यायें ऐक-सी नहीं होतीं । जित स्थानसे वगैर मुक्तिल अनुभव किये ऐक सीधा-सराठ चला गया हो, सभ्भव है वहाँ कोअी दूसरा अटक पड़ा हो और भटकता फिरता हो । अुसकी भूल मामूली ही हो रही हो, परन्तु अुससे अुसकी प्रगति रुक गयी हो । अुस ऐक भूलसे यदि कोअी अुसे छुझा दे, तो सभ्भव है कि फिर वह आगे सीधा-सराठ चला जाय । अिस भूलसे जो अुसे निकाल दे, अुसका वह बहुत ही अहसान माने और

* ऐक बार निश्चित में अपने नेहर जाऊँगा, अगरचे बहुत जन्मचक्र भी करने पडे ।

चित्तमें यह अग्निलापा पक्की वैठ गयी है, घड़ीभर भी वह बदलती नहीं ।

कारण-शरीर अब चाहे तो करे, मुझे अपने हृदयमें अुस (अनन्त) जोवनकी धीरज है ।

तुकाराम कहते हैं, विलंब हो तो हो, लेकिन मेरा लाभ निश्चित है ।

+ साध्यकी ही जर स्पष्ट कल्पना नहीं, तब साधना और साध्यमें मेळ नहीं हो सकता ।

अैसा मनुष्य अंधश्रद्धासे ऐक साधन छोड़ता है, दूसरा पकड़ता है, और अिस तरह अुसका अधीर मन सदा दुःख पाता है ।

अैसे किसी धीर जंगलमें अन्या मनुष्य छटपटता रहे, वैसे अुसका नित व्याकुल और दीन होता है ।

लेकिन जब ज्ञानदीपक धेर सद्गुरु मिलता है, तब वट निमिषमें शातिका मार्ग पा जाना है ।

अुसे अपना 'गुरु' समझने लगे तो अिसमें कौन आश्र्य है? परन्तु यदि किसी दूसरेके सामने ऐसी कठिनाओं न आओ हो और अुसके मनमें अुस मार्ग-दर्शकके प्रति 'गुरु-निष्ठा' न हो, तो अिसमें भी कौन आश्र्यकी बात है? अिस कारण ऐसा हो सकता है कि जो अेकका गुरु हो, वह दूसरे साधक या शोधकका गुरु न हो सके। परन्तु अिससे यह न समझ लेना चाहिये कि अिस तरह अगर कोओ किसीकी भूल बता देता है, तो अितने ही से वह 'सद्गुरु' शब्दके योग्य हो जाता है। 'सद्गुरु'में व्रहनिष्ठाके अुपरान्त और भी अनेक गुणों व संस्कारोंकी पूर्णता होनी चाहिये। यह सच है कि अमुक गुण या संस्कारकी अुचित कीमत आँकड़ेमें तथा अुसे परखनेमें भी भूल होनेकी सम्भावना रहती है, और अिससे ऐसा भी हो सकता है कि हाथमें आया हुआ चिन्तामणि छूट जाय। शायद यह अुस साधकका दुर्भाग्य हो। परन्तु अिससे यह न मान लेना चाहिये कि केवल व्रहवादित्व ही गुरुमें देखने लायक लक्षण है।

अिस सम्बन्धमें जो भूलें होती हैं, वे चार प्रकारकी हैं:

१. बहुत बार चमत्कार कर बतानेकी शक्ति व्रहनिष्ठाका आवश्यक लक्षण माना जाता है, यह महज भूल ही है। अितना ही नहीं, बल्कि यह कहना अनुचित न होगा कि जहाँ चमत्कारों पर जोर दिया जाता हो, वहाँसे दूर रहनेमें ही रैर है।

२. वाह्यपूर्णता — जैसी कि शरीर, विद्वत्ता, हठयोग, कवित्व, स्मरण-शक्ति आदि सम्बन्धी। यह माना जाता है कि अेक व्रहनिष्ठकी अवश्य अिन सबमें या अिनमेंसे कुछमें असाधारण पारंगतता होनी चाहिये। किन्तु यह भी भूल है।

३. बहुत बार सद्गुरु-लक्षण और विभूतिमान पुरुषके लक्षणोंकी खिचड़ी कर दी जाती है। राम, कृष्ण आदि प्रतापी पुरुष हो गये हैं। अुनका कर्तृत्व, पुरुषार्थ जगद्विरक्षात था। अुनमें अनेक महान् गुण थे। अुनकी बदीलत वे संसारके लिये पूज्य हो गये। पर वे व्रहनिष्ठ थे कि नहीं, यह कौन कह सकता है? किन्तु अपनी विभूतियोंके कारण ही वे अवतार गिने गये। अिससे यदि यह माना जाय कि जो मनुष्य व्रह-

जानी हो, अपका चरित्र भी अनींकी तरह प्रतापशाली होना चाहिये तो यह भूल होगी। क्योंकि विभूतिमान पुरुष व सद्गुरु एक नहीं है।

४. यही खिचड़ी सद्गुरुके वास्तविक गुणोंको परखनेमें भी भूल करती है। सन्तगुणोंकी सम्पत्ति एक ऐसा लक्षण है, जो सद्गुरुमें आवश्यक रूपसे खोजना चाहिये। परन्तु यदि वाहरी भाष या बातोंसे अुसे परखनेकी कोशिश की जाय, तो अुससे निराशा प्राप्त होनेकी सम्भावना रहती है। मनुष्यके गुण अिस बात परसे ठहराना कि अुसने कितने बड़े बड़े कार्य किये हैं, अुलटी रीति है। बड़े बड़े कार्य करना यह एक प्रकारकी शक्ति है। वह शक्ति जिसमें हो वह पुरुष 'विभूति' है। यह शक्ति सद्गुरुमें न भी हो, फिर भी यह हो सकता है कि जिन सद्गुणोंसे प्रेरित होकर अुस पुरुषने बड़े बड़े कार्य किये हैं, वे सन्त पुरुषमें पूर्ण रूपसे विकसित हुअे हों और कदाचित् अधिक शुद्ध स्वरूपमें भी हों। अुस 'विभूति' के संसारको चकाचौंध कर देनेवाले गुण-प्रकाशका कारण अुसकी कोअी अशुद्धि भी हो सकती है। सत्तमें वह विशेष शुद्ध रूपमें है, सूक्ष्म रूपसे देखनेवालोंको ही वह दिखाअी दे सकती है। अतथेव गुणोंकी परीक्षा अुसके बड़े कामों परसे नहीं, अुन कामोंको करनेकी अुसकी पद्धति या रीतिको देखकर ही करनी चाहिये, फिर वे काम चाहे बड़े हों या छोटे।

अिसका अर्थ यह भी न होना चाहिये कि संसारकी दृष्टिमें जो महान् विभूति है, अुसमें ब्रह्मज्ञान हो ही नहीं सकता। यह सूचित करनेका अुद्देश्य अितना ही है कि सद्गुरुका विभूतिमान भी होना आवश्यक नहीं है। परन्तु यदि किसी पुरुषमें ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरुके लक्षणोंकि अुपरान्त विभूतिमत्ता भी हो, अुसके कार्य व योजनायें घर्मयुक्त तथा जगद्व्यापी हों, तो वह विभूतिहीन सद्गुरुसे श्रेष्ठ है। यदि इम अुसे सब्जे अर्थमें 'जगद्गुरु' कहें, तो निरतिशय भक्तिपूर्वक अपना जीवन समर्पण करते हुअे ऐसे 'जगद्गुरु'के साथ अपना जीवन जोइनेसे अधिकसे अधिक कृतार्थता मालूम हो सकती है। अितर सद्गुरु, जगद्गुरुकी भक्तिके लिअे कहिये, अथवा सम्पक् घर्मके पालनके लिअे कहिये (दोनों एक ही हैं), अपने शिष्योंको तैयार करें वहीं तक अुनका कार्य अुचित समझना चाहिये।

यह जगद्गुरु कोअी शंकराचार्य या दूसरा कोअी आचार्य नहीं होगा। सभव है कि ऐसा जगद्गुरु अप्राप्त ही रहे, कल्पनागम्य ही रहे। और अिसलिये, तब तक गुरुभक्तिका क्षेत्र मानुभक्ति, पिंतुभक्ति, अित्यादिके क्षेत्र जैसा मर्यादित ही समझना चाहिये। जैसे धर्म माता-पितासे परे है, वैसे ही वह सद्गुरुसे भी परे और विशेष है।

७

गुरुभक्ति और पूजा ।

अब हम अिस वातका विचार करें कि गुरुकी भक्ति या पूजा किस तरह करनी चाहिये। यह मानकर चलिये कि अमुक पुरुष सद्गुरु या जगद्गुरु कहलानेके लायक है। तो फिर यह कैसे कहा जा सकता है कि अुसके शिष्य अेक खास सीमामें ही अुसके प्रति अपना भक्तिभाव प्रदर्शित करें। अिस भक्तिभावके चिह्नस्वरूप वह गुरुकी जो शुश्रूषा या पूजा करता है, अुसमें ‘अब वस’ ऐसा कोअी तीसरा व्यक्ति कैसे कह सकता है। अतअेव यहाँ गुरुके प्रति निरतिशय प्रज्ञ बुद्धि और छोटी-बड़ी सब प्रकारकी अुसकी सेवा करनेकी भावनामें दोष वतानेका हमारा अुद्देश नहीं है। वल्कि गुरु सम्बन्धी हमारी भ्रमपूर्ण कल्पना और अुसकी बदौलत पोषित गुरुपूजाके गलत आदर्शके सम्बन्धमें ही हमें कहना है।

जो लोग ‘गुरुभक्त’ होते हैं, वे आम तौरपर गुरुप्राप्तिके पहले किसी देवादिके भक्त रहे होते हैं और देवादिकी पूजा-अर्चाकी जो विधि हमारे समाजमें प्रचलित है, अुसीका अनुकरण अपनी गुरुपूजामें करनेका प्रयत्न करते हैं। अुदाहरणके लिये, देवताको गान, वाद्य आदिके नादके साथ जगाया जाता है, अनकी आरती अुतारी जाती है, पञ्चमृत स्नान आदि कराया जाता है, वह पानी बतौर प्रसादके ग्रहण किया जाता है, वस्त्र, आभूषण, पुष्पमाला, चंदनादिकी अर्चा आदि चढ़ायी जाती है और देवको थाल चढ़ाकर अुसका प्रसाद दौंटा जाता है। यह समझा जाता है कि अिस प्रसादीमें कोअी चमत्कारिक शक्ति भरी है, अतअेव अिस महिमाके कारण

अुसकी छोनाशपटी होती है तथा अुसके लिये वही (फेन्सी) कीमत लगाओ जाती है, और वह कीमत प्राप्त करनेके लिये अुसे नीलाम भी किया जाता है ।

यह पूजाविधि कुछ अंशमें यज्ञविधियोंसे और कुछ अंशमें किसी समयके रसिक और श्रीमान् पुरुषों या राजाओंकी जीवनचर्यासे ली गई मालूम होती है ।

अिस प्रकार पूजाविधिमें भक्त अपनी ही भावनाओंको प्रदर्शित करनेका ध्यान रखता है । यह सब पूजाविधि देवताको कैसी लगेगी, अिसका विचार करनेकी जल्दत ही नहीं पैदा होती ।

परन्तु जब अिसी विधिका गुरुदेवकी पूजामें अनुकरण किया जाय, तब कहना होगा कि भक्तकी भावनायें अनुचित रूप ग्रहण कर रही हैं ।

‘गुरु ही श्रेष्ठ देव है’ ऐसा मानते मानते जब भक्त यह भी मानने लगता है कि जिस तरह देवता जड़ पापाण या चिन्हका बना होता है और अिसलिये जैसी चाहे वैसी अुसकी पूजा की जा सकती है, अुसी तरह गुरुको भी सचेतन पापाण मानकर अुसकी वैसी ही पूजा करनी चाहिये — तो अुसे गुरुकी पूजा नहीं, बल्कि विडम्बना कहना चाहिये ।

मैं जानता हूँ कि ऐसी पूजाविधिको सहन करनेवाले ही नहीं, बल्कि अुसका समर्थन करनेवाले गुरु भी मीजूद हैं । मेरी रायमें या तो अुन्होंने अिस विषयमें गहरा विचार ही नहीं किया है और महज रूढिको पकड़े चैठे हैं या दूसरे प्रकारकी स्वार्थ-सिद्धिके लिये ऐसी विडम्बना सहन कर लेते हैं ।

फर्ज कीजिये कि गांधीजी नहनिष्ठ हैं, और अिसलिये अुनके अनुयायी जित हइ तक अुनके प्रति गुरु भाव रखते हैं, अुससे अधिक वे अुनके पूर्ण गुरुदेव बन जायें और फिर अुनपर रोज या पर्व त्योहार पर ऐसा फर्ज आ पड़े कि जब कोअी भक्त घण्टी बजावे और ‘जागो मोहन प्यारे’ गावे तभी वे अुठ पावें, और कोअी शिष्य अुन पर दूध-दही-बी-शहद-शकर और पानी ढालकर जब पंचामृतसे स्नान करावे तभी वे स्नान करें, दिनमें कमसे कम पाँच बार (और अिसके अलावा दूसरे शिष्य जब जब प्रसादी कराना चाहें तब तब) अुन्हें नैवेद्य चख कर अुसे प्रसादी बना देना पड़े, अुनके स्नानका पानी प्रसादके रूपमें देना पड़े

और जो भक्त चाहें अनुन्हें चरणोदक करके देना पड़े, दिनमें तीन चार बार आरती अुतारने देनी पड़े, भक्ताधीन होकर गहने-गाँठे और ज़रीके कपड़े और सारे शरीरमें या कपाल पर चन्दनकी अच्छा मंजूर करनी पड़े — तो अुनका जीवन कितना कृत्रिम बन जाय ? भले ही ऐसा जीवन किसीको अीर्ष्यायोग्य मालूम हो, परन्तु कर्मयोगी पुरुषको तो वह करुणास्पद और ऐक बन्धन ही मालूम पड़ेगा ।

गुरु बननेके पहले साधारण व्यक्तिके तौर पर जिस प्रकारका जीवन गुरु व्यतीत करता है अुससे जुदा ही प्रकारका जीवन वितानेका और जुदा ही प्रकारकी प्रतिष्ठा या शान दिखानेका फर्ज अुनपर ढाला जाय या गुरुकी तरफसे स्वीकार किया जाय, तो अुसमें मुझे गुरु और द्विष्य दोनोंमें विचारकी खामी दिखाई पड़ती है ।

जिससे गांधीजीके आरेण्यकी रक्षा हो और अनुन्हें अपने जीवनके प्रधान कार्यके लिये अधिकसे अधिक शक्ति लगानेकी अनुकूलता मिले, अिस प्रकार अुनके लिये सुविधायें करनेमें अुनके परिचारकोंको अुनकी जितनी शुश्रेष्ठा करनी पड़े, वह अुनकी योग्य, स्वाभाविक और काफी पूजा है । और अितनी पूजा तो अुन गुरुजनोंकी करनेमें भी कोअी हर्ज नहीं, जो सद्गुरुकी श्रेणीमें न आ सके । पर अिस मर्यादाको लॉघकर जब पूजाको स्वीकार करना ही अुनके जीवनका मुख्य व्यवसाय बन जाय, तब तो वह अुनको विडम्बना ही समझना चाहिये । जब कि किसी मूर्तिकी भी पूजा अिस प्रकार करनेकी जखरत नहीं, तो फिर मनुष्यके रूपमें रहनेवाले देवकी तो कहाँसे हो ?

पाषाण या चित्र-लिखित देवसे अनृप्त रहनेवाला भक्त जब अपने गुरु-देवको प्राप्त कर अुनके साथ ऐसा ही व्यवहार करने लगे मानो वह पाषाणके ही हों, तो अुसकी यह गुरु प्राप्ति नहीं के बराबर ही समझनी चाहिये ।

गुरु गोविन्दसिंहका ऐक ऐसा वैतिहासिक दृष्टान्त माना जा सकता है, जो परिपूर्ण न होते हुये भी गुरुपनका ऐक ठीक अदाहरण है । वे अपने शिष्योंके गुरु, नेता और राजा थे । अुनके पुत्रोंके लिये तो पिता होनेके कारण भी अुनकी भक्तिमें अपने सब धर्मोंका पालन सहज ही हो जाता था । आध्यात्मिक सम्पूर्णताकी दृष्टिसे अलवत्ता गुरु गोविन्द-

सिंहको पूर्ण नहीं कह सकते, और अिसी लिये अिस दृष्टान्तको मैंने अपूर्ण कहा है । परन्तु अनुके शिष्योंके लिये और जिस समाजमें और जिस प्रकारका काम अनुन्हें करना था, अुसके लिये अिससे अधिक आध्यात्मिक सम्पूर्णताकी भूख या जरूरत न होनेसे यह दृष्टान्त अच्छा खयाल देता है । जहाँ पितृभक्ति, राजभक्ति और गुरुभक्तिके सब प्रकार भक्तसे तत्कालीन समाज-धर्मका ही पालन करते हों, वहाँ भक्तिमाव अधिकसे अधिक इत्तार्थताका अनुभव करता है । चाहे पुत्र हो, प्रजा हो या शिष्य हो, वे ऐक ही तरहसे अपनी भक्ति प्रदर्शित कर सकते हैं; और वह अनुके जीवनका युद्देश्य पूरा करके ।

गुरुकी शोध आखिर किस लिये, और गुरु प्राप्तिकी आशयकता भी किस लिये ? अिस विषयकी स्पष्ट समझ न होनेके कारण जहाँ पन्थ खड़े ही न होना चाहियें वहाँ वे खड़े हो जाते हैं, गढ़ियाँ चल निझलती हैं, पुना-पधरामणीके आडम्हर रचे जाते हैं और गुरुपन विरासतमें भी मिल जाता है !

टिप्पणी

मूर्तिपूजा — अिस जगह मूर्ति-पूजाकी मर्यादाके सम्बन्धमें कुछ विवेचन करना अनुचित न होगा ।

अपने पूज्य या स्नेही जनोंके स्मारकके रूपमें मूर्ति या प्रतिमा रखनेकी भावना ऐसी अस्वाभाविक या सदोषे नहीं है कि अिस्लामकी तरह अुसका विलकुल निषेध करनेकी जरूरत हो । मूल पुरुषके प्रति जो पूजा या स्नेहभाव होता है, वह अुसकी प्रतिमाके लिये भी अंशतः हो, तो यह स्वाभाविक है । परन्तु यह प्रतिमा है अिस वात्सको भूल कर, अुसमें चेतनाकी भावना रखकर अुसे षट्क्रियुकृत कल्पना करके जो पूजा-विधि रची जाती है, अपार आडंवर रचा जाता है, अुसका आग्रह रखा जाता है और अुसके निमित्त लड़ाई-झगड़े किये जाते हैं, यह विवेकका अतिरेक है — अतिक्रमण है ।

सम्भवतः योगम्यासीको ध्यानके आलमन रूपमें मूर्तिकी शुपयोगिता प्रतीत हुओ देगी । फिर चंचल चित्तको सदैव मूर्तिका अनुसंधान करनेके लिये ऐसा सुवहसे शाम तकका कार्यक्रम बना होगा,

जिसमें सारा दिन मूर्ति 'सम्बन्धी विविध क्रियायें करनी पड़े । किसी योगाभ्यासीको जो व्यवसाय अभ्यासकी दृष्टिसे युस समयके विचारके अनुसार ठीक या आवश्यक प्रतीत हुआ, वह आगे चलकर ऐसे लोगोंके लिये भी जीवनका महत्वपूर्ण व्यवसाय बन गया जिन्हें कभी स्वप्नमें भी योगाभ्यासका ख्याल न आता हो । जो चीज किसी समय साधनके रूपमें स्वीकार की गयी थी, वही अब साध्य बन वैठी । धीरे धीरे युसका महत्व अितना बढ़ गया कि मूर्ति-पूजा भक्तिमार्गका एक आवश्यक अंग जैसी बन गयी, अथवा मूर्ति-पूजाको ही 'भक्तिमार्ग' नाम प्राप्त हुआ, और अुचितिके एक स्वतन्त्र साधनके रूपमें महत्व मिल गया ।

सच पूछिये तो योगाभ्यासीको भी मूर्ति-पूजाके खटाटोपकी जस्तरत नहीं है और दूसरोंके लिये तो वह महज अन्धबद्धा, वहम, अवृद्धि, कृत्रिम क्रियाकाण्ड और अधिकार या धर्मके नाम पर झगड़ा करानेवाली वस्तु हो गयी है ।

कुछ लोग कहते हैं कि मूर्ति-पूजा मनुष्य स्वभावके साथ ही जुड़ी हुअी है, और वह फिर किसी दूसरे रूपमें आकर सामने खड़ी हो जायगी । परन्तु वैसा तो अस्पृश्यताके सम्बन्धमें भी कहा जाता है । प्रश्न यह नहीं है कि वह दूसरे रूपमें आवेगी या नहीं । प्रश्न अितना ही है कि आज वह जिस रूपमें हमारे सामने खड़ी है, वह अनिष्ट है या नहीं ? फिर जब कभी वह नये रूपमें आवेगी और अनिष्टता दिखावेगी, तब युस समयके लोगों पर युसके युस वेशको छीन लेनेकी जिम्मेदारी आयेगी । हम तो आजका युसका विकृत वेश युतार ढालें तो वस है ।

सद्भाव और सत्संग

अपर कह चुके हैं कि जिसके लिये हम अपना जीवन समर्पण करना चाहते हैं अुसके हम भक्त होते हैं, और निर्गतिशय तथा अहैतुक प्रेम ही भक्तिका हार्द है।

भक्ति, प्रेम आदि मार्गोंके मूलमें एक जीवके प्रति दूसरे जीवका सद्भाव है। अिस सद्भावके अुत्तरोत्तर अुत्कट स्वरूपको हम प्रेम, भक्ति आदि नाम देते हैं। ऐसे सद्भावके ओक दूसरे प्रकारका भी जीवनमें स्थान है और अुसका भी योग्य स्वरूप जान लेना अुचित है। बहुत चार अिसके लिये भक्ति शब्दका प्रयोग किया जाता है, परन्तु अपर भक्तिका जो अर्थ हमने किया है अुसको देखते हुओ वहाँ 'भक्ति' शब्द औपचारिक ही समझना चाहिये। अतअेव यहाँ हम अिसे सद्भाव या संतभाव कहें तो ठीक होगा।

एक अुदाहरण देकर अिसे समझाता हूँ। रामके साथ हनुमान है, अंगद भी है और दूसरे अनेक लोग भी हैं। अब हनुमानकी रामके प्रति भक्ति और परायणता खास तरहकी है। अंगद अुस कोटि तक नहीं पहुँच सकता। अुसकी प्रकृतिकी रचना जुदा प्रकारकी होनेसे अथवा अुसके संस्कार, शक्ति या परिस्थिति भिन्न प्रकारकी होनेसे यह हो सकता है कि अंगद किसीकी भी भक्ति अिस प्रकारसे न कर सके। अतः अंगद हनुमानके अनुकरणका प्रयत्न न करेगा। और अिस कारण वह अपनेको हनुमानका अुपासक न कह सकेगा। फिर हनुमानके ही लिये जीवन-समर्पण करनेका अुसका संकल्प न होनेसे वह अुसका भक्त भी नहीं है। फिर भी हनुमानके पूर्व निर्दिष्ट शीलके कारण अंगदके हृदयमें एक ऐसे प्रकारका भाव जाग्रत रहता है जिससे हनुमान अुसे सदा सप्रेम आदरणीय लगे, वह हमेशा अुसके लिये कुछ कष्ट सहन कर लेनेके लिये अुत्सुक रहे, और ऐसा अवसर मिलनेपर वह अपनेको धन्य माने। यह हनुमानके

ऐक खास तरहके शीलके प्रति अंगदका सद्भाव है, और वह तब तक रहनेवाला है जब तक युसे युसे शीलकी वैसी ही प्रतीति आती रहे।

अिस प्रकारके सद्भावमें रामके साथ अंगदका भी सम्बन्ध होना आवश्यक नहीं। युदाहरणके लिये, फर्ज कीजिये कि आगे चलकर खुद रामके साथ अंगदका विरोध पैदा हो जाय। फिर भी हनुमान जिस भक्तिभावसे रामका अनुकरण करता है, युसकी बदौलत हो सकता है कि वह हनुमानको पूजे और युसके लिये कष्ट युठानेमें आनन्द माने।

जिसी तरह कोभी व्यक्ति खुद चाहे मातापिताका भक्त न हो, और हो भी न सकता हो; खुद साधु चरित न हो और होनेका ठीक प्रयत्न भी न करता हो, फिर भी किसी दूसरे सत्पुत्र या साधु पुरुषके प्रति आदरभाव रखे और युसके लिये जो कुछ करना पड़े वह करनेमें आनन्द माने, तो यह सन्तभाव या साधुताके प्रति कदरदानी वा आदरभाव है।

अिस प्रकारकी सन्तभक्तिका जीवनमें अुपयोगी स्थान है। परन्तु जिसमें भी जब किसी कामना-सिद्धिका भ्रम प्रवेश कर जाता है अथवा युसे प्रदर्शित करनेके प्रकारमें अविवेक होता है, तो वह सदोष हो जाती है।

जिसके प्रति हमारे मनमें सद्भाव हो युसके योग्य व न्याय्य कार्यमें सहायता करना, अुचित मर्यादामें रहकर युसका आतिथ्य-सत्कार करके युसके प्रति प्रेम प्रदर्शित करना योग्य ही है। परन्तु ऐसी भक्ति यदि केवल अनुचित महिमा या वहमका स्वप धारण कर ले, अिसके मूलमें किसी कामना-सिद्धि या पुण्य-प्राप्तिकी आशा हो, तो वह सदोष है।

कभी कभी सन्तपूजा प्रदर्शित करनेकी रीति ऐसा स्वरूप ले लेती है कि जिससे वह मनुष्य जिस सिद्धान्तपर अपना जीवन चलाना चाहता हो युसीका भंग हो जाता है। ऐसी रीत अविवेकपूर्ण है। जैसे, फर्ज कीजिये, मैं मांसाहार या मद्यपान करके जीवनको ठिकाना नहीं चाहता अथवा किसी खास सिद्धान्त पर चलनेके कारण राज्य या समाजकी ओरसे मुझे तकलीफ दी जानेकी संभावना है। ऐसे समयमें मेरे प्राण वचानेके लिये मुझे घोखा देकर शराव-मांस खिलाया जाय या मुझे कष्टसे वचानेके लिये अधर-मुवर कोशिश की जाय, तो सद्भाव प्रदर्शित करनेकी यह रीति अविवेक युक्त है। क्योंकि अिसमें जिन सिद्धान्तोंको मैं पालना

सद्भाव और सत्संग

चाहता हूँ अनींका उच्छेद होता है, और अिसलिये मेरे प्रति वह सद्या-
कृत नहीं हो सकता। अिस प्रकारसे सद्भाव प्रदर्शित करनेवालेके
मनोमार्गोंका पृथक्करण करें, तो मालूम होगा कि मेरे सिद्धान्तोंके प्रति
अनास्था होनेके कारण वह मुझे कृपापात्र रियतिमें आ गया
नाना है, किन्तु मेरी साधुताके प्रति आदर होनेसे किसी भी तरह मुझे
वचा लेनेके लिये तैयार होता है। अिसमें सद्भाव गौण है, कृपाभाव
विशेष स्वप्नसे है। परन्तु इन्हें अिस कृपाभावका मैं अच्छुक नहीं हूँ,

साधुवरित जनोंके सहवासमें जो प्रसन्नता या शान्ति मालूम होती
है अुसका कारण यह है कि हम जिन्हें समय अनेक सहवासमें रहते हैं
अुतनी देर हमारे हृदयमें बुदात्त और कोमल भावनायें अुमड़ने लगती
हैं। अुस समय शुभके प्रति अपने जीवनको लगानेके संकल्प अुठते या
पुष्ट होते हैं। यह लाभ प्रच्छन्न है, और जिन्हें अनेक प्रति आदर हो
अथवा जो अुनकी साधुता देख सकते हों, अनींको वह मिलता है। परन्तु
अनेके चरण पहनेसे घरमें घन-दोलत आ जायगी, सद्यमें फायदा हो जायगा,
वेतन वह जायगा; तिनेके चरण-स्तरसे अट लहका, अनेके प्रति मनमें
आदर-भाव न रहनेपर भी, सीधे रखते आ जायगा, अथवा किसी लीको
सन्तान प्राप्ति हो जायगी, या चीमार आदमी अच्छा हो जायगा, अथवा सारे
जीवन भर अुलटे-सीधे काम किये हों तो भी मरण समयमें वेहेशीकी
हालतमें भी करायी गयी अुनकी पूजासे अुसे 'सद्गति' मिल जायगी —
अिस प्रकारकी भक्ति या भद्राकी निष्ठा गलत या भ्रमपूर्ण है। ऐसी
सिद्धियाँ किसीके पास हों तो भी अुनका अुपयोग कर लेनेकी लालसा
भी अबुद्धि-पोषक है और अिसलिये अिस प्रकारकी सन्तमक्ति प्रोत्साहन
देने योग्य नहीं है।

सन्त-समागमका एक और भी अविचारी स्वरूप देखनेमें आता है।
जो भी कोअी मनुष्य साधु, सद्गुरु, जीलियके नामसे पूजा जाता हो, अुसके
पीछे दीवाना बने रहनेका कभी लोगोंको एक व्यसन ही हो जाता है, अुसके
अिनमेंसे किसीके भी अुपरेक्षका विचार करके अपनी विवेक-तुदिसे
अुसकी छानवीन करनेका वे प्रयत्न नहीं करते; 'जो योग्य मालूम हो अुसके

अनुसार चलनेका या अुसके अनुसार प्रयत्न करनेका विचार नहीं रखते । न तो वे किसी ऐक पर पूरा विश्वास ही रखते हैं, न किसी पर अविश्वास करनेकी हिम्मत करते हैं । प्रत्येकको वे आश्र्यवत् देखते हैं, आश्र्यवत् सुनते हैं, प्रत्येकके विषयमें आश्र्यके साथ बोलते हैं और अितना होते हुए भी किसीको समझनेका प्रयत्न तक नहीं करते । अिनमें ऐक बड़ा वर्ग तो कामनिक लोगोंका ही होता है, और ऐक विलकुल बुद्धिहीन होता है । अिन दोनों वर्गोंके लोग यदि धोखा ही खाते रहें तो कोभी आश्र्य नहीं । फिर कुछ लोग प्रत्येकके अभिप्रायों व रायोंको तोवेकी तरह अपने दिमागमें ढूँस लेते हैं और बुद्धिको अिस तरह कुण्ठित कर लेते हैं कि फिर वे स्पष्ट विचार करनेके लायक ही नहीं रहते । अैसे सन्त-सूमागमकी कोभी कीमत नहीं । पिछले खण्डमें 'अद्वायुक्त नास्तिक' नामक प्रकरणमें जिस वृत्तिका वर्णन किया गया है, उससे मिलती-जुलती ही यह वृत्ति है ।

भक्तिके प्रकरणोंका तात्पर्य

अपनेसे जो विशेष मालूम हो अुसके प्रति पूज्यताकी व प्रेमकी भावना और अुसे पूजनेकी अिन्छा मनुष्य दृदयमें स्वामाविक होती है । अिस अिन्छा और भावनामें दोष नहीं है, यही नहीं बल्कि अुसके विना चित्तका विकास भी असम्भव है ।

अिन प्रकरणोंका उद्देश्य यह नहीं है कि भक्ति-भाव या पूजनेकी अिन्छाका निषेध किया जाय, बल्कि अिनका उद्देश्य तो अिस वातका विचार करना है कि अिस भक्ति-भावके फल किस तरह प्रत्यक्ष जीवनमें प्राप्त किये जा सकते हैं, अुसके प्रकार किस तरह मनुष्यके सहज जीवनमें अुपजाये जा सकते हैं, और कृत्रिम रीतियोंको पैदा किये विना या जीवनको सहज प्राप्त सम्बन्धोंसे अलग करके कृत्रिम या काल्पनिक सुषिठें प्रेरित किये विना किस तरह अुसके सब लाभ अठाये जा सकते हैं ।

वर्तन करके कहूँ तो:

‘भक्ति अेक मनुष्य-द्वारा निर्मित भावना नहीं है, बल्कि अुसकी पहचानी हुकी थेक वृत्ति है । अिससे अुसका नाश होना असम्भव है । अिसके गुप रहस्य और शक्तियोंकी खोज होनी चाहिये और समाजके कल्याणमें अुसका अपयोग होना चाहिये ।’

जित श्रद्धा, आदर, मृदुता और प्रेमसे मनुष्य जड़ मूर्ति, क्रौस या कावाको नमन करता है, अुसकी आराधना करता है, वहुत बार अुसीको जीवन संमरण करता है, अन्य अनेक रीतिसे अुसको प्रतिश्वासनेकी कोशिश करता है, और कभी बार अुसके नामपर सचेतन प्राणियोंका संहार भी करता है, अुसका त्याग करके, वहि अुसका दर्शाश भी प्रस्तुत जीवनमें लाकर, अपने मनुष्य वंधुओं और प्राणियोंके प्रति अुसे प्रदर्शित करे, तो संसारका स्वरूप बहुत कुछ बदल जाय ।

सूर्य, अग्नि, पर्वत, या नदी भव्य है, गगनगामी मन्दिर और मसज़िद भव्य है। परन्तु एक छोटी सी चीटी झुससे भी अधिक विभूतिमान है, जिसको क्या हम समझ सकेंगे?

जो गुरु-पंथी जिस बातको समझ सके हैं, वे एक प्रकारकी जड़तासे तो ऊपर झुठ गये हैं, परन्तु दूसरे प्रकारकी जड़ता, पाखण्ड, अन्ध-अद्वा, कृत्रिम पूजा और कर्मकाण्डके जालमें फँस जाते हैं। जिसका नतीजा यह हुआ है कि जड़, पिशाच, अुन्मत्त, अर्घोरी, विलासी, व्यसनी, व्यभिचारी सब प्रकारके लोग हमारे देशमें गुरुः साक्षात्परव्रक्ष हो सकते हैं। पागलोंके अस्पतालमें जिस प्रकारकी विचित्रतायें देखी जाती हैं उस तरहकी सब विचित्रतायें—यदि अनुके साथ वेदान्तकी परिभाषाकी जोड़ मिल जाय तो—आइचर्यवत् देखी जाती हैं, सुनी जाती हैं और पूजी जाती हैं और वड़े वड़े पदवीधर, अर्थापक और महोपाध्याय अनुकी जूठन खानेमें धन्यता मानते हैं। जिसमें कोई शक नहीं कि यह केवल अबुद्धि ही है। यह कहना अनुचित नहीं है कि हर किसीके शिष्य वन जानेके बनिस्वत वे लोग अधिक सलामत हैं, जो यह कहते या मानते हैं कि सद्गुरु मिलना असम्भव ही है।

जीवन-शोधन

[शोधनका अर्थ है अशातकी खोज करना और शातका संशोधन करना]

खण्ड ४

प्रकीर्ण विचारदोष

वैराग्य

वैराग्य श्रेयःप्राप्तिका एक महत्वका साधन है। परन्तु जिसके सम्बन्धमें अपने देशमें बहुत विचित्र कल्पनायें फैली हुयी हैं। अब सद्विचित्रताओंमें दो तत्व आम तौर पर दिखायी देते हैं:

१. सगेसम्बन्धी, कुडमी, समाज, आदि विषयक स्वामाविक प्रेमको तोहकर अनुके प्रति अपने कर्तव्योंके सम्बन्धमें लुदायीन हो जाना; और
२. जितनी हों सके युतनी बख्तओंका लाग करना।

जड़भरतका चरित्र असं वैराग्यका आदर्श माना गया है। जड़भरतने घरवारसे मुक्त होनेके लिये अनमत्तवृत्ति धारण कर ली। जो कुछ काम उसे सौंपा जाता, वह असे जानवृक्षकर विशाड़ डालता। आखिर घरवालोंने अुकता कर असे घरसे निकाल दिया और जहाँ जी चाहे चले जानेकी विजाज्ञत दे दी। तब जड़भरत जंगलमें अकेल रहने लगा और वहाँ युसने अपरिग्रहकी पराकाष्ठा की। यह जड़भरत — पौराणिक कथाके अनुसार — पिछले जन्ममें भरत नामका राजा था। वानप्रस्थ होनेके बाद बनमें अकान्त जीवन व्यतीत करते हुये युसने एक मरते हुये इश्विके वच्चेको दयासे बचाया और पाल-पोष कर वहा किया। अुसके साथ जड़भरतका अितना वास्तव्य प्रेम हो गया कि युसके वियोगसे युसे बहुत दुःख हुआ। मरते समय युस मृगके नितनसे भरतकी वृत्ति मृगमय हो गई और अिससे अगले जन्ममें युस मृगका शरीर मिला। युसके बादके जन्ममें वह जड़भरत हुआ; और पूर्व जन्मकी स्मृति रहनेसे युसने निश्चय किया कि अब किसी पर दयासे भी ल्नेह न करूँगा। पिर वह अूपर कहे अनुसार व्यवहार करने लगा। पहले तो हमें अैसी बातोंको अतिहासिक वृत्तान्त माननेकी भूल ही न करनी चाहिये। यह अेक कल्पित कथा है जिसे पुराणकारने वैराग्यका आदर्श अप्रस्थित करनेके लिये रची है। परन्तु यिसे ज्योंकी

त्यों सच मान लें, तो भी भरतने दयासे हरिणको बचाया अुसमें कोअी अविवेक नहीं था; अुसके स्वावलम्बी होने तक अुसका पालन-पोषण करनेमें भी अविवेक नहीं हुआ। परन्तु अुसके स्वावलम्बी होनेके बाद भी अुसके स्वभावके अनुसार अुसे आजाद न छोड़नेमें और अुसकी आसक्ति युक्त चिन्ता करनेमें जस्तर अविवेक हुआ। परन्तु अपनी वितनी ही भूलको देखनेके बदले जड़भरतने यह सोचा कि मैंने वितनी दया की, इसीसे तो यह आसक्ति पैदा हुई! अतः अब दया, स्नेह आदि भावोंको हृदयमें कठबीं स्थान न देना चाहिये। परन्तु यह भी दूसरे छोरका अविवेक ही था। योग्यता और अयोग्यताकी हृद—तारतम्य—समझने और अुसके पालन करनेकी जगह अुसने अुन्मत्त (पागलके जैसी) शृति धारण कर ली।

परन्तु यह चरित्र हमारे देशमें वैराग्यका आदर्श बन वैठा है। आज भी जब कोअी मनुष्य साधु बननेका भिरादा बतलाता है, तो अपना शिष्यमण्डल बढ़ानेकी लालसा रखनेवाले साधु अुसे जड़भरतका आख्यान सुनाते हैं और जानदृश्यकर ऐसा व्यवहार करनेका अुपदेश देते हैं कि जिससे घरके लोग अुससे अुकता अुठें। यह मैं अपनी ज्ञानकारीके आधार पर लिख रहा हूँ।

फिर, यदि कोअी मनुष्य अपने घरमें अपने माँ-बाप या किसी दूसरे कुटुम्बीके अत्यन्त वीमार हीने पर भी अुनकी तरफ आँखें मूँद कर मन्दिरमें या साधुओंके पास वैठा रहें और यदि अुनकी वीमारीका हाल पूछने पर वह जवाब दे कि ‘खटियाका पाया टूट जाय तो अुसका क्या करते हैं? चूलेमें ही तो जलाते हैं न? असी तरह यह हड्डियोंकी खटिया है, टूट जायगी तो वहुतेरे लोग हैं जो जाकर जला आवेंगे। अुनकी क्या चिन्ता की जाय? माँ-बाप और सगे-सम्बन्धी तो चौरासी लाख योनियोंमें जहाँ कहीं हमारा जन्म हुआ, वहाँ मिले हैं और मिलेंगे। परन्तु ऐसा साधु-समागम कहीं बूर बार मिलनेवाला है?’ — तो यह समझा जाता है कि अुसके वैराग्यका घड़ा लवाल्ब भर गया है, और साधु लोग ऐसे अविवेकीको प्रोत्साहन देते हैं।

वैराग्य

विशाल समाजके हितार्थ व्यक्तियोंके अपने निजी और कुदुम्बियोंके सुख, सुविधा, स्वार्थ और जीवनको भी बलिदान कर डालनेके अदाहण प्रत्येक देशमें मिलते हैं। अनुके नाम सब जगह आदरपूर्वक लिये जाते हैं। किन्तु अन सर्वमें वे दो भिन्न वर्गोंके प्रति अपने कर्तव्योंमें किसको महत्व है, अिसका विचार शामिल रहता है। परन्तु पूर्वोक्त वृत्तिमें तो मनुष्य अपने मनके किसी आवेगकी पुष्टिके लिये यदि कुछ शारीरिक कष्ट या असुविधा सहन कर ले, तो जिसे वैराग्य नहीं कह सकते। धन, यात्रा, विषयेच्छा, साहित्य, संगीत, कला, विज्ञान आदि किसी भी वातका जब किसीको शैक्ष ल्या जाता है, तो वह बहुत खुशीसे ऐसे कष्ट और अिससे भी अधिक बड़ी जोखम अठा लेता है। परन्तु अन सर्वको कोअी विरागी नहीं कहता। असी तरह अिसको भी अेक दूसरे प्रकारका साहित्य, संगीत, कला या विज्ञानका शैक्ष लग गया है; उसे साधुओंके पास मन्दिरोंमें या अकान्तमें पोषण मिलता है, अितना ही फर्क है।

तब वैराग्यका स्वरूप क्या है? साधारणतः मनुष्य मानता है कि अपने धन, सम्पत्ति, वैभव, अधिकार, कुदुम्ब, परिजन आदिकी बदौलत वह बहा और सुखी होता है; ये अगर चले जायें तो वह द्योटा और दुःखी हो जायगा। मासूली तौरपर मनुष्य विपर्तिमें धीरज स्वैठता है, और कुदुम्बियोंके वियोगको शान्त चित्तसे सहन नहीं कर पाता।

परन्तु विचारशील मनुष्य यह सोचता है कि धन, वैभव, अधिकार आदि अस्के आसपास आकर अेकत्र हुआ हैं; अिनके केन्द्रमें वह स्थंय है। वह खुद है तो यह सब कुछ है; अतः यह सब भुस्के अधीन है।^१ धन, वैभव, अधिकार आदिसे खुद अस्की दोभा नहीं बढ़ती, यस्कि अन्तीकी

* योगसूक्ष्मे वैराग्यकी व्याख्या अिस प्रकार दी है—

द्व्यात्मकविकाविपयविनृणात्य वशीकारसंज्ञा वैराग्यग् ॥ (२-१५)
में अिसका अर्थ अित प्रकार कहता है: अिन लोक वा पर्लीकों विषयमें अदासीन मनुष्यकी जो यह प्रतीति होती है कि ये विषय में र वह वैराग्य है।

बहकती है। फिर विचारशील मनुष्य यह समझता है कि बुद्धापा, मरण, रोग, प्रिय वियोग और अप्रिय योग — ये पाँच विपत्तियाँ अनिवार्य हैं; कभी न कभी अनेका मुक्काबला किये विना छुटकारा नहीं होता, और यह सोचकर जब विपत्तियाँ आती हैं तब धीरज नहीं छोड़ता। अिस तरह जो अपने दिल्को मजबूत बना रखता है, ऐसा कह सकते हैं कि वह वैराग्यवान् है।

यह वैराग्य न तो कर्तव्यभ्रष्ट है, न प्रेम-विहीन, और अिसमें पागल जैसा दिखावा करनेकी भी जरूरत नहीं। यह वैराग्य मनका कोअी ऐसा आवेग नहीं है कि जिसके अधीन होकर मनुष्य अपने परिजन या परिग्रहको देखकर धंवरा जाता हो और हर तरहसे अुनको छोड़नेके लिये अुतावला हो जाता हो। यदि कर्तव्यके सिलसिलेमें अुसे किसी प्राणीके पालन या पदार्थके परिग्रहकी आवश्यकता हो, तो अुसका अुससे विरोध नहीं; अुसी प्रकार यदि कर्तव्यका पालन करते हुये अुनका बलिदान करनेकी आवश्यकता हो जाय, तो यह वैराग्य अुसके अनुकूल होता है। वह न त्याग करनेके लिये अधीर या अुतावला है, और न अुनका वियोग होने पर अुनके लिये छृष्टपटाता ही है।

जगत्के साथ सम्बन्ध

हमारे देशमें अेक गलत कल्पनाने अपना आसन जमा लिया है। वह यह है कि श्रेयार्थी पुरुषको दुनियाके व्यवहारोंसे कोभी सरोकार नहीं। 'जगत् अपना देख लेगा,' या 'जिसने दुनिया बनाई है वह खुद उसे सँभाल लेगा,' अिसमें—

"हुं कर्ण, हुं कर्ण ऐ ज अशानता, शकटनो भार जेम धान ताणे ।"**
अैसी भावनाको दृढ़ करनेकी तरफ 'श्रेयार्थी' आदमीका छुकाव होता है।

ऋषि-मुनि हमारे देशमें आर्दश पुरुष माने जाते हैं, और वे तो प्राजको छोड़कर जंगलमें जा बसते हैं, अैसी हमारी कल्पना है।
अैसी मनोदशाका परिणाम यह होता है कि जिन पुरुषोंके आशय अुच्च होते हैं, और अिसलिये समाजका हित साधनेमें जो सबसे अधिक योग्य होते हैं, अुन्हींके ज्ञान, अनुभव, चरित्र जियादिके लाभसे विजित रहनेका दुर्माण्य समाजको प्राप्त होता है। और जनताको बहुत समयसे पवित्र वृत्तिवाले मनुष्योंका अनुभव देखनेका दखल होनेसे अुसका भी यह खुयाल बन गया है कि जो मनुष्य पवित्र वृत्तिवाले हैं, अुन्हें समाजके व्यवहारमें दखल न देना चाहिये। और यदि कोभी मनुष्य ऐसा करते हुये दिखायी देते हैं, तो उनके प्रति वह सांकेतिक रुपाती है।

परन्तु अिस मान्यता पर विचार करनेकी जरूरत है। प्रश्न यह है कि 'श्रेयार्थी' अथवा सीधी-सादी भाषामें कहे तो तीव्र पवित्र वृत्तिवाला व्यक्ति दूसरे लोगोंके बनिस्वत किस वातमें विशेषता रखता है?

विचारशील और पवित्र वृत्तिवाले मनुष्योंमें इस और लोगोंकी अपेक्षा अधिक निःस्वार्थ भाव, सत्य-प्रियता, न्यायवृत्ति, कर्मणा, मेहनती स्वभाव * में करता है, में करता है यदी अज्ञान है, जैसे गाढ़ीके नीचे चलनेवाला कुत्ता यह समझता है कि मैं ही गाढ़ी खींच रहा हूं।

आदि गुणोंकी अपेक्षा रुखते हैं; और अनुनके अनुग्रहोंकी अधिकतासे ही संसारमें प्रचलित नीच स्वार्थ, पाखण्ड, अन्याय, निर्देशता, आलस्य आदिसे ज्यादातर वे अब जाते हैं। अिस तरह अुकताकर वे समाजसे दूर जानेका प्रयत्न करते हैं। 'प्रयत्न करते हैं' ऐसा कहता हूँ, क्योंकि सच पूछिये तो समाजका समूचा त्याग तो कोअी कर ही नहीं सकता। यदि हम यह कहें कि जो पुरुष जंगलमें स्वतन्त्र कन्द मूल फलपर रहते हैं, और दिगम्बर रूपमें विचरते हैं, अनुहोने समाजका त्याग कर दिया है, तो अिस हृदयक बहुत ही कम श्रेयार्थी जा सकते हैं। और आगे चलकर हम अिस बातको भी देखेंगे कि ऐसा जीवन आत्मोन्नतिके लिये आदर्श भी नहीं है।

बहुतेरे श्रेयार्थी तो समाजका सर्वथा त्याग कर ही नहीं सकते। अपने भोजन-वस्त्र और स्थानके लिये तो अनुहृत बहुत कुछ समाज पर ही निर्भर रहना पड़ता है। अनुनकी यह सारी व्यवस्था चाहे कुटुम्बी करें, मित्र करें या कोअी दानशील सज्जन करें या फिर किसी दानशील गृहस्थके अन्नक्षेत्र, मन्दिर या धर्मशाला करें; परन्तु यह निश्चित है कि समाजके ही किसी भागपर अनुनके जीवनका भार पड़ता है। अतअेव जहाँ तक अनुनके भरण-पोषणसे सम्बन्ध है, वे समाजका त्याग किसी हालतमें नहीं कर सकते।

तब अिसमें समाजका त्याग, अर्थात् समाज विषयक किस सम्बन्धका त्याग होता है? समाजके साथ अनुनका जो स्वार्थ लगा हुआ है अुसका तो नहीं ही, क्योंकि अनुनका स्वार्थ तो समाजके द्वारा ही सिद्ध होता है। अच्छा, तो फिर क्या समाजके प्रपञ्च और कृष्ण-कपट आदिका त्याग होता है? सो भी नहीं; क्योंकि जिस घन आदिसे अनुनका निर्वाह होता है वह किस बुरी तरह प्राप्त होता है अुसे जाननेका अनुरूप सौका ही नहीं मिलता, न अुसकी जाँच ही होती है। तो त्याग होता है सिर्फ समाज सम्बन्धी अनुनके खुदके कर्तव्योंका! जिस समाजमें खुद पैदा हुआ व अुसने परवरिश पाअी, योग्या-बहुत शिक्षा-लाभ किया और जबतक आसक्ति रही तबतक अुपभोग भी किया, अुसके प्रति अपनी तमाम जिम्मेदारीका,

कुस प्रष्टणको अदा करनेके अपने कर्तव्यका, अपने निजी सुखकी आसक्ति कम हो जाने पर, वह त्याग करता है। जिस प्रकार देनदार अपना देना चुकानेसे अिनकार करता है, लेनदारोंसे जान-पहचान भी कबूल नहीं करता, जुसी प्रकार अिस तरहका श्रेयार्थी कहता है—‘दुनियाके साथ मेरा क्या रिता है? दुनिया खुद अपना निपट लेगी।’

विचार करनेसे मालूम होगा कि कोअी भी व्यक्ति आत्मेत्तिके अथवा किसी दूसरे वहाने समाजसे सदाके लिये अलहदा होनेका विचार न्यायपूर्वक नहीं कर सकता। बालक वचपनमें, विद्यार्थी अध्ययन कालमें, अपेंग त्रुटि रखने तक, रोगी वीभार रहने तक, और ब्रह्म तुक्षपेमें समाजपर अवलिप्ति रहें। परन्तु कोअी व्यक्ति सदाके लिये समाजसे अलहदा नहीं हो सकता और न तत्सम्बन्धी अपनी जिमेदारीसे ही अिनकार कर सकता है।

प्रत्येक व्यक्तिको और खासकर श्रेयार्थिको यह समझ लेना चाहिये कि व्यक्ति और समाजका सम्बन्ध यावज्जीवन है। किन्तु हमारे देशमें दुर्भाग्यसे समाज सम्बन्धी अपने प्रष्टणको याद रखनेका संस्कार बहुत क्षीण है। अिसमें फिर श्रेयार्थी प्रश्नावादके चक्षरमें आकर अुस स्वाभाविक प्रष्टणबुद्धिको भी निर्मूल करनेका प्रयत्न करता है, जो समाजके प्रति कुसके ग्रेमकी या अुच्च संस्कारकी बदौलत अुसमें मौजूद रहती है। परिणाम यह कि व्यवहारमें साधारण रूपसे श्रेयार्थीका सीधा-सादा अर्थ यह हो गया है कि समाजके खर्च पर, समाज-जीवनसे सम्बन्ध न रखनेवालों अपनी अिसी रम्य कल्पनाके पीछे जीवनका सर्वोत्तम भाग जो खर्च कर डालता है, वह श्रेयार्थी है। अिनमेंसे कुछ श्रेयार्थी तो अैसी रम्य कल्पनाके साथ अेकरस होनेके बाद फिरसे समाजमें आकर मिल भी जाते हैं। परन्तु वे समाज-जीवनको किसी तरह अधिक सुरक्षा या सचमुच अुदाच्च बनानेके लिये नहीं, बल्कि दूसरोंको अपनी रम्य कल्पनाका चक्षा लगाकर अुन्हें अुस विश्यमें अुस अंश तक सहज जीवनसे अलग कर देनेके लिये।

‘दुनिया अपना निपट लेगी’—यह भावना मानो जगत्के प्रति अपने प्रष्टणसे अिनकार करना है। अतः यह भावना अन्याय मूल्क है

और वह व्यक्ति, जो अपनेको श्रेयार्थी कहलाता है, ऐसी वृत्तिको अपनावे तो मुझे नम्रताके साथ कहना होगा कि वह कल्याणमार्गसे गिरता है।

अिसी तरह “जिसने दुनिया बनाई है, वह सुसे सँभालनेके लिये मौजूद है ही; जुसमें ‘मैं करूँ, मैं करूँ, यही अशानता’”— यह विचार भी सदोष है। हम संसारका यह नियम देखते चले आ रहे हैं कि सृष्टिकी रचना और पोषण जगत्के प्राणी और पंच महाभूतोंके द्वारा ही हो सकते हैं। मनुष्य जातिमें या अन्य प्राणियोंमें जो कुछ सुधार, विकास, अन्नति या सुखसाधन बढ़े हैं, वे सब अच्छाभिलाषी पुरुषोंके पुरुषार्थ द्वारा ही हुए हैं। जगत्को ‘रचने या सँभालनेवाला’ मनुष्य जातिका श्रेय बारिशकी तरह आकाशसे नहीं बरस पड़ता। अिसलिये ऐसे श्रेयार्थी पुरुषमें तो साधारण लोगोंकी अपेक्षा भी अधिक तीव्रतासे यह जाननेकी अभिलाषा होनी चाहिये कि ऐसे श्रेयकी वृद्धिमें असका किस तरह अन्योग हो सकता है। हाँ, यदि अपनेसे कोओ ऐसा काम बन पहों, तो असके अहंकारसे अपनेको बचानेके लिये वह ‘मैं करूँ मैं करूँ, यही अशानता’ अिस बचनका सहारा ले, और जो कुछ हुआ है असका श्रेय अस ‘रचयिता या पोषणकर्ता’को दे तो वात दूसरी है। परन्तु यदि वह अपनी जिम्मेदारीसे बचनेके लिये अिस सूत्रका सहारा या बहाना ले, तो अिसमें दोष है। और समझना चाहिये कि अस अंश तक असकी श्रेयःसाधना विषयक अभिलाषामें भी कमी ही है।

अुपाधि

जीवनकी किसी आकांक्षामें असफलता मिलनेसे या दूसरे किसी कारणसे जो व्यक्ति संसारके जंगलसे घबराने लगता है, अपने दैनिक कार्योंको ऐक अुपाधि मानने लगता है, अुसको हमारे देशमें ऐसा भ्रम होने लगता है कि वह श्रेयार्थी हो गया है, और निर्वासनिक होता जाता है। और ऐक बार जहाँ ऐसा भास होने लगा कि फिर वह अपने प्रत्येक कार्य व कर्तव्यको माया, अुपाधि या बन्धन आदिके रूपमें देखने लगता है और अुससे पिण्ड छुटानेकी ओर प्रवृत्त होता है। सर्वथा रामदास जैसोंने भी कह दिया है कि :

— संसारे दुःखवला । त्रिविघ तापे पोळला ।

तो चि ऐक अधिकारी जाला । परमार्थासि ॥ (दासबोध ३-६-७)

(जो संसारसे दुःखी हुआ है, त्रिविघ तापसे दग्ध हुआ है, वही ऐक परमार्थका अधिकारी होता है ।)

अिससे बहुतेरे श्रेयार्थियोंको ज्यों त्यों करके निरूपाधिक होना, सिर पर किसी प्रकारकी जिम्मेदारीका न होना, चिन्ता न रखना, अिस तरह जीवन . विताना जिससे किसीके साथ संघर्ष या धर्षणमें न आना पड़े, यह आदर्श स्थिति मालूम पड़ती है। और फिर यह निरूपाधिक होनेकी अिच्छा अिस हृद तक आगे बढ़ जाती है कि भोजन बनानेकी झांझटसे बचनेके लिये भिक्षा माँग लेना, कपड़े पहनने व अन्हें साफ सुधरे रखनेकी आफतके बनिस्वत ल्लोटी पहन लेना या दिगम्बर ही रह लेना, अपने रहनेकी जगहको ज्ञाह-बुद्धारा देकर साफ रखना पड़े अुसकी अपेक्षा किसी ज्ञाह-पेड़के नीचे ही पड़े रहना वे वेदतर समझते हैं ।

अब यदि किसी दूसरी जगह चित्त लगा हुआ हो, किसी योगाम्यास या भजन-भक्तिके मावमें चित्त रंग गया हो, और अुतने समयके लिये मनुष्य निरूपाधिकता चाहे तो यह जुदी बात है। किन्तु वहाँ भी यह विचार तो करना ही पड़ेगा कि अिस निरूपाधिकताकी हृद क्या होनी

चाहिये, और ऐसे रंगमें कहाँ तक रंग जाना चुनित है। परन्तु अभी यहाँ अिसका विचार नहीं करेंगे। यहाँ तो सिर्फ अन्हीं लोगोंकी कल्पनाका विचार किया जायगा, जो यह समझ वैठे हैं कि ऐसी स्थिति ही जीवनका वास्तविक घेय है।

कर्मप्रवृत्ति व ज्ञानमें शंकराचार्यने रात और दिन जैसा विरोध माना है और अपना यह मत प्रदर्शित किया है कि ज्ञानी पुरुषसे कर्मप्रवृत्ति हो ही नहीं सकती।

एक समय था जब कि 'कर्म' शब्दसे कामनार्थ किये जानेवाले यज्ञ-यागादि कर्म ही समझे जाते थे। सम्भव है कि शंकराचार्यने अिसी अर्थमें 'कर्म' या 'प्रवृत्ति' शब्दोंका प्रयोग किया हो। और यदि ऐसा ही हो, तो अनका कथन समझमें आ सकता है। किन्तु अिसके विपरीत अनके भाष्यों तथा कितने ही स्तोत्रोंसे वह भी सूचित होता है कि ज्ञानीको सभी सामाजिक कर्तव्योंसे दूर रहना चाहिये और भिक्षा माँगनेके अुपरान्त हर तरह निष्क्रिय रहना चाहिये। यदि सचमुच अनका यही अुपदेश हो, तो मुझे नम्रतापूर्वक कहना होगा कि वह भ्रमपूर्ण है। खुद अनका जीवन तथा दिविजयके लिये, अपनी दृष्टिके अनुसार हिन्दू-धर्मकी पुनःस्थापनाके लिये, चारों दिशाओंमें मठोंकी स्थापनाके लिये, और अद्वैत वेदान्तके समर्थनके लिये अन्होंने जो कुछ परिभ्रम किया वह सब अिस अुपदेशका विरोधी है। ये प्रवृत्तियाँ यदि अनके द्वारा समत्व भावसे और अनासक्ति पूर्वक हुआई हों, तो नहीं कह सकते कि अुसमें कुछ दुराअदी थी।

यदि 'मुक्ति' सबसे श्रेष्ठ पुरुषार्थका फल हो, तो यह स्पष्ट ही है कि उसे प्राप्त करनेमें अधिकसे अधिक श्रम और अुपाधि होगी ही। जो व्यक्ति श्रम, अुपाधि, जंगाल, झंझटसे पीछा छुड़ाना चाहता हो, वह अुस फलका अधिकारी हो ही नहीं सकता। अत्यन्त आशावान, धीर, और निश्चयी व्यक्ति ही अिस मार्गमें कदम बढ़ा सकता है। जो व्यक्ति निराश हो गया है, और अिसलिये अपनी धीरज खो वैठा है, वह ऐसे निर्णय पर अधिक समय तक ठिक ही नहीं सकता कि 'मैं मुक्त हूँ — स्वतन्त्र हूँ — मेरे स्वरूपभूत तत्व पर सत्ता चलाने वाला दूसरा कोअी तत्व संसारमें है ही नहीं।'

अुपाधि

जीवनका मार्ग सरल नहीं है। प्रत्येक कार्यमें कुछ न कुछ विष
पैदा होते ही रहते हैं। छोटी वही विपर्चियाँ आया ही करती हैं। ऐसे
समयमें वे सब विकार — हर्ष-शोक, काम-क्रोध, आदि — जिन्हें हम
जीतना चाहते हैं, प्रकट हो आते हैं। परन्तु अनुसे घबराकर यह कहना
कि 'अुपाधियोंसे छूटो' गलत है।

कुछ लोगोंको दूसरोंकी लड़ातियाँ मी अपने सिर ले लेनेका शीर्ष
होता है। अिसकी हमेशा जल्दत नहीं है। परन्तु खुद जिस समाजमें
और जिन परिस्थितियोंमें जन्मा है और कुछ समय तक अपनी खुशीसे
रहा है, युस समाजके प्रति अपने कर्तव्यभारको कोओ विचारशील व्यक्ति नहीं
छोड़ सकता। अपने देश, काल, वय, वित्त, जाति, शील, संस्कार, शिक्षण
आदिका विचार करके जिस प्रकारके कर्मोंकी सहज अपेक्षा रखी
जा सकती है, और जिन कर्मोंको टालनेसे अुसके आसपासके समाजको
संकटप्रस्त रहना पढ़ता हो, अनु कर्मोंको, अनुमें आनेवाली अुपाधियोंको,
विन्नोंको, तथा कष्ठोंको वह टाल नहीं सकता। हाँ, वह अनु कर्मोंकी न्याया-
न्यायता और धर्माधर्मता जल्द देखे। अनुकी सिद्धिकी शक्याशक्यताका
ख्याल भी जचर करे। अपनी योग्यताका विचार करे, अन्य कर्तव्योंकी
तुलनामें अुसका स्थान देखे, अुसके अमलमें निःस्वार्थता, प्रामाणिकता,
धुदरता, समाजकी स्वृ फृचि-अवचिसे विलाता या पता और चित्तकी
समतोलता खबने तथा कुशलता दिखानेके लिये जितना हो सकता है प्रयत्न
करे, विकाराधीन न होनेकी सावधानी रखे, असफलताकी दशामें धैर्य
और हिम्मत रखें। ऐसे प्रयत्नोंमें अुसकी श्रेयःसाधना — 'मुमुक्षुता' —
समावी रहती है। कर्मके त्यागसे या लुप्तका आरम्भ ही न ज्ञानेसे सिद्धि
नहीं मिलती।

न कर्मणामनारभात्रैक्ये पुरुषोऽश्रुते ।

न च संन्यष्टनादेव सिद्धि समधिगच्छति ॥ (गीता ३-४) *

* कर्मका आरम्भ ही न करनेसे पुरुषको निर्कर्मता नहीं प्राप्त होती। न
अुसके त्यागसे ही सिद्धि मिलती है।

संन्यास

जिस जमानेमें कर्मकाण्डकी या अुपनयनादि संस्कारोंकी विधियोंको अितना महत्व दिया जाता था कि जो मनुष्य अुनका पालन न करे; वह समाजमें निन्दा या दण्डका पात्र माना जाता था, अुस जमानेमें जो व्यक्ति यह समझता हो कि ये कर्मकाण्ड जीवनके वास्तविक व्येयकी प्राप्तिके लिये निरर्थक या बाधक भी हैं और अिसलिये अुनके पालन करनेमें अुसे श्रद्धा न हो, अुसे समाजसे अल्पा होनेका अुपाय निकालनेकी जरूरत थी। अिससे अुस समाजको, जो कर्मकाण्डके यथाविधि पालनको ही महत्व देता हो, तथा अुस व्यक्तिको भी सुविद्धा होती थी। अिस तरह संन्यासी अपनेको समाजके बाहर रखकर अपना मार्ग सरल कर लेता था और समाजको भी अपने सनातन पथ पर चलनेमें दिक्षित नहीं होती थी। अिस दृष्टिसे कह सकते हैं कि संन्यासमार्ग हमारे देशमें ऐक समय आवश्यक था।

परन्तु आज तो जमाना बदल गया है। आज शिखा-सूत्र धारणका या दूसरे संस्कारोंकी विधियोंका या कर्मकाण्डके पालनका या पंक्ति-भोजनका अितना महत्व नहीं रहा है कि संन्यास लिये वर्गे अुनका त्याग नहीं किया जा सकता। बल्कि आज तो संन्यासकी प्रथा सत्यकी अुपासनाके ऐक महत्वपूर्ण साधनको रोकनेमें कारणीभूत हुअी है। क्योंकि वह ‘अेयार्थीका समाजसे कोअी नाता नहीं’ ऐसे संस्कारको दृष्टि कराती है, तथा अनावश्यक या असत्य भासित होनेवाली रुढ़ियोंको तोड़कर समाजको आधात पहुँचाने तथा समाजका दण्ड सहन करके भी समाजमें रहकर सारे समाजको आगे बढ़ानेका कर्तव्य टालती है।

मनुष्य जिसे सत्य समझता है, अुस मार्ग पर समाजसे अलग रहकर चले, और यह समझावे कि सत्यशोधकको समाजसे दूर रहकर ही सत्यके मार्ग पर चलना चाहिये, तो अिस सत्याचरणसे समाजको कोअी लाभ नहीं हो सकता। जिस प्रकार लोग व्यक्तिगत या खानगी तौर पर

होनेवाले दुराचारकी श्रुपेक्षा करते हैं, असी तरह ऐसे सदाचारकी भी श्रुपेक्षा कर देते हैं — और अपने मार्गपर चलते रहते हैं। अिससे समाजकी पुरातनता तो रक्षित रहती है, परन्तु प्रगति रुक जाती है।

गेहूँओंका पहनना और नाम परिवर्तन करना ये संन्यास प्रहण करनेके बाह्य चिह्न हैं। घोड़श संस्कारोंका तथा होमादिकका त्याग अुसका एक अुद्देश्य है। किन्तु पूर्वोक्त कारणोंसे, अिस अुद्देश्यके लिये वेपान्तर या नामान्तर करनेका कोअभी अुचित या सबल कारण नहीं है। फिर संन्यासकी बदौलत जो जीवन परिवर्तन होता है, तथा आम तौरपर संन्यासीमें चाठियकी विशेष पवित्रताका जो दर्शन वारम्बाव होता है, अुससे अिउ आश्रम तथा अिस वेषके प्रति लोगोंमें आदरभाव बना है और यह आदरका संस्कार अितना बलवान हो गया है कि बहुतेरे श्रेयार्थियोंको अिस काषाय वेषका आकर्षण हुआ करता है।

बुद्धिमें तो लाभग सभी अिस वातको मानते हैं कि ऐसा नहीं कि गेहूँओं वस्त्रमें ही पवित्रताका निवास है, या अुसके बिना ज्ञान अथवा शान्तिकी प्राप्ति असम्भव है या एक सुन्दर भावपूर्ण नाम धारण कर लेनेसे चित्त भी शुद्ध व सुन्दर हो जाता है। काषाय वेष, दण्ड-कमण्डल, व धृष्टवाचक नाम धारण करनेवालोंमें भी पामरता रह सकती है और संसारी लोगोंके नाम रखनेवालोंमें पवित्रताका रहना अशक्य नहीं है। फिर भी बहुत समयके संस्कारसे नाम और वेषने एक प्रकारका ऐसा जादू पैदा कर रखा है कि लाभग प्रत्येक पवित्र शृतिवाले आर्यके मनमें यह भाव आता ही रहता है कि संन्यास लिये बिना जीवन अधृता रह जाता है।

नाम व वेषके प्रति यह आदर आज अप्राप्तिक ही है। लोग अिसकी अनधृत्या करनेके आदी हो गये हैं और अिसका फल यह हुआ है कि अपनी मनुष्यताके कारण जो पूजाके पात्र नहीं हैं ऐसे लोग भी कपड़ा रंगकर पूज्य बन जाते हैं। जो पुरुष वास्तविक पवित्र शृति रखते हैं, अुनके लिये अुसका श्रुपयोग नहीं। और पाखण्डी पुरुषोंके लिये वह एक अनुकूल साधन बन जाता है।

जो सच्चा साधक होता है वह आदर-मानसे दूर भागता है। अपनी योग्यतासे अधिक आदर मिलनेसे खिल होता है। अतअव जब वह देखता है कि अुसका आदर महज अुसके कपड़ेके रंगकी बदीलत ही होता है, तो वह रंग अुसे अप्रिय लगाना चाहिये।

जिन सब कारणोंसे श्रेयकी अिल्डा रखनेवाले पुरुषोंको — खास कर अुन्हें जो कर्ममार्गको ही स्वाभाविक साधनमार्ग समझते हैं — संन्यास ‘धारण करने’का मोह अब छोड़ना चाहिये। गेरुआ पहनकर व नाम बदलकर जीवनपरिवर्तन करनेकी स्थिको कायम रखनेका अब कोभी कारण नहीं रहा। और जिस वातके लिअे अुचित कारण नहीं रहता, अुसे कायम रखनेसे हानि ही होती है।

गलतफहमी न हो अिसलिअे मैं फिर स्पष्ट कर देता हूँ कि संन्यासके मूलमें रही हुओ त्याग, अपरिग्रह, सादगी, अनासक्ति, वैराग्य, ब्रह्मचर्य, क्षमा, शान्ति, नम्रता तथा तप और आत्मज्ञानके लिअे व्याकुलता आदि वृत्तियोंका मैं निषेध नहीं करता हूँ। जिन पर तो मैं जोर देना चाहता हूँ। लेकिन अिसके लिअे संन्यासीके नामवेशकी जस्तर नहीं है।

भिक्षा

बुद्ध, महावीर, शंकराचार्य, स्वामी रामदास, आदिने श्रेयार्थिकि लिये जीवन-निर्वाहके साधनके रूपमें भिक्षावृत्तिको स्वीकार किया है; यही नहीं, बल्कि कभी लोगोंने तो अुसकी खूब महिमा भी गाओ छाए हैं। अपनिषद्में भी अुसके लिये आधार मिलता है।

अुद्यम करके अपनी जीविका न चलाना, बल्कि समाजसे पेट-पूर्तिके लिये माँग लेना और ऐस तरह जो कुछ मिल जाय अुसी पर सन्तोष मान लेनेकी आदत डाल लेना, श्रेयःसाधनका एक अंग माना गया है।

जिस जमानेमें यह प्रथा शुरू हुआ अुसमें कदाचित् अुसकी आवश्यकताके प्रबल कारण रहे होंगे, अथवा यही अपाय अुन्हें दिखाओ दिये होंगे। अुसके वित्तिहासमें जानेकी यहाँ जरूरत नहीं है। किन्तु आजके जमानेमें श्रेयार्थिकि लिये भीख माँगकर जीवन वितानेका विचार अनुचित है। अुसमें अुसका या समाजका कोअी हित नहीं है।

एक साधारण नियमके तौर पर यदि साधक यह विचार करे कि मैं जिस तरह हर छोटी-बड़ी बातमें अपना जीवन विताता हूँ अुसी तरह यदि कोअी व्यक्ति, जो मेरे अितना विचारशील नहीं है, या कोअी आलसी या जङ भनुभ्य, या समाजका एक बड़ा भाग अपना जीवन विताने लगे, तो अुससे अुस व्यक्ति या समाजका हित होगा या अहित, — तो यह समझनेमें जरा भी देर न लगेगी कि भिक्षावृत्ति बर्तमान युगमें त्याज्य ही है।

प्रत्येक देशमें बालकों, स्त्री-वर्गका कुछ भाग, घृदों और अपंगोंका पालन-पोषण दूसरोंको करना ही पड़ता है। फिर कितने ही लोग ऐसे होते हैं, जो दूसरोंको चूसकर वाजिवसे अधिक पोषण अपने लिये प्राप्त कर लेते हैं। पहली बात तो लाजिमी है, किन्तु दूसरी अनिवार्य न होने पर भी ऐसी है जो आसानीसे दूर नहीं की जा सकती। ऐसी स्थितिमें अनुलोगों पर, जो अुद्यम कर सकते हैं, यह कर्तव्य आ पड़ता है कि वे

अितनी कमाओ और जबतक दूसरे (शोषक) वर्गके अन्यायको दूर न किया जा सके तबतक अनुके शोषणके बाबजूद अपना गुजर हो सके। अिसके अलावा अन्हें राष्ट्रके निर्वाहकी तथा सामाजिक कार्योंको चलानेकी भी जिम्मेदारी अठानी पड़ती है। अिस कारण ऐक ऐसे वर्गका निर्वाह अिनके अन्यमें द्वारा होता है, जो सीधे तौर पर अत्पादक श्रम नहीं करता।

अिनके अतिरिक्त हमारे देशमें ब्राह्मण, भाट-चारण, आदि जातियोंका भिक्षा ही ऐक सम्मानयुक्त पेशा हो गया है। साधु-सन्न्यासी भी अन्यमें धर्मप्रष्टता समझते हैं; यद्यपि अिसके फलस्वरूप जो सुविधायें अन्हें मिलती हैं, अन्हें ग्रहण करना अधर्म नहीं समझा जाता।

वर्तमान कालमें अिन भावनाओंको पुष्ट करना निश्चित रूपसे अधर्म है। फिर यह भी देखनेमें नहीं आता कि जो व्यक्ति भिक्षा पर अवलभित रहता है, वह सर्वथा अपरिग्रही ही रहता है। शंकराचार्यने तो कहा है कि — “कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः”,^{*} परन्तु हम देखते यह हैं कि कौपीन धारी भी असी अर्थमें भाग्यशाली बननेका प्रयत्न करते हैं, जिस अर्थमें आमलोग अपनेको भाग्यशाली समझते हैं।

पिछले प्रकरणोंमें अवतक जो कुछ विवेचन किया गया है, समाजके प्रति व्यक्तिका जो कुछ प्रृष्ठण सम्बन्ध पहले बताया गया है, अुससे यह अितना स्पष्ट है कि मुझे यहाँ विस्तारसे लिखनेकी कोअी आवश्यकता नहीं है। जो अपना अम्बुदय चाहते हैं, अनुके लिये भिक्षाका आश्रय लेना मैं पाप समझता हूँ।

अिसका अर्थ कोअी यह न लगावे कि श्रेयार्थी केवल अत्पादक श्रम ही किया करे, या खुब कमानेमें ही मशगूल रहे, या ऐक बार ज्योंत्यों करके खुब धन-दीलत जमा कर ले और फिर जिसे वह श्रेयःसाधन समझता हो असमें जुट जाय, या वह किसी मिश्रसे कभी सहायता न ले।

यदि वह केवल अत्पादक श्रम ही करे, तो अिसमें कोअी बुराअी नहीं। परन्तु यदि वह ऐसा न कर सके, तो भी वह समाज-जीवनके चारण-पोषण या सत्त्व संशुद्धिके लिये आवश्यक किसी भी कार्यको न्याय

* कौपीन (लंगोटी) धारी ही सच्चे भाग्यवान् है।

भिक्षा

रीतिसे करते हुअे युसके द्वारा अपने लिअे न्याय्य आजीविका प्राप्त कर सकता है। हाँ, उद्यम करते हुअे भी न्यायसे अधिक युसका बदला न प्राप्त करना, जानबूझकर गरीब रहना अवश्य युसके लिअे श्रेयःसाधक है।

यदि कोअी यह सोचने लगे कि मैं दिनभर काम करके महीनेमें एक हजार रुपया काम लेता हूँ, और मेरे लिअे १००) वस हैं तो मैं १ घण्टा काम करके १००) ले लैंगा और शेष समय अपनी किसी साधनामें लगाऊँगा, तो यह निश्चयपूर्वक गरीबी तो है, किन्तु न्यायोचित नहीं है। क्योंकि १ घण्टा काम करके १००) प्राप्त करनेकी जो अनुकूलता है, वह न्याय परिस्थितिका परिणाम नहीं है।

परन्तु सारा दिन काम करते हुअे भी सौ ही रुपये लेनेकी सीमा (स्टैण्डर्ड) रहना अपेक्षाकृत न्यायोचित बदला और संकल्पपूर्वक स्वीकृत गरीबी है। जीवनके लिअे ऐसी एक सीमा (स्टैण्डर्ड) बनाना खुद ही एक प्रकारका श्रेयःसाधन है।

कभी ऐसी परिस्थिति भी आ सकती है कि मनुष्यको किसी शुभ व हितकर हेतुकी सिद्धिके लिअे अपना जीवन इस तरह रखना पड़े कि वह अपनी गुजर भी न कर सके। ऐसे समयमें निजी मित्रोंकी सहायता लेना ही एक सम्य मार्ग हो सकता है। किन्तु ऐसी सहायता भी खुतने ही समय तक ली जा सकती है, जबतक युस अद्देश्यकी सिद्धिके लिअे वह आवश्यक हो। अिस प्रकार ही जीवन विताना जीवनका नियम नहीं बना सकते। क्योंकि दूसरों पर अवलम्बित रहना साधनका अंग नहीं है, वल्कि हेतु-सिद्धिके लिअे अत्यन्त ओक विशेष परिस्थिति मात्र है।

भिक्षाके पक्षमें ये दलीलें पेश की जाती हैं कि भीख माँगनेसे या दूसरोंकी धर्म-भावना पर जीवनका अवलम्बन रहनेसे साधकमें नम्रता रहती है, समाजके प्रति आदरभाव रहता है, आदि। परन्तु अन्यमें आत्म-प्रतारणा है। नम्रता या समाजके प्रति आदर तो भिक्षाद्वार्तिके विना भी विवेकी पुरुषमें आ सकता है; और भिक्षुओंमें ये गुण अवश्य ही पाये जाते हैं, ऐसा देखनेमें नहीं आता। वल्कि अिससे बहुत अनर्थ हुआ है, निरभिमानताके नाम पर अघमता, क्षुद्रता, कृपणता आदि दोषोंका पोषण हुआ है। अतः श्रेयार्थके लिअे यह त्याज्य ही है।

अपरिग्रह

कुत्ता रोटी, हड्डियाँ आदि भविष्यके अुपयोगके लिये रख छोड़ता है। दूसरे कोभी वडे प्राणी, टोलियाँ बना कर रहते हैं तो भी, किसी किसमका परिग्रह करते हुए दिखाओ नहीं देते। चीटी, दीमक और मधुमक्खियाँ भोजन-सामग्रीका संग्रह खबूल करती हैं। दूसरे सूक्ष्म जीव ऐसा परिग्रह करते हुए जान नहीं पढ़ते। परन्तु मनुष्य विविध प्रकारका व अधिकसे अधिक संग्रह करनेवाला प्राणी है।

संसारके अनुभवी व इद पुरुष कहते हैं कि जीवधारियों पर बुझापा, रोग, दुर्भिक्ष, अकाल, मृत्यु आदि आपत्तियाँ अेकाअेक आ जाती हैं। ऐसे समय मनुष्यके लिये निवाहिके साधन प्राप्त करना कठिन होता है। पहलेसे ही अिन आपत्तियोंका विचार करके जो घन-धान्यादिका संग्रह कर रखते हैं वे तथा अनेके परिवारके लोग दुःखके दिन काट सकते हैं, किन्तु जो ऐसी दीर्घ दृष्टिका परिचय नहीं देते वे बहुत दुःख पाते हैं और कभी कभी तो समूल नाशको भी प्राप्त हो जाते हैं। फिर परिग्रही चीटियों, दीमक व मधुमक्खियोंके निवासोंमें जितनी प्रजावृद्धि दिखाओ देती है और कायम रहती है, उतनी किसी भी दूसरे जीव-जन्तु या प्राणीमें न तो दिखाओ देती है और न ठिकती है। अिन्हीं जन्तुओंकी वस्ती बारह मास रहती है। मनुष्योंके सम्बन्धमें भी ऐसा ही अनुभव है। अिसीलिये व्यास व विदुर जैसे ज्ञानियोंने भी घर्सपूर्वक अर्थ-संग्रह करनेका अुपदेश दिया है। वे कहते हैं कि बुद्धिमान् मनुष्यको दिनमें अिस तरह रहना चाहिये कि जिसमें रातको निश्चिन्त होकर सो सके; चौमासेमें अिस तरह रहना चाहिये कि जिससे आठ महीने सुखसे खा-पी सके; जवानीमें अिस तरह रहना चाहिये कि जिससे बुझापेमें व्याराम पा सके। संक्षेपमें भविष्यकालकी चिन्ता रखनेकी सलाह अन्दोंने दी है। अिसके विपरीत सन्तोंने अपरिग्रहका अुपदेश किया है। पंच महावतोंमें अिसकी गणना है।

“ अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम ।
दास मलूका यों कहे, सबके दाता राम ॥ ”

ऐसे अुद्गार सभी देशोंके सन्तोंकी वाणीमें मिलेंगे । बुद्ध, महावीर, अीसा और मुहम्मद चारों धर्म-प्रवर्तकोंने अपरिग्रह पर जोर दिया है । ब्रह्मचर्यके साथ अपरिग्रहतके तीव्र पालनके कारण ही किसी नव प्रचलित पन्थके साधु जन-साधारणके आदरपात्र हो जाते हैं, और पुराने पंथोंमें परिग्रह वष्ट जानेसे ही मलिनता और निर्वार्यता धूसी हुआई तथा अुनकी प्रतिष्ठा घटी हुआई मालूम पड़ती है ।

अिस तरह ओरसे सन्तोंने अपरिग्रहकी महिमा गायी है और अुसपर चलनेका प्रबल प्रयत्न किया है, तो दूसरी ओरसे संसारके अनुभवी लोग समझते हैं कि परिग्रह वृत्तिमें बुद्धिमानी है ।

फिर यह नहीं देखा जाता है कि किसी भी पन्थमें अपरिग्रही रहनेका कठोर आग्रह अधिक समय तक कायम रहा हो । दिगम्बर साधुओंकी जमातें, यह मत रखते हुए भी कि बदन पर लँगोटी तक न रखना चाहिये, दूसरा अपार परिग्रह रखती हुआई दिखाओ देती हैं । अिस तरह परिग्रहकी वासना अथवा अुसकी अुपयोगिताके प्रति श्रद्धा मनुष्य स्वभावमें अितनी गहरी जड़ डाल चुकी है कि कोअी भी मनुष्य आगेपीछे अुसके प्रयत्नमें फँसे बिना रह नहीं सकता ।

अिस कारण यह सबाल पैदा होता है कि अपरिग्रहका सिद्धान्त सच्चा है या परिग्रहका । अिस सम्बन्धमें मेरी राय अिस प्रकार है :

पहले तो परिग्रह और स्वामित्वके बीच भेद समझ लेना अुचित है । किसी चीजको जुटाना व अुसे सम्भालकर रखना और जब जिसे अुसकी जरूरत हो तब अुसे अुसका अुपभोग करने देना — यह परिग्रह है; किन्तु अिसके साथ मुमकिन है कि निजी स्वामित्वका दावा न हो ।

परन्तु मनुष्य आम तौर पर सिफ़ अिसी दृष्टिसे परिग्रह नहीं करता । किसी वस्तुका संग्रह वह महज अुसे संभाल रखनेके लिये ही नहीं करता, बल्कि अुस पर वह अपने स्वामित्वका भी दावा करता है । अर्थात् वह खुद ही भविष्यमें अुसका अुपभोग करना चाहता है या अपने ही लोगोंको करने देना चाहता है । अिसके अलावा यदि दूसरे कोभी लोग विपत्तिमें

पढ़े हों और अुस समय वे अुसका व्युपयोग करना चाहें, तो भी वह सुन्हें रोकनेका भरसक प्रयत्न करता है। यह स्वामित्व चाहे किसी व्यक्तिका हो, कुटुम्बका हो या किसी संस्था अथवा वर्गका हो, जिन सबमें पदार्थके केवल संग्रह और रक्षणका भाव नहीं है बल्कि स्वामित्वका भी भाव या दावा है। दूसरे शब्दोंमें आप-पर भाव है, पक्षापक्ष है और विषम दृष्टि है। और जिस अंश तक यह सब है, अुस अंश तक अुसमें अीश्वरके प्रति अश्रद्धा भी है।

जिस प्रकार एक मालिकाना इक रखनेका नतीजा यह होता है कि 'धनाढ्यके यहाँ तो आवश्यक चीजें भरी रहती हैं, पढ़ी पड़ी सड़ा करती हैं, किन्तु अुन्हींके अभावमें दूसरे करोड़ों लोग बेहाल रहते हैं, भूख और जाड़ेमें मरते हैं . . . करोड़पति अरबपति बनना चाहता है, तो भी अुसे सन्तोष नहीं होता। अधर कंगाल करोड़पति होना चाहता है; कंगालको पेटपुरता ही मिलनेसे सन्तोष होता दिखाअी नहीं देता। . . .'*

अिसके बाद, जैसा कि हमने स्वामित्व व परिग्रह-सम्बन्धी भेदको देखा, वैसे ही हमें परिग्रहके प्रकार-भेदको भी समझ लेना चाहिये।

खानेपीनेके पदार्थ, अधिन, स्याही, पेन्सिल, साबुन, दन्तमंजन, आदिका संग्रह एक प्रकारका है। ये पदार्थ ऐसे हैं कि यों ये भले ही बहुत दिनों तक रखे रह सकें, किन्तु जिस दिन भिन्हें अिस्तेमाल करेंगे अुसी दिन अिनका कुछ भाग सदाके लिये कम हो जाता है। एक रोटी एक ही बार खाअी जा सकती है, एक साबुनकी टिकिया एक बार घिस गयी, सो घिस ही गयी। ये सब चीजें एक ही बारमें खत्म हो जानेवाली हैं। यह संग्रहणीय पदार्थोंका एक प्रकार हुआ।

घर, साज-सामान, कपड़ा-लत्ता, बरतन-भौंडे, हल-चरखा आदि औजार, गहने, पुस्तकें आदि वस्तुयें ऐसी हैं जो अिस्तेमाल करनेसे घिसती तो जल्द हैं, परन्तु वह घसारा धीमा होता है और सारे पदार्थ पर फैला हुआ होता है। अिससे ये चीजें लगभग समूची ही एक साथ काम आती हैं, व एक ही साथ घिसी भी जाती है। अतः वे एक ही

* गांधीजीके 'मंगल प्रभात'के अपरिग्रह नामक प्रकरणसे।

वार नहीं, बल्कि वष्टों तक काम आती रहती हैं। इम चाहे परिग्रहके सिद्धान्तको मानते हों, चाहे अपरिग्रहका वत धारण किये हों, यदि ऐसे पदार्थोंके विषयमें हमारी आदतें निश्चित हो गई हों, तो उनके सम्बन्धमें हमारी नीति एक ही रहती है; और वह यह कि ये पदार्थ जिस तरह ज्यादा समय तक अच्छी हालतमें रखे जा सकें वैसे रखकर सावधानीसे अुसका अुपयोग करना। धरोंमें और संस्थाओंमें भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो चीज वे अिस्तेमालके लिये लेते हैं, अुसे फिर सँभालकर अुसकी जगह नहीं रखते। अिस आदतको हम अच्छी नहीं समझते, बल्कि लापरवाही कहते हैं। सब बड़े-बड़े अुन्हें ऐसी आदतेकि लिये दोका करते हैं। बड़े बड़े सन्त भी, जो अपरिग्रह वतका पालन बड़ी कठोरतासे करते हैं, अिस आदतको बुरी ही कहते हैं। अिस्लाममें कहीं पश्चा है कि हजरत मुहम्मदने अिस बात पर बहा जोर दिया है कि चीजोंका अुपयोग हाथ रोककर ही करना चाहिये। दूसरी तरफसे अपरिग्रह वतका आदर्श अिस्लाममें जिस तरह बर्णित है, अुस तरह दूसरे धर्मोंमें शायद ही हो। अिस विषयका अधिक विचार आगे किया जायगा।

अब तीसरे प्रकारके संग्रहका विचार करें। सोना, चौंदी आदि धातुओं तथा हीरा, माणिक आदिका संग्रह तीसरे प्रकारका परिग्रह है। वर्षों तक पड़े रहकर भी ये पदार्थ बहुत कम काममें लाये जाते हैं। गहने, बरतन या औजारोंके रूपमें ही ये काममें आ सकते हैं। किन्तु ये चीजें पड़े पड़े विगड़ती नहीं। अिससे जहाँ मालिकाना एक मान लिया जाता है, वहाँ ये भी मूल्यवान् हो जाती है। फर्ज कीजिये कि मेरे पास १० मन अनाज है। मैं समझता हूँ कि शायद मुझे अुसकी जहरत न पड़े। अिसे मैं अपनी निजी सम्पत्ति समझता हूँ। आपको अिस गल्लेकी जहरत है। लेकिन आपके पास सोना-चौंदीका संग्रह है। अुसे आप भी अपनी निजी चीज समझते हैं। मेरा संग्रह आपके संग्रहकी अपेक्षा अधिक नाशवान् है। यदि मैं अपने गल्लेको न निकाल डालूँ, तो अुसके खराब हो जानेका अन्देशा है। अब यदि स्वामित्वका खयाल मेरे मनमें न हो, तो मैं आपसे कहूँगा कि मेरा यह अनाज खराब हो जायगा। फिर या तो मुझे वह जलाना पड़ेगा, या फँकना

या गाढ़ना पड़ेगा। अतअेव यदि आप अिसे ले जावें, तो मुझ पर बड़ी मेहरबानी होगी। परन्तु चूँकि मुझमें स्वामित्वका भाव है, मैं ऐसा नहीं करता। बल्कि मैं कहता हूँ कि यह अनाज मेरा है, कोअी अिसे हूँ नहीं सकता। अगर मैं अिसकी सँभाल नहीं कर सका, तो मैं अिसे जला डालूँगा, या जमीनमें गाढ़ दूँगा। यदि आपको अिसकी जरूरत है तो आप अपना सोना-चाँदी अिसके बदलेमें दीजिये तो मैं सोचूँगा। क्योंकि आप खुद भी ऐसे ही मालिकाना इकको मानते हैं, अिससे मेरी अिस बातमें आपको कोअी अनौचित्य नहीं दिखाई देता।

अिस तरह यह स्थिति संसार-व्यवहारका नियम बन गयी है। यदि स्वामित्वका अधिकार और अुससे अुत्पन्न देन-लेनका व्यवहार न हो, लेकिन सिर्फ परिग्रह या संग्रहकी ही भावना हो तो मनुष्य घर, अनाज, कपड़े, बरतन आदिको सँभालकर रखें, ऐहतियातसे काममें ले और जो ज्यादा हो अुसे विगड़ने न दें। फिर भी सोना-चाँदी या सिक्के या पाटोंसे भण्डार नहीं भरेंगे। देन-लेनके व्यवहारके बिना अिन चीजोंकी खपत बहुत कम — गहने, बरतन या औजारोंके लिये — ही होती है। और गहने आदि चाहे कितने ही बनाये जायें, पर अुनकी एक सीमा तो होगी ही।

अिस प्रकार परिग्रहमें दो भाव मिले हुओ हैं; भविष्यकी आवश्यकताके लिये संग्रह और हिफाजत, तथा स्वामित्वका इक। श्रेयार्थीकी दृष्टिसे अिन दोनोंमें भेद रहता है।

अब एक और दृष्टिसे भी हमें परिग्रहका विचार करनेकी आवश्यकता है।

अूपर जो परिग्रहके प्रकार बताये हैं, वे योड़े या ज्यादा समयमें नहीं हो जानेवाली किन्तु बाष्प सम्पत्तिके ही हैं। वह सम्पत्ति ऐसी है कि परिग्रही स्वयं अुसका श्रुपभोग न कर सके, तो दूसरे कर सकते हैं। परिग्रही यदि मर जाय तो अुससे परिग्रहका नाश नहीं हो जाता।

किन्तु अिस बाष्प सम्पत्तिके अलावा मनुष्यके पास दूसरी स्वाधीन सम्पत्ति भी होती है; और वह भी अुसके निर्वाह-साधनमें अुतनी ही सहायक होती है, जितनी कि बाष्प सम्पत्ति। यह है अुसका शारीरिक बल, बुद्धि, विद्या, चारिय आदि। ऐसी कोअी भी विशेषता जिसके

पास होती है, असे अस अंश तक वास्थ सम्पत्तिके संग्रहका महत्व कम मालूम होता है और यह विश्वास तथा निश्चिन्तता रहती है कि मेरा निर्वाह किसी तरह हो ही जायगा। एक तरहसे यह सम्पत्ति सोना-चाँदीके संग्रह जैसी है, क्योंकि यह खाद्य वस्तु नहीं है परन्तु असके द्वारा खाद्य वस्तु मिल सकती है। दूसरी हाइसे असका महत्व सोने चाँदीके भण्डारोंसे भी बहुत ज्यादा है; क्योंकि यह बाहरी वस्तु नहीं है, न चोरी जा सकती है, न अपभोगसे कम ही होती है। तीसरी बात यह कि यह खुद अपने ही काममें आ सकती है, वारिसोंको या दूसरोंको दी नहीं जा सकती।

यिन सबमें भी चरित्र-धन सबसे अधिक मूल्यवान् सम्पत्ति है। क्योंकि शरीरबल वृद्धावस्था और रोगसे नष्ट हो जाता है, बुद्धिको भी वीमारी लग सकती है, विद्याओंके भूल जाने अथवा जमाना बदलते निष्पत्योगी हो जानेकी सम्भावना रहती है; परन्तु चरित्र यिन समत्त आपत्तियोंसे परे है।

अब हम फिर शुन सन्त वचनोंका विचार करें, जिन्होंने अपरिग्रहकी महिमा गायी है।

परिग्रहका निषेध करनेमें और अस पर प्रहार या कटाक्ष करनेमें सत्पुरुषोंकी भूमिका ऐक-सी नहीं दिखाई देती। कहीं अन्होंने परिग्रहके नाम पर सिर्फ स्वामित्वकी भावनाका दी निषेध करना चाहा है। कभी कभी अतिरिक्त अथवा अमर्याद परिग्रहका निषेध किया है।* कहीं कहीं निर्वाहके लिये किये जानेवाले श्रमका भी निषेध किया गया है और कहीं तो दिग्मधर दशाका आदर्श अपस्थित किया गया है।

* शुद्धारण : पूर्वोक्त गांधीजीके लेखमें ही अस शुद्धरणके बाद गांधीजी लिखते हैं—‘कंगालको पेटभर हासिल करनेका अविकार है और समाजका धर्म है कि असे अतना हासिल करा दे। अतः असके और अपने सन्तोषके लिये धनवानको खुद अपने पहल करनी चाहिये। वह यदि अपने ‘अत्यन्त’ परिग्रहको छोड़ दे, तो कंगालकी सहज ही अपने पेटके लिये आवश्यक मिल जाय।’ (‘अत्यन्त’की अवतरण चिङ्गोंमें मैंने रखा है—छेदक) यहाँ परिग्रहमें कुछ अंश तक स्वानित्वकी भावनाका विरोध है और कुछ अंश तक संग्रहकी अतिशयता पर प्रहार है।

हमें चाहिये कि हम अपने सब वचनोंका महत्व और साना न समझें।

अपरिग्रहके मूलमें यह दृढ़ श्रद्धा रहती है कि परमेश्वर सब प्राणियोंका पालक और पोषक है — ‘जब दाँत न थे तब दूध दियो, अब दाँत दिये कहा अब न दै है।’ फिर अब भी वह जितना ही नहीं देगा कि केवल प्राण शरीरमें ठिक रहें, बल्कि सब वास्तविक जल्दियात पूरी कर देगा।

गरीब और अमीरका भेद देखकर आम तौरपर हम ऐसी शिकायत करते हैं कि समाजमें न्याय-नीति नहीं है। किन्तु अपरिग्रही साधु अस विषयमें दो प्रकारके विचार प्रदर्शित करते हैं : कुछ तो कहते हैं —

‘राम झरोखे बैठ कर, सबका मुजरा लेत ।

जितनी जाकी चाकरी, अुतना बाको देत ॥’

अर्थात् प्रत्येकको अुसकी पात्रताके हिसावसे देता है। फिर कभी बार वे यह भी कहते हैं कि परमेश्वर ‘चीरीको कन व हाथीको मन’ देता है। अर्थात् प्रत्येकको अुसकी आवश्यकताके अनुसार देता है। सारांश यह कि किसीको ज्यादा व किसीको कम मिलता है अुसका कारण परमेश्वरका अन्याय नहीं, बल्कि अुसकी दृष्टिमें अुत्त व्यक्तियोंकी पात्रता या आवश्यकता जितनी ही है। अधिक अुखाइ-पछाड़ करनेवाला वैसा करके भी अधिक प्राप्त नहीं कर सकता। असके विपरीत ऐसा भी अनुभव होता है कि जो त्यागका प्रयत्न करते हैं, अन्हें कभी त्यार अपनी अच्छासे अधिक स्वीकारना व भोगना पड़ता है। असका अर्थ यह हुआ कि परमेश्वरकी दृष्टिमें किसीकी पात्रता या आवश्यकता अधिक हो, तो वह अुसे जघरदस्ती भी अधिक अुपभोगकी दामग्री प्रदान करता है।

कुछ लोगोंको ये बातें अबुद्धिकी लगेंगी। पर बात यह है कि आम तौर पर लोगोंको यह अन्देशा रहता है कि यदि हम समय पर सम्पत्तिका संग्रह न कर लेंगे, तो कठिनाईमें पड़ जाएंगे। और असलिये वे अुसे बष्टानेकी चिन्ता करते रहते हैं। परन्तु कभी मनुष्य अपना यह अनुभव बताते हैं कि अन्हें परिव्रह-त्यागसे जीवनमें कभी कोई कठिनाई नहीं हुआ; जंगल भी अुनके लिये मंगल बन गया है; अनकी

जल्दियांत अकल्पित स्फरमें पूरी हो गयी है; और केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि प्राणी और जड़ सुष्ठि भी अनुकूल हो गयी है, मानो अनुकूली सेवा ही करना चाहती हो। अतः अनुकूल यह विश्वास हो गया है कि जो लोग चिन्ता करते हैं और आशंकामें घृते हैं, वे अधिकारके प्रति अपनी अश्रद्धाके कारण ही दुःख पाते हैं। जो लोग परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, अनुकूली चिन्ता वह खुद ही रखता है। किन्तु जो अपनी दीर्घदृष्टि, मितव्यवर्ता, होशियारी, मेहमत आदि पर विश्वास रखते हैं, अनुकूल भी देता तो वही है, परन्तु अनुकूली द्वारा कल्पित तरीकेसे देता है। अससे अनुहृत यह मालूम नहीं पढ़ता कि हमें भी परमेश्वर ही देता है। बल्कि यह भास छोता है कि हमें यह अपने पुरुषार्थसे मिला है।

चैकि सन्तोंको परमेश्वरके असे विश्वभरत्वके विषयमें यारग्यार अनुभव हुआ है, अनुकूले मनमें व्यवहारी मनुष्यकी परिग्रह सम्बन्धी निन्ताओंके प्रति अनादर रहता है। असके विपरीत व्यवहारी मनुष्योंको कठिनाभियों और दुःखोंका वार वार अनुभव होता रहता है, और वे देखते हैं कि जिन लोगोंने ऐसे अवसरोंके लिये परिग्रह रख छोड़ा है वे मनमें घृते हैं। अतः भक्तोंकी ऐसी वाणीमें अनुहृत केवल भावुकता मालूम होती है। असके अलावा, कभी वार वे यह भी देखते हैं कि वदुतसे साधु अपने तनका बाल्स्य ढाँकनेके लिये ही ऐसी वातें कहा जाते हैं: वर्योंकि वे अपनी जहरियातके लिये परिग्रही व्यक्तियोंको तंग किया करते हैं और अनुकूली अदारता पर ही अपनी जिन्दगी बदर करते हैं। अससे उन्तोंके ऐसे वचनों पर अनुकूली शद्वा जमने नहीं पाती।

परन्तु सच वात तो यह है कि सन्तोंके पास दो प्रकारकी सम्पत्तियां होती हैं। अनुकूली खुद अनुहृत भी पूरी जानकारी नहीं होती, न परिग्रहवालोंको ही होती है। किर भी दोनोंको अनुकूली थोड़ी-बहुत कल्पना व कीमत भी होती है। ये दो सम्पत्तियाँ हैं — चारित्र्य व संवल्प-वल! मनुष्य खुद चरित्र-वान हो या न हो, परन्तु चारित्र्यके प्रति थोड़ा यहुत आदर व पूज्यभाव लाभग सब लोगोंके मनमें होता है। अतः जब किसी सन्तमें वे सचमुच चरित्र-घन देखते हैं, तब अनुकूले मनमें अुसकी सेवा करनेकी प्रेरणा अठती है। सन्तको तो अपने चरित्रका अभिमान है नहीं, अतः वह यह नहीं

मानता कि यह जो मान, पूजा, सुविधायें अुसे मिलती हैं, वें अुसके चरित्रके कारण हैं, बल्कि यह मानता है कि यह सब परमात्माकी दयासे मिल रहा है ।

अिस चरित्र-धनको जुटानेमें सन्तोंके पूर्व जन्मका व्यवहार भी अपना महत्व रखता है । या तो अुनका पूर्व जीवन समृद्धिमें वीता होगा और अुसे त्याग करके अुन्होंने गरीबी अखत्यार की होगी, अथवा जब वे भी परिश्रम करके अपनी जीविका चलाते थे तब अतिशय प्रामाणिकता, अुच्छोगशीलता और सन्तोष अुनके जीवनके स्पष्ट लक्षण रहे होंगे । फिर जब अुन्होंने स्वयं परिश्रम करके निर्वाह करनेका मार्ग छोड़ा तब आलस्यके कारण नहीं, बल्कि किसी विशेष अुदात्त अुद्देशके लिये छोड़ा होगा । यह चरित्र-धन तथा अपने अुच्च अुद्देशको सिद्ध करनेका तीव्र संकल्प जीवनकी आवश्यकताओंकी प्राप्तिमें बहुत कारणीभूत होते हैं । क्योंकि, आखिर जीवनकी समस्त प्राप्तियोंका मूल कारण तो आत्मा की सत्य-संकल्पता ही है । अतअेव वहाँ कहीं तीव्र संकल्प है, वहाँ अुसे सिद्ध करनेके लिये आवश्यक सामग्री निर्माण करनेकी शक्ति भी मौजूद ही रहती है । अिस तरह अपरिग्रही साधुको जो अकलित रूपसे अपनी जरूरियातें पूरी होनेका अनुभव होता है, अुसका कारण यह है कि किसी अुदात्त हेतुको सिद्ध करनेका संकल्प वह करता है और अुसके लिये अिन जरूरियातोंका पूरा होना लाजिमी हो जाता है ।

अिस प्रकार साधु पुरुषोंको वास्तु परिग्रहकी या निर्वाहके लिये मेहनत करनेकी आवश्यकता नहीं दिखाआई देती और अपने अनुभवके बल पर वे दृढ़तापूर्वक कहते हैं कि जिसकी जो जरूरत होगी, वह अुसे अवश्य मिल जायगी ।

तात्पर्य यह है कि संसारी और साधु दोनोंके अनुभवोंमें सत्यांश है । संसारियोंको संग्रहके अभावमें जो विपत्तियोंका अनुभव होता है, वह निर्विवाद है; परन्तु अिससे वे संग्रहका महत्व जरूरतसे ज्यादा समझ बैठते हैं । अिघर सन्तोंको यह स्पष्ट अनुभव होता है कि वे जो चाहते हैं सो अुन्हें जरूर मिल जाता है । अिससे वे परिग्रहकी ही नहीं, बल्कि अमकी भी कीमत कुछ नहीं समझते और अिस वातको भूल जाते हैं कि अुनकी जरूरियात

पूरी करनेके लिअे किसी न किसीको परिग्रह और श्रमकी चिन्ता करनी ही पही है।

अधिक सत्यपूर्ण विचार अब दोनोंके बीचमें है, यानी—

१. परिग्रह और मालिकाना हकमें भेद करनेकी जरूरत है, और श्रेयार्थी पहले तों जितना हो सके स्वामिलका भाव घटावे, अर्थात् जिसको आवश्यकता हो असे अपने परिग्रहका अुपभोग करनेकी अधिक छूट दे। हाँ, आजकी परिस्थितिमें अिस विचारकी कार्य रूपमें परिणति अेक सीमामें ही हो सकती है, परन्तु अिस दिशामें प्रयाण होनेकी आवश्यकता जरूर है।

२. परिग्रह और श्रमका भी भेद समझना जरूरी है। कोभी व्यक्ति अपरिग्रहका आदर्श रखे तो हो सकता है कि असमें न तो कोभी दुराखी हो और न समाजको ही कोभी हानि पहुँचे; परन्तु यदि कोभी व्यक्ति ऐसा विचार रखे और असका प्रचार करे कि 'अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम', तो अिससे समाजको अवश्य हानि पहुँचेगी और पाखण्ड तथा आलस्यकी वृद्धि होगी। अिसके विपरीत यह सिद्धान्त कि सिर्फ आजकी ही रोटी कमा लो (अर्थात् मेहनत करके प्राप्त करो) भ्रमपोषक किन्तु अपरिग्रहका है और श्रेयःसाधक भी है।

३. फिर परिग्रह और हिफाजतके भेदको भी समझ लेना चाहिये। जो चीज अिस्तेमालसे आज ही विष या विगड़ नहीं जाती असे जतनसे रखना परिग्रह तो है, परन्तु यह अेक सद्गुण है और आवश्यक है। ऐसा न करना देशमें शामिल है। किन्तु केवल संग्राहक दुदिसे ऐसी चीजोंका जत्या बढ़ाते ही जाना अतिरेक है। ऐसा ही समझना चाहिये कि सन्तोंने जो परिग्रह पर प्रहार किया है, वह वैसे अतिरेक पर है।

४. यह समझ लेनेकी आवश्यकता है कि अपरिग्रह तथा परिग्रह दोनों सिद्धान्त अुद्धाअपनके लिलाफ हैं। जिस चीजेके अुपभोगकी आज जरूरत नहीं है असका भी परिग्रह न रखनेकी उपरिके खर्च कर ढालना अपरिग्रह नहीं, वल्कि पदार्थों पर अत्याचार है अथवा स्वेच्छाचारिता है। अिसी तरह अपने अुपभोगके लिअे सुषिके समस्त रस-कसको अधिकसे अधिक खींच लेनेकी वृत्ति रखना मनुष्यका प्रकृति पर अत्याचार

है। अपरिग्रहके स्थापित सम्बन्ध अर्थका विचार करें तो मालूम होगा कि साहूकारोंकी अधिकारियों पर या निजी तिजोरियों पर विश्वास रखनेके बदले अधिकारियों पर विश्वास रखना अपरिग्रहका आचरण है। परन्तु जिस प्रकार मनुष्यके स्थापित वैकमेंसे जितना रूपया रोज व रोज जितना फिर जमा करनेकी चिन्ता न की जाय, तो फिर एक दिन अपना खाता बहाँसे कुठ ही जाता है, असी तरह अिस प्राकृतिक वैकमेंसे रोज व रोज जितना हम खींचते हैं जुतना ही हमें जगत्की भिन्न भिन्न त्वयमें सेवा व धर्मके द्वारा फिर प्रकृतिको लौटा देना चाहिये। जो ऐसा नहीं करता है युसका विश्वास 'अपरिग्रह' के या 'अधीश्वर सबका पालन-पोषण करता है' अिस सिद्धान्त पर नहीं बैठ सकता। अतः कुदरतका मितव्यवसे उपयोग करना परिग्रही या अपरिग्रही दोनोंके लिये उमानस्तपसे आवश्यक नियम है। अिससे यह भी समझमें आवेगा कि कुछ साधुओंके अपने हाथमें आई मनुष्योपयोगी चीजोंको चाहे जहाँ फेंक देने, या हर किसीको देकर युसको वरवाद करने, या उसे छुटाकर अपनी बन-सम्बन्धी दुपेक्षा बतानेमें प्रायः अविवेक ही होता है। किसी भी वस्तुका त्याग अुचित रीतिसे और अुचित मात्रामें ही करना चाहिये।

५. चरित्र और शुदात्त संकल्प भी एक प्रकारका धन ही है। अतअवैष्ट हमें यह समझना चाहिये कि केवल वाह्य सामग्री अकेत्र करनेके लिये किये गये अमसे ही निर्वाह नहीं होता, बल्कि युसके जुटानेमें चरित्र व शुदात्त संकल्प भी कारणीभूत होते हैं, और अिसलिये जुनहें बढ़ानेका प्रयत्न करना और इन पर विश्वास रखना भी सीखना चाहिये।

६. हमारे परिग्रह और भोगोंकी एक सीमा होनी चाहिये। अपने समयमें युनकी क्या मर्यादा होनी चाहिये, अिसका विचार सुन्न जनोंको स्वयं करते रहना चाहिये। समझना चाहिये कि भोगोंकी विविधता और रसिक वृत्ति जीवनका व्यादी नहीं, बल्कि सादा, मेहनती व अल्पसाधन-युक्त जीवन ही सच्चा जीवन है।

७. सोना, चाँदी, जवाहिरात आदिको युनकी उपयोगिताके सुकाढ़लेमें बस्तरसे ज्यादा महत्व मिल गया है। सिवके के तीरपर जो अिनका उपयोग लाजिमी बना दिया गया है, वह वहुत अनथोंका कारण हुआ

है। किन्तु यह विषय अर्थशास्त्रसे सम्बन्ध रखता है। अतः यहाँ अुमकी चचों ज्यादा नहीं हो सकती। यहाँ तो अितना ही कह सकते हैं कि रसिक पुरुष गहने आदिके रूपमें भिनका व्यवहार करेंगे ही और सम्भव है अिसका कोअी अिलाज हमें न भी मिले; परन्तु सिक्केके रूपमें भिनका अुपयोग लाजिमी कर देना अर्थ व श्रेय दोनोंका विरोधी है। अतः श्रेयार्थिको भिनका परिग्रह करनेके मोहमें न पड़ना चाहिये।

७

वाहरी दिखावा

जो व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक अुन्नति काना चाहता है, उसे अपने चित्तमें साधुताका होना अिष्ट मालूम हो तो यह स्वाभाविक और योग्य ही है। वह चाहता है कि काम, क्रोध, लोभ, अीर्ष्या आदि विकारोंका दमन करना वह भीखे। अितना ही नहीं वल्कि वह अुम स्थिति पर पहुँचना चाहता है, जिसमें अुसे अपने चित्तमें अुनका दर्शन तक न हो और अुनकी जगह क्षमा, शान्ति, दया आदि भावोंसे वह सदैव भरा नहे। भूतकालमें या आज जो साधु पुरुषके नामसे प्रगिद्ध हैं, अुनके आनांद-च्यवाटर परसे वह साधुओंके वास्त्र और मानसिक लक्षणोंकी कल्पना करता है। और अुन पुरुषोंके कभी गुणोंके प्रति अुसके मनमें आदरभाव तो रहता ही है। अिससे वह अुनकी स्थितिके सम्बन्धमें ज्यादा जाँच किये बिना ही अुनकी सभी बातोंको आदर्श माननेकी ओर छुकता है।

आम तौर पर ऐक पुरुषके आन्तरिक भावोंमें ऐकता न लाअी जा सके, तो भी अुसके वास्त्र आचारका अनुकरण करके वाहरी समानता लाना ज्यादा आसान है। गाँधीजीकी मनोदशा इम भले ही न प्राप्त कर सकें, परन्तु अुनकी छोटी घोतीका, अुनके बोलनेन्वालनेवैठने आदिकी खास तर्जका अनुकरण करना सरल है। अुनके जैसा भक्तिभाव इम न अनुभव कर सकें, किन्तु अुनका संगीतका शौक आध्यात्मिक अुन्नतिके आवश्यक अंगके बहाने स्वीकार कर लिया जा सकता है। अुनके खान-

पानके नियमोंमें समाभी हुअी अुनकी वृत्ति हम अपनेमें न साध सकें, परन्तु अुनमें रही सूक्ष्म रसिकता और चट*का अनुकरण किया जा सकता है।

खुद किसी बातका विचार न करके महज अद्वा रखकर दूसरोंका अनुकरण करने वाले युवक कभी बार ऐसे सत्पुरुषोंकी खास खास टेकोंमें — जो अुनकी न्यूनता या दोष भी हो सकता है — कोअी गुह्य आध्यात्मिक मूल्य भरा है ऐसा समझने लगते हैं। बाज लोग यह भी खयाल करते हैं कि साधु पुरुषोंकी वेषभूषा और बाहरी आचार अुस समाजके आम लोगोंसे कुछ भिन्न प्रकारका ही होना चाहिये।

हमारे लोगोंमें व शास्त्रोंमें भी 'ज्ञानी' माने हुए लोगोंके ऐसे बाह्याचार और वेश-भूषाके सविस्तर वर्णन मिलते हैं; जैसे, नहाने-धोनेके समन्वयमें लापरवाही, मैले-कुचले चियड़ोंकी गुदड़ी या नम्रता, मैला-कुचला शरीर, बैठनेके लिये गर्दी जगह, खाने-पीनेमें अधोरी वृत्ति या खास चीजोंका ही आग्रह, हाथ-पाँव-अंगलियोंको यों ही हिलाने या मँटकानेकी टेव, आजीवन मीन या कुछ-न-कुछ बर्ती रहने या गाली वगैरा देनेकी आदत—ये कभी बार साधुताके लक्षण माने जाते हैं। और अिन परसे अुनकी आध्यात्मिक महत्ता आँकी जाती है। यहाँ तक कि शास्त्रकारोंने तो 'पिशाचवृत्ति'के 'ज्ञानी'का एक वर्ग ही अलौदा बना दिया है।

और फिर यह सब पढ़कर या सुनकर कितने ही साधक अपनी ऐसी ही दशा बताने और अुसके अनुकूल मनोवृत्ति करनेका प्रयत्न करते हैं; और जब मन ऐसी दशाके प्रति अस्त्रि प्रदर्शित करता है, तब वह यह समझता है कि यह तो मेरी पामरता और संसार-लोकुपताका लक्षण है और अपनी भिस कमीके लिये दुःखी होता व रहता है।

गीताके १६ वें अध्यायमें ज्ञान और योगमें व्यवस्थितिको दैवी सम्पत्तिका एक लक्षण कहा है। परन्तु अिसके विपरीत वहुतेरे लोग यह मान वैठे हैं कि पुरुष जितना ही ऊँची भूमिकामें होगा, अुतना ही अुसके दोलने-चालने, वेश-भूषा आदिमें व्यवस्थितता और सुघड़ताका अभाव होना चाहिये।

* व्यवस्थाके वरेमें अत्याग्रह—fastidiousness.

बाहरी दिखावा

सामान्य संसार-न्यवहारोंमें जब हम किसी मनुष्यके बोलने-चालने समझते हैं, और सुधङ्ग तथा सम्बन्धितता देखते हैं तो उसे फूहड़पनका लक्षण आशा रखी जाती है। परन्तु न जाने कि सब विषयमें व्यवस्थितताकी समझा जाता है कि साधु पुरुषके लिये व्यवस्थितताका कारण यह अस्त्रकी साधुतामें खामी है। वहुतेरे लोगोंका ऐसा खयाल है कि साधु पुरुष जैसे जैसे बेंडंगे कपड़ोंसे अपना वदन ढँकनेवाला और रीत-भात, शिष्याचार आदिमें असंस्कारी बालककी तरह अशान बतलानेवाला होना चाहिये। दुनियादरीमें अगर कोअभी मनुष्य दो अलग किस्मके ड्रकड़ोंका जैसे-जैसे सिया हुआ, छोटी-मोटी बाँहोंवाला कुरता पहने हुअे हो, तो अच्छा नहीं समझा जाता। सुधङ्ग और व्यवस्थित लोग भी साधुके लिये वैसा कपड़ा न पहनेगा। लेकिन सुधङ्ग और व्यवस्थित लोग ही नहीं, वहिंक मानते हैं कि वही कपड़ा होना योग्य समझते हैं। अितना ही नहीं, वहिंक मानते हैं कि वही शोभा देता है, और अपनी सुधङ्गताको वे असाधुताकी निशानी महसूते हैं।

मेरे कहनेका यह आशय नहीं है कि जो लोग साधारण जन-समूहसे भिन्न प्रकारका वास्तवाचार और वेश-भूषा रखते हैं, वे आध्यात्मिकता या साधुताकी दृष्टिसे किसी प्रकारकी योग्यता ही नहीं रखते। परन्तु यह धारणा गलत है कि अनन्तकी विशेषताका मूल अनुके वास्तवाचार और वेश-भूषामें है। मेरा खयाल है कि कभी बार तो यह लोकोत्तरता विचार-सम्बन्धी खामीकी भी सूचक होती है।

अिससे ठीक छुट्टी दिशामें होनेवाला एक दूसरा आचार है। वह भी अितना ही गलत है। पिर वह महज मामूली साधुओंके लिये नहीं, वहिंक 'शानकी पराकाश'को बहुच दुष्टे साधुओंके लिये 'सुरक्षित' रखा गया है। जो व्यक्ति अपने लिये यह शोहत फैला सकता है कि वह अिस युच्च दशाको पहुँच चुका है, अस्त्रके लिये स्वेच्छाचारके सब दरवाजे खुल जाते हैं। वह केवल सुधङ्गता ही नहीं, वहिंक रसिकता भी प्रदर्शित कर सकता है और असका यह विलाप

‘शानकी अलिप्तता’ अथवा ‘अवशिष्ट प्रारब्धका भोग’ — अन नामोंमें दरगुजर हो जाता है।

जिनके हृदयमें ऐसे भोगोंके प्रति आकर्षण रहता है, अनमेंसे कभीको ‘शानकी अस भूमिका’को पहुँचनेके लिये लालच हो जाता है। और जब अस लालचमें वे फँस जाते हैं, तो असे हाँकनेके लिये ‘शानप्राप्ति’ हो जानेका ढकोसला रचते हैं।

साधुके लक्षण-सम्बन्धी ये दोनों विचार अम पूर्ण हैं। वास्तवमें खुद जिस समाजमें हम रहते या विचरते हों, उससे मिल पहनावा या भाषाका रखना साधुता प्राप्त करनेके लिये आवश्यक नहीं है। यदि असमें कुछ परिवर्तन करना हो तो वह अन्हैं अधिक व्यवस्थित, अधिक सादा और अधिक शुद्ध बनानेके लिये हो, जिससे समाजके अन्य लोगोंको वह ग्रहण करने योग्य मालूम हो। यदि अनमें किसी किस्मकी नवीनता लानी हो तो वह महज अपलिये हो कि जिससे समाज-व्यवहारमें अधिक सुविधा हो, या समाजस्थितिमें जो परिवर्तन हो चुका हो असके अधिक अनुरूप हो जाय। लेकिन यह खयाल विलकुल गलत है कि अस तरहकी नवीनता या अन्यवस्थितता साधुताका कोभी चिह्न है।

स्वाभिमान

साधुओंके लक्षणके समन्वयमें एक और गलत कल्पना कैली हुआई है। और अुसका समन्वय मानापमानकी भावनासे है। साधु 'मानापमानमें तुल्य रहे' अिसका आशय कथाकारोंने यहाँ तक चित्रित किया है कि यदि साधुको रास्ते जाते हुये कोभी विलावजह गलियाँ दे, मरे, अुंसपर थूँक दे, यहाँतक कि अुसपर मल-मूत्र डाल दे तब भी वह सहन कर ले। भागवतके ११वें स्कन्धमें करदर्युका आख्यान, जैन ग्रन्थमें महावीरका चरित्र आदि अनेक स्थानोंमें निरभिमानताकी भावनाको कहाँ तक बढ़ाया जा सकता है, अिसका आदर्श चित्रित किया गया है। अिस परसे शास्त्र-ग्रन्थों पर अद्वा रखनेवाले श्रेयार्थीका अुस आदर्श तक पहुँचनेका यन करना स्वाभाविक है।

अैसी दशामें, जिस आदर्शके अनुसार तो साधु पुरुषमें स्वाभिमान जैसी कोभी भावना होना योग्य नहीं है।*

किन्तु साधुताके आदर्शके समन्वयमें यह एक वडी भूल है। दूसरे देशोंमें भी साधुओंके आदर्शके समन्वयमें यह एक वडी भूल है। किन्तु जनताने युनहें अपनाया नहीं है। अिय गलत आदर्शका खास तौरपर हमारे देशमें यह परिणाम हुआ है कि साधुओंको 'मुमुक्षु' नामक व्यक्तियोंके स्तिवा दूसरे लोग महज पूज्य मानते हैं, किन्तु अनुकरण करने योग्य नहीं समझते। वह यह कहका कि 'साधुओंकी वातें ही और हैं, उनके अधिकार अलग हैं, वे जो कुछ करें सभी ठीक हैं'— 'समरथको नहीं दोष गुसाई'। युनहें या तो देवताकी श्रेणीमें या अवतार श्रेणीमें विठा देते हैं और मनुष्य जातिसे खारिज कर देते हैं।

* कोभी वैदान्ती शायद विसका यह जवाब दे कि साधु तो आत्मके स्वाभिमानी — अर्थात् आत्माभिमानी — होते हैं। चूँकि वे सर्वत्र अपनेको ही देखते हैं, विसलिये युनहें किसी तरह मानापमानका अनुमत नहीं होता। परन्तु यह महज पाण्डित्य है और विरोत कल्पनाके वोपणका परिणाम है। मेरा मतल्य यहाँ शुसी स्वाभिमानसे है, जिसे आप लोग 'स्वाभिमान' मानते हैं।

लेकिन अुन्हें अिस तरह खारिज करनेके प्रयत्नके वावजूद शास्त्र-ग्रन्थोंमें चित्रित ऐसे चित्रों व मुट्ठकर हृष्टोंका असर समाज पर पड़े बिना नहीं रहता। क्योंकि ऐसे पुरुष भी, जो अपनेको 'मुमुक्षु' में नहीं खपा सकते, बल्कि 'बद्ध' में जिनका समावेश होता है, जान या अनजानमें योद्धा वहुत अुनका अनुकरण कर जाते हैं। अिससे हिन्दू-समाजमें कोअभी सैकड़ों वर्षोंसे स्वाभिमानका भाव ही लोप हो गया है। 'इम तो बनिये ठहरे, हमारी मैंछ नीची है तो साझी सात दफा नीची।' 'मारा घण्टा तो कहेंगे कि अच्छा हुआ धूल अुङ गयी।' यह हालत तबसे होने लगी है, जबसे हमारे मनमें स्वाभिमानका भाव लुप्त होने लगा। अिससे अुलटी वृत्ति "मियाँजी गिरे तो कहेंगे, नहीं, देखो मेरी टँगड़ी अभी अँची है" — अिसमें है।

'मानापमानमें तुल्य' के अर्थ पर हम बादमें विचार करेंगे। अुससे पहले हमें यह जान लेनेकी जस्तरत है कि निर्मान, निरहंकार, अगर्व आदि जैसे दैवी सम्पत्तिके गुण हैं, वैसे ही तेजस्विता भी दैवी सम्पत्ति ही है। श्रेयार्थीको जिन जिन गुणोंको प्राप्त करनेकी आवश्यकता है, अुनमें समस्त दैवी सम्पत्तियोंका समावेश होता है। किसी अेकाध गुणकी ही वेदद अुपासना करनेसे मनुष्यमें सच्ची मनुष्यता भी नहीं आतीहै, तब श्रेयः-सिद्धिकी तो बात ही दूर रही। मनुष्यमें अनेक अुदात्त गुणोंका अुचित मात्रामें सम्मेलन होना चाहिये, और जिस अवसर पर जिस गुणकी जस्तरत मालूम हो अुस अुपयोग करनेका ज्ञान होना चाहिये।

'मानापमानमें तुल्य' का अर्थ यह नहीं है कि कोअभी मनुष्य यदि दुष्टासे किसी साधुका अपमान या अुपहास करे, तो अुसे चुम्चाप सहन कर लेना अुसका धर्म है; अथवा अिस भावनासे कि दुष्ट भी ब्रह्म स्वरूप या आत्म स्वरूप ही है, अतअेव किसने किसका अपमान किया, यह सोचकर खामोश हो रहनेकी आदत ढालना अुसका धर्म है। जो अपने तेजोवधको सहन कर लेता है अुसे साधुता या सात्त्विकता प्राप्त नहीं होती, बल्कि पशुता या तमोगुणकी तरफ अुसकी गति होती है। सब आत्मोन्नति चाहने वालोंसे मेरी विनय है कि वे अिस बातको हमेशा याद

स्वाभिमान

रखें। वे चाहें रामके जीवनको लें, या कृष्णके जीवनको या किसी भी दूसरे तेजस्वी पुरुषके चरित्रको देखें, अन्हें कहीं भी यह नहीं दिखायी देगा कि उन्होंने अपना तेजोवध कभी सहन किया है। तब सबाल यह होता है कि 'मानापमानमें तुल्य' का मतलब क्या है? बाज लोग मान-सम्मान मिलनेसे फूल जाते हैं, हँसन्मत्त हो जाते हैं, व अपमानसे कुम्हल जाते हैं, विषादकी खाकीमें गिर पड़ते हैं; मान व अपमानका प्रमाव अन्हें बेकाबू बना देता है; वे मनोभाव पर उस समय अकुश नहीं रख पाते; अस समय अनुकी बुद्धि भी कुण्ठित हो जाती है; अनेके लिये विवेकयुक्त व्यवहार करना असम्भव हो जाता है। परन्तु 'मानापमानमें तुल्य' पुरुष न मान-सम्मानसे फूल ही अुठता है, न अपमानसे शोकमें झूब जाता है। वह दोनोंको हजम कर गया होता है। परन्तु वह पागल नहीं होता, अिसका अर्थ यह नहीं कि वह मान व अपमानका भेद भी नहीं समझ सकता; और चैकि वह मेद समझ सकता है, अिसलिये सम्मानको सम्मान मानता है व सम्मानकर्ताके प्रति अुचित व्यवहार करता है। * अिन दो व्यवहारोंसे छुट्टी पाते ही वह अपने स्वाभाविक कर्ममें शान्तिके साथ प्रवृत्त हो जाता है, मानो कोअी खास घटना घटी ही न हो। असे न तो सम्मानका नशा चढ़ता है न अपमानसे ग़लानी ही आती है। जैसे कोअी कुशल खिलाफी खेलकी अैन रंगत पर और कोअी कुशल सेनापति या नाविक वह खतरेके अवसर पर बिना घबराये या डाँवाडोल हुआ शान्तिपूर्वक अपना काम यथावत् करता रहता है, वैसे ही साथु पुरुष कहिये या संयमी पुरुष कहिये— मान-पमान या दूसरे इर्द-शोर आदिके अवसरोंपर अपनी बुद्धि और बृत्तियोंको स्थिर रखकर जिसके प्रति जो व्यवहार अुचित है, वह शान्ति, निश्चय तथा आत्म-विद्वास पूर्वक करता है। अस प्रकारसे जो 'मानापमानमें तुल्य' वृत्ति प्राप्त कर लेते हैं, अनुमें नप्रता व तेजस्विता दोनोंके दर्शन होते हैं।

* अपमानकारीको वह प्रेमसे हरावे या दूसरी तरहसे, यह जुटी बात है। परन्तु जो 'मानापमानमें तुल्य' रहता है, वह अपमान करनेवालेको जीतेगा तो जल्द ही।

हैं, यह हो सकता है कि तेजत्वी सन्त किसी हल्के आदमी द्वारा किये गये अपमानको जान-बृक्षकर सहन कर ले। परन्तु अुसकी अिस सहन-दीलतामें ही अुसकी एक प्रकारकी तेजस्विता व स्वतंत्र स्वभावका परिचय मिलता है। ऐसे अपमान सहन कर लेनेमें अुसकी दीनता किसी प्रकार नहीं दिखाओ देगी, वल्कि ऐसा भाव प्रतीत होगा मानो वह अपमान करनेवालेके प्रति दया दिखाता हो या अुसपर अनुग्रह कर रहा हो। ऐसे कोअी पहलवान वालको कृप्ती खिलाता है और अुसके हाथसे हार खा जाना दिखाता है, वैसं ही यह अपमानकी दरगुजर समझना चाहिये। अिस तरहका अपमान सहन करना एक दूसरी ही बात है।

९

स्वाद-जय—१

हमारे शास्त्रोमें स्वाद-जय पर बहुत जोर दिया गया है, और स्वाद-जयकी महिमामें कहा गया है कि जिसने रसको जीत लिया अुसने सारा जगत् जीत लिया। अिस कारण स्वाद-जयके निमित्त साधकोंने अनेक प्रकारके प्रयोग अपने अूपर किये हैं, अनेक प्रकारके व्रत निकाले हैं, अनेक धार्मिक संस्थाओंमें अिसी दृष्टिसे आहारके नियम बड़े परिश्रम-पूर्वक बनाये गये हैं। अुदाहरणके लिये, स्वामीनारायण-सम्प्रदायके साधुओंमें यह प्रथा थी कि सब प्रकारके भोज्य पदार्थोंको ऐकत्र करके अुसमें पानी डाल कर फिर खाया जाय। बिना नमकका तथा नमकको छोड़कर बिना मसालेका भोजन करनेपर गांधीजी जोर देते हैं। पाँच इं चीजें नियमाना गांधीजीका व्रत है। चातुर्मासमें अथवा कुछ विशेष समय तक विशेष प्रकारके ही भोजनका नियम स्वादको जीतनेकी अिच्छासे ही लिया जाता है।

मेरी नम्र रायमें स्वाद-जयकी रीतियोंके प्रयोग गलत दिशामें हैं। अिन विविध प्रयोगोंके मूलमें स्वाद-जय-सम्बन्धी कुछ गलत कल्पनायें हैं। बाज लोग समझते हैं कि जब जीम ऐसी बन जाय कि वह स्वादको परख ही न सके, तब समझा जाय कि स्वाद-जय सिद्ध हुआ। कुछ

लोग मानते हैं कि वेस्वाद या कुस्वादु भोजन भी जब सन्तोषसे खा लिया जा सके तो कह सकते हैं कि स्वाद-जय सिद्ध हुआ और जिसी दृष्टिसे वे स्वादु या सचिकर भोज्य पदार्थोंको कृत्रिम रीतिसे विगाइकर खानेका प्रयत्न करते हैं।*

किन्तु जीभको स्वाद-न परखने योग्य तो बधिर करके ही बनाया जा सकता है। कहते हैं कि कुछ औषधियाँ ऐसी हैं जिनके प्रयोगसे योग्यी देरके लिये जीम बधिर बनाओ जा सकती है। अुसी तरह कहते हैं कि कुछ प्रकारके योगाभ्याससे भी ऐसा ही परिणाम लाया जा सकता है। परन्तु यह बधिरता स्थायी नहीं होती। परन्तु यदि जीभको सदाके लिये बधिर बना देनेकी कोओ विधि हो तो भी अुससे अुसे वशमें नहीं किया जा सकता। अुलटा अिससे यह भी परिणाम निकल सकता है कि जिस चीजका हम प्रत्यक्ष अुपभोग न कर सकें, अुसका मनमें निन्तन होता रहे और अुसीके स्वप्न आते रहें। फिर, स्वादु वस्तुके स्वादको विगाइकर, अुसे कुस्वादु बनाकर खानेसे स्वाद-जयकी आशा करना व्यर्थ है। इमारी अिन्द्रियोंकी किसी बातके आदी हो जानेकी शक्ति अितनी प्रश्वल है कि योड़े ही समयमें खराब चीजोंकी खराबी भी वे भूल जाती हैं। रोज दूधकी तरह सफेद धुले कपड़े पहननेके जो आदी हैं अुन्हें मैले कपड़े पहननेका या मैले-कुचले कपड़े पहननेवाले लोगोंको देखनेका बार बार प्रसंग आवें तो अुन्हें भी योड़े ही समयमें विना घृणाके मैले कपड़े पहननेकी टेब पह जाती है और अुनका सफेदीका माप कम हो जाता है। x अफीम, तमाखु आदिका स्वाद बहुत मधुर या सौम्य नहीं

* अुसे रोटी बहुत मीठी लगे लगी तब मैंने ऐकवार अुपरोक्त धारणाके बश हो, अटेमें कुनैन मिलाकर खानेका प्रयोग किया। परन्तु भूख जोरेसे लगती थी अिसलिये कहवी रोटी भी मैंसे खा जाता और जीभको अुस कहवे स्वादकी भी आदत पड़ गयी।

x प्राणी ऐक भूमिकाको लॉप्कर दूसरी भूमिकामें बहुत समय तक रहा ही तो भी जब किसी कारणसे अुसे यह विश्वास हो जाय कि मेरी पहली भूमिका ही ठीक थी तो अुसे अुसमें बुतर आना कठिन नहीं मालूम होता। मनुष्यका प्रयाण हिंसासे अहिंसाको ओर, गंशीसे सफाईकी ओर, स्वार्थसे परमार्थकी ओर, अर्थमें धर्मकी ओर,

है, फिर भी अिनके व्यसनी अिन्हें रुचिके साथ खाते-पीते हैं। अघोरी कितनी ही गन्दी और सूगली चीजोंको बड़े आनन्दसे खा जाते हैं, यह बहुतोंने सुना होगा। और अिस अघोरी-पन्थमें कुलीन ब्राह्मण कुटुम्बमें पले-पुसे व अधिकार भोगे हुओ लोग भी सुने जाते हैं। यह अिस बातको सावित करता है कि मनुष्यकी रुचिमें कितना व कैसा फर्क पड़ जाता है। परन्तु यदि ऐसी आदत पड़ जानेसे ही अिन्द्रिय-जय होता हो, तो फिर जिन लोगोंको दुनियामें खराब चीजें ही अिस्तेमाल करनी पड़ती हैं वे अवश्य ही अिन्द्रियजित् हो जायेंगे।

फिर, स्वाद-जयके बारेमें दो प्रकारकी लोछुपताकी बहुत बार खिचड़ी कर दी जाती है। खानेकी लोछुपता व स्वादकी लोछुपता। बाज़ लोगोंको बार बार खानेकी अिच्छा हुआ करती है। कितना ही खा जायें तो भी वे अघाते नहीं। परन्तु अिन्हें पदार्थके अस्वाद-स्वादकी विशेष परख नहीं होती। कभी लोगोंको खानेकी तृष्णा तो कम होती है, परन्तु जो कुछ खाते हैं अुसकी स्वादुत्ताका बड़ा आग्रह रखते हैं।

स्वादके विषयमें अपेक्षा भाव होते हुओ भी यदि खानेकी तृष्णा बनी ही रहती हो, तो यह विशेष तामस स्थिति - जहाताका चिह्न - है। अिससे ऐसा हो सकता है कि खानेकी तृष्णा कम होने पर रसनेन्द्रिय अधिक जाग्रत हो जाय। क्योंकि ज्यों ज्यों ज्ञानेन्द्रियोंकी शक्ति बढ़ती है त्यों त्यों अुसके भेदोंको परखनेकी शक्ति भी बढ़ती है और अुससे रस-वृत्तिका पोषण होता है। परन्तु अिसमें पहिली बातकी अपेक्षा अधिक विकास है: अर्थात् ज्ञानेन्द्रियोंकी विशेष सूक्ष्मता है।

अव्यवस्थासे व्यवस्थाकी और कामनासे निष्कामनाकी और असंयमसे संयमकी ओर हुआ है। अहिंसा, स्वच्छता, परमार्थ, धर्म, व्यवस्था, निष्कामब्रत, संयम अित्यादिकी टेव या संस्कार चाहे कितने ही समयसे दृढ़ होते हुये चले आये हों, अनेक पीढ़ियोंके अनुशीलनका परिणाम भले ही हो, तो भी यदि किसी कारणसे अिनके सम्बन्धमें हमारा आग्रह कम हो जाय तो हम थोड़े ही समयमें अिससे पहली भूमिकामें पहुँच सकते हैं। अहिंसा, स्वच्छता, व्यवस्था आदि संस्कारोंको धमपूर्वक पोस्तना और जाग्रत रखना पड़ता है। अतथेव अिन श्रमसाध्य संस्कारोंका नाश करापि अुचित नहीं। हाँ, अिनमें जो ऐकांगिता या अविवेकन्द्रोप आ जाता है सिर्फ़ अुसे ही दूर करना चाहिये।

भोजनकी तुष्णा जठरकी लोलुपताकी बदौलत और स्वादकी तुष्णा जीभकी लोलुपताकी बदौलत होती है, अतथेव खानेकी तुष्णाका नियमन मिताहारके विषयमें सावधान रहनेसे हो सकता है। परन्तु जब मिताहारकी टेब पढ़ जाती है तब, जैसा कि ऊपर कहा है, स्वादेन्द्रियके तीक्ष्ण हो जानेका अनुभव होता है। अुपवास व अल्पाहारसे तो अुसका और भी अधिक तीक्ष्ण होना संभव है।* जठरकी लोलुपता हटानेका भी अुचित अुपाय अुपवास या अल्पाहारके प्रत नहीं हैं। क्योंकि जब अुपवास या व्रत समाप्त होता है तब जठर बहुत बार दूनी कसर निकाल लेता है, और जीभ, जोकि असी घातमें बैठी रहती है, अधिक तीव्रतासे स्वादका अनुभव करती है।†

अब मनुष्य विना देखे, विना सुने या विना सुँधे तो जी सकता है, किन्तु खाये विना नहीं जी सकता। और खानेका सबाल आया तो जीभ बीचमें आये विना रहती नहीं। फलतः किसी न किसी प्रकारका आस्वादन होता ही है। वैसे तो ठेठ जन्म दशासे जीभको स्वादका भान हो जाता है। ऐसी दशामें अन्य अिन्द्रियों पर विजय प्राप्त करनेकी अपेक्षा जीभकी आदतोंको ठीक करने या अुसपर विजय प्राप्त करनेमें अधिक कठिनाओंी मालूम होना कोवी आश्चर्यकी बात नहीं है।

तो अब यह सबाल है कि स्वाद-जयका वास्तविक अुपाय क्या है? अगले प्रकरणमें हम असीका विचार करेंगे।

* मागवतमें भी कहा है—

त्रिन्दियाणि जयःत्याशु निराहारा मनीषिणः ।

वर्जयित्वा तु रसनं तत्रिन्नस्य वर्जते ॥ (११-८-२०)

अिन्द्रियोंको अुनके आहार न देकर, विचारी पुरुष जीत लेने हैं; किन्तु जीभ विसमें अपवाद है। अुपवाससे वह अधिक बलवान् होती है।

† मैंने यहाँ आरोग्यको इष्टित, या काम, क्रोध, शोक, अनुताप आदि विकारोंके आवेगको अथवा आवेगकी पुनरावृत्तिकी रीकर्नेक लिये किये जानेवाले निराहार या अल्पाहार अथवा अन्य अुपभोगकी वस्तुओंके त्यागकी चर्चा नहीं की है। ऐसे अुपाय रोगीको रोगमुक्त करनेके पथ्यकी तरहके हैं, और जब तक अुनकी आवश्यकता प्रतीत हो, तब तक अुनके पालनेकी जरूरत ही रुकती है।

स्वाद-जय-२

अिस प्रकरणमें हमें स्वाद-जयके घटेय और विधिके सम्बन्धमें विचार करना है। अिसमें सबसे पहली बात तो यह है कि स्वाद-जय, अिन्द्रिय-जय, मनोजय, आदि शब्दोंके 'जय' शब्दका अर्थ क्या व कितना है? क्योंकि कभी बार विविध अर्थोंके पोषक शब्दोंका प्रयोग हमें विविध प्रकारकी भूलोंमें डाल देता है।

'जय' शब्दका प्रयोग शत्रुके लिये दो तरहसे होता है। शत्रुते वश करलेने या नाश कर देने दोनों अवहरों पर यह कह सकते हैं कि अुसे जीत लिया। 'जय' के ऐसे दो अर्थोंके कारण अिन्द्रियों पर जो जय चाहते हैं वे अिन्द्रियोंका नाश करके अुनपर विजय प्राप्त करनेके चक्करमें पड़ जाते हैं और हमारे देशमें तो अिन्द्रियों पर रोष करके अुनका छेदन, ताफन या दूसरी विचित्र पद्धतियोंसे अुनका दमन करनेकी विधियाँ भी हम अक्सर सुना करते हैं। अिन विधियोंके मूलमें सद्गृहेतु भले ही हो, फिर भी ये हैं तो आसुरी — तामसी — अबुद्धियुक्त ही।

मन या अिन्द्रियोंके प्रति शत्रुताका भाव रखना गलत है। फिर, अुन्हें वशीभूत करनेके लिये 'जय' शब्दका व्यवहार किया जाता है और अुसने 'तो अिस भ्रममें और भी बुद्धि कर दी है।

यदि हम ऐक ओर तो पुरुष अथवा जीव और दूसरी ओर देह, अिन्द्रियाँ, मन, बुद्धि आदि प्रकृति अिस तरह दो तत्त्वोंकी कल्पना करें, और यदि अिन दोनोंमें किसी प्रकारके सम्बन्धकी कल्पना करनी ही पड़े, तो यही समझना अचित होगा कि देहादिक सब अिस जीवके आवश्यक साधन — औजार — हैं। यदि अिन साधनोंका नाश कर दिया जाय तो खुद जीव ही अपेंग हो जाय व वह ऐक भी पुरुषार्थ न साध सके। साथ ही यदि वह अिन साधनोंका सविवेक सुप्रयोग न कर सके, अिन पर काढ़ न पा सके, तो झुसकी गति अुस मनुभ्यकी तरह होगी जो साधिकल पर

चढ़ना तो जानता है, किन्तु अुसे रोकना या अुस परसे अुतरना नहीं जानता। अिसका यह अर्थ हुआ कि यह अिन्द्रिय-जय या मनोजय शत्रु पर होनेवाले जयकी तरह नहीं, बल्कि साधिकल सवारका साधिकल पर प्राप्त किये हुओ जयकी तरह है: अर्थात्, अिन्द्रियोंपर काढ़ पाना, अुन्हें अपने अधीन कर लेना।

अिन्द्रियोंके अधीन न होना, बल्कि अिन्द्रियोंका नियमक होना यही अिन्द्रिय-जय है। विचारशील साधकका घेय न तो अिन्द्रियोंका नाश होना चाहिये, न निष्कारण दमन ही, वह तो अुनका नियमन होना चाहिये।

अिस तरह देखें तो स्वाद-जयका अर्थ है तरह तरहके स्वादपर जो मन चला करता है अुसका संयम। खस्ता चीजोंके लिये, या मिठाओं-मिष्ठान्नके लिये बहुत लोगोंकी लार टपका करती है; और ये चीजें मिल जाती हैं तब अुन्हें यह होश नहीं रहता कि कितना खावें। वस, माल अुझानेमें न तो अुन्हें तन्दुरुस्तीका खयाल रहता है, न कष्टीबार स्वाभिमानका ही। अिस लोलुपताका नाश ही स्वाद-जय है।

अिसके लिये सहजप्राप्त भोजनको छोड़नेकी या अुसे कृत्रिम रूपसे विगाहकर खानेकी जरूरत नहीं है। यदि वह अच्छा बना है तो अच्छा मालूम होगा और बुरा बना है तो बुरा मालूम होगा अिसमें कोअी बुराओं नहीं है। अिससे यह अन्देशा रखनेकी जरूरत नहीं है कि जीभ गलत रास्ते जा रही है। अिसके वर्खिलाफ यदि चीज अच्छी बनी हो तो अुसे ज्यादा खा लेना, खस्ता या मिठाओं आदि दिलपसन्द चीजोंको खास तौरपर हासिल करनेकी कोशिश करना, जीवनके दूसरे जस्ती कामोंको करते हुओ ऐसे भोज्य पदार्थोंके पानेके मौके पर ही सदैव इष्टि रखना जीभके अधीन हो जानेके लक्षण हैं। अिस मनोवृत्तिको जीतनेका समय अुसी क्षणमें है। अुसी समय मन पर काढ़ रखकर जीभको वश करनेकी सावधानता रखनी चाहिये। अिसी तरह अिस चातका भी ऐहतियात रखना चाहिये कि जो चीज इमारे लिये हानिकारक है अुसे न खावें, और न किसी तरहकी चाट या व्यसनके ही अधीन हो जायें। भले ही आप ऐक साल तक विविध प्रकारके वत-नियम करते रहे हों, परन्तु यदि वीन भोजनके वक्त आप अितना ऐहतियात न रख सकें या किसी हानिकारक

टेवको छोड़नेकी शक्ति न दिखा सकें तो आपका सारा स्वाद-जयका प्रयत्न व्यर्थ ही समझना चाहिये ।

मनुष्यका चित्त जब किसी खास विषयमें संलग्न न हो तब उसे विविध प्रकारके विषय भोगनेकी अच्छा हो आती है । चिन्ताग्रस्त मनुष्यको अस बातका विचार करनेकी फुरसत नहीं रहती कि क्या खाया, क्या न खाया । अतः अब अनिद्रिय-जयके लिये जो दूसरी आवश्यक वस्तु है वह है चित्तको सदैव किसी अुदात्त विषयमें निमग्न कर देना । यदि किसी अुदात्त व वास्तविक ध्येयकी प्राप्ति चित्तको हो जाय तो अनिद्रियोंकी लोछुपता कम हो सकती है ।

अनिद्रिय-जयके यत्नमें एक और भूल यह होती है कि जिस अनिद्रियका जय हम चाहते हैं अुसीका दिनरात विचार किया करते हैं । भले ही हम शत्रु भावसे चिन्तन करें परन्तु चित्तकी यह ख़बरी है कि वह चिन्तनके विषयके साथ तदाकार हो जाता है । हमारी बुराअियोंकी सम्बन्धमें यह बात अधिक सच्च सावित होती है । अतः अब अितना ही काफी है कि हम एक बार अुस विषय पर पूरा विचार करके अुसके सम्बन्धमें एक ध्येय निश्चित कर लें । अुसके बाद तो हम अुस विषय या वस्तुका जितना ही विचार करेंगे अुतना ही अुसे हमारी स्मृतिके सामने हम ठहराते रहेंगे । अिसका फल बहुत बार अुलटा अनिष्ट होता है । जैसे, यदि हमें मीठी चीजोंमें अधिक सच्च हो और हमने यह तथ कर लिया हो कि यह मोह अनुचित है तो हमें यही चाहिये कि हम मनको दूसरे कामोंमें लगाये रखें व मिष्ठानको भूलनेका प्रयत्न करें । अिस मोहको मिटानेका यही कारगर अिलाज है । अुसके बजाय यदि हम दिनभर अिसी बातका विचार करते रहें कि 'मिठाअीके चक्सेसे मैं कैसे हूँटूँ?' और अिस तरहकी भावना द्वारा कि 'अन्तमें तो यह विष्टा हो जानेवाला है, अतः अिसमें मैं क्यों मन लगाऊँ?' अुसके प्रति अरुचि अत्यन्त करनेका प्रयत्न करेंगे, तो अुससे अष्ट फल न मिलेगा । क्योंकि अैसे विरोध-भावसे क्षिये गये चिन्तनसे अुस मिष्ठानका विस्मरण नहीं होता; और यदि अन्न-मात्रका लहू, मांस, विष्टा आदिमें रूपान्तर होनेके

विचारसे अन्न या स्वादके प्रति बुर्णा अुत्पन्न हो सकती तो फिर विचारशील जीवन और आरोग्य — ये दोनों सर्वदा एक दूसरेके विरोधी ही रहते । *

जब चित्त किसी व्यवसायमें लगा होता है तब वह भिस वातकी चिन्ता नहीं करता कि क्या खाया व क्या पिया । अुसी तरह यह भी याद रखना चाहिये कि जिसका चित्त कार्यव्यस्त है वह मनुष्य यदि अच्छे स्वास्थ्यवाला हो तो अुसे किसी खास चीजके खानेकी अिच्छा नहीं होती । मामूलके भाफिक घरमें जो कुछ पका हो वही यह आम तौरपर खुशीके साथ खा लेता है । जब स्वास्थ्य खराब होता है या कोअी दूसरा अुदात्त व्यापार चित्तके लिये नहीं रहता तभी वह तरह तरहके भोज्य पदार्थोंसे मनको बहलाना चाहता है । जब जब हमें ऐसी अिच्छा हो तब तब हमें यह भी सोचना चाहिये कि अिसमें शारीरिक कारण किस अंश तक है ।

ऐसी अिच्छाका स्वरूप जाँचते समय एक और वात भी याद रखनी चाहिये । यदि कोअी मनुष्य सरदीमें कपड़ा पहननेकी या गरमीमें अुन्हें निकाल डालनेकी अिच्छा करता है अथवा सरदियोंमें मोटा कपड़ा व गरमियोंमें महीन कपड़ा पहनना चाहता है तो ऐसी अिच्छामें कोअी खुराअी है ऐसा हम न समझेंगे । न अिस कारण हम अुस मनुष्यको स्पर्शलोकुम ही कहेंगे । क्योंकि यह अिच्छा स्वाभाविक — कुदरतके

* जो लोग ब्रह्मचर्य पालनका प्रयत्न करते हैं अुन्हें भी यह वात याद रखनी चाहिये । लोके लिये, 'हड्डीका ढौंचा' 'नागिना' 'वाधिन' आदि भावोंको दृढ़ करने या ब्रह्मचर्य-सम्बन्धी वहुतेरी पुस्तके पढ़नेसे अुलटा अब्रह्मचर्यके दोष बढ़नेकी ही अधिक सम्भावना है । एक बार यह निश्चय कर लिया कि 'हमें ब्रह्मचर्य सिद्ध करना है' तो फिर अिस वातकी चिन्ता व सावधानी तो रखनी चाहिये कि अुसमें विघ्न डालनेवाले वाहरी कारणोंसे हम वचे रहें और फिर चित्तको सर्वे किसी अुदात्त व्यवसायमें ही उगाये रहें जिससे अुसे अिस वातकी याद ही न आवे कि विषय-भोग जैसी कोअी चीज_दुनियामें है । 'स्त्री-निन्दा' या 'स्त्री-महिमा' दोनोंमेंसे किसी भी प्रकारके लेख पढ़नेकी जरूरत ब्रह्मचर्यके साथकको नहीं है । भितना ही नहीं, वल्कि यह मार्ग अुसे कभी तरहसे हानिकारक द्वीना ही विशेष सम्भव है । यह वात रुग्नी व पुरुष दोनों पर ही घटती है ।

नियमोंके अनुसार — है। यदि सरदियोंमें ओझनेके लिये वस्त्र न मिले और असुसेदुखी होकर वह अपनाधैर्य खो चैठे तो भी अुसके प्रति हम सहानुभृति ही रखेंगे। ज्यादासे ज्यादा हम यह कहेंगे कि वह स्थितप्रश्न नहीं है; परन्तु हम यह नई मानेंगे कि वह काल्पनिक दुःखसे पीड़ित है।

रसनेन्द्रिय पर भी यही बात घटनी चाहिये। जिसने अपनी जीभको दुरुपयोग कर करके विगाइ नहीं डाला है अुसकी स्वादवृत्ति अुसके आरोग्यकी पोषक होनी चाहिये। हाँ, यह बात सच है कि आम तोरपर ऐसा अनुभव नहीं होता। साधारणतः तो मनुष्य अपने आरोग्यके प्रतिकूल ही खानेकी अच्छा किया करता है और अुसकी पूर्तिके फल स्वरूप अधिक वीमार हो जाता है। परन्तु दूसरी ज्ञानेन्द्रियोंकी तरह जीभ भी आरोग्यके अनुकूल स्वाद ही चाहे और अुतनी ही मात्रासे सन्तुष्ट रहे जितनी माफिक हो, तो ऐसी स्थितिका लाना अशक्य नहीं है। और एक ऐसे सज्जनसे मैं परिचित हूँ जिनकी जीभ वरावर अिस नियमके अनुसार चलती है। जिनकी जीभ स्वादके सूक्ष्म भेदोंको भी परख सकती है; परन्तु सामान्यतः अन्हें किसी खास स्वाद या भोज्य पदार्थके प्रति विशेष रुचि या पक्षपात नहीं देखा जाता। अनेक आरोग्यके अनुकूल सादा अतीव स्वादका खाना, जो अन्हें माफिक आ गया है, मिलता रहे तो बस। परन्तु किसी कारणसे जब वे वीमार हो जाते हैं तो तत्त्वीयत दुरुस्त होते समय नीबू खानेको अनकी तत्त्वीयत बहुत चाहती है और देखा गया है कि ढाकदरोने भी अन्हें अुस समय खटाओ खिलानेकी सलाह दी है। योंडे दिन नीबू खानेसे तत्त्वीयत भर जाती है और पहलेकी तरह मामूली खुराक लेने लगते हैं।

विचार करनेसे मालूम होगा कि मनुष्यकी स्वाभाविक स्थिति अिसी प्रकारकी होनी चाहिये। जैसे आँख, कान, नाक आदि दूसरी ज्ञानेन्द्रियाँ शरीरके धारण, पोषण व चित्तके अम्युदयके लिये हैं व हो सकती हैं, अुसी तरह जीभ भी ऐसी ही अुपयोगी अिन्द्रिय होनी चाहिये। अुसका अस्तित्व शरीरके नाशके या चित्तकी अवगतिके लिये नहीं हो सकता। आज यदि ऐसी स्थिति न हो तो अुसका कारण यही समझना चाहिये

कि या तो पहले अुसका दुरुपयोग हो चुका है जिससे अुसकी अुपयोगी शक्तिका हास हुआ है अथवा वह विकृत मार्गमें प्रवृत्त हो गयी है।

यदि अिस विचारधारामें कोअी दोष न हो, तो हमारी जीभ आरोग्य-प्रोपक और चित्त-संशोधनमें सहायक हो सकती है। अिस दशाको प्राप्त करना विचारशील पुरुषका ध्येय होना चाहिये।

जिस तरह आँखको चकाचौंच करनेवाला प्रकाश दिखाते रहना या घोर अंधकारमें रखे रहना, दोनों अुसकी शक्तिको नष्ट करनेके मार्ग हैं, अुसी तरह अति मीठे, तीखे आदि तीव्र स्वादयुक्त या मिट्ठी अथवा राखकी तरह वेस्त्राद अथवा कुत्सादवाले भोजन देनों अुसकी शक्तिके विषातक हैं। जिस प्रकार विकारोत्पादक दृश्य आँख द्वारा चित्तको अवनतिकी ओर ले जा सकते हैं, अतः अुनका प्रयत्नपूर्वक त्याग करना ही पड़ता है, अुसी प्रकार खाने-पीनेके विकारोत्पादक पदार्थोंको भी छोड़ना ही पड़ता है। परन्तु विकारोत्पादक दृश्य ही आँख द्वारा ज्ञान या मनोरंजनके साधन नहीं हैं, अुसी प्रकार विकारोत्पादक रस ही जीभ द्वारा ज्ञान या मनोरंजन-प्राप्तिके साधन नहीं हैं।

ओक ओर तो हमारे देशमें अिन्द्रिय-जयके विषयमें जितना विचार किया गया है अुतना किसी दूसरे देशमें किया गया नहीं जान पड़ता। अिस विचारधाराकी विरासत हमें दे जानेके लिअे हम अपने पूर्वज ऋषि-मुनियोंके ऋणि हैं। परन्तु दूसरी ओर देखनेसे पता लगता है कि-जीवनको सहज-प्राप्त कर्म-मार्गमें रखकर अभ्युदयका क्रम सिद्ध करनेके बजाय अुसे कृत्रिम-भक्ति, कृत्रिम योग आदि मार्गमें प्रवृत्ति करनेकी रीति हमारे यहाँ ऐसी चंल पक्षी कि जिससे अिन्द्रिय-जय कठिन या अशक्य हो गया है, अुसके ध्येयके सम्बन्धमें भ्रामक कल्पना अुत्क्र हो गयी है, और मनुष्यके अभ्युदयकी हटिसे अिस विषयको आवश्यकतासे अधिक महत्व मिल गया है। ओक जाह यदि अिन्द्रियदण्डनकी हद तक अिन्द्रिय-जय सम्बन्धी विचार जा पहुँचा है तो दूसरी जगह भक्ति, प्रसाद या अन्य किसी काल्पनिक भावके आरोपण द्वारा भोग-मात्रको पवित्र माननेकी इद तक जा पहुँचा है। अब जो अिन्द्रिय-दण्डन करना चाहता है वह प्रत्येक अिन्द्रियको तो दण्डित कर ही नहीं सकता, अतः अुसका परिणाम

यह होता है कि किसी ऐक अिन्द्रिय पर अधिक कठोरता करके दूसरी अिन्द्रियोंको अधिक लाड लड़ाता है। अिसके सम्बन्धमें तीन विचार प्रवर्तित हैं: (१) अिन्द्रियोंके विषयों द्वारा चित्तकी प्रसन्नता अनुभव करना ही पाप वासना है; (२) विकारका अनुभव किये विना अिन्द्रियोंको प्राप्त सहज भोगोंसे चित्तकी तृप्ति हो ही नहीं सकती; (३) कुछ भोग पवित्र ही हैं ऐसा मानकर अुस दिशामें अिन्द्रियोंकी वृत्तिका वेहद पोषण करना। मेरी नाकिस रायमें ये तीनों विचार भ्रमपूर्ण हैं।

जब चित्त किसी तीव्र व्यवसायसे खाली होता है तब वहुतेरे मनुष्योंकी कोई ऐकाघ कर्मन्द्रिय या ज्ञानेन्द्रिय विशेष जाग्रत हो जाती है। वही समय अुसके लिये सावधान रहनेका है। अुस समय अिन्द्रिय जिस प्रकारके भोगकी अभिलाषा रखती है अुसकी सदोषता, निर्दोषता और मात्रा निश्चित करनेकी आवश्यकतां प्रत्युत होती है। अुस समय जो मनुष्य अुचित व्यवहारका नियम विवेकपूर्वक ठहरा सकता है वही अिन्द्रियोंका स्वामी हो सकता है। अुस समय यदि वह विवेकको भूलकर अुसके अधीन हो जाता है तो फिर दूसरे समय किया गया तीव्र दमन भी निरुपयोगी होता है। अुस समय यदि वह अविवेकतासे अिन्द्रियोंको निर्दोष रंजन भी न करने दे तो वह अिन्द्रियजयकी चिन्तासे कभी मुक्त नहीं होता और अुसके लिये अिन्द्रियजय स्वाभाविक होनेके बजाय एक अलंघ पहाड़ जैसा हो रहता है। ऐसे समय यदि वह निर्दोष रंजनकी ही अुचित मात्रा कायम न रख सके तो दूसरी तरफ अुसके कर्तव्यभ्रष्ट अथवा अविवेकी होनेका अन्देशा रहता है।

अतथेव किसी तीव्र व्यवसायके अन्तमें सादगीसे, स्लेहसे, स्नेहियोंके अलावा दूसरे पर श्रमका बोझ ढाले विना, समाजके प्रति अन्याय किये विना, किसीको कष्ट या त्रास पहुँचाये विना, किसीके अध्यापात्र हुये विना अिन्द्रियों व चित्तको निर्दोष रंजन करने देनेमें कोई बुरायी नहीं। वह दोष तब जल्द हो जाता है जब वही हमारे लिये एक महत्वपूर्ण व सुख्य व्यवसाय बन बैठता है। यदि अत्यन्त सावधानी न रखी जाय तो यह दोष होना सहज है। परन्तु अिससे यह न समझना

चाहिये कि अुसका आत्मनिक निषेध भी कायम रह सकेगा । अतः ऐव जो खिम रहते हुओ भी विवेकका मार्ग ही सच्चा है ।

हमारी अिन्द्रियों तथा चित्तके ठीक ठीक शिक्षित न होनेका यह फल है जो हमें खूब तीखे मिर्च-मंसालेवाला या खूब मीठा हुओ बिना कोअी पदार्थ लज्जतदार नहीं मालूम होता, जैसे किसी अेकाघ पदार्थसे ही तृप्ति नहीं होती, कोअी अेक मधुरपद या आलाप ही काफी नहीं मालूम होता, कोअी अेक ही मिन्न या काव्य अेक समयके लिए वस नहीं होता, फूल अपने पेड़पर ही रहकर जो सुगन्ध फैलाता है अुससे हमारी नाक प्रसन्नताका अनुभव नहीं करती । यह अिन्द्रियोंकी जड़ता है, जाग्रति नहीं । फिर अिन सब सामग्रियोंको अनेक गुना रचकर व सजाकर हम अपनी रसिकता प्रदर्शित करनेका दावा करते हैं ।

यदि आप सम्प्रदाय-प्रवर्तकोंके जीवन चरित्रोंको पढ़कर देखेंगे तो मालूम होगा कि अिन त्याग, वैराग्य और संयमके अुपदेशकोंके जीवन-चरित्रमें सबसे अधिक पन्ने भिन्न भिन्न स्थानोंपर हुओ भोजों तथा मिष्ठानों, सुन्दर वस्त्रों तथा आभरणों, अित्र तथा फूलमालाओं, संरीत तथा भजनों और बाजोंकी वहारमें जो समय गया अुसके वर्णनसे ही भरे मिलेंगे । जो शिलोंछवित्से रहता है, अुसे जैसे मिट्टीसे अनाजके कण बीनना कठिन होता है, अुसी तरह अिन वर्णनोंमेंसे अिन प्रवर्तकोंके चारित्र्य और जीवन-कार्यके मौलिक प्रसंगोंको खोज निकालना कठिन हो जाता है । यह स्थिति करुणाजनक तो है ही, पर अिससे यह भी दिखाई देता है कि अिन्द्रियजयका अविवेकके साथ किया गया प्रथन किस तरह मयव्याजके अपना वदला चुका लेता है ।

सारांश कि स्वादजयके अिस्तुको चाहिये कि :

(१) ऐसा ही भोजन प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण करे जो समाजमें प्रचलित हो, सादा व आरोग्यप्रद हो, व जिसमें कमसे कम हिंसा होती हो तथा जो समाजपर बोझकी दृष्टिसे कमसे कम दोषयुक्त हो । अिससे अुसके श्रेयार्थीपनमें किसी तरहकी वाधा नहीं आती । अिस तरह यदि जीभको सादा और सीम्य स्वाद सहज रूपसे मिल जाय तो अुससे अुसे दुःखी होनेकी भी आवश्यकता नहीं है ।

(२) किन्तु मिताहारके लिये वह अवश्य प्रयत्नशील रहे । स्वादिष्ट चतुओंकी लालसा अुसे छोड़ देनी चाहिये । ऐसी चीजें यदि अनायास प्राप्त हों जायें, तो स्वादके बशीभृत हो अन्हें अधिक खाना अनुचित है । अुसी मौकेपर यदि वह सावधान न रह सके तो फिर स्वादजयके लिये किये गये सारे व्रत व्यर्थ हैं । और यदि ऐसी सावधानी रख सके तो फिर उसे व्रतोंकी आवश्यकता नहीं ।

(३) स्वाद अथवा दूसरी अिन्द्रियोंकी लोलपता पर काढ़ पानेके लिये शुनके विषयोंका वैरभावसे या दोषभावसे चिन्तन करनेमें वक्त न गवाना चाहिये । सच्चा मार्ग तो यही है कि चित्तको किसी अदात्त व्यवसायमें मशगूल रखे जिससे कि अिन्द्रियोंके विषय अपने-आप निर्जीव बन जायें ।

११

कर्मवाद

कर्मवादके सम्बन्धमें यदि हम सविस्तर चर्चा करेंगे तो वह बहुत लम्बी हो जायगी । परन्तु 'कर्म'-विषयक ऐसी विचित्र कल्पनायें हमारे समाज में रुक्ष हो गयी हैं, और हर बात को पूर्व-कर्मपर ही नहीं, बल्कि पूर्वजन्म के कर्मपर थोप देने की प्रवृत्ति अितनी आम हो गयी है कि 'पूर्व-कर्म' शब्द हमारे सब प्रकारके अज्ञान, आलस्य और अकर्मण्यता को छुपानेका एक सुविधा-जनक साधन हो गया है । फलाँ वहन बालविधवा है, अमुक लीको उपरातली बच्चे पैदा होते हैं, कोई स्त्री या पुरुष वीमार है, देशमें पराधीनता है, दरिद्रता है, असृष्ट्यता है, बालमृत्यु होती है, बाढ़ आ जाती है, अकाल पड़ते हैं—तो अिन सबके लिये हमारे पण्डित या अर्धपण्डित कहते हैं, 'जिनके जैसे कर्म' और अितना कह देनेमें अपने कर्तव्यकी समाप्ति मान लेते हैं!

अधिर जो पुरुष 'ज्ञानी' समझे जाते हैं अन्हें अपनी भोगवासनाकी युष्टिके लिये भी 'प्रारब्ध'वाद अच्छा सहायक हो जाता है । 'ज्ञानी'को

भी प्रारब्ध भोगे विना छुट्कारा ही नहीं है बिस ढाल्के सहारे संन्यासी मजेमें शाल-दुश्शाले औइ सकते हैं, वेशकीमती कपड़े व गहने पहन सकते हैं तथा दुष्कर्म भी कर सकते हैं।

किन्तु सच पूछिये तो 'पूर्वकर्म' का अर्थ वितना ही है कि हमारी कोअी भी वर्तमानस्थिति दुलारसे विगड़े किसी स्वच्छन्दी वालके जैसे अीस्वरकी मनमानी खिलवाइका परिणाम नहीं है, वल्कि बहुताशमें समाजके ही किये हुओ पूर्व दोषोंका परिणाम है। हमारी वर्तमान स्थिति हमारे भूतकालके आचरणका ही फल है। फिर, जन-साधारणकी कल्पनामें पूर्वकर्मका अर्थ और भी संकुचित हो गया है। 'पूर्वकर्म'का अर्थ असी क्षणके पहलेका कर्म नहीं, वल्कि अकेदम ठेठ पूर्वजन्मका कर्म समझा गया है। यह बात समझनेमें हमें देर नहीं लगती कि हमारा आजका अजीर्ण हमारे कलके या दोचार दिनके खान-पान का परिणाम है। और सच पूछिये तो यह पूर्व कर्मका ही नतीजा है। परन्तु फिर भी यह समझा व समझाया जाता है कि मेरी कोअी पुरानी वीमारी अस जन्मके कर्मका नहीं, वल्कि पूर्वजन्मके कर्मका परिणाम है। यदि अपनी ख्रिकि साथ धरमें पटरी नहीं बैठती, लड़का सपूत न हुआ, व्यापारमें नुकसान वैठ गया, मनोरथ सफल न हो, किसी भी बातका यदि 'निश्चित कारण समझमें न आवे तो वह फौरन यही मान लेता है कि पूर्वजन्मका कोअी पाप ही बाधक हो रहा है।

इस प्रकार जीवनके लमाम अनुभवोंको पूर्वजन्मके कर्मके साथ ही क्षट्टे वाँध देनेकी जहरत नहीं है। अनिमेसे बहुतेरे अनुभवोंके कारण हम अपने इसी जन्मके कर्मों या संकल्पोंकी छानवीन करके निश्चित कर सकते हैं। और इस जन्मके कर्मों या संकल्पोंका पता लगाये विना अकेवारभी पूर्वजन्मके अनुमान पर कुद पड़ना गलती है।

फिर, सामान्य घ्यवहारमें हम कहा करते हैं और मानते हैं कि विना दो हाथके ताली नहीं बजती। यह कहावत सुख-दुःखके अनुभवों पर भी लागू पड़ती है। आज हम जिस परिणामको सहन कर रहे हैं उसका कारण सदा हम अकेलेका ही पूर्वकर्म नहीं होता, हमारे सिवा औरोंका भी पूर्वकर्म हो

सकता है। और ऐसे प्राकृतिक—आधिदैविक—बलोंका भी प्रभाव हो सकता है, जो हमारे काव्यमें नहीं है—जैसे कि वाष्ण, विजली, भृकम्प, अनाशृष्टि आदि। * हो सकता है कि कभी इस परिणामको लानेमें हमारा स्वर्कर्म ही बलवान् हुआ हो, और कभी परकर्म अधिक प्रबल हुआ हो; कभी दोनोंका समान बल हो, और कभी कोअी आधिदैविक कारण जोरदार हो गया हो।

हमारा देश जो सदियोंसे दूसरी जातियों व देशोंसे शासित व पीड़ित होता चला आया है अुसमें जैसे हमारे पूर्वजोंकी अधोगति वैसे ही दूसरी जातियोंकी महत्वाकांक्षा भी कारणीभूत है।

एक लड़की बालविधवा है, तो इसमें अुसका पूर्वकर्म बहुत हुआ तो इतना ही कहा जायगा कि वह विना समझेक्षेत्र सपदीमें बैठ गई; इसके अलावा तो युसे जो यह फल भोगना पड़ रहा है वह ज्यादातर उसके माँ-बापके कर्मकी बदौलत ही है।

मैं रेलमें सवार होऊँ यह मेरा पूर्वकर्म है। परन्तु यदि रेल अुलट जाय तो युसमें गार्ड, ड्राइवर, स्टेशन मास्टर आदिके कर्मकी ही प्रबलताका प्रभाव ही कहा जायगा। +

* गीताकार भी कहते हैं, ‘अधिष्ठान, कर्ता, मित्त अनिदियों, विविध व्यापार और दैव—यिन पाँच कारणोंसे कर्म होता है।’ (अ० १८: १४-१५)। फिर सहजानंद स्वामीका ‘वचनामृत’ देखिये: ग. प्र. ७८ देश, काल, क्रिया, संग, मंत्र, देवताका ध्यान, दीक्षा और शास्त्र, ये आठ कारण मनुष्यों पर प्रभाव ढालते हैं और ये पूर्वकर्मके सुपरान्त हैं। ये सब पूर्वकर्मके अधीन नहीं हैं। क्योंकि ‘यदि पूर्वकर्मके कारण देशादिक आठ प्रभाव ढालते हों तो फिर मारवाड़में जो कभी पुण्यवान् राजा हो गये हैं युनके लिये जौ हाथ गहरा पानी झुखला नहीं हो गया; और यदि देश पूर्वकर्मधीन हो तो फिर पुण्यकर्म लोगोंके लिये पानी ऊपर आ जाना चाहिये और पायियोंके लिये नीचे चला जाना चाहिये। किन्तु ऐसा होता नहीं। . . . अतथेव देशादिक पूर्वकर्मके फिराये नहीं फिर सकते।

+ यदि वह अमानदारीसे बैसा मानता हो कि प्रत्येक मनुष्य अपने ही पूर्वकर्मके कारण सुखदुःख भोगता है तो फिर कोअी हिन्दूरेलवे कम्पनी पर हरजानेका दावा ही नहीं कर सकता।

संसारमें कोई भी बड़ना विना द्वन्द्वके — अर्थात् कमसे कम दो बलोंके विना — नहीं हो सकती। बादलोंमें चाहे कितनी ही विजली — शक्ति — छुपी पड़ी हो परन्तु वह प्रकाशित तभी हो सकती है जब द्वन्द्व रूपमें हमारी पकड़में आती है। अब यह प्रश्न है कि किसी परिणामके लिये दोमेंसे किसके कर्मको जिम्मेदार समझा जाय? तो यह कह सकते हैं कि अुस कर्मका संकल्प जिसने किया हो उसीको अुसका कारण समझना चाहिये। जैसे, वैधव्य शादीसे अुत्पन्न होनेवाला ऐक परिणाम है। अतः अिसका जिम्मेदार वही शख्स है जिसने उस विवाह-क्रियाका संकल्प किया हो। अब बाल-विवाहमें माता-पिता ही विवाहका संकल्प करते हैं अतएव यह अन्हींके कर्मका परिणाम मानना चाहिये। लड़कीके पूर्वकर्मके पापसे अुसे वैधव्य प्राप्त हुआ ऐसा कहना 'पूर्वकर्मवाद'का दुरुपयोग है।

अिसपर कोई कहेगा कि यदि माँ-बापके कर्मका परिणाम लड़कीको भोगना पड़े तो यह तो अन्याय हुआ। आप अिसे चाहे न्याय कहिये, चाहे अन्याय, संसारमें ऐसा कोई ऐकान्तिक नियम नहीं है कि मनुष्यको स्वकर्मके फल भोगने ही पड़ते हों। और अिस भ्रमके दूर हो जानेकी आवश्यकता है। रुदियों अटल हैं, अिस धारणाके कारण हम जहाँ तहाँ पूर्वजन्मके ही कर्मको देखते हैं। पर सच बात यह है कि कितने ही परिणाम स्वसंकल्पजनित हैं, कितने ही परसंकल्पजनित और कितने ही अुभयजनित हैं। मनुष्य केवल अपने व्यक्तित्वकी दृष्टिसे नहीं, बल्कि प्रश्नाप्डके ऐक अवयवकी दृष्टिसे विचार करे तो अिसका कारण स्पष्ट रूपसे समझ सकता है। व्यक्ति स्वायत्तं भी है और वक्षांडायत्तं भी है। अकाल पड़ता है तो यह नहीं कह सकते कि वह अकालपीड़ितोंके स्वसंकल्पसे ही होता है, बल्कि वह प्रश्नाप्डके संकल्पका — अर्थात् प्रश्नाप्डकी शक्तियोंका — परिणाम है।

जब अतिवृष्टि, बाढ़ आदि कारणोंसे मनुष्यसमाज पर विपत्ति आती है और अनेक मनुष्योंका संहार हो जाता है, तब कहते हैं कि संसारमें पाप वह जानेसे यह दण्ड मिला है। ऐसा माननेकी और हम चाहे अिसे न भी मानते हों तब भी ऐसा कहनेकी आदत पड़ गई है।

दूसरी तरफ अन्य छोटे-बड़े प्राणियोंका संख्याकी दृष्टिसे अिससे भी बढ़कर भयंकर प्रलय रोज हुआ करता है। कितनी ही चीटियाँ रोज मोरीके पानीकी वाढ़में वह जाती हैं और आगमें जल जाती हैं। सृष्टिमें जो कुछ अुत्पात होते हैं वे सब मनुष्यके ही पाप-पुण्यकी बदौलत होते हैं ऐसा मानने या कहनेकी जरूरत नहीं है। क्योंकि अुत्पातोंका होना सृष्टिके स्वभाव या नियमके विरुद्ध नहीं है। जैसे रोज छोटे छोटे जन्मुभोके भयंकर संहारका नम्हर आता है असी तरह कभी कभी वडे प्राणियोंकी भी वारी आ जाती है। अिसमें ऐसा कहनेकी जरूरत नहीं कि यह दैव-दण्ड है। जगत जब पुण्यशाली बन जायगा तब भी ऐसे अवसर आ सकते हैं। ऐसे समय, जिनपर ऐसा संकट आ जाय, वे अपने कियेका फल भोगते हैं, अतअेव अन्हें भोगने देना चाहिये, यह कहना शुष्क ज्ञान है। और यह मानकर शोक करना कि यह पापकी बढ़तीका चिह्न है प्रश्नावाद* है।

हम यह नहीं कहते कि हमारा अपना पूर्वकर्म कारणीभूत होता ही नहीं। अनेक लोगोंपर जब भयंकर आफत आती है और अुसमें अनेकोंका संहार हो जाता है तब यदि अचानक कोई व्यक्ति वच जाता है अथवा किसी प्राणघातक दुर्घटनासे अकलित रूपसे सही-सलामत निकल आता है तब यह माना जा सकता है कि यह जीवन-धारणके किसी प्रवल संकल्पका — ऐक प्रकारके पूर्वकर्मका — परिणाम है। परन्तु हर जगह पूर्वकर्म और तिसमें भी पूर्वजन्मके कर्मको सामने खड़ाकर देना गलत है।

* “ अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रश्नावादांश्च भाषसे । ” यह गीताके अर्थमें शोक व प्रश्नावाद है।

अध्यासवाद - १

शास्त्रमें लिखा है कि जीवको अस देह तथा अनिद्रियादिमें अहन्ताकी भावना हो गयी है; अस अध्यासको छोड़कर यदि वह ऐसा अध्यास करने लगे कि 'मैं आत्मा हूँ', तो जीवपन दूर होकर असे प्रक्षपन प्राप्त हो जाय। ऐसे अध्यासके लिये अिल्ली और भ्रमरका हृष्टान्त प्रसिद्ध है। वैज्ञानिकोंका अवलोकन कुछ भी हो, परन्तु वैदानिकोंका यह हृष्टमत है कि अिल्ली भ्रमरका ध्यान करते करते स्वयं भ्रमर बन जाती है। ऐसा अध्यास चाहे भयसे हो वा प्रेमसे हो या वैरसे किसी तरह हो असे तदाकारता पाना यह नियम ही है।

हृष्टान्त भले ही गलत हो। असके वैज्ञानिक सत्यासत्यका हमें ज्ञानान्तर्गत नहीं अठाना है। यह बात भी सच है कि चित्त किसी भी पदार्थका यथार्थ ग्रहण, फिर वह क्षणभरके लिये भी क्यों न हो, असके साथ तदाकार हुआ विना नहीं कर सकता। तदाकार होनेका अर्थ यह है कि चित्तका स्वामी अतने समय तक अपना अस्तित्व लगभग भूल जाता है और केवल पदार्थमय बन जाता है। और यह भी सच है कि देह अनिद्रियों आदिके साथ असका ऐसा तादात्म्य आम तौरपर रहा ही करता है।

जब तक चित्तकी ऐसी तदाकारकी स्थिति रहती है तब तक वह पदार्थका यथार्थ स्वरूप ग्रहण करते हुआ भी असके संवर्धनमें तटस्थताके साथ निर्णय करनेमें असमर्थ रहता है। तादात्म्यके विलकुल हट जानेके बाद ही वह अस पदार्थके स्वरूपका योग्य निर्णय कर सकता है। अतअव कहना होगा कि पूर्वोक्त शास्त्रवचनमें चित्त-घर्मोंका कुछ हद तक सही ज्ञान है।

परन्तु अस वचनका अर्थ साधक ऐसा समझता है कि जीवपनका ध्यास मिटानेके लिये 'मैं आत्मा हूँ', 'मैं ब्रह्म हूँ', 'मैं सच्चिदानन्द हूँ', 'मैं आनंद हूँ', 'मैं सक्षी हूँ', 'मैं दृष्टा हूँ', 'मैं देहादिकसे

मिन्न हूँ', 'मैं अलिस हूँ', 'सोऽहम्', 'अहं व्रद्धाऽस्मि' आदि स्त्र
रटना और ऐसी भावना करनी चाहिये ।

ऐसे विषयमें संत लोग एक कहानी कहते हैं: एक किसान किसी
सन्तके पास आत्मज्ञानकी अच्छासे गया । सन्तने पूछा—‘तुझे दुनियामें
सबसे ज्यादा प्यारी चीज क्या है?’ अुसने कहा—‘मुझे अपनी मैंस
सबसे अधिक प्यारी है’ तब सन्तने उसे एक कमरमें विठाकर कहा
—‘ऐसे कोठरीमें छह महीने वैठकर अपनी मैंसका ही विचार किया कर।
छह महीने बाद मैं आभूँगा।’ तदनुसार शुसने छह महीने तक मैंसका ही
चिन्तन किया । मियाद खत्म होनेपर साधु आये और अुन्होंने किसानसे
कहा कि बाहर निकलो । तब अुसने जवाब दिया—‘महाराज ये मेरे
सींग दरवाजेसे बाहर कैसे निकलेंगे?’ तब साधुने समझ लिया कि
ऐसने यथावत् चिन्तन किया है और फिर अुसे शुपदेश दिया ।

ऐसे कथाका तात्पर्य कितने ही साधु ऐसे तरह समझते हैं,
और साधक भी मानते हैं कि ऐसे तरह यदि साधक व्रद्धके साथ भी
अध्यास करने लगे तो अुसकी वृत्ति व्रद्धाकार हो जायगी ।

ऐसे दृष्टिकोणमें और ऐसका तात्पर्य समझनेमें बहुत भूल हो जाती है ।

पहले तो यह समझ लेनेकी जरूरत है कि देहादिमें अहन्ता केवल
अध्यासका परिणाम नहीं है और आत्मज्ञान अध्यासका विषय नहीं है ।
'व्रद्धाकार वृत्ति करना,' 'आत्माके साथ तदाकार होना' आदि भाषा ही
साध्य विषयक अज्ञान सूचित करती है ।

फर्ज कीजिये कि कोअरी बच्चा अपनी धायको माँ ही समझता आया
है । अब बहुत बरसके बाद यदि अुसे मालूम हो कि अुसकी माँ तो
बचपनमें ही मर गई थी और अुस धायने ही अुसे पाल-पोसकर बड़ा
किया है । अितना समझनेके बाद अुस धायमेंसे माँ-पनके अध्यासको
निकाल डालनेमें अुसे कितना समय लगेगा? 'यह मेरी माँ नहीं है'
क्या अुसे ऐसी रट लगानी पड़ेगी? ऐसी तरह अुस किसानका—यदि छह
महीनेमें अुसे सदाके लिये चित्तश्रम न हो गया हो तो—वह मैंसपनका
अध्यास छुड़ानेमें कितना समय लगेगा? क्या यह रट रटकर कि

अध्यासवाद - ३

“मैं भैससे भिन्न हूँ, केवल भैसका इष्ट हूँ, अुसे भैसका अध्यास आगचुक हो; यदि देहमें अहन्ता — भैपनका अध्यास — अस प्रकारका अुसे छोड़नेके लिये रटन करनेकी जरूरत न रहेगी। और आत्म-ज्ञान यदि भैसके जैसे अध्याससे ही प्राप्त होनेवाली वस्तु हो, तो यह अध्यास भी — सदाके लिये चित्तभ्रम हुये विना — सब अध्यासोंकी तरह नाशमान ही रहेगा। तब अस विषय में सही बात क्या है? असकी चर्चा अब दूसरे परिच्छेदमें करेंगे।

१३

अध्यासवाद - २

इसे एक बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिये कि हमें अपने शरीरका या अुसके किसी अंशका, या जगतका जो कुछ ज्ञान है वह चित्तके द्वारा ही है। जिसकी ओर चित्त आकर्षित हो जाता है और वह जितने भागमें व्याप होता है अुसने ही भागका ज्ञान या मान हमें होता है। हवा जितने भागमें भरी जाती है अुस सरेमें व्याप हो रहती है। अुसी तरह चित्तकी व्यापकता पदार्थके आकारके अनुसार अत्य या विशाल होती है।

मामूली हालतमें, जाग्रतिमें या स्वप्नमें, चित्त किसी न किसी पदार्थसे संलग्न ही रहता दिखायी देता है; फिर वह पदार्थ शरीर ही, शरीरका कोअी भाग हो, या वास्तव जगतकी कोअी वस्तु हो। जाग्रतिमें वास्तविक ज्ञान चित्तका ज्ञानेन्द्रियोंके स्थिर गोलकों द्वारा अथवा भूतकालमें प्राप्त ज्ञानकी स्मृति द्वारा होता है। स्वप्नमें भी कुछ स्मृतियोंकी जाग्रति होती है।

कागजपर जो शक्त बनायी जाती है अुसे हम चित्र कहते हैं। अब हमारी आँख न तो कागजको चित्रके विना, न चित्रको कागजको बिना ही प्रहाँ करती है। हम दोनोंको एक साथ ही देखते हैं। लेकिन कागजपर चित्रके रहते हुये भी यदि हम केवल कागजका ही विचार करना

चाहें तो अिसमें दिक्कत नहीं होती । अुसी तरह यदि अकेले चिन्हका ही विचार करना हो तो भी अुसमें कागज कोअी बाधा नहीं ढालता । कागज और चित्र दोनोंमें अन्वय (योग-सम्बन्ध) करके हम अुस सारेको ‘चित्र’ कहते हैं । कागज और चित्रका परस्पर व्यतिरेक (भिन्नता-सम्बन्ध) करके हम दोनोंको जुदा जुदा पहचानते हैं । परन्तु जब हम दोनोंकी भिन्नता ख्यालमें लाते हैं तब भी दोनोंका अन्वय दृष्टिके बाहर नहीं रहता, और कागज या शक्लको मिटाकरके ही व्यतिरेकताका विचार नहीं करना पड़ता ।

अब, जैसा कि पिछले लेखमें बताया गया है, चित्त जब किसी पदार्थके साथ तन्मय हो जाता है तब अुतने समयके लिअे अुसे अुसमेंसे अपने अस्तित्वका भान ल्यामग लुप्त हुआ प्रतीत होता है । परन्तु जब ऐसी तन्मयतासे व्युत्थान — अठान — होता है तब अुसे एक तरफ अुस पदार्थका भी भान होता है व दूसरी तरफ खुद अपने अस्तित्वका भी ।

हमें जो अपने अस्तित्वका भान होता है अुसे हम अपना ‘मैं-पन’ कहते हैं । यह मैं-पन — अस्मिता — चित्तकी एक स्थिति है । अतअेव जितने भागपर चित्त व्याप्त रहता है अुतने ही भागपर अुतने समय तक अुसका अहंकार फैलता है । और अस्तित्वके भानयुक्त चित्त तथा अुससे व्याप्त पदार्थ दोनोंमें कागज और शक्लके जैसा अन्वय-व्यतिरेक सम्बन्ध रहता है । जब हम यह कहते हैं कि मैं भारतीय हूँ, हिन्दू हूँ, वैश्य हूँ, काला हूँ, वहरा हूँ, रोगी हूँ, पुरुष हूँ, विकारी हूँ, अपढ़ हूँ, आदि तब हम अपने अहंकारकी व्याप्ति और संकोच तथा देश, धर्म, वर्ण, शरीर, अिन्द्रिय, प्राण, लिंग, भावना, बुद्धि आदिका अन्वय सम्बन्ध ध्यानमें लाते हैं । परन्तु अस्मिताको एक ओर रखकर केवल देश, धर्म, वर्ण आदिका विचार करनेमें हमें दिक्कत नहीं आती । अिन सबका हम अपनी अस्मितासे व्यतिरेक कर सकते हैं । और वह व्यतिरेक करते वक्त हमारा भारतीयपन, हिन्दुत्व, वैश्यत्व आदिका नाश नहीं हो जाता ।

हमारे शरीरसे बाहरके जो पदार्थ हैं — जैसे कि हमारा कुटुम्ब, वर्ण, देश, आदि — अिनके साथ हमारी अस्मिताका व्यतिरेक करना कठिन

नहीं होता । मेरी भारतीयता औपाधिक है, हिन्दुस्तानमें मेरा जन्म होनेके कारण बनी है, मैं वस्तुतः अुससे अलग हूँ, अिस बातको लक्षमें लानेके लिये अिस सम्बन्धका विनाश होना ही चाहिये यह हमें आवश्यक नहीं प्रतीत होता ।

परन्तु जैसे ऐकाघ मनुष्य ऐसा हो सकता है, जो चित्रबाले कागजका विचार दिना अुस शक्लके नहीं कर सकता, अुसी तरह शरीर और अुसके अवयव, चित्त और अुसके धर्म — भावना, बुद्धि आदि — का व्यतिरेक करके मैं-पनका विचार करना बहुतेरे लोगोंके लिये आसान नहीं । आम तौरपर हम अुसे किसी पदार्थके साथ अन्वित ही देखते हैं । परन्तु यही तो श्रेयार्थीको सिद्ध करना है । अस्मिताका — अपने मैं-पनके भानका — अत्यन्त व्यतिरेक करना, अन्वित पदार्थोंको ऐक ओर करके अुसके सुझमतम स्वरूपको व्याजमें लाना ही तो अुसकी शोधका विषय है ।

अिस शोधमें, जैसे कि किसानने भैंसका चिन्तन किया था, किसी पदार्थ या जपपर अपना चित्त ऐकाग्र करनेकी जरूरत पढ़ सकती है । परन्तु यह दूसरी बात है । अपने घरको विजलीकी लापटसे बचानेके लिये जैसे अुसपर ऐक नुकीला तार लगाके अुसे नमीनमें अुतार दिया जाता है जिससे विजली ऐक केन्द्रमें आकर निश्चित मार्गसे वह जाय; सारे खेतमेंसे जब पानी बहने लगता है, तब खेतकी रक्षाके लिये किसान अुस पानीका वहाव किसी ऐक जगहसे रास्ता काटकर बना देता है, अुसी तरह यह ऐकाग्रता चित्तको संशोधनके योग्य बनानेके लिये अुपयोगी है ।

परन्तु अिसमें महत्वकी बात यह है कि यह विषय शोधनका, चित्तकी अस्मिताके परीक्षणका और प्रथक्करणका है; और अुसमें स्थिरता प्राप्त करना हमारे चित्तकी शुद्धि और विकासका फल है । अध्यासका — कल्पना करनेका — चित्तको ब्रह्मत्वका रंग लगा देनेका यह विषय नहीं है, और न यह सिफे तर्कका अथवा अवणसे या वाचनसे समझ लेनेका विषय ही है ।

अिस विषयको यथार्थ न समझनेके कारण श्रेयार्थी पुरुषको अिसमें ऐक और भी भ्रम पैदा हो जाता है । लेकिन अुसका विचार हम दूसरे प्रकरणोंमें करेंगे ।

देहका सम्बन्ध

हमारे शास्त्र कहते हैं—‘तुम्हें जो देहका अध्यास हो गया है, उसे छोड़ दो और यह समझो कि मैं देहसे भिन्न, देहके सब धर्मोंसे भिन्न धर्मवाला, अविनाशी, अल्पित, सञ्चिदानन्द ब्रह्म हूँ।’ अिसका अर्थ यह समझा गया है कि देहका अध्यास ‘मैं देह नहीं हूँ’ ऐसी भावना करनेसे छोड़ा जा सकता है और ऐसी भावना करनेसे कि ‘मैं ब्रह्म हूँ’ ब्रह्मात्म सिद्ध किया जा सकता है। अिस तरहके किसी विचारके वश कितने ही श्रेयार्थियोंके प्रयत्नका ध्येय ऐसी स्थिति प्राप्त करना बन जाता है कि जिससे चित्तमें कभी जगतका स्मरण ही न हो। और ऐसे ही विचारोंकी बदीलत हठयोगके बे सब प्रकार भी अुत्पन्न हुअे हैं जिनसे ऐसी स्थितिमें बहुत समय तक रहा जा सके।

परन्तु जब तक देहमें प्राण है, तब तक यह सम्भव नहीं कि देह या जगतका विस्मरण सदाके लिये किया जा सके। महीना छह महीना या यों कहिये कि हजारों वर्ष तक भले ही वह निश्चेष्ट पढ़ा रहे किन्तु ध्यानाभ्यासकी मियाद खत्म होनेपर फिर देह व जगतका सम्बन्ध और युस सम्बन्धके साथ ही भूख-प्राप्त आदि अर्द्धियाँ तथा अब तकके अंजित विकार जाग्रत हुअे विना नहीं रहते।

अिससे कितने ही श्रेयार्थियोंका ऐसा मत बनता है कि जब तक देह है तब तक केवल आत्म-स्थितिमें रहना अशक्य है। वे मानते हैं कि जहाँ अेक बार देहसे छूटा जा सके तो फिर आत्मा अपनी केवल्य दशामें ही रहेगा।

अिस विचारसे यह कल्पना पैदा हुअी है कि ‘मोक्षानुभव’ के लिये देहका नाश आवश्यक है; और दुःख-रूप अिस देहका और अुसके साथ लगी हुअी माया तथा अविद्याका सम्बन्ध टालनेकी अिच्छासे श्रेयार्थियों द्वारा आत्महत्या करनेके अुदाहरण वैदिक तथा बौद्ध साहित्यमें

मिलते हैं। भैरवजप, काशीकरवत आदि आत्महस्त्या करनेके प्रकार ऐसी ही कल्पनाओंसे अुत्पन्न हुओ हैं।

अिस कल्पनाको वासनाक्षयका विचार भी दृढ़ करता है। वासनाक्षयका अधिक विचार हम अगले किसी परिच्छेदमें करेंगे। यहाँ तो अितना ही कहना है कि वासनाके बिना शरीरकी अुत्पत्ति नहीं हो सकती और देहका अस्तित्व वासनाके अस्तित्वका चिह्न है — अिस स्थापना परसे साधक यह समझता है कि अिसकी अुलटी स्थापना भी यानी, देहके नाश होते ही वासनाक्षय भी हो जायगा, सिद्ध होती है। अथवा अपने सम्बन्धमें वह कल्पना कर लेता है कि मेरा वासनाक्षय तो हो ही चुका है, फिर भी देहका नाश नहीं होता, अतः अब मैं खुद ही अुसका अन्त कर डालूँ; अथवा देहका नाश करनेकी विज्ञा अुत्पन्न होना ही सचित करता है कि अंब आत्माका 'वियोग' (!) एक क्षणभरके लिये भी मुझे असह्य हो रहा है। किन्तु वह अिस बातको नहीं देख सकता कि देहनाशका जो आग्रह अुसे है अुसीमें अुसकी वासनाके मूल चाकी बच रहे हैं। अस्तु। लेकिन यह सारी विचारसरणी देहसम्बन्ध, आत्मसत्ता, वासना आदि विषयक हमारे अतिशय भ्रमका ही परिणाम है।

जरा सोचनेकी बात है कि यदि आत्मज्योति अितनी हद तक मन्द या मलिन हो कि वह देह अथवा मायाके कारण आच्छादित या क्षीण हो जाती है, तो फिर कहना चाहिये कि देह या माया ही आत्मासे अधिक बलवान है। तो फिर ऐसी निवेल आत्माकी लोलसे फायदा ही क्या! यदि सत्य और चैतन्य-रूप आत्मा ही प्रक्ष अर्थात् महान व सर्व शक्तिभान हो, तो फिर मायाका आवरण चाहे कितना ही प्रबल व हृष्ट हो, अुसकी शक्ति अुसका भेदन करनेमें समर्थ होनी ही चाहिये, और हमें अिस आवरणके रहते हुओ भी अुसमेंसे अुसका अस्तित्व हृृष्ट निकालनेमें समर्थ होना चाहिये। फिर यदि देह ही समस्त पुरुषार्थोंको सिद्ध करनेका साधन है, तो फिर देहके कायम रहते हुओ भी हमें अनकी भासिमें समर्थ होना चाहिये। यदि देहके रहते हुओ हम अुसे न पहचान सकें तो फिर देह चले जानेके बाद वह अवश्य मिल रहेगा, अिस अद्वके लिये कोई आधार नहीं मिलता। मेरी जानकारीमें ऐसा कोई

शास्त्रवचन भी नहीं है। परन्तु यदि हो भी, तो वह कल्पनाजन्य ही हो सकता है, अनुभवजन्य नहीं।

चित्तकी शुद्धि, ओकाग्रता और निरोध, चित्तमें अुठनेवाले स्पष्ट भावों — सम्प्रश्नानोंका — पथकरण, प्रश्नाकी सूक्ष्मता, ध्येय प्राप्तिके लिए अत्यन्त तीव्र किन्तु बुद्धि और अुत्साहयुक्त श्रम व व्याकुलता — अितने साधन आत्मसत्त्वाकी पहचानके लिए अुचित हो सकते हैं। परन्तु हमें यह न भूलना चाहिये कि जो कुछ हासिल करने जैसा है वह हमें देहके रहते हुओं ही करना है। यदि संसारके दूसरे तत्त्वज्ञानोंसे आर्य-तत्त्वज्ञानकी कोअी विशेषता हो तो वह अिसी बातमें है कि आर्य-तत्त्वज्ञान अनुभवकी भित्तिपर रचित है, और अुसका अद्वितम् ज्ञेय जीवित अवस्थामें ही साध्य करना है।

‘कहिये करें किस रीतसे दर्शन भला अिस देवके !

‘ये बोल हैं अज्ञानसे विगड़ी हमारी टेवके ।

‘अणुमात्र भी न जुदा लखो निज पास नित्य मुक्ताम है ।

‘करके अनुभव जान लो बस अेक अितना काम है ॥’+

(केशवकृति)

+ मूल गुजरातीका अनुवाद ।

वासनाक्षय

वासनाओंकी निवृत्ति करना प्रत्येक साधकका ध्येय होता है; क्योंकि हमारे तत्त्व-विचारकोंको यह प्रतीत हुआ है कि वासना ही बन्धन और जन्म-मरणका कारण है; और असलिये वासनाओंकि त्यागका अपदेश दिया जाता रहा है।

परन्तु साधक अिस विषयमें बहुत बार चक्करमें पड़ जाता है। जब कभी जीवनसे या जीवन-कर्मोंसे जी अब जाता है, जीवनमें असफलतायें मिलेसे जगत या सम्बन्धियोंकि प्रति मनमें कुछ भुदासीनता आ जाती है, अकालमें दुष्टापा आया ल्याता है, वैराग्यका क्षणिक या अपरी आवेग आ जाता है, तो जिन सबको देखकर साधक यह खयाल करने लगता है कि अब मेरी वासना निवृत होने समस्ता है; और अिसे आध्यात्मिक दृष्टिसे अेक शुभ चिह्न समझता है।

चूंकि इह करनेका यत्न करता है। परन्तु वास्तवमें देखा जाय तो वासनाकी जड़ अितनी अुथरी नहीं है कि झटसे अुखड़ जायें — वासनाक्षय हो जाय। हाथमें लगी मिठी जैसे हाथ झटकारेसे या धो लेनेसे निकल जाती है अुस तरह वासना झटकारी या धोओ नहीं जा सकती। अथवा जैसे किसी पौदेको जड़से अुखड़ दिया जाता है अुस तरह वासनाका अुच्छेद नहीं किया जा सकता।

कल तक यदि किसीके मनमें शादी कर्हें या घस्तचारी बनकर रहें, सब धन-दौलत पैदा कर्हें या देश-सेवामें पड़ें या फिर संन्यास ले लैं, विलायत या अमेरिका जाकर खुब अध्ययन कर्हें या हिमालयमें नाकर अकान्त चिन्तनमें जीवन लगाऊँ, ऐसु तरह दुविधा रही हो और फिर वह किसी मनोवेगके अधीन हो संन्यास लेकर हिमालयमें चल गया तो अिससे यह न समझना चाहिये कि अुसकी वासनाओंका

पूरी तरह अच्छेद हो गया है। बहुरूपिया जैसे स्वांग बदल बदलकर आता है असी तरह वासना नये नये निमित्त पैदा करके नये स्वांग बदलकर आया करती है।

मुझे तो 'वासनाका अच्छेद' यह शब्द-प्रयोग ही भ्रमपूर्ण मालूम होता है। जैसे पिछले दिनोंमें मिट्टीके तेलकी बदबू निकाल डालनेके लिये नागरबेलके पान हाथमें मल लिये जाते थे असी तरह मलिन व स्वसुख विषयक वासनाओंको संयममें रखके अनुनको परोपकारी व शुभ वासनाओंमें रूपान्तर करना, अनि शुद्ध वासनाओंको विवेकसे फिर और शुद्ध करना और अन्हें अितनी पुष्ट कर लेना कि फिर वे वासनाके रूपमें ही न रहें, वल्कि केवल सात्विक प्रकृतिके रूपमें सहज गुण बनकर रहे और अन्तमें विलयको प्राप्त हो जायँ — यह वासनाओंका अन्त लानेका मार्ग हो सकता है। अतअव वासनाके अच्छेदकी जगह 'वासनाकी अन्तरोत्तर शुद्धि करना' यह शब्दप्रयोग मुझे अधिक अचित मालूम होता है। अशुभ वासनाओंको दबाकर शुभवासनाओंका पोषण करना, और शुभ वासनाओंको निर्मल बनाते जाना — यह विधि समझमें आने लायक है। जैसे बहुत महीन अंजन आँखमें आँजनेसे चुम्हता नहीं है, जैसे फूलोंका सूक्ष्म पराग वातावरणको विगाहता नहीं, असी तरह वासनाका अत्यन्त निर्मल स्वरूप चित्तके लिये अशान्तिकर अथवा सत्यकी शोघमें बाघक नहीं होता। यदि निर्वासनिकताके व अिसके वीचमें कोअी अन्तर हो तो वह बहुत ही सूक्ष्म है।*

यहाँ वासना व स्वभावमें जो भेद है वह भी ध्यानमें रखना चाहिये। वासना मनमें अठनेवाली एक अभिलाषा है और असका प्रेरकबल है हमारे अन्दरकी क्रियाद्यक्षित। जब अिस वासनाके अनुसार बार बार आचरण किया जाता है तो अिससे एक वा अनेक गुण दृष्ट होते हैं और धीरे धीरे वे ही हमारा स्वभाव बन जाते हैं। फिर विना अभिलाषाके भी अिस स्वभावके अनुसार हमसे व्यवहार या कर्म हो जाते हैं। जो

* $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5}$ के अनवधि तकका जवाब और १ के वीचमें जो फर्क हो सकता है, अतना कल्पित किया जा सकता है।

अभिलाषायें इमें विवेक-विचारसे सदोष, अशुद्ध, स्वार्थरत, अवच्छिन्नीयः या परिणाममें तामसी मालूम हों अनुके अधीन न होना व अितना मनोनिग्रह करना कि अनुकी प्रेरणाओंका पालन न हो, सर्वथा अुचित है। परन्तु अिसके साथ ही यदि शुभ अभिलाषाओंका पोषण करके सात्त्विक प्रकृतिको दृढ़ करनेका अद्योग विवेकपूर्वक न किया जाय और फिर परिणाममें केवल निष्क्रिय होनेका मिथ्या प्रयत्न ही इमसे होता रहे, तो आगे चलकर वह क्रियाशक्ति विकृत स्वरूप घारण करके कुपित हुआ विना न रहेगी; फिर चाहे वह क्रियाशक्ति आत्महत्याके यत्नका स्वस्य घारण करे, चाहे तो — शुद्ध वेदान्तका आश्रय करनेसे — स्वच्छन्दतामें परिणित हो जाय, और चाहे तो — चित्तभ्रम पैदा करके — पिशाचवृत्तिका स्वप्न ले ले। ये परिणाम अिसलिए हो जाते हैं कि मूलतः सात्त्विकताके अेक अंशसे युक्त साधक अपनी तामस व राजस वृत्तियोंको युक्तिसे ठीक रास्ते ले चलनेका ज्ञान नहीं रखता। यह चित्तके पुष्ट व निरोग विकासकी दिश्यति नहीं मानी जा सकती।

हाँ, आत्मशोधनके लिए चित्तका निरोध अपेक्षित है; अुसके लिए वासनावल पर अपना प्रभुत्व रखनेकी कला जानना मी अपेक्षित है; किन्तु आत्मशोधनके लिए, या किसी प्राकृतिक सत्य-शोधनके लिए अेक तीसरी चीज भी जरूरी है। लेकिन अुसकी ओर बहुत कम साधकोंका ध्यान गया मालूम होता है। और अिसका कारण है वासना और चित्तवृत्तियोंके परीक्षणकी खामी। वह तीसरी आवश्यक वस्तु है चित्तके पूर्वग्रहोंका त्याग और शोधनीय वस्तुके प्रति निष्कामता — पिछले खण्डमें जो भक्तिका हार्द बताया गया है वैसी वृत्ति।

लेकिन अिस विषयका विचार अव अगले परिच्छेदमें करेंगे।

पूर्वग्रह

प्रायः वहुतसे साधक आत्मशोधनके विषयोंमें अपने पूर्वग्रहोंका त्याग नहीं कर सकते । जिस वस्तुकी शोध करनी है अुसे अुसने खुद देखा नहीं, जाना नहीं, शास्त्रोंने अुसका निषेधात्मक ढंगके सिवा दूसरी तरहसे वर्णन किया नहीं, और ऐसा कहा है कि मन और वाणी अुस तक पहुँच ही नहीं सकती, फिर भी सच्चिदानन्द, सत्य, शिव, सुन्दर, आदि बाह्यतः वर्णनात्मक और विधेयात्मक दीखनेवाले शब्दप्रयोगोंके कारण* वहुतेरे साधक आत्माके और आत्म-प्राप्तिके फलोंके सम्बन्धमें कुछ दृढ़ कल्पनायें बना रखते हैं, और फिर अुन्होंने कल्पनाओंके अनुरूप स्थितिको खोजने व पानेका प्रयत्न करते हैं ।

अुदाहरणके लिये शास्त्रोंमें कहा है कि आत्मा सच्चिदानन्द-स्वरूप है । मनुष्य आनन्द व ज्ञानकी कल्पना कर सकता है । अतः वह अपनी कल्पित आनन्द व ज्ञान-दशामें चित्तको पहुँचानेका प्रयास करता है; और जब कभी वह आनन्दसे विभोर हो जाता है अथवा जो पहले अस्पष्ट थी ऐसी कोअी वातका अुसे खुलासा मिल जाता है तो मानता है कि अुस समय वह आत्मस्थितिमें था । अुसी तरह अुसने यह भी कल्पना कर रखी है कि जिसे आत्म-प्रतीति हो चुकी है वह सर्वज्ञ होना चाहिये क्योंकि आत्मा ज्ञान-रूप है । अतअेव अुससे यदि किसी भी विषयमें

* शास्त्रकारोंका तो अन्तिम ज्ञान यह है कि 'सच्चिदानन्द' शब्द विषेय स्वरूपी नहीं, बल्कि व्याख्याति-रूप है । अर्थात् आत्माको जो सच्चिदानन्द कहा है अुसका कारण तो यह है कि अुसे अस्त्, अचित्, या अप्रिय नहीं कह सकते । अिस तरह सच्चिदानन्दका अर्थ अनस्त्, अनचित्, और अनप्रिय होता है; परन्तु दुहोरे निषेधात्मक शब्दोंको जगह अुन्होंने अुसे स्त्, चित् और प्रिय कहा है ।

कोअभी प्रश्न किया जाय, तो अुसे अुसका ऐसा ही प्रमाणभूत अन्तर देते आना चाहिये, जैसा अुसने अुस विषयका अध्ययन ही किया हो; अुसे भूत, भविष्य और वरेमान तीनों कालका ज्ञान हस्तामलक्वत् होना चाहिये। फिर वह यह भी कल्पना करता है कि वह निरंतर आत्मज्ञानके आनन्दरसकी धृट पीता रहता होगा। जिसके मनमें करुणा, अनुकम्पा आदि भाव भी अठडे हों वह आनन्दरूप नहीं कहा जा सकेगा।

शास्त्रोंमें आत्माको सत्य, शिव और सुन्दर भी कहा है। अब मनुष्यके खयालात इस बातमें जुदा जुदा होते हैं कि शिव क्या है, व सुन्दर क्या है। अतः शिवत्व या सौंदर्य विषयक कोअभी अद्भुत और अुदात्त कल्पना करके तदनुरूप वस्तु लहाँ हो वहाँ सत्य होना चाहिये। ऐसा वह पहलेसे ही निश्चय कर लेता है, और ऐसे स्वकल्पित सत्यकी खोजका प्रयत्न करता है; अथवा यह मान लेता है कि ऐसी भलाओंी व सुन्दरता जहाँ दिखाओ दे वहीं सत्यका निवास है। लेकिन यह याद रखना चाहिये कि ज्ञान व आनन्दके, जैव या सौंदर्यके स्वरूपकी कल्पना करना ही आत्माकी कल्पनातीततासे अिनकार करना है।

फिर शास्त्रोंमें कहा है कि जो परमात्माको पा लेता है वह अमर हो जाता है व जन्म-मरणसे छूट जाता है। अब आमलोग पुनर्जन्म या अमरताकी जो कल्पना कर सकते हैं वह सामान्यतः यही समझकर करते हैं कि हमारे अिस शरीरमें चैतन्यका जो व्यक्तित्व प्रतीत होता है वह सदा उिकनेवाली वस्तु है। व्यक्तित्वशून्य अमरता और चैतन्य-स्थिति कल्पनातीत वस्तु मालूम होती है। अतेव लहाँ मरण न हो, किन्तु व्यक्तित्व हो ऐसे अमरलोक, ब्रह्मलोक, गोलोक, वैकुण्ठ, कैलास, अक्षरधाम, वहित्त, स्वर्ग, (heaven) आदिकी कल्पना करके यह मान्यता कायमकी गओ है कि वहाँ मृत्युके पश्चात् मुक्तिग्रात् पुरुष जाते हैं और अुसकी प्राप्ति ही स्वेय बनाया जाता है। फिर अिन घामोंकी रचनाके सम्बन्धमें प्रत्येक पंथ — सम्प्रदाय अपनी अपनी शैक्षिके अनुसार अुसमें रंग भरते हैं। संक्षेपमें, भाव यह कि जो कल्पनासे परे है अुसे कल्पनाके क्षेत्रमें लाकर परमात्माको तथा अुसकी प्राप्तिको और अुस प्राप्तिके परिणामोंको प्रत्यक्ष करनेके प्रयत्न किये जाते हैं।

परन्तु यह समझ लेना जरूरी है कि सत्यके शोधकको सत्यकी प्राप्तिसे जो समाधान मिलता है, अुसीमें आनन्द मानना चाहिये। अिसके बदले जो यह कल्पना करता है कि सुख, ऐश्वर्य, सिद्धि, ऋद्धि, सौंदर्य, आनन्द आदिसे युक्त जो है वही सत्य है, वह सत्यकी अुपासना नहीं करता, बल्कि अुन विभूतियोंके लिये अुसके चित्तमें पोषित दुस्त्याज्य वासनाओंकी सिद्धिकी ही तलाशमें वह है।

अिसी प्रकार बाज लोगोंकी यह धारणा होती है कि आत्मनिष्ठ पुरुषको कोअी वीमारी न होनी चाहिये, अुसमें दूसरोंके मनकी बात जान लेनेका सामर्थ्य होना चाहिये, किसी प्रकारकी दुर्घटनाकी वाधा न होनी चाहिये, आदि। ऐसे पूर्वग्रहोंके मूलमें भी किसी विभूतिकी सिद्धि या शोधका प्रयत्न है, आत्मतत्त्वको पहचानने या शोधनेका प्रयत्न नहीं। यह बात सच है कि जिस अंश तक मनुष्य असावधानीसे वीमार पड़ता है, या किसी अकस्मात्का शिकार हो जाता है, या ऐसी जड़ता प्रदर्शित करता है कि किसीके मनका भाव नहीं समझ पाता, अुस अंश तक अुसे कच्चा समझना चाहिये और अुसमें पूर्णता अभी नहीं आभी है। परन्तु हमें यह भी समझ लेना जरूरी है कि आत्मप्रतीति एक वस्तु है और पूर्णता दूसरी।

पूर्णताके यदि हम दो सिरोंकी कल्पना करें तो अुसका एक छोर आत्मप्रतीति है और दूसरा जीवनका परमोत्कर्ष है। अपने अस्तित्वका मूल शोधनेके प्रयासमें आत्म-तत्त्वका परिचय होता है। जीवनके भरण-पोषण व सत्त्व-संशुद्धिके लिये सविवेक अद्योग करनेसे, तत्सम्बन्धी प्रकृतिका संशोधन करनेसे, जीवनकी परमोत्कर्षताके प्रति प्रयाण होता है — हालाँकि आत्मप्रतीतिका प्रयत्न कर सकनेके लिये भी एक हृद तक जीवनका अुत्कर्ष सिद्ध हो जाना चाहिये। जैसे — ऐसा जीवन संयमशील, परोपकारी कोमलहृदय, व भक्तिवान तथा सत्यशोधक होना चाहिये। परन्तु अुसके बाद, यह न समझ लेना चाहिये कि जीवनका परमोत्कर्ष साधना बाकी नहीं रहता। पुरुष आत्मस्थितिमें दृष्ट तभी रह सकता है जब एक ओरसे आत्मप्रतीति भी हो चुकी हो व दूसरी ओरसे जीवनका परम अुत्कर्ष भी सिद्ध हो गया हो। वही शुभकी पूर्णता है।

संसारकी कोओ भी वस्तु, धर्म या शुसका एक भी अंग जिसे हमारा मन ग्रहण कर सकता हो, अुस सबका मूल आत्मा है। किसी भी वस्तुको शोधका विषय बनाकर अुसके मूलकी शोधका प्रयत्न किया जाय तो सम्भव है कि सूक्ष्म शोधक अुसके द्वारा आत्मा तक पहुँच जायें, अुसे आत्म-प्रतीति हो जाय। अब यह दूसरी बात है कि जब तक जीवनका अुक्तर्प एक हृद तक सिद्ध न हो चुका हो तब तक अिस दिशामें मनुष्यका कदम अुठना ही असम्भव है। परन्तु एक शोधको आत्म-प्रतीति हो जाने पर भी यदि जीवनके परमोत्कर्षके सम्बन्धसे अुसने परिपूर्ण विचार न कर लिया हो और अुसका पिछला जीवन अिस तरह बीता हो कि वह ऐसे अुक्तर्पमें बाधक हो, तो अुसमें अुस सम्बन्ध या दिशाकी अपूर्णता रह जायगी और अुसे अिसके लिये यत्न करनेकी आवश्यकता बाकी रहेगी। तब तक वह आत्मस्थितिमें टिक नहीं सकता; अर्थात् यह नहीं कहा जा सकता कि वह एक क्षणके लिये भी कभी मोहग्रस्त नहीं होगा।

ऐसी अपेक्षा रखना भूल है कि आत्मप्रतीति हो जानेसे प्राकृतिक नियमोंमें चमत्कार पैदा करनेकी शक्ति आ जाती है। जिस तरह गुरुत्वार्क्यणका नियम मालूम होनेके पहले भी फल जमीनपर ही पड़ते थे, हाँ शुभ नियम तक नजर अल्पतरे नहीं पहुँचती थी। अुसी तरह आत्मप्रतीति होनेके पहले भी जड़चिदात्मक प्रतीत होनेवाला यह जगत् आत्मनिष्ठ आत्मामें ही स्थित होता है और जो व्यक्ति आत्मनिष्ठ नहीं समझा जाता वह भी आत्मामें ही स्थित है; परन्तु फर्क यह है कि अुसे अुसका भान नहीं है। संयमी पुरुष अपने व्रक्षचर्यकी व विषयी अपनी स्वच्छन्दताकी साधना एक ही वल्से करते हैं। आत्मनिष्ठाकी दृष्टिसे — (आत्म-प्रतीतिकी दृष्टिसे नहीं) — सबकी स्थिति एक ही सी है। अिसलिये जिस व्यक्तिको आत्मप्रतीति हो गयी हो वह यदि यह अपेक्षा रखे कि अुसके जीवनका अुक्तर्प साधनेके लिये प्रकृतिके नियम अुसके साथ विशेष व्यवहार — पक्षपात — रखेंगे तो यह अुसकी भूल है। यदि रोग दूर करनेके लिये अुसे दवादार्स्की जखरत हो, कसरत करनेकी या शारीरशाङ्क जाननेकी जखरत हो अथवा मनको मजबूत रखनेकी आवश्यकता हो तो अुसे ये शुपाय

ऐहतियातके साथ जरूर करने होंगे । यदि पहले ही वह दुःसाध्य रोगके पंजेमें फैस चुका हो तो अुसका फल भोगे ही छुटकारा है । यह खयाल कि आत्मप्रतीतिमें प्रकृतिके नियमोंका अनादर करनेका कोअी गुण है तो यह भी ऐक पूर्वग्रह ही है ।

आत्मप्रतीति-युक्त तथा प्रतीति-शून्य व्यक्तिमें ऐक मार्केका फर्क है । वह यह कि पहला व्यक्ति अपने आदिकारणके विषयमें भ्रममें नहीं है, वह ऐसी श्रद्धाके क्षेत्रमें नहीं है जो बुद्धिकी विरोधक हो । अुसका ऐक पाया मजबूत है और उसे अपने जीवन-निर्माणमें अुस ज्ञानका भरसक लाभ मिल सकता है । अिसके विपरीत प्रतीति-शून्य व्यक्ति अिन विशेषताके लाभोंसे बंचित रहता है ।

१७

जीव-आश्र तथा पिण्ड-ब्रह्माण्ड

अिस परिच्छेदमें में यह बतलाना चाहता हूँ कि वेदान्त-निष्पत्तिमें प्रयुक्त कुछ शब्दोंको किस तरहसे समझ लिया जाय तो हम अुनके द्वारा धनित शक्तियोंका यथार्थ स्वप्न ग्रहण कर सकेंगे । अिससे यह भी खयालमें आ जायगा कि अिन शब्दोंकी भिन्न भिन्न प्रचलित आशयोंमें कहाँ क्या दोष है और अुनका काल्पनिक अंश भी ध्यानमें आ जायगा ।

पहले यह बात हमें खास तौरपर समझ रखनेकी जरूरत है: जिस तरह सूर्य ऐक स्थानमें रहता है फिर भी अुसका प्रकाश दूर दूर तक फैलता है, जैसे लोहचुम्बककी शक्ति लोहेके बाहर भी रहती है, और दूसरी बस्तुको स्पर्श न करते हुये भी अुसपर अपना प्रभाव ढालती है, अुसी तरह मनुष्यका चित्त भी केवल अुसके शरीरके अन्दर ही सीमित नहीं है, वल्कि अुसके बाहर — ब्रह्माण्डपर,— भी अुसका व्यापार होता है ।

चित्तका जो व्यापार और विचार अपने शरीर तक ही सीमित रहता है वह अुसका जीव-स्वभाव है; अिसमें अुसे यह ध्यान रहता है कि

जीव-अधिकार तथा पिण्ड-ब्रह्माण्ड

मेरा व्यक्तित्व भिन्न है, मैं ब्रह्माण्ड से अलग हूँ। फिर भी अस प्रकारके और स्वभाव भी है। वह स्वभाव ब्रह्माण्डपर अपने व्यापार तथा विचारका प्रभाव डालनेका प्रयत्न करता है, वर्तमान सुषिको अपनी भावनाओंके अनुसार बनानेका यत्न करना है, अपनी शक्ति-सामर्थ्यके अनुगतसे सुषिके छोटे-बड़े भागपर अपनी शारीरिक, मानसिक या वौद्विक सत्ता जमानेका यत्न करता है; अस मागके निवासी जीवोंका थोड़ा पालनकर्ता या त्राता बनता है। अर्थ तरह प्रत्येक चित्तमें अपनी एक सुषित बनाने, बहुत नियंता बनता है। बहुत प्रत्येक चित्तमें अपनी एक सुषित बनाने, पालने, बदलने और जल्दत हो तो असका धंस करनेकी तथा असके नियंता बनानेकी थोड़ी बहुत प्रवृत्ति रहती है। अस प्रवृत्तिका मूल असके जीव-स्वभावमें है, किन्तु व्यापार ब्रह्माण्डमें होता है। चित्तकी यह वृत्ति ही असका अधिक-स्वभाव है; और अस अधिक अधिक वक्षा, विष्णु, शंकरका (चुत्पत्ति, पालन व संहारकी कर्ता तो असमें अनेक वक्षा, विष्णु, शंकरका) समावेश होता है।*

अस तरह जीव-भाव व अधिक-स्वभाव वे चित्त (अथवा अधिक निश्चित भाषामें महत्) के साथ संलग्न धर्म हैं। प्रत्येकके हृदयमें सर्वना, पालन और संहारकी थोड़ी बहुत भावना रहती है। सिक्केके दो पहलुओंकी तरह वे दोनों भाव एक ही साथ मिले रहते हैं। जीव-स्वभावके विकासके साथ चित्तके अधिक-स्वभावके स्वरूपमें फर्क पहता है और अधिक-स्वभावमें पहा यह फर्क जीव-स्वभावमें फर्क डालता है।

असका यह अर्थ हुआ कि कहीं केवल अधिक-तत्त्व रहना सम्भवनीय नहीं, न कहीं केवल जीव-तत्त्व ही रह सकता है; प्रत्येक

* यहाँ प्रजोत्सत्ति द्वारा अपने जैसे जीवोंको निर्माण करनेकी प्रवृत्ति, तथा ब्रह्माण्डमें अपने मनोतुल्य सुषित रखनेकी प्रवृत्तिमें रहे भेदकी ध्यानमें रखना चाहिये। पहली प्रवृत्ति जीव-स्वभावका पहलू है, दूसरी अधिक-स्वभावका पहलू है। सांख्य-ब्रह्ममें महत्तत्वका जी विवेचन किया गया है, असमें यह विषय अधिक स्पष्ट ही जायगा।

जीवमें कुछ न कुछ औद्धर-तत्त्व रहता ही है, और जहाँ हमें यह प्रतीति होती है कि औद्धर-तत्त्व है, वहाँ जीव-तत्त्व भी अवस्था मिलेगा ही।

आम तौरपर लोग यह कल्पना करते हैं कि जीव व औद्धर दो भिन्न भिन्न तत्त्व हैं; और फिर अन दोमें कुछ समानताओंका आरोप किया जाता है : जैसे —

समानता	जीव सम्बन्धी	औद्धर सम्बन्धी
अुपाधि	अज्ञानकी	मायाकी
देह	स्थूल	ब्रह्माण्ड
	सूक्ष्म	हिरण्यगर्भ
	कारण	माया
	महाकारण*	मूलमाया*
अवस्था	जाग्रत्	स्थिति
	स्वप्न	अुत्पत्ति
	सुषुप्ति	संहार
	साक्षी*	कर्मफलप्रदातृत्व*
संज्ञा	वैश्व	विरण, अनिरुद्ध, विराट्
	तैजस	ब्रह्मा, प्रद्युम्न, सूत्रात्मा
	प्राण	शिव, संकर्षण, अव्याकृत
	प्रत्यगात्म*	सर्वेश्वर-वासुदेव*

ऐस परिभाषाको समझानेके लिये यह कल्पना की जाती है कि यह जगत् (ब्रह्माण्ड) जो दिखाओ देता है, सो मानो ऐक बड़ी देह है। ऐसके धारण करनेवालेका नाम है विराट्। फिर भिन्न भिन्न सम्प्रदायोंमें विविध रीतिसे वासुदेवादिक व्यूह, ब्रह्मादि त्रिमूर्ति, तथा ब्रह्माण्डादि देहोंकी कल्पना विश्वपर विठाओ जाती है।

* वाज लोग ऐस चौथी संज्ञाको नहीं मानते हैं; किन्तु यह महत्वकी बात नहीं है।

अब कितने ही साधकोंकी यह कल्पना होती है कि यह सब ठीक ठीक समझमें आवे और अिसी तरह सब दिखाओ दे, तभी ज्ञान हो सकता है; और अिसके लिये जिस ग्रन्थमें यह सब निरूपण किया गया हो, अुसका भितना पठन किया जाता है कि वह लगभग वरज्ञान हो जाता है। वस्तुतः अितने पाण्डित्यकी साधकों को अी खास आवश्यकता नहीं है। यदि यह सब समझमें न आवे, ये कल्पनायें मनमें ठीक ठीक न बैठ सकें या बैठाओ जा सकें, तो अिससे साधककी अनुनतिमें कोअी रुकावट नहीं आ सकती। बल्कि बहुत बार तो अुसका पाण्डित्य अुलटा अुसे अधिक झमेलेमें ढाल देता है, अुसे तर्क या कल्पना और अनुभवका भेद समझनेमें असमर्थ कर देता है, पाण्डित्यका अभिमान पैदा कर देता है और रम्य कल्पनाओंमें ही रममाण रहनेकी आदत ढाल देता है।

‘खट दर्शनना जूजवा मता, मांहोमाहे खाघा खता;
अेकनुं याष्टुं वीजो हणे, अन्यथा आपने अदको गणे ।’

‘वहु शास्त्र धुण्डालिता वाढ आहे, जनी निश्चयो अेक तो ही न साहे।
मती भांडती शास्त्र वोधें विरोधें, गती खुण्टती ज्ञानवोधें विरुद्धे ॥’

(छहों दर्शनोंके भिन्न भिन्न मत हैं; व वे आपसमें ही विरोधी मत रखते हैं; अेक जिस वातको साक्षित करता है दूसरा अुसका खण्डन करता है, और दूसरोंसे अपनेको श्रेष्ठ समझता है।)

शास्त्र अनेक हैं और अुनकी शाह ले तो अेकका निष्ठय भी टिक नहीं सकता; शास्त्रके परस्पर विरोधी वोधोंसे बुद्धिमें संघर्ष होने लगता है और विरुद्ध ज्ञानके वोधसे गति ही स्फ जाती है।)

सत्य-विषयक तीव्र व्याकुलता न हो, तो अिस मायाजालमें अुलझा हुआ साधक शायद ही कभी छूट सकता है।*

* पाठ्यात्य विचारकोनि भी अिसी तरहका शब्दजाल थेक दूसरी तरहसे खड़ा किया है। वे समाज-शरीर, समाज-मानस, समाजका आत्मा, आदि जैसे कठिन पारिभाषिक शब्दोंकी सृष्टि करके जो वस्तु आसानीसे समझमें आ सकती है अुसे और कठिन बना देते हैं। और पण्डित लोग जिस वातको कमसे कम समझते हैं, तरसुन्नन्यो शब्द अधिकसे अधिक प्रयोगमें लाते हैं और ऐसे शब्दोंका प्रचार करते हैं। समाज-शरोर कोरी कल्पना ही है। बहुतेर मनुष्योंकी मनोदशा और विकार-

पिण्ड-ब्रह्माण्डकी अेकताके सम्बन्धमें भी यहीं विचार कर लेना ठीक रहेगा । बदुतेरे संप्रदायों और लेखकोंने तात्त्विक अथवा धर्मोंकी अेकताकी खोज करनेके बजाय स्थूल अेकता देखनेका प्रयत्न किया है । और फिर बाह्य जगत्‌में दिखाअभी देनेवाले सूर्य, चन्द्र, ग्रह, नक्षत्र, पर्वत, नदी, समुद्र, बनस्यति, पशु, पक्षी आदिका शरीरके भिन्न भिन्न भागोंमें आरोपण करनेका प्रयत्न होता है, अथवा शरीरके भिन्न भिन्न भागोंके अुपमेय संसारके भिन्न भिन्न पदार्थोंमें खोजे जाते हैं; जैसे कि सूर्य-चन्द्रके लिये विराट्‌की आँखों, नदियोंके लिये अुसकी नाहियों, पर्वतोंके लिये इड्डियों अित्यादिकी कल्पना की जाती है । यह अेकता बहुधा काल्पनिक है । अतः यह सिद्ध करनेकी आवश्यकता नहीं है । हाँ, यह ज्ञान अल्पवत्ता आवश्यक है कि शरीरमें हमें जिन तत्त्वों या धर्मोंका पता लगता है वहीं बाह्य ब्रह्माण्डमें भी काम करते पाये जा सकते हैं, और अितने ही की जरूरत भी है । अिसके अुपरान्त अिस वातकी खोज या कल्पना करना बृथा है कि शरीरकी स्थूल वस्तुओंसे मिलती-जुलती कौन चीजें ब्रह्माण्डमें हैं अथवा ब्रह्माण्डकी स्थूल वस्तुओंसे मिलती-जुलती कौन कौनसी चीजें शरीरमें हैं ।

बद्धताका जो अनुभव हमें होता है, अुसे समाज-मानस जैसा नाम देकर सुननेवालेके मनपर ऐसा माव अंकित किया जाता है कि जैसे प्रत्येक व्यक्तिका स्वतंत्र मन है, वैसा ही सोरे समाजके किती केन्द्रमें स्थित पृथक् मन भी है ।

अवतारवाद

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ।
 अम्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाभ्यहम् ॥
 परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् ।
 धर्मं संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे ॥*

(गीता, अ० ४, ७-८)

अवतारवादके मूलमें मुख्य मान्यता नीचे लिखे अनुसार है :

जीवात्मासे भिन्न प्रकारका ऐक ओश्वरात्मा है; वह सर्वदा साधु-सन्तों व धर्मके प्रति पक्षपात तथा दुष्टों व अधर्मके प्रति वैर रखनेवाला है। वह हमेशा अप्स वातको देखता रहता है कि समाजमें कव व कैसे अधर्मका वल बढ़ता है; और जब अुसकी अपेक्षासे अधिक अधर्मकी मात्रा फैल जाती है, तब वह किसी प्रकार शरीर धारण करनेकी तैयारी करता है। जिस प्रकारका कार्य अुसे करना है, अुसी प्रकार वह अपना शरीर मनुष्य, पशु, पक्षी, आदि कोभी भी योनिमें पैदा करता है। शरीर निर्माणसे लेकर अुसके अन्त तकका अपना सारा कार्यक्रम वह पहलेसे निश्चित कर रखता है। वह ओश्वरात्मा अपनी मन्त्रकी माफिक प्रकृतिके नियमोंसे स्वतंत्र रह सकता है और अपने जीवनकी ऐक ऐक तकलीफको पहलेसे जानता है। किर मामूली आदमी जिन सामाजिक, नैतिक आदि वस्तुओंको मानता है, अुनसे वह परे होता है। और अपने अवतारके हेतुको सिद्ध करनेके लिये वह किसी भी साधनसे काम ले, तो भी अिससे अुसे कोभी दोष नहीं लगता ।

* हे अर्जुन, जब जब धर्मकी ग्लानि होती है और अधर्मका थुक्कप होता है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। साधुओंकी रक्षाके लिये और दुष्टोंजि नाशके लिये, अुनी तरह धर्मकी स्थापना करनेके लिये बार बार मैं जन्म लेता हूँ।

जिसके सम्बन्धमें अिस प्रकारकी मान्यता रखी जाती है, वह अवतार कहलाता है। यह धारणा एक अन्तिम और कठूर अवतारवादीकी है। अिसके कुछ अंशोंको आधुनिक अवतारवादी नहीं मानते। (देखिये — वंकिंम चाष्टका 'श्रीकृष्णचरित्र', तथा 'धर्मतत्त्व'।) लेकिन अिस मान्यतामें बहुतसी भूलें हैं।

अहश्यशोधन खण्डमें हमने प्रत्यगात्मा व परमात्माका विचार विस्तारके साथ किया है। फिर जीव व अश्वर विषयक विचार पिछले परिच्छेदमें ही कर चुके हैं। अुसमें यह समझाया गया है कि जीव-भाव व अश्वर-भाव किस तरह एक ही सिक्केकी दो बाजू-जैसे हैं। अिसके अलावा, जिसे हम जीवात्मा या प्रत्यगात्मा समझते हैं, अुससे भिन्न किसी एक या अनेक अश्वरात्माको मानना गलत है। अिसके लिये अनुभवका आधार कहीं नहीं है। जन्म, मरण और जीवन कार्यके सम्बन्धमें हमारे प्रत्यगात्मासे अधिक स्वतंत्र, प्राकृतिक नियमोंसे परे, पहलेसे ही अपने जीवनका नकशा बना रखने या जाननेवाला, अपने जीवन कार्यके सम्बन्धमें जीवात्मासे अधिक निश्चित संकल्प लेकर अवतार लेनेवाला को अपि पुरुष भूतकालमें हो गया है, वर्तमानमें है, अथवा भविष्यमें होगा — यह खयाल गलत है।

परचित्त-प्रवेशके जो कुछ अनुभव होते हैं, अुनके अलावा जीवात्मासे भिन्न प्रकारका कोअभी अश्वरात्मा किसी जीवात्मामें थोड़े समयके लिये प्रवेश करता है या प्रकट होता है, यह मान्यता भी भ्रमपूर्ण है। और परचित्त-प्रवेशका माध्यम या बाहन बनना यह किसी भी प्रकारसे अम्युदय-कारक नहीं है।

फिर यह धारणा भी गलत है कि अिस तरह जो व्यक्ति अवतार माने गये हैं, अुनके जीवन-कार्योंकी शुद्धाशुद्धता या योग्यायोग्यताकी सारासार विचारसे निश्चित की हुअी नीतिसे और मानवताके नियमोंसे जाँच-पढ़ताल नहीं की जा सकती। अुसके तो सब कर्म 'दिव्य' ही समझने चाहियें।

राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, असामसीह, महम्मद या कोअभी और व्यक्ति जीवात्मासे भिन्न प्रकारके किसी सत्त्व या तत्त्वसे उत्पन्न हुआ था यह मानना भूल है।

अवतारवाद

जैसे कि रामने सीताहरण या रावण-वध, बुद्धने गृहस्याग, कृष्णने शिशु-
पालादिक राजा, कौरव, यादव आदिका संहार, व्याघ्रके द्वारा मृत्यु,
आदि—यह मानना भी गलत है। रामने सीताके लिये जो शोर्क किया
वह केवल अनुका नाटक ही था, कृष्णने यदि कुछ अपकर्म किये हों तो
वे 'दिव्य' हीं थे, सहजानन्द स्वामी या स्वामी रामदासने जो प्रत, तप,
योगाभ्यास आदि किये वे स्वयं अपनी अश्रव-प्राप्ति सम्बन्धी व्याकुलतासे
नहीं बल्कि ऐरायर्थियोंको मार्गदर्शन देनेके लिये ही किये — ये धारणायें
भी गलत हैं।

वास्तविक वात यह है कि प्रत्येक जीवात्मके अन्दर सृष्टिमें कुछ न
कुछ परिवर्तन करनेकी आकांक्षा — ऐश्वर्येच्छा — रहती है। यह ऐश्वर्येच्छा
अच्छी भी हो सकती है और उसी भी हो सकती है; परार्थी भी हो सकती
है, स्वार्थी भी हो सकती है। अनिमें अघर्षण व अन्यायका नाश करनेकी,
दुष्टको दण्ड देनेकी, और धर्मको स्थापित करनेकी वासनायें अच्छी व
परहितार्थी हैं; जगासंघ या गवण, नीरो, सिंकंदर, जैसेकी वासनायें दुष्ट
और स्वार्थमयी हैं। पर हैं दोनों जीवात्मकी ही विभूतियाँ।

राम, कृष्ण, आदि पुरुषोंमें जो कोली सचमुच हो गये हों, उन्हें
दूसरे सब मनुष्योंकी तरह मनुष्य ही समझना चाहिये। हाँ, वे समर्थ थे,
ऐश्वर्यवान थे, अनुकी ऐश्वर्येच्छा ऐष्ठ प्रकारकी, महान् आशयोवाली थी।
अपने समयके वे महान् अग्रणी थे। अनिमें कोअी विद्वान थे, कोअी साधु
पुरुष थे, कोअी ऐष्ठ धर्मश व नीतिश थे। शिवाजी, वार्षिगटन, गैरीबाल्डी
आदि जैसे वर्तमान समयके अपने अपने देश या जातिके युद्धारक थे। अनुके
जाते हैं, वैसे ही उनमेंसे कुछ अपने समयके वहे राष्ट्रोद्धारक थे। अनुके
जन्म-कर्मके सम्बन्धमें अस्से अधिक 'दिव्यता' मानना भूल है।
वार्षिगटन व गैरीबाल्डीको अनुके देशवासियोंने अश्रवतारका
पद तो नहीं दिया, फिर भी अमेरिका व अंटलीकी जनता दोनोंके लिये
बहुत आदरभाव रखती है और लगभग उन्हें पूजती है। शिवाजीको
महाराष्ट्रीयोंके सिवा हिन्दुस्तानके दूसरे लोग अवतार-पद न देते हुमें भी
अत्यन्त आदरभावसे प्रायः पूजते हैं। हमारे देशकी भूतकालीन अथवा

‘वर्तमानकालीन विभूतियोंके प्रति अितना आदर-भाव, रखना अुचित है। अिससे अधिककी आवश्यकता नहीं। अिनके चारित्रमें यदि कोअी भूल या दूषण भी मालूम हों, तो अुनमें दिव्यताका आरोपण करनेकी आवश्यकता नहीं। अिससे अधिक दिव्य शोभा अिनके नामके आसपास खड़ी करके, अिनको काल्पनिक पदपर चढ़ाकर, अिनकी कृत्रिम पूजा करनेसे मनुष्य या समाजको अपने अभ्युदयकी सिद्धिमें कोअी खास लाभ होता नहीं दिखाए देता; हाँ, हानि अलवत्ता बहुतेरी है।

चूंकि हिन्दू प्रजाका मानस ऐसी मान्यताओंको स्वीकार करनेके लिये तैयार रहता है, अिसलिये जिन लोगोंका स्वार्थ ऐसी मान्यताओंको जँचानेमें रहता है, वे अुसके मानस पर ऐसी भुक्ती वारवार डालते ही रहते हैं और भोली-भाली जनता अुनके चकमें आ जाती है। अिसका अुपयोग पन्थ-प्रवर्तनमें तथा राजनीतिमें विशेष करके होता है। लगभग प्रत्येक सम्प्रदाय-प्रवर्तक एक या दूसरी पीढ़ीमें ओश्वरावतार बन जाता है। यहाँ तक कि वे अवतारके भी अवतारी थे,—राम व कृष्ण जिनके परिचारक माने जायें ऐसे—ऐसी धारणा दृढ़भूल होने लगती है। महाराष्ट्रमें शिवाजी लगभग ओश्वर पदपर प्रतिष्ठित हो गये हैं और अुनकी मूर्तिपूजा शुरू हो गयी है। कुछ समय पहले लोकमान्य तिलक भी अुसी स्थितिको प्राप्त करते दिखाए देते थे, और गांधीजीके लिये भी ऐसी ही सम्भावना दीखती है। जो लोग ऐसा करते हैं वे अपनी जाति या समाजकी और — शुरूमें नहीं तो आगे जाकर— खुद अपनी भी अबुद्धिकी ही पुष्टि और वृद्धि करते हैं। अिसमें कल्याण नहीं है।

फिर, अिन धारणाओंसे तत्त्वज्ञानमें काल्पनिक सिद्धान्त तथा घ्येयके विषयमें अम उत्पन्न होते हैं। शुद्धाहरण—राम, कृष्ण आदिके साक्षात् दर्शन करनेकी अभिलाषा। और फिर यदि कहीं ऐसा कुछ दिखाए दे, तो अुस अनुभवका वास्तविक स्वरूप समझनेकी असमर्थता भी युसमेंसे अुत्पन्न होती है।

अिसके अलावा अिस तरहकी धारणायें ऐसी मूँळ अभिलाषायें भी अुत्पन्न करती हैं कि कोअी दूसरा आकर हमारा अुद्धार कर जायगा। और—

निर्गुण और गुणातीत

‘कहे नाथ, अब कौल मुताबिक आवोगे कब हाँ ?’

— ऐसी पुकार मचानेकी आदत पढ़ जाती है।
फिर भृतकालीन विभूतियोंके सम्बन्धमें जो गलत धारणा हमारी हो जाती है, युससे हमरे समयकी विभूतियोंको जानने या समझनेकी भी हमारी शक्ति कम हो जाती है और ‘लीते जी न रोटी, मेरे पीछे भाद्र’ की तरह ही हमारी मनोरचना हो जाती है।*

१९

निर्गुण और गुणातीत

वेदान्तके ये दो शब्द भी मुमुक्षुओंको चक्करमें डालते हैं। वेदान्तने आत्माको निर्गुण वताया है, क्योंकि वह सुख-नुख, हर्ष-शोक, पुण्य-पाप, धर्म-धर्म, न्याय-अन्याय, दया-क्रूता आदि सब विरोधीभावोंसे परे है; परस्पर विरोधी भावनाओंका भी आधार है; और विरोधी भावोंमें भी आत्मा एक रूप व सतत मालूम पड़ता है। जिससे कभी साधक वह कल्पना करते हैं कि चित्तको आत्माके रंगमें रंग देनेके लिये निर्गुण-दशाको प्राप्त करना चाहिये। अर्थात् आत्माकी दृष्टिसे न्याय-अन्याय, दया-क्रूता, संयम-स्वच्छन्द, ये सभी अकसे हैं और ऐसी मेद-हृषि मनकी कल्पना है। अतअवे युन कल्पनाओंको छोड़ देना चाहिये।

एक पक्ष ध्यानके त्यागके लिये सातिक दिलाअी देनेवाले तमेगुणका आश्रय लेता है। वह जिस तरह हो सके भावनाओंके विषयमें जड़ता धारण करता जाता है; दया आदि भावोंसे प्रेरित कर्मोंको अज्ञानका परिणाम मानकर वह सब कर्तव्योंसे दूर रहकर विस तरह व्यवहार करता है मानो दुनियाके साथ अुसका कोभी नाता नहीं है। वाज लोग अन्तसे भी आगे जाकर अन्वेरी-त्रृति धारण करते हैं। विवेक-त्रुदिमें सापेक्षता देनेका प्रयत्न किया गया है। यह मान्यता ‘गोतामन्न’पुस्तकके चौथे अध्यायमें चाहिये। यिस कहावतका नतलय यह है कि एक प्राणी जिन्दा ही, तवतक अुपरेके उपरोक्ती कोभी कद न करें, और मरनेके बाद उसका उणानुवाद करके शोक करें।

और मेद-हृषि है और आत्मा तो निर्गुण व निरपेक्ष है, ऐसा विचार करके वे विवेक-त्रुदिको ही तिलांजलि दे देते हैं। और यह समझकर कि जड़त्व आत्माके समीपकी स्थिति है, वे दिन व दिन जड़ दशाकी तरफ छुकते जाते हैं।

दूसरा पक्ष अिससे भी भयकर है। 'जो कुछ शुभ-अशुभ होता है, वह सब आत्माके ही द्वारा या कारणसे होता है और सबका कारक हेतु होता हुआ भी सूर्यकी तरह वह अलिस रहता है।' अिसका अर्थ वह यों करता है कि शुभाशुभके सब विचारोंको छोड़कर जिस समय जो धूर्मि छुठ पड़े वह ब्रह्मस्तुप ही है, ऐसा हृषि निश्चय करके स्वैर विहार करनेमें हर्ज नहीं। समाजमें पाखण्ड व अनाचार फैलानेवाला यही वर्ग है।

दुर्भाग्यसे हमारे शास्त्रकारोंने पूरा विवेक किये विना ऐसे जड़ व स्वच्छन्दनी पुरुषोंके वगाँको मान्यता दे दी है। और अुसके लिये कृष्णको कभी अनुचित आचरण न करनेवाला और आदर्श धर्म-परायण पुरुष वतानेके बजाय अुनकी पूर्णताका भाव हृदय पर अंकित करनेके लिये झुन्हें विविध प्रकारके असत्य, अधर्म व स्वच्छन्द आचरण करनेवाला चित्रित किया है; और फिर अिनमें अुनकी निलेपता दिखानेका प्रयत्न किया है। अिस तरह अुस महात्माके चरित्रको हलकेसे हलका चित्रित करके देशके सामने गलत आदर्श अुपस्थित किया है। फिर शास्त्रकारोंने यह खुला परवाना दे दिया है कि ब्रह्मनिष्ठ माना जानेवाला पुरुष चाहे जैसा व्यवहार कर सकता है। योगवासिष्ठके लेखकने स्वच्छन्दनी, आसुरी, राक्षसी सब प्रकारके ब्रह्मनिष्ठोंकि चरित्र काव्यशास्त्रके विविध अलंकारोंसे सजाकर चित्रित किये हैं और वेदान्तदर्शनको गलत मार्गपर चढ़ानेमें हिस्ता लिया है, और फिर यह सारा ग्रन्थ वाल्मीकिके नामपर रचकर अुसकी प्रामाणिकता स्थापित करनेका प्रयत्न किया है। और यह भी दुर्भाग्यकी बात है कि वेदान्तियोंमें अिस ग्रन्थकी प्रतिष्ठा अतिशय है। ऐक दूसरे ग्रन्थमें कहा गया है कि जब तक शुभ-अशुभ, न्याय-अन्याय, योग्य-अयोग्यका विचार साधकको स्पर्श कर सकता है, तब तक अुसके लिया देहका अभिमान नहीं हूँगा, वह गुणातीत नहीं हुआ।

निर्गुण और गुणातीत

अनेक सम्बन्धमें अमाक कल्पनायें भी हैं।

अनेक ध्यासका विषय है। परन्तु जिसके अलावा निर्गुण व गुणातीत शब्दोंके अनेक सम्बन्धमें अमाक कल्पनायें भी हैं।

मेरी रायमें यदि आसाके लिये निर्गुणकी जगह सर्वगुणाश्रय, सर्वगुणवीज जैसे शब्दोंका प्रयोग हुआ होता, तो अधिक यथार्थ होता। विद्युत-शक्ति चाहे मनुष्यका वध करनेवाले मन्त्रमें डाल दी जाय चाहे असे जीवन-दान देनेवाले यन्त्रमें, दोनोंमें वह अलिङ रहती है और दोनों प्रकारके कर्मोंका प्रेरक बल वह हो सकती है। यिसी तरह आत्मा सब शुभाशुभ कर्मों, संकल्पों और जीवनका आश्रय होकर पात्रानुसार प्रेरक-बल हो, तो असमें कोअी आश्वर्यकी बात नहीं है। वेदान्तका यह सिद्धान्त है कि आत्माके सिवा दूसरा कोअी तत्त्व ही नहीं है, अतः असे सर्वगुणाश्रय या सर्वगुणवीज कहना अधिक अनुचित है।

परन्तु यदि निर्गुण शब्द ही कासमें लाना हो, तो फिर चित्त और आसाका भेद ध्यानमें रखना चाहिये। आत्मा भले ही निर्गुण व अलिङ हो, परन्तु चित्त तो सदैव सगुण ही हो सकता है और पूर्वोक्त निर्गुणताकी ओर किसी भी तरहके प्रयाणसे चित्त निर्गुण नहीं हो सकता, मलिक तामस या राजस होगा। चित्तका अनुचित अस्युदय निर्गुणके प्रति नहीं वलिक गुणातीतताके प्रति हो सकता है, और यही साधकका ध्येय हो सकता है।

परन्तु गुणातीतताका अर्थ स्वच्छन्दता नहीं, विवेकबुद्धिको तिलांजलि नहीं, वलिक प्रयत्नपूर्वक की शब्दी सत्त्व-संशुद्धिके फल-स्वरूप गुणों व स्वभावकी ऐसी दृष्टिता है कि जिसका अभिमान हमें न हो। मनुष्य चलना जानता है, परन्तु क्या कभी असे जिसका अभिमान होता है ! जो वास्तव प्रवास करता है, असे असे वातका अभिमान नहीं होता है ! मैं बहुत बार रेलमें बैठा हूँ; वर्णोंकि असे वातका अभिमान नहीं होता है ! विद्युत प्रकार हमारे सदगुणों, कर्तृत्वशक्ति, विभूतियों, मर्यादा आदि विषयक निरभिमानतामें गुणातीतताका निवास है। यह जाहिर है कि मनुष्य अपने सकलमाँ या अपकर्मोंके प्रति निरहंकार नहीं रह सकता।

जो भूले हो चुकी हैं या हो रही हैं, अनुके विषयमें अदम्भ और अदम्भके लिये निरभिमानता (मनमें वहप्पनका अभाव), अपने ज्ञान, कर्म, या अच्छा, अपने सत्कर्म या विवेक-बुद्धि सबमें निरभिमान स्थिति गुणातीतताका लक्षण है। हो सकता है कि वह अपनी विशेषताओं या परिस्थितिसे अनजान न हो, परन्तु यदि असमें वह केवल मनुष्यताके अलावा और कुछ न मानता हो, तो असका प्रयाण गुणातीतताकी ओर है।

२०

‘सबमें मैं’ और ‘सबमें राम’

एक भक्त कविकी सान्दी है :

जब मैं था तब राम नहिं, अब राम हैं, हम नाहिं।

प्रेम गली अति साँकरी, तामें दो न समाहिं ॥

ऐसका आशय तो यह है कि सारे विश्वमें एक ही चैतन्य शक्ति निवास करती है। इसे अपने अन्दर जिस चैतन्यका अनुभव होता है तथा विश्वमें जो चैतन्य दिखाएँ देता है, अन दोनोंमें एकता है; और अस चैतन्यकी दृष्टिसे देखें, तो हम खुद भी विश्वके एक दृश्य पदार्थके सिवा कुछ नहीं हैं। और चैतन्यको ‘मैं’ या ‘तू’ ऐसमेंसे किसी भी सर्वनामके द्वारा सम्बोधित नहीं किया जा सकता।

बुद्धिकी ऐसी प्रतीति होनेके कारण प्रत्येक साधक ऐसमेंसे किसी न किसी भावनाका ध्यास करनेका प्रयत्न करता है—‘मैं ही सर्वत्र हूँ, विश्वमें जो कुछ है सो मैं ही हूँ’, ‘भूतकालमें जो कोअी हो गये हैं वे भी मैं ही हूँ’, ‘भविष्यमें जो होनेवाले हैं वह भी मैं ही हूँ’ अथवा ‘मैं तो कुछ नहीं हूँ—जो कुछ है सो परमात्मा ही है।’ किन्तु जन्मभर ऐसे ध्यासका यत्न करते रहने पर भी ऐसी स्थिति नहीं आ सकती, जिसमें अपने परिचित ‘मैं-पन’का स्फुरण न हो। अेकनाथ, अखो जैसे वडे वडे कवियोंने अपने लेखोंमें बार बार कहा है कि अेकनाथ,

‘सत्त्वमें भैं’ और ‘सत्त्वमें राम’

अखो जैसी कोअी चीज संसारमें नहीं है, वे यह लिख नहीं सकते हैं, वलि कह परमात्मा ही लिखवाता है, जिसे ‘भैं-पन’ कह तक नहीं गया है — और ऐसा बार बार कह कर अपनेमें सुकृति विशिष्ट अस्तित्वके भानको भूलनेका मिथ्या प्रयत्न किया है। ‘मिथ्या प्रयत्न’का प्रयोग भैंनें अनेके प्रति अनादार-भावसे नहीं किया है, वलि आशय यह है कि ऐसा प्रयत्न सफल होना अशक्य है।

पर हक्कीकत यह है कि हमारा यह भान कि हमारे अन्दर सुरित चैतन्यके साथ हमारी ओकता है और हमारे अन्दर व्यवितरण है, ऐसा असमुक्त नहीं है जिसे हम भूल सकते हैं, और जिससे हमारा अपने मनको यह समझानेका प्रयत्न सफल हो सके कि ‘भैं ही नहीं हूँ’। दूसरी ओर, हमारे शरीरसे बाहर जगतमें जो चैतन्य हमें व्याप्त प्रतीत होता है, वह तत्त्वतः अस अन्तर्यामी चैतन्यके साथ ओक्सीजन है; फिर भी हमें अस ओकताका अनुभव, प्रत्येक चैतन्यकी तरह, नहीं हो सकता। अतओब हम चित्तको यह मनवानेका प्रयत्न तो करते हैं कि ‘भैं सरा विश्व हूँ’, परन्तु चित्तको ऐसा अनुभव न होनेके कारण यह प्रयत्न पंगु ही हो रहता है। यह सच है कि चैतन्य सर्वत्र ओकरस परिपूर्ण है, परन्तु चित्त व चैतन्य दोनों एक नहीं हैं और चित्त चाहे कितना ही व्यापक हो जाय तो भी आदिर वह परिमित ही है; दूसरे शब्दोंमें कहें तो चित्तके परिमित होनेके कारण वह चैतन्यके एक अमुक प्रदेशके साथ ही सम्बन्ध बांध सकता है। जो सर्वत्र व्याप्त है वह चित्तसे व्यक्तिरेक दृष्टिसे विचार करनेका परिणाम है। परन्तु कोअी पुरुष चित्तसे अन्वित हुआ विना ज्ञाता नहीं हो सकता। अतः साधक जब यह कहता है कि ‘भैं ही सब कुछ हूँ’, तब अुसके ‘भैं’ कहनेमें ही अुसके विशिष्ट चित्तके साथ जो अन्य दर्शित हो जाता है, अुसे वह भूलनेकी कोशिश करता है। और यह प्रयत्न तब तक सफल नहीं हो सकता, जब तक कि अुसका चित्त-भ्रम ही न हो जाय।

सलका सम्बन्ध या स्वरूप जैसा हो वैसा ही अुसे समझ लेनेमें सन्तोष माननेकी जगह किसी अधिक भव्य या रथ्य कल्पनाके प्रदेशमें विहार करनेके मोहसे कृत्तिम भाषा और कृत्तिम तत्त्वाद अुत्पन्न होते हैं

और साधक अुसके द्यिकार हो जाते हैं। अुदाहरण — स्वामी रामतीर्थके भाषा प्रयोगमें 'राम' शब्दको 'मैं' यह एक नवीन अर्थ मिलनेके अलावा और कुछ हासिल नहीं हुआ। फिर भी अुसका अनुदरण करनेके प्रलोभनमें कितने ही लोग पढ़ जाते हैं।*

* खेदक साथ कहना पड़ता है कि श्री अरविन्द घोषने भी कृत्रिम भाषा बनानेमें कुछ इच्छा बैठाया है। अनुके एक पत्रसे नीचे लिखा अंश नमूनेके तौरपर देता हूँ। अुसके साथ ही अुसी भावको साझी और अधिक नव्र भाषामें किस तरह व्यक्त किया जा सकता था, यह भी दिखा दिया है—

मूल

मुझे यिस बातमें लेशमात्र सन्देह नहीं है कि जब वह सिद्धि प्राप्त हो जायगी, तब भगवान् मेरे द्वारा अन्य लोगोंको अल्प परिश्रममें ही विज्ञान सिद्धि दे देगा। जब ऐसा होगा तभी मेरे वास्तविक कार्यको शुरूआत होगी। मैं कर्म-सिद्धिके लिये अधीरं नहीं हूँ। क्योंकि जो कुछ होनहार है, वह भगवान्‌के निर्दिष्ट समयमें ही होकर रहेगा, अुससे पहले किसी प्रकार नहीं हो सकता। मैं अिस बातको अच्छी तरह जानता हूँ और अिसी लिये किसी अनुमत्त मनुष्यकी तरह दौड़ कर क्षुद्र 'अहम्'की शक्तिके द्वारा कर्मक्षेत्रमें कूद पड़नेकी प्रवृत्ति मेरी कभी नहीं हुभी, अब भी नहीं होती है, और होनेको भी नहीं। यह भी सम्भव है कि कर्म-सिद्धि न भी हो, तो भी मैं अपने धैर्यको छोड़नेवाला नहीं हूँ। क्योंकि यह कर्म भगवान्‌का है, मेरा नहीं। मैं अब दूसरे किसीके भी आहानको नहीं सुनूँगा, वल्कि भगवान् जिस रास्ते ले जायगा, अुसी रास्ते चलूँगा।

रूपान्तर

यदि मुझे (प्रस्तुत अभ्यासमें) सफलता मिली, तो अुसका लाभ दूसरे व्यक्तियोंको भी अवश्य ही मिलेगा, जिससे अुनको यह विज्ञान-सिद्धि अल्प परिश्रममें प्राप्त हो जाय। अिस अभ्यासकी पूर्तिके ब्राद ही मेरे वास्तविक कार्यको शुरूआत होगी। मैं नहीं कह सकता कि वह कव होगी। परन्तु तब तक मैं कर्म-सिद्धिके लिये अधीरं नहीं हूँ। क्योंकि मैं यह अच्छी तरह जानता हूँ कि अुस सिद्धि-प्राप्तिके पहले मेरा कार्य सफल नहीं होगा। अतः अुससे पहले ही कर्मक्षेत्रमें कूद पड़ना विलकुल पागलपन होगा। ऐसा अविचारो काम मुझसे नहीं ही सकेगा। कदाचित् कर्म-सिद्धि न भी हो, तो मैं धीरज नहीं छोड़ बैठूँगा। क्योंकि मेरा विश्वास है कि मेरा संकल्प सत्य है और अिसलिये योग्य समयपर वह अवश्य फल देगा। संक्षेपमें, जब तक मेरी विवेक-दुद्धिको प्रतीति न हो जाय, तब तक केवल दूसरोंके आहानके वशीभूत ही कार्यक्षेत्रमें पड़ना मुझे शोभा न देगा।

यही बात आत्मसमर्पण या ब्रह्मार्थणकी भावनापर लागू होती है, जो जुदा जुदा रूपोंमें समय समयपर अुत्पन्न होती रहती है। प्रत्येक मनुष्यको यह अनुभव होता है कि चित्तमें परस्पर विरोधी संस्कार जाग्रत होते रहते हैं; ऐक तो मोह या टेबसे अुत्पन्न संस्कार और दूसरे विवेक-बुद्धिसे अुत्पन्न अुसे तोड़नेवाले संस्कार। जब तक पहले प्रकारके संस्कारोंपर विजय प्राप्त न कर ली जाय, तब तक चित्तको अधिक समय तक शान्ति मिलना अशक्य है। परन्तु अिसे ज्ञागड़ेके दरभियान साधकके मनमें अपनी साधना शिथिल करनेका मोह अुत्पन्न हो जाता है। ऐसे समय अुसे अूपर लिखे जैसे वादोंका आश्रय ले लेना अनुकूल मालूम होता है। वह ऐसी भावनायें करके अपनेको धोखा देनेका यन्न करता है — ‘सदृश्वत्ति या दुर्वृत्ति जो कुछ है, सब भगवानकी लीला या माया है; मैं तो कुछ हूँ ही नहीं (अथवा मैं तो केवल ऐक कठपुतली हूँ, और भगवान मेरा सुवधार है।); वह दुर्वृत्ति जगाना चाहे तो दुर्वृत्ति जगाए, सदृश्वत्ति पैदा करना चाहे तो सदृश्वत्ति पैदा करे।’ अथवा ‘सदृश्वत्ति और दुर्वृत्ति दोनोंसे मैं परे हूँ; ये तो चित्तकी वृत्तियाँ हैं; और मैं तो चित्त हूँ नहीं कि जिसे मुझे दुःखी होना पड़े। चित्तका किया चित्त भोग लेगा।’ अब जिन साधकोंको सच्ची व्याकुलता है, वे अिस धोखा-धृष्णीसे अुत्पन्न समाधान अधिक समय तक अनुभव नहीं कर सकते; लेकिन वाज साधक अिसमेंसे ऐक प्रकारकी सुखालस वृत्ति अपनेमें पोषित करते हैं।

यह सच है कि जो कुछ होता है वह चैतन्यकी बदौलत ही और यह भी सत्य है कि साधक भी वह चैतन्य ही है; परन्तु जब साधक ऐसी विचार श्रेणीका आश्रय लेता है, तब यह बात याद रखनी चाहिये कि अुस समय अुसका अहंकार चित्तके साथ अन्वित हुआ बिना नहीं रहता। दूसरे, यह बात भी नहीं भूलना चाहिये कि विवेक-बुद्धिके संस्कारके कारण दुर्वृत्तिके खिलाफ बगावत मचाकर अुसे स्तम्भित कर देनेवाली जो वृत्ति अुठती है, वह भी चैतन्यके ही कारण है। और अिसलिए यह याद रखना जरूरी है कि जो यह मान लेनेकी अिन्छा होती है कि सुखालसके अनुकूल वृत्ति तो भगवानकी अथवा चित्तकी है और

में अुससे अलग हूँ, तथा विवेक-त्रुद्धिके संस्कारकी वृत्ति मानो अविद्या-जन्य है, वह घोखा देनेवाली है। वस्तुतः जैसे दीपकको अुसकी किरणोंसे अलग समझ तो सकते हैं पर कर नहीं सकते, यिसी तरह चैतन्यको चित्तसे अलग समझ सकते हैं परन्तु कर नहीं सकते; और भिसलिए चित्त-त्रुद्धिका प्रयत्न भी कभी शिथिल नहीं किया जा सकता।

अहंकार ऐक ऐसा धर्म है, जो घटते-वद्धते व स्पान्तर पाते रहते हुये भी अविनाशी है। गीताकी भाषामें कहें तो वह परमात्माकी स्वभावभूत प्रकृतियोंमेंसे येह है। अिसका मर्म न समझनेके कारण ही अहंकारके नाशके सम्बन्धमें विनिव्र कल्पनायें अुत्पन्न हुअी हैं। अिस सिलसिलेमें सांख्य-स्पष्टमें विवेचित अहंकार-प्रकरणको पढ़लेनेका अनुरोध पाठकोंसे है, जिससे वे अिसका तात्पर्य ठीक ठीक समझ सकें।

२१

मायावाद

मायावाद द्वारा निर्मित माया जितनी दुस्तर है, उतनी यह जगत्की मावा शायद ही दुस्तर हो। अिस वादके समझनेमें ऐक ऐसी पहली अुत्पन्न हो जाती है, जो प्रायः प्रत्येक साधकको बहुत समय तक चक्करमें ढाले रखती होगी और जिसका कोअी समाधानकारक स्पष्टीकरण मिलता हो नहीं। अिस वादका कहना है कि आत्मा स्वतः ज्ञानरूप व मुक्त है, लेकिन अज्ञानके कारण वह बन्धनमें पड़ता है। अिसपर साधक पूछता है कि ‘यह अज्ञान कहाँसे आया ?’ तो वादी अुत्तर देता है — ‘मायाकी बदीलत’। फिर साधक पूछता है — ‘माया क्या चीज है ? वह कहाँसे आयी ?’ तो वादी कहता है — ‘भावी, माया कोअी भावरूप पदार्थ ही नहीं है, अुसका तो नाम ही अविद्या है। — जो है ही नहीं, वह आवेगी कहाँसे ? वह तो मिथ्या भासित होती है।’ तब साधकका सवाल होता है — ‘यदि है नहीं तो फिर भासित किस तरह होती है ?’ वादीका अुत्तर होता है — ‘अनादि कालके अज्ञानके कारण !’

वेचारे साधकका अिस अुत्तरसे कुछ भी समाधान नहीं होता; परन्तु वह शास्त्रोपर भद्रा रखकर व अपनेको अिस तरह दोषी समझ कर कि अिसका मर्म समझमें न आनेका कारण खुद मेरा ही अज्ञान है, मैं अभी मायामें फँसा हुआ हूँ, ऐसे अुपाय करता है कि जिनसे जगत्‌का यह भास किसी तरह चला जाय। अन्तको ऐक बार भी यदि मनको निष्क्रिय कर जगत्‌का भान हटा सका, तो वह समझ लेता है कि अब अनादि कालका अज्ञान मिट गया। फिर जब वापिस जगत्‌का भान होता है तब 'फिर चक्करमें पढ़ता है संही, लेकिन वह अिस समझका आश्रय लेकर संतोष भान लेता है—'यह अवशिष्ट प्रारब्धकी बदीलत है, कुम्हारका चाक जैसे धक्का बंद होनेके बाद भी चलता रहता है अुसी तरह पूर्वगति अिसका कारण है।' फिर, वह अिसी बादका प्रवचन करता फिरता है। लेकिन अभी तक अिस बातका समुचित स्पष्टीकरण इथ नहीं लगा कि ज्ञान-रूपी आत्मामें यह अज्ञान आया कहाँसे? और न होते हुओ भी भासित होनेवाली माया आखिर क्या है?—सिवा अिसके कि वह अनादि व अनिर्वचनीय है। किन्तु 'अनादि व अनिर्वचनीय' का अर्थ यहाँ अितना ही हो सकता है कि अिस विषयमें हमारी बुद्धि अभी पहुँच नहीं सकी है।

जो 'नहीं है' अुस मायामें 'नियमाधीनता' को माने विना तो मायावादीकी भी गति नहीं है। अुसे भी 'व्यवहारके लिओ' तो पंचीकरण भानना ही पड़ता है।* अर्थात् यह जगत् यदि केवल भास ही हो, तो भी वह कोअी अुटपटांग व अष्टस्त्र भास नहीं है।

मायावादके मूलमें वास्तविक अवलोकन तो अितना ही है—(१) हमें जगत् या देहका भान तभी होता है, जब मनका व्यापार जारी रहता हो; (२) जगत् हमें कैसा दिखाअी देता है, यह हमारी मनोदशापर भी अवलम्बित है; और अिसलिओ हम जगत्‌के पदार्थोंको जिन नाम-रूपोंसे

* योगवासिष्ठमें, यह सिद्ध करनेके लिए कि मायामें किसी प्रकारका नियम हो नहीं है, यह दत्तानेका प्रयत्न किया है कि पृथ्वीमें आकाश, जलमेंसे तेज निकल आवे औंसों क्रमविहीन स्थिरांशी हैं, जिन्हें योगी लोग देख सकते हैं। किन्तु यह ऐक योगवासिष्ठकरकी माया ही है।

पहचानते हैं, वे शुनके वास्तविक नाम-रूप हैं यह बात हम निश्चयपूर्वक नहीं कह सकते; और (३) मन या जगत्‌के मूलमें यदि कोअी स्थिर तत्त्व हो, तो वह सत्तामात्र चैतन्य तत्त्व ही है।

परन्तु अस अवलोकनका अर्थ अितना ही हुआ कि यदि हमारी आँखोंका व्यापार बन्द हो जाय तो जिस तरह हमें रंग व रूपका भान नहीं हो सकता, अुसी तरह मनके व्यापारके विना खुद हमारे अस्तित्वसे लेकर संसार तकके किसी भी पदार्थ या भावका भान नहीं हो सकता। ज्ञातापन प्राप्त करनेके लिये मन एक आवश्यक साधन है। मनका व्यापार जैसे जैसे अधिक विकसित व शुद्ध होता जाता है, त्यों त्यों ज्ञातापन अधिक स्पष्ट होता जाता है और अुसके द्वारा प्राप्त अनुभव अधिक सूक्ष्म और तल्स्पशी होता जाता है — सो आखिर यहाँ तक कि वह अपने व जगत्‌के अस्तित्वके मूलमें स्थित चैतन्य सत्ताको भी समझ सकता है। यह सच है कि जो कुछ ज्ञान हममें जाग्रत होता है (अुठता है), वह एक दृष्टिसे कल्पना ही है। फिर भी अस कल्पनाके मूलमें जितना नियमावलोकन है, जिस अंश तक एककी कल्पना दूसरोंकी कल्पनाओंके साथ मिल जाती है, जहाँ तक एकको होनेवाली प्रतीतियाँ वह दूसरोंको कह सकता है और जिस हृद तक अुस कल्पनाकी अवगणना करनेसे व्यवहार चल नहीं सकता, अुस अंश तक यह माने विना नहीं चल सकता कि संसार जैसी कोअी चीज जल्द है, अुसमें कुछ नियमाधीन क्रियायें चलती हैं, कुछ नियमोंके अनुसार ही अुसकी प्रतीति होती है और वह गन्धर्वनगर या मृगजल जैसी या रज्जु-सर्पकी तरह या ‘नक्को नक्को राजकी कथा’* की तरह कोरी कल्पना ही नहीं है। यह कहनेके बजाय कि जगत् जो दिखाअी देता है सो हमारी अज्ञान-जन्य कल्पनाके कारण है, यह कहना ज्यादा अुचित है कि जगत् है अिसलिए दिखाअी देता है; और यदि हम समनस्क हों तो हमें अुसकी प्रतीति होती है

* वेदान्तकी पुस्तकोंमें सृष्टिका मिथ्यात्व बतानेके लिये एक कथा कही जाती है: एक था नक्को नक्की राजा। अुसके थे तीन लड़के; अुनमेंसे दो तो जन्मे ही नहीं थे व तीसरेकी बात ही गलत थी; अुन्होंने तीन गाँव बसाये थे। अुनमें दो तो खाली ही थे और तीसरा बसा ही नहीं था . . . वगैरा।

मायावाद

और ज्यों ज्यों हमारा मन अधिक शुद्ध और अस्मुदित होता है, त्यों त्यों
अुभ प्रतीतिका स्वरूप अधिक सूक्ष्म और तलस्पर्शी होता जाता है।

यह अेक दूसरी बात है कि मनको अेक केन्द्रपर लाना - जल्सी
है। और जब हम ऐसा करते हैं तब वह केन्द्र अितना सूक्ष्म हो जाता है
कि अुसका व्यापार ठीक युसी तरह दिखाओ नहीं पड़ता, जैसे कि अणुके
सदृश वस्तुको सूक्ष्मदर्शकः यन्त्रके बिना हम नहीं देख सकते। परन्तु
अुस समय अत्यन्त सूक्ष्म होनेके कारण ही वह मन अत्यन्त बलवान् व
तलस्पर्शी होता है। अिसमें मनकी प्रश्नता अधिक है, कम नहीं। किन्तु
मनोव्यापार ही तो ज्ञानका साधन है, अुसका व्यापार अज्ञान नहीं है।
मनकी शुद्धि व विकासकी न्यूनताके कारण हो सकता है कि वह ज्ञान
स्थूल या अग्रम-युक्त हो, परन्तु है तो वह ज्ञान ही, ज्ञानका अभाव —
ज्ञानता — अज्ञान नहीं है।

जो जगत् हमें दिखाओः देता है, वह किसी जादूगरके खेल जैसा
नहीं है कि 'कू' करनेसे युद्ध जाय। अुसके स्वरूप-विषयक हमारी
कल्पना भले ही गलत हो, परन्तु अिसके लिये युसका जो हमारा अेक
मात्र साधन है, अर्थात् मन, अुसे ही हमें अधिक शुद्ध और सूक्ष्म करना
चाहिये। जिन जिनको आत्म-प्रतीति हुओ हैं, उन्हें अिसी तरीकिसे हुओ भी।
वही आशर्चय है कि सन्तोने खुद सूक्ष्मः प्रश्नावान होते हुओ किया
अशुद्ध मनस्कताको अज्ञानका कारण बतानेके बजाय ऐसा अुपदेश किया
है कि 'अमनस्क हो ओं, क्योंकि समनस्कता ही अज्ञान है !'

यस्तु विश्वानवान्मवति समनस्कः सदा शुचिः ।
स तु तत्पदमान्तोति ॥ × × × ×

अेषु सर्वेषु भूतेषु गूढात्मा न प्रकाशते ।

दृश्यते त्वय्यथा बुद्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः ॥

जो विश्वानयुक्त, समनस्क, और सदा पवित्र है, वह अुस पदको
प्राप्त करता है। × × × × जिन सब भूतोंमें गूढस्पसे रहा आत्मा
प्रकट दिखाओ नहीं पड़ता; परन्तु कुशाग्र व सूक्ष्म बुद्धिसे सूक्ष्मदर्शी
लोग अुसे ज्ञान सकते हैं।

(कठोपनिषद्)

लीलावाद

साधकको अुलझनमें ढालनेवाला यह एक और शब्दजाल है। अेक ओरसे यह कहा जाता है कि 'यह सारी दुनिया भगवान्ने खेलमें (लीला) अपनेमेंसे रची है और यह सब कुछ भगवद्ग्रूप ही है;' और दूसरी ओरसे अुसे यों ढराया जाता है कि—'भगवान्का भजन करके अपने मनुष्य-जन्मको सार्थक कर डाल। यह मनुष्य-जन्म बार बार नहीं मिलता। एक बार फिजूल चला गया, तो फिर तुझे अपने कर्मानुसार कीड़े, कुत्ते या न जाने किन किन योनियोंमें भटकना पड़ेगा।' अथवा एक ओर यह कहा जाता है कि 'भगवान् सूत्रधार है और तू अुसके हाथकी कठपुतली है' और दूसरी ओर बताया जाता है कि 'भगवान् तो केवल कर्मफलप्रदाता है, अपने कर्मोंके लिये तू खुद ही जिम्मेवार है।'

वैचारा साधक अिन परस्पर विरोधी वचनोंमें मेल नहीं बैठा सकता। और कओं बार अुसके मनमें यह खयाल अुठता है कि 'भगवान्की यह कैसी त्वच्छन्दता है, जिसकी बदौलत हमें ये सब व्यायायें भुगतनी पड़ती हैं!' अिस अुलझनका समाधान करनेके लिये अुसे बताया जाता है कि 'तू अपने मैं-पनको छोड़कर भगवद्दृष्टिसे देख। फिर न कहीं सुख दिखाओ देगा, न दुःख।' साधक तत्त्वज्ञानकी दृष्टिसे ऐसी प्रतीति करनेका थोड़ी देर प्रयत्न करता है; पर जब वह व्याकुलता व दुःखका असह्य भार बराबर अनुभव करता है, तब यह क्यों कर मान सकता है कि दुःखका अस्तित्व ही नहीं है!

तो, अब अिस लीलावादके मूलमें तत्त्वदृष्टि अितनी ही है कि यह सब विश्व एक चित्तत्वसे ही अुत्पन्न हुआ है। कैसे अुत्पन्न हुआ व क्यों हुआ? — अिस प्रश्नके अुत्तरमें 'लीला' शब्दका प्रयोग किया जाता है। तब वहाँ अुसका सीधासादा अर्थ अितना ही है कि यह चैतन्यके सहज स्वभावसे ही अुत्पन्न मालूम होता है; परन्तु अिससे अधिक निश्चित प्रयोजनका हमें पता नहीं लग सकता।

किन्तु यदि ब्रह्मसूत्रकारकों यह पता होता कि यह लीला शब्द साधकके मनमें कैसी गलतफहमी और ढोंगी पुरुषोंके लिये किस तरह ढोंग फैलाने व वशानेकी अनुकूलता पैदा कर देगा, तो इन्होंने विसका प्रयोग न किया होता।* यह वेदान्तका सिद्धान्त है कि 'चेतन्य विश्वका अुपादान कारण है'—चित्तत्वसे ही विश्व बना है; परन्तु 'लीला' शब्दके प्रयोगके साथ ही 'चेतन्यसे बना है' यह कहनेके बजाय 'भगवान् ने बनाया है' यह कहा जाता है। अिससे अुपादान कारणकी जगह ऐसा ख्याल बन जाता है कि अेक परशक्ति विश्वका निमित्त कारण है। पाखण्डी लोग किस तरह अिस लीला शब्दका दुरुपयोग करते हैं, अिसकी चर्चा करनेकी यहाँ जरूरत नहीं है।

अनन्त प्रकारकी शक्तियोंके वीजरूप 'चेतन्य शक्तिसे यह विश्व बना है; वह चिदरूप होनेसे कठत भी है — अर्थात् निश्चित नियमोंके अनुसार ही यह 'चेतन्य क्रियावान होता है; क्रमशः अिसमेंसे ही मनुष्य अुत्पन्न हुआ है, मनुष्यकी विविध शक्तियाँ बनी हैं; अुसमें कम-ज्यादा स्वाधीनता और स्वतन्त्रताका भी अुदय हुआ है: अुसकी ब्रौदीलत वह अपनी वाह्यशक्तियों या परिस्थितिके परिपूर्ण अधीन या विवश नहीं रहता, वल्कि अुसके परे हो सकता है, अुसपर योङ्गान्वहुत काढ़ भी पा सकता है, स्वेच्छानुसार कम-ज्यादा अपना नियमन भी कर सकता है, और अिस तरह मनुष्यमें अिस शक्तिका आविभाव होते होते ऐसी स्थिति आती है कि जिस तरह अेक वीज वृक्षरूप बननेमें स्वतः अदृश्य व नष्टवत् हो जाता है तथा वहाँसे प्रारंभ करके जब दूसरा वीज पैदा कर देता है तब अुसकी परिक्रान्ति (Cycle) पूरी हुजी मानी जा सकती है, वैसे वह अेक चित्तसे अन्वित 'चेतन्यशक्ति अपनी सत्ताकी प्रतीति जब वहाँ पैदा करा चुकती है, तो अुसकी परिक्रान्ति पूरी हो जाती है।

'लीला' शब्द परमत्वमें स्वच्छन्दताका भाव पैदा करता है, परन्तु हम यह जानते हैं कि अेक छोटेसे तिनकेका भी हिलना या महान् जल-प्रलय तथा भूकम्प जैसी बातोंका होना भी निश्चित नियमोंके अनुसार ही

* , महामन्त्र २-१-३३

होता है; ऐसे कुछ नियमोंको हम जानते भी हैं; जितनेका ज्ञान मनुष्यको हुआ है अुनके आधार पर अुसने कभी शक्तियोंपर विजय भी प्राप्त की है, और दूसरी शक्तियोंको पहचानने या अुनपर विजय प्राप्त करनेका वह प्रयत्न कर रहा है। जिन नियमोंको हम जान चुके हैं अुनके बनिस्तत जिन्हें हम नहीं जानते वे अधिक हैं और कदाचित् रहेंगे भी; फिर भी जिनको हम जान गये हैं, अुनपरसे हम निश्चित रूपसे कह सकते हैं कि 'चैतन्य ऋष्ट है, बगत् ऋष्ट है'; लीला — स्वच्छन्दता — स्वच्छन्दी बालकके जैसे भगवानकी क्रीड़ा — नहीं है, और स्वच्छन्दी बालककी तरह

'पग पॉखोंको पकड़े तोड़े, राजी हो कर लखने छोड़े।'

भगवान मनमानी-घरजानी करनेवाला, सैलानी, भावनाहीन, जीवोंको अुत्पन्न करके अुनके क्लेशमें आनंद माननेवाला, किसी धाममें स्थान बनाकर रहनेवाला वादशाह नहीं है।

२३

पूर्णता

जो पुरुष अभ्युदयकी अिन्धा रखता है, अुसके मनमें पूर्ण होनेकी अभिलाषा होना अुचित और स्वाभाविक ही है; परन्तु यदि पूर्णता-विषयक अुसका आदर्श और अुस पदको प्राप्त करनेकी पद्धतिके सम्बन्धमें अुसकी कल्पना भ्रमपूर्ण हो, तो अुससे अुसके अधिक चक्करमें पड़ जानेकी सम्भावना रहती है।

पहले तो जुसे चाहिये कि वह पूर्णता-प्राप्ति सम्बन्धी कुछ शक्या-शक्यताओंका विचार करे। चैतन्य सर्वशक्तिमान है। शक्तिमत्ताकी दृष्टिसे (Potentially) जहाँ जहाँ चैतन्य स्फुरित दिखाओ देता है, वहाँ वह सर्वत्र परिपूर्ण और सम है। जिस स्थिति तक ऐक प्राणी पहुँच चुका है, वहाँ तक दूसरा कोओ भी प्राणी पहुँच सकता है। यह सब जितना सच है, अुतना ही यह भी सच है कि कोओ भी जीव किसी निश्चित क्षणमें अपनी शक्तिको, अुसकी अुपाधियों तथा निश्चित नियमोंकि वशवर्ती होकर ही प्रकट कर सकता है। अर्थात् चैतन्यकी शक्तिमत्ता (Potentiality)

पूर्णता

तो असीम है; परन्तु किसी निष्ठित क्षणमें उसे प्रकट करनेकी अुसकी शक्ति मर्यादित है। एक पहलवान मोटरको रोक सकता है, तो मुझमें भी युंसी चैतन्य-शक्तिका निवाप होनेसे मैं भी शक्तिमत्ताकी दृष्टिसे जैसा करनेकी क्षमता रखनेवाला समझा जा सकता हूँ। परन्तु किसी क्षण मैं अुस शक्तिको प्रदर्शित नहीं कर सकता, यही नहीं वल्कि स्थु तक भी वैसी शक्तिको मेरे शरीरमें प्रदर्शित करनेका सामर्थ्य आना न आना अन्य नियमोके अधीन है। यदि मैंने अपने पूर्व-जीवनमें जैसी शक्ति प्राप्त करनेका कभी संकल्प भी न किया हो, अपने शरीरकी जैसी हालत कर ढाली हो, अुसे जैसा पंगु बना डाला हो, कि जैसी शक्ति प्राप्त करने योग्य सुधार अुसमें न हो सके, तो सम्भव है कि मैं कभी भी अपने शरीरके द्वारा पहलवान जैसी शक्ति न प्रदर्शित कर सकूँ। चैतन्यके सर्वशक्तिमान् होते हुओ भी अुस शक्तिको असुक रूप व मात्रामें प्रदर्शित करनेकी अपनी शक्तिको मैंने अपनी अब तककी जीवन-प्रणाली द्वारा मर्यादित कर दिया है।

ऐस कारणसे यह समझनेकी भूल न करनी चाहिये कि वे सब पुष्ट जिन्हे आत्म-प्रतीति हो चुकी है शरीर, मन या बुद्धिकी ऐक-सी शक्ति रखनेवाले होने चाहियें। जैसी व्यक्तिगत मर्यादाके साथ देश-कालकी मर्यादा भी पैदा हो जाती है। अर्थात् आत्म-प्रतीतिवान पुष्ट अपने समयके प्रभावसे विलुप्त ही मुक्त होता है, जैसा माननेकी भूल भी न करनी प्राह्लादसे विलुप्त ही मुक्त होता है, किंतु अनुसार होरी और कृष्णकी अुनके देश-कालके अनुसार। दुद्ध, मंहावीर व गांधीजी तीनों अहिंसके हिमायती हैं, किंतु भी तीनोंपर अपने अपने समयका प्रभाव गहनेके कारण अुनकी अहिंसाकी आचार-सम्बन्धी कल्पनामें भेद हो गया है। ऐसका यह अर्थ हुआ कि जैसे पुरुषोंकी शक्तियों वा गुणोंने अुनके जीवनमें जो विशिष्ट रूप प्राप्त किया हो, उसे — अुस विशेषताको — कभी आदर्श नहीं बना सकते। अुन शक्तियों व गुणोंका विचार आचरणके रूपमें नहीं, वल्कि भावनाके रूपमें ही करना चाहिये। अुस आचरणके योग्ययोग्यता आजकी दृष्टिसे जांचनी चाहिये, और अुसे व्यक्त करनेकी विशिष्ट प्रणाली वर्तमान युगके अनुरूप होनी चाहिये।

दूसरे, पूर्णताके आर्द्धके सम्बन्धमें स्थिर सम्पत्ति और विभूतिका भेद व्यानमें रखना जरूरी है। अर्जुन अपने समयमें ऐक अद्वितीय योद्धा था, फिर भी उसे अन्तरकालमें डाकुओंने लूट लिया। बुद्धापा, निराशा आदिसे उसके लड़नेकी शक्ति कम हो गयी और वह हार गया। किन्तु अिससे कोअी यह नहीं कह सकता कि अर्जुन युद्धविद्या भूल गया था, या उसकी वीरता कम हो गयी थी। अपनी विद्याका प्रयोग कर दिखानेका सामर्थ्य स्वयं विद्यासे कम स्थायी होता है। अिससे भी आगे बाकर कदाचित् ऐसा भी हो कि कोअी सेनापति बुद्धपेमें, अभ्यास न रहनेसे, युद्धकला भी भूल जाय। फिर भी अिससे यह नहीं कहा जा सकता कि उसका शौर्य घट गया। अर्थात् युद्धविद्या और उसका प्रयोग ये दो उसकी विभूतियाँ हैं और शौर्य उसकी स्थिर सम्पत्ति है। भले ही वह अशब्द हो जाय, या युद्ध-विद्या भूल जाय, फिर भी उसका शौर्य अनेक तरहसे व्यक्त हुआ बिना न रहेगा।

मनुष्य जिन जिन विद्याओंको सीखता है और उनके प्रयोग-रूपमें जो जो कर्म करता है, उनमेंसे हरएक उसके मनपर ऐक ऐक गुणका संस्कार डालता है। ऐक ही प्रकारके ऐसे कर्मोंका अभ्यास जिन गुणोंको दृढ़ करके उन्हें उसका स्वभाव बनाता है और वह उसकी स्थिर सम्पत्ति होती है। अब कालान्तरमें ऐसा हो सकता है कि जिन कर्मोंके करनेका अवसर ही उसके जीवनमें न आवे, तो भी उसका यह स्वभाव उसके जीवनके सूक्ष्म प्रसंगोंमें भी ज्ञालके बिना न रहेगा। अब चूँकि वे सूक्ष्म प्रसंगोंमें ही व्यक्त होते हैं, अिससे हो सकता है कि वे विभूति जैसे आकर्षक न हों; फिर भी वह उसकी स्थिर सम्पत्ति है।

पूर्णताका विचार हमें ऐसी स्थिर सम्पत्तिके — गुणोंके — सम्बन्धमें करना चाहिये। अब यह जुदा बात है कि कौनसी विद्यायें या विभूतियाँ उसे प्राप्त करनेका साधन बनती हैं।

गुणोंकी दृष्टिसे भी पूर्णताका विचार दो तरहसे करना होगा : विविधताकी दृष्टिसे तथा किसी ऐक गुणकी पराकाष्ठाकी दृष्टिसे। जुदा जुदा गुण जुदा जुदा समयमें भले ही महत्व प्राप्त कर ले और युगानुसार किसी ऐक गुणकी पराकाष्ठा होना भी भले ही आवश्यक समझा जाय,

पूर्णता

किन्तु विविधताको गौण न समझना चाहिये। क्योंकि जीवनके प्रत्येक प्रसंगमें ही नहीं, वल्क मनुष्यके विशिष्ट गुणका भी विवेकयुक्त व्यवहार करनेमें विविधताकी जरूरत है।

परन्तु यह विविधताका विषय जब सीधी तरहसे समझ जाता है, तो अभ्य नहीं होता; परन्तु जब किसी तत्त्वादकी दृष्टिसे असका विचार कहते हैं—‘भगवान् पूर्ण है; अतः वह कांमी, क्रोधी, लोभी, हिंसक, अहिंसक सब कुछ है। अब यदि मुझे भी पुरुषोत्तम होना है, तो मुझे भी अपने भावोंको ग्रहण करना चाहिये।’ मनुष्य जब विवेक-त्रुदिको तिलांजलि देकर किसी वादके जालमें फँस जाता है, तब उसी ही अलझनमें पह जाता है। नहीं तो वह समझ लेगा कि गुणोंकी विविधतामें प्रत्येक गुणके अन्तर या व्यवस्थित स्वरूपका ही विचार करना अनिच्छित है। जैसे—कामके मूलमें स्थिर गुण हैं, प्रेम व सर्जनता; किन्तु कामविकारमें अुपादेय है। असी तरह क्रोधके मूलमें अव्यवस्थित तेजस्विता है, किन्तु अनुच्छत वे अनुच्छत नहीं हैं; शुद्ध प्रेम व शुद्ध रचना-शीलता योग्य व अनुच्छत वे अनुच्छत नहीं हैं। लोभमें अनुच्छत संप्रहेच्छा है। अिषका भी अनुच्छत मार्ग हो सकता है। अस तरह गुणोंकी अनुच्छत कोटिमें विविधता और अन सबका सामज्जय हमारी पूर्णताका आदर्श हो, तो यह अनुच्छित नहीं है और सादे ढंगसे समझमें आने जैसा है और लम्पटाका भी, कहा जाय कि पूर्णतामें ब्रह्मचर्यका भी समावेश है। परन्तु यह तो यह पूर्णताका विचित्र और भ्रमपूर्ण चित्र है।

पूर्णता प्राप्त करनेके लिये भी व्यास-योग बताया जाता है। ‘मैं पुरुषोत्तम हूँ, औसी भावना करते रहनेसे कभी लोग मानते हैं कि इस पुरुषोत्तम हूँ, यह कहते हैं। परन्तु यह तरीका गलत है। चाहे ‘मैं पुरुषोत्तम हूँ’ यह कहें या ‘मैं सदृश्य हूँ’ यह कहें, इस बैसे ही वन सकते हैं, जैसी कि पुरुषोत्तम या सदृश्य विषयक हमारी कल्पना होगी—यह एक बात। और दूसरे यदि व्यास करनेसे कोभी व्यक्ति पुरुषोत्तम हो—यह सकता है, तो फिर बड़ोदाके गायकवाह तो जरूर ही हो सकना चाहिये। पागलजानेमें तो भैसे किन्तने ही न जाने क्या हो जाते हैं, परन्तु

समझदारोंकी दुनियामें ऐसा कभी नहीं हो सकता। यदि हमें पूर्णता ही प्राप्त करनी है, तो वह प्राण-पणसे प्रयत्न किये बिना केवल ध्याससे प्राप्त हो जायगी, ऐसी आशा करना खेदजनक नासमझी है। दुर्भाग्यसे जब देशमें पुरुषार्थ घट जाता है और केवल कल्पना-शक्ति द्वारा पोषित आकांक्षायें ही प्रवल हो रहती हैं, तभी मानता, भाव-सञ्चार, ध्यास, आदि अुपायोंसे ही मनुष्य अपने ध्येयको प्राप्त करनेकी आशा करने लगता है।

२४

अज्ञानका स्वरूप व सर्वज्ञता*

‘मायावाद’ नामक परिच्छेदमें यह बताया गया है कि साधकके मनमें यह प्रश्न अठता है कि आत्मामें अज्ञान कहाँसे आया और यिसका समाधानकारक खुलासा अुसे नहीं मिलता। अतः अज्ञानके विषयमें यहाँ कुछ विशेष विचार कर लेना ठीक होगा।

सब वेदान्ती कहते हैं कि अज्ञान जैसी कोई चीज है ही नहीं। फिर भी जिस अंश तक हमें अज्ञानका अनुभव होता है, अुस अंशतक अनेक बिन वचनोंसे हमारा समाधान नहीं हो सकता। अतः यह कहनेके बनिस्वत कि अज्ञान है ही नहीं, यह ज्यादा अनुचित होगा कि हम अज्ञानके स्वरूपका ही पता लगावें।

‘ज्ञान’ शब्दमें दो भावोंका समावेश होता है—(१) मान, जाग्रति; और (२) किसी पदार्थ या कर्मके सिलसिलेमें अुसके स्वरूप, गुण, घर्म, अन्य पदायोंके साथ अुसके सम्बन्ध आदिका निश्चय।

आगे योगखण्डमें हमने समझाया है कि ये दोनों भाव हमारी बुद्धिकी वृत्तियाँ हैं। ज्ञान व अज्ञान दोनों शब्द बुद्धिके व्यापारको, दर्शनिके लिये योजित होते हैं।

* ‘योगखण्ड’ प्रकरण पढ़ लेनेके बाद यह प्रकरण ठीक तरहसे समझमें आ जायगा। अतः जिनकी समझमें यह प्रकरण न आवे, वे ‘योगखण्ड’ पढ़ लेनेके बाद यिसे पुनः पढ़नेकी कृपा करें।

अज्ञानके अन्दर अिसके झुलटे भाव आते हैं — अर्थात् (१) वेहोशी — मानहीनता, निद्रा आदि और (२) किसी पदार्थ या कर्मके स्वरूप, गुण, धर्म आदिके विषयमें निश्चयका अभाव ।

मतलब कि यह दो प्रकारका अज्ञान तो है ही ।

अिसके अलावा बुद्धिका जो जाग्रति या भानका व्यापार है, वह अपूर्ण हो सकता है । 'योगखण्ड' पद्धनेवाले पाठक जान लेंगे कि वृत्तिके अद्यमवके साथ ही चार सम्प्रज्ञान झुठते हैं और यदि प्रज्ञा अितनी सूक्ष्म न हुआ हो कि हमारा ज्ञान अनुमेंसे किसीकी या सरकी तरफ जाय, तो ज्यों ज्यों ये सम्प्रज्ञान स्वष्ट रूपसे झुठते जाते हैं, त्यों त्यों मालूम पड़ता है कि अिससे पूर्वकी स्थिति अपूर्ण भानकी या अधूरे ज्ञानकी थी । अब पूर्ण भानकी दृष्टिसे अपूर्ण सम्प्रज्ञान भी अज्ञान ही है ।

पदार्थ या कर्मके सिलसिलेमें असके स्वरूप, गुण, धर्म, अन्य पदार्थोंके साथ सम्बन्ध, सुरक्षी ठीक कीमत आदिके सम्बन्धमें जो निश्चय होता है वह ज्ञान तो जरूर है, परन्तु यदि कम अनुमव या थोड़े विचारसे वह अुत्पन्न हुआ हो तो ज्यों ज्यों हमारा अनुमव या विचार बढ़ता है त्यों त्यों अिस निश्चयमें फर्क पड़ता जाता है और यह मालूम होता है कि अिससे पहलेका निश्चय विपरीत या, काल्पनिक या, या अधूरा या । बादके अनुमव या विचारसे पहलेका निश्चय गलत सावित होता है, अिसलिए अस दृष्टिसे यही सावित होता है कि पूर्वका ज्ञान अज्ञान ही या । अिस तरह अज्ञान चार प्रकारका हो जाता है —

अज्ञान

वेहोशी — मानहीनता	अनिश्चय	बादको गलत सावित होनेवाला निश्चय
पूर्ण	अंशतः	

अिस तरह अिस बातसे अिनकार नहीं किया जा सकता कि बुद्धिमें अज्ञान हो सकता है । अिसके भी अिनकारसे केवल शब्दजाल ही अुत्पन्न होता है ।

परन्तु यह कहा जाता है कि बुद्धिमें जो यह अज्ञान होता है, अुसका भी हमें ज्ञान होता है, अिस अज्ञानके भी हम साक्षी होते हैं; और अिस दृष्टिसे साक्षीरूप आत्मामें अज्ञान नहीं है, वह बुद्धिके ज्ञान तथा अज्ञान दोनोंको जानता है और अिस तरह सदा ज्ञाता ही है। बुद्धिनृत्ति और साक्षित्व दोनोंमें भेद करके यह समझाया जाता है कि अज्ञान जैसा कुछ है ही नहीं।

तात्त्विक दृष्टिसे यह सच है। व्यावहारिक दृष्टिसे मनुष्य भरसक अपनी बुद्धिके हो अज्ञानको मिटानेका यत्न करता है। एक नकुल वस्तुसे लेकर व्यवहारके समस्त कर्मोंमें और आत्माके स्वरूपका पता ल्यानेमें वह बुद्धिको ही सत्य निर्णयपर लाना चाहता है। साक्षी सदैव ज्ञाता है, यह जाननेसे सदैव अुसका काम नहीं चलता। वह तो बुद्धिके ज्ञानवान् होनेसे ही चलता है।

मनुष्य बुद्धिको सर्वज्ञ बनानेका यत्न करता है। परन्तु प्रकृतिके अनन्त होनेके कारण एक तरहसे देखें तो वह अुसमें सफल नहीं होता। यहुत समयसे हम यह जानते आये हैं कि प्रकृतिके व्यापार सनातन व शाश्वत नियमोंके आधारपर चलते हैं। ये नियम कितने हैं, वे क्या हैं — अिसका ज्ञान प्राप्त करनेके लिये वैज्ञानिक, योगी, भक्त और तत्त्वचिन्तक भिन्न भिन्न रीतिसे प्रयत्न करते आये हैं। अिस तरह यद्यपि ज्ञानकी वृद्धि होती जा रही है, तो भी अुसका क्षेत्र और भी विस्तृत मालूम पड़ता जाता है।

हाँ, अिन प्रयत्नोंके सिलसिलेमें अुसे कुछ निश्चित भूमिकाओंका ज्ञान होता है। अिससे यह न मान लेना चाहिये कि अुसमें सारी प्रकृतिका, समस्त व्यवहारोंका, भूत, भविष्य, वर्तमान सबका, व्यावहारिक समस्याओंका तथा अिन सबके सब प्रकारोंका भी ज्ञान होता है। अिससे अितना ही समझना चाहिये कि जिन सिद्धान्तों या नियमोंपर विश्व तथा मनुष्य-जीवनका तत्त्व चलता है तथा जिनके द्वारा हम अपने दुःखोंको मिटा सकते हैं और शान्ति-सन्तोष-समाधान पा सकते हैं, अुनका वे पता लगा लेते हैं।

अज्ञानका स्वरूप व सर्वज्ञता

योगदर्शनमें अिस ज्ञानकी सात सीमायें बतायी गयी हैंः *

(१) जीवन-तत्त्व सम्बन्धी ज्ञान; (२) जीवनको जकड़ने व छुड़ानेवाले संस्कारोंका ज्ञान; (३) दुःखनाशक और समाधानकारक सम्पत्तियोंका ज्ञान; (४) कर्तव्यकर्तव्यका ज्ञान; (५) समाधानकारक चित्तके भावोंका ज्ञान; (६) दुःखकारक चित्तके भावोंका ज्ञान; और (७) नित्यनित्य-विषयक ज्ञान। संक्षेपमें, मानव-जीवनके तात्त्विक प्रश्नोंका ज्ञान।

अिन विषयोंके निःसंशय सिद्धान्त जिनके हाथ ला गये हैं और अनुके अनुसार जिनका जीवन बना है, 'अुनको इस विषयका सर्वज्ञ कहनेमें वाघा नहीं है। परन्तु सर्वज्ञका अर्थ जितना ही है— मनुष्य-जीवनके तात्त्विक प्रश्नोंके विषयमें सर्वज्ञ। अिसका अर्थ यह नहीं है कि यदि अुसने आज खुपवापि किया हो, तो वह निष्ठयपूर्वक यह कह सकेगा कि अुसका नैतिक असर दूसरोंपर क्यां होगा, अथवा अुसके पाँवमें यदि पीड़ा हो तो वह अुसका अचूक खिलाज कर सकेगा, अथवा यह ठीक ठीक बता सकेगा कि १० मिनिट बाद अुसके सामने कौनसा कर्तव्य आकर खड़ा हो जायगा, अथवा यह बात सही सही बता सकेगा कि मंगल-प्रहर मनुष्य रहते हैं या नहीं।

पूर्वीकृत प्रकारकी ज्ञान-भूमिकाओंकी प्राप्तिका फल यह बताया गया है— (१) जीवनके अन्तिम हेत्यकी प्राप्ति, (२) मुक्ति, (३) शान्ति, (४) कृतकर्तव्यता, (५) दुःखनाश, (६) भयनाश, और (७) आत्मस्थिति।

समस्त विद्याओंका प्रयोजन थे सात फल ही हो सकते हैं; यदि अिस प्रयोजनकी सिद्धि वेदशास्त्र सम्पन्न और सर्व-विज्ञान-कला-विद्यारद होनेसे हो सकती हो तो अुस तरह, और सीधा-सादा जीवन व्यतीत करके तत्सम्बन्धी अपने कर्तव्योंका पालन करते हुये हो सकती हो तो अुस तरह कर लेनेमें इर्जन नहीं है। अिस प्रयोजनकी दृष्टिसे दोनों ओक्से सर्वज्ञ कहे जायेंगे। यदि अिस प्रयोजनकी सिद्धि न हो, तो वह शास्त्रज्ञ भी सर्वज्ञ नहीं कहा जा सकता।

सारांश यह कि श्रेयार्थीको जिस सर्वज्ञताकी आकांक्षा रखनी चाहिये, वह है मानवजीवनके आदि, मध्य और अन्त सम्बन्धी तथा चित्त-शान्ति सम्बन्धी प्रश्नोंकी; और अन प्रश्नोंके बारेमें भी अुनके अनन्त अुप-प्रश्नोंकी नहीं, वल्कि मूलभूत सिद्धान्त-विषयक अुप-प्रश्नोंकी। अन अुप-प्रश्नोंके ज्ञानका अनादर करना भूल है; यदि कोभी अुप-प्रश्नोंका मूल सिद्धान्तोंके साथ मेल वैठाना न जाने या अुन सिद्धान्तोंको अपने जीवनमें चरितार्थ न कर सके, तो यह नहीं कह सकते कि अुसने अिस ज्ञानकी 'प्रान्तभूमि' (सीमा) प्राप्त कर ली है।

जीवनशोधन

[शोधनका अर्थ है अज्ञातको खोज करना और ज्ञातका संशोधन करना]

खण्ड ६

सांख्य और वेदान्त-विचारके साथ हृश्यशोधन



प्रारंताविक

एक जगह स्वामी विवेकानन्दने सांख्य-दर्शनके शोधक कणिल मुनिकी मुक्त कंठसे प्रशंसा की है। अन्होने कहा है कि वेदान्तीको भी यह माने विना गति नहीं है कि सांख्य-दर्शनकी विचार-पद्धति व्यावहारिक तौरपर सही है।

अतः वेदान्तके जिज्ञासुके लिये भी कुछ अंशमें सांख्य-शास्त्रके परिचयकी जरूरत पड़ती है।

सांख्य-दर्शन-सम्बन्धी पुस्तकोंकी भाषा और युनके शब्दोंको समझनेमें कभी जगह मेरे मनमें भ्रमपूर्ण कल्पनायें अस्त्र हुओं और दूसरोंको मी देने क्षीरे ही भ्रममें पड़ते हुआ देखा है। अन्य शब्दोंको परिणाम यह होता है कि अिस प्रश्नमें पड़ते हुआ वैज्ञानिक पद्धतिसे जाँचने योग्य होते हुआ भी असा नहीं हो पाता; वल्कि सांख्य-दर्शन द्वारा वर्णित तत्त्वोंको विविध कल्पनाओं द्वारा समझ लेनेका प्रयत्न किया जाता है। और असी कारणसे तत्त्व सम्बन्धी प्राचीन कालके विचारोंमें वर्तमान वैज्ञानिक शोधके परिणाम-स्थलप जो फर्क या घटा-वृक्षी करना अनिवार्य है, वह नहीं होने पायी। तथा कणिल मुनि द्वारा आविष्कृत शास्त्रमें बादके आर्य तत्त्व-चिन्तकों द्वारा किसी प्रकारकी वृद्धि हुयी दिखाई नहीं पड़ती।

शुद्धाहरणके लिये हम सबने अितना जरूर सुना होगा कि सांख्य-दर्शनके अनुसार यह विश्व चौबीस तत्त्वोंकी प्रकृति और पच्चीसवाँ पुरुष, अिस प्रकार पच्चीस तत्त्वोंसे मिल कर बना है। परन्तु तत्त्व कहना चाहिये, अिस सम्बन्धमें हमारे मनमें चबीं गलतफहमी रहती है। सांख्य-मत-प्रतिपादक कितने ही पौराणिक और प्राकृत भाषाके ग्रंथ देखनेसे वहूंकी यह कल्पना होती है कि जैसे रसायन-शास्त्रमें लोहा, सोना, प्राण-वायु, गन्धक आदि भिन्न भिन्न तत्त्व (स्वतंत्र पदार्थ) माने

गये हैं, अुसी तरहके महत्, अहंकार, मन, तन्मात्रा आदि ऐक प्रकारके सूक्ष्म पदार्थ हैं। फिर सांख्यमें कहा है कि पुरुष और प्रकृतिके संयोगसे यह जगत् बना है; तो अिससे सुननेवालेके मनमें ऐसा ख्याल जम जाता है कि मानो ये दो तत्त्व या सत्त्व आदि कालमें ऐक दूसरेसे अल्पा रहते होंगे और जब वे आपसमें मिले, तब यह सृष्टि होने लगी; और पुरुषका जब कभी मोक्ष होगा, तब वह फिर प्रकृतिसे जुदा रहने लगेगा।

फिर वेदान्तके पञ्चीकरणमें अिन तत्त्वोंको और ही तरहसे घटानेका प्रयत्न किया गया है और अिससे यह गलतफहमी और भी बढ़ गयी है।

अिस कारणसे अिस शास्त्रके मूल सिद्धान्तोंको मैंने जिस तरहसे घटाया है, अुसको स्पष्ट और सरल रीतिसे समझानेका प्रयत्न निरर्थक न होगा; और अिससे यह भी जाना जा सकेगा कि अिस तरहकी जाँच करते हुये वर्तमान वैज्ञानिक दृष्टिसे अिस शास्त्रमें क्या क्या घटा-बढ़ी करना युचित है।

सांख्य-दर्शन आयोंका प्राचीन पदार्थ-विज्ञानशास्त्र (Physics) है। हिन्तु आयोंके दूसरे शास्त्रोंके अनुसार अिसमें भी जगत्का निरीक्षण मनुष्यके 'मोक्ष'के लिये जितना और जैसा आवश्यक मालूम हुआ अुससे अधिक नहीं किया गया। आर्थिक या व्यावहारिक दृष्टि अिस निरीक्षणमें शायद ही रही थी। अतअेव पाठकोंको यह बात याद रखना जरूरी है कि पदार्थ-विज्ञानका वह भाग अविकसित या अशोधित ही रह गया है, जो मोक्षके लिये निरुपयोगी मालूम हुआ। अिस पुस्तकमें भी हमारी दृष्टि तो आध्यात्मिक ही है, अतअेव अिस ध्येयके सिलसिलेमें जितना आवश्यक रूपसे स्पष्ट करना पड़े अुससे अधिक विस्तार करनेका अिरादा नहीं है। परन्तु वर्तमान वैज्ञानिक दृष्टि और प्राचीन दृष्टिमें असंगति न पैदा हो अिस तरह समझानेके ख्यालसे कुछ विस्तार जरूर करना पढ़ा है। मुझे अुम्मीद है कि पाठकोंको वह व्यर्थ और जी अूवानेवाला न मालूम होगा। फिर भी यदि कोअी पूछे कि क्या यह सब जाने विना श्रेयार्थीका काम न चल सकेगा? तो मुझे कहना पड़ेगा कि ऐसी कोअी बात नहीं है। और अिसी ख्यालसे अिस खण्डको दो प्रकारके

प्रास्ताविक

अक्षरोंमें द्याया है। अिससे जो अिसका आवश्यक भाग ही समझना चाहते हों, वे छोटे अक्षरोंवाला भाग छोड़ सकते हैं।

बहुत बार यह देखा गया है कि तत्त्वज्ञानमें रस क्लेनेवाले जो व्यक्ति आजकलका अंग्रेजी-विज्ञान पढ़े हैं, वे भी वैशानिक विषयोंमें परस्पर विश्वदृष्टि दो मत अेक ही साथ रखते हैं। अेक कॉलेज, अस्पताल और ऊद्योग वरीराके लिये और दूसरा प्राचीन तात्त्विक चर्चाके लिये। मुझे आशा है कि अिस पुस्तकमें किये गये विवेचनसे यह विशेष दूर हो जायगा।

अिस विवेचनमें मैंने अिस वातकी कोशिश की है कि प्राचीन सांख्य शास्त्रको भी आधुनिक परिमापमें और सुवोध रीतिसें पेश किया जाय। फिर भी यह निश्चयपूर्वक नहीं कह सकता कि यह विवेचन ठीक परम्परागत हृष्टिके अनुकूल ही हुआ है। जो पाठक विशेष रूपसे चिकित्सक और जिज्ञासु हैं, उनकी सुगमताके लिये परिदिष्ट (१)में सांख्य-कारिकाओंका अनुवाद भी दे दिया है। परन्तु, भुसके अलावा कपिल मुनिकी ढाली हुओ बुनियादपर ही किन्तु स्वतंत्र रूपसे अिसमें अेक नवीन दर्शन भी अुपरियत किया गया है। अिस तरह अिस खण्डमें अेक नवीन ऊद्देश्य स्पष्ट ही है। कि कपिल-मतमें शुद्धि-वृद्धि की जाय। और समझदार पाठकोंसे मेरा अनुरोध है कि वे तटस्थ बुद्धिसे अिस वातपर विचार करें कि यह परिवर्तन कहाँ तक सुनित हुआ है।

त्रिगुणात्मक प्रकृति

सांख्य शास्त्रमें पञ्चीस तत्त्व माने गये हैं, जो अिस प्रकार हैं : —

- (१) पुरुष,
- (२) त्रिगुणात्मक प्रकृति,
- (३) महत् या बुद्धि,*
- (४) अहंकार,
- (५) मन,
- (६—१०) पाँच शानेन्द्रियाँ,
- (११—१५) पाँच कर्मेन्द्रियाँ,
- (१६—२०) पाँच तन्मात्रायें, और (२१—२५) पाँच महाभूत ।

अिस विषयमें सांख्य शास्त्रके 'तत्त्व' शब्दका अर्थ ठीक समझ लेना ज़रूरी है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, ये सांख्य तत्त्व रसायन शास्त्रके तत्त्वोंकी तरह विभिन्न जातिके पदार्थ नहीं हैं, वल्कि जगत्के समस्त जड़ और चेतन पदार्थोंमें जो भिन्न-भिन्न धर्म (Properties) पाये जाते हैं, उनके नाम हैं और अिसी रूपमें अिनका परिचय हमें कर लेना है।

अिनमेंसे फिलहाल पुरुष तत्त्वको हम एक तरफ रख कर प्रकृति तत्त्व और अन्यमेंसे परिणित तेबीस तत्त्वोंका ही विचार करेंगे । +

प्रकृतिका दूसरा नाम प्रधान तत्त्व है और असे त्रिगुणात्मक कहा है। अिन तीन गुणोंके नाम सत्त्व, रज और तम हैं।

* सांख्य शास्त्रमें महत् और बुद्धि पर्यायवाचक शब्द हैं। योगमें चित्त, बुद्धि और सत्त्व समानार्थक हैं और ये सब महत्के अर्थमें ही लिये गये हैं। मैंने महत्का अर्थ दूनरी तरहसे किया है। अिसलिये सब जगह अिसीका प्रयोग किया है और सब प्रकारकी मानसिक क्रियाओंके लिये चित्त या सत्त्व शब्द अिस्तेमाल किया है। कपिल सांख्यमें जिन्हें बुद्धि और मन कहा है, वे दोनों तथा अिनसे भी अधिक दूसरे कुछ धर्मोंका समाप्त अिस महत् शब्दमें होता है। अधिक विवेचन अनुचित स्थान पर होगा।

+ पुराणमें रूपकात्मक विवेचन किये गये हैं। अनपरसे तथा पुरुष और प्रकृति अिन नर-नारी वाचक शब्दोंकी व्यवहारसे कितने ही विद्वान भी अंसा मानते दिखायी देते हैं कि मानो पुरुष और प्रकृति एक नर-मादाका जोड़ा है और अनुकं संयोगसे दूसरे तत्त्व सन्ततिकी तरह पैदा होते हैं।

त्रिगुणात्मक प्रकृति

सांख्यकारिकामें अन तीन गुणोंके सम्बन्धमें अिस प्रकार विवेचन किया गया है: “प्रीति, अप्रीति और विषादवाले, प्रकाश, प्रवृत्ति और वृत्ति रखनेवाले ये गुण हैं।

“लघु, प्रकाशयुक्त” और अिष्ट सत्त्वगुण है। प्रेरक और चल रज्जुगुण है। गुरु और आवरण स्पष्ट तमेगुण है।” (कारिका १२, १३)

अिसीके अनुसार गीताके चौदहवें अध्यायमें तीन गुणोंका और अनुके उद्दमव, लघु आदिका विवेचन अधिक विस्तारसे किया गया है। यद्यपि असमें तथा यहाँ किये गये विवेचनमें बहुत तात्त्विक फर्क है; पर इस गया है और स्वभावके अनेक दृश्यमान अवलोकनके आधार पर रचा गया है। अिसलिए अन तीन गुणोंकी प्राचीन कल्पना बहुत कुछ अपयोग भी है। अनियाद क्या है, यह समझ लेना आवश्यक है।

अिनमें सबसे पहले तो यह जान लेना चाहिये कि सांख्य मतके अनुसार पुरुष अथवा आत्मा सब गुणोंसे परे है। वह बुद्धिका विषय नहीं है। जो धर्म बुद्धिके विषय बनते हैं, अनुमेंसे ओक भी पुरुषमें नहीं है। त्रै सब प्रकृतिके धर्म हैं। अिससे खुद ज्ञान भी पुरुषका धर्म नहीं, बल्कि प्रकृतिका ही धर्म है। अिस प्रकार सुख-दुःख, ज्ञान-अज्ञान, प्रकाश-अंधकार, प्रवृत्ति-आलस्य आदि सब अनुभव प्रकृतिके धर्म हैं, पुरुषके नहीं।

अिन अनुभवोंमेंसे लघुता (हलकापन), प्रकाश, प्रीति (अथवा सुख), ज्ञान आदि कुछ अनुभव प्राणीको अिष्ट मालूम होते हैं। सांख्य-शास्त्रियोंका कहना है कि ये सब प्रकृतिमें स्थित सत्त्वगुणके धर्म हैं।

परन्तु हमें अपने जीवनमें केवल अनुभव ही होता हो, अर्थात् महज ज्ञान ही होता हो या सुख-दुःख आदिका वोध मात्र होता हो, सो बात नहीं। हम सिर्फ अनुभव ही नहीं करते, बल्कि क्रिया भी करते हैं। अर्थात् करना, अकेले ज्ञानकी अपेक्षा ओक भिन्न प्रकारका धर्म है। अिस तरह प्रकृतिमें जो क्रियावान होनेका गुण है, सुसे रजोगुण कहा है।

* नियमका अर्थ यहाँ बन्धन, भार, या अडचन पैदा करनेवाला, ‘गुरु और आवरण’ रूप है। अिस रूपमें विस्तारका अधिक खुलासा आगे किया गया है।

अिसके अुपरान्त एक तीसरा गुण भी है, जो सत्त्व और रज दोनोंसे अुलटा है। यह केवल सत्त्वगुण और रजेगुणका अभाव ही नहीं, बल्कि अन दोनोंसे अुलटी तरहका एक जुदा ही घर्म है। जैसे पश्चिम दिशाका अर्थ पूर्व दिशाका अभाव ही नहीं बल्कि अुसकी विपरीत दिशा है, अथवा बायीं ओर जानेका अर्थ दाहिनी ओर न जाना अितना ही नहीं बल्कि दाहिनीसे अुलटी तरफ ही जाना है, अुसी तरह अज्ञान केवल ज्ञानका अभाव ही नहीं है बल्कि ज्ञानसे अुलटी दिशामें काम करनेवाला, ज्ञानका नाश करनेवाला, भूलें करनेवाला बल है। अथवा जैसे क्रूरताका अथे दयाका अभाव ही नहीं, बल्कि दयासे अुलटे प्रकारका काम करनेवाला गुण है। अिस तरह जो गुण केवल लघुता (हल्केपन)को ही नहीं हटाता, बल्कि गुरुता (जड़ता) अुत्पन्न करता है, ज्ञानको हटाकर अज्ञान (मिथ्या और विपरीत ज्ञान) अुत्पन्न करता है, प्रकाशको दूर हटाकर अंघकारको बढ़ाता है, क्रियाका नाश करके आलस्य, प्रमाद पैदा करता है, अिस प्रकार जो सत्त्व और रज दोनोंसे अुलटे प्रकारका बल है वह तमोगुण है। सत्त्व-गुणको यदि दाहिनी ओर जानेवाली गाढ़ी कहें, तो तमोगुण बायीं ओर जानेवाली गाढ़ी है। रजेगुणको यदि पूर्व दिशामें प्रवाहित क्रिया-शक्ति कहें, तो तमोगुण पश्चिम दिशामें प्रवाहित क्रिया-शक्ति है।

अिस तरह ये तीन गुण भिन्न भिन्न प्रकारकी किन्तु एक दूसरेसे स्वतंत्र तीन शक्तियाँ अथवा बल हैं। प्रत्येक वस्तुमें ये बल काम करते रहते हैं, और कभी एक, तो कभी दूसरा बल अधिक जोरदार होकर दूसरे दो बलोंकी शक्तियोंको कम-ज्यादा कर देता है। जैसे किसी एक वस्तुको तीन जंजीरोंसे बाँध दें और तीन आदमी अुसे अलग अलग दिशाओंमें खीचें तो अनुके अलग अलग बल और अनुके बीचके अलग अलग कोणोंके कारण वह वस्तु स्थिर रहती है या एक अथवा दूसरी दिशामें लिंचती है, वैसे ही प्रत्येक वस्तु पर अन तीन गुणोंका बल काम करता रहता है। जुदा जुदा कारणोंसे अन गुणोंका बल कम-ज्यादा होता है और अिस कारण वह वस्तु भिन्न रूपमें परिवर्तन पाती है।

गुणोंको अिस प्रकार समझाने या स्पष्ट करनेकी यह पद्धति, जैसा कि अपर कहा है, मुझे अधृती मालूम पहती है, और अिस अंश तक

क्रिगुणात्मक प्रकृति

गीताके चौदहवें अध्यायवाला निखण्य अमोत्पादक हो जाता है। मेरी दृष्टिसे तीन गुणोंका यह विषय जिस 'तरह समझना चाहिये, युसका विशेष स्थैतिकरण आगे मिलेगा। यहाँ तो सिर्फ अेक बात याद रखनेकी विनती करता है और वह यह कि ये तीन गुण तीन जुदा जुदा स्वतंत्र बल नहीं हैं। प्रकृति तीन भिन्न भिन्न शक्तियाँ रखनेवाल एक ही अटपटा तत्त्व नहीं है, बल्कि तीन गुणों या विशेषणोंसे युक्त एक ही तत्त्व अथवा शक्तिका नाम है। इसे तत्त्व अथवा धर्म भिस शक्तिमें से ही परिणत हुआ है। यिससे युसे 'प्रधान' (मुख्य तत्त्व) भी कहते हैं। गुण खुद कोअी शक्ति है या बल ही नहीं है। तो फिर उन्हें स्वतन्त्र ही कह ही कैसे सकते हैं! उन्हें तो एक ही शक्तिके सकते हैं। जैसे यदि बल कह ही कैसे सकते हैं? इसके बाहर आशय अितना ही होता है कि ये तीन कम्पके विशेषण ही हैं; यह नहीं कि ये तीन आगन्तुक और कमच्छादा होनेवाले युसके धर्म हैं। अिसी प्रकार प्रकृतिके सत्त्व वरैरा गुण आगन्तुक नहीं, बल्कि सहज अर्थात् युसके साथ सदैव रहते हैं। आगर यह कहें कि ये तीनों गुण ही प्रकृति हैं तो र्हज नहीं।

फिर, आम बोल-चालमें इस सत्त्व, रज और तम अिन तीन शब्दोंका अिसेमाल विविध अर्थोंमें करते हैं। यिससे भी और कभी भ्रम लड़े दोते हैं—जैसे निर्लोब वस्तुयें तमोगुणका कार्य और तमके सजीव सत्त्वगुणका कार्य कही जाती हैं और रजोगुण सत्त्व और तमके वीचमें स्थित माना गया है।

यिसी प्रकार चित्तके अच्छे-बुरे या मध्यम स्वभावको दर्शानेके लिये कभी कभी ये शब्द बोले जाते हैं। जैसे कि सदगुणी मनुष्यको सत्त्वगुणी; बलवान, महत्वाकांक्षी और विलास-प्रिय मनुष्यको रजोगुणी; आलसी, जड़, क्रोधी और दुरुचारी मनुष्यको तमोगुणी कहा जाता है।

शब्दोंके अिस प्रकार प्रयोग होनेमें कारण है और युसका व्यावहारिक अप्योग भी है। परन्तु तत्त्व चर्चामें अिन शब्दोंकी योजना खास अर्थमें ही होती है और युन्ही अर्थोंमें उन्हें समझना चाहिये। अनुनें

अन्य अर्थोंसे अुत्पन्न संस्कारोंको अुस समय दूर रखनेका प्रयत्न करना चाहिये।

यितनी सूचना करनेके बाद अब हम तत्त्व-दृष्टिसे अिन तीन गुणोंका अर्थ समझनेका प्रयत्न करेंगे। अिन अर्थोंको समझनेमें यह बात याद रखनी होगी कि गुण चँड़कि प्रकृतिके विशेषण हैं, अतः जो अर्थ हम अुनका निश्चित करें वह सूक्ष्मसे सूक्ष्म और बड़ेसे बड़े साकार अथवा निराकार, सजीव या निर्जीव प्रत्येक पदार्थमें मिलना चाहिये। क्योंकि प्रत्येक पदार्थकी रचनामें प्रकृति तत्त्व तो अवश्य है ही। अतः कोअी पदार्थ अकेला तमोगुणी, अकेला रजोगुणी या अकेला सात्त्विक नहीं हो सकता। अर्थकी सचाभी या गलती जाननेके लिये यह हमारी कुंजी है।

तो अब पहले तमोगुण को लें।

विचार करनेसे मालूम होगा कि पदार्थ-मात्रमें हमको परिमितताकी प्रतीति होती है। छोटा-बड़ा, स्थूल-सूक्ष्म, स्वप्न-अस्वप्न तमोगुण प्रत्येक पदार्थ हमको किसी ओक खास भागमें ही स्थित और व्याप्त दिखाअी देता है। तरंगकी जैसी क्रियाओंमें भी स्थलकी मर्यादा है। अमुक क्षणमें वह अमुक ही देशमें भासित होती है। यह परिमितता खुद निक्षिय-जड़ (inert) जैसी ल्याती है। अतः पदार्थ मात्रमें जड़ता या निष्क्रियताका खयाल दिलानेवाला परिमितताका जो गुण है, अुसे मैं तमोंगुण कहता हूँ। इसे केवल सत्ता, अस्तित्व (essence, being), या केवल निक्षियता (inertia) का गुण भी कह सकते हैं। किन्तु परिमितता अथवा संक्षेपमें ‘परिमिति’ शब्द मुझे अधिक स्पष्ट और अर्थसूचक लगता है।

परन्तु पदार्थोंका आन्तरिक निरीक्षण करनेसे हमें मालूम होता है कि वास्तवः निक्षिय दिखाअी देते हुओ भी प्रत्येक रजोगुण पदार्थके अन्दर कोअी न कोअी क्रिया चलती ही रहती है। जिन अणुओंका वह पदार्थ बना हुआ है अनमें सतत स्थानान्तर, कम्प, चलन, बलन होते ही रहते हैं। पदार्थ-

मात्रमें चलनेवाली किसी आन्तरिक क्रिया अथवा गति रजोगुण है। अिस क्रिया-धर्म अथवा गति-धर्मके कारण ही हम यह जान सकते हैं कि किसी पदार्थका अस्तित्व है। जब अिस क्रिया-धर्म अथवा गति-धर्मका अधिक विकास होता है, तब वह सारा पदार्थ खुद इलचलशील बन जाता है। पदार्थ मात्रमें जो गति, क्रिया या क्रम (motion) धर्म दिखाएँ देता है, उसे मैं रजोगुण समझता हूँ।

परन्तु परिमितता और गतिके अलावा प्रत्येक पदार्थमें एक तीसरा गुण भी परखनेमें आता है। वह है व्यवस्थितिका।

सत्त्वगुण पदार्थोंकी परिमिति तथा गतिमें कुछ न कुछ व्यवस्थितता (order) होती है। पदार्थोंकी परिमिति तथा गतिकी व्यवस्थितताके भेदके कारण अनमें (पदार्थोंमें) प्रकार-भेद पैदा होता है और अनमें भिन्न भिन्न घमाँकी प्रतीति होती है। फौलाद और लोह-चुम्बक, लोहा और सोना, पशु और मनुष्य, अनघड चित्त और सुघड (संस्कारी) चित्त—अनमें जो भेद दिखाएँ देते हैं, वे सब अिनकी परिमिति तथा गतिमें रही व्यवस्थितिके भेदके कारण हैं। अिसलिए परिमिति तथा गतिके साथ रहनेवाली व्यवस्थितिको मैं सत्त्वगुण समझता हूँ।

सच बूँदिये तो जगत्में हम जो कुछ नामरूपात्मक पहचानते हैं, वह कुछ न कुछ व्यवस्थित और परिमित गतिका ही मान है। परिमिति, गति या व्यवस्थितिके भेदोंके कारण ही नाम और रूपके भेद पहुँचते हैं। पानी जो एक जगह ढूँढ़, दूसरी जगह सरोवर और तीसरी जगह समुद्र कहा जाता है, असका कारण परिमिति-भेद है। वह एक जगह झरना और दूसरी जगह नदी कहलाता है, सो परिमिति और गतिके भेदके कारण है। वह जल, वर्षा या भाप कहलाता है, सो असकी परिमिति, गति तथा व्यवस्थिति-भेदके फल स्वरूप है।

पदार्थमात्र अपने अत्यन्त सूक्ष्म स्वरूपमें केवल गति अथवा क्रिया (motion) ही है। अलवत्ता यह गति किसी न किसी तरह परिमित और व्यवस्थित रूपमें है। जिन्हें हम स्थूल पदार्थ समझते हैं, वे भी परिमिति तथा व्यवस्थित-युक्त गतिके सिवाय और कुछ नहीं हैं। भिन्न

भिन्न विन्द्रियोंके द्वारा हमें जो कुछ परिचय होता है अथवा अपने चित्तके द्वारा हम जिन जिन भावनाओं, विचारों आदिका अनुभव करते हैं, वह सब परिमितता, व्यवस्थितता और क्रियाके भानके सिवाय दूसरा कुछ भी नहीं है। जगत्का जो भान हमें होता है, वह भिन्न भिन्न प्रकारकी सतत चलती हुओं क्रियाओंका ही भान है।

प्रकृतिका अर्थ है शक्ति (force, energy)। शक्ति शब्द ही गति — क्रिया — को सूचित करता है। गति या क्रियाका विचार मनमें आते ही अुसमें परिमितता और व्यवस्थितताकी कल्पना करनी पड़ती है। अतअेव परिमिति और व्यवस्थिति-युक्त गति ही प्रकृति है। स्थूल या सूक्ष्म ऐसी कोई वस्तु नहीं है, जिसमें ये तीनों गुण न हों।

न तदस्ति पृथिव्या वा दिवि देवेषु वा पुनः ।

सत्त्वं प्रकृतिर्जैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः ॥

(गीता, १८ : ४०)

[पृथ्वीमें या आकाशमें अथवा देवताओंमें (ऐसा) कोई भी प्राणी नहीं है, जो अन प्रकृतिके तीनों गुणोंसे रहित हो।]

देश, काल और स्वभावके स्वरूपोंका खुलासा भी हमें अनमेंसे मिल जाता है।

देशका अर्थ परिमितिका आलक्न है; अुसमें पड़े फर्कका आकलन देशान्तर है। कालका अर्थ गतिका आकलन है। अुसमें पड़े फर्कका आकलन कालान्तर है।

स्वभावका अर्थ पदार्थकी व्यवस्थिति — सत्त्वका आकलन है। जैसे, जलमें रसत्व, शब्दकर्तमें मिठास आदि। व्यवस्थितिमें पड़े फर्कसे पदार्थका सत्त्व बदल जाता है। और फिर वह पदार्थ बदल गया, ऐसा मालूम होता है।

जाग्रत्तिमें साधारणतया पृथ्वी और अवकाशकी परिमिति तथा सूर्यकी गति देश और कालके मापका गज बनती है।

स्वप्नमें दृश्यकी परिमिति और गतिके भेदोंके आकलनकी जाग्रत्तिके वैसे ही भेदोंके साथ तुलना करके देश-कालकी कल्पना की जाती है। यानी, स्वप्नमें इन जो घर या घोड़ेकी चाल देखते हैं, अुसके परिणामोंकी कल्पना इम् जाग्रत्तिमें देखे हुये वैसे घर और घोड़ेकी चाल परसे करते हैं।

महत् तत्त्व

पिछले परिच्छेदमें हमने देखा कि त्रिगुणात्मक प्रकृतिका अर्थ है परिभ्रमा, व्यवस्थित तथा गतिमान् शक्ति। यों शब्द तो तीन हैं, परन्तु ये अेक ही शक्तिके तीन ऐसे विशेषण हैं, जो अेक-दूसरेसे कभी अलग नहीं हो सकते।

यिलके बाद सात्य-दर्शन महत् तत्त्वका बोलन करता है। यह प्रकृतिका कार्य अथवा अुसमेंसे परिणाम पानेवाला धर्म कहलाता है। दूसरे शब्दोंमें कहें तो त्रिगुणात्मक प्रकृतिके अमुक स्वरूप अथवा अुसमें अमुक धर्मके आविर्भावका नाम महत् है।

वह यह कि किसी वृत्तुका धर्म अेक बात है और अमुक धर्मके प्रकट होनेके अनुकूल साधन दूसरी बात है। जैसे कि आँख, कान वगैरा गोलक शानेन्द्रियाँ नहीं हैं। और शानेन्द्रियाँ तो कुन स्थानोंमें अमुक रूपमें प्रकट होनेवाली शक्तियोंकी नाम बल्कि देखना, सुनना आदि शानेन्द्रियोंके धर्म प्रकट होनेके द्वारा अथवा यन्त्र (करण) हैं। युमी प्रकार मनके मानी दिमाग नहीं अथवा शानन्तर्नु व्यवस्था (nervous system) भी नहीं, बल्कि यिन साधनोंके द्वारा व्यक्त होनेवाली कुछ विशेष शक्तियाँ या धर्म हैं। यदि यह भेद हमोर ध्यानमें न रहेगा और शक्ति तथा शक्तिके प्रकट होनेके साधन या शक्तिके आश्रय-स्थान दोनों बेक ही समझ लिये जायेंगे, तो सम्भव है कि यह सारा विवेचन बुझ हो जाय। लुड तो असोचर रहती है, परन्तु वह जिस प्रकारसे प्रकट होती है उस परसे हम अुम्हके भेद और बात भी याद रखना भुवित है। कोधी भी चक्षमशक्ति है। जैसे शानन्तर्नुके द्वारा विचार, संकल्प आदिके रूपमें प्रकट होनेवाली शक्तिको चित या तुद्धि कहते हैं। देखने, सुनने आदिकी शक्ति इष्टि, श्रुति आदि कहलाती है। प्रकट होनेका साधन भी ही, यह शक्ति कार्य भी करती हो, फिर भी अनुकूल परिस्थिति न होनेसे हम यह न जान पाते हों कि वह काम कर रही है। जैसे

कि लोह-तुम्बक यदि ऐक कोनेमें पढ़ा हो, तो हमें यह नहीं जान पड़ता कि अुत्तमें किसी विशेष प्रकारकी कोअभी शक्ति है। परन्तु जब कोअभी सुअभी अुसके पास रख दें, तो हमें अुत्तकी आकर्षण-शक्तिका पता लगता है। यिस प्रकार यह ही जकता है कि शक्ति तो ही पर अुसका कोअभी व्यापार न होता ही और व्यापार होता ही फिर भी हमें अुसका पता न लगता ही। अिन्मेंसे जब हमें अुसके किसी व्यापारका पता लगता है, तब हम अुसे तत्त्वके रूपमें जानने लगते हैं; और कुसके बाद जब जब वह शक्ति क्रियावान हो, तब तब हम अुसे 'जाग्रत' कहते हैं और जब वह क्रियावान न हो तब अुसे सुप्त या उप्त कहते हैं।

सारख्य-शास्त्रमें महत्त्वको चित्त या दुदि भी कहा है और अिस अर्थमें वह मन, भावना या कल्पनासे मिन्न धर्म है—यह खयालमें रखना चाहिये। हम जिस तत्त्वको खोज रहे हैं वह कोअभी ऐसे सामान्य धर्मोंका नाम है, जो सारी जड़ और चेतन सृष्टिमें पाये जाते हैं। अिस कारण यदि मानव चित्तको जाँचनेसे अुसके धर्मोंका अत्तिल्ल जड़ वस्तुओंमें मिल सके अथवा जड़ पदार्थोंके सामान्य धर्मोंको मानव-चित्तमें पा सकें, तो इमको महत् तत्त्वका लक्षण मिल जायगा।

अिस दृष्टिसे खोजते हुअे प्राणियोंके चित्त तथा जड़ वस्तुओंमें नीचे लिखे कमसे कम छह प्रकारके ऐसे धर्म मालूम महत्त्वका लक्षण पढ़ते हैं, जो ऐक वर्गमें रखे जा सकते हैं:

१. धारणा अथवा तनाव सहन करके परिस्थितिके अनुकूल हो जानेकी कम या ज्यादा शक्ति (tensibility);

२. आकर्षण-शक्ति (attraction);

३. अपकर्पण अथवा दूर हटने अथवा हटानेकी शक्ति (repulsion);

४. सायुज्य अथवा दूसरे पदार्थोंके साथ ऐकरूप होनेकी या दूसरे पदार्थोंको ऐकरूप करनेकी शक्ति (combination or assimilation);

५. वैयुज्य अथवा पृथक् हो जाने या करनेकी शक्ति (dissociation and generation); और

६. संलग्नता अथवा किसी पदार्थसे चिपट जानेकी शक्ति (adhesion).

महत् तत्त्व

अिन सब घमोंकी प्रतीति पदार्थ मात्रमें होती है। ऐसी किसी भी परिमित शक्ति (जैसी कि दिजली) या वस्तु (जैसी कि पृथ्वी) को लीजिये, जिसे हमने कोअभी अेक साप नाम दिया हो। वह किसी दूसरी अनिमित शक्ति या वस्तुको धारण आदि कर सकती है। अिन घमोंकी दौलत ही पदार्थोंकी अेक हितिसे दूसरी हितिमें क्रान्ति हो सकती है, अथवा अनुमें या अनुकी शक्तिमें घट-चढ़ होने पाती है।

ऐसी प्रकार अेक चित्त दूसरे चित्तको सहन (धारण) कर सकता है, आकर्षित कर सकता है, अपकर्षित कर सकता है और अुससे संयुक्त, वियुक्त अथवा संलग्न हो सकता है। अिन समस्त व्यापरोंका वित्तार शरीर जितने क्षेत्रमें ही समाप्त नहीं हो सकता है। और अिसके लिये - अेक शरीरके साथ दूसरे शरीरके स्पर्श होनेकी भी जल्दत नहीं। अिसके वेपरीत ये व्यापार बहुत बार शरीरके विना भी होते हुअे देखे जाते हैं। प्रकृतिका अिस प्रकारका व्यापार ही महत् तत्त्व है।

सारांश यह कि पदार्थमात्रमें, शक्तिमात्रमें, प्रत्येक नाम-दृष्टमें जो धारणा, आकर्षण, अपकर्षण, आदि धर्म पाये जाते हैं, अन समस्तको महत् तत्त्व कहा है। प्राणियोंके चित्तमें स्मृति, भावना, चिन्तन, कल्पना आदिकी जो शक्तियाँ ख पड़ती हैं, वे ज्ञानतन्त्र और दिमागकी खास किसकी रचनाकी बदौलत हैं। जिन्होंमें चित्त तत्त्वका जिस प्रकार विकास हुआ है, अुससे अुसमें कठी विदेष धर्म प्रकट हुअे हैं। अिन सम्बन्धमें विचार आगे किया जायगा। यहाँ तो अितना ही कहना वस द्वागा कि चित्तमें जो विविध प्रकारके भान (ज्ञान-संस्कार) पैदा होते हैं, वे पूर्वोक्त महत्वके धारणादिक धमोंका ज्ञानतन्त्रों और दिमाग पर जो खास किस्मका व्यापार वैसे संस्कारको जगाकर ही खत्म नहीं होता और वह ज्ञानतन्त्र व्यवस्था या मस्तिष्क तक ही व्याप नहीं है, शरीरके बाहर सी है।

अहंकार

अिसके बाद जो तत्त्व पृथक् बताया गया है, अुसका नाम अहंकार है। अहंकारका अर्थ यहाँ गर्व नहीं होता है, यह शायद ही कहनेकी जल्दत रहे। परन्तु यह समझाना होगा कि प्राणियोंमें सुरित जो 'मैं-पन'का भान है, उसना ही अहंकार नहीं। जिस प्रकार महत्को हमने प्रत्येक नाम और रूपमें खोजा है, अुसी प्रकार अहंकारको भी सर्वत्र खोजना है। 'मैं-पन' तो सिर्फ अहंकारका एक खास प्रकारका विकास ही है।

सब वस्तुओंमें स्थित अहंकारमें दो सामान्य धर्म दिखाई देते हैं : (१) आघातके सामने अपना स्वरूप-
अहंकारका कायम रखनेकी शक्ति — स्वरूप धृति
लक्षण (elasticity, stability), (२) प्रत्याघात करनेकी शक्ति (resistance).

मनुष्य हो या प्राणी सबका अहंकार अिससे अधिक कुछ नहीं करता। वह जिसमें अपनी अस्मिता मानता है, अुसमें फर्क न पड़ने देने और कोअी अुसमें फर्क करना चाहे तो अुसका प्रतिकार करनेमें जो बल खर्च करता है, वही अुसका अहंकार है। फिर वह अस्मिता चाहे शरीर सम्बन्धी हो या कुटुम्ब, समाज अथवा देश-विषयक हो, या वाणी अथवा विचारसे सम्बन्ध रखती हो। प्रत्येक जड़ पदार्थ भी, फिर वह छोटा हो या बड़ा, अैसी स्वरूप-धृति और प्रत्याघातकी शक्तियाँ अपनेमें रखता है।

महत् और अहंकारको जो दो जुदा तत्त्व माना है, अुसका कारण है। महत्के छहों धर्म ऐक साथ काम नहीं करते। कभी ऐक तो कभी दूसरा व्यापार करता है। परन्तु महत्का कोअी ऐक धर्म और अहंकार दोनों प्रत्येक पदार्थमें ऐक साथ अवश्य रहते हैं। विद्वमें चाहे जितना वनाव-त्रिगाड़ ही जाय, पर जिस क्षण हम अुसके जिस किसी

अंशको देखेंगे, असी क्षण हमें असमें महत्-धर्म तथा अहंकार-धर्म सहित परिमित और व्यवस्थित गति दिखाओ देगी।

— महत्-धर्मोंके व्यापारोंसे पदार्थोंकी परिमिति, गति और व्यवस्थितिमें — अनुके तम, रज, सत्त्व गुणोंमें प्रतिक्षण फर्क होता अहंकारके है। यह परिवर्तन अस पदार्थके अहंकारमें (स्वरूप-धारण और प्रत्याधात् शक्तिमें) भी फर्क ढालता है। असकी प्रतिक्रिया फिर महत् पर होती है और अससे वस्तुके धारण, आकर्षण आदि बलोंकी अभिव्यक्तिमें (प्रगट होनेकी शक्तिमें) फिर फर्क पड़ता है और वह पदार्थ बदला हुआ दिखाओ देता है। अस-तरहसे सुष्टिका वनाव-विगाह चलता है।

शास्त्रकारोंने जैसा किया है, अस तरह अहंकारके तीन भेद किये जा सकते हैं : तामस, राजस और सात्त्विक। असका अर्थ यह हुआ कि पदार्थकी परिमितिमें ही जो अहंकार (स्वरूप-धारण और प्रत्याधात्) धर्म मुख्यतः नजरमें आवे और असके स्वरूपमें फर्क करे, वह तामस अहंकार है, और जो मुख्यतः असकी गतिमें जाना जाता है और परिवर्तन करता है, वह राजस अहंकार है; और जो प्रधानतः असकी व्यवस्थितिमें परखा जाता है और क्रान्ति करता है, वह सात्त्विक अहंकार है। अस वर्गोंकरणको मोटे तौर पर और निरूपणकी सुविधा तक ही सही समझना चाहिये। सच बातं तो यह है कि एक गुणमें फर्क पढ़नेके साथ ही दूसरे दोमें भी कुछ न कुछ फेरफार जरूर हो जाता है। परन्तु जो परिवर्तन अधिक स्पष्ट दिखाओ दे अथवा समझनेमें सुविधाजनक हो, असे अस प्रकारके अहंकारका परिणाम कहा गया है।

अस प्रकार तामसाहंकारके ऊत्तरोत्तर परिवर्तनोंमें महाभूतोंकी, राजस परिवर्तनोंमें तन्मात्रा और कर्मेन्द्रियोंकी और सात्त्विक परिवर्तनोंमें चित्त या सत्त्वकी और शानेन्द्रियोंकी गणना की गई है। पर अससे

* अर्थात् अहंकार जिस रूपमें परिणत होता है, क्रान्ति पाता है, वे — developments, evolution.

यह न समझ लेना चाहिये कि महाभूतोंमें रज-सत्त्व (गति और व्यवस्थिति), अथवा तन्मात्रा और कर्मन्द्रियोंमें तम-सत्त्व (परिमिति और व्यवस्थिति), अथवा शानेन्द्रियों तथा मन या चित्तमें रब-तम (गति और परिमिति) के भेद नहीं हैं।

अिनमें हम पहले महाभूतोंका विचार करेंगे।

जैसा कि दूसरे प्रकरणमें बतलाया है पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाशकी गणना पञ्चमहाभूतोंमें होती है। जड़ सृष्टिमें ये पञ्चमहाभूत सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्त्व हैं और बहुतोंका तो यह भी ख्याल है कि जड़-सृष्टि पञ्चमहाभूतोंकी ही बनी हुई है और चेतन्य सृष्टिमें पञ्चमहाभूतोंकि अलावा महत्, अहंकार और मन भी हैं। परन्तु मैं अपर बता चुका हूँ कि यह भ्रम है। महत् और अहंकार ये जड़ और चेतन दोनों प्रकारकी सृष्टिके सामान्य धर्म ही हैं।

[पञ्चमहाभूत-विषयक अधिक वैज्ञानिक चर्चामें जिन्हें अुत्साह न हो, वे अिसके बाद मात्राओंका प्रकरण (नौवाँ) शुरू करें तो काफी है।]

महाभूत — सामान्यतः

‘हमारे शास्त्रकारोंका यह अन्तिम निर्णय है कि महाभूतोंकी संख्या पाँच है। ‘अंतिम’ विसलिये कहता हूँ कि यह पाँचकी संख्या धीरे धीरे निश्चित हुई है। प्रथम मुदाहरणके लिये, छान्दोर्योपनिषदमें तीन ही महाभूतोंकी कल्पना की गयी है। प्रथम दृष्टिपातमें महाभूतोंका यह विषय अतिना सरल मालूम हीता है कि उनके सम्बन्धमें दुष्ट विवेचन करनेकी जहरत नहीं महसूस होती। हम समझते हैं कि एक छीटा इच्छा भी उनके नाम गिना सकता है और उनके मुदाहरण दे सकता है। परन्तु महाभूतोंके नामोंको एक और रख दें, तो उनके अर्थ अथवा उनके आशयके सम्बन्धमें शास्त्रोंमें अेकवाक्यता नहीं है। अब आगे जो विवेचन किया जायगा, उससे यह बात मालूम हो जायगी। सबसे पहले तो यह समझना चाहिये कि आकाश आदि शब्द हमारे शास्त्रोंमें दो-दो अर्थोंमें प्रयुक्त हुए हैं। ये दोनों अर्थ नीचेकी तालिकामें बताये गये हैं:

नाम

पहला अर्थः
अवस्था-दर्शक

दूसरा अर्थः
शक्ति-दर्शक

आकाश वायुसे भी सक्षम स्थितिके पदार्थः परिमिति अति अवस्था (छान्दोर्योपनिषद्) परन्तु व्याप्ति अपारः।
(ether)

वायु पदार्थकी दृष्टि जैसी स्थिति : परिमिति आकाशसे विशेष, व्याप्ति कम। (gas)

शब्दका स्थान : आश्रय-
गोचर पदार्थ। कर्णेन्द्रिय-
स्थान : आश्रय-
रस्तका स्थान : स्पर्शेन्द्रिय-
गोचर पदार्थ। आश्रय-
स्थान : स्पर्शेन्द्रिय-
गोचर पदार्थ। आश्रय-
स्थान : नेत्रेन्द्रिय-गोचर पदार्थ।

तेज

वायु और जलके वीचकी पदार्थकी स्थिति (?); परिमितिमें विशेष घृड़ि; व्याप्ति और भी कमः तिराकार रूप। (beat, light)

जल

पदार्थकी तरल स्थिति; परिमितिका स्वरूप निश्चित; जिस पत्रमें पदार्थ ही युक्तका आकार धारण करनेकी स्थिति। (liquid)

पृथ्वी

पदार्थकी घन स्थिति : परिमितिका स्वरूप निश्चित : स्वतंत्र आकाश-युक्त पदार्थ। (solid)

* व्याप्तिका सम्बन्ध रजोगुण — क्रिया धर्म — के साथ है। विस भेदको और ध्यान दिलानेके लिये ही यहाँ अस वातका बुल्लेख किया गया है।

सिस प्रकार जिन शब्दोंका प्रयोग दो-दो अर्थोंमें होनेके कारण हमारे परिचित बहुतसे पदार्थोंका वर्गीकरण बहुत अटपटा हो जाता है— जैसे बलेसिनिको शुसकी स्थितिके अनुसार वायु कहना पढ़े, परन्तु अुसके रूप और गन्धको देख कर समझ वै हमारे शास्त्रकार अुसे तेज या पृथ्वी कहें। अिसी प्रकार शक्कर या नमकको अवस्थाकी दृष्टिसे पृथ्वी और स्वादकी दृष्टिसे जल कहना होगा।

यह कठिनाभी शास्त्रकारोंके ध्यानमें न आभी हो सो बात नहीं, क्योंकि अिसका परिहार कुछ अंशोंमें दोन्तीन तरहसे किया गया है। अेक तो यह कि प्रत्येक पिछले महाभूतमें अुसके अूपरके महाभूतोंके धर्म भी रहते हैं। जैसे कि वायुमें शब्द और स्पर्श तथा पृथ्वीमें पाँचों। परन्तु अिस परिहारसे भी काम नहीं चलता। अिसलिए अुसे दूसरी तरहसे समझाया गया है: आज हम जगत्में जिन पदार्थोंको देखते हैं अुनमेंसे अेक भी शुद्ध महाभूत नहीं है, बल्कि शुद्ध महाभूतोंके परस्पर संयोगोंका परिणाम है, अर्थात् प्रत्येक पदार्थ पाँचों महाभूतोंके अंशको लेकर बना है। अिसको अिस तरह समझाया जाता है कि सोनेमें जो धनत्व है वह पृथ्वीका अंश है, चमक तेजका अंश है; चर्कमें धनता पृथ्वी है; दूधमें प्रवाहिता और माधुर्य जल है, गन्ध पृथ्वी है, अुष्णता तेज है, आदि।*

* सर्व रामदासने महाभूतोंके लक्षण नीचे लिखे अनुसार बताये हैं—

जो जो जड़ और कठिन, सो सो पृथ्वीका लक्षण;

मृदु और आर्द्धपन, सो है आप ॥

जो जो शुष्ण और सतेज, अुसे जानिये हैं तेज;

अब वायुको सहज, बताता हूँ ॥

चैतन्य और चञ्चल, वह है वायु ही केवल;

शुन्य, अवकाश, निश्चल आकाश जानिये ॥

असे पंच महाभूत जानके, क्रिया संकेत;

अद ऐकमें पाँच भूत सावध सुनिये ॥

मूल्य न भमें कैसे पृथ्वी, पश्ले बतायूं वही;

देवै ध्यान सही, श्रोताजन ॥

आकाश तो अवकाश-शुन्य, शुन्य माने अज्ञान;

अज्ञान है चञ्चल मान, वही पृथ्वी ॥

महाभूत — सामान्यतः

यह कल्पना पञ्चीकरणके नामसे प्रसिद्ध है। यह मुझे विलष्ट और अकारण अंत्यन्त की गभी मालूम होती है। अिसमें तत्त्वोंकी वैज्ञानिक भावना काम करती हुभी मालूम पड़ती है। महाभूतों और तन्मात्राओंमें कार्यकरण सम्बन्ध है, यह कल्पना भी विसमें कारणीभूत हुअी है। यानी, शब्द, सर्व आदि पञ्चज्ञन स्फूर्ति स्थूलपूर्वमें स्थित एक एक महाभूत ही हैं,* और आकाश आदि जिन मात्राओंके गाढ़ अथवा स्थूल, स्थूलपूर्व हैं। ऐसी कल्पना की गजी है। दूसरे शब्दोंमें, तामसाहंकारका गाढ़ स्थूलपूर्व है शब्द हुआ। शब्दके गाढ़ होनेसे आकाश, गाढ़ आकाश सर्व हुआ, और गाढ़ सर्व वायु हुअी; विसी प्रकार वायुसे संप, स्पर्से तेज, तेजसे रस, रससे जल, जलसे गन्ध, गन्धसे पृथ्वी — अिस प्रकार परिमितिकी दृष्टिसे अंहकारके अंतरोत्तर परिवर्तन हैं।

एक एक महाभूतको एक एक मात्राके साथ कार्यकरण सम्बन्धसे बाँध देनेमें मुझे अध्यात्रा निरीक्षण दिखायी पड़ता है। आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिसे विचार करें, तो परिमितताकी दृष्टिसे ही महाभूतोंका वर्गीकरण करना युचित और काफी मालूम पड़ता है। महाभूत और मात्रामें कार्यकरण

आकाश स्थूल मट्ट, वही आप स्वतःसिद्ध;

तेज भी अब विशद, करता हूँ॥

अशानसे होता भास, वही तेजका प्रकाश;

अब वायुका अवकाश, संकेत कहुँ॥

वायु नम्में नहीं भेद, आकाश-सा ही रहे स्तम्भ;

तो भी नम्में जो निरोध, वही वायु॥

नम्में नम समाविष्ट, विसमें क्या कथन विष्ट?;

बैसे हैं सुस्पष्ट, नम्में पंचभूत॥

(दासबोध, ८-४)

विसी तरह दूसरे भूतोंके सम्बन्धमें भी समझाया गया है। अिस दृष्टिसे पौर्णों महाभूत अन्योन्य स्तम्भ हो जाते हैं; एक-दूसरेसे कार्यकरण-मावसे सम्बद्ध नहीं। अिस दृष्टिमें जो दोष मौजूद है, युसके विषयमें अगे विचार किया जायगा।

* 'तन्मात्र'का अर्थ है 'केवल वह', अर्थात् केवल महाभूत। जैसे शब्द

केवल शुद्ध सूक्ष्म आकाश, सर्व केवल शुद्ध सूक्ष्म वायु, वरीरा।

भाव सिद्ध नहीं हो सकता और ऐसा सम्बन्ध बिठानेकी जस्तरत भी नहीं मालूम होती। हम यह नित्य ही अनुभव करते हैं कि प्रत्येक पदार्थ परिमितिकी दृष्टिसे किसी भी महाभूतकी दशामें स्पान्तर पा सकता है। जैसे कि भाप, पानी और वर्फ। फिर अुस पदार्थका ज्ञान हमें किस भिन्निदियके द्वारा होता है, अिसका दारोमदार अंशतः अुसकी महाभूत दशा पर और अंशतः दूसरे कारणोंपर रहता है, जैसे क्लोरिन रंगकी बदौलत आँखसे, गन्धके कारण नाकसे और दबावके कारण त्वचासे जानी जा सकती है। फिर भी आमतौर पर वह वायु रूपमें प्राप्त होती है और अिसलिये आमतौर पर अुसे वायु कहना ही सुनित होगा। फिर प्राण-वायुको यदि तरल या प्रवाही बनाया जाय, तो अुसे भी आँखोंसे देख सकते हैं और पारेकी भाप बनावें तो वह भी अदृश्य हो जायगा।

अिसके ऊपरान्त आगे यह भी दिखायी देगा कि केवल परिमितिकी दृष्टिसे भी महाभूतोंका विचार करनेमें बहुतसा विचार-भ्रम हो गया है और अिसलिये अिस विषयका विचार शास्त्रोंकी प्रचलित रूढिसे भिन्न प्रकारसे और वैज्ञानिक शोधनकी दृष्टिसे करना चाहिये।

अिस दृष्टिसे अब प्रत्येक भूतका अलग अलग विचार करेंगे।

६

महाभूत — आकाश

आकाशकी कल्पनाके सम्बन्धमें शास्त्रकारोंमें कुछ मतभेद और अस्पष्टता दीख पड़ती है। कहीं आकाशको शून्य (void, vacuum) — दूसरे चार भूतोंका अभाव — माना गया है।* और कहीं अुक्तको भावात्मक सत्त्व बताया मालूम होता है। +

अब जो आकाशको शून्य मानते हैं, उनकी दृष्टिसे स्पष्ट है कि वैसे प्रकारभेद आकाशमें नहीं कल्पित किये जा सकते, वैसे कि वायु, जल, पृथ्वी आदिमें भिन्न भिन्न

* पिछले प्रकरणमें दासवोष सम्बन्धी अवतरण अथवा सहजानन्द स्वार्थीके वचनान्तर ग० प्र० १२ अित्यादि देखिये।

+ देखिये ब्रह्मसङ्ग — शास्त्रमाल्य, अ० २, पा० ३, स० १ से ७ तक।

महाभूत — आकाश

प्रकार द्वितीयी पढ़ते हैं। परन्तु जो आकाशको वास्तविक भावस्य पदर्थ मानते हैं, वे भी भुसमें प्रकार-भेदकी कल्पना करते हुये दिलाई नहीं पढ़ते। *

विनम्रेसे आकाशको शून्य बतानेवाली कल्पना गलत है। जो शून्य है भुससे कोई चीज बन नहीं सकती और न वह शब्दादिका अधार ही ही सकता है। दूसरे, शून्यताकी कल्पना नपेक्षा की ही सकती है, क्योंकि निरपेक्ष शून्यको तो कल्पना ही नहीं की जा सकती। जब हम यह कहते हैं कि 'विष जगह कुछ भी नहीं है', तो भुसका अर्थ वितना ही होता है कि हम अपनी ज्ञानेन्द्रियोंके द्वारा किनी वस्तुके अस्तित्वको जान नहीं करते हैं।

विनके अलावा, शब्दको आकाशकी तनात्र माना है। विसका कुर्धं यह दुआ कि शब्द आकाशका सूक्ष्म स्वरूप है। या शब्द भुसके अस्तित्वका सूक्ष्म देनेवाला पदर्थ है; अथवा शब्द आकाशका कारण है। विनम्रेसे चाहे किनी अर्थकी लीजिये, लेकिन आकाशका अर्थ शून्य है — यह कल्पना युक्ति सङ्गत नहीं मालूम होती। क्योंकि जब हम शब्दके अस्तित्व और प्रकार-भेदको निश्चित रूपसे जान सकते हैं, तब यह कैसे कह सकते हैं कि भुसके लिये जिस आकाशका अनुमान किया गया है वह शून्य रूप है? +

मतलब कि मैं आकाशको एक भावस्य महाभूत मानता हूँ। पदर्थकी वायुसे भो भूम अवस्था; वायु-शोधक साधनोंसे भी जिसके अस्तित्वको न पकड़ सकें ऐसी रियतिमें — जिसकी व्याप्ति अस्तन्त अथवा लगभग परिणाम-हीन हो ऐसी किनी पदर्थकी अवस्था। विस चर्चामें हमने परिमितिको केवल तुतना ही महत्व दिया है, जितना कि यहाँ वर्गीकरणके लिये आवश्यक था। परन्तु वस्तुतः देखें तो पदर्थ-मात्र परिमिति, गति और व्यवस्थिति तोनों विशेषणों सहित होते हैं, तद्युक्त होते हैं। विस वातको यद रखें तो पदर्थोंको परिमितिके अविश्यय अव्य होते हैं और, जिस्तिमें, अनेके आकाश-दशामें होते हुये भी यह वात समझमें आने लैसी है कि भुनमें व्यवस्थिति और गतिके भेदोंको वर्दैवत प्रकार-भेद ही सकते हैं।

* विषमें योदी शंका हो सकती है; क्योंकि कई कई काम, क्रोध, आदिनों भी आकाशके भेद बताये गये हैं।

+ यदि शून्यका अर्थ 'अभाव' नहीं बल्कि सक्षमतम अस्त्रूल शक्तियाँ किया जाय, तो यह समझमें अनें लायक है। तो फिर भुस दशामें असे 'अव्यक्त' अथवा 'अप्रकट' स्पी कहना अचित होगा। यदि लगभग शून्यके अर्थमें शून्य शब्द संग्रेपके लिये काममें लाया गया हो तो आपति नहीं, बरत्ते कि यह वात स्पसे ज्ञानमें रखी जाय।

प्रकृति शक्ति — क्रिया — हैं और अनन्त विस्तारमें व्याप्त हैं। जिसमें परिमिति और व्याप्तिका सम्बन्ध ऐक दूसरेसे विषम (व्यस्त) सा पाया जाता है। जैसे सोनेके पासेको पीट पीट कर लम्बा करें तो भुसकी मोटाओंकी घट जायगी और मोटाओंकी बढ़ायेंगे तो लम्बाओंकी घट जायगी, इसी प्रकार पदार्थकी परिमिति यदि अल्प हो तो क्रियाकी व्यापकता अतिशय फैल जायगी और यदि भुसकी परिमिति (मर्यादा)में बढ़ि हो तो क्रियाका प्रदेश कम हो जायगा। जिस जगह वायु, जल, पृथ्वी (या तेज +) का अभाव दिखाओं देता है वहाँ तथा जब पदार्थ वायुसे भी सहज स्थितिको पहुँच जाता है तब भी क्रिया-शक्ति बन्द नहीं पड़ती और भुस क्रियाकी व्यवस्थितिमें — भुसके प्रकारोंमें — भेद हो सकता है। यिस प्रकार विविध रीतिसे रचित गतियोंके परस्पर आकर्षण, अपकर्षण आदिके फलस्वरूप आकाश-दशामें भी पदार्थोंके प्रकारान्तर हो सकते हैं, और हम भुनके विविध परिणामोंका अनुभव भी कर सकते हैं। ऐसे गति और व्यवस्थितिके भेदोंके कारण यदि आकाशमें प्रकार-भेद दिल्कुल न हों और आकाश ऐकरूप ही हो, तो सृष्टिको अुत्तिः कदापि नहीं हो सकती।

केवल कल्पनाके आधार पर ही आकाशमें प्रकार-भेद नहीं माना गया है; वृत्तिके अवलोकन पर आधारित अनुमान द्वारा यह कल्पना की गई है।

तेजकी जुदा जुदा रंगकी किरणें, तेजका स्तम्भन (polarization), विजली, ऐकतरे तथा दूसरी प्रकारकी विजलीकी किरणें आदिको परिमिति यदि शून्यवत् हो, तो भी भुनमें गति और व्यवस्थितिके भेद स्पष्टरूपसे जाने जा सकते हैं। जिन घनियों, किरणों, विद्युत-शक्तियों तथा गन्ध, स्वाद आदिके अस्तित्वको जाननेकी शक्ति आमतौर पर हमारी अिन्द्रियोंमें नहीं है, भुसे योगाभ्याससे या सहज वैज्ञानिक यंत्रोंसे जाननेकी शक्ति प्राप्त होती है। फिर, यह भी स्पष्ट है कि यंत्रोंकी सहायतासे यिन शक्तियोंका परस्पर रूपान्तर भी होता है। [ऐटम-विस्फोट (explosion)के प्रयोगोंने यह अब सिद्ध-सा कर दिया है।

यिन सब परसे यह नतीजा निकलता है कि आकाश शून्य नहीं, बल्कि अत्यन्त सहज परिमितियुक्त भावरूप महाभूत है, वह ऐक ही प्रकारका नहीं बल्कि अनेक प्रकारका है और आकाश-दशामें स्थित ऐसे अनेक पदार्थोंमें होनेवाले

+ 'तेज' शब्दको कोष्ठकमें क्यों रखा है, यिसका कारण आगे मालम ही जायगा।

महाभूत — आकाश

आकर्षणादिक धर्मोंके कारण उसी दशामें अनेक प्रकारान्तर होते हैं। यितना ही नहीं, वहिक धर्म और युसकी परिमिति परिवर्तन होकर वायु आदि दूसरे प्रकारके महाभूतोंमें युसकी संकरान्ति होती है।*

* नोट — आधुनिक विज्ञानशास्त्रमें मान्य बीथर तत्त्व (ether), दर्शनशास्त्रमें स्वीकृत आकाशतत्त्व और युसकी मेरे द्वारा को गयी व्याख्या — यिनमें जो अन्तर है वह नेचे लिखी तालिकासे स्पष्ट हो जायगा :

वीथर	आकाशः		मेरी व्याख्या
	प्राचीन व्याख्या	आकाशः	
१. भावरूप पदार्थ।	एक मत शून्यता।	दूसरा मत भावरूप पदार्थ।	भावरूप पदार्थ (अनेक)।
२. केवल एक प्रकारका वाहन; (शक्तियोंको अक्ष स्थानसे दूसरे स्थानको ले जाने-वाला तत्त्व)।	विश्वमें पदार्थोंके अणुओंके बीचकी जगह-शब्द का आश्रय-स्थान।	शब्दका कार्य; वाहनकी कल्पना पैदा ही नहीं हुनी।	केवल वाहन नहीं; शक्तियोंका वाहन होना या उनसे संचारित होना पदार्थ-मात्रका एक धर्म है; युसी प्रकार आकाशका भी एक धर्म है।
३. प्रकार-मेद रहित।	प्रकार-मेद रहित।	?	मेदयुक्त।
४. न किसीका कारण, न कार्य -यिस रूपमें निविकार, परन्तु गतिधर्मी।	निविकार और निश्वल।	स्पर्शतन्मात्राका अुपादान कारण।	वायुसे भी आशावस्था; यिस वर्थमें वायुका कारण; गति और व्यवस्थितयुक्त परिणाम-धर्मी।
५. परिमिति ?	परिमितताको कल्पना ही असम्भाव्य।		परिमिति अस्यांत अल्प-लगभग शून्यवत् एक दृष्टिसे; गति और व्यवस्थितिमें परिमिति समाविष्ट।

महाभूत — वायु, जल, पृथ्वी

महाभूतोंमेंसे वायु, जल और पृथ्वीके सम्बन्धमें बहुत समझानेकी जरूरत नहीं, सिर्फ़ परिमिति और शब्दादि तन्मात्राओंका विचार-भेकन्दूसेरेसे भिन्न स्पष्टमें करनेकी जरूरत है। तेन सम्बन्धी विचार करते हुवे यह विषय अधिक स्पष्ट हो जायगा।

परिमितिकी दृष्टिसे पदार्थका हवा जैसा स्वरूप ही वायु है। विज्ञानकी यह प्रकट वात है कि प्रत्येक पदार्थको तदनुकूल परिस्थिति निर्माण करके वायुमें स्थान्तरित किया जा सकता है। अनेकों पदार्थ वायुकी दशामें मौजूद हैं। अतवेव यह कहनेकी जरूरत नहीं है कि युनमें अनेक प्रकार-भेद हैं। पानी और पृथ्वीसे भी यह स्थिति अधिक सूक्ष्म है और युसके वजन, दबाव तथा स्पर्शसे अुसका अस्तित्व मालूम पड़ता है।

पदार्थोंकी रसात्मक, तरल अथवा प्रवाही स्थितिको जल कहा है और धन स्थितिको पृथ्वी बताया गया है। यह भी आसानीसे समझमें आने योग्य है। यहाँ जलका अर्थ पानी नहीं, वल्कि पानी जैसा कोभी भी पदार्थ है और पृथ्वीका अर्थ मिट्टी नहीं, वल्कि धनस्वयुक्त कोभी भी पदार्थ समझना चाहिये। पानी और पृथ्वी ये रसात्मक और धन महाभूतोंके प्रसिद्ध पदार्थ हैं — अितना ही।

तेज

प्राचीन शास्कारोने तेजकी गणना महाभूतोंमें की है। यिसका विचार हमने अब तक मुल्तवी रखा था, क्योंकि यिसकी छाननीन सट और स्वतंत्र स्पसे करनेकी जरूरत है।

शास्कारोने तेजको वायु और जलके बीचकी स्थितिमें कलित किया है और उसको वायुका विकार माना है। यिसके दो अर्थ हो सकते हैं : (१) परिमितिकी दृष्टिसे यह कि तेजको परिमित वायुसे अधिक है (और यिसलिये युसकी व्याप्ति कम है); और (२) शक्ति धारणको दृष्टिसे यह कि सर्व या वायुसे तेजका अद्भुत होता है। अब हमने महाभूतोंका वर्गीकरण जूँकि परिमितिकी दृष्टिसे ही करना तय किया है, अिसलिये दूसरे दृष्टिको अभी हम एक और रख दें।

पहले तो तेजके अर्थके विषयमें ही प्राचीन विचारोंमें बहुत कुछ अस्पष्टा मालूम होती है। युद्धने कर्त्ता तो तेजका युणताके अर्थमें और कहाँ प्रकाश (स्प.

या दग्गोचरता) के अर्थमें प्रयोग किया है।

द्वीक लोगोंकी भी यह धारणा थी कि युणता एक स्वतंत्र महाभूत है। यह गुरुत्वके विपरीत लुभुत धर्मयुक्त एक तत्त्व माना जाता था; अर्थात् युणता जिस पर्यामें पैठती है, वह गरम और वजनमें हल्का हो जाता है। (सत्त्वगुण लुभुत और प्रकाशयुक्त है, यह सांख्य विचार भी यिसी प्रकारका है)। परन्तु आज हमको जितनी जानकारी प्राप्त है युससे युणता महाभूतका भेद मालूम नहीं होती, यहको पर्यामी अस्थन्तर गतिमें परिवर्तन होनेसे पैदा होनेवाला धर्म है। यह गतिमें भूतका दूसरे भूतमें परिवर्तन — युणताकी घटा-घटा कर ही किया जा सकता है।

भूतका कारण कुछ भूतमें युसकी युणतामें पर्यामें किसी भी भूतन्यथिमें हो, युसकी आन्तरिक वडनेके बाद वह पदार्थ स्वयं प्रकाश वन जाता है, या दूसरे भूत-स्थितिमें चला जाता है, अथवा दोनों वातें होती हैं, या किसी नये हो पर्यामें परिणत हो जाता है। और, यह वात भी निश्चित स्पसे नहीं कह सकते कि यह नया पदार्थ किस जातिका महाभूत बनेगा।

यिस प्रकार युणता पदार्थोंका आगन्तुक धर्म है। * यह प्रत्येक जातिकी * आगन्तुक धर्म कहनेमें सापेक्ष दृष्टि ही है। वस्तुतः युणता एक प्रकारकी शक्ति — क्रिया — गति है, यितना ही कहा जा सकता है। हमारे शरीरमें

महाभूतमें पैदा हो सकता है और आकाश, वायु, जल या पृथ्वीकी दशामें रहे किसी भी पदार्थके साथ ही हम भुसकी सत्ताको देख या पा सकते हैं।

सारांश यह कि तेजको हम चाहे अुष्णताके अर्थमें लें चाहे प्रकाशके अर्थमें —

१. वह परिमितिका अर्थात् महाभूतोंका भेद नहीं मालूम होता, बल्कि गतिका अर्थात् तन्मात्राका भेद प्रतीत होता है; किन्तु,

२. अनुकूल परिस्थितियोंमें, महाभूतोंका रूपान्तर करनेमें अिसका महत्वपूर्ण भाग है;

३. आकाश, वायु, जल और पृथ्वीसे विलकुल स्वतंत्र रूपमें भुसका अस्तित्व जाना नहीं जाता;

४. चार महाभूतोंमें यह आगन्तुक धर्म जैसा देखा जाता है;

५. अुष्णताके रूपमें यह नेत्रका विषय नहीं बल्कि स्पर्शका विषय है;

६. प्रकाशके अर्थमें यह आकाशके वाहन द्वारा प्रतीत होता है; और

७. किसी भी अर्थमें तेजको वायुका विकार अथवा अुभसे नीचेकी पंक्तिका महाभूत गिनना युक्ति-संगत नहीं लगता।

यदि हम प्रत्येक महाभूतके साथ एक ऐक तन्मात्राका नित्य सम्बन्ध जोड़ने पर जोर न दें; और ऐसा वर्गीकरण करनेका प्रयत्न न करें जिसे हमारा अबलोकन मंजूर नहीं कर सकता, तो यह कहना अुचित होगा कि परिमितिके भेदोंको दृष्टिसे शुद्ध महाभूत पाँच नहीं बल्कि चार ही हैं — आकाश, वायु, जल और पृथ्वी।

बातावरणमें, या किसी भी वस्तुमें सामान्यतः रहनेवाली अिसी प्रकारकी गतिके साथ तुलना करते हुवे दूसरे पदार्थोंमें रहो ऐसी ही गतिको अथवा अुसी पदार्थमें दूसरे समय होनेवाले वैसी गतिके भेदको हम अुष्णता कहते हैं और अुसे आगन्तुक जैसी समझते हैं। अुष्णताका ज्ञान देनेवाली गति जब विलकुल न हो, तो अुसे अुष्णताका निरपेक्ष शून्यांश (absolute zero temperature) कह सकते हैं। पदार्थोंमें होनेवाली आन्तरिक गतियोंके स्वरूप-सम्बन्धी हमारा ज्ञान अितना अत्य है कि ऐसे कोबी पदार्थ, जो अुष्णता धर्मको पैदा करनेवाली गतिसे रहित हों, हो सकते हैं या नहीं अिसका हमें पता नहीं है। आगे चलकर यह समझमें आ जायगा कि अिन आगन्तुक धर्मोंकी ही गणना मात्राओंमें की गयी है।

* तरल और घनके बीचको — नरम मोमकी तरह, जल और वायुके बीचकी — कोहरा और वादल जैसी अवान्तर स्थितियाँ भी होती हैं। यदि हम अुनका भी वर्गीकरण करने लों, तो भेद अितने बढ़ जायेगे कि वर्गीकरण असम्भव हो जायगा। वर्गीकरणका युद्देश्य तो सुविधा और समझनेमें सरलता पैदा करना है। अिस दृष्टिसे ये चार भेद काफी तीव्र हैं।

मात्राये—सामान्यतः

जिन पाठकोंने ५ से ८ तकके प्रकरण न पढ़े होंगे, उनके लिये
शुनका नीचे लिखा सारांश अपेक्षित होगा :

१. प्राचीन शास्त्रोंमें जो यह माना गया है कि महाभूतों और
महाभूतों घर्मों (शब्द, स्पर्श आदि तमात्राओं) में कार्य-करण सम्बन्ध
है, यह ठीक नहीं मालूम होता ।

२. तेजकी गणना जो महाभूतोंमें की गयी है, वह सही नहीं
मालूम होती ।

३. परन्तु परिमितिकी दृष्टिसे विचार करें, तो यह कहना अनिच्छित
होगा कि शुद्ध महाभूत चार ही हैं—आकाश, वायु, जल और पृथ्वी ।

४. आकाश शून्य नहीं बल्कि पदार्थकी अस्यत् स्फूर्ति अवस्था
है । अस्यकी विस्तारमें भी अनेक पदार्थ हो सकते हैं ।

५. किसी भी पदार्थकी हवा जैसी अवस्थाको पृथ्वी कहते हैं, तरल
अवस्थाको जल, और धन (गाढ़ी) अवस्थाको पृथ्वी कहते हैं । मात्रा क्या बत्तु है,

६. तेज महाभूत नहीं, बल्कि मात्रा है ।

विस्तार किया विचार हमें यहाँ करना है । अस्यका विचार हमें यहाँ करना है, अस्यमें परिमितता, किया
और व्यवस्थितता ये तीन गुण अनिवार्य रूपसे हैं । अपर बताया ही जा
नुका है कि कैसे सब पदार्थोंका परिमितिकी दृष्टिसे वर्गीकरण करनेसे वे
सब चार महाभूतोंमें बट जाते हैं । अब हम क्षिति वातका विचार करें
कि अन पदार्थोंके क्रिया-घर्म या रजोगुणकी दृष्टिसे अनके कितने वर्ग
होते हैं ।*

* पदार्थोंमें जो अखण्ड क्रिया चलती रहती है, सर्व पूर्णों तो, अस्यका हमें
पूरा ज्ञान नहीं है । सिर्फ़ जो क्रियायें आती-जाती द्विसामी पड़ती हैं, अन्दर्भोंका
हम विचार कर सकते हैं ।

यिसमें पहले दो वर्ग होते हैं : एक चित्त-हीन सुष्टिका और दूसरा चित्त-युक्त सुष्टिका । अर्थात् जगत्के पदार्थोंमें या तो चित्त है या नहीं है । जिसमें चित्त है वह चित्तवान् या सचित् सुष्टि और जिसमें नहीं है वह चित्त-हीन या अचित्त सुष्टि । आगे पढ़नेसे यह बात अच्छी तरह समझमें आ जायगी ।

यों तो प्रत्येक पदार्थमें कोअभी न कोअभी क्रिया या गति अखंडित रूपसे चलती ही रहती है । परन्तु वनस्पति तथा प्राणियोंमें यिस क्रिया या गतिका गुण अितना अधिक बढ़ गया है कि वह (क्रिया) भुस पदार्थके अन्दर ही समाअभी नहीं रहती, बल्कि बाहर भी प्रकट होती है । ये पदार्थ बढ़ते रहनेमें तथा अपने स्वरूपको कायम रखकर स्वतंत्र रूपसे हलचल करनेमें समर्थ होते हैं । + जिन पदार्थोंमें बढ़नेकी और स्वतंत्र रूपसे हलचल करनेकी शक्ति है, उन्हें चित्तवान् और शेषको हम चित्त-हीन सुष्टि कहेंगे ।

परन्तु यिससे यह न समझना चाहिये कि ये वर्ग एक-दूसरेसे स्पर्श ही नहीं करते । सच पूछो तो चित्त-हीन पदार्थोंमें मिलनेवाली गतियाँ चित्तवान् सुष्टिमें तो हैं ही, परन्तु चित्तवान् पदार्थोंकी क्रियाशक्तियाँ चित्त-हीन पदार्थोंमें दिखाअभी नहीं देती ।

यिस प्रकार चित्त-हीन पदार्थोंमें होनेवाली क्रियायें चूँकि सब पदार्थोंमें सामान्य रूपसे पाअभी जाती हैं, अतः पहले हम अिन्हीं क्रियाओंका विचार करेंगे । ऐसी क्रियाओंके प्रत्येक वर्गको 'मात्रा' नाम दिया गया है ।

आमतौर पर यह माना जाता है कि ज्ञानेन्द्रियों द्वारा हम पदार्थके अस्तित्वको पाँच तरहसे, परख सकते हैं : पदार्थसे निर्मित शब्द द्वारा, प्रकाश द्वारा, गन्ध द्वारा अथवा अुसके स्पर्श द्वारा या स्वादके द्वारा ।

+ भाष, विजली आदि शक्तियोंसे परिचालित यंत्र भी अपना स्वरूप कायम रखकर हलचल करनेमें समर्थ होते हैं । परन्तु उनमें बढ़नेकी (मोटे होनेकी) तथा स्वतंत्र रूपसे हलचल करनेकी शक्ति नहीं रहती । असलिअे वे चित्तहीन हैं ।

मात्राये — सामान्यतः

पदार्थकी परिमितता चाहे जितनी हो, उसका जल्या अपु जितना हो या अपार हो, पर वह यदि शब्द, स्पर्श, स्वप्न, रस या गन्ध निर्माण करता हो और हमारी ज्ञानेन्द्रियोंके साथ उसका सम्बन्ध हो, तभी हमें उसके अस्तित्वका पता ला सकता है। जैव कि ऊपर कहा है, प्राचीन शास्त्रोंमें एक अक महाभूतके साथ गुरुत्वाये भी ऊपर बताई गयी हैं। एक अक महाभूतके साथ परन्तु यदि हम महाभूत और मात्राओंको अलग कर दें और गुरुत्वाये भी ऊपर बताई गयी हैं।

मात्राविचार सकते हैं कि पदार्थमात्र कोअभी एक महाभूत है। अर्थात् वह धनादिक चार अवस्थाओंमेंसे किसी एकमें रहता है, तो हम निवित रूपसे अितना ही जान सकते हैं कि अवस्थाओंमेंसे किसी एकमें रहता है। अर्थात् वह क्रृच मात्राये भी रखता है, अर्थात् शब्दादिक कियाओंको उत्पन्न करता है। असुक मात्रा असुक महाभूतके साथ अवश्य लुड़ी हुआ है, जैसा हम विश्वासपूर्वक नहीं कह सकते। फिर जैसे एक महाभूत दूसरे, जैसा हम अुदाहरणार्थ अुधातमें वदल जा सकता है, जिजलीमेंसे तेज, शब्द विश्वादि वन सकते हैं। आजकलके प्रयोगोंसे ऐसा भी मालूम होता है कि आकाश सब्र प्रकारकी मात्राओंका बहन हो सकता है और ज्ञानशृंदिके साथ साथ उनकी संख्याओंका बहन भी सम्भवनीय है।

तो अब मात्राओंकी संख्याका हम वर्तमान वैशानिक जानकारी अनुसार विचार करें।

ज्ञानेन्द्रियों अपने विषयोंका ज्ञान दो तरहसे प्राप्त करती हैं: स्पर्शका, स्वादका और गन्धका ज्ञान हमें पदार्थके साथ प्रत्यक्ष और स्थूल सम्बन्धमें आये विना नहीं हो सकता। पदार्थका कुछ न कुछ भाग हमारे ल्पवा, जीम या नाकसे ढूँना चाहिये। परन्तु शब्द तथा प्रकाशका ज्ञान पदार्थके साथ प्रत्यक्ष सम्बन्धमें आये दिना ही होता है। गन्धका ज्ञान पदार्थकी सूक्ष्म रजके नाकके अन्दरकी चमड़ीसे लगने पर होता है; अिसमें पदार्थके साथ प्रत्यक्ष सम्बन्ध होता हुआ मालूम पहता है। गन्धके विषयमें प्राचीन या अर्वाचीन पदार्थविज्ञानमें अधिक शोध हुआ मालूम नहीं पड़ती। रसके दृढ़ भेद किये हैं। प्रकाशकी सतत किरणें मानी गयी हैं। अिसके अपरान्त भी किरणोंके सम्बन्धमें बहुत कुछ खोज हुयी है। शब्दके विषयका ज्ञान हमें ठीक

ठीक हुआ है ऐसा कह सकते हैं। सर्वशक्ति विषयमें भी ठंडा-गरम, चिकना-खुरदरा आदि भेद पहचान सकते हैं। गन्धके भेद तो हम समझ सकते हैं। परन्तु अुसका शास्त्रीय वर्गीकरण अभी नहीं हो सका है। शान्तिपर्वमें (महाभारतमें) गन्धके नौ भेद बताये गये हैं। पर वे संतोषजनक नहीं हैं। गन्ध पदार्थके किस स्वरूपका धर्म या क्रिया है, ऐसकी विविधता कैसे होती है, कितने प्रकारकी होती है — ऐसके सम्बन्धमें हमने अधिक ज्ञान प्राप्त किया हो ऐसा दिखाओ नहीं पड़ता।

१०

मात्राओंकी संख्या

संसारके समस्त पदार्थोंको पहचाननेके जो साधन हमारे पास हैं, अुनके अनुसार अुनके वर्गीकरणकी जो नीति शास्त्रोंने स्वीकार की है, वह बहुत सुलभ और सुविधाजनक है। पदार्थ हमारी ज्ञानेन्द्रियों पर जिस तरह प्रभाव डालते हैं, अुससे हमें अुनके अन्दर चलती क्रियाओंका ज्ञान होता है। किन्तु हम यह नहीं कह सकते कि सिर्फ अुतनी ही क्रियायें पदार्थोंके अन्दर होती हैं। और अुनके जाननेका कोअी भी दूसरा साधन न होनेके कारण हम अुनका वर्गीकरण भी नहीं कर सकते।

पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ प्रसिद्ध ही हैं: अवण, त्वचा, नेत्र, रसना और व्राण। अन प्रत्येकके विषयानुसार जगत्के पदार्थ पाँच प्रकारके हैं — शब्दात्मक, स्पर्शात्मक, रूपात्मक, रसात्मक और गंधात्मक। अनिमेंसे रूपको प्राचीनोंने तेजकी मात्रा मानी है, किन्तु हमने तेजको भूतोंमेंसे हटा दिया है और अुसके दो स्पष्ट भाग — अुष्णता और प्रकाश — करके अुष्णताको सर्वशक्ति भेद और प्रकाशको रूपमें गिना, अेवं अन दोनोंका समावेश मात्राओंमें किया है। ऐसके अुपरान्त भी चलती क्रियाओंका भान हमें होता है या नहीं, और यदि होता है तो हम अुन्हें कैसे पहचान सकते हैं, ऐसका विचार करते हुये मन अथवा चित्तको ज्ञानेन्द्रियकी तरह ही एक स्वतंत्र साधन मानना आवश्यक मालूम होता है। जिस प्रकार जुदा जुदा रंगोंका रूपमें समावेश करके अुसे हमने नेत्रका

मात्राभोक्त्री संख्या।

विषय समझा है, अुसी तरह चित्का विषय बननेवाली भिन्न भिन्न क्रियाओंके लिए एक ही शब्द—सञ्चार—की योजना की जा सकती है। विजली आदि शक्तियाँ; दया, क्रोध आदि भावनायें; कुछा, उषा आदि अूर्मियाँ; बुखार, सूजन, चपका या कसक आदि वेदनायें; सुख, दुःख आदि अवस्थायें; संकल्प, विचार, कल्पना (ओर चाहें तो भूत-प्रेतादिके तथा वास्य ज्ञानेन्द्रियों द्वारा होता है, क्षैता कहना कठिन है। ये सब सीधे चित्के ही विषय हैं और पदार्थों द्वारा अुपजते किसी प्रकारके क्रिया-सञ्चार द्वारा ही हमें अनुका भान होता है।

अन्नमें से मावना, अूर्मि, वेदना, सुख-दुःख, संकल्प, आदि संचार हमें केवल चित्कावान सृष्टियें दिखाती होते हैं। अन्हें यदि एक ओर रख दें और जह सृष्टियें ही दिखाती देनेवाले विजली, लोहचुम्बकत्व आदि (तथा कभी कभी चित्क-प्रवेश) के संचारोंको ही गिनें, तो ये तीन मात्रायें बढ़ाओ जा सकती हैं।

ऐस प्रकार पदार्थ-मात्रायें एक समय अथवा भिन्न समयमें लो क्रियायें चलती रहती हैं, अनुके छह भेद हो जाते हैं:

(१) शब्द, (२) सर्व (कुण्ठता तथा द्वाव),* (३) रूप (प्रकाश), (४) रस (छह प्रकारके स्वाद), (५) गन्ध, और (६) संचार (विजली, लोहचुम्बकत्व, रेडियोशक्ति, चित्प्रवेश, अित्यादि)।

यिन मात्राओंमेंसे रस और गन्धके सम्बन्धमें हम कदाचित् वैसा कह सकें कि किसी पदार्थको हम जब तक अुसी पदार्थके रूपमें जानते हैं तभी तक अुसके गन्ध और रस अुसमें कायम रहते हैं। परन्तु हम यह बत निश्चित रूपसे नहीं जानते कि प्रत्येक पदार्थमें किसी न किसी प्रकारकी गन्ध व रसका वास है या नहीं। यदि वैसा सावित हो जाय तो यह कहा जायगा कि गन्ध या रसका भान

* चिकना, खुरदरा अित्यादि सर्वेक भेद वस्तुतः पदार्थके राजस भेद नहीं है, वल्कि परिमितिके वास्य भेद है। भले ही अिहें व्यवस्थितिके भेद भी कहें। पदार्थकी आकृतिका ज्ञान भी अुसमें होनेवाली क्रियाको नहीं बतलाता, वल्कि परिमितिको ही बताता है। हाँ, यह सच है कि अिन दोनोंका ज्ञान स्पर्शसे ही होता है। परन्तु अुसका करण यह है कि त्वामें द्वावका सूक्ष्म फर्क मालूम पड़ जाता है और अुससे हम परिमितिका अनुमान करते हैं।

करनेवाली क्रिया पदार्थ-मात्रके अेक या दो तत्त्व हैं। परन्तु यह बात कि प्रत्येक पदार्थमें अुष्टगताधर्म है, अस्से भी अधिक निश्चित रूपसे कही जा सकनेकी सम्भावना है। शेष तोन मात्रायें (शब्द, प्रकाश और संचार) पदार्थके अस्थायी धर्म हैं और अनुकूल परिस्थितिमें प्रकट होते हैं।

११

व्यवस्थिति—विचार

अिसके पहले कि हम सचित्त सृष्टिके रजोगुणके (क्रिया-धर्मके) भेदोंका विचार करें, पदार्थोंकी व्यवस्थितिके जो भेद विश्वमें दिखाअी देते हैं, अुनका कुछ विचार करना ठीक होगा। व्यवस्थिति शब्दमें ही किसी प्रकारकी नियमितता सूचित होती है। यह रूप्त ही है कि व्यवस्थितिका विचार परिमिति तथा गतिसे स्वतंत्र रूपमें नहीं किया जा सकता; क्योंकि तब यह प्रश्न तुरन्त अुठ खड़ा होता है कि आखिर व्यवस्थिति किसमें? अर्थात् व्यवस्थिति या तो सुख्यतः पदार्थकी परिमितिमें होगी या अुसकी गतिमें होगी या दोनोंमें भलीभाँति होगी!*

चाहे परिमिति हो चाहे गति, किसीमें भी यदि व्यवस्थिति बढ़ी हुआई दिखाअी दे, तो अुससे पदार्थमें कुछ धर्मोंका अुदय दिखाअी देगा: जैसे कि, यदि वह पृथक्कीमें हो तो पहलूदार (prism) हो जाना, प्रतिविम्ब-अुठानेकी क्षमता आ जाना, शब्द, अुष्टाता, विजली अित्यादि मात्राओंको घारण या वहन करनेकी शक्तिका बढ़ना अित्यादि। अिस प्रकार किसी भी धर्म या तत्त्वको विशेष रूपसे प्रकट करनेकी शक्ति अुसमें मालूम पड़ेगी।^x परन्तु जिस तरह अेक तरफ व्यवस्थितिके विकाससे

* अिसका अर्थ यह न समझिये कि व्यवस्थिति परिमितिमें हो और गतिमें न हो, अथवा गतिमें हो और परिमितिमें न हो; वल्कि यदि व्यवस्थितिका परिणाम सुख्यतः पदार्थकी परिमितिमें दिखाअी दे, तो अुसमें और गतिमें दिखाअी दे तो गतिमें समझिये। विचारकी सुविधाके लिये ही यह भेद किया गया है।

^x पदार्थका जर्त्या बड़ा होनेके कारण अुसमें तत्त्वकी विशेष रूपसे प्रकट होनेकी जो शक्ति मालूम पहती है — अुसका विचार यहाँ नहीं किया गया है; वल्कि अल्प पदार्थमें ही जो तत्त्व विशेष रूपसे प्रकट हुआ दीखता है, अुसीको व्यवस्थितिके विकासका परिणाम कह सकते हैं।

व्यवस्थिति-विचार

पदार्थोंमें किसी धर्मके प्रकट होनेकी शक्ति बढ़ती है, असी तरह यह भी मालूम पड़ेगा कि दूसरी तरफ उन पदार्थोंकी विविष्टा घटती है। यानी पदार्थ अमुक तरहसे ही किया कर सकने योग्य बनते हैं। +

अब पहले परिच्छेदमें बताती थेक बातकी याद यहाँ पर दिलाना ठीक होगा। आजकलके वैज्ञानिकोंकी तरह दर्शनकार विज्ञानशास्त्रोंकी शोध नहीं करते थे। अनुकी शोधका तो मुख्य युद्धेष्य यह जानना या कि मनुष्य अथवा विज्ञानका मूल कहाँ और किस तरह है। अिसलिए जितना कमसे कम विचार किये विना अनुका काम ही नहीं चलता या, अतना ही विचार अनुहोने चित्त-हीन सुष्ठिके सम्बन्धमें किया है। अिस कारण सीख-शास्त्रमें महाभूतों और मात्राओंकि विचारके बाद व्यवस्थितिकी सुष्ठिसे चित्त-हीन सुष्ठिका विचार नहीं किया गया और चित्तवान सुष्ठिमें जैसा कि हम आगे बतायेंगे, यह भी है। अिसका एक दूसरा कारण, जोनकी शूरुआत विश्वसे नहीं बल्कि मनुष्य-शरीरसे डुखी है।

हमें भी अिस पुस्तकके अनुसर चित्त-हीन सुष्ठिका अधिक विचार करनेकी जल्दत नहीं।

अतः अब हम चित्तवान सुष्ठिकी और ही ध्यान दें। अिसमें घनत्व, रसत्व, वायुत्व और आकाशत्व — संक्षेपमें महाभूत — और असी प्रकार अुण्णता, दबाव, विजली, घन्घ, स्वाद आदि मात्रायें हैं। परन्तु हम यह नहीं कह सकते कि वे चित्त-हीन पदार्थोंकी तरह सादे रूपमें हैं। शरीरकी रचनामें चारों महाभूत और चित्त-हीन पदार्थोंकी छह मात्राओंकी अुपरान्त दूसरी मात्राओंका भी एक साथ दर्शन होता है। असकी परिमिति तया गतिमें एक खास प्रकारकी और अटपटी व्यवस्था मालूम पड़ती है।

+ रसायनशास्त्रमें स्वीकृत मूल तत्त्वोंका वर्गीकरण जिस तरह किया गया है, असमें परिमिति-व्यवस्थाके भेद मुख्य हैं ऐसा लगता है। पदार्थ-विज्ञान-शास्त्र चित्तहीन पदार्थोंकी गति-व्यवस्थाका निरूपण करता है। यंत्रशास्त्र भी अिसका आधार देते हैं। पदार्थका किया-गुण व्यवस्थित होनेसे असमें स्थानान्तर करने-करनेकी शक्तिका प्रकट होना मुख्य चिन्ह मालूम पड़ता है।

कर्मेन्द्रियाँ, ज्ञानेन्द्रियाँ तथा चित्त

शरीरके अवयवोंके दो मुख्य विभाग किये जा सकते हैं— अन्तरङ्ग और बहिरङ्ग । छद्य, केफङ्गे, कलेजा, तिळी, जठर आदि शरीरके धारण, पोषण और वृद्धिके लिये ही जो अङ्ग क्रियाशील रहते हैं, वे अन्तरङ्ग हैं; और हाथ, पाँव, वाणी आदि कर्मेन्द्रियोंके नामसे जो पाँच अङ्ग प्रसिद्ध हैं, वे वास्त्र अंग हैं; क्योंकि वे विनिद्रियाँ महज शरीरमें और अुनके धारण, पोषण, वृद्धि आदिके लिये ही क्रियाशील नहीं होतीं, बल्कि अुनकी क्रियाओंका विस्तार बाहर भी होता है और अुनका परिणाम चित्त पर भी पड़ता है ।

अन्तरङ्गों और बहिरङ्गोंमें व्यवस्थिति है, परन्तु अुसका परिणाम क्रियाप्रधान है । अिनमेंसे अन्तरङ्गोंका विस्तृत विचार करना सांख्य-दर्शनको आवश्यक नहीं मालूम हुआ । अतअेव अुसने कर्मेन्द्रियोंको राजस अहंकारके विकारोंमें गिनाकार रजोगुणका विषय वहीं समाप्त कर दिया है ।*

* वेदान्तके पञ्चीकरणमें जो पाँच प्राणोंका वर्ग किया गया है, अुसे भी रजोगुणका भेद कहा है । पाँच प्राणोंको अन्तरङ्गोंकी क्रियाओंका भेद कह सकते हैं ।

यहाँ यह याद रखना चाहिये कि पञ्चीकरणमें तथा सांख्यमें ‘अहंकार’ और ‘चित्त’ शब्द भिन्न भिन्न अर्थोंमें प्रयुक्त हुए हैं । सांख्यशाखने मन, बुद्धि और अहंकारके नामसे जो तीन तत्त्व वताये हैं, अुनमें प्रतीत होनेवाले भिन्न भिन्न धर्मोंके अनुसार पञ्चीकरणमें अुनको मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और सृति (?) ऐसे पाँच नाम दिये गये हैं । सांख्य और पञ्चीकरणके शरीर-शोधन-सम्बन्धी दृष्टि-विन्दु अनेक अंशोंमें अलग अलग हैं, किन्तु दोनोंकी परिभाषा ऐक-सी होनेसे कितने ही अंशोंमें दोनोंकी खिचड़ी हो गवी है । पञ्चीकरणके अनुसार, ऐसा मालूम होता है कि, सिर्फ महाभूत ही चित्तहीन और चित्तवान सृष्टिके साधारण तत्त्व हैं । यह कहे विना गति नहीं है कि पञ्चीकरणमें कितना ही वर्गीकरण और अंशांशोंकी गिनती दिल्लकुल काल्पनिक है ।

पाठक यदि महत् और अहंकार सम्बन्धी प्रकरणोंमें अुल्लिखित वातोंको भूल गये हों, तो अनुहृत ताजा कर लेनेकी कृपा करें। अनुमें महत्को धारण, आकर्षण आदि धर्म तथा अहंकारको स्वरूप-धृति और प्रत्याघातरूपी धर्म बतलाया है। महत् और अहंकारके व्यापारोंसे पदार्थोंकी परिमिति, गति और व्यवस्थितिमें फर्क पढ़ता है और इस तरह जगत्की रचना और संहार होता रहता है।

चित्तवान सृष्टिमें पदार्थकी परिमिति और गतिकी अपेक्षा व्यवस्थिति ही अधिक ध्यानमें लेने लायक है। दूसरे शब्दोंमें कहें तो महत् और अहंकारमें क्रान्ति होते होते जब सन अथवा चित्तका आविर्भाव होता है, तबसे ऐक नवीन दिशामें क्रान्ति-क्रम आरम्भ होता है। अुसमें परिमिति और गति तो विशेष प्रकारकी हैं ही, परन्तु व्यवस्थितिके भेद खास तौरसे हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। पिछले प्रकरणमें कहे अनुसार व्यवस्थितिका खास लक्षण तत्त्व-व्यक्तिकी वृद्धि और विविधताकी घटती है।*

अूपर-अूपर विचार करनेसे ऐसा मालूम हो सकता है मानो चित्तकी अुत्पत्ति ज्ञानेन्द्रियोंके बाद हुआ हो; क्योंकि इम चित्त अुस शक्तिको समझते हैं, जो ज्ञानेन्द्रियों द्वारा एहीत संस्कारोंको ऐक केन्द्रमें लाकर अुसका समन्वय और भेद करती है। परन्तु औरम्भमें ही अपनी शीघ्रके लिये हमने जो नीति स्थीकार की है, अुसके अनुसार चित्तका बीजरूप चिह्न पूर्ण मनुष्यमें देखनेके बजाय हमें अुसे सूक्ष्मातिसूक्ष्म जीवाणु (cell) में देखना चाहिये और यह तलाश करना चाहिये कि फिर मनुष्य-योनि तक अुसका क्रमशः विकास किस तरह हुआ है।

अिस दृष्टिसे सभी मात्राओंसे संचारित होना — सभी मात्राओंका बाहन बनना — मन याँ चित्तका लक्षण मालूम होता है। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि मात्राओंके संचारका असर चित्त पर नहीं होता अथवा वह संचार अुसके लिये लाभदायी ही होता है। मात्राओंका अनुचित संचार चित्त-शक्तिके नाशका भी कारण हो सकता है; परन्तु

* किसी भी तत्त्वको (धर्मको) विशेष स्पष्टसे प्रकट करनेवालो शक्तिको तत्त्व-व्यक्ति कहते हैं। विस्तो वदौलत दूसरे प्रकारकी किया करनेकी जो अशक्ति अुसमें आती है, अुसे विविधताकी घटती समझना चाहिये।

किसी भी मात्राका संचार अुचित मात्रामें हो, तो उन सबका वाहन यदि कोई हो सकता है तो वह चित्त ही है। एक जीवाणुसे दूसरे जीवाणुकी अत्यति मात्रा-संचारका एक परिणाम मात्र कहा जा सकता है।

चित्तके अिस मात्रा-वाहन-धर्मके यदि हम विभाग करें, तो उनमें नेत्रादिक ज्ञानेन्द्रियोंके विभागोंका और स्मृति, चित्तन, निश्चय, संकल्प, प्रवृत्ति (अन्तःकरणपंचक) आदिका तथा भावनाओं, अूर्मियों, वेदनाओं, सुख-दुःखादिक अवस्थाओंका ऐंवं चित्त-प्रवेश (या भूत-संचार) के अनुभवोंका समाप्त हो जाता है। अिनमेंसे ज्ञानेन्द्रियोंके विभाग स्पष्ट हैं। अिसलिये संख्य-शब्दने उनका पृथक निर्देष किया है और शेष धर्मोंका मन या त्रुदिके नाममें एक साथ समावेश कर दिया है।*

प्रत्येक ज्ञानेन्द्रिय एक अेक मात्राका वाहन बननेकी विशेष योग्यता रखती है। अतअेव अुसमें विविधता कम है। शेष मात्रायें (विज्ञी, लोहचुम्बक, चित्त-प्रवेश आदि) या उनके भेदोंके संचारका वाहन चित्त है। अुसके वादकी क्रांतिका क्रम चित्त और ज्ञानेन्द्रियोंके व्यापार द्वारा चलता है। मानव-चित्तमें वह क्रम धीरे धीरे पहले अिच्छा-शक्ति, भोक्ता-शक्ति और ज्ञाता-शक्तिका आविर्भाव दर्शाता है। फिर अिच्छा, भोग और क्रियाकी निर्णयता-शक्तिका धर्म प्रकट करता है। अिस तरह यह चित्त अत्यन्त नहीं तो काफी मात्रामें स्वतंत्रता रखता है और अन्तको वह अुस ज्ञान-शक्तिका निधय करनेमें भी समर्थ होता है। परन्तु अिस

* पञ्चोक्तरणमें अन्तःकरणकी अनुसन्धानात्मक क्रियाओं पर जोर देकर उनको स्मृति, संकल्प, निश्चय, चित्तन और प्रवृत्ति ऐसे अलग अलग नाम दिये हैं। पातंजलीयोगमें स्मृति, प्रमाण, विकल्प, विपर्यय और निद्रा ऐसी निर्णयात्मक क्रियाओंकी तथा अस्मिता, आनन्द, विचार और वितर्क अिन सम्प्रज्ञानात्मक क्रियाओंके भेद पर जोर दिया है। फिर पतञ्जलिने, जान पढ़ता है, त्रुदि, चित्त और सत्त्व अिन तीनों शब्दोंका अुपयोग एक ही अर्थमें किया है। महत्वके लिये लिंग शब्दकी योजना मालूम पहती है। भक्ति-मार्गमें भावनाओंके प्रकारों पर जोर दिया गया है। अिन सबका सार अितना ही है कि आत्म-शोधनमें अन्तःकरणका शोधन ही अधिक महत्व रखता है और भिन्न भिन्न शास्त्रोंने भिन्न भिन्न इस्तेसे अुसकी शोध की है।

तरह चित्त चाहे कितनी ही शक्तियोंको प्रकट करता हो, फिर भी अुसमें महत्के छह धर्म,^१ अहंकारका धर्म^२, छह चित्त-हीन पदार्थोंकी मात्राओं,^३ और मनकी विशेष शक्तियों^४ तथा अन सबमें पिरोये हुअे तीन गुणोंके बिना वह किसी दूसरे तत्वको, प्रथम दृष्टिमें, प्रकट नहीं करता ।

१३

पुरुष

यहाँ तक हमने प्रकृति-तत्त्वका विचार किया । त्रिगुणात्मक प्रकृतिमें महदादिक तत्त्व किस प्रकार स्थित हैं और तीन गुणों तथा महदादिक तत्त्वोंके पारस्परिक व्यापारसे क्रमशः किस प्रकार मानव-चित्त तक विश्वकी अुत्पत्ति हुअी — यह देखा ।

जब यहीं तक आकर विचार रुक गया होगा, तब तत्त्व-शान प्रकृति-वाद अथवा चार्वाक-वाद पर आकर कृतार्थ हुआ होगा । अन्हें यह प्रतीत हुआ होगा कि 'चैतन्य' प्रकृतिका विकार है । यह मालूम हुआ होगा कि महज त्रिगुणमयी प्रकृति-शक्तिसे ही अिस समग्र विश्वका यह चमत्कार हुआ है । परन्तु कुछ समयके बाद प्रकृति-वाद अिस कृतार्थताका अनुभव करानेमें असमर्थ हुआ होगा । गहरा विचार करने पर अितनेसे ही सब कुछ समझमें आता दिखाअी न दिया होगा । अन्होंने देखा होगा कि अिससे दो प्रश्नोंका संतोषजनक अुच्चर नहीं मिलता ।

पहला प्रश्न तो यह कि प्रकृति निरन्तर रूपान्तर करती दिखाअी देती है । क्रियारूप होनेके कारण वह अेक क्षण भी अेक रूपमें नहीं रहती और यह किया भी सदैव अेक ही प्रकारकी नहीं होती । अैसा

१. धारण, वाक्यण, अपकर्णण, सायुज्य, वैयुज्य और संलग्नता ।

२. स्वरूप-भूति और प्रत्याधातका ऐकत्र धर्म ।

३. शब्द, स्पर्श (शुष्णता तथा दवाव), रूप (प्रकाश), रस (छह प्रकारके स्वाद), गन्ध, और संचार (बिजली, लोहचुम्बकत्व, रेहियो, चित्त-प्रवेश भित्यादि) ।

४. शानात्मक और संवेदनात्मक (भावनायें, अूर्मियों, वेदनायें, अवस्थायें और चित्तप्रवेश) ।

होते हुओ भी हमें समस्त पदार्थों, प्राणियों और जगत्के विषयमें जो यह प्रतीति होती है कि 'यह वही है', अिसका कारण क्या है? मनुष्यके स्थूल शरीरमें अुसके चित्त, अहंकार, अिन्द्रियों सबमें प्रति क्षण फर्क पड़ता जाता है। फिर भी वह यह जानता है कि 'जन्म-समयमें मैं जो था, वही आज भी कायम रहा हूँ।' और दूसरोंका भी अुसके लिए यही मत होता है। अिस प्रकार जो 'अखंडित अस्मिता' का भान होता है, अुसका कारण क्या है?

दूसरा प्रश्न यह कि प्रकृतिमें भले ही परिमिति, क्रिया और व्यवस्थिति स्वभावसिद्ध हो, फिर भी अिन गुणोंके व्यापारोंसे अिच्छा, भोग और ज्ञानका तथा नियन्ता-शक्तिका भुदय क्यों होना चाहिये? परिमिति और क्रिया-गुणोंमें अत्यन्त व्यवस्था आ जानेसे अुसमें अिच्छा, भोग और ज्ञान-शक्तिके प्रकट होनेकी अनुकूलता तभी हो सकती है, जब प्रकृतिमें आदिसे ही ये शक्तियाँ मौजूद हों। अुसी अवस्थामें यह बात समझमें आ सकती है। परन्तु अब तक जो समस्त प्रकृति-तत्त्वोंका निस्पत्ति हमने किया है, अुसमें कहीं भी अिच्छा, भोग, ज्ञान तथा नियंतृत्वका बीज हमें नहीं दिखायी दिया। अतः यह कहना कि अिच्छा, भोग, ज्ञान और नियंतृत्व केवल प्रकृति-तत्त्वोंके व्यापारोंका परिणाम है—युक्ति-युक्त नहीं मालूम होता।

ये दो प्रश्न साँख्यकारके चित्तमें अुठनेका ऐक और भी कारण था। अिस पुस्तकमें प्रकृति-तत्त्वोंका जो विवेचन किया गया है, अुसमें तत्त्वोंका विकास-क्रम बताया गया है; अर्थात् यह दिखाया गया है कि क्रमशः ऐक पूर्ण मनुष्य-प्राणी तक प्रकृतिका विकास किस प्रकार हुआ है। सूक्ष्म बीजसे जिस प्रकार बड़ा वृक्ष बनता है, अुस तरहका यह विवेचन हुआ।

परन्तु शुरूआतमें विचारकने अिससे ऊलटे क्रमसे प्रकृतिकी शोध आरम्भ की होगी और यही पद्धति नैसर्गिक भी है; क्योंकि शोधकको बीजका ज्ञान तो या नहीं। अुसके पास तो मनुष्य-स्त्री पूर्ण वृक्ष अुपस्थित या। अुसका बीज कैसा है और कहाँ है, यह अुसकी शोधका विषय या। अिसलिए अुसे अपनी खोज पृथक्करण पद्धतिसे करनी पड़ी। अुसने

पुरुष

पहले पहल देखा कि मैं ज्ञाता, भोक्ता, व्यवसिता ('अन्धावान') हूँ; असने अस ज्ञातापनमें अंहकार (अपने स्वरूपको कायम रखने और जो असमें परिवर्तन करने आवे असका मुकाबला करनेके आग्रह)को देखा। असके मूलमें सवित्ता देखी; चित्तके पीछे अनिदियोंकी स्थिति देखी; अनिदियोंके दो प्रकार देखे। ज्ञाननिदियों और कर्मनिदियोंमें सद्गम भेद देख कर वह सत्यगुण और रजोगुणके तरफ पर आया। असके लुपरात्म असने अपनी जड़ता, परिस्तता, भी देखी; शरीरके जड़-द्रव्योंमें असने पृथ्वी आदि भूत और गन्धादिक धर्म भी देखे। "अससे वह तमोगुणके आदुमान पर आया।

फिर विश्वकी खोज करते हुये वहाँ भी असने महाभूत और तन्मात्राओंको देखा; वहाँ भी तीनों गुणोंका व्यवहार असे मालूम पहा। किसी न किसी स्वप्नमें अंहकार और महत्वको भी पाया। अस तरह विगुणात्मक प्रकृति और अससे अत्यन्त तत्त्वकि निव्य पर वह आया।

परन्तु अस प्रकार मूलकी शोध करते हुये असने यह भी देखा कि अन समस्त तत्त्वोंसे युक्त प्रकृति असका हेय (ज्ञानका विषय) बनती है, और प्रत्येक वस्तुका पृथक्करण करके विचारदेसे प्रत्येकसे वह अपनेको भिन्न अनुभव करता है। अस तरह असने अपने साक्षित्व (केवल हृष्टापन और ज्ञातापन)का पता लाया। फिर असने यह भी देखा कि प्रकृतिका हर एक तत्त्व प्रतिक्षण परिणाम पाता है और अन सब परिणामोंके हेतु भी अपना साक्षित्व अखंडित रहता है। अस तरह तमाम तत्त्वोंका निराप करते करते असने देखा कि कोई एक तत्त्व क्षेत्र शेष रह जाता है जिसे वह ज्ञेय नहीं बना सकता, जिससे वह अपनेको अलग नहीं कर सकता और जिसका असे ऐसा स्वयंसिद्ध और अखंडित न रहता है कि असे कभी ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि यह मान नहीं है। हाँ, चित्तमें ज्ञातापन अलगता दिखाती हुआ कि यह मान नहीं कह सकते कि असमें अशान नहीं है। लेकिन अस चित्तका ज्ञान और अशान दोनों जिसके सामने खुद ही ज्ञेय बन जाते हैं, अस निर्णयपर वह निश्चित स्वरूप एक साक्षीतत्त्व भी है, जिस निर्णयपर वह निश्चित स्वरूप

आ गया। यही सांख्यका पुरुष-तत्त्व और वेदान्तका प्रत्यगात्मा अथवा जीवात्मा है।

पुरुषका निश्चय हो जानेसे अिस प्रकरणके आरम्भमें दर्शित दों शंकाओंका भी समाधान हो गया। पद्धार्थमें चाहे कितने ही परिवर्तन होते रहें, फिर भी अुसके साथी पुरुष-तत्त्वके कारण ही 'वह यही है' ऐसी प्रतीति होती है। और प्रकृतिका अुचित रूपान्तर होने पर प्रकृतिकी नहीं, बल्कि पुरुषकी स्वभावभूत ज्ञान-शक्ति पूर्ण रूपसे प्रकाशित हो खुठती है।

अब यदि यह पूछ अुठे कि विश्वके 'अिस सारे अुत्पत्ति, लयादि अुथल-पुथलका प्रयोजन आखिर क्या है?' तो अुसका भी निराकरण अिसमेंसे ही सांख्य-दर्शनने खोज निकाला। वह यह कि पुरुषके भोग और अपवर्ग (मोक्ष) के लिये ही।

अिस तरह सांख्य-शास्त्रने नीचे लिखे अनुसार सिद्धान्त-निर्णय किया :

१. चैतन्यरूप अथवा ज्ञान-रूप अथवा साक्षी खुद अपरिणामी किन्तु प्रकृतिमें परिणामोंका अुत्पादक और नियामक (अर्थात् अुसे निश्चित नियम पर चलानेवाला) एक पुरुष-तत्त्व है, और दूसरा निरन्तर परिणाम पानेवाला त्रिगुणात्मक प्रकृति-तत्त्व है। ये दोनों अनादि हैं और निरन्तर एक दूसरेके साथ संलग्न हैं।

२. अिस पुरुषके नियमनसे प्रकृतिके गुणोंका व्यापार शुरू होता है और अुसमें वीज रूपमें गुप्त रहे हुये महदादिक धर्मोंका अुदय, विकास और अस्त होता है।

३. चित्तका अुदय होकर पूर्ण विकास होने तक यह व्यापार बढ़ता रहता है। तब तक पुरुष-प्रकृति परस्पर ऐसे एक दूसरेमें संलग्न दिखाअी देते हैं कि दोनोंकी स्वभावभूत भिन्नता पहचानी नहीं जा सकती। किन्तु जब चित्तका पूर्ण विकास हो जाता है और जब यह भिन्नता अुसे मालूम पड़ती है, तब प्रकृतिका अस्तक्रम शुरू होता है।

४. अिस क्रमकी समाप्ति पुरुषकी स्वरूप-स्थिति अथवा मुक्ति है।

५. पुरुष अगणित हैं और प्रकृति-तत्त्व अपार हैं।

वेदान्त

हमारे देशमें तत्त्व-शोधनके क्षेत्रमें सांख्य-शास्त्रने बहुत बड़ी देन दी है, अिसमें सन्देह नहीं। लाखों रूपयोंकी विशाल प्रयोगशालाओं तथा अत्यन्त सूक्ष्म और सही यन्त्रोंके विना भी मनुष्य महज अपनी अिन्द्रियोंके बल पर ही कितना गहरा अवलोकन व सूक्ष्म विचार कर सकता है तथा पिंड-प्रक्षाप्णके स्वरूपके सम्बन्धमें कितना स्पष्ट, बुद्धिगम्य और अनुभव-सिद्ध निश्चय कर सकता है, अुसका सांख्य-शास्त्र ऐक युत्कृष्ट झुदाहरण है।

वेदान्त-मतने सांख्य-शास्त्रके अन्तिम निर्णयका खंडन किया है यह बात सही है; परन्तु वस्तु स्थितिको देखें तो मालूम होगा कि वेदान्त-शास्त्रने सांख्यके निर्णयको अुलट नहीं दिया, बल्कि विशेष खोज करके अुसमें सुधार किया है अितना ही। तत्त्वोंके स्वरूपका परीक्षण करते करते सांख्य-मतने निश्चय किया कि पुरुष और प्रकृति ये दो मूलभूत तत्त्व हैं। अब वेदान्त-मतको यदि ठीक तरहसे दर्शाया जाय, तो अुसका तात्पर्य भितना ही होगा कि अिन दो तत्त्वोंके स्वरूपका भी जब अधिक गहरा विचार करते हैं, तो ये दो शक्तियाँ भिन्न भिन्न नहीं दिखावी देतीं। बल्कि यह निर्णय होता है कि यह ऐक ही शक्ति है और जगत् ऐक ही तत्त्वका बना हुआ है। यह कैसे ? अिसका अब विचार करें।

प्रकृतिका निरूपण करते समय हमने अुसके तीन गुणोंका विचार किया है (प्रकरण २)। वहाँ कहा है कि ‘पदार्थमात्रमें जड़ता या निक्षियताका भाव सुपनानेवाले परिमितता-गुणको में तमोगुण कहता हूँ। अुसे केवल सत्ता — अस्तित्व — (essence, being) या केवल निक्षियताका (inertia) गुण भी कह सकते हैं।’ . . . ‘पदार्थमात्रमें स्थित गति, क्रिया या क्रम (motion) के घर्मको में रजोगुण मानता हूँ’ और ‘परिमिति तथा गतिके साथ रहनेवाली व्यवस्थितिको में सत्तगुण समझता हूँ।’

परिमितताको केवल सत्ताका गुण भी क्यों कहा जाय, वह योहा विचार करनेसे ही सालूम हो जाता है। पदार्थकी अत्यन्त अल्प परिमितिका 'यह है' अिससे अधिक स्पष्ट वर्णन नहीं किया जा सकता।* पदार्थके सब विकारी धर्मोको, जो धर्म दूसरे पदार्थोंमें मिलते हैं अनुको, असी तरह अनुमेंकी क्रिया अथवा व्यवस्थितिको क्षणभरके लिये विचारसे दूर रखें, तो असकी परिमिति केवल निष्क्रिय सत्ताल्प ही दिखाई देगी।

पदार्थको हम जो नाम देते हैं, वह क्या है? अनिदियों तथा चित्तके द्वारा वह पदार्थ हमारे नित पर-जो संस्कार डालता है, अस परसे की गर्भी कल्पना है। यह कल्पना सबकी ऐकसी नहीं होती। अनेक बार लोग भाषा ऐकसी बोलते हैं, परन्तु अस भाषासे बोध्य पदार्थके सम्बन्धमें अनुकी कल्पनायें भिन्न भिन्न होती हैं। अदाहरणके लिये मन, बुद्धि, आत्मा या अश्वर शब्दको लीजिये। सभी लोग अिनका प्रयोग करते हैं। परन्तु अिनके विषयमें हरऐककी कल्पना अलग अलग होती है। अिस सबका महत्तम समापवर्त्तक निकालें, तो 'कुछ न कुछ परिमित है' अितना ही निश्चय सामान्य अवयव रूपमें होगा।

अिस तरह केवल परिमितिका विचार अथवा निष्क्रिय सत्ताका विचार दोनों ऐकसे हैं।

अब पुरुष-तत्त्वको भी साँख्यने निष्क्रिय सत्ता-मात्र चैतन्य कहा है। साँख्यका यह ऐक महत्वपूर्ण सिद्धान्त है कि पुरुष खुद कुछ नहीं करता, परन्तु असकी समीपता मात्रसे ही प्रकृतिकी उब क्रियायें चलती हैं।

अुपद्रष्टाऽनुमत्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः ।

परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन्पुरुषः परः ॥ (गीता, १३-२२)

[वाह्यतः देखनेवाला (अुपद्रष्टा-साक्षी), अनुमति देनेवाला, (प्रकृतिका) आश्रयदाता (भर्ता) और भोक्ता+ तथा महेश्वर*, जिसको परमात्मा भी कहते हैं, वह अिस देहमें पर (सब तत्त्वोंसे अष्ट) पुरुष है।]

* रेखागणितमें बताई 'विन्दु' की व्याख्या अिसके साथ तुलना करने जैसी है।

+ ज्ञानेश्वरने अिसका अर्थ 'खानेवाला' किया है।

• महेश्वर, शब्दका प्रयोग करनेमें महत्त्वका ओश्वर, महत्त्वसे अष्ट असा सूचित होता है।

वेदान्त

यिस पर ज्ञानेश्वरकी दीक्षा भी यहाँ देने जैसी है :
 “ यह (ऊपद्रष्टा) प्रकृतिके बीच खड़ा है; परन्तु किस तरह, जैसे जूहीकी बेलका आश्रयमूल खम्भा खड़ा हों। प्रकृतिके साथ अुसका सम्बन्ध बैसा ही है, जैसा पृथ्वी और आकाशका है। यह पुरुष प्रकृति नदीके तटका मेरू है, जो उसमें प्रतिविनित होता है, परन्तु अुसके प्रवाहमें बह नहीं जाता। प्रकृति अुपजती है और जाती है—लय पाती है, परन्तु वह बना ही रहता है। अतअव वह ब्रह्मदेवसे लेकर सब विश्वका शासन करता है। प्रकृति अुसके कारण जीती है। अुसीकी उच्चासे वह जगत्को अुत्पन्न करती है, अिसलिए वह अुसका भर्ता है। अनन्त काल तक अिस सृष्टिका जो मेला चलता रहता है, कल्यान्तमें वह अुसके पेटमें समा जाता है। ऐसा यह महत्-ब्रह्मका स्वामी, ब्रह्माण्डोंका स्वत्रधार संसारकी अपारताको नापता है। फिर यिस देहमें जिसे ‘परमात्मा’ कहते हैं, वह भी यही है। ऐसा जो कहा जाता है कि प्रकृतिसे परे अेक वस्तु है, वही तत्त्वतः यह पुरुष है।* (ज्ञानेश्वरी, अ० १३, ओ० १०२२-२९)

* हा प्रकृति मार्जी झुमा । परि तुमी जैसा बोधंवा ।
 इया प्रकृति पृथ्वी नमा । तेतुला पाङ् ॥ १०२२ ॥
 प्रकृति तरितेच्या तर्दी । मेरु होय हा, किरीटे ।
 मार्जी विवे परी लोर्दी । लोटें नेणे ॥ २३ ॥
 प्रकृति होय जाये । हा तों अस्तु चि आहे ।
 म्हणोनि आवाहावेहोये । शासन हा ॥ २४ ॥
 प्रकृति येन्नै जिये । याचिया सत्ता जग दिये ।
 इया लार्गां इये । वर पेतु हा ॥ २५ ॥
 अनंते कालें, किरीटे । जिया मिळती इया चष्टि ।
 तिया रिगती याच्या पोर्दी । कल्यान्त समर्थी ॥ २६ ॥
 हा महद्ब्रह्मगोसावी । ग्रासगोच्छ लाघवी ।
 कपारपणे मवी । प्रपञ्चते ॥ २७ ॥
 पैं या देहा माझार्हा । परमात्मा असी जे परो ।
 बोलिजे ते अवधारी । यवातें चि ॥ २८ ॥
 अगा प्रकृति परौता । अेकु अर्थी पंडसुता ।
 ऐसा प्रवाङ्म तों तत्त्वता । पुरुषु हा पैं ॥ १०२९ ॥

प्रकृतिका दूसरा गुण किया है, और पुरुष चैतन्य स्वरूप है। अब चैतन्य शब्द खुद ही क्रिया, संकल्प और ज्ञानका सूचक है। अिसमें क्रियाका तथा संकल्पका स्थान पहला और ज्ञानका दूसरा है; क्योंकि ज्ञान भी आखिरे किसी क्रिया और संकल्पका ही तो होता है। यह हो सकता है कि ज्ञान प्रकट न दिखाए देना। परन्तु क्रिया और संकल्प यदि अप्रकट हों, तो हम यह भी नहीं जान सकते कि वह चेतन है। फिर हम यह मानते आये हैं कि चित्तवान सृष्टिकी क्रियायें चैतन्यके सहारे चलती हैं। परन्तु यदि हम यह भी समझ लें कि चित्तहीन सृष्टिमें जो क्रियायें होती हैं वे भी अिस चैतन्यके द्वारा ही होती हैं, तो फिर यह बात समझमें आ जायगी कि जो चैतन्य है वही क्रिया है और अनुकूल परिस्थितिमें संकल्प तथा ज्ञान है। अथवा जो क्रिया है वही चैतन्य है और सत्त्वगुण-प्रधान अवस्थामें वह ज्ञानरूपमें व्यक्त होती है।

प्रकृतिका सत्त्वगुण व्यवस्थिति है, और पुरुषका स्वभाव अशोक है— अथवा हर्ष और शोक दोनों भावनाओंके अभावमें जो आनन्द और प्रसन्नता रहती है वैसा — आनन्दरूप है।*

व्यवस्थितिमें एक प्रकारकी तालमद्धताका समावेश होता है। समस्त व्यवस्थित गतियोंमें कोई एक ताल अवश्य ही रहता है। आनन्दका अनुभव व्यवस्थितिमें से होता है। चित्तको जब अपना ताल हाथ आ जाता है, तब एक प्रकारकी प्रसन्नता — धन्यता — मालूम होती

* वेदान्तमें आनन्द शब्दका अर्थयोग हुआ है और अन्यत्र बताया गया है कि आनन्दका अर्थ शोकका अभाव सूचित करना ही है।

+ व्यवस्थित गतिमें सादी या अटपटी किन्तु किसी एक ही प्रकारकी गतिका पुनरावर्तन सूचित होता है। ऐसो गतिका एक आवर्त पूरा होकर जब दूसरेकी शुरुआत होती है, तब वह पदार्थ अपनी मूल अथवा अुस दशाकी सहज स्थितिमें आया माना जाता है। अिस स्थितिको अुसका ताल कहते हैं। अुस समय अुसे वही प्रसन्नता मालूम होती है। ऐसा ही सकता है कि अन्य पदार्थोंके आवार्तकी कारण पदार्थोंकी गतिमें क्षणिक या स्थायी नवीन प्रकारकी व्यवस्था अुत्पन्न हो और अिससे वह देरसे तालमें आवे अथवा कोई नया ही ताल अुत्पन्न हो जाय।

है। तात्पर्य यह कि पुरुष आनन्दरूप — अशोकरूप — है अथवा प्रकृति व्यवस्थित या सत्त्वगुणी है, अिन् दो वाक्योंका एक ही अर्थ है।*

अिस तरह त्रिगुणात्मक प्रकृति अथवा सच्चिदानन्द पुरुष दोनों एक ही तत्त्वकी भिन्न भिन्न व्याख्या है। विश्वको चाहे त्रिगुणात्मक प्रकृति कहें या चैतन्यका सागर कहें, अिससे वस्तु-मेद नहीं होता; हाँ, दृष्टि-मेद तथा संस्कार-मेद अलबत्ता होता है। प्रकृतिकी व्याख्यासे देखने लगें तो चैतन्य प्रकृतिका विकार और असत्य तथा कात्यनिक दिखावी देता है; और पुरुषकी ओरसे देखने लगें तो प्रकृति अविद्या, (नहीं जैसी) हो जाती है।

“वेद तो अम वदे, श्रुति स्मृति साख दे,
कनक-कुण्डल महीं भेद न्होये;
घट घटया पर्छी नाम रूप जूजवाँ,
अन्ते तो हेमनुं हेम होये।”* (नरसिंह महेता)

ये शब्द पुरुष तथा प्रकृति दोनों पर घट जाते हैं। प्रकृतिकी ओरसे देखनेमें अधिक स्थूल दृष्टि अथवा पूरी गहरी शोध नहीं है और अुससे अुत्पन्न संस्कार-मेद दक्षिणमार्ग और वाममार्गके जैसा तीव्र है। +

यहाँ एक संशय पैदा हो सकता है। वह यह कि पुरुषको निर्विकार और निश्वल कहा है, जब कि जगत् सविकार और सर्दैव चंचल स्पष्ट रूपसे

* अिन्हकी विस्तृत चर्चा लेखककी ‘केलवणीना पाठा’ (तालीमकी त्रुनियाँदें) पुस्तकके ‘जीवनमें आनंदका स्थल’ प्रकरणमें पायी जायगी।

* वेद कहते हैं, और श्रुति-स्मृति शुनका अनुमोदन करती है कि कनक और कुण्डलके बीच कोओ भेद नहीं, आकार बनाने पर शुनके नाम अलग अलग रखे जाने हैं। पर आखिरमें सब एक कनक ही कनक है।

+ प्रकृतिमात्रवाद, शृन्यवाद और ब्रह्ममात्रवाद एक दूसरेसे अितने निकट हैं कि तीनोंमें मानो निर्विशेष भेदोंका पाण्डित्य ही बैठा भास होता है; परन्तु ऐसी बात नहीं है। अिसमें विचारको गहराअीका वास्तविक भेद है। जैसे मिनेमाको हिलता हुआ चित्र कहें, चित्र-परम्पराजन्य या गतिजन्य दृष्टि-ष्ठल कहें; अथवा एक चित्रको आलिङ्गित पदार्थ कहें, वस्तु-शृन्य आमास कहें या रेखा-व्यवरथा कहें, तो अिनमें जैसे एक ही पदार्थके शोधनमें दृष्टिकी गहराअीके भेद हैं, शुक्री तरह अिस विषयमें भी भेद है।

दीखता है। अिससे ऐसा लग सकता है कि एक निर्विकार चित्तत्त्व और दूसरा सविकार जड़तत्त्व अिन दोको स्वीकार किये बिना गति नहीं। परिणामी प्रकृतिमें अखंडितताका भान क्यों होता है, अिस प्रश्न परसे तो प्रकृतिके मूलमें स्थित पुरुषकी शोध हुभी। तो अब फिर यह कहना कि पुरुष और प्रकृति एक ही हैं, मानो पुनः वही कठिनाई अुपस्थित करना है।

किन्तु यह कठिनाई मात्र अूपरी ही है। अिसमें हमें सिर्फ 'विकार' शब्दका अर्थ ही समझ लेना है। विकार अनेक प्रकारके हैं; दूधसे दही होना एक प्रकारका विकार है। अिसे इम मौलिक विकार कहेंगे। पानीसे बरफ या भाप बनना दूसरी तरहका विकार है। अिसे भूतविकार कह सकते हैं। पानीमें तरंगका होना सिर्फ किया विकार है। दूसरे दो विकारोंकी अपेक्षा यह कम तात्त्विक है। सोनेके भिज्ञ भिज्ञ गहने बनाना भी एक विकार है। किन्तु अिसे तात्त्विक विकार नहीं कह सकते। जलमें तरंगे झुठती हैं और ल्य पाती हैं, सोनेका पासा बनाओ या पुतली, अिनमें जलका जलत्व और सोनेका सुवर्णत्व नष्ट नहीं होता। पुरुष या प्रकृतिका यह विश्व-रूप विकार चाहे जिस दृष्टिसे देखिये तात्त्विक नहीं है। जगत्‌में चाहे जिस प्रकारका बनाव-विगाह हो, युसमें अत्यन्त विचित्र पदार्थ अुपजें या नष्ट हों, तो भी यह त्रिगुणात्मक प्रकृति ज्योंकी त्यों खड़ी है। पुरुषकी दृष्टिसे देखें तो सबमें पुरुषकी सत्ता और चैतन्यता अुसी तरह अनुस्यूतरूपमें (मालामें पिरोये हुये धागेकी तरह) कायम रहती है। जैसे प्रकृतिका अंप्रकृतित्व कहीं भी दिखाआई नहीं देता, वैसे ही पुरुषके पुरुषत्वका भी कहीं लोप नहीं दिखाआई देता। परन्तु, बीज जिस तरह वृक्षमें विकास पाता है, अुसी तरह वाह्यतः पुरुष एक दशामेंसे दूसरी दशामें जाता है; अथवा जैसे सोनेके पासेसे नयी नयी चीजें — आकार — बनाई जा सकती हैं, अुसी तरह पुरुष निरन्तर नये नये रूपमें प्रकट होता है। अब यदि अिन्हें विकार कहें तो ऐसे विकार पुरुषमें हैं, यह कहनेमें कोअी वाधा नहीं। क्योंकि ऐसा होनेमें ही पुरुषका चैतन्यत्व रहा है। प्रतिक्षण ऐसे परिवर्तनोंका होना ही पुरुषकी चैतन्यताका प्रमाण है। और अिन परिवर्तनोंमें अुसकी सच्चिन्मयताका अखण्डित रहना

वेदान्त

ही अुसका निर्विकारत्व है। सूर्य जैसे जगत्के व्यापारोंको शुरू नहीं करता, बल्कि अुसके अुशने-मात्रसे ही वे शुरू हो जाते हैं, अथवा जैसे ध्रुव ध्रुव-मस्यको (होकार्यंत्रके कॉटेको) — कुतुबनुमाको — नहीं उमाता, बल्कि अुसके अस्तित्वमात्रसे ही वह धूमता है — ऐसे इष्टान्त पुरुषको अकर्ता चतानेके लिये देनेका रिवाज है। परन्तु ये इष्टान्त कुछ अंशमें अम अुत्पन्न करते हैं। हम चाहे जिसे ध्रुव कहने लगे और लुसकी शक्ति यदि व्यापार न करती हो, तो कुतुबनुमा धूमेगा नहीं; और सूर्य यदि प्रकाश ढालनेकी क्रिया न करे, तो जगत्के काम शुरू न होंगे। अिस तरह पुरुष चेतन्य व्यापरवान — है और अिसीसे विश्व पैदा होता और बदलता रहता है। वह निष्क्रिय है, अिसका अर्थ ही यह है कि वह सदैव किसी न किसी तरह क्रियावान — दूसरे पर कोअी क्रिया नहीं करता; वह खुद ही कि वह अकर्ता है; यानी वह दूसरों कोअी तत्त्व ही नहीं होनेसे अुसकी क्रियायें खुद अपने पर ही चलती रहती हैं। अिस तरह वह विश्वरूप होते हुये भी सदैव वहका तत्त्वको मानते हुये भी विश्वकी संभावना नहीं हो सकती। सारांश यह कि पुरुष और प्रकृतिका अविक गहरा विचार करनेसे यह निर्णय होता है कि ये दोनों स्वतंत्र तत्त्व नहीं बल्कि एक ही तत्त्व हैं और तम-रज-सत्त्वगुणी प्रकृति सच्चिदानन्दात्मक पुरुषमें समा जाती है। यह वेदान्तका अन्तिम सिद्धान्त है। दूसरे सब वेदान्तवाद सांख्य और अन्तिम वेदान्त-सिद्धान्तके वीचमें आते हैं। *

* वेदान्तके वादोंके लिये देखिये परिशिष्ट २। पुरुष अनेक और ग्रस्त अनेक है — यह सांख्य और वेदान्तके बोचका मतभेद भी वेदान्तके अनेक ज्ञागदाहोंका कारण है। अिसका विचार दूसरे खण्डमें आ जाता है।

गीताका वेदान्तमत

गीतामें सांख्य-दर्शनकी विस्तारपूर्वक चर्चा की गयी है। फिर भी अुसमें पुरुष और प्रकृति ऐसे दो स्वतंत्र तत्त्व नहीं माने गये हैं। बल्कि एक ही ब्रह्म अथवा आत्म-तत्त्व स्वीकार किया गया है। भिन्न भिन्न भाष्यकारोंने गीता पर अपने दृष्टिविन्दु लर्खर घटाये हैं। परन्तु इस सम्बन्धमें गीताका जो मत मैंने समझा है, वह नीचे देता हूँ। गीतामें किये गये तीन गुणोंका विवेचन दूसरे प्रकरणोंमें किया जा चुका है। अतः यहाँ अुसके विषयमें कुछ कहनेकी जल्हरत नहीं। गीताके वेदान्त-मतको ज्ञाननेके लिये सातवाँ अध्याय कुंजीका काम देता है। दूसरे अध्याय इसी विषयका निरूपण भिन्न भिन्न भाषामें करते हैं।

इस अध्यायमें श्रीकृष्ण अजुनेको 'विज्ञान सहित ज्ञान' समझाते हैं। ज्ञानका अर्थ मेरी रायमें है आत्माका ज्ञान, अथवा अद्वय, अविनाशी, अखण्ड चैतन्य धर्मका ज्ञान; और विज्ञानका अर्थ है दृश्य, नाशवान और विकारी धर्मोंका ज्ञान। सांख्य परिभाषामें कहें तो ज्ञानका अर्थ होता है पुरुषका ज्ञान और विज्ञानका होता है प्रकृतिका ज्ञान। अथवा गीताकी भाषामें कहें तो परमात्माका ज्ञान ज्ञान है और परमात्माकी पर तथा अपर प्रकृतिका ज्ञान विज्ञान है। ज्ञानेश्वरी और लोकमान्यके गीता रहस्यमें, जहाँ तक मैंने समझा है, ऐसा ही अर्थ किया गया है।

परन्तु 'प्रकृति' शब्द गीतामें (खास करके सातवें अध्यायमें) सांख्य-शास्त्रियोंके अर्थमें प्रयुक्त नहीं हुआ है। सातवें अध्यायमें अुसका अर्थ स्वभाव, खासियत, स्वयंसिद्ध शक्तियाँ, स्वयंभू धर्म, सहज धर्म, स्वरूपके साथ संलग्न गुण — इस अर्थमें है। 'यह मनुष्य क्रोधी प्रकृतिका है', 'जलाना अग्रिमी प्रकृति है', 'सर्प प्रकृतिसे ही विप्रेला है', अन वाक्योंमें प्रकृतिका जो अर्थ है वही उसमें स्वीकृत है।

विस प्रकार गीता कहती है कि 'परमात्मा अथवा ब्रह्ममें दो प्रकारकी स्वयंसिद्ध अथवा सहजस्थित प्रकृतिहैः पर और अपर। परमात्माके

पर-स्वभावको जीवात्मक कहा है। जड़से विपरीत चेतन-प्रकृति भी अिसे कह सकते हैं।

परमात्माके अपर-स्वभावके आठ अंग हैं : भूसि, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। ये आठों अवयव मिलकर परमात्माका अपर-स्वभाव कहा जाता है। अिसका यह अर्थ हुआ कि जिसे हम आमतौर पर क्रमशः जड़-धर्म और जिसे चेतन-धर्म समझते हैं, वे दोनों परमात्माके स्वस्यभूत स्वभाव ही हैं।

परमात्माके अिन दो स्वभावोंमें ही तीन गुणोंके भाव अन्तर्भूत हैं; अथवा अिन दो प्रकारके स्वभावोंमें से ही सात्त्विक, राजस और तामस तीन प्रकारके बल अुत्पन्न होते हैं। अिन तीन गुणोंके बलोंका परिणाम ही यह जगत् है।

परमात्मा अखण्ड अविनाशी है; अुसका अपर-स्वभाव प्रकट हो या अप्रकट — अदृश्य अथवा गुप्त — हो, पर अुसका तात्त्विक नाश नहीं होता; अर्थात् भूमित्व, जलत्व, अग्नित्व, बुद्धित्व आदि कभी नष्ट नहीं होते। ये तथा जीवत्व परमेश्वरके स्वभावमें सदा रहते ही हैं। अिस परमात्मासे अुत्पन्न तीन बल प्रकट होते हैं और लीन होते हैं, तथा अुन बलोंके कार्य पैदा होते और नाश पाते हैं, और एक क्षण भी वे अेक ही स्थितिमें नहीं रहते।

अिस तरह मुझे सातवें अध्यायका तात्पर्य मालूम होता है। यह निरूपण यदि ठीक हो, तो अिसमें शाँकर वेदान्तकी 'निर्गुण' ब्रह्म-विषयक कल्पना दिखाओ नहीं देती। शाँकर-भत्तके अनुसार ब्रह्म विशेषण-रहित है, जबकि पूर्वोक्त विवेचनके अनुसार वह जीव तथा आठ तत्वोंसे मिलकर बना पर और अपर स्वभावयुक्त है तथा तीन गुण भी अुनकी प्रकृति (स्वभाव) मेंसे ही पैदा होते हैं। संक्षेपमें जगत्की अुत्पत्ति, पोषण और लय — ये क्रियायें परमात्माके स्वभावसे ही होती हैं।

अिन नवों धर्मोंको अलग अलग करके — व्यतिरेकसे — परमात्माका विचार करना गीताके दूसरे अध्यायके अर्थमें 'सांख्य-दृष्टि'का विचार जी—२१

है। यिन नवों प्रकृतियोंके साथ — अन्वयसे — विश्वरूप परमात्माका विचार करना अुसी अध्यायके अर्थमें ‘योग-दृष्टि’का विचार है। *

१६

अुपसंहार

(अिस खंडका संक्षिप्त निर्दर्शन)

गीता-मतमें और अिस खंडके निरूपणमें जो शोषा भेद है, वह नीचेके अुपसंहार परसे स्पष्ट हो जायगा। कह सकते हैं कि यह भेद शास्त्रीय है न कि व्यावहारिक। जब तक खुद तत्त्व-चिकित्सा करनेकी भावना या दृष्टि न पैदा हो, तब तक यह भेद अधिक महत्व नहीं रखता।

१. ब्रह्म — विश्व तथा विश्वमें जो कुछ नाम या रूप है, वह सब तत्त्वतः ब्रह्म है।

२. पुरुष-प्रकृति — शक्तिमत्ता अथवा अन्यकर्त शक्ति अथवा अुपादान कारणकी दृष्टिसे ब्रह्म पुरुष यानी सत्ता, चिति और प्रसाद है और

* श्री सहजानंद स्वामीके ‘वचनामृत’मेंसे नीचेवाला अवतरण यहाँ तुलना करने जैसा है—“सांख्यवाले विचार-क्षेत्रमें अपनी आत्माके अलावा जो कुछ पौन्त्र विन्दियों व चार अन्तःकरणोंके द्वारा भोगे जानेवाले विषय हैं, उन्हें अतिशय तुच्छ मानते हैं . . . (अतः) जब कोभी उनसे आकर यह कहता है कि ‘यह पदार्थ तो बहुत ही सुन्दर है’, तो युससे वे कहते हैं कि ‘कैसा ही सुन्दर होगा, पर होगा वह ऐसा ही जो विन्दियों व अन्तःकरणके द्वारा ग्रहण किया’ जाता है; और जो कुछ विन्दियों व अन्तःकरणके द्वारा ग्रहण किया जाता है, वह असत्य है, नाशमान् है’— ऐसी सांख्यवालोंकी दृढ़ धारणा होती है और अपनी आत्माको वे शुद्ध मानते हैं . . .

“परात्पर जो पुरुषोत्तम भगवान् हैं अुनका यिन प्रकृति-पुरुषादि सबसे अन्वय है, अतः यह सब भगवान् ही है और दिव्य-रूप है, और सत्य है, और ध्येय है — यह योगमार्ग वालोंका कथन है।”

अुपसंद्धार

चक्रितके व्यापारकी अथवा व्यक्त शक्तिकी अथवा कार्यकी दृष्टिसे वह प्रकृति* है। प्रकृतिके माने सत्त्व-रज-तम अथवा परिमिति-क्रिया-व्यवस्थिति।

३. महत्-अहंकार — प्रकृतिमें अथवा कार्यव्रक्षमें (अर्थात् शक्तिके व्यापारमें) दो तत्त्व अथवा धर्म निरन्तर प्रकट होते रहते हैं। तीन गुणोंके व्यापारके फलस्वरूप इन घमोंकी अभिव्यक्तिमें — प्रकट होनेकी क्रियामें — संकोच, विकास और प्रकारान्तर होते दिखाओ देते हैं। तीन गुणों और दो तत्त्वोंका व्यापार जिस नाम-रूपात्मक भेदोंसे युक्त जगत्का निमित्त कारण है। ये तत्त्व हैं महत् और अहंकार। महत्का अर्थ है नाम या रूपमात्रमें स्थित धारण, आकर्षण, अपकर्षण, सायुज्य, वैयुज्य, संलग्नता आदि धर्म। प्रयोजनके अनुसार जिनमेंसे ओक वा अधिक प्रकट होते हैं।

अहंकारका अर्थ है नाम या रूपमात्रमें स्थित स्वरूप-धृति और प्रत्याधात धर्म।

४. महाभूत — अहंकारके परिवर्तनोंकी मुख्यतः परिमितिकी दृष्टिसे लोब करके जगत्के समस्त नाम-रूपोंके चार वर्ग किये हैं: पृथ्वी, जल, वायु और आकाश। प्रत्येक वर्गका नाम महाभूत रखा गया है।

५. मात्रायें — जातमें जो कुछ नाम-रूपात्मक है, उसमें चलती और संचरती क्रियाओंके छह वर्ग बनाये हैं: शब्द, सर्व (अुष्णता और दवाव), प्रकाश, रस (स्वाद), गन्ध और संचार (विद्युत, लोहचुम्बकत्व, चित्तप्रवेश आदि)। अहंकारके परिवर्तनको मुख्यतः रजेगुणमें पाकर यह वर्गीकरण किया गया है।

६. चित्त-युक्तता — अहंकारका सत्त्वगुणी परिवर्तन पदार्थकी परिमितिमें और गतिमें अन्तहित है। अस परिवर्तनके दरमियान अुसकी

* सात्य-दर्शनमें प्रकृतिको जो अव्यक्त कहा है सो अस मतके अनुसार है कि पुरुष और प्रकृति दो स्वतंत्र तत्त्व हैं। प्रकृति जिस दशामें अपना कोई व्यापार प्रकट न करती हो — अर्थात् तीन गुणोंका बल अक द्वारेको सम्पूर्णतः क्षीण करके सात्य अवस्थामें हो, अम्बका नाम अव्यक्त रखा गया है। अस दशाकी कल्पना ही की जा सकती है।

एक इद आने पर सृष्टिमें चित्त-युक्तता निर्माण हुआ है। सांख्य-दर्शनने मुख्यतः व्यवस्थिति गुणकी दृष्टिसे चित्त-हीन सृष्टिके वर्गे नहीं बनाये। मात्रा-शोधके बाद असने चित्तवान सृष्टिका ही और असमें भी मनुष्यका ही विचार हाँथमें लिया है।

७. कर्मेन्द्रियाँ — चित्तवान सृष्टिमें पाँच कर्मेन्द्रियोंमें रजोगुणकी मुख्यता स्पष्ट और बाध्यतः जान पड़ती है; अिसके अपरान्त शरीरके अन्तस्थ हृदय, फेफड़े अित्यादि अवयव भी अिसी वर्गके हैं। परन्तु सांख्य-दर्शनको अिसका विचार करनेकी जरूरत नहीं दिखाआई दी।

८. चित्त (अथवा मन) — चित्तवान सृष्टिके सत्त्वगुण-प्रधान वर्गीकरणमें पहला स्थान चित्तका है। सब मात्राओंसे संचारित होना — अुनका वाहन बनना — चित्तका लक्षण है। चित्त, मन और बुद्धि एक ही अर्थमें आते हैं।

९. ज्ञानेन्द्रियाँ — पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ चित्तकी ही विशिष्ट शक्तियाँ हैं। स्थूल शरीरमें अिनके स्पष्ट गोलक दिखाआई देते हैं। अतअेव पृथक् तत्त्वके रूपमें अुनका निर्देश किया है। शेष शक्तियाँ चित्त शब्दसे ही प्रदर्शित की जाती हैं।

१०. संख्या — अिस तरह (१) ब्रह्म-पुरुष-प्रकृतिरूप सञ्चिदानन्द या तम-ज-सत्त्वगुणी एक तत्त्व, (२) महत्, (३) अहंकार, (४ से ७) चार महाभूत, (८ से १३) छह मात्रायें, (१४ से १८) पाँच कर्मेन्द्रियाँ, (१९) चित्त और (२० से २४) ज्ञानेन्द्रियाँ मिलकर छह। अिस तरंह कुल चौबीस तत्त्व होते हैं।

११. स्तारांश — जगत्में जो कुछ नाम या रूप है, असमें अिन तत्त्वोंमेंसे ब्रह्मशक्ति सबके मूलमें है; परन्तु दूसरे तत्त्वों (या धर्मों) के दर्शनके अभावमें वह अव्यक्त रहती है; और दूसरे तत्त्वोंके दर्शनमें ही असकी सत्ताका दर्शन होता है। दूसरे तत्त्व ज्ञानेन्द्रियों और चित्तके द्वारा जाने जा सकते हैं। ब्रह्मतत्त्व दूसरे तत्त्वोंका निरास करते हुअे स्वयंसिद्ध रूपमें शेष रहता है। शेष तेबीस तत्त्वोंमें महत्-धर्मोंमेंसे कमसे कम एक, अहंकार, महाभूतोंमेंसे कोअी एक अवस्था और मात्राओंमेंसे कोअी एक, अिस तरंह ब्रह्मके साथ कमसे

कम पाँच तत्त्व और सीन गुण प्रत्येक नाम-रूपमें सदैव रहते हैं। अिससे अधिक, चित्तवान सृष्टिमें चित्तके कुछ धर्म और कर्मन्द्रियों तथा ज्ञानेन्द्रियोंकी कुछ शक्तियाँ (स्पष्ट स्थूल गोलकों सहित या अनुके विना भी) होती हैं।

सत्त्वचित्प्रसादात्मक अथवा त्रिगुणात्मक

ब्रह्मतर्त्त्व

महत् (छह धर्म) — x — अहंकार (दो धर्म)

तामस मुख्य राजस मुख्य सत्त्विक मुख्य

चार महाभूत — x — छह मात्रायें

चित्तहीन सुष्टि \times कमेन्द्रियाँ (पाँच) \times चित्त और शानेन्द्रियाँ (छह)

चित्तवान् सुष्टि

समग्र सृष्टि

अ॒र्ध्मूलमधः शाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम् ॥

अघश्चोर्ध्वे प्रसुतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवाला: ॥

(गीता, १५-१, २)

(अिस संसारल्यो वृक्षका मूल आपर है और शाखायें नीचे हैं । गुणोंसे बड़ी हुओ, विषयल्यी पत्तोंवाली असकी शाखायें आपर और नीचे फैली हुओ हैं ।)

परिशिष्ट १

सांख्यकारिकाका अनुवाद

(नोट : आश्वरकृत्य-रचित सांख्यकारिका सांख्यदर्शनका प्रमाणभूत ग्रंथ माना जाता है । युसकी वाचस्पति-मिभकृत तत्त्वकीमुदी नामक व्याख्याके अनुसार कारिकाओंका अनुवाद नीचे दिया जाता है । अिसमें मैंने प्रचलित पद्धतिसे भिन्न अर्थ बैठानेका कहीं प्रयत्न नहीं किया है । अिसलिए मूल कारिका देनेकी जरूरत नहीं समझी ।)

१. तीन प्रकारके दुःखोंसे अभिभूत होनेके कारण अनुको दूर करनेके लिए जिज्ञासा है; कहोगे कि युसके अुपाय^१ तो प्रत्यक्ष हैं, अिसलिए अनुकी जिज्ञासा फिलूल है, तो यह ठीक नहीं, क्योंकि दुःखनाशके परिवृणी और स्थायी अुपाय हैं ही नहीं ।

२. प्रत्यक्षकी तरह आनुभविक^२ अुपाय भी अशुद्धि और क्षयसे युक्त हैं । जो अुपाय अिसके विपरीत (अर्थात् शुद्ध और अक्षय) है, वही श्रेय है; वह व्यक्त और अव्यक्तका विज्ञान है ।

३. मूल प्रकृति किसीका विकार नहीं । महत् आदि सात ऐक ओरसे विकृति और दूसरी ओरसे प्रकृति हैं; सोलह (तत्त्व) केवल विकार ही हैं; और पुरुष न प्रकृति है, न विकृति ही^३ ।

४. प्रत्यक्ष, अनुमान और आस वचन^४ अिनमें सब प्रमाणोंका समावेश हो जाता है । अतः ये तीन विष्ट प्रमाण हैं । जो कुछ सिद्ध करना है, वह प्रमाणों द्वारा ही है ।

१. दवा, दारू, मंत्र, तंत्र, जंत्र आदि जैसे ।

२. स्वर्गादि जैसे ।

३. जो किसीसे पैदा नहीं होती, स्वयंभू है, किन्तु दूसरोंको पैदा करती है, सो प्रकृति है; जो किसीसे पैदा होती है और किसी दूसरेकी पैदा भी करती है, सो प्रकृति-विकृति है; जो केवल पैदा होती है परन्तु किसीकी पैदा नहीं करती, सो विकृति है; जो न तो पैदा होता है और न किसीकी पैदा करता है, वह पुरुष है ।

४. अद्वेय पुरुषका या शास्त्रका वचन ।

सांख्यकारिकाका अनुवाद

५. अिन्द्रियाम्य प्रत्येक विषयका निव्य प्रत्यक्ष प्रमाण है; अनुमान तीन प्रकारका है; जिन तीनोंमें चिह्न और चिह्नयुक्त पदार्थ होते हैं:-^५

६. स्थूल पदार्थोंका निव्य प्रत्यक्ष प्रमाणसे होता है; अतीन्द्रिय पदार्थोंका अनुमानसे और इससे भी जो सिद्ध न हो सके, उन परोक्ष

७. अति दूर हो, अति पास हो, अिन्द्रियाँ सदोष हों, मनकी स्थिति ठीक न हो, अति सूक्ष्म हो, मन अन्यत्र लगा हो, बलवान कारणोंसे अिन्द्रियाँ चौचिया गयी हों, ओकत्र हो गया हो (तो प्रतीति नहीं की जा सकती)।

८. सूक्ष्मतके कारण जो प्रतीति नहीं हो सकती, अुसका कारण (प्रधानका) अमाव नहीं; क्योंकि अुसके कार्योंसे अिसकी प्रतीति होती है। महत् आदि अिसका कार्य है; वह प्रकृतिके दैसा भी है और अुससे भिन्न प्रकारका भी है।

९. क्योंकि (१) अगर कार्य असत् होता, तो वह पैदा न हो सकता (किन्तु यह तो पैदा होता है); (२) जिस अुसें अुपादान^६ की जल्लत पहती है; और (३) दूर एक (पदार्थ)से दूर एक (पदार्थ) पैदा नहीं होता, बल्कि जो योग्य हो वही पैदा होता है; और (४) जो होने योग्य हो, अुसे ही पैदा कराया जा सकता है, तथा (५) वह (कार्य) कारणके स्वभाव अपनेमें घारण किये होता है। अिसलिये कार्य सत् है।

१०. व्यक्त कारण-युक्त, अनिय, अव्यापी, क्रियावान, अनेक, (अपने कारण पर) अवलम्बित, कारण-निर्देशक-चिह्नस्य अवयववान, और परतंत्र है; अव्यक्त अिससे छुलटे लक्षणोंवाला है।

५. अुदाहरणः धूमेंसे जब अग्रिका अनुमान करते हैं तो वहाँ धूमा चिह्न है और अग्रि चिह्नयुक्त पदार्थ है। अिस चिह्न परसे चिह्नयुक्तका अनुमान होता है।

६. जिस तरह घड़के लिये मिट्टीकी जल्लत पहती है, अुसी तरह प्रत्येक कार्यके लिये किसी न किसी अुसादक वस्तुकी जल्लत पहती है।

११. त्रिगुणात्मक, अविवेकी, विषय बननेवाला, सबके लिये शुपलब्ध, अचेतन, प्रसवधर्मी — ये व्यक्त तथा प्रधान दोनोंके धर्म हैं : पुरुष अस्ति से अलग है ।

१२. प्रीति, अप्रीति और विषादवाले, प्रकाश, प्रवृत्ति और नियमके प्रयोजनवाले, परस्पर अभिभव, आभय, अुत्पत्ति और सहचारकी वृत्ति रखनेवाले — ये गुण हैं ।

१३. लघु, प्रकाश-युक्त और अष्ट सत्त्वगुण है, प्रेरक और चल रजोगुण है, गुरु और आवरण-रूप तमोगुण है; जैसे दियेमें तेल, बत्ती आदि प्रकाशहीन वस्तुओंसे प्रकाश पैदा होता है, सुसी तरह पुरुषके प्रयोजनके लिये अनि गुणोंकी वृत्तियाँ हैं ।

१४. अविवेकता आदि (ग्यारहवीं कारिकामें वराये) धर्म तीन गुणोंसे ही सिद्ध होते हैं; क्योंकि पुरुषमें युनका अभाव है । कार्यमें कारणके गुण रहते हैं, असीसे अव्यक्त भी सिद्ध होता है ।^७

१५—१६. भेद परिमिति-युक्त होते हैं असलिये, युनका समन्वय होता है असलिये, शक्तिके कारण, प्रवृत्तिके कारण, कारण-कार्यका विभाग होता है असलिये, और नानारूप कार्योंवाले (प्रधानमें) विभागका अभाव है असलिये कारण अव्यक्त है; और (वह) तीन गुणों द्वारा, अनुके समुदाय द्वारा, (पानी जैसे भिन्न भिन्न वृक्षोंमें भिन्न भिन्न स्वाद पैदा करता है असी तरह) परिणामों द्वारा, और प्रत्येक गुणके भिन्न भिन्न आभय द्वारा (विविध प्रकारसे) प्रवर्त्तता है ।

१७. (प्रकृतिके तत्त्वोंका) मेला किसी दूसरे (पुरुष)के लिये होनेके कारण, त्रिगुण आदि (ग्यारहवीं कारिकाके) धर्मोंसे शुल्टे धर्मवाला होनेके कारण, अधिष्ठान रूप होनेके कारण, मोक्षापनका भाव होनेके कारण, और कैवल्यके लिये (प्रधानकी) प्रवृत्ति होनेके कारण, पुरुषका अस्तित्व सिद्ध होता है ।

७. अव्यक्त प्रधानके विना यह सब नहीं हो सकता — यही प्रधानके अस्तित्वका प्रमाण है ।

सांख्यकारिकाका अनुवाद

१८. जन्म, मरण और अिन्द्रियोंकी भिन्न भिन्न व्यवस्था होनेके कारण, जिन घबकी ओक साथ प्रवृत्ति न होनेके कारण, ऐंवं त्रिगुणसे खुल्दे घर्म होनेके कारण पुरुष अनेक हैं।

१९. फिर, अर्द्धी विपरीत घमोंके कारण पुरुषका साक्षीपन भी सिद्ध होता है; असी तरह असकी केवलता, मध्यस्थता, दृष्टापन और अकर्तापन भी।

२०. अिस कारणसे, असके संयोगके फल स्वरूप महत् आदि अचेतन होते हुये भी चेतन जैसे (दिलाअी देते) हैं; और पुरुष अदासीन होते हुये भी और कर्तापन गुणोंका होते हुये भी, कर्ता जैसा हो जाता है।

२१. पुरुषका (प्रधानके) दर्शनके लिये, और प्रधानका (पुरुषके) कैवल्यके लिये, अन्धपंगु-न्याय जैसा, दोनोंका संयोग है: युससे सुषिकी रचना है।

२२. प्रकृतिसे महान्, युससे अहंकार, युससे सोलह तत्त्वोंका समुदाय, अन सोलहके पाँचमेंसे फिर पाँचभूत — (अिस तरह अुत्पत्तिका क्रम है)।

२३. निश्चय करनेका घर्म रखनेवाली बुद्धि है; ज्ञान, वैराग्य और अैश्वर्य ये युसके सात्त्विक रूप हैं; अिससे युलटे (अज्ञान, राग और अनैश्वर्य) लक्षण तामस रूप हैं।

२४. अहंकार का लक्षण अभिमान है: अिससे दो तरह सुषिकी रचना होती है: (१) ग्यारह (अिन्द्रियों)का समूह और (२) पाँच तन्मात्राका समूह।

२५. अहंकारकी सात्त्विक विकृतिसे ग्यारहका समूह हुआ है; तामसमें से भ्रूोंकी तन्मात्रा हुड़ी है; रजोगुणमें से दोनों होते हैं। (रजोगुण योहा-चहुत दोनोंमें रहता है।)

२६. ज्ञानेन्द्रियाँ — चक्षु, शोत्र, शाण, रसना और त्वचा हैं; कर्णी, हाथ, पाँव, मलोत्तरणकी और गुह्येन्द्रिय — ये पाँच कर्मेन्द्रियाँ हैं।

२७. दोनों (प्रकारकी अिन्द्रियों)से युक्त, संकल्प घर्मयुक्त मन (११वीं) अिन्द्रिय है; साधार्थके कारण जिसे अिन्द्रिय ही कहना

चाहिये। गुणोंकि स्वास प्रकारके परिणामोंके कारण अिन्द्रियोंमें विविधता और बाह्य-भेद हैं।

२८. शब्दादिक पाँच विषयोंका ज्ञान (क्रमशः) पाँच ज्ञानेन्द्रियोंकी वृत्तियाँ (विशेषतायें) हैं; बोलना, लेना, चलना, मल-त्याग और सम्भोग—ये पाँच कर्मेन्द्रियोंकी विशेषतायें हैं।

२९. (महान्, अहंकार और मन ये तीन मिलकर अन्तःकरण है) प्रत्येक अन्तःकरणके जो खास धर्म हैं, वे हरओंकी विशेषता हैं। प्राण आदि पाँच वायुओं अनिका सामान्य धर्म है।

३०. हृश्य सृष्टिमें महान्, अहंकार, मन और ज्ञानेन्द्रियोंकी वृत्तियाँ एक साथ अथवा क्रमशः अठती हैं; अहृश्यमें तीन अन्तःकरणोंकी ही वृत्तियाँ अिस तरह अठती हैं।

३१. पुरुषके अुपयोगके लिये ही, (वह प्रयोजन पूर्वविदित ही होनेसे, मानो मनोगत पहलेसे ही मालूम हो, अिस तरह), परस्पर सहयोगसे वे सब अपना अपना व्यापार करते हैं; कोअी दूसरा अनुसे काम नहीं करवाता।

३२. तेरह अिन्द्रियोंका समूह, आहरण, धारण और प्रकाशनका साधन है। अिस प्रकारका आहरण, धारण, प्रकाशन अनुका कार्य है।

३३. तीन प्रकारका अन्तःकरण व दस प्रकारका बाह्यकरण है; अिनमेंसे दस तीनका विषय (साधन) है। बाह्य अिन्द्रियोंका व्यापार वर्तमान कालमें ही होता है; अन्तःकरणका व्यापार तीनों कालमें चलता है।

३४. अिन्द्रियोंमेंसे पाँच महाभूत व तन्मात्रायें ज्ञानेन्द्रियोंके विषय हैं; वाणीका विषय है शब्द; और शेष चार कर्मेन्द्रियोंके विषय पाँच महाभूत ही हैं।

३५. अहंकार और मन-सहित बुद्धि सब विषयोंको ग्रहण करती है, अतः शेष अिन्द्रियों त्रिविध अन्तःकरणके द्वारा हैं।

३६. ये सब अिन्द्रियों, दीपककी तरह, एक-दूसरेसे विलक्षण और विशेष गुणयुक्त हैं। वे पुरुषके समग्र अर्थ (प्रयोजन) पर प्रकाश ढालकर अुसे बुद्धिके सामने लाती हैं।

सांख्यकारिकाका अनुवाद

३७. बुद्धि पुरुषके सब अपयोगोंको सिद्ध कर देती है जिसलिए वही, वादमें प्रधान और पुरुषके वीचका सूक्ष्म विवेक कर दिखाती है।

३८. तत्मात्रायें अविशेष कहलाती हैं। अन् पौचमेंसे पौचभूत होते हैं; सुन्हें विशेष कहते हैं; वे शान्त, वोर और मृद, तीन प्रकारके हैं।

३९. सूक्ष्म (शरीर), माँ-बापसे अुत्पन्न शरीर और महाभूत — जिस तरह तीन प्रकारके विशेष हैं; जिनमेंसे सूक्ष्म चिर्तन है और माँ-बापसे अुत्पन्न मरणको पाता है।

४०. पहले ही (सुधिके आरंभमें) अुत्पन्न हुआ, आसक्ति-हीन, चिर्तन, महत्से लेकर मात्राओं तकके तत्त्वोंसे युक्त, अपभोगके लिए अयोग्य, मावोंसे भरा, ^c लिंग (शरीर) संस्कृतिको प्राप्त होता है।

४१. जिस तरह आश्रयके विना चित्र, अथवा स्थूल पदार्थके विना डाया नहीं हो सकती, असी प्रकार विशेष (महाभूत तथा माँ-बापसे अुत्पन्न शरीर) के आश्रयके विना लिंग-शरीर नहीं रहता।

४२. पुरुषके लिए प्रवृत्ति करनेवाला लिंग-शरीर निमित्त (कारण), और नैमित्तिक (परिस्थिति) के प्रसंगसे तथा प्रकृतिकी विभुताके योगसे नटकी तरह बरतता है।

४३. जन्मसिद्ध भाव प्राकृतिक हैं; घर्म आदिके प्रयत्नसे अुत्पन्न भाव वैकृतिक हैं; स्थूलर्वर्म अिन्द्रियाभित हैं; और मास आदिके घर्म कार्य (शरीर) के आश्रित हैं।

४४. घर्मसे अर्द्धनगति, अघर्मसे अघोगति, ज्ञानसे मोक्ष और अज्ञानसे बन्ध होता है।

४५. वैराग्यसे प्रकृतिका ल्य होता है; राजस आसक्तिसे संसार होता है; अैश्वर्यसे निर्विघ्नता मिलती है, और अनैश्वर्यसे विघ्न होता है।

४६. अिस प्रकारका संसार विपर्यय, अशक्ति, बुद्धि और सिद्ध-युक्त मालूम होता है। गुणोंकी विषमताके कारण सब मिलकर अिषके पचास मेद होते हैं।

^c धर्माधर्म, ज्ञानाज्ञान, वैराग्यावैराग्य, अैश्वर्यनैश्वर्य — ये भाव हैं।

४७. विपर्ययके पाँच भेद हैं, अिन्द्रियोंकी स्वामीके कारण (अुत्पन्न) अशक्तिके अद्वाओंमें भेद हैं; तुष्टि नौ प्रकारकी है; और सिद्धि आठ प्रकारकी ।

४८. (पाँच विपर्ययके नाम — तमः, मोह, महामोह, तामिस्त और अन्धतामिस्त);^१ तमःके आठ प्रकार हैं,^२ मोहके भी अितने ही हैं,^३ महामोहके दस,^४ तामिस्तके अठारह,^५ और अन्धतामिस्तके अठारह ।^६

४९. ग्यारह अिन्द्रियोंकी विकल्पा तथा नौ प्रकारकी तुष्टि और आठ प्रकारकी सिद्धिमें कमी (स्वामी) के कारण तुष्टिमें अद्वाओंप्रकारकी अशक्ति आती है ।

५०. प्रकृति, अुपादान, काल और भाग्यके कारण चार प्रकारकी आच्यात्मिक और पाँच विषयोंके अुपभोगसे पाँच बाह्य, जिस तरह नौ प्रकारकी तुष्टि है ।

५१. तर्क, शब्द, अध्ययन, तीन प्रकारके दुःखजय, सित्रप्राप्ति और दान — ये आठ सिद्धियाँ हैं; जिस सिद्धि पर तीन अंकुश हैं— विपर्यय, अशक्ति और तुष्टि ।

५२. घर्मधर्मादि भावके विना लिंग-शरीर सम्बन्ध नहीं; और लिंग-शरीर विना भाव सम्बन्ध नहीं; अतः लिंग-शरीर तथा भाववान (स्थूल शरीर) रूपी दो प्रकारका अुत्पत्ति-क्रम है ।

९. ये पाँच विपर्यय और योगदर्शनमें बताये अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अमिनिवेश ये पाँच क्लेश ऐक ही हैं — ऐसा दोकापरसे मालूम होता है ।

१०. प्रधान्, महत्, अहंकार और पंच तन्मात्रा, जिन आठमें आस्मतुष्टि तमः है ।

११. अिसीमें अस्मिता होना आठ प्रकारके मोह हैं ।

१२. पाँच विषयों (दिव्य तथा अदिव्य भेदसे दस)में राग दस महामोह हैं ।

१३. अुपरके आठ+दसमें द्वेष-तुष्टि अठारह तामिस्त हैं ।

१४. जिन अठारह विषयोंमें भय अठारह अन्धतामिस्त हैं ।

सांख्यकारिकाका अनुवाद

५३. देवसुषिके आठ, तिर्यक् योनिके पाँच, और मनुष्यका अक्ष प्रकार — यिसमें मीतिक सृष्टिका समाप्त हो जाता है।

५४. अर्धलोक सत्त्वप्रधान, नीचेका लोक तमःप्रधान, और प्रज्ञासे स्तंव पर्यंतका मध्यलोक रजःप्रधान है।

५५. अब्जन सबमें चेतन-पुरुष जरामरणका दुःख मोगता है; जब तक लिंग-यारीर नहीं कूदता तब तक; अतअवेर दुःख स्वभावतः ही है।

५६. अैसा, महत्से लेकर विशेष भूत तकका प्रकृतिका आरम्भ प्रत्येक पुरुषके मोक्षके लिये, मानो स्वार्थके लिये हो यिस तरह परायेके लिये है।

५७. बछड़की घट्टिके लिये जैसे अचेतन दूध बढ़ता है, अुसी तरह पुरुषके मोक्षके लिये प्रधानकी प्रवृत्ति है।

५८. जिस तरह लोग कुबूलिलकी शान्तिके लिये कियामें प्रवृत्त होते हैं, अुसी तरह पुरुषके मोक्षके लिये प्रधानकी प्रवृत्ति है।

५९. नर्तकी जिस तरह रंगभूमिपर अपनी कला दिखाकर नाचसे निवृत होती है, यिसी तरह प्रकृति अपनेको पुरुषके सामने प्रकट करके निवृत होती है।

६०. अनुपकारी और गुणहीन सत्ता-मात्र पुरुष पर अुपकार करनेवाली, गुणवती प्रकृति, नाना प्रकारके अुपायोंसे, अुसके लिये अर्पार्थ (निकाम) अम करती है।

६१. मेरे मतानुसार प्रकृतिसे अधिक कोमल स्वभाववान् कोअी नहीं है; “मैं देखी गयी हूँ” अैसा समझते ही वह फिर पुरुषको दर्जन नहीं देती।

६२. यिसलिये प्रकृतिसे किसीको न बन्धन, न मोक्ष, न संस्कृति होती है; नाना प्रकारके आश्रयवाली प्रकृति ही वैधती है, मुक्त होती है और संस्कृतिको प्राप्त होती है।

६३. प्रकृति खुद ही अपनेको सात रूपासे बाँधती है और फिर वही पुरुषके लिये अपनेको एक रूपसे छोड़ती है।^{१५}

६४. अिस प्रकार तत्त्वाभ्याससे, 'मैं नहीं हूँ, ^{१६} मेरा नहीं है, मुझे मैं-पन नहीं है,' ऐसा परिशेष-हीन (सम्पूर्ण), विपर्यय-रहित होनेके कारण विशुद्ध, केवल ज्ञान उत्पन्न होता है।

६५. अिस प्रकार प्रयोजनवशे प्रवृत्ति होनेसे प्रसव-धर्मसे निवृत्त और सात भावोंसे पार हुअी प्रकृतिको स्वच्छ पुरुष दर्शककी तरह देखता है।

६६. 'मैंने अिसको देख लिया है' अिस कारणसे पुरुष और 'मैं देख ली गयी' अिस कारणसे प्रकृति दोनों विराम पांते हैं, और फिर दोनोंका संयोग होते हुअे भी संसृतिका प्रयोजन नहीं रहता।

६७. अिसके बाद, सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जानेके कारण हेतु त्रिना ही धर्मादिककी प्राप्तिके लिये संस्कार-वश होकर (कुम्हारके) चाककी तरह शरीर रहता है।

६८. फिर शरीरका अन्त होनेपर प्रधानकी प्रवृत्तिका प्रयोजन समाप्त होकर अुसके निवृत्त हो जानेसे दोनों ओकान्तिक और आत्यन्तिक कैवल्य प्राप्त करते हैं।

६९. परम ऋषि (कपिल) ने अिस प्रकार पुरुषार्थका ज्ञान बताया है। अिस ज्ञानमें प्राणियोंकी स्थिति, अुत्पत्ति और प्रलयका विचार किया गया है।

७०. यह श्रेष्ठ और पवित्र ज्ञान अिस मुनिने अनुकम्पापूर्वक आसुरीको दिया; आसुरीने पंचशिख मुनिको बताया; और अुसने तंत्रोंमें अुसका विस्तार किया।

७१. अिस तरह शिष्य-परम्परासे आया यह ज्ञान अुदार-बुद्धि अीश्वरकृष्णने सिद्धान्तको अच्छी तरह समझ कर संक्षिप्त रूपसे आर्या छन्दमें रखा।

१५. कारिका ४०में बताये आठ भावोंमेंसे सात भाव बन्धनकारक हैं, और ज्ञान मोक्षदायक है।

१६. अतअेव 'मैं कुछ नहीं करता' ऐसा अर्थ किया है।


सांख्यकारिकाका अनुवाद
 ७२. समप्र शाठों तंत्रोंमें गमित पूरा अर्थ जिन ७० आर्याओंमें
 आ गया है, सिर्फ अस पर रची आख्यायिकायें तथा अलट-पुलट वाद
 छोड़ दिये गये हैं।

सांख्यकारिकाके अनुसार तत्त्वक्रम

पुरुष^१ × प्रकृति^२

महत् अथवा दुदि^३

अहकार^४



१. न प्रकृति, न विकृति,
 २. प्रकृति ।

३. प्रकृतिविकृति । तन्मात्रा=सूक्ष्म महाभूत
 ४. विकृति ।

परिशिष्ट २

आत्मा-विषयक मतोंपर संक्षिप्त टिप्पणी

१. सेश्वर सांख्यः सांख्य-दर्शनने पुरुष अगणित माने हैं; औश्वर-विषयक विचार नहीं किया। प्रत्येक पुरुषको स्वतंत्र माना है। परन्तु विश्वमें ऐक-जैसा नियमन व परस्पराभ्य देखा जाता है। अतः सब पुरुषों सहित विश्वमें सूत्ररूपी कोअभी ऐक तत्त्व होना चाहिये; वही औश्वर है। पुरुषोंका भी सूत्रधार; सब ज्ञानशक्तिका वीज-स्वप; परन्तु पुरुषकी तरह ही अकर्ता और अलिस।

२. शांकर मत — म्रष्णका लक्षण तत्त्वतः सांख्यकृत पुरुषकी ज्याख्या जैसा है। किन्तु सांख्यमें अनेक पुरुष हैं, जब कि शांकर वेदान्तमें ऐक व्रह्म है। सृष्टिकी अत्यक्ति, स्थिति, लंय, तथा बन्ध और मोक्ष — भ्रमजन्य आभासः सांख्यकी तरह व्रह्म निरन्तर शुद्ध, बुद्ध, और मुक्त; भ्रमका कारण प्रत्यक्-चैतन्यमें अज्ञान और औश्वर-पुरुषमें ज्ञान-पूर्वक अुपाधि। अज्ञान अथवा अुपाधि ही माया अथवा प्रकृति। प्रत्यक्-चैतन्य तथा औश्वरके मेदकी प्रतीति भी मायकृत आभास ही है। अिस मायाका स्वस्वप अगम्य है। अिसे है ऐसा भी नहीं कह सकते; नहीं कहें तो प्रतीत होती है — अतअव अनिर्वचनीय। अिसका भास अनादि कालसे होता आया है। सार्वश, म्रष्णतत्त्वके सम्बन्धमें निश्चय-त्मक सिद्धान्त, परन्तु प्रकृति अथवा मायाके सम्बन्धमें संदिग्भता। अर्थात् ऐक तत्त्व तो है ही, पर दूसरा सिद्ध होता है या नहीं?

३. विशिष्टाद्वैत : (१) ब्रह्मके लक्षणके विषयमें अूपरके दोनोंसे तात्त्विक भेदः वह अकर्ता और ज्ञानमात्र सत्ता नहीं बल्कि ज्ञाता और कर्ता है। फिर वह समग्र गुणोंका भण्डार है; गुणहीन नहीं, न गुणोंका केवल वीजरूप ही है।

(२) अिसके अलावा, चित्तहीन और चित्तयुक्त दो प्रकारकी सुषिक्षाक्रमशः जड़ और चित् प्रकृति कहा है। ऐसी जड़चदात्मक प्रकृति और प्रत्यक्-पुरुषोंका आभ्यदाता अुनका आत्मा अथवा शरीरी-रूप जो तत्त्व वही ब्रह्म। पुरुष भी ज्ञान-शक्ति नहीं बल्कि ज्ञाता और कर्ता। अिस तरह प्रकृति, प्रत्यक्-पुरुष और ब्रह्म अिन तीन तत्त्वोंकी तीन स्वतन्त्र अनादि और अविनाशी पदार्थोंके रूपमें मान्यता। पहले दोका और ब्रह्मका सम्बन्ध शर्त-शरीरी जैसा। (अिसके साथ गीताके मतकी तुलना कीजिये — प्रकरण १५ में।)

४. शुद्धाद्वैत : ब्रह्म-विषयक विशिष्टाद्वैत-मतकी व्याख्याका पहला भाग मान्य; दूसरे भागमें भेद; प्रकृति तथा प्रत्यक्-चैतन्य अनादि भी नहीं और अविनाशी भी नहीं, स्वतंत्र तत्त्व (पदार्थ) भी नहीं। ब्रह्म अपनी अिच्छासे अपने विनोदके लिए प्रकृति तथा जीवरूप होता है। और अपनी अिच्छासे किसीको या सबको फिर अपनेमें समेट लेता है। अपनी स्वतन्त्र अस्तिताका और अुसके फलस्वरूप कर्ता-भोक्तापनका विचार ही अज्ञान और दुःखका कारण है; वस्तुतः ब्रह्म ही कर्ता और भोक्ता है।

५; द्वैत : विशिष्टाद्वैतका पहला भाग मान्य। जीवात्माका स्वतंत्र, अनादि, अविनाशी अस्तित्व भी मान्य। परन्तु जीव ब्रह्म नहीं, ब्रह्मके शरीरका घटक भी नहीं, बिन्दु क्रमशः विकास पाकर ब्रह्मके साधर्म्यको पानेवाला; साधर्म्य ही ब्रह्मके साथ निकटता है। ब्रह्म जीवका ध्येय और अुपास्य आदर्श।

जैन : आत्माकी व्याख्या विशिष्टाद्वैतादि मतोंके जीव जैसी। और वातोंमें सार्वज्ञ-मतकी तरह।

सिंहावलोकन

१. पुरुष निर्गुण ज्ञानमात्र सत्ता ? या शाता, कर्ता, भोक्ता और किसी प्रकारके गुणवाला ? यह विचार तथा अीश्वर-विचार ये दो वातें सब वादोंके मूलमें हैं। वादके बाद अंशतः पुरुष और प्रकृतिका सम्बन्ध निश्चित करनेसे सम्बन्ध रखते हैं और अंशतः प्रत्यक्-पुरुष और अीश्वर-पुरुषका सम्बन्ध स्थिर करनेके लिये हैं।

२. अिन वादोंमें भिन्न भिन्न तत्त्व-चिंतकोंके अपने अवलोकन और विचारका जितना हिस्सा है, अुतना ही श्रुतियोंमें ऐकवाक्यता लानेके आग्रहका भी है। माना गया है कि श्रुति-वाक्योंमें भिन्न भिन्न समयपर हुअे भिन्न भिन्न विचारकोंके स्वतंत्र या भिन्न भिन्न मत नहीं, बल्कि ऐक ही मतके विचारकोंकी भिन्न भिन्न परिभाषा और भाषण-शैली है। अिस मान्यताको समस्त वैदिक वादोंमें निश्चित सिद्धान्तके रूपमें स्वीकार कर लिया गया है।

३. वादियोंके दो मुख्य पेक्ष बनाये जा सकते हैं : ऐकमें सांख्य, सेश्वर सांख्य और शांकर-वेदान्त। अिन तीनोंमें पुरुष, अीश्वर या ब्रह्म सांख्यका बताया पुरुषलक्षण — ज्ञानमात्र गुणहीन सत्ता — स्वीकृत है।

दूसरे पक्षमें जैन, द्वैत, विशिष्टाद्वैत और शुद्धाद्वैत आदि आते हैं। अिनमें प्रत्यक्-पुरुष तथा अीश्वर और ब्रह्म ये ज्ञानमात्र नहीं, बल्कि शाता हैं और ब्रह्म विभूतियों या गुणोंसे रहित नहीं, गुणोंका बीज भी नहीं, बल्कि गुणोंका भंडार है।

४. प्रत्यक्-पुरुषका अस्तित्व सब मानते हैं। सांख्य और जैनोंको छोड़कर दूसरे सब मतोंमें अीश्वर किसी न किसी रूपमें माना गया है। फिर अनुके सम्बन्ध विठानेमें या जोड़नेमें शब्द और कल्पनायें बढ़ती चली गयी हैं। अिस तरह जीव, अीश्वर, माया, ब्रह्म, परब्रह्म तक ऐक

तरफसे और क्षरपुरुष, अक्षरपुरुष, पुरुषोत्तम, पूर्ण-पुरुषोत्तम तक दूसरी तरफसे भेद निकलते ही चले गये हैं।

५. सुष्टि अनन्त प्रकारकी है। भेदोंको खोजने लगे, तो अनन्त भेद किये जा सकते हैं। वैज्ञानिक (scientist)का काम भेदोंको खोजना और विविधताको जानना है। तत्त्व-चितक (philosopher) का काम भेदोंका समाहार करना है। जिन दो भेदोंका समाहार न किया जा सके, अन्हींको वह स्वतंत्र तत्त्वोंके रूपमें स्वीकार करता है।

अिस प्रकार साख्यने भेदोंको दो तत्त्वों पर लाकर छोड़ दिया। फिर अिन दोका भी समाहार करनेकी ओर वेदान्तकी दृष्टि गयी। परन्तु अिसी वीच वैज्ञानिकोंने अश्वर-पुरुषका भेद हृष्ट निकाला,* और वेदान्तने ब्रह्ममें अुसका समाहार कर लिया।

परन्तु वीचमें पुरुष (और अश्वर) की कल्पना ही बदल गयी। शान-शक्तिकी जगह वह शाताके रूपमें माना जाने लगा। यही आरोपण ब्रह्ममें हुआ।

ये दो तत्त्व-भेद नहीं, बल्कि मतभेद हैं। अिनका समाहार करनेकी ज़रूरत ही नहीं। अिसमें तो अितना ही विचार करनेकी ज़रूरत है कि कौनसी व्याख्या सही है और कौनसी गलत। परन्तु तत्त्व-चितकोंने अुसका भी समाहार करना अपना कर्तव्य माना।

अिसका परिणाम यह हुआ कि समाहारके प्रयत्नमें भेद अलटे बढ़ गये। ब्रह्म-विषयक दो व्याख्याओं परसे ब्रह्ममें ही संगुण और निर्गुण ऐसे दो भेद पड़ गये।

परन्तु अिस विचारमें भी ब्रह्मकी तत्त्वरूपमें ही व्याख्या हुई। परन्तु ब्रह्मका एक तत्त्व अथवा पदार्थके रूपमें विचार करना भक्तको अचिक्षय मालूम हुआ। तत्त्वमें भक्ति नहीं पैदा हो सकती। यह शब्द

* यहाँ यह कहनेका मतलब नहीं है कि वैज्ञानिकोंने काल्पनिक भेद हृष्ट निकाला।

ही तटस्थिताका भाव पैदा करता है। अतः सचिकी रक्षाके लिखे तत्वके स्वामी परब्रह्मकी कल्पना हुआ।

अिस तरह नीचे लिखे अनुसार वृक्ष बना :

परब्रह्म (तत्वका स्वामी)

\times

ब्रह्म (तत्व) — (दोनोंका निरन्तर स्वर्य और
किरण जैसा सम्बन्ध)

निरुण

सगुण

माया

अश्वर

जड़ात्मक

चिदात्मक

सांख्यके तत्व

(जीव)

अिस तरह धीरे धीरे विज्ञान, मतभेद और सचिकरता तीनोंका संकर हो गया।

जीवन शोधन

[शोधनका अर्थ है अशातकी खोज करना और शातका संशोधन करना]

खण्ड ६

योगविचारशोधन

प्रास्ताविक

पहले मैं यह कह चुका हूँ कि आत्मशोधनमें चित्तशोधन ही मुख्य है। चित्तशोधनमें दो बातोंका समावेश होता है : (१) मावनाओंकी शुद्धि और शुद्धिका विकास तथा (२) चित्तके व्यापारोंका सूक्ष्म अवलोकन — अर्थात् जब चित्त कुछ अनुमत करता है अथवा स्मरण करता है, तब अुसमें किस प्रकारकी क्रियायें होती हैं अिसकी जाँच । अिसमेंसे पहला विषय 'अदृश्यशोधन' के खण्डमें चर्चित हो चुका है। अुसके सिलसिलेमें चित्तके व्यापारोंका जो अवलोकन व विचार करना पड़ता है, वह धर्म-चर्चाका विषय है। अुसका भी यहाँ विचार नहीं करना है। परन्तु चित्त चाहे शुद्ध हो या अशुद्ध, अुसके अपर कहे अनुसार जो सामान्य व्यापार होते हैं, अनका सूक्ष्म अवलोकन करना योगशान्तका विषय है।

इसने 'चित्त और चैतन्य' नामक प्रकरणमें देखा कि चित्तकी बदीकत ही प्राणी ज्ञानवान होता है, और आत्मा तो स्वयं ही ज्ञानरूप है। अिससे आत्मा व चित्तमें बार बार ऐक-रूपता लगती है और आम तौर पर लोग चित्त और आत्माका भेद नहीं समझ सकते। अिसी कारणसे अतःकरणके लिये 'आत्मा' शब्द भी बार बार साहित्यमें तथा बातचीतमें बरता जाता है। अब इमें चित्तका परीक्षण अिस तरह करना है कि जिससे चित्तके व्यापारोंको अलग करके अुसके पीछे परदेकी तरह स्थित ज्ञान-सत्ताका परिचय हो जाय। यह योगशान्तका विषय है।

तत्त्वोंका पृथक्करण सांख्यदर्शनका विषय था। अर्थात् अुसमें कुछ अंश तक अवलोकनका और अुस अवलोकन परसे क्या राय कायम की जाय, अिसका विचार था। अिससे वह वैज्ञानिक व तार्किक दो प्रकारका था। अतः यह स्वाभाविक है कि अुसमें मतभेदकी बहुत गुंजायिश हो। फिर अुसमें 'पिण्डे पिण्डे मतिर्भिन्ना'भी हो सकती है। परन्तु योगका विषय ऐसा नहीं है। यह वैज्ञानिक व व्यावहारिक विषय है, ऐसा कह सकते हैं। अिसमें कही बात अनुमतकी कल्पीटी पर सही अुतर जाय तो, ही वह निरूपण सही, नहीं तो सिर्फ़ कल्पना। अिसमें यदि कहीं तत्त्वचर्चा

आ भी जाय, तो अुसे गोण ही समझना चाहिये। अिस कारण पतंजलि ने अपने योगसूत्रोंमें, जो कि योगविषयक महत्वपूर्ण शास्त्र है, तत्त्वचर्चाकी दृष्टिसे सेव्वर सांख्यकी विचारसरणी ही स्वर्कार कर ली है। दूसरी कोअी तत्त्वचर्चा हो भी, तो अुसका अधिक महत्व नहीं है। योगसूत्रोंको समझ लेनेका महत्व अुनके तत्त्वदर्शनके लिये नहीं, बल्कि अुनमें अुल्लिखित चित्त-परीक्षणके मागके लिये और अुस परीक्षणके सिलसिलेमें होनेवाले अनुभवोंके अुल्लेखके लिये है।

अिस दृष्टिसे मैंने यहाँ योगके कुछ सूत्रोंको समझानेका प्रयत्न किया है। अिसका मुख्य प्रयोजन यह है कि कुछ सूत्रोंका अर्थ जिस तरह भाष्य अथवा टीकाओंमें समझाया गया है, वह मुझे सन्तोषजनक व साधकके लिये महत्वपूर्ण बातोंमें सहायक नहीं प्रतीत हुआ। अतः अिस खण्डमें मैं अुन सूत्रोंका अर्थ किस तरह ल्याता हूँ, यह बताना चाहता हूँ।

पर यदि मुझे कोअी निश्चयपूर्वक यह कहे कि मेरे सुझाये अर्थ सूत्रोंमेंसे नहीं बैठते, तो मैं अुनके साथ शास्त्रर्थमें नहीं अुतर सकूँगा। ऐसी अवस्थामें मेरी यही विनती है कि साधक अितना ही देखें कि मैं जो अर्थ लगाता हूँ, वैसी वस्तुस्थिति अनुभवमें आ सकती है या नहीं; और यदि सूत्रोंसे वैसा अर्थ न निकलता हो, तो ऐसे सूत्र बनाये जायें जिनसे अभाष अर्थ निकले। यही कारण है कि मैं अिन अर्थोंके सम्बन्धमें दूसरे टीकाकारोंके साथ खण्डन-मण्डनमें नहीं पढ़ता, सिर्फ अपना अर्थ स्पष्ट करके ही सन्तोष मान लेता हूँ।

पाठकोंसे एक और भी विनय है। अुन्होंने अिससे पहले कुछ भाष्य, टीकायें या योग-विषयक अन्य पुस्तकें पढ़ी हों, तो अिन अर्थोंको पढ़ते समय अुन्हें भूल जानेका यत्न करें; और जहाँ कई अिंस खण्डमें योगसूत्रोंके शब्दोंका अुपयोग हुआ हो, वहाँ अुन शब्दोंका मेरा लगाया अर्थ ठीक तरहसे समझ कर अुसी अर्थको ख्यालमें रखनेका प्रयत्न करें, दूसरे किसी साहित्यके रूप अर्थको नहीं। नहीं तो विषय स्पष्ट होनेके बदले अुलटे अुल्लङ्घन वड़ जानेका अंदेशा है।

जिन पाठकोंको सूत्रोंके अर्थ जाननेमें दिलचस्पी न हो और केवल ध्यानोपयोगी सूचनायें ही जानना हो, वे छोटे टाइपका मजमून न भी

पढ़ें तो काम चल जायगा । शुनके लाभ व सुविधाके लिये यह खण्ड खास तौर पर दो प्रकारके अक्षरोंमें छापा गया है ।

अिस खण्डका मूल मसविदा मैंने अपने स्नेही और आदरणीय मित्र, गुजरात विद्यापीठ तथा पुरातत्व मन्दिरके (भृतपूर्व) अध्यापक पंडित शुल्कालजीको पढ़ सुनाया था । अन्होंने अिस विषयमें मेरे साथ चर्चा भी की थी । अससे लाभ अटाकर मैंने मूलमें बहुत-कुछ घटा-बढ़ी भी की है और असे अिस स्वरूपमें रखा है । शुनके अिस परिश्रमके लिये मैं अनका कृतश्च हूँ ।

योगखण्डका सार रूप ऐक सूत्रात्मक प्रकाण भी अन्तमें जोड़ दिया है, जो आशा है पाठकोंके लिये अपयोगी साधित होगा ।

सत्यकारिकाये जिन्होंने पढ़ी हैं, शुन्होंने देखा होगा कि शुनमें मुख्य तत्त्वोंके अलावा दूसरी कभी वार्ताओंका भी समावेश हुआ है । किसी शास्त्रीय ग्रन्थके लिये भले ही वे वार्ते आवश्यक समझी जायें परन्तु सर्व-साधारणके लिये शुनकी जरूरत नहीं है । ऐसी वार्तोंको मैंने छोड़ दिया है । असी तरह योग-सूत्रोंमें भी अिस तरहकी कभी वार्तोंका मैंने विचार नहीं किया है । जितने सूत्र चित्त-परीक्षणके लिये महत्वके हैं, शुन्होंका मैंने विचार किया है ।

सांख्य-मत-शोधनमें मुझे मूल दर्शनकारके साथ ही कुछ विचार-भेद-दिव्यलाना पढ़ा है । यहाँ योगसूत्रोंके साथ मेरा कोभी क्षणादा नहीं है, वल्कि शुनके समझानेकी पद्धति पर कहीं कहीं आपत्ति है । मुझे वह ढंग ठीक नहीं मालूम हीता, अितना ही मेरा कहना है । ‘मालूम हीता है’ अिस शंका-इर्दशक शब्द-प्रयोगका अितना ही कारण है कि भाष्यकारों व टीकाकारों द्वारा किये गये अर्थे प्राचीन व परम्परागत हैं । शुनके भाषा व व्याकरण-शान्तेके सामने मेरा ज्ञान किसी गिनतीमें नहीं है । अतः मैं यह निश्चयपूर्वक नहीं कह सकता कि शुनके किये अर्थे पतंजलिकी धारणाके विपरीत है । अिसमें तो अनुभवी लोगोंका मत ही आखिरी निश्चयात्मक उत्तरान्त माना जा सकता है ।

योगका अर्थ

दूसरे स्त्रमें^१ योगकी व्याख्या अिस प्रकार की है — ‘योगका अर्थ है चित्तवृत्तिका निरोध’। चित्तकी वृत्तिको अर्थात् योगकी अवस्था व्यापार करनेसे रोकना योग कहलाता है।

योगकी व्याख्या ‘युज्’ (जुड़ना) धातुसे ‘योग’ शब्द बना है। अतः आम तौरपर अुसका अर्थ किया जाता है किसी विषयके साथ चित्तको जोड़ना। और ‘समाधि’ शब्दको अुसका पर्यायवाची माना जाता है।^२ मेरा खयाल है कि जो लोग पतंजलिके योगसे भिन्न प्रकारके योगका विचार करते हैं, वे भी योग व समाधिको एक ही अर्थमें लेते हैं।

परन्तु पतंजलिने ‘योग’ व ‘समाधि’ शब्दोंका खास अर्थमें ही प्रयोग किया है, और ‘समाधि’को योगके आठ अंगोमेंसे एक बताया है,^३ और जहाँ तक मैंने समझा है, सारे ग्रन्थमें अन्होंने अिसी अर्थका निर्वाह किया है।

अब यह बात अलग है कि पतंजलि-ग्राण्य अर्थ ‘युज्’ धातुसे सिद्ध ही सकता है या नहीं।^४ चाहें तो अुसके लिये भले ही पतंजलिको दोष दिया जाय।

१. योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः ॥ १-२ ॥

२. ‘योगः समाधिः’ योगभाष्य, पहले सत्रपर।

३. २-२९ ।

४. एक टीकाकार कहते हैं कि आत्मा अथवा पुरुषका अपने स्वरूपके साथ योग—चित्तवृत्तिके निरोधका परिणाम होनके कारण ‘योग’ शब्दका यह अुपयोग धातुके अन्वर्थमें ही है। यह तो ठीक है, परन्तु जो यह कहते हैं कि आरमाका स्वरूपसे वियोग कभी ही ही नहीं सकता, अुनकी दृष्टिसे यह अधिक नहीं तो मापा शैयिल्य अवश्य है; परन्तु अिसे अक्षम्य नहीं कह सकते।

परन्तु योगसंज्ञेंका अध्ययन करते समय 'योग'का अर्थ चित्तवृत्तिका निरोध ही मानना चाहिये और 'समाधि' शब्दका वही अर्थ ऐना चाहिये जो भुक्तिकी व्याख्यासे निकलता हो।*

तो अिसका अर्थ यह हुआ कि हमें 'योग' व 'समाधि'को समझनेके लिये गहराअभीमें अुतरना पड़ेगा।

परन्तु योगको चित्तवृत्तिका निरोध कहा है, अतः पहले यह पता चित्तवृत्ति लगाना होगा कि चित्तवृत्ति किसे कहते हैं। क्योंकि माने क्या? पतंजलिको समझनेके लिये 'चित्त' व 'वृत्ति' शब्द भी एक खाबीकी तरह हैं।

'वृत्ति' शब्द हिन्दीमें काफी रुद्ध है, अतः हम अक्षर किसी रुद्ध अर्थमें इसे समझ लेनेकी मूल कर देठते हैं।

वृत्ति 'वृत्ति' शब्द कुछ अनिश्चितताके साथ अिच्छा,^१ भावना,^२ आशय,^३ आवेग,^४ स्वभाव,^५ बुद्धिकी स्थिति,^६ आदि अर्थोंमें बरता जाता है। ऐसे अनिश्चित अर्थोंको अगर ध्यानमें लावें, तो वृत्तियाँ असंख्य मालूम पड़ती हैं। अिसलिये जब हम यह देखते हैं कि पतंजलिने सिर्फ़ पाँच ही वृत्तियाँ गिनाओ दी हैं, तो हमें सरदस्त आवर्य होता है।

*. तद्व (ध्यानमेव) अर्थमात्रनिर्भासं स्वरूपशून्यमिव समाधिः । ३-३॥
(ध्यान ही जब सिर्फ़ पदार्थक ही दशनिवाला और स्वरूपशून्य जैसा हो जाय, तब यह समाधि कहलाती है।)

१. जैसे कि, मेरी जानेको वृत्ति नहीं होती।

२. जैसे कि, हिसावृत्ति, दयावृत्ति, विष्यादि।

३. जैसे कि, शुद्धवृत्ति, मलिनवृत्ति, वित्यादि।

४. जैसे कि, मैं लिखने वैठा हो या कि ऐकाएक सुझे आपसे मिलनेकी वृत्ति हो आधी।

५. जैसे कि, सात्त्विकवृत्ति, पापीवृत्ति, वित्यादि।

६. जैसे कि, संशयवृत्ति, निश्चयवृत्ति, तटस्थवृत्ति, अशेयवृत्ति, वित्यादि।

परन्तु यिसका कारण तो यह है कि 'चित्त' शब्दकी भी हमारी समझ अनिश्चित है। सामान्य बोलचालमें हम चित्तमें भावना, चिन्तन, प्रेरणा आदिका समावेश करते हैं। चित्त वेदान्तके पंचीकरणमें अन्तःकरणकी चिन्तनकारिणी शक्तिको चित्त कहा है, और अन्तःकरणके मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार (तथा कुछ लोगोंके मतमें स्मृति भी) ऐसे चार (या पाँच) भेद किये गये हैं। परन्तु पातञ्जल योगमें चित्त और बुद्धिमें कोअी भेद नहीं समझा जाता है और अुसका अर्थ होता है अन्तःकरणकी निश्चय-कारिणी शक्ति। और यह अर्थ सांख्यदर्शनके अनुसार है।^१

हमें ज्ञानेन्द्रियों द्वारा वाह्य जगत्की क्रियाओंका और सब्बार द्वारा अपने शरीरकी क्रियाओंका निश्चय होता है। यिस निश्चयका साधन हमारा वित्त या बुद्धि है। पतञ्जलिके अर्थमें समस्त भावना, आशय, विच्छाल, आवेग आदि चित्त या बुद्धिकी 'वृत्तियाँ' नहीं, बल्कि 'संचार' हैं^२; वे चित्तमें शुठ्ठा हुओी क्रियाओंके संस्कार हैं। चित्तमें वृत्ति शुठ्ठेसे अन संस्कारोंका परीक्षण और शुनके विषयमें निश्चय होता है।

यह चित्त अथवा बुद्धि—यदि अुसका व्यापार अधूरा न रहा हो तो—पाँच प्रकारका निश्चयात्मक ज्ञान अपजाती है;

- वृत्तिके भेद**
१. प्रमाणभूत अथवा वास्तविक निश्चय;
 २. विपर्ययी अथवा भ्रमयुक्त, फिर भी अुस समयमें पक्का लगनेवाला निश्चय;
 ३. विकल्पात्मक^३—परन्तु वहाँ भी अुस समय तो पक्का—निश्चय;
 ४. निदा यी ऐसा निश्चय; अथवा
 ५. केवल स्मरणका निश्चय।

१. देखिये सांख्यकारिका २३ (खण्ड ५, परिशिष्ट १में); बुद्धि अर्थात् अध्य-वस्त्राय, निश्चय।

२. संचारके अर्थके लिये देखिये खण्ड ५, प्रकरण १०।

३. यिसके अर्थकी चर्चा आगे आवेगी।

जब बुद्धिका व्यापार पूरा हो जाय, तो अुसके फलस्वरूप कोभी ओक निश्चय प्रकट होना चाहिये ।^१

अब मैंसे स्मृति दूसरी चार वृत्तियोंमें अन्तर्भूत भी है। स्मृतिके परदे पर दूसरी चार वृत्तियोंके चित्र बनते हैं। परन्तु दूसरी किसी भी वृत्तिका चित्र न बनते हुओ केवल स्मृतिका ही निश्चय करके बुद्धिका व्यापार पूर्ण हो सकता है, अतः अुसे जुदा वृत्ति भी माना गया है।

१. बुद्धिका व्यापार निरोधसे अधूरा रहता है। यह निरोध या तो योगाभ्याससे प्रयत्नपूर्वक ही सकता है अथवा आकस्मिक कारणोंसे नैसर्गिक ही सकता है।

यहाँ यह न समझना चाहिये कि वहाँ निश्चयका अभाव है, वहाँ बुद्धिका व्यापार अधूरा है। क्योंकि वहाँ 'निश्चयका अभाव है' यह निश्चित ज्ञान तो हुआ है। बुद्धिके अज्ञानका भान भी निश्चयात्मक वृत्ति है। मैं असका समावेश निद्रावृत्तिमें ही करना चाहता हूँ। यह स्वयंल गलत मालूम होता है कि केवल गाढ़ नीड़में ही बुद्धि निद्रित होती है। वह तो जाग्रत अवस्थामें वर्तमान ओक अवस्थाका केवल सोत्र स्वरूप है। जिस प्रकार जाग्रत अवस्थामें रहते हुओ भी अिन्द्रियोंके समक्ष न रहनेवाले विषयोंके विचारमें लीन ही जाना स्वप्नदशा ही है, असी तरह जाग्रतमें जिन जिन विषयोंके विषयमें बुद्धि अनिश्चित है अन विषयोंमें वह निद्रित है, ऐसा कहना चाहिये। 'निश्चय नहीं होता' असु तरहके ओक प्रकारके अभावप्रत्ययकी ही अुसमें निश्चितवृत्ति है। असो अर्थमें सदाज्ञाता-श्वितवृत्तयः (४-२८) यह सद्ग मही ही सकता है।

निरोधमें निश्चय करनेकी क्रिया रुक जाति है। फिर निश्चय करनेका काम ही नहीं रखा जाता। लेकिन निश्चयके अभावमें प्रमाण करनेका प्रयत्न या अिच्छा बन्द नहीं हुअी है।

अमुक विषय अशेय है, ऐसे निश्चयको कौनसी वृत्ति समझना चाहिये? पतंजलि कह सकते हैं कि हम तो किसीको अशेय मानते ही नहीं। ऐसा समझिये कि अशेयताके निश्चयमें अभी संशोधन होना चाहो है। आज भले ही निश्चित रूपसे ऐसा देंगे कि अमुक पदार्थ अशेय ही है, परन्तु यह ज्ञानको प्राप्तभूमि नहीं है। अनः अशेयताका निश्चय या तो गलत अनुमान प्रमाणकी या निद्राकी वृत्ति जैसा है। यदि कुछ भी अशेय न होनेका सिद्धान्त मान न लिया जाय, तो भी अशेयत्वका निश्चय अनुमान प्रमाणकी वृत्ति तो होगा ही।

ये सब वृत्तियाँ क्लेशदायक और क्लेशंरहित दोनों तरहकी हो सकती हैं। अिन दो भेदोंके अनुसार अनको बिलष्ट और अविलष्ट कहा गया है।

प्रमाण तथा विपर्यय वृत्तिके विषयमें अधिक कहनेकी जरूरत नहीं है। जो प्रमाणभूत निश्चय प्रत्यक्ष रीतिसे, अनुमानसे या आप्तपुरुष अथवा शास्त्र-वचनसे होता है, वह बुद्धिकी प्रमाण प्रमाण, विपर्यय वृत्ति है। रस्तीमें साँपका, मृगजलमें सरोवरका, अित्यादि जो निश्चय अस क्षण तो प्रमाणभूत ल्पाता है, किन्तु बादमें भ्रमयुक्त सावित होता है, असे विपर्यय वृत्ति कहते हैं।

किन्तु विकल्प शब्दका विचार करनेकी जरूरत है। टीकाओंमें विकल्पके अदाहरणरूपमें राहुका सिर, पुरुषका चैतन्य जैसे शब्दप्रयोग विकल्प बताये जाने हैं। अिनमें स्वामित्वदर्शक सम्बन्धकारका 'का' प्रत्यय निर्थक है। वास्तवमें राहु ही सिर है, और पुरुष ही चैतन्य है। कोभी ऐक राहु (अथवा पुरुष) और असका अवयव सिर (या चैतन्य) ऐसे दो पदार्थ हैं ही नहीं। परन्तु जब कि ऐसा शब्दप्रयोग होता है तो वह हमारे चित्तमें क्षणिक ही क्यों न हो, धर्म व धर्म ऐसे दो विषयोंकी अपेक्षा अत्यन्त करता है। अस तरह अर्थ घटित करनेसे नवे सत्रकार अर्थ ऐसा होता है कि शब्दज्ञानके पीछे अुपजती, परन्तु सचमुचमें वस्तुशून्य, बुद्धिकी जो अपेक्षा है वही विकल्प वृत्ति है।

ठेकिन मैंने अूपर बताया है कि स्त्य वा मिथ्या कोभी निश्चय ही, तो ही असे योगदर्शनमें वृत्ति शब्दसे दर्शाया जाता है। यदि मेरा यह कथन सच ही, तो विकल्पवृत्तिका पूर्वोक्त अर्थ सही नहीं मालूम होता। क्योंकि पूर्वोक्त शब्दप्रदीर्घोंमें कोभी भी निश्चयकारक ज्ञान होता ही नहीं। हाँ, सिर्फ ऐक अपेक्षा अुपस्थित होती है और थोड़ा ही विचार करनेसे वह खिलौन ही जाती है। फिर भी यदि हम यह कहें कि अस क्षणिक अपेक्षामें भी निश्चयात्मक वृत्ति ही है, तो मले ही अिन

१. वृत्तयः पञ्चतयः: बिलष्टऽबिलष्टाश्च ।

प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्रास्मृतयः ॥ १-५, ६ ॥

(वृत्तियाँ पाँच वर्गकी हैं; बिलष्ट और अविलष्टः प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति।)

२. शब्दज्ञानासुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः । १-९ ॥ (जो शब्दज्ञानके पीछे अठता है परन्तु वस्तुशून्य है असे विकल्प कहते हैं।)

बुदाहरणोंका भी सपास विकल्पवृत्तिमें हो जाय। परन्तु मैं समझता हूँ कि अिसका क्षेत्र अधिक विशाल है।

मैं विकल्पका अर्थ अिस तरह बयाता हूँ : विधिध प्रकारके सांकेतिक अथवा कल्पनायुक्त संस्कारोंके कारण पदार्थोंमें अुनके वास्तविक धर्मोंके अुपरान्त वूसरे आरोपित धर्मोंका निश्चय। बुदाहरणके लिये मूर्ति, शण्डा, आदि प्रतीकोंमें जिन पदार्थोंसे ये बने हैं अुनके धर्मोंके अलावा यह देव है, देश है, आदि प्रकारका निश्चय। यह जो दूसरे प्रकारका निश्चय है वह आरोपित है; विशेष प्रकारकी कल्पनासे श्रुत्पन्न हुआ है; मूर्ति, शण्डा, आदि शब्दोंके ज्ञानके पीछे वह अुपजता है, अिन शब्दोंका ज्ञान यदि न हो तो यह नहीं अुपजता; क्योंकि यह विशेष निश्चय वस्तुशून्य है। अिस पदार्थमें देव या देश-सूचक — अिस तरहके संकेतके सिवा — कोअी पदार्थ नहीं है। अिस तरह शब्द-ज्ञानके साथ अुत्पन्न होनेवाला परन्तु अस शब्दके विषयमें वस्तुशून्य निश्चय विकल्प है। हम यह कह सकते हैं कि निश्चयके अिस क्षेत्रका असर जीवनके बहुतेरे व्यापारों पर होता है।

समाधिके सविकल्प और निर्विकल्प ऐसे दो भेद करनेकी प्रथा सर्वत्र प्रचलित है। ये दो शब्द कहाँसे पैदा हुए हैं, यह मुझे मालम नहीं। पतञ्जलिने तो अिन शब्दोंका कहीं प्रयोग किया नहीं है। किन्तु टीकाओंमें ये मिलते हैं। टीकाओंमें अधिकांश सविकल्प समाधि, सवीज ममाधि, और संप्रशात् योग तीनों शब्दोंका एक ही अर्थमें प्रयोग मिलता है। अिसी तरह निर्विकल्प समाधि, निर्विज समाधि और असंप्रशात् योगका एक ही अर्थ समझा जाता है। मेरी नाकिस रायमें विकल्प, समाधि, योग, आदि शब्दोंको पतञ्जलिके अर्थमें न समझनेसे और कठाचित् दूसरे प्रकारके योग-विषयक ग्रन्थोंकी परिमाणाको यहाँ घटानेका प्रयत्न करनेसे यह अुलझन पैदा हुवी है।

सविकल्प व निर्विकल्प समाधि अिन शब्द-प्रयोगोंमें 'वि' अुपर्युक्त सप्रयोजन है, अैसा नहीं लगता। निर्विकल्प समाधिको मुन्मनी अवस्था भी कहते हैं। चित्तके व्यापारको विलकुल रोककर बैठना, भीतर बाहर किमी बातका ज्ञान न हो अैसी स्थिति चित्तकी बनाकर बैठना — अिसे मुन्मनी अवस्था या निर्विकल्प समाधि कहते हैं। कभी योगाभ्यासी अिस स्थितिको पहुँचनेका यत्न करते हैं। और अिसे योगाभ्यासकी अन्तिम भूमिका समझते हैं। पतञ्जलिका असंप्रशात् योग और

यह निविकल्प समाधि ऐक ही है या नहीं, यह चर्चा यहाँ प्रस्तुत नहीं है। यहाँ तो विसका शुल्क विस बात पर ध्यान डिलानेके लिये किया है कि पतञ्जलिमें संमाधि या योगके लिये सविकल्प-निविकल्प शब्दोंका उपयोग नहीं किया है और मुनोंने विकल्प शब्दका प्रयोग खास प्रकारकी विशेष कल्पनावाली वृत्तिके अर्थमें किया है।

दसवें सूत्रमें^१ निद्रावृत्तिकी व्याख्या आती है। अस सूत्रमें ‘प्रत्यय’ शब्द विचारने योग्य है।

‘प्रत्यय’ शब्द नीचे पादटिप्पणीमें^२ सूचित सूत्रोंमें पाया जाता है। आम तौर पर शास्त्रीय वर्ण्योंसे यह अपेक्षा रखी जाती है कि युनमें बार बार प्रयुक्त शब्द किभी ऐक ही अर्थमें ग्रहण किया जाय। अपवाद-रूपमें प्रत्यय ही साफ तौरपर ऐकाध जगह किसी दूसरे रूप अर्थमें भूम्पका प्रयोग भले ही हो। किन्तु अस ‘प्रत्यय’ शब्दको टीकाकारोंने सर्वत्र ऐक ही अर्थमें घटानेका प्रयत्न किया दिखायी नहीं देता।

मैं समझता हूँ कि लगभग सभी जगहोंमें ‘विषयजन्य संस्कार’के अर्थमें प्रत्यय शब्दको घटानेसे अन सूत्रोंका ऐसा सरल अर्थ हो जाता है, जो आसानीसे समझमें आ जाय। जिस पदार्थके लिये वृत्तिने प्रमाण, विपर्यय आदि रूप धारण किया हो वह विषय है; युस विषयका चित्तपर जो संस्कार पढ़ता है वह युस वृत्तिका प्रत्यय है। पदार्थ अथवा विषय भले ही ऐक हो, परन्तु युसके प्रत्यय अनेक हो सकते हैं। क्योंकि क्षण क्षणमें यह विषय चित्त पर संस्कार ढाल सकता है। ऐसा प्रत्येक संस्कार युस वृत्तिका जुदा जुदा प्रत्यय है।^३ जैसे हम ऐक गाय देखते हैं। वह हमारी अनिद्रियोंका विषय हुआ। अब जितनी बार यह गाय हम देखते हैं, जुतनी ही बार अस देखनेकी क्रियासे हमारे चित्तपर संस्कार

१. अभावप्रत्ययालम्बना वृत्तिर्निद्रा ॥ १-१० ॥ (अभावरूपी विषयका आलम्बन करके रहनेवाली वृत्ति निद्रा है।)

२. १-१०; १-१८; १-१९; २-२०; ३-२; ३-१२; ३-१९; ३-३४; ४-२७।

३. ‘प्रत्यय’ शब्दकी व्युत्पत्तिके अनुसार ही यह अर्थ होता है। व्याकरणमें जैसे विमक्तिके प्रत्यय संश्लोके साथ जाते हैं, उसी तरह वृत्तिके साथ ही जानेवाले ये विषयके प्रत्यय हैं।

अुठते ही रहेंगे। ये संस्कार कभी ऐक ही तरहके होंगे, कभी भिन्न-भिन्न प्रकारके भी। अनमें हर समय विषय तो ऐक ही है, परन्तु प्रत्येक संस्कारके समय वह चित्तकी वृत्तिके साथ बार बार जुहता है। ऐसे प्रत्येक समय विषयके साथ चित्तका जो समर्क होता है, उसीका नाम प्रत्यय है।

अस तरह अभावका (कुछ है ही नहीं अथवा कुछ निश्चय नहीं है ऐसे संस्कारका) आलम्बने करनेसे वृत्ति निद्रास्त्रप होती है अथवा वृत्तिमें निद्राका निश्चय होता है।

अस वाक्य पर दोका करते हुए पंडित श्री सुखलालजी लिखते हैं — “(निद्राकी) यह (आपको) व्याख्या मुझे गलव मालम होती है। क्योंकि जो वृत्ति ‘कुछ है हो नहीं’ ऐसे अभावको प्रत्यय बनाती है, वह भी जाग्रत वृत्ति ही हुआ। जाग्रतवृत्ति शुतीको कहते हैं, जिसमें सच्चा या झूठा, भाव या अभाव रूप कोभी पदार्थ भासित ही। सचमुच तो निद्रावृत्ति अस समय अदृश्य होती है, जब वह यह कुछ भी नहीं जानती कि कुछ है या नहीं। वल्कि अस समय ज्ञानात्मक सब वृत्तियाँ लय पा जाती हैं। आपकी व्याख्याके अनुसार तो निद्रा भी ऐक ज्ञानात्मक वृत्ति ही हुआ, फिर भले ही असमें शून्यताका भान क्यों न हो”

असका खुलासा —

१. सार्वज्ञकारिका ३३ याद रखने योग्य है : असमें कहा है कि “वास्त्रेन्द्रियोंका व्यापार वर्तमानकालमें ही है; अन्तःकरणका व्यापार तीनों कालमें चलता है।”^१ मतलब कि बुद्धिकी वृत्ति (निश्चय) का प्रत्ययके साथ ही अठना आवश्यक नहीं है; वह प्रत्ययके बाद भी बुठ सकती है। अस वृत्तिमें निश्चय होता है, असी समय कह सकते हैं कि वृत्ति अठी। अस समय बाहरसे विषयोंका संस्कार पड़ना जरूरी नहीं है। जो संस्कार पड़ चुका है, असकी स्मृतिसे भी निश्चय हो सकता है। स्मृतिसे वह संस्कार जाग्रत होता है — यशो प्रत्यय है। अस प्रत्ययका आलम्बन लेकर निश्चय होता है। यदि यह कहें कि निद्राका निश्चय पीछेसे होता है, तो भी अससे पूर्वोक्त व्याख्याको बाधा नहीं पहुँचती। परन्तु अितके लिये दूसरा भी खुलासा है।

२. निद्रावस्था व निद्रावृत्ति अन दोका भेद समझ लेना चाहिये। इस कहते तो हैं कि नींदमें हमें ऐसा कोभी भान नहीं होता कि मैं हूँ या नहीं, प्राणता (प्रकृटेण अज्ञता — धोर अज्ञान) होती है। परन्तु अस समय प्राणता होती है, असका निश्चय हमने किस बात परसे किया? हमें अस दशाका स्मरण रहता है, अस परसे अस प्राण दशाको देखनेवाला कोभी जाग्रत या ऐसा जान पड़ता है। वह

^१ साम्रतकालं धार्यं त्रिकालमाभ्यंतरं फरणम् ॥

चित्तकी अिस प्राशदशाको — निद्राको — निश्चित रूपसे जानता है। हाँ, यह ठीक है कि ऐसा अनुमान बादको आनेवाली जाग्रत्तिमें होता है। परन्तु यह कोभी निद्रा-ज्ञानकी ही विशेषता नहीं है। ज्ञानमात्र अनुभव-समयकी लीनता (सारूप्य) के चले जानेके बाद युसके स्मरणसे अुत्पन्न होता है। जिस समय किसी प्रत्ययमें हमारी तन्मयता हो जाती है, युस समय युस विषयका हमें क्या ज्ञान हुआ, यह हम नहीं जान सकते। तन्मयताके चले जानेके बाद युस अनुभवका स्मरण करनेसे युस विषयमें हम निश्चय करते हैं। तन्मयता यदि क्षणिक हो, तो निश्चय तुरन्त हो जाता है; अधिक समय तक रहे तो निश्चय देरसे होता है। अिस प्रकार होनेवाला निश्चय यदि अधिक समय तक टिके अथवा बार-बार हो, तो वह प्रमाण कोटिका हो जाता है। बदल जाय या चला जाय, तो वह विकल्प या विपर्यय-कोटिका होगा। अिस तरह अभाव-प्रत्यय-सम्बन्धी तन्मयताके मिटनेके बाद हम यह निश्चय करते हैं कि युस समय अभाव-प्रत्यय — निद्रा — प्राशदशा थी।

जाग्रत्तिमें भी दुद्धिमें किसी विषयके रहे अज्ञानका भान भी एक प्रकारकी निद्रावृत्ति ही है, ऐसा भूपर (पृष्ठ ३४९, टिप्पणी १ में) बताया गया है। यह प्राशदशा नहीं, बल्कि अशदशा है। सच पूछो तो अज्ञान ऐसी वस्तु स्वतंत्र रूपसे कुछ ही ही नहीं। जिस विषयके संयोगसे प्रत्यय 'अुत्पन्न होता है, युस विषयके सम्बन्धमें 'निश्चयका अभाव है, ऐसे ज्ञानको' विषय-सम्बन्धी निश्चय करनेकी अुत्सुकताके कारण इस अज्ञान कहते हैं। अज्ञान विषयके बोरमें है, प्रत्ययके बोरमें नहीं।'

१. महाराष्रीय योगी कवि मुकुन्दराज लिखते हैं :

न कङ्गं ऐसें जाणवङ्गे । तें न कल्प्यासि'नाहीं कङ्गे ! ॥ ६-४ ॥

'नहीं समझमें आया' ऐसा जो समझा, सो 'अज्ञान'की समझमें तो नहीं आया !

आपुलिया जाणिवा । धरिशी नेणिव भावा ।

या कारणे तो गोंवा । पडे जयाचा तयासि ॥ ६-५ ॥

'अपने जानपन (ज्ञानत्व) को ही तू अज्ञानता मान लेता है; अिससे तुझे अपने आपकी ही गडवड पैदा हो जाती है।'

नेणिवेच्या नेणिवभावा । तूचि जाणसी स्वयमेवा ! ७-२ ॥

अज्ञानके अज्ञानपनको तू ही स्वयमेव जानता है।

आपण आपणासि नेणे । ऐसे आपण चि जाणे ।

जाणपण हें नुमजणे । तें चि पैं तें ॥ ११-१ ॥

खुद अपनेको नहीं जानता — यह खुद ही जानता है। अिस तरह (विषयके बोरमें अज्ञान) और युस अज्ञानका ज्ञान अिन दोका भेद ध्यानमें नहीं आता, यही

यदि हम यह याद रखें कि निश्चयमात्रका तन्मयता मिटनेके बाद सृष्टिसे उद्भव होता है, और सृष्टि दूसरी सब वृत्तियोंके पीछे रही हुओ भूमिका — पार्षभूमि — जैसी है, तो यह बात समझमें आ जायगी कि निद्रावस्था — नींद अथवा किसी विषयका निश्चय करनेके बारेमें दुविधायुक्त स्थिति — कोअभी वृत्ति नहीं; वल्कि सृष्टिकी ऐक स्थिति है। नींद असकी तोव्रता है। अस तोव्र स्थितिमें जगत्को भूलनेका प्रयत्न है।^१ यह स्थिति कैसी है, असका निश्चय ही निद्रावृत्ति है। यह दूसरी वृत्तियोंसे पृथक् असलिये पढ़ जाती है कि असमें अभाव — विषयोंका भूलावा — प्रत्यय है; दूसरी वृत्तियोंमें कोअभी भावरूप विषय प्रत्यय होता है।

जाग्रत अवस्थामें, मूर्च्छामें तथा नींदमें सर्वत्र रहे अज्ञानका निश्चय — अस वृत्तिके लिये अधिक व्यापक अथवा स्पष्ट सत्र हो तो जहर अच्छा रहे। अस वृत्तिको निद्रा कहनेके बजाय यदि कोअभी दूसरा व्यापक अर्थवाला शब्द योजित किया जाय तो अच्छा हो। जैसे — मूढ़व्यप्रत्ययालम्बनमावरणम् — मूढ़ताके प्रत्ययका अवलम्बन करके रहनेवाला निश्चय आवरणवृत्ति है। निद्रा असका ऐक भेद है।

अस तरह बुद्धिकी पाँच वृत्तियाँ — निश्चय हैं। अन वृत्तियोंका निरोध करना योग है।

अब हमें यह देखना है कि निरोध क्या है और वह कैसे होता है? यह खोज हमें योगके भेद बतानेवाले सूत्रोंमेंसे करनी पड़ेगी।

अज्ञान (भ्रम) है। — परमामृतसे स्फुट बुद्धरण। ('परमामृतका' विषय विषय-सम्बन्धी अज्ञानसे नहीं, वल्कि स्वरूप-सम्बन्धी अज्ञानसे सम्बन्ध रखता है। परन्तु दोनोंमें ऐक ही विचारधारा लागू पड़ती है।)

१. बहुत प्रयत्न करने पर भी जब नींद नहीं आती हो, कोअभी न कोअभी सृष्टि जाग्रत होकर नींदके यत्नको निष्पल करती हो, तब क्या हम जगत्को भूलनेका प्रयत्न नहीं करते? यह अभावप्रत्ययका आलम्बन हेनेका ही प्रयत्न है। थकान आदिसे यह स्थिति अपने-आप भी आ सकती है और जो अभ्यास द्वारा इस कलाको इस्तगत कर सकें, वे अच्छा-पूर्वक भी भुसे ला सकते हैं।

सम्प्रज्ञात योग

१७वें और १८ वें सूत्रमें योगके दो भेद किये गये हैं—
सम्प्रज्ञात और असम्प्रज्ञात । १

सम्प्रज्ञातका अर्थ है ‘अच्छी तरह जाना हुआ’ । सीधी-सादी
भाषामें कहें, तो सम्प्रज्ञानका अर्थ है स्पष्ट भान ।

सम्प्रज्ञान अिसका अर्थ यह हुआ कि दूसरे योगमें संप्रज्ञान
—स्पष्ट भान — नहीं है, केवल संस्कार शेष है ।

वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिताका क्रमशः निरोध करनेसे
सम्प्रज्ञात योग होता है, ऐसा १७ वें सूत्रका शब्दार्थ होता है । २

परन्तु यह तो सूत्रका शब्द-स्पर्श हुआ । यह विचारना तो बाकी
ही रहता है कि अिसका आशय क्या है ? एक अुदाहरणसे अिसे
समझानेका यत्न करता हूँ ।

हमें यह निश्चय हुआ कि सामने जो प्राणी चरता है, वह ‘गाय’
है । यह प्रत्यक्ष प्रमाणकी वृत्ति है । विचार करनेसे
अुदाहरण मालूम होगा कि जब कोअी ऐसी वृत्ति अुठती है,
तब हमारे चित्तमें चलनेवाले व्यापारके एक पर एक
ऐसे चार स्तर होते हैं । अन चारों स्तरोंको हम प्रयत्नसे साफतौर पर
मालूम कर सकते हैं ।

१. वितर्कविचारानन्दास्मितानुगमात् संप्रज्ञातः [वितर्क, विचार, आनन्द
और अस्मिताके (निरोधके) पीछे जो आता है, वह सम्प्रज्ञात ।] विरामप्रत्यया-
भ्यासपूर्वे: संस्कारशेषोन्यः । (विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्वक संस्कारशेष अन्य है ।)
अिस अन्यको टीकाकारोंने असम्प्रज्ञात नाम दिया है, पतंजलिने नहीं । वितर्क
ध्यानमें रखना ठीक रहेगा । अिस दूसरेका कुछ नाम तो होना ही चाहिये,
अिसलिए मैंने अिसीको स्वीकार कर लिया है ।

२. क्या अिसमें तथा बौद्ध परिमापामें — जिसमें आनंद और अस्मिताकी
जगह अनुक्रमसे प्रीति व सुख शब्दोंका प्रयोग किया गया है — अिसके सिवाय
कुछ फर्क है ? देखिये श्री धर्मानंद कोसंवी लिखित ‘बुद्ध, धर्म आणी संघ’ — परिशिष्ट ।

सम्प्रज्ञात योग

पहले स्तरमें अधिक व्यापारसे अुपजता वितर्क ज्ञान रहता है। अस
वितर्क शब्दका अर्थ ४२ वें सूत्रमें मिल सकता है।
‘गाय’ एक पद अथवा शब्द है। ‘गाय’ शब्दके
शानसे असका शब्दसंर्ग या पद-ज्ञान हुआ।
‘गाय’ के माने ‘धेनु’ कहें, तो कहना होगा कि यह पदपर्याय या
ज्ञान है, वह अस पदसे जाना जानेवाला अर्थ—पदार्थ है। अस
प्राणीका ज्ञान पदार्थ-ज्ञान है। यह हो सकता है कि पदज्ञान तो हो,
किन्तु पदपर्यायका ज्ञान न हो; और दोनों हों फिर भी पदार्थज्ञान न हो;
असके विपरीत पदार्थज्ञान तो हो, किन्तु पदज्ञान या पदपर्याय-ज्ञान
न हो। अिनमें पदज्ञान (गाय) व पदार्थज्ञान (गाय नामक प्राणीकी
जानकारी) यह तर्क है। गाय शब्दमें अथवा गाय पदार्थमें देखनेवालेके
संस्कारानुसार आरोपित विशेष अर्थ—जैसे मातापनका — विकल्प है।
विकल्पयुक्त तर्क वितर्क (विशेष तर्क) है।

‘सामने चरनेवाला प्राणी गाय है’ अस निश्चयके पहले स्तरमें
‘गाय’ शब्द, ‘गाय’ प्राणी, और गायके विषयमें आरोपित धर्मोंका
सम्प्रज्ञान है। यह वितर्क सम्प्रज्ञान है।

विचार परन्तु, आम तौर पर, बुद्धिका व्यापार अितना ही निश्चय करके
नहीं रह जाता। यह गाय किसकी है, कौसी है,
कहाँ है, क्या करती है, आदि निश्चय भी अुपजाता
है। ‘यह गाय है’, यह सम्प्रज्ञान सामान्य है।
किसकी है, कौसी है, क्या करती है, आदि निश्चयोंसे युक्त सम्प्रज्ञान
अनुप्रंगी (associated) है। अस प्रकारके वितर्कानुगामी सम्प्रज्ञानका
नाम विचार है।

१. तत्र शब्दार्थज्ञानविकल्पः संकीर्ण सवितर्का समापत्तिः— शब्दज्ञान,
शब्दर्थ (=पदार्थ) ज्ञान और विकल्पते मिश्रित सवितर्क समापत्ति है।

चित्तपर जब किसी भी प्रकारका आघात होता है, तो आनन्द और शोककी स्थिति भी अुत्पन्न होती है। असावधानताके

आनंद कारण भले ही हमें अिस स्थितिके प्रकारोंको क्षण-क्षणमें पहचाननेका भान न रहे, परन्तु यदि जागरूक

रहकर अुसकी जाँच करें, तो खयालमें आये बिना न रहेगा कि ऐसी कोभी न कोअी अवस्थाका सम्प्रज्ञान हरअेक निश्चयके साथ अवश्य समिलित रहता है। यइ अवस्था (शोकरूप) छ़िष्ट या (आनन्दरूप) अ़क्षिष्ट किसी भी प्रकारकी हो सकती है; परन्तु अपेक्षा यह होनेसे कि योगाभ्यासी तो अुसी पदार्थको पसन्द करेगा जो अ़क्षिष्ट वृत्ति अुपजावेगा, अुसका तीसरा सम्प्रज्ञान आनन्द या प्रीतिका ही हो सकता है। अतअेव तीसरे सम्प्रज्ञानका नाम — योगाभ्यासीके लिअे — आनन्द है।

यह बात तो योङ्गा ही विचार करनेसे समझमें आनेवाली है।

अस्मिता किन्तु अिन तीनों सम्प्रज्ञानोंके मूलमें एक चौथा सम्प्रज्ञान भी रहा है, यह बात अेकाअेक खयालमें नहीं आती। वह है अस्मिताका — ‘मैं हूँ’ ऐसे

स्पष्ट भानका — सम्प्रज्ञान। किसीके मनमें यह प्रस्तु अुठेगा कि क्या ‘मैं हूँ’ अिस भानके लिअे बुद्धिका कोअी व्यापार आवश्यक है? वह तो है ही। परन्तु हकीकत यह नहीं है। जो ऐसा प्रतीत होता है कि वह तो इमेशा है ही, अुसका कारण यह है कि यह बात हमारे खयालमें ही कभी नहीं आती कि चित्तका प्रवाह कहीं कभी रुकता है। चित्तका व्यापार किसी न किसी प्रत्ययका आलम्बन लेकर अविराम चैलता ही रहनेवाला मालूम होता है और अिसलिअे अस्मिताका मान भी सदैव अुठता रहता है। परन्तु जरा गहरा विचार करनेसे मालूम होगा कि यदि चित्तका व्यापार बन्द हो जाय, तो हमें अस्मिताका भी भान न हो।

अिस बातका विचार एक दूसरी तरहसे भी किया जा सकता है। क्या हमें अपने शरीरके प्रत्येक अवयवका भान सदैव रहता है? जो अवयव नीरोगी होता है, अुसका भान हमें अक्षर नहीं रहता है। परन्तु जब किसी कारणसे अुसकी ओर ध्यान जाता है, अर्थात् अुसमें

सम्प्रज्ञात च ॥

अन्यवस्था या दूसरी व्यवस्था पैदा हो, तभी भुक्ते के अस्तित्वका भान हमें होता है। और जब तक वह असामान्य व्यवस्था रहती है, तब तक भुक्ते भान हमें रह करता है, क्योंकि प्रतिक्षण चित्तपर भुक्ते के प्रत्यय अठते रहते हैं।

अिसी तरह हमें अपनी अस्मिताका भान भी तभी होता है, जब चित्तका व्यापार जारी रहता है। हमारे चित्तमें जो कुछ वृत्तियाँ या सम्प्रज्ञान अठते हैं, उनमें चाहे कितनी ही विविधता हो, भ्रम या सत्याश्च हो, या क्लियाक्लिघ्ट हो, उन सबमें एक सम्प्रज्ञान दूसरे तीन सम्प्रज्ञानोंके बाद सामान्य स्तरकी तरह अठता ही है— और वह है ‘मैं हूँ’ यिस भानका। विषयोंके आधात जुदा-जुदा संस्कारोंके कारण भले ही विविध वृत्तियाँ अपनायें और विषयोंके वारेमें जुदी-जुदी कल्पनायें करायें; यदि उन सब कल्पनाओंके अपरके स्तरकी तरह अलग कर डालें, तो भी वे आधात एक वस्तुका निश्चय कराये विना नहीं रहते, और वह है ‘मैं हूँ’ अिस भानका।

अिसी तरह चित्तके हरयेक पूर्ण व्यापारके साथ वितर्क, विचार, आनन्द अथवा प्रीति (या शोक अथवा द्रेष) और अस्मिताके सम्प्रज्ञान अठते हैं। अिनका क्रमशः निरोध ही सम्प्रज्ञात-गोगका विषय है। यह भी अदाहरण द्वारा अधिक स्पष्ट होगा।

कल्पना कीजिये कि कोअी साधक रामकी मूर्तिका^x आलम्बन लेकर योगाभ्यास करता है। ध्यानमें तन्मयता होनेके बाद अुसे चित्तके प्रत्येक व्यापारके साथ मूर्ति विषयक वितर्क, तत्त्ववृन्धी कोअी आनुरंगिक विचार, आनन्दावस्था और अस्मिताके सम्प्रज्ञान अठते रहते हैं। चारों सम्प्रज्ञानोंको पृथक् करके देखनेकी शक्ति अभी अुसे नहीं आयी है। अतः वह चारोंको एक ही रूपमें ग्रहण करता है। अस्मिताके भानकी इस्तीकी तरफ भुक्ता खयाल

^x मूर्ति नेत्रेन्द्रियोंका विषय है, परन्तु दूसरी शानेन्द्रियोंके विषयके साथ भी यही क्रम लागू पड़ता है। जैसे— मंत्रजप। आम तौरपर जप और मूर्तिका आलम्बन एक साथ हेलेका तरीका है। और यह एक दूसरेकी सहायताके लिये है।

तक नहीं जाता। आनन्दको जानता हो, तो भी पृथक् रूपसे नहीं। शब्दोंमें प्रकट करना हो तो 'यह मनमोहन मर्यादापुरुषोत्तम धनश्याम मूर्ति राम खड़े हैं' ऐसा यह भान है। अिसमें 'मनमोहन' शब्द अुसके चित्तकी आनन्दावस्था प्रकट करता है। 'मर्यादापुरुषोत्तम' राम सम्बन्धी अुसका अभिप्राय बताता है। 'धनश्याम' मूर्तिके बारेमें वितर्क, 'राम' संज्ञा, और 'खड़े हैं' यह शब्द अपनी भिन्न अस्मिताके भानकी हस्तीको प्रकट करता है।

परन्तु अूपर लिखे अनुसार अभ्यास दृढ़ होने पर अुसे पहले वितर्कका निरोध करना होता है; अर्थात् अब वह वितर्क-निरोध मूर्तिकी बाह्य आकृति (मेघश्यामत्व) या अुसमें आरोपित धर्मोंका स्मरण रखने या करनेका प्रयत्न नहीं करता*। वल्कि रामकी मूर्तिके साथ जो आनुपंगिक विचार आते थे, अुनमेंसे किसी अेक ही विचार पर चित्तको अेकाग्र रखता है। जैसे कि रामके साथ अुनकी धर्मनिष्ठाका ही विचार पैदा होता हो, तो वह रामकी साकार मूर्तिसे निकलकर धर्मनिष्ठाके विचार पर ध्यानस्थ होनेका प्रयत्न करता है। यह अुसके अभ्यासका दूसरा कंदम है। अिस अभ्यासमें आकृतिका और आकृतिसे अुत्पन्न विकल्पोंका भान धीरे-धीरे क्षीण होता जाता है, और धर्मनिष्ठाके विचारके साथ ही अुसकी तन्मयता हो रहती है। अिस तरह वितर्कके निरोधमेंसे विचार-समाधि फलित होती है। वितर्क जब विलकुल क्षीण हो जाता है, तब तत्संबंधी सम्प्रज्ञात योग सिद्ध हो जाता है। भाषामें यह भान 'यह कल्याणरूप धर्मवितार' अिन शब्दोंमें ही वर्णन किया जा सकता है।

अब, वृत्तिका बल तीन ही संप्रज्ञानों पर रुक जानेके कारण ये तीन ही संप्रज्ञान विशेष पुष्ट होते हैं। अिसमें आनन्द या प्रीतिका अनुभव अधिक जोरसे होता है और अस्मिता भी थोड़ी-बहुत व्यवत होती है।

* अिन दोनोंके बीचमें अेक और कदम है। अुसकी चर्चा समाप्तिके विचारमें की जायगी।

सम्प्रश्नात योग

फिर साधकके लिये दूसरा प्रयत्न है अुन विचारोंका भी निरोध करना । वितर्क व विचारसे जो आनन्द या प्रीति - विचार-निरोध अुमड़ती है, अुसके स्वरूपको जाँचना और अुसके व्यानमें स्थिर होना और पिछले दो संप्रश्नानोंकी ओर व्यान न देना अुसका तीसरा अभ्यास है । अिस तरह विचारके निरोधमेंसे आनन्द-समाधि फलिय होती है । यहाँसे अुसका वास्तविक स्वचित परीक्षण शुरू होता है । वितर्क व विचारमें अुसके व्यानका बीज बाहर या । यहाँ अुसका बीज अपने अन्दर ही है । अिस अभ्यासमें आनन्द या प्रीति अधिक पुष्ट होती है, और अस्मिताका संप्रश्नान अधिक स्पष्ट होता है । यदि अस्मिताके प्रति अिससे पहले ही अुसका व्यान न गया हो, तो अब कभी न कभी खिचता है । माघामें आनन्द-समाधिमें “मैं आनन्द या प्रेमरूप हूँ”, तथा सानन्दता — आनन्द-सम्प्रश्नानमें “आनन्द — आनन्द है” ऐसा अिस भानका स्वरूप होता है ।

अतः अब अिसका तीसरा प्रयत्न आनन्द (या प्रीति) का भी निरोध करके केवल अस्मिताके भानको जाँचनेका आनन्द-निरोध होता है । * दूसरे पादके छठे स्त्रमें अस्मिताकी व्याख्या अिस प्रकार की है — दुर्गदर्शनशक्त्यो-

रेकात्मतेवास्मिता ॥ इश अथवा चित्तशक्ति (पुरुष) और दर्शन-

शक्ति अथवा चित्त दोनोंकी अकल जैसा लगना अस्मिता है ।

अब यहाँ एक बातकी याद दिलाना जस्ती है । योगाभ्यासी अपना व्यास किसी अेक स्थानमें अपने चित्तकी धारणा करके करता है । अितने ही स्थानमें वह अपने चित्तको बाँध रखता है^x और जिस प्रस्त्रयका सुनने आलमन लिया हो, अुसको बर्द्ध जाँचता है । अतः यह संमझना चाहिये कि अुसकी धारणाके स्थान पर ही चित्त बाँधा रहा है । तीन संप्रश्नानोंकी निरोधके बाद अुसे अस्मिताका भान अिस धारणाके स्थानपर ही होता है । यह अुसका चौथा अभ्यास है । अिस तरह आनन्दके *

* वेदान्ती जिसे नियुणका ध्यान कहते हैं अुसका प्रवेश यहाँसे होता है,

अेसा में समझता है ।

* देशबन्धवित्तस्य धारणा ॥ ३-१ ॥

निरोधमेंसे अस्मिता-समाधि फ़लित होती है। अतः वह यही समझता है कि मैं अपनी धारणके स्थानक पर ही हूँ। यदि धारणा हृदयमें की हो तो वह समझता है कि हृदयमें मेरा (चैतन्यका) वास है, और यदि किसी दूसरी जगह धारणा हो तो वहाँ समझता है। वास्तवमें यह नहीं कहा जा सकता कि चैतन्यशक्ति किसी ऐक ही स्थानमें है; परन्तु चूँकि वह चित्त और चैतन्यको अभेदस्वरूपसे देखता है, अतः यह समझता है कि चैतन्यका वास विशेषतः धारणाके स्थान पर ही है। यही है दृश्य और दर्शनशक्तियोंकी अकात्मताका भास। “मैं शान्त स्वरूप हूँ अथवा सुखरूप हूँ” अितना ही अुसका वर्णन हो सकता है। अिसीका नाम अस्मितामें समाधि है। अिससे आगे अस्मिताके सम्प्रश्नानमें “शान्ति है, सुख है” यह भान होता है।

अुसके बादका चौथा प्रयत्न है अस्मिताके निरोधका। जहाँतक मैं समझता हूँ, यही चित्तको छुन्मत्त करनेका अभ्यास अस्मिता-निरोध है। ‘मैं हूँ’ अिस सम्प्रश्नानको भी क्षीण करके चित्तकी कोअी उत्ति (किसी भी प्रकारके निश्चयका भान) न हो, अैसी स्थितिमें रहनेका यह प्रयत्न है। अस्मिता-समाधि और अस्मिता-निरोधके बीचका भेद अितना सूक्ष्म है कि अिन दोमें गडबड़ी पैदा हो जाती है। जैसे निद्रामें चित्तका व्यापार बन्द नहीं होता, परन्तु अभाव-प्रत्ययके कारण अैसा प्रतीत होता है कि अुस समय अस्मिताका स्पष्ट भान नहीं होता (वस्तुतः तो कुछ न कुछ है), अुसी तरह अस्मिता-समाधिमें चित्तका व्यापार बन्द नहीं है, परन्तु प्रत्ययाभावके कारण अस्मिताका सम्प्रश्नान भी नहीं अठता। निद्रामें अभावका प्रत्यय है, तो अस्मिता-समाधिमें प्रत्ययका अभाव है। पहली विवशता-जात स्थिति है, दूसरी प्रयत्नपूर्वक स्वाधीनतासे प्राप्त स्थिति है। फिर भी वाल्य इष्टिसे दोनों ऐक-जैसी लगती हैं। मीठी नींदमें जैसे सुख है, वैसे ही यह स्थिति प्रयत्नपूर्वक प्राप्त होनेके कारण और चित्त तथा ज्ञानेन्द्रियोंको विशेष विश्राम और तनावका अभाव होनेके कारण अिसमें अुसे निद्रासे बहुत अधिक सुख प्रतीत हो, तो यह समझमें आने जैसी वात है। अिस स्थितिको प्राप्त करनेका प्रयत्न सफल होनेसे बादको अत्यन्त आनन्दका अनुभव होना भी स्वाभाविक है। अिसे शून्याकार

असम्प्रशात् योग

दृष्टि अथवा शून्यका अनुभव कहें तो चलेगा। मेरी रायमें बहुतसे वेदाती योगी असीको निर्विकल्प समाधि कहते हैं।

लेकिन पूर्वोक्त निष्पणसे यह ध्यानमें आवेगा कि अस्मिताके निरोधकी भूमिका तक पहुँचनेके पहले अस्मितामें समाधि तकके सब अम्यासोंमें निरोधमें एक अंशमें निरोध है, तो दूसरे अंशमें समाधि है। वितर्कके आनन्दके निरोधमेंसे अस्मिता-समाधि, विचारके निरोधमेंसे आनन्द-समाधि, और बाद समाधिका अन्त आता है। असीकी विशेष स्थृता जब हम समाधिकी व्याख्याका विचार करेंगे तब होगी।

४

असम्प्रशात् योग

अब हम दूसरे योगका विचार करें।

यहाँ मुझे कष्टल करना होगा कि टीकाकारोंके अर्थको मैं ठीक ढीक नहीं समझ सका। सम्भव है, असीका कारण मेरी संस्कृतमें विशेष गतिका न होना हो। जो अर्थ मैंने किया है वही यदि टीकाकारोंको अभीष्ट हो, तो मुझे कुछ नहीं कहना। योगके असीके विषयमें मेरा अपना जो प्रवेश है, असे ही मैं दर्शाता हूँ।

इसने अब तक यह देखा कि अस्मिताके निरोधको छोड़कर दूसरी सब स्थितियोंमें किसी न किसी प्रत्ययका आलम्बन लेकर ही चित्तका व्यापार चलता है। यदि एक ही प्रकारका प्रत्यय वार वार, एकके बाद दूसरा, उठता रहे तो वह अकाग्रता होती है; नवीन नवीन प्रत्यय होते रहें, तो मुझे सर्वार्थता कहते हैं। यदि दूसरे प्रकारके प्रत्यय पर चित्त दोड़ जाता है, तो वह पिछले अुठे किन्हीं आनुपर्णिक विचारंकि द्वारा ही। असी प्रकार सतत चलते रहनेसे चित्तको नदीके प्रवाहकी अुपमा दी जाती है और यह माना जाता है कि असमें रुक्त या भंग कभी नहीं होता।

परन्तु चाहे सर्वार्थता हो या ऐकाग्रता, सच पूछो तो जब चित्त एक प्रत्ययसे दूसरे युसी जातिके या भिन्न जातिके प्रत्यय पर जाता है, तब अुस प्रवाहमें क्षणिक भंग जल्लर होता है। अिस क्षणमें चित्त एक प्रत्यय परसे अुठा है, पर अभी अुसने दूसरेको पकड़ा नहीं है। शानेश्वरने अपनी रसमयी वाणीमें चित्तकी अिस स्थितिका अनेक कुपमाओं द्वारा वर्णन किया है।

अुठिला तरंग वैसे ।
पुढ़े आन ही नुससे ।
अैसा ठार्या जैसे ।

पाणी होय ॥

काँ नीद सरोनि गेली ।
जीगृति नाहीं चेयिली ।
तेब्हाँ होय आपुली ।

जैसी स्थिति ॥

ना ना येका ठायूनि अुठी ।
अन्यत्र नव्हे पैठी ।
हे गमे तैशिया दृष्टि ।

दिठी सुर्ता ॥

काँ मांवळो सरला दिवो ।
रात्रीचा न करी प्रसवो ।
तेंगे गगनें ह्या भावो ।

वाखाणिला ॥

घेतला स्वासु बुडाला ।
घापता नाहीं अुठिला ।
तैसा दोहीसि सिवतला ।

नव्हे जो अर्थु ॥

अुठी हुअी तरंग वैठ गवी
हो, परन्तु अभी दूसरी अुठ न
पाअी हो, अुस क्षणमें पानीकी जो
स्थिति होती है;

अथवा, नीद पूरी हो चुकी है,
परन्तु अभी जागृति आयी नहीं है,
अुस समय इमारी जैसी दशा होती है;

अथवा, एक स्थानसे दृष्टि हट
गवी हो, परन्तु दूसरी जगह न वैठी
हो, अुस स्थितिका विचार करते हुये
(यह योगभूमिका) समझमें आ जायगी;

अथवा, सूर्य अस्त हो गया हो,
परन्तु रातका प्रसव न हुआ हो,
अुस समयका आकाश अिस भावोंको
प्रदर्शित करता है;

अथवा, लिया हुआ आश्वास
शान्त हो गया है, परन्तु अभी
अुच्छ्वास शुरू नहीं हुआ, अिस
तरह दोनों तरफसे (प्रत्ययसे) अहूता
रहा जो पदार्थ;

असम्प्रशात् योग

कीं अवधीर्णी करणी ।
विषयांची वेर्णी ।

करिता चि येके क्षणी ।
जे कीं आहे ॥

तथा सारिला ठावो ।
हा निकराचा आत्मभावो ।

(अमृतानुभव — ७, १८६—१२)

अथवा, समस्त अनिदियोकि
द्वारा एक साथ विषयोंका प्रहण
करनेका प्रयत्न करते हुमे जो कुछ
स्थिति हो जाती है;*

असु तरहकी स्थिति असल
आत्मभाव है ।+

चित्तके एक प्रत्ययको छोड़कर दूसरेको प्रहण करनेके बीचके विराम
या संचिको वाचार खोजनेका अभ्यास असम्प्रशात्योगका अभ्यास है। असु
विरामकालीन स्थितिको न अनुभव कहा जा सकता है न ज्ञान; क्योंकि
असु समय किसी प्रकारका अनुभव या ज्ञान नहीं होता है। असु
स्थितिके चले जानेके बाद चित्त सिर्फ अितना ही स्मरण कर सकता है
कि ऐसी एक — उमस्तिये खाली या प्रवाह-भंगकी — स्थिति गती ।
असु स्थितिके संस्कारको ही यदि अनुभव या ज्ञान कहना हो, तो भले
कहें; पर सच पूछिये तो यह किसी अनुभवकी स्मृति नहीं है; वल्कि
एक ऐसा संस्कार-मात्र या स्थिरभाव है, जिसमें न अनुभव है, न ज्ञान
और न अनुभव है, न अज्ञान ही ।

अस्मिता-समाधि तथा निद्राकी तरह ही यह भी शृण्यका अनुभव लगता
सम्भव है। परन्तु शून्य यानी, दूसरे परिच्छेदमें निद्राका लक्षण जाँचते हुमे कहा
असु तरह, अभावका प्रत्यय तथा प्रत्ययका अभाव समझें, तो प्रमाणादिक वृत्तियोंका
प्रत्यय हो सकता है। क्योंकि अभावका प्रत्यय और प्रत्ययका अभाव दोनोंको वृद्धि
महसूस करनी है। किन्तु असुमें तो चित्त चलनका भंग है। केवल चित्त शक्ति
रुक्त जैसी स्थित है।

* असुके लिये दो तीन शुपामांडे और भी दो जा सकती हैं: (१) घड़ीका
लोलक एक तरफ चढ़ चुका है, किन्तु अभी वापिस लौटनेकी शुरुआत नहीं हुई
है — असु स्थितिकी, अथवा (२) विशुद्ध प्रवाह तेजीसे सव्याप्सव्य (alternate)
होते हों, अथवा (३) सर्वेकों किरणें या पानीके फौवरे प्रवृत्त-निश्च (intermit-
tent) होते हों, असु समय जो स्थिति होती है शुमकी ।
+ यहां जिसको आत्मभाव कहा है, असु पतञ्जलिने द्रष्टाका स्वरूपमें अवस्थान
(द्रष्टः स्वरूपेऽस्थानम् ॥ १-२ ॥) कहा है। शंकराचार्यने 'लघुवाचय-
वृत्ति' और 'सदाचार' में असु अभ्यासका वर्णन किया है।

‘परमामृत’ में अिस स्थितिमें तथा शून्यके बीच नीचे लिखे अनुसार भेद किया है —

जरी तें शून्य भाविजे
तरी कल्पूनि नांव टेविजे
जे आपणा आपण उझे
तें शून्य कैसे ?

जो सर्व शून्यातें जाणे ।
तथा शून्य ऐसे कवण म्हणे ?
जे कांही नार्हीं तेणे
आपणा केवि जाणिजे ? ॥

यया स्वरूपो नुरे दृश्य ।
दृश्यासि द्रष्टुत्व अदृश्य ।
जया चे तयासी च प्रकाश ।
स्वस्वरूप सदा ॥

सर्वहि निरस्ति जाणीव ।
भुरले साँड़न नेणिव ।
तया ज्ञाना जाणावया भाव ।
न स्फुरे कांहीं ॥

म्हणोनि अभाव ऐसा भासे ।
परी शून्या म्हणावैं कैसे ?
जे सर्वासि जाणोनि असे ।
शून्यासमवेत ! ॥

(परमामृत—८, २-५)

परन्तु यह तो असंप्रश्नातयोगका विवरण हुआ । अब यह देखना है कि अिस तरहका अर्थ सूत्रसे निकलता है या नहीं । सत्र
सूत्रार्थ यह है — विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्वः संस्कारशेषोऽत्यः ॥
(विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्वक संरकारद्वेष दूसरा योग है ।)

* जैसे सर्वको यदि किसी पदार्थको प्रकाशित करनेका न हो, तो अुसका प्रकाश विना प्रकाश्यके हो रहेगा; प्रकाश्यके न होनेसे अुसे प्रकाशित नहीं कह सकते, पर सिर्फ प्रकाशवान ही कहेंगे; अुसी तरह दृश्यके होनेसे दृक्षयित दृष्टि कहलाती है, नहीं तो केवल स्वयंप्रकाश दृक्षयित ही है ।

यथपि वह शून्य जैसा लगता है, फिर भी अुसके (भावरूप) नामकी कल्पना की जानी चाहिये । क्योंकि जो खुद अपनेको जानता है, अुसे शून्य कैसे कहा जा सकता है?

जो सब शून्यकी जानता है, अुसको शून्य कौन कह सकता है? (शून्यका अर्थ है ‘कुछ नहीं’) जो कुछ नहीं है, वह अपनेको किस तरह जानेगा? (मैं शून्यरूप हूँ, यह किस तरह समझ सकेगा?);

जिस स्वरूपमें दृश्य नहीं रहता, अिसलिए दृश्यके प्रति दृष्टापन अदृश्य ही जाता है, और केवल अपना ही स्वरूप स्थित प्रकाश्य वाकी रहता है;

सोरे ज्ञानुवका ल्याग करके और अज्ञानको भी फेंक कर जो वाकी रहता है, अुस ज्ञानको जाननेके लिये (चित्तमें) कोभी भाव सुरित नहीं हो सकता;

अतः वह अभावके जैसा लगता है, परन्तु जो शून्य सहित सबको जानता है, अुसको शून्य कैसे कह सकते हैं?

पहले समाप्तका अर्थ असु तरह विठा सकते हैं — विरामके प्रत्ययका अभ्यास जिसके पहले है। परन्तु ऐक हठिसे देखें, तो असुमें भाषा-शैयित्य होता है। प्रत्ययके अर्थका जरा विस्तार करना पड़ता है; वर्णोंकि शूपर बताये अनुसार यहाँ न तो वृत्ति है, न चित्तका चलन ही है, तो फिर यह कैसे कह सकते हैं कि असुका आल्घन—प्रत्यय—है? विरामको प्रत्यय कहना प्रत्यय व वृत्तिके अर्थको मरोदने जैसा है। राजविद्या, राजयोग,* आदि समार्थकोंकी तरह विराम विष प्रत्यययोः (विराम मानो दो प्रत्ययोंमें) असु तरह समाप्त घटाया जा सकता है या नहीं, सो में नहीं कह सकता। यदि असु तरह विलष्टताका दोष किये जिना चैसा किया जा सकता हो, तो यह सूत्र ठोक बैठ जाता है, नहीं तो स्वार्थ लगानेके लिये विलष्टताका दोष मुझे स्वीकार करना पड़ेगा।

५

निरोधके कारण तथा समाधि

अब निरोध शब्दका अर्थ अधिक स्पष्ट हुआ होगा। जब निरोध-कारण-सम्बन्धी सूत्रोंका विचार करेंगे, तब वह और अधिक स्पष्ट हो जायगा।

पहले पादके १९ और २० वें सूत्रमें यह बताया गया है कि वृत्तिका निरोध किन कारणोंसे होता है। अनेमें १९वाँ सूत्र १९वें^१ सूत्रकी व्याख्यायें जिस तरह टीकाकारोने की हैं, वे मुझे बहुत ही कम सन्तोषजनक मालूम होती हैं। तमाम व्याख्यायें मानो कल्पनाके विशाल क्षेत्रमें दौड़ कर लाभी गयी हैं। और यदि जिन व्याख्याओंको मान लें, तो यह समझना मुश्किल होता है कि असु सूत्रका मनुष्य-साधकसे वया सम्बन्ध है। मैं असुका जो अर्थ लगाता हूँ, वह मुझे उद्दिगम्य और मनुष्योपयोगी मालूम होता है। किन्तु यह कौन कह सकता है कि पतंजलिको भी यही अर्थ अभीष्ट या^२ अतः मैं अपना अर्थ यहाँ बताकर सामोर्छा रहूँ, यही अुचित है।

* राजा मानो विद्याओंमें, योगोंमें आदि।

^१. भवप्रत्ययो विदेहप्रकृतिलयानाम्।

षिदेहप्रकृतिलयानाम् — अर्थात् वेसुध अवस्थामें लब्लीनोंको, जो भवप्रत्यय — अर्थात् अस्तित्वका जो संस्कार अथवा वृत्तिका आलम्बन रहता है, (अुसमें भी योग अर्थात् चित्तवृत्तिका निरोध है ।)^१

यह निरोध प्राकृतिक है; परन्तु यह सूत्र अस बातको जाननेमें अुपयोगी है कि निरोधमें दरअसल होता क्या है ? अस अर्थकी योग्यायोग्यता और २० वें सूत्रके साथ अुसका मेल बैठता है या नहीं, असका विचार पाठकों पर ही छोड़ता है ।

निरोधका दूसरा कारण सांवधान-मनुष्योंके लिये २० वें^२ सूत्रके अनुसार श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि २० वाँ सूत्र और प्रज्ञापूर्वक (अनुष्टान) है । अस सूत्रका शब्दार्थ स्पष्ट है । परन्तु यहाँ यह बात अच्छी तरह साफ हो जाती है कि समाधि और योग पतञ्जलिके अर्थमें एक ही नहीं हैं । समाधि पतञ्जलिका स्थेय नहीं है । समाधिका फल प्रज्ञाप्राप्ति है^३ और भद्रासे लेकर प्रज्ञा तक योगकी ओर ले जानेवाली वह पूँजी या साधन-सम्पत्ति है^४ ।

१. मूर्धा आदिसे जैसे वेसुध अवस्थामें लीन हो जाते हैं, अुही तरह श्वासोच्छ्वासको रोकनेके अभ्याससे भी हो सकते हैं । मतलब यह है कि चित्तका चलन श्वासके चलनके साथ ही होता है; अतः श्वासके रोकनेवे चित्तका निरोध हो जाता है ।

२. श्रद्धावीर्यस्मृतिसमाधिप्रज्ञापूर्वक अितरेपाम् ॥

३. देखिये सूत्र तज्ज्यात्प्रज्ञालोकः ॥ ३-५ ॥

४. अस सिलसिलेमें ‘बुद्धलीला’ से नीचे दिया शुद्धरण ध्यानमें रखने योग्य है : “सिद्धर्थने . . . विचार किया । मेरे आचार्यने श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, तमाधि और प्रज्ञा अनि पौच मानसिक शक्तियोंका समस्त प्राप्त करनेका मुक्षसे कश, यह तो ठीक ही है ; कर्योंकी व्यवहारमें भी अनि शक्तियोंका साग्रह होना अत्यंत जल्दी है । तिर्फ हमारी श्रद्धा ही बढ़ती चले और अुसके साथ-साथ प्रज्ञाकी यदि वृद्धि न हो, तो हम किसी भी वस्तु पर विश्वास रखने लग जायेंगे । जिसने लो कुछ कहा, वहो हमें सच लगेगा । असके विरुद्ध, हमारी प्रज्ञा बढ़ती जाय और अुस पर श्रद्धाका बन्धन न हो, तो वह अच्छेखल बन जाती है । अससे हमें गरुर पैदा होता है और हम दंभेके शिकार हो जाते हैं । पर प्रज्ञाके साथ जब श्रद्धाका योग हो जाता है, तब अनि दो मानसिक शक्तियोंका सुखकारक परिणाम निकलता है । अिसी तरह वीर्य (अुस्ताह) बढ़ता जाय और अुसे समाधिका बन्धन न हो,

यहाँ अद्वाका अर्थ है दृढ़ता, आत्मविश्वास और अन्यासमें विश्वास; वीर्यके मानी हैं अुत्साह; सृष्टि अर्थात् जागृति, जिस कार्यका आरम्भ हमने किया है, अुसके अलावा दूसरी बातकी सृष्टि न अुठने देनेकी जागरूकता; समाधिका अर्थ विस्तारसे करेगे; और प्रश्नाका अर्थ है अनुभव (अथवा वेदना या संस्कार) का अवलोकन (अथवा निरीक्षण या प्रहण) और अुसी कोटिके दूसरे अनुभवोंके स्मरणसे अुनकी तुल्ना करके देखनेकी ज्ञानशक्ति ।

समाधि

अब समाधिका ठीक-ठीक विचार किये बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते । किन्तु अिसके लिए हमें पहले समाप्तिका

समाप्ति विचार कर लेना चाहिये, क्योंकि अिन दोनोंका निकट सम्बन्ध है । पहले पादके ४१से ४६ तकके

सूत्रोंमें सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार और निर्विचार समाप्तिका घर्णन है । और यह बताया है कि निर्वितर्क तथा निर्विचार समाप्ति मिलकर सदीज समाधि होती है । मुख्य सूत्रोंका अर्थ नीचेके अनुसार होता है :

४१. जैसे शुद्ध काँचके नीचे कोअी रंग रख दिया जाय तो ऐसा भास होता है, मानो खुद काँच ही रंगीन है, काँचकी शुद्ध पारदर्शकताके कारण एक तरहसे काँचका स्वतन्त्र दर्शन ही चला जाता है, और दूसरी ओर नीचे रखे रंगका भी स्वतन्त्र दर्शन चला जाता

तो वह भुच्छ्रंखल बन जाता है । अतिशय अुत्साहसे वह क्या करता है, अुसका भान अुसे नहीं रहता । अिसी तरह, अकेली समाधि भी नुकसान करती है । समाधिकी शक्ति वढ़ जाय, तो आदमी आलसी बनता है, और वह कुछ भी लोकीपयोगी काम नहीं कर सकता । पर वीर्य और समाधि अिन दो शक्तियोंकी समता प्राप्त की जाय, तो परिणाम बहुत बढ़िया निकलेगा । सृष्टिका अुपयोग संवंत्र ही करना चाहिये । राजाका मुख्य प्रधान जैसे दूसरे प्रधानोंके काम पर ध्यान व देखरेख रखता है, वैसे ही सृष्टिकी श्रद्धा और प्रश्ना तथा वीर्य और समाधिके कार्य पर देखरेख रखना है ” । (पृ. १२६-२७, गुजराती तीसरी आवृत्ति परसे)

है, दोनों भिन्न-भिन्न वस्तुयें होने पर भी अेक ही रूपसे ग्रहण होती हैं,— अिसी तरह चित्त अेक संस्कारन्माहक शुद्ध साधन है। जब अिसकी निश्चयकारिणी क्षीण होती है, तब चित्त (प्रत्यय-ग्राहक), प्रत्ययग्रहणकी क्रिया (ज्ञानेन्द्रियों या संचारके द्वारा), और प्रत्यय तीनों अेकरूप ही मालूम पड़ते हैं। अिस तरह तीनोंके तादात्म्यको समापत्ति (साथमें पंडना) कहते हैं।^१

४२. ऐसी समापत्ति जब विषयके नाम तथा विषय (पदार्थ)के ज्ञान तथा विकल्पसे युक्त होती है, तब अुसे निर्वितर्क समापत्ति कहते हैं।^२

४३. जब विषयका नाम तथा पदार्थज्ञान और विकल्पका भान न हो, परन्तु स्मृतिके अत्यन्त शुद्ध होनेसे मानो स्वरूप भी शून्य हो गया हो, अिस तरह चित्त केवल पदार्थमय ही बन गया हो, तब अुसे निर्वितर्क समापत्ति कहते हैं।^३

निर्वितर्क समापत्ति और समाधिके लक्षण तुलना करने योग्य हैं।^४ निर्वितर्क समापत्ति अेक समाधि ही है, अुसमें प्रत्ययके साथ केवल चित्तकी तदाकारता ही है। पदार्थके नाम या विकल्पका भान नहीं है। चित्त केवल पदार्थको व्याप्त करके स्थिर हो रहा है। अिसमें यह भान नहीं कि मैं दृष्टा हूँ। दर्शनकी क्रियाका भी भान नहीं है। इस्य क्या है अिस विषयमें कुछ निर्णय करनेका भी यत्न नहीं है। अिस तरह यह क्षीणवृत्ति है। केवल पदार्थमय चित्त बन रहा है। अिस स्थितिसे जबतक व्युत्थान न हो, तबतक ऐसा लगा सकता है कि मैं स्वतः ही इस्यरूप हूँ।^५ यह

१. क्षीणवृत्तेरभिजातस्येव मणेऽग्रहितृग्रहणग्राह्येषु तत्स्थतदञ्जनता समापत्तिः ॥ १-४१ ॥

२. तत्र शब्दार्थज्ञानविकल्पैः संकीर्णा सवितर्का समापत्तिः ॥ १-४२ ॥

अिसके संवधमें पहले ३ रे प्रकरणमें विशेष स्पष्टीकरण हो चुका है।

३. स्मृतिपरिशुद्धौ स्वरूपशून्येवाऽर्थमात्रनिर्भासा निर्वितर्का ॥ १-४३ ॥

४. तद् (ध्यानम्) अवाऽर्थमात्रनिर्भासं स्वरूपशून्यमिव समाधिः ॥ ३-३ ॥

५. जैसे कि मैं ही राम हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ, अित्यादि।

निरोधके कारण तथा समाधि

स्थिति यदि अस्यासपूर्वक व स्मृतिपूर्वक होती है, तो उसे समाधि कहते हैं। यदि रागदेशादिके जोरसे विवशतापूर्वक हो, तो चित्तप्रम कहलाती है। चित्तमेंसे प्रत्ययके हटे बिना, अर्थात् प्रत्ययके साथकी तदकारता द्वाटे बिना, अुसकी निर्वितर्कता रहे, तो उसे सवितर्क समाप्ति कहते हैं। भान सहित तदकारता मालूम होगा कि चित्त जब किसी प्रत्यय पर लगाता विचार करनेसे मालूम होगा कि चित्त जब किसी प्रत्यय पर लगाता थे, तब वह निर्वितर्क भावसे ही लगता है। परन्तु साधारणतः चित्तप्रम या बुद्धिपूर्वक अस्याएके बिना यह निर्वितर्क स्थिति अधिक समय तक नहीं ठिक सकती। समनस्क पुरुषोंके लिये लस्तुप-च्छन्यता जैसी स्थिति है कि सवितर्क स्थितिमें निर्वितर्क स्थितिमें जाया जाता है। परन्तु वस्तुतः निर्वितर्कतामें सवितर्कतामें जाया जाता है कि निर्वितर्कताको रोकने पर भी प्रत्ययके साथ तदकारता — प्रत्ययकी अविस्मृति रखना — वितर्क सम्प्रश्नान है। अुसके बाद वितर्कका निरोध करके निर्विचार समाप्ति-रूप समाधिमें ही स्थिर रहना पहल सम्प्रश्नात योग है, जिसका वर्णन पहले हो चुका है (पृ. ३६०)। यिसके बाद सविचार सम्प्रश्नात — विचार सम्प्रश्नान — में प्रवेश, फिर विचार-सम्प्रश्नानका निरोध और आनन्द-समाधि; फिर आनन्द सम्प्रश्नान — सानंदता — में प्रवेश और फिर आनन्दका निरोध और अस्मितामें समाधि, तथा अन्तमें अस्मिता सम्प्रश्नान — सास्मिता; सास्मिताका निरोध। अस्मिताके निरोधसे जब सब घृतियोंका निरोध हो जाता है, तब वह निर्वौज समाधि कहलाती है। असम्प्रश्नात योगके लिये निर्वौज समाधि, व्युत्थान या निरोध कुछ भी कहना कठिन है। क्योंकि यिस स्थितिके योग्य चित्को बनानेके लिये ऐसा कोअी भी प्रयत्न नहीं करना पड़ता; प्रयत्न ही अप्रयत्न-रूप हो जाता है। जो कुछ भी प्रयत्न किये हों, वे सब प्रश्नाको स्वस्म करने तक ही अुपयोगी हैं। असम्प्रश्नात योगके लिये यिसका कोअी सीधा अुपयोग नहीं है। क्योंकि, असम्प्रश्नात योगकी स्थिति प्रतिक्षण स्वयम्भू द्वाटी जाती है। आवश्यक यही है कि प्रश्ना अितनी स्वक्षम हो जाय कि यिस स्थिति तक अुसकी निगाह पहुँच सके।

यदि यह विवेचन ठीक हो तो तीसरे पादमें प्रयुक्त कुछ शब्दोंका अर्थ सामान्य प्रचलित अर्थसे भिन्न प्रकारसे घटाना होगा। जैसे—

‘व्युत्थान’ शब्दः तीसरे पादमें* यह बताया गया है कि निरोध कव होता है। आम धारणा यह है और भाष्यका अर्थ भी ऐसा समझा जाता है कि यदि समाधिमें भंग पड़े व्युत्थान या ऊसमेंसे जार्गे, तो व्युत्थान होता है। ऐक तरहसे यह सही है; परन्तु मेरी समझसे पतञ्जलिने अिसका अर्थ अधिक मर्यादित किया है, अथवा समाधि-भंगके दो भेद करके प्रत्येकके लिअे अलगदा शब्दकी योजना की है। अिसका कारण यह है :

समाधि-भंग दो तरहसे हो सकता है : ऐक तो ध्येय-प्रत्ययके साथका सम्बन्ध टूटे विना सिर्फ स्वरूप-शून्य जैसी स्थितिमें भंग हो तब; दूसरे शब्दोंमें, सम्प्रज्ञानका तो प्रादुर्भाव हो, किन्तु ऐकाग्रता या समापत्तिका नाश न हो। यह परिणाम ‘व्युत्थान’के द्वारा दर्शित किया गया है। परन्तु अिससे आगे जाकर चित्त ध्येय-प्रत्ययसे चलित होकर किसी दूसरे प्रत्यय पर ही लग जाय, तो अिस परिणामके लिअे ‘सर्वार्थता’ शब्दका प्रयोग होता है।*

सर्वार्थता और व्युत्थानके अिस भेदको ठीक तौरसे समझ लेनेकी क्षम्भत है; नहीं तो ‘समाधि-परिणाम’ और ‘निरोध-परिणाम’ विषयक सब्र केवल भेदहीन शब्दान्तर जैसे हो जायेगे।

* व्युत्थाननिरोधसंस्कारयोरभिभवप्रादुर्भावौ निरोधक्षणचित्तान्वयो
निरोधपरिणामः ॥ ३-९ ॥ (व्युत्थान संस्कारका जब अभिभव और निरोध संस्कारका प्रादुर्भाव होता हो, तब निरोध-क्षणके साथका चित्तका जो सम्बन्ध है, वह निरोध-परिणाम है।)

* सर्वार्थतैकाग्रतयोः क्षयोदयौ चित्तस्य समाधिपरिणामः ॥ ३-११ ॥

निरोधके कारण तथा समाधि

चित्त जब ध्येयका चिन्तन छोड़कर अन्य विषयोंका चिन्तन करने समर्थिता और अन्य विषय आते जायें, वैसे-वैसे अुहैं प्रयत्नसे रोककर फिर ध्येय पर लगाना चाहिये। यिस क्रियामें प्रतिक्षण सर्वार्थताका क्षय करने और अेकाग्रताको सिद्ध करनेका प्रयत्न है। इस प्रयत्नका परिणाम समाधि है।

हृदय जैसे सिकुदता है व पूलता है, अथवा खास किसमें दीपक जैसे श्वपकते हैं — अपने प्रकाशमें प्रतिक्षण च्यूनाविकता दिखाते हैं, अथवा अिजन जैसे चलते बकत अेकके बाद अेक भक्तमक आवाज निकालता है, उसी तरह असी कल्पना कीजिये कि चैतन्य अेकके बाद अेक ज्ञानग्राही क्रियण किस विषयपर व्याप्त होगी। यदि हर समय वह भिन्न-भिन्न विषयपर व्याप्त हो, तो वहाँ सर्वार्थता है। यदि हर बार अेक ही अर्थ पर चिपकी रहे तो अेकाग्रता है। यदि यह सर्वार्थता परिपूर्ण हो जाय अर्थात् प्रकाशदाता है; यदि अेकाग्रता असी तरहकी हो तो वह समाधि है।

परन्तु यदि सर्वार्थता या अेकाग्रता प्रत्यय पर परिपूर्ण व्याप्त न हो, बल्कि असे भानसे युक्त हो कि प्रत्यय और मैं अलग हूँ, (जिसके कारण प्रत्ययके प्रति निश्चयात्मक — वृत्तियुक्त — हो) तभी मैं असे व्युत्थान कहूँगा। अिस अर्थमें व्युत्थान (यानी विशेषरूपसे अुत्थान) अेक अच्छी तरह जाग्रत अवस्था है। अिसमें साधक अपने चित्तमेंसे जो स्फुरण अुठता

+ चैतन्यसे ज्ञान-क्रियण चलती या अुठी है यह कल्पना सांख्य अथवा योग मतके अनुकूल नहीं है, अितना ध्यानमें रखना चाहिये। यिन मतोंके अनुसार चैतन्य तिर्व्यापार है। अतः अुपरेसे ज्ञान-क्रियण कैसे निकलेंगे? जो कुछ बापार है, वह तो सब चित्करण हो है। द्वैर, चाहे जिसकी क्रियण कहिये, मतलब यह है कि जब वह निश्चयात्मक स्वरूप लेती है, तब 'वृत्ति' कहलाती है। मैं क्यों चैतन्यकी ज्ञान-क्रियण कहता हूँ, यह सांख्यमत-सम्बन्धी समालोचनात्मक प्रकरण (१४ वं)में बता चुका हूँ। चैतन्यमेंसे अुपजनेवाली जो ज्ञान या शक्तिरूप क्रियण है, वही सचित्र प्रणियोंमें चित्त है।

है, अुसे सावधानतासे देखता है; वह स्फुरण जिस प्रत्यय पर चिपकता है, अुसका चिन्तन अपने स्वरूपका भान न भूलते हुआ करता है। जो अितना कर सकता है, वह निरोधका अभ्यास कर सकता है।

यहाँ यह याद रखना चाहिये कि भाष्यकार अिसीको व्युत्थान नहीं कहते हैं। वे तो 'सर्वार्थिता' और 'व्युत्थान' को एक ही अर्थमें लेते दिखाती देते हैं। अनका मत है कि जहाँ वृत्तिसारूप्य है, वहाँ सब जाह व्युत्थान है।^{*} अिसका अर्थ यह हुआ कि भाष्यकार जिसे व्युत्थान कहते हैं, वह अनभ्यासी पुरुषको स्थिति है और अिसलिये अस्पृहीय है।

धीरे धीरे साधकके खयालमें यह बात आने लगती है कि आम तौर पर जो हमें यह प्रतीत होता है कि चित्तका व्यापार अखण्ड प्रवाहकी तरह चल रहा है, सो वस्तुतः ऐसा नहीं है; बल्कि ऊपर बताये हृषान्तोंकी तरह एकके बाद एक ज्ञान-किरणोंके भिन्न-भिन्न झपके हैं। किरण निकल कर अुसी-अुसी विषय पर व्याप होकर — समान प्रत्यय अुपजा कर — चाहे एकाग्र रहती हो या जुदा प्रत्ययोंपर व्याप होकर सर्वार्थी होती हो, वह देखता है कि अुसका व्यापार प्रवृत्त-निरुद्ध (intermittent) होता है। अुठे हुआ दो स्फुरणोंके बीचमें चित्तकी ऐसी दशा होती है कि जिस समय अुसे न प्रवृत्त ही कह सकते हैं, न निरुद्ध ही। अिसे निरोध-परिणाम कहते हैं। यही असम्प्रज्ञात योग है। ऐसे समय यदि यह कहें कि अुसे अपनी पृथक्ताकी स्मृति है, तो यह भी ठोक नहीं है; क्योंकि यदि ऐसी स्मृति हो तो अुसमें अस्मिताका सम्प्रज्ञान होगा, और जहाँ सम्प्रज्ञान है, वहाँ वृत्ति शुठी हुभी है ही। दो वृत्तियोंके बीचके खण्डको अुत्पन्न करनेका प्रयत्न करना एक तरहसे अप्रयत्न जैसा हो जाता है। अिस कारण अिसमें अभ्यासीको सामान्य प्रयत्न शियिल करने पड़ते हैं। वह न समाधिका आग्रह रखता है, न सर्वार्थिता अुपजानेका। एक ही बात अिसमें अपेक्षित है — सम्यक् स्मृति अर्थात् जागृति या सावधानता।

* देखो सत्र —वृत्तिसारूप्यमितरत्र ॥ १-४ ॥ (अन्यत्र वृत्तिसारूप्य होता है।) अिसका भाष्यः व्युत्थाने याश्चित्तवृत्तयस्तद्विशिष्टवृत्तिः पुरुषः। (व्युत्थानमें जो चित्तको वृत्तियाँ हैं, अनसे अभिन्नतः पुरुष रहता है।) वाचस्पति भी अितरत्रका अर्थ 'व्युत्थाने' ही करते हैं।

निरोधके कारण तथा समाधि

अितना विवेचन करनेके बाद अब साधककी दृष्टिसे अम्यासकी भिन्न-भिन्न भूमिकाओंका विचार करना ठीक होगा :

१. साधारण चित्त सर्वार्थता रखनेवाला होता है । यह निदित्तत नहीं कि चित्तकी वृत्ति अनुपन्न होकर किस प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रत्यय पर व्याप्त होगी । फिर साधारण चित्तकी वृत्तिके साथ अेकरूप हो जानेकी आदत होती है । क्षणिक ही क्यों न हो, जिस प्रत्ययको वृत्ति पकड़ती है, अुसके साथ सोलहों आने अेकरूप हो जाती है । अुस समय यह भान नहीं रहता कि वृत्तिका स्वामी जो वह खुद है, प्रत्ययसे अलग है । यदि देहको प्रत्यय बनाता है तो देहरूप, कुमुखको बनाता है तो कुमुखरूप, विषयको बनाता है तो विषयरूप (विषयी) हो जाता है ।

प्रत्ययान्तर होते ही रहते हैं, अिससे वह अेकरूपमें नहीं रहता; और जब अेक प्रत्ययके साथकी अेकरूपताका नाश होता है, तब यह अपनी पृथक्ताको जल्द अनुभव करता है । परन्तु फिर तुरन्त ही दूसरे प्रत्ययके साथ अेकरूप हो जाता है ।

असे चित्तमें स्मृति — जागृति — सावधानताका अभाव है । अिस स्मृति या जागृतिको तीव्र करना साधकका अन्तिम घ्येय है । पृथक्ताकी यह स्मृति ही विवेकरूपाति है ।

२. अिसके लिये पहला अम्यास चित्तको सर्वार्थतासे अेकाप्रता पर लानेका है । चित्त भले ही प्रत्ययके साथ अेकरूप होता हो, परन्तु व्यभिचारी न हो तो बस है । अिस साधनामें अुसकी स्मृति — जागरूकता — को तालीम मिलती है ।

३. किसी अेक ही प्रत्ययके साथ अिस तरह अेकरूप होनेकी टेव पढ़ जानेके बाद चित्तकी यह अेकरूप होनेकी टेव छुड़ानेका अम्यास करना चाहिये । विचार करते ही मालूम पहता है कि मैं प्रत्ययसे अल्प हूँ । अुसके साथ जो मैं अेकरूप हो जाता हूँ, यह भूल है । अिससे वह धीरे-धीरे प्रत्ययको विलक्षण न छोड़ देकर अुसके साथ अेकरूप न होनेका अम्यास करे ।

अिसके लिये अुसे सम्प्रशात योगकी भूमिकाओंका क्रमशः अभ्यास करना चाहिये ।* अिसका विवरण पहले आ ही गया है; अतः अुसे यहाँ दुहरानेकी ज़रूरत नहीं है । विचार करनेसे यह मालूम हो जायगा कि अिसमें भी स्मृति — जागरूकता — बढ़ाये विना काम नहीं चल सकता ।

४. यह भी अूपर बताया जा चुका है कि सम्प्रशात योगसे क्रमशः अथवा ऐकदम असम्प्रशात योग किस तरह सिद्ध होता है ।

अिसमें जो बात याद रखनी है वह तो यह कि योगमें स्मृति — जागरूकता — सबसे प्रथम महत्वकी वस्तु है, समाधि नहीं । समाधिका अुद्देश्य चित्तको एक केन्द्रमें लाकर अुसे परीक्षण या शोधनके लिये सुविधाजनक बना देना, प्रश्नाको सूझम करना और स्मृतिको तीव्र करना है । अतः निर्वितर्कता, निर्विचारता, आनन्दरूपता, या अस्मिताकी बनिस्त उत्तरता, सविचारता, सानन्दता, या सास्मिताका भिन्न रूपसे अनुभव होना अधिक महत्वपूर्ण है ।

* यह बात नहीं कि सम्प्रशात योगकी सभी भूमिकाओंमेंसे गुजरनेकी जरूरत ही या सब भूमिकाओंमें समान समय लगे । यह शब्द है कि जिसकी जागरूकता शुल्से ही तीव्र ही, वह निर्वितर्क और सवितर्क समाप्तिका भेद ध्यानमें आते ही ऐकदम सवितर्क समाप्ति-रूप प्रत्ययोंके व्युत्पान और निरोधके अभिभव-प्रादुर्भावको ध्यानमें ला सकता है । अस्मिताके निरोधकी—शुभमनी—स्थितिका मुझे स्पष्ट अनुभव नहीं है ।

योगके मार्ग

प्रकार, योगकी भूमिकायें और समाधि अनि विषयोंका विचार, योगके यहाँतक चित्त, चित्तवृत्ति, वृत्तिनिरोध, निरोधके कारण, योगके

अब योगाभ्यासके मार्गोंका विचार करें।

बारहवें स्त्र^१में कहा है कि अभ्यास व वैराग्यसे निरोध सिद्ध हो सकता है, और फिर अभ्यास तथा वैराग्यकी व्याख्या^२ तथा अनुके वेग और मात्राओंका विवरण किया है^३। अनुके सम्बन्धमें मुझे विशेष नहीं कहना है।

ऐसके बाद विचारने जैसा स्त्र ‘अश्वरप्रणिधानाद्वा’ (१-२३) है। अिसका शब्दार्थ ‘अथवा, अश्वरप्रणिधानसे (योग्य सिद्ध होता है)’, ऐसा होता है। यहाँ ‘अथवा’ अव्यय किस स्त्रके

अश्वरप्रणिधान साथ लाया जाय, यह विचारणीय प्रश्न है। ट्रीकाकारोंने अिसका सम्बन्ध २० वें स्त्रसे जोड़ा है।

अर्थात् योगसाधन श्रद्धा, वीर्य, सृष्टि, समाधि और प्रशास्त्री साधनोंसे होती है अथवा अश्वर-प्रणिधानसे। परन्तु अिस योजनाका अर्थ यह हुआ कि अश्वर-प्रणिधानमें श्रद्धा आदि सम्पत्तिकी अपेक्षा नहीं रहती। सो यह कथन ठीक नहीं मालूम होता। योगाभ्यासकी किसी भी पद्धतिसे काम लिया जाय, तो भी श्रद्धादिक पाँच सम्पत्तियोंके बिना अश्वर-प्रणिधान कैसे सिद्ध असम्भव है। अिन पाँच सम्पत्तियोंके बिना अश्वर-प्रणिधान हो सकता है।

१. अभ्यासवैराग्याभ्यां तत्रिरोधः ॥ १-१२ ॥

२. तत्र स्थितो यत्नोऽभ्यासः ॥ १-१३ ॥ द्याऽनुश्रविक्षिप्यवितृण्यस्य वशोकारसंज्ञा वैराग्यम् ॥ १-१५ ॥ तत्परं पुरुष्यातेर्गुणवैतृण्यम् ॥ १-१६ ॥

३. तीव्रसंवेगानामासन्नः ॥ १-२१ ॥ मृदुमध्याधिमात्रत्वात्तोऽपि

विशेषः ॥ १-२२ ॥

अतः अथ ये मैं अिस सूत्रको पूर्वोक्त १२ वें सूत्रके साथ जोड़ता हूँ। २१वें व २२वें सूत्रमें जो वेग और मात्राओंका अुल्लेख किया गया है, वे अभ्यास व वैराग्यके वेग और मात्रायें हैं। यह स्पष्ट ही है। और मैं समझता हूँ कि अिस विषयमें टीकाकारोंकी भी राय मिलती है। मेरी राय है कि २३वें सूत्रका भी विकल्प १२वें के साथ ही है। अर्थात् योगके मार्ग दो हैं—अभ्यास और वैराग्य अथवा आश्वर-प्रणिधान।

मैंने अूपर कहा है कि अद्वादि सम्पत्तिके विना आश्वर-प्रणिधान नहीं हो सकता। पाठक पूछेंगे कि तब क्या अभ्यास और वैराग्यके विना हो सकता है? अिसका स्पष्टीकरण प्रणिधानका अर्थ करते समय हो जायगा।

२८वें सूत्र⁺में प्रणिधानका अर्थ बताया गया है—प्रणवका जप और अुसके अर्थकी भावना। परन्तु यह तो प्रणिधानका कर्म-काप्त हुआ। अुसे करनेकी पद्धति हुई। पर यह प्रणिधानका तत्त्व नहीं है। वह तो अुस शब्दकी व्युत्पत्तिमें ही मौजूद है। प्रणिधानका अर्थ है अच्छी तरह निधानः आश्वरमें अच्छी तरह—अर्थात् अत्यन्त प्रेम व विश्वासयुक्त प्रपत्ति, शरण, आश्रय। प्रणिधान शब्दमें केवल जप और अर्थ-भावनाकी वाह्य क्रियाका भाव नहीं है, बल्कि आन्तरिक भावनाका भाव अन्तर्भूत है।

२०वें सूत्रमें हमने देखा है कि योगमें समाधिका अभ्यास आ जाता है। परन्तु अिस अभ्यासके लिये साधक एक कौचके टुकड़े या घड़ीकी टिक्कियोंको भी प्रत्यय बना सकता है; अथवा पुरुष-न्यातिके अुपायस्त्रप तीसरे पादमें बताई दूसरी समाधियाँ भी साध सकता है। जो साधक ऐसे प्रत्ययोंका आलम्बन लेता है, अुसे अुन प्रत्ययोंके प्रति प्रेम या विश्वास अुमड़ नहीं सकता। वह तो अब अपने अभ्यास तक ही अंगीकार करता है और अुसके बाद अुनका विसर्जन कर देगा। ऐसे साधकके लिये चित्तको ऐकाग्र करनेका काम स्वभावतः ही अधिक कठिन होगा। अुसका चित्त अुसमें अुसी हालतमें चिपक सकता है, जब

+ तज्जपस्तदर्थभावनम् ॥ १-२८ ॥

अुसे अिस तरहके अभ्यासका हार्दिक शौक हो और अुसीमें अुसे आनन्द आता हो । अिसके लिअे अुसके मनमें दूसरे सुखोपमोग तथा कर्मोंके लिअे भरपूर वैराग्यका भाव होना चाहिये । अुसने अपने लिअे ध्यानका जो प्रत्यय स्वीकार किया है, वह अुसके हृदयमें प्रेम या विश्वासका भाव पैदा कर सकनेवाला न होनेसे अुसके चित्तमें अनेक विषय स्फुरित होते रहेंगे । अिससे अुसका चित्त तभी काबूमें आ सकेगा, जब अिन सबसे सफलतापूर्वक शागड़नेके लिअे वह अभ्यास और वैराग्य रूपी बहतर सदा करता ही रहे । अिसीलिअे ऐसे प्रयत्नके विषयमें कहा गया है कि — अभ्यास और वैराग्यसे अुसका निरोध होता है ।

परन्तु अीश्वर-प्रणिधानीके तो ध्यानका प्रत्यय ही ऐसा है कि अुसीमें अुसे अपना जीवन-सर्वस्व प्रतीत होता है । यह प्रत्यय अुसके लिअे प्रियतम है और अुसका अनन्य शरण है । अुसमें चित्त लगानेके लिअे या दूसरे प्रत्ययोंसे चित्तको इटानेके लिअे अुसे कोई प्रयत्न नहीं करना पढ़ता । अिसलिअे अुसे अभ्यासकी गरजसे अभ्यासको व वैराग्यकी गरजसे वैराग्यको ग्रहण नहीं करना पढ़ता ।* अीश्वर-प्रणिधानकी व्रदीलत ये दोनों अुसे सहज साध्य हैं । अतः अीश्वर-प्रणिधान अभ्यास-वैराग्यके बजाय योगका एक मार्ग है ।†

मालूम होता है कि अिस तरह पंजलिने योगके दो मार्ग माने हैं । अिसमें अन्होंने पहला स्थान अभ्यास-वैराग्य योगको दिया है । क्योंकि वह योगकी शास्त्रीय पद्धति है । प्रणिधान-योगका भी फल तो अन्तमें वही निकलता है । किन्तु दोनोंमें एक भेद है । अभ्यास-योगसे वह यह जानता रहता है कि मैं क्या साध रहा हूँ, क्या प्राप्त करता हूँ और कहाँ हूँ । वह जो कुछ करता है ज्ञान-पूर्वक करता है । प्रणिधान-योगीको साधन-कालमें

* स्वामीनारायण संप्रदायकी शिक्षा-पत्रीमें वैराग्यकी व्याख्या ही ऐसी की है — वैराग्यं ज्ञेयमप्रीतिः श्रीकृष्णेतरवस्तुपु — श्रीकृष्णके सिवा अन्य विषयोंमें अप्रीतिका ही नाम वैराग्य है ।

+ अीश्वर-विषयक विचार दूसरे खण्डमें सविस्तर आ चुका है । अतः तत्सवन्यी सत्रोंका विचार यहाँ नहीं कर रहा हूँ ।

बैसा स्पष्ट पता नहीं लगता। अन्ततक पहुँचनेके बाद पीछेसे भले ही वह प्रत्यावलोक (retrospect) से देख ले।

परन्तु दूसरी ओर प्रणिधान-योगीमें भावनाकी पुष्टि होती है और अुससे समाजको लाभ पहुँचता है। अुसका हृदय ऐमभीना व कोमल रहता है। पहलेवालेमें समाजके प्रति एक अंशतक निरादर और अुसके लिये समभावकी न्यूनताके संस्कार यत्नतः पोषित किये जानेके कारण अुसका कुछ न कुछ अंश बाकी रह ही जाता है। पीछे भले ही विचार करके वह अुसे हटानेका यत्न करे, परन्तु वह अुसे आचरणमें लानेमें हमेशा कृतकार्य नहीं होता।*

७

योगका फल और महत्व

अब योगके फल और महत्वका विचार करते हैं।

तीसरे सूत्र*में कहा है कि निरोधके फल-स्वरूप दृष्टाका अपने स्वरूपमें अवस्थान होता है। अब तक जो विवेचन हो चुका है, अुससे यह समझमें आ सकता है। न आवे तो अुसका अुपाय एक अभ्यास ही है। चौथे सूत्र + में कहा है कि जहाँ निरोध नहीं है, वहाँ वृत्तिसारूप्य होता है।

* ३४से ३९ तकके सूत्रोंका वीश्वरप्रणिधानाद्वा यिस सूत्रसे कोभी सम्बन्ध में नहीं मानता। केवल ३४वें सूत्रसे ही शुनका सम्बन्ध हो सकता है। 'प्रसन्नचेतसो द्याशु तुद्धिः पर्यवत्तिष्ठते।' (गीता, २-६५) यह अनुभव सिद्ध है कि प्रसन्नचित तुद्धि शीघ्र स्थिर हो सकती है। ३३से ३९ तकके सूत्रोंमें यह बताया है कि चित्तको प्रसन्नता कैसे प्राप्त की जा सकती है। यह स्पष्ट है कि ३२वाँ सूत्र ३१वें सूत्रका अुपाय-स्पष्ट है। ३३वें सूत्रसे नया विषय शुरू होता है—चित्तकी प्रसन्नता प्राप्त करनेका।

* तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम् ॥ + वृत्तिसारूप्यमितरम् ॥

योगका फल और महत्व

है। वहे छिद्रमेंसे जो सूर्य-विष्व आते हैं, वे छिद्राकार धूप ढालते यह नहीं है कि वहे छिद्रमेंसे सूर्यकृति बनाता है। अिसका कारण छिद्रके बड़ा होनेके कारण अनेक किरणोंकी लिचड़ी हो जानेसे धूप छिद्राकार हो जाती है।

अथवा, सूर्यकी किरणें जब सामान्य पदार्थों पर पड़ती हैं, तो उनके द्वारा वे सूर्यको नहीं दिखलाती, बल्कि उस पदार्थको ही दिखाती हैं; परन्तु वे ही जब साफ आभिन्ने पर पड़ती हैं तो आभिन्ने को नहीं, बल्कि सूर्यको दिखलाती है। अिसका कारण यह नहीं कि सूर्यकी किरणोंका धर्म बदल जाता है, बल्कि प्रकाश्य पदार्थकी शुद्धि-अशुद्धिके कारण ऐसा भेद अुत्पन्न हो जाता है।

यदि धूप या रोशनीके आकारकी ओर ध्यान न दें और ऐसे परिमाणवाला छेद लें कि जिससे इमारी खोजमें अनुकूलता हो, तो वे छिद्र हमें सूर्यकी ओर ही अँगुली दिखाते मालूम पड़ेंगे। यदि प्रकाश्य पदार्थको हम चिकना व साफ बना दें, तो वह भी सूर्यको बता देगा। प्रश्ना किरणरूप है, चित्त और अिन्द्रियाँ छिद्ररूप हैं, अथवा

दर्पणरूप हैं, और विषय सामान्य पदार्थरूप हैं। प्रश्नाके द्वारा यदि हम अुसके उगमस्थानको न देखें, बल्कि अुससे प्रकाशित प्रश्नयों अथवा अुसके प्रवेश-द्वाररूप चित्त या अिन्द्रियोंको देखें, तो वह प्रश्ना ही प्रश्नयोंके सम्बन्धमें भिन्न भिन्न संप्रश्नान अुत्पन्न करनेवाली वृत्तिरूप मालूम होती है। अर्थात् हुआ यह कि वृत्ति प्रश्नयरूप होती है, प्रश्ना वृत्तिरूप होती है, और वृक्ति चैतन्य प्रश्नावान है अिसलिए अुसके लूम पढ़ता है। परन्तु, प्रश्ना वाह चित्त या अिन्द्रियरूप भासित हो, या अुससे वहाँसे प्रतिविभित होनेवाली वृत्तियोंरूप भासित हो, या अुससे प्रकाशित होनेवाले प्रश्नयरूप भासित हो, ठीक तरहसे छानवीन करें तो वह अपने मूल —चैतन्यका ही दर्शन करती है। अब जीवनमें योगाम्यासका कितना महत्व है, अिसका विचार करके यह खण्ड पूरा करेंगे।

समाधि व योगके सम्बन्धमें आम लोगोंमें बहुत विचित्र कल्पनायें पाई जाती हैं। निर्विकल्प स्थिति, समाधि दशा, कुण्डलिनीकी जागृति, योगिक प्रत्यक्ष, सिद्धियोंकी प्राप्ति, आदि वडे वडे शब्दोंका बहुत प्रचार हो गया है। परन्तु अनेक अर्थ और यथोचित कीमतके बारेमें बहुत कम ज्ञान पाया जाता है। और वैज्ञानिक जिस प्रकार नये नये शब्दोंसे लोगोंको चकित करते हैं, असी तरह अिस मार्गके लोग भी ऐसे शब्दोंसे लोगोंको चकित कर देते हैं, और लोग भी अनुमें चकाचौघ रहते हैं। चूँकि यह विषय अगाध व दुर्बोध्य समझा जाता है, असे ठीक तरहसे समझ लेनेका प्रयास नहीं होता; और जो समझमें नहीं आता है असे बेकार समझ कर त्याज्य भी नहीं माना जाता, बल्कि असमें अंधश्रद्धा रखने और रखानेका यत्न किया जाता है। कितने ही साधक बेचारे अिनके भैंवरमें पड़कर व्यर्थ ही चढ़कर काटते रहते हैं। यही बात यदि सीधेसादे तौरसे कही जाय, तो वह अगम्य न मालूम होगी।

अिसमें पहले तो यह न माना जाय कि योग या समाधिका अनुभव मामूली लोगोंको होता ही नहीं। ये चित्तके स्वाभाविक धर्म हैं, और प्रत्येक व्यक्तिको अनिका कुछ न कुछ अनुभव होता ही है। परन्तु अिनकी तरफ अनेक ध्यान गया नहीं, यह एक भेद हुआ। और दूसरा यह कि अन्होंने अस पर नियंत्रण नहीं प्राप्त कर लिया है। अुदाहरणके लिये मुक्ष जैसा अनगढ़ यदि लकड़ी पर बस्ता मारेगा तो अससे भी लकड़ी छिलेगी और एक बड़भी मारेगा तो भी छिलेगी, परन्तु मैं निश्चित जगह पर बस्ता मारकर निश्चित गहराअीका छेद न कर सकूँगा। और बड़भी स्वाधीनतापूर्वक ऐसा कर सकेगा। सामान्य व अभ्यासी चित्तमें ऐसा ही भेद समझना चाहिये।

ऐकाग्रताका महत्व समझानेकी जरूरत नहीं है। ऐकान्त गुफामें आसन बमाकर व प्राणायाम साधकर किसने कितनी सिद्धियाँ सचमुच प्राप्त की हैं और अुभका समाजके लिये कितना सदुपयोग या दुरुपयोग हुआ, और अससे कितना प्रमाणभूत ज्ञान प्राप्त हुआ, यह जानना कठिन है। परन्तु पाश्चात्य वैज्ञानिकोंने जो दूरदर्शन, दूरअवण और दूसरी हजारों सिद्धियाँ प्राप्त की हैं अन्हें सारा संसार जानता है और एक अनगढ़

व्यक्ति भी अुनका अच्छा यां बुरा अपयोग कर सकता है। फिर वे जो कुछ शान फैलाते हैं, वह केवल अद्देय नहीं बल्कि आधारयुक्त होता है।

पश्चिमी विज्ञानकी ये खोजें विना ऐकाग्रताके नहीं हुवी हैं। सारा जीवन ऐक ऐक विषयके चिन्तनमें खर्च करके प्रकृतिका ऐक ऐक नियम शोधा गया है। यही समाधि है। अपनी कोठरीमें घुसकर हृदय-कमलमें सूर्यकी धारणा करनेसे मैं जो सूर्यमण्डलका 'साक्षात्कार' करूँगा वह सच होगा या नहीं, अिसका क्या विश्वास? अधिक संभव यही है कि वह मेरी कल्पना ही हो, और अिसलिए मैं दूसरोंको अुसका प्रत्यय न दिला सकूँगा। परन्तु वेदशालामें जाकर रोज खगोलका अध्ययन यदि करूँ, तो अुससे जो कुछ, धीमा ही सही, शान मिलेगा, वह ऐसा होगा कि जिसका प्रत्यय तो दूसरोंको दिलाया जा सकेगा।

अिसलिए समाधि-साधन यानी ऐक खाली कोठरी, पझासन जैसा कोओी आसन, प्राणका निरोध आदि कल्पनायें गलत हैं। जो ह्येय हो अुसे जानलेके लिए अनुकूल परिस्थिति बनाकर अुसका परीक्षण, चिन्तन, आदि ही वास्तविक समाधि-साधन है। मैं अिस नतीजे पर नहीं पहुँचा हूँ कि पतंजलिके सूत्र अिस मतके विरोधी हैं।

यह तो हर कोओी सहज ही समझ सकता है कि अपने चित्तके परीक्षणके लिये ऐकान्त निश्चाधिक चिन्तन आवश्यक है, परन्तु प्रत्येक प्रकारके ह्येयके लिए यही ऐक साधन नहीं है।

यह तो हुआ समाधि-विषयक गलत ख्यालोंके सम्बन्धमें।

अब योगके मूल्यके विषयमें।

दुर्निग्रह और चंचल मनको अपने अधीन करनेकी युक्ति जानना, अिसकी आवश्यकता और महत्वके सम्बन्धमें विचारशील व्यक्तिको शायद ही कोओी सन्देह हो। अपनी अस्मिताके मूल कारण तक, और प्रत्ययोंके विराम तक, प्रशाका पहुँच जाना — यह शान-सम्बन्धी पुरुषार्थका ऐक

सिरा है। अिससे एक प्रकारकी ऐसी निःसंशय स्थिति प्राप्त होती है, जिससे दूसरे तात्त्विक बादसे वह अुलझनमें नहीं पड़ सकता।

परन्तु अिसके साथ ही यह भी याद रखना चाहिये कि केवल अितनों हो जानेसे, या येनकेन प्रकारेण हो जानेसे, जीवनकी पूर्णता या कृतार्थता सिद्ध नहीं हो जाती। पूर्वोक्त निरूपणसे यह मालूम हुआ होगा कि चित्त चार घमोंका द्योतक है : प्रश्ना, अस्मिता, आनंदादिक अवस्था और प्रेमादिक भावना। अिनमें अस्मिता स्थिर है और अुसमें घट-बढ़ने नहीं है; आनंदादिक अवस्थायें बिना भावनाके कम सूख्य रखती हैं। परन्तु प्रश्नाकी शुद्धि जैसे चित्त-विकासका एक अंग है, वैसे ही प्रेमादिक भावनाकी शुद्धि व पुष्टि भी चित्त-विकासका अुतना ही महत्वपूर्ण अंग है। वौद्ध समाधिमार्गमें अवस्थादर्शक आनंदकी जगह भावनादर्शक प्रीति शब्द प्रयुक्त हुआ है, जो विशेष मौजूँ है।

योगाभ्यास सुख्यतः प्रश्नाको सूक्ष्म बनाता है। परन्तु भावनाकी शुद्धि व पुष्टिके बिना प्रश्नाकी सूक्ष्मता भी पर्याप्त शान्ति या समाधान नहीं दे सकती। अतअेव जबतक चित्त शुद्ध प्रेमसे पुष्ट होकर अुससे परिष्कृत और समाजोपयोगी न हो, तबतक स्थायी समाधान रखना शक्य नहीं है। यदि ऐसा व्यक्ति, जो प्रेमाद्व दृढ़य रखता हो, अभ्यासयोगका आश्रय ले, तो यह बाष्ठनीय है। परन्तु एक शुष्क हृदयीको अभ्यास-योगकी पूर्णतासे भी सम्पूर्णताका अनुभव न हो सकेगा।

साक्षात्कारके सम्बन्धमें अम

समझकर हो या वे-समझे, 'साक्षात्कार' शब्द हमारी भाषामें रुढ़ हो गया है। अकसर कहा जाता है—'अमुकको आत्माका या परमेश्वरका साक्षात्कार हो गया है', 'यह बात यैगिक साक्षात्कारसे मालूम होती है।'—आदि। और सदुपयोगकी अपेक्षा अिसका दुरुपयोग ही अधिक होता है। अिसके अलावा जो यह ख्याल कर लेते हैं कि खुदको या किसीको साक्षात्कार हो गया है, उनके अभिप्रायोंसे आत्मा-परमात्मा सम्बन्धी विविध मत भी स्थिर किये जाते हैं।

अतः 'यह विचार कर लेना जरूरी है कि आखिर यह 'साक्षात्कार'

है क्या?

ज्ञानेन्द्रियोंके द्वारा हम जो कुछ अनुमत करते हैं, अुसके संस्कार द्वश्म फोटोग्राफकी तरह हमारी मजातनु-व्यवस्था—मस्तिष्क—में किसी न किसी तरह संचित या अकत्र हो रहते हैं। अिनमेंसे कभी कोई संस्कार मालूम होता है। जब ज्ञानेन्द्रियोंके व्यापार बन्द होते हैं (जैसे कि नीदमें), तब ये संस्कार जाग्रत होकर प्रत्यक्षकी तरह सामने आ खड़े होते हैं। अिन्हें हम स्वप्न कहते हैं। यह क्रिया बहुतांशमें अितनी तेजीसे होती है कि अिसमें कोई वार विचित्र संकर, कभी अद्भुतता और कभी अतर्क्य योगायोग दिखाआ देते हैं। यह सब संस्कारोंका साक्षात्कार परन्तु एक तो ये प्रयत्नपूर्वक अुत्पन्न किये गये नहीं होते, और दूसरे सामान्य लोगोंका अिन पर ताका नहीं होता।

किन्तु अम्यात्मसे, ज्ञानेन्द्रियोंका जागरूकताके साथ प्रत्याहार करके, अिच्छित संस्कारको साक्षात् किया जा सकता है। जिन संस्कारोंका

साक्षात्कार किया जाता है, वे हमारे चित्तमें पहले हुए अनुभवके अथवा कृत कल्पनाके रूपमें संग्रहीत ही रहते हैं यह याद रखना चाहिये। जैसे मैंने पुस्तके पढ़कर सूर्यमण्डलके सम्बन्धमें मनमें कुछ मूर्तियाँ बना रखी हैं। अन मूर्तियोंकी रचना भिन्न भिन्न समयमें भले ही हुई हो, और अिसलिये सम्भव है कि मैं खुद आज अिनका अच्छी तरह वर्णन भी न कर सकूँ, अनसे सम्बन्धित आनुषंगिक विचारोंका भी मुझे पूरा पता न हो। अिसके अलावा मैंने नियपति जिस तरह सूर्य-दर्शन किया हो, अुसके भी संकल्प मेरे मस्तिष्कमें अंकित रहते हैं। अब यदि मैं सूर्य-मण्डल पर धारणा, ध्यान, समाधि सिद्ध करूँ, तो ये सब संस्कार मेरे सामने मूर्तिमान् हो सकते हैं। अब चूँकि मुझे अन सबकी स्मृति नहीं है, मैं अिनको साक्षात्कार ही मान लूँगा। कोअी कहेंगे कि यह तो मेरे पूर्व-संग्रहीत संस्कारोंका ही साक्षात्कार है, तो सम्भव है कि मैं यह स्वीकार न करूँ और अिसी बात पर जोर दूँ कि यह यौगिक साक्षात्कार ही है।

राम-कृष्णादिक 'मूर्तिमन्त अीश्वर' के साक्षात्कार अिसी कोटिके होते हैं। कितने ही यौगिक प्रत्यक्ष अिसी प्रकारके होते हैं।* ये साक्षात्कार स्थूल जगत्में भी दिखाअी देनेकी हृद तक पहुँच सकते हैं। अिससे आगे चलकर यह भी हो सकता है कि दूसरोंको भी अिनके कुछ परिणाम स्थूल दृष्टिसे दिखाअी दें। किन्तु अिसका कारण दूसरा है। अिसमें स्थाताकी संकल्पसिद्धि भी हो सकती है। अिस तरह साक्षात्कार व सिद्धियोंका कुछ योग मिल जाता है। जब ऐसा कोअी चमक्कार दिख जाता है, तो फिर अुसके पीछे लगनेसे अुसकी आवृत्तियाँ होने लगती हैं। कभी कभी अिनका वर्णन अत्युक्ति करके भी किया जाता है।

* अिससे भिन्न प्रकारके यौगिक प्रत्यक्ष भी होते हैं। चित्तका व्यापार शान्त व व्यवस्थित होनेसे ज्ञानेन्द्रियों व चित्तकी शक्तियाँ बढ़ जाती हैं। और वे वातावरणमें स्थित तेज, ध्वनि, विचार आदिके अन सूक्ष्म आन्दोलनोंको भी ग्रहण कर सकते हैं, जो साधारण ज्ञानेन्द्रियों लभा चित्त द्वारा ग्रहण नहीं किये जा सकते। वे सूक्ष्म आन्दोलनोंको अुसी तरह ग्रहण करते हैं, जिस तरह रेडियो वातावरणमें अुपजाअी ध्वनिको ग्रहण कर लेता है।

साक्षात्कारके सम्बन्धमें अम

अब प्रभु साक्षात्कारके सम्बन्धमें ।

अपने चित्तके विषयमें साधकको जो ज्ञान होता है, उसके बादके एक संप्रश्नानकी आमतौर पर वह ब्रह्ममें कल्पना करता जाता है; अथवा कभी मार्गदर्शक गुरु अपने ब्रह्मके रूपमें एक ही कदम बताता है । लेते — यदि यह धारणा वैठी हुआ हो कि प्रभु आनन्द-स्वरूप है, तो साधक जब आनन्द-समाधि लगाता है और आनन्दावस्थाको जाग्रत करता है, तब वह समझ लेता है कि यही ब्रह्मानन्द है और मान लेता है कि मुझे आरम्भ-साक्षात्कार हो गया है । यदि वह यिस भूलसे निकल जाय, तो पर आकर वह जाता है । परन्तु बहुत बार जीवनर्पणत वह अपनी मंजिल है । उसका आत्मा साक्षित्व और आनन्दके अभिमानसे युक्त होता है ।

यिससे आगे जाकर कोभी अस्मिताकी समाधिमें रहते हैं । अब नके मतमें प्रभु सुख-दुःखहीन निर्गुण साक्षित्वके अभिमानसे युक्त होता है । अस्मिताका निरोध करनेवाला आत्माको शान्तस्वरूप, निर्गुण, निरभिमानी कहता है ।

यिस तरह आनन्दब्रह्म, प्रेमब्रह्म, प्रकाशब्रह्म, शान्तब्रह्म, निर्गुणब्रह्म, साक्षीब्रह्म, आदि मत बने हैं, और प्रत्येकके साक्षात्कारकी बातें कही-सुनी जाती हैं ।

सच पूछिये तो जो कुछ साक्षात्कार होता है, वह चित्तके ही किसी प्रत्यय, अवस्था या भावनाका होता है — सांख्य परिभाषामें कहें तो प्रकृतिके ही किसी कार्यका साक्षात्कार होता है — अतना समझ लें तो वह है । क्योंकि आत्मा तो कभी साक्षात्कारका विषय हो ही नहीं सकता ।

अुपसंहार

योगके सम्बन्धमें जितनी बातोंका विचार करना जरूरी है, अन्हें पद्धति-पूर्वक नीचे सूत्र-रूपमें दिया गया है। अिसके जितने आधार योग-सूत्रोंसे या सांख्यकारिकासे लिये गये हें, वे बतौर सूचकके कौंसमें दे दिये गये हें।

१. विषयप्रवेश

१. योगके माने चित्तवृत्तिका निरोध । (१-२)

२. चित्तके माने, जहाँतक योग-शास्त्रसे अुसका सम्बन्ध है, निश्चय करनेवाली शक्ति । दुद्धि, महान्, महत्, सत्त्व, दर्शनशक्ति आदि अिसीके दूसरे नाम हें ।

३. वृत्तिके माने निश्चय करनेके लिये चित्तमें जो व्यापार होता है ।

४. निरोधके माने अिस व्यापारको रोकनेवाली क्रिया ।

५. प्रत्ययके माने वृत्तिके साथ जुङा हुआ बाण्य या आम्यन्तर विषयका संस्कार ।

२. वृत्तिके भेद तथा अुपभेद

६. वृत्तियाँ पाँच प्रकारकी हें । वे हरअेक शुद्ध (क्लेशरहित) या अशुद्ध (क्लेशकारक) हो सकती हें । (१-५)

७. पाँच वृत्तियोंके नाम — प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और सृति । (१-६)

८. प्रमाण वृत्ति तीन प्रकारकी हैः प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम (आप्त अथवा शास्त्रवाक्य) । (१-७)

९. विपर्ययका अर्थ है मिथ्याज्ञान अथवा भ्रम; जिस पदार्थका अनुभव नहीं होता अथवा नहीं हुआ, अुसका अनुभव होता है अथवा हुआ है ऐसा निश्चय । (१-८)

१०. विकल्पके माने विशेष कल्पना; अर्थात् शब्दज्ञानके पीछे बुठनेवाला ऐसा निश्चय कि जिसके लिये शब्दसे प्रदर्शित पदार्थमें संकेत

अुपसंहार

अथवा आरोपित कल्पनाके चिवा दूसरा कोओी आधार नहीं; जिस रूपमें
वसुश्यन्य निश्चय। (१-९)

११. जाग्रति या स्वप्नमें जो जिस तरहका निश्चय होता है कि
'दुष्ट चलती नहीं', 'निश्चय नहीं किया जा सकता', उसे मूढ़त्वका
आधरण कह सकते हैं।

१२. आवरण-वृत्तिकी तीव्रता ही निद्रा है।

निद्रामें अभावके (कुछ है नहीं ऐसे) प्रत्ययका आलम्बन करके
ज्ञाति रहती है। (१-१०)

१३. स्मृतिका अर्थ है अनुभूत विषयसे अधिक न बहनेवाली,
अनुभूत विषय पर ही चिपको रहनेवाली और अुसको सँभाल रहनेवाली
ज्ञाति। (१-११)

३. निरोधके अुपाय

१४. योगसिद्धिके दो अुपाय हैं: (१) अभ्यास और वैराग्य (१-१२)
अथवा (२) ओश्वर-प्रणिघान। (१-२३)

१५. तीव्रसंवेग — अत्यन्त आत्मरता — हो, तो वह जल्दी सिद्ध
होता है। (१-२१)

१६. जिसके अलावा प्रयत्नकी मात्राके अनुसार मृड़, मध्य या
अतिशयताके परिमाणमें सिद्ध न्यूनाधिक होती है। (१-२२)

४. अभ्यास

१७. अभ्यास कहते हैं चित्त स्थिर करनेके यनको। (१-१३)

१८. बहुत समय तक, निरंतर, सक्तारवृद्धक सेवन करनेते अभ्यास
पक्षा होता है। (१-१४)

५. वैराग्य

१९. वैराग्यका अर्थ है — ऐसे पुरुषके मनमें, जिसे यह भान हो
कि विषय मेरे बशमें है, देखे या सुने गये विषयोंमें तृष्णाका अभाव। (१-१५)

२०. अुसके बाद जिस पुरुषने आत्मा-अनात्मा सम्बन्धी विवेक
प्राप्त कर लिया है, उसकी गुण-विषयक तृष्णा भी चली जाती है। (१-१६)

६. अश्वर-प्रणिधान

२१. अश्वर माने परमात्मा, परम चैतन्य, सर्वत्र व्यापक ब्रह्म ।
२२. प्रणिधान अथवा अुत्तम प्रकारसे निधानका अर्थ है अश्वरका आश्रय और अुसका अनन्य भक्तिपूर्वक आलम्बन ।
२३. उँ अथवा प्रणव अश्वर-वाचक संज्ञा है । (१-२७)
२४. उँका जप और अश्वरके अर्थकी भावना योगाभ्यासके लिये प्रणिधानकी विधि है । (१-२८)

७. चित्तनिरोधके कारण

२५. चित्तका निरोध दो तरहसे होता है — (१) वेबसीसे और (२) अपने प्रयत्नसे स्वाधीनतापूर्वक ।

२६. मूर्छित पुरुषको अपने अस्तित्वके प्रत्ययके साथ जुड़ी हुअी वृत्तिके व्यापारका जो निरोध होता है, वह वेबसीसे होनेवाला योग (निरोध) है । (१-१९)

२७. शद्वा आदि सम्पत्तिपूर्वक जो साधकका प्रयत्न है, वह स्वाधीन योग है ।

८. स्वाधीन योगकी सम्पत्तियाँ

२८. शद्वा, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा—ये स्वाधीन योगकी सम्पत्तियाँ हैं । (१-२०)

२९. शद्वाका अर्थ है वह विश्वास जो मनुष्यकी अपनी स्वीकृत प्रवृत्तिमें दृढ़ताके साथ लगे रहनेके लिये आवश्यक होता है ।

३०. वीर्यके माने वह अुत्साह जो अिसी हेतुकी सिद्धिके लिये अुसमें अवश्य होना चाहिये ।

३१. स्मृतिके माने अिसी हेतुकी सिद्धिके लिये जो जागृति, सावधानता और चिन्तन अुसमें अवश्य होने चाहियें ।

(समाधिका अर्थ आगे समझमें आ जायगा ।)

३२. प्रज्ञाके माने जो जो अनुभव होते हैं, अनका सूक्ष्म अवलोकन करनेकी शक्ति । धारणा, ध्यान व समाधिके अकत्र अभ्याससे वह विकसती है ।

९. योगकी भूमिकायें

३३. योगकी दो भूमिकायें हैं: (१) संप्रज्ञात, और (२) असंप्रज्ञात।
३४. संप्रज्ञात अुस योगको कहते हैं, जिसमें अतिशय स्पष्ट जानपन (ज्ञातृत्व) है। (संप्रज्ञानका अर्थ है स्पष्ट भान)

३५. संप्रज्ञात-योगमें क्रमशः वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिताके संप्रज्ञानोंका निरोध होता है। (१-१७)

३६. असंप्रज्ञात-योगमें वृत्ति एक प्रत्ययको छोड़कर दूसरेको पकड़े, अुस वीचके विरामका अभ्यास होता है। अुसके फलस्वरूप जो संस्कार रह जाता है, वही यह योग है। (१-१८)

१०. संप्रज्ञात योगके भेदोंकी समझ

३७. वितर्कका अर्थ है कोअी शब्द, अुससे दर्शित पदार्थ तथा अुस पदार्थके साथ युक्त 'विकल्प' (देखिये सूत्र १०वाँ) — अुसका संप्रज्ञान।

३८. विचारका अर्थ है वितर्कके बाद अुठनेवाले आनुषंगिक विचारका संप्रज्ञान।

३९. आनंदका अर्थ है वितर्क तथा विचारके साथ अुठनेवाले हर्ष (या शोक) अथवा प्रीति (या द्वेष) के भावका संप्रज्ञान।

४०. चैतन्य और चित्तकी अकाग्रता प्रतीत होना अस्मिता है (२-६)। अस्मिता संप्रज्ञान पूर्वोक्त तीनों संप्रज्ञानोंके पीछे चित्रके आधार-स्वरूप परदेकी तरह मालूम पड़ता है।

११. योगकी पूर्व तैयारियाँ

४१. यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि ये आठ योगके अंग अथवा पूर्व तैयारियाँ हैं। (२-२९)

४२. यमके माने हैं सत्य, भ्रष्टाचर्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह इन पाँच महाप्रतीकोंका काया-चाचा-मनसा सूक्ष्म विवेकपूर्वक पालन; यमोंसे चित्तकी समता सिद्ध होती है।

४३. नियमके माने हैं शोच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय और श्रीश्वर-प्रणिदानका निरंतर दृष्टापूर्वक आचरण; नियमोंसे शरोरकी शुद्धि

होती है, मन प्रसन्न रहता है, तथा मन और बुद्धिकी शुद्धि बढ़ती और सुरक्षित रहती है।

४४. आसनके माने हैं स्थिरताके साथ, सहज भावसे, तन कर सीधे, अेक ही तरीकेसे, लग्बे समय तक बैठनेकी आदत। चित्तको स्थिर करनेके लिये यह आवश्यक है।

४५. प्राणायासके माने हैं दीर्घ, धीमी, अेक-सी और विना घबड़ाहटकी शासोच्छ्वासकी टेव; अुससे शरीरकी नीरोगता कायम रहती है। अुसके विना योगमें प्रगति कठिन होती है।

४६. प्रत्याहारके माने हैं योगाभ्यासके विषयमें ऐसी लगन कि जिसके कारण समस्त अिन्द्रियाँ अपने अपने विषयोंके प्रति दौड़ना भूल जायें तथा भूख, प्यास, नींद तकको अेक हृदतक भूल जायें।

४७. ये पाँच योगाभ्यासके बाह्य अंग हैं। (३-७)

४८. धारणाके माने हैं शरीरके अन्दर या बाहरके किसी केन्द्र पर चित्तको स्थिर करनेका अभ्यास। (३-१)

४९. ध्यानके माने हैं धारणाके स्थान पर चित्तको अेक ही प्रत्यय पर चिपके हुये रखनेका अभ्यासः प्रत्ययके साथ अकतानता। (३-२)

५०. समाधिके माने हैं ध्यानकी ऐसी अेकतानता कि जिसमें अपने अस्तित्वका भी भान न हो। अिसमें चित्त व चैतन्यकी ही अेकस्तपता होती हो सो नहीं; लेकिन चैतन्य चित्तके ग्रहण किये हुये प्रत्ययके साथ अेकस्तप जैसा हो जाता है और खुदको, क्षणमरके लिये ही सही, दृश्यस्तप मानता है। (१-४३; ३-३)

१२. कुछ पारिभाषिक शब्द

५१. सर्वार्थताका अर्थ है वृत्तिके प्रत्येक व्यापारमें जुदा जुदा प्रत्ययों पर अटकनेकी चित्तकी आदतः चित्तकी चंचलता।

५२. अेकाग्रताका अर्थ है वृत्तिके प्रत्येक व्यापारमें अेक ही प्रत्यय पर स्थिर रहनेकी टेव।

५३. सर्वार्थतामेंसे अेकाग्रतामें जाना समाधि-परिणाम है। (३-११)

५४. व्युत्थानका अर्थ है समाधिकी स्वल्पशृन्य जैसी हृश्याकार स्थितिमें से जग जाना तथा हृष्टा, हृश्य और दर्शनके मानपूर्वक हृश्यके प्रति अेकाग्रता रहना ।

५५. समाधिमें से व्युत्थान दशामें जाना समाप्ति है ।

५६. वितर्क और विचारकी समाधिमें से समाप्ति में जाना अनुक्रमसे सवितर्क और सविचार समाप्ति है । वितर्क और विचारकी समाधि ही अनुक्रमते निर्वितर्क और निर्विचार समाप्ति है । (१-४२ से ४४)

५७. वितर्क और विचारकी समाधियोंको सबीज समाधि भी कहते हैं । (१-४६)

५८. निर्विचार समाधिमें कुशलता प्राप्त होनेसे आध्यात्मिक प्रसन्नता आती है । अिससे प्रश्ना ऋतंभरा यानी सत्यदर्शी होती है । अुसके संस्कार दूसरे विरोधी संस्कारोंको हटानेकी क्षमता रखते हैं । (१-४७, ४८, ५०)

५९. अब संस्कारोंका भी निरोध करनेसे संस्कारमात्रका निरोध होता है । अुसे निर्वीज समाधि कहते हैं । (१-५१)

६०. समाप्तिके बहुत रही हुअी हृश्यके प्रति अेकाग्रताको रोककर, अुस समयकी दर्शनशक्ति (चित्त) की स्थितिका प्रश्नके द्वारा आकलन करना यह निरोध-परिणाम हैः यही योगका अन्यास है ।

३३. योगका फल

६१. चित्तके सम्पूर्ण निरोवके समय चैतन्यशक्ति अपने सहजभावमें रहती है (१-३) । अुस स्थितिके आकलनके फलस्वरूप चित्त और चैतन्यके मेदका ज्ञान होता है । यह विवेकख्याति है ।

६२. अिस मेदका ज्ञान हृष्ट होनेसे प्रयत्नशील साधकको सर्व भावों पर अविष्टातृत्व प्राप्त होता है और अुसकी शुद्धि सर्वग्राही होती है (३-४९) । जैसा चित्त सत्त्व कहलाता है ।

६३. अपने सत्त्वकी शुद्धिकी पराकाष्ठा करना और समग्र मानव-जीवनको अुसी दिशामें ले जानेका पुरुषार्थ करना मनुष्य जीवनका आदर्श समझा जाय ।

६४. यही मानव जीवनकी परम प्राप्ति है ।

अन्तिम कथन

ये सुब लेख निन्दा-बुद्धि से नहीं लिखे गये हैं। बल्कि अस अनुभव व अबलोकन परसे लिखे गये हैं कि सत्यदर्शनमें भ्रामक कल्पनायें और आदर्श, अथवा सच्चे आदर्शकी गलत कल्पनायें कितनी वाघक होती हैं, और अनुकी बदौलत साधकोंका कितना परिश्रम गलत दिशाओंमें व्यर्थ चला जाता है।

अस पुस्तकके निचोड़िके रूपमें मुझे जो कुछ कहना है, वह यदि मैं सूत्र-रूपमें लिख डालूँ तो पाठकोंको अनुकूलता होगी। हाँ, यह बात जरूर याद रखनी चाहिये कि अन सूत्रोंको अस पुस्तकका लघुदर्शन (summary) न समझा जाय।

१. वेदधर्म नाम यदि सार्थक हो, तो वह ज्ञानका — अनुभवका — धर्म है। युसका दावा है कि जो कुछ अन्तिम प्राप्तव्य है, वह असी जीवनमें सिद्ध हो सकता है। शास्त्र केवल अपनी प्राचीनताके लिये अथवा प्रसिद्ध ऋषियों द्वारा प्रणीत होनेसे मान्य नहीं हो सकते। वे युसी अंशतक विचारणीय हैं, जिस अंश तक कि अनके वचन जीवनके मूल प्रश्नोंके सम्बन्धमें अनुभव-युक्त हों या अनुभव प्राप्त करनेमें मार्गदर्शक हो सकते हों। फिर वे प्राचीन हों या अर्वाचीन, प्रतिष्ठा-प्राप्त हों या न हों, संस्कृतमें हों या प्राकृतमें या संसारकी किसी भी अन्य भाषामें हों। अनुभवकी वाणी चाहे जीवित पुरुषकी हो या मृतकी, वह अवश्य विचारणीय है।

२. अनुभव यथार्थ व अयथार्थ दो प्रकारका हो सकता है; फिर अनुभव व अनुभवका खुलासा (शुपष्टि) दोनोंमें भेद है। अतः अनुभवके वचन या अपष्टि भी सिर्फ विचारणीय ही समझी जा सकती है। वे मान्य तो युसी हृद तक हो सकते हैं, जिस हृद तक वे हमारे अनुभव और विचारमें सही साक्षित हों।

३. प्राचीन कालसे लेकर अबतक के गहरे विचारकोंके अनुभव और अनुकी अपष्टियोंमें जिस अंशतक अेकाक्षयता है, युसी अंशतक शास्त्रोंको प्रमाणभूतता मिलती है।

४. अिस शास्त्र-प्रमाण तथा अनुभव-प्रमाणके अनुसार यह स्वीकार करने योग्य सिद्धान्त है कि सर्वत्र समतासे व्याप्त आत्मतत्त्व है। अुसकी शोध ज्ञानरूपी पुरुषार्थका अन्तिम ध्येय है। यह ध्येय अिस जीवनमें ही प्राप्त कर लेना है—जीवनके बाद नहीं।

५. अिसके लिये कृत्रिम पूजा, वेष, कर्मकाण्ड आदिकी आवश्यकता नहीं है। मनुष्य अपने देश, काल, वय, जाति, शक्ति, संस्कार, शिक्षण आदिको देखकर, निरन्तर सावधान रहकर, योग्यायोग्यता तथा धर्माधर्मका विवेक-शुद्धिसे विचार करके समाजके तथा अपने जीवनके धारण, पोषण व सत्त्वसंशुद्धिके लिये जो आवश्यक कर्म हों अनुन्हें करता रहे और अपने चित्तशोधनका अभ्यास करता रहे, तो वह अपने जीवनका ध्येय प्राप्त कर सकता है और गुणोंका जो स्वाभाविक विकास व पराकाश्टाका कम होगा अुसे गति दे सकता है।

६. आचारमें, वाणीमें, या वेषमें सारासारविवेकसे सामान्य पुरुषार्थी सदाचारी मनुष्यको जो बात अनुचित मालूम हो, अुसे करनेकी 'मुक्ति' या 'सिद्ध' कहलानेवाले व्यक्तिको छूट है—अिस बचनमें या तो अज्ञान है या पागलपन अथवा पाखण्ड है।

७. एक ओर अनुभव व दूसरी ओर तर्क, अनुमान या कल्पना अिसमें बहुत मेद है। अनुमानको सिद्धान्त समझनेकी या कल्पनाको सत्य समझनेकी भूल करना सत्यशोधनमें बड़ी खात्री जैसा है। सत्य-शोधनको जिस बातका अनुभव न हुआ हो, अुसके विषयमें अुसे साशंक या तटस्थ रहनेका अंधिकार है।

८. अिसी तरह बाद और सिद्धान्तमें भी मेद है। बाद अुस कल्पनाको कहते हैं जो स्पष्ट परिणामों अथवा अनुभवोंके अगोचर कारणोंके विषयमें अथवा प्रत्यक्ष कर्मोंके अगोचर फलोंके विषयमें सयुक्तिक दिखाआई देती हो। सिद्धान्त अनुभव या प्रयोगसे निष्पत्त अचल नियम है। बादको सिद्धान्त माननेकी भूल न करनी चाहिये। वह कितना ही युक्तियुक्त व सन्तोषकारक क्यों न प्रतीत हो, फिर भी यदि दूसरा व्यक्ति अुसे विषय पर बूसरा बाद अुपस्थित करता है, तो अुसके लिये स्फारा

करनेकी जस्तरत येक तरहसे नहीं है; हाँ, युस वादको माननेवालेके मन पर युससे जो संस्कार इड बनते हों, अनेके गुण-दोषोंकी दृष्टिसे युस वादकी समालोचना व शुद्धि आवश्यक है। अिससे अधिक युस वादके स्पष्टन-माण्डन या युसे पकड रखनेका आग्रह न होना चाहिये।

९. सत्यशोधकमें तटस्थता, निराग्रह, या जिसे निष्कामता या निःस्पृहता कहते हैं, वह और पूर्वग्रहोंका त्याग विलकुल आवश्यक है। ऐसा आग्रह कि अमुक मान्यता या विचारकों में कदापि न छोड़ेंगा, सत्य-शोधनमें बाधक है। मन्यता या स्रोहकताके कारण किसी मान्यता या कल्पनाको पकड रखनेका आग्रह भी सत्यशोधनमें बाधक है। यह आग्रह भी सत्यशोधनमें बाधक है कि शास्त्रोंमेंसे अेकवाक्यता निकालना आनंद चाहिये। शोधनका विषय शास्त्र नहीं, बल्कि आत्मा व चित्त हैं; और ये शास्त्रोंमें नहीं बल्कि हमारे अपने अन्दर हैं। बुनाअी सीखनेमें जिसना अपयोग बुनाअीकी पाठ्य-पुस्तकका हो सकता है, युतना ही हमारे लिए जिन शास्त्रोंका हो सकता है। परन्तु जिस तरह बुनाअी सीखनेका अधिक सीखौ साधन पाठ्य-पुस्तक नहीं, बल्कि बुनाअीशाला — कारखाना — या अनुभवी बुनकर है, युसी तरह आत्मशोधनका अधिक योग्य साधन शास्त्राध्ययन नहीं, बल्कि चित्त व सद्गुरु तथा सत्पुरुषोंका भक्ति-पूर्वक समागम है।

१०. भाषाका अचौक्सपन — अयथार्थता — विचारमें अचौक्सपन पैदा करता है; तत्त्वचिन्तकोंको अिसके विषयमें सावधानी रखनी चाहिये।

११. व्याकुलता, जिजासा, शोधक-शुद्धि, सत्यसंशुद्धि, विचारमय व पुरुषार्थी जीवन, पूज्य व गुरुजनोंके प्रति भक्ति, आदर, जगत्‌के प्रति निष्काम प्रेम, धैर्य, दृढ़ता, कृतज्ञता, धर्मशीलता, आत्मा या परमात्माके सिवा दूसरे आलम्बनके विषयमें निःस्पृहता — भितने गुण सत्यशोधकमें अवश्य होने चाहियें।

